गुरूवार , 29 अगस्त, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 29 अगस्त, 1996 के लोक सभा

वाद-विवाद हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र

.....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
27	नीचे से 16	श्री शुत्रुघ प्रसाद सिंह	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह
173	9	दृष्टिकाणे	दृष्टिकोण
290	16	श्री सईदा कोटा	श्री सिद्दय्या कोटा
305	नीचे से 14	कार्य मंत्रण समिति	कार्य मंत्रणा समिति
309	नीचे से 10	श्री हन्नान मोल्ला	श्री हन्नान मोल्लाह

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 20, गुरुवार, 29 अगस्त, 1996/7 भाद्र, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	381 –से– 384	1–23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्याः	385 –से– 400	23–45
अतारांकित प्रश्न संख्याः	3245 –से– 3476	45–302
सभा पटल पर रखे गये पत्र		303–305
कृषि संबंधी स्थायी समिति		
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		305
कार्य मंत्रणा समिति		
चौथा प्रतिवेदन		305
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति		
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		306
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति		
छब्बीसवां प्रतिवेदन–**सभा पटल पर रखा गया**		306
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
इकतालीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन–**सभा पटल पर रखा गया**		306
उद्योग संबंधी स्थायी समिति		
अट्ठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन–**सभा पटल पर रखया**		307
नियम 377 के अधीन मामले		325–329
(1) केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार इंडियन न्यूज प्रिन्ट इंडस्ट्रीज को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता — श्री मंगल राम प्रेमी		325–326
(2) केरल राज्य को तटीय क्षेत्र विनियमन के कार्य क्षेत्र से विमुक्त किये जाने की आवश्यकता — श्री पी. सी. चाको		326
(3) आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से अधिक धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता — डा० टी. सुब्बारामी रेड्डी		326–327
(4) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बैराज के जल ग्रहण क्षेत्र में जमा गाद और रेत को नियमित रूप से निकालने के लिए कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता — श्री सुनील खान		327

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(5) कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से विशेष रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मार्तण्डम में दूरदर्शन कार्यक्रम दिन भर प्रसारित किये जाने की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस 327–328

(6) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कोटीपल्ली और काकीनाडा के बीच रेलवे लाइन को पुनः चालू किये जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोपाल कृष्ण 328

(7) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बाईपास का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री 328

(8) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर इंदौर और देवास के बीच बाईपास के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन 329

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन के फलस्वरूप हुई जनहानि 329–390

श्री इन्द्रजीत गुप्त 329–331

श्री संतोष मोहन देव 331–338

श्री कृष्ण लाल शर्मा 339–344

श्री सोमनाथ चटर्जी 344–349

श्रीमती गीता मुखर्जी 349–351

श्री जगमोहन 351–357

श्री पी. आर. दास मुंशी 357–362

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह 363

श्री अनन्त गंगाराम गीते 363–366

श्री सनत मेहता 366–369

श्री हरिन पाठक 369–372

श्री जय प्रकाश 372–375

श्री समीक लहिरी 375–377

श्री प्रमथेस मुखर्जी 377–379

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 383–385

श्री बृज भूषण तिवारी 385–387

डा० टी. सुब्बारामी रेड्डी 387–388

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 388–390

बजट (सामान्य) 1996-1997 390–420

श्रीमती कृष्णा बोस 390–394

श्री तिरूची शिवा 394–398

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता 399–403

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 403–406

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार 406–410

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 410–413

श्री ई. अहमद 413–416

श्री मनोरंजन भक्त 416–420

सदस्य द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के बारे में घोषणा 420

लोक सभा

गुरूवार, 29 अगस्त, 1996/7 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह कहा जाता है कि न्याय में विलम्ब का अभिप्राय है न्याय देने से इंकार करना। लेकिन 1984 के दंगा पीड़ितों के मामले में न्याय देने से पूर्णतया इंकार नहीं किया गया है। 93 व्यक्तियों को 5 वर्ष का कठोर दंड दिया गया है। हम इस मामले पर चर्चा करने की आवश्यकता समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले प्रश्नकाल समाप्त कर लें उसके बाद आप इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

श्री पी० एम० सईद : क्या यह आज का सर्वप्रथम प्रश्न है?

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : उसकी बधाई तो श्री मदनलाल खुराना जी को देनी चाहिये जिन्होंने दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की और उन्हें जेल तक पहुंचाया।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : सभी अभियुक्तों को पांच वर्ष का कठोर दण्ड दिया गया है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बिहार में बाक्साइट के भण्डार

*381. **श्री ब्रजमोहन राम :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बाक्साइट का स्थानवार भण्डार कितना-कितना है;

(ख) क्या राज्य में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिए बाक्साइट के पर्याप्त भण्डार उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने अथवा इसकी स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (घ) : सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) बिहार में बाक्साइट के जिलावार प्राप्तियोग्य निक्षेप निम्न प्रकार हैं :–

जिला	इकाई : हजार टन में
मुंगेर	813.00
पलामू	3323.20
रोहतास	1300.00
गुमला	37132.50
लोहारड़ागा	12120.00
डुमका	6415.00
कुल :	61104.20

(ख) इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि० की एल्यूमिना शोधनशाला राज्य में मुरी स्थान पर पहले ही स्थित है। नई क्षमताएं तभी सृजित की जा सकती हैं जब राज्य में अतिरिक्त भंडार प्रमाणित हो जाएं ताकि ऐसा संयंत्र स्थापित करने का औचित्य सिद्ध हो सके।

(ग) और (घ) फिलहाल सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि एल्यूमिनियम क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एल्यूमिनियम धातु तथा इसके डाउनस्ट्रीम उत्पादों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान से छूट दी गई है। इसके अलावा, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, एल्यूमिनियम को उन उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है जिनमें 51% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की स्वतः स्वीकृति उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम : बिड़ला उद्योग समूह के द्वारा उत्तर प्रदेश में एल्युनियम का कारखाना लगाया गया है। बिहार में एल्युनियम बनाने वाले बाक्साइट का पर्याप्त भंडार है। बिहार सरकार ने बिड़ला समूह को इस शर्त पर पट्टा दिया था कि वे पलामू जिले में एल्युनियम का कारखाना लगाएंगे। लेकिन बिड़ला उद्योग समूह ने तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां कारखाना नहीं लगाया है। इसलिए क्यों नहीं उनके कारखाने का पट्टा रद्द किया जाता?

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य : महोदय, बिहार में बाक्साइट वसूली यूनिट है। देश में बाक्साइट का उत्पादन करने के मामले में बिहार का छठा स्थान

है। पहले ही बिहार और उत्तर प्रदेश में एक-एक एकक स्थापित हैं। ये दोनों एकक केवल बिहार से प्राप्त होने वाले बाक्साइट का उपयोग करते हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम : बिरला समूह और बिहार सरकार के द्वारा जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक कारखाना क्यों नहीं लगाया गया है जबकि 35 वर्ष बीत गए हैं। सारे बिहार में ही बॉक्साइट उत्तर प्रदेश से आते हैं जबकि वहां कारखाने को लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य : सरकार इस बारे में जांच करेगी। ऐसी व्यवस्था हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम : एल्यूमिनियम का कारखाना लगाने के लिए किन-किन उद्योग समूहों के द्वारा किन-किन जगह पर अभी तक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य : एल्यूमिनियम उद्योग में एक टन एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिये लगभग 6 टन बाक्साइट की आवश्यकता होती है। एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नई खनिज सम्बन्धी नीति के बाद दोनों ही देश-विदेश की कम्पनियों को देश में एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित करने के लिये आमंत्रित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री तारीक अनवर : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आर्थिक नई नीति के अन्तर्गत हर प्रदेश में जो फौरेन प्रपोजल्स हैं, जो फौरेन इनवेस्टमेंट हैं, वे काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक कोई भी बड़ा इनवेस्टमेंट नहीं आ रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा खास तौर पर बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के क्षेत्र में क्या अभी तक कोई फौरेन प्रपोजल आया है और क्या बिहार सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा प्रपोजल आया है;

[अनुवाद]

श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य : सरकार को विदेशी निवेश सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : मेरा प्रश्न 382 है।

उपाध्यक्ष महोदय : 382 का जवाब कौन देगा?

श्री रमेन्द्र कुमार : मुझे एक प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं।

[हिन्दी]

मैंने दो-तीन बार बोला था, किसी ने हाथ नहीं उठाया।

श्री रमेन्द्र कुमार : उठाया था। आपने ध्यान नहीं दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे भी हो, अब गाड़ी छूट चुकी है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अंतर्गत मांग पर तत्काल टेलीफोन

*382. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अंतर्गत महानगरों में अप्रैल, 1997 तक मांग पर तत्काल टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में 1997 तक मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसे सरकार के प्रयासों में सहयोग के तौर पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से संपादित किया जाना था। 31.3.1995 और 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार महानगरीय जिलों की प्रतीक्षा सूची 96-97 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य और 95-96 के दौरान 31.7.96 तक की उपलब्धियां विवरण में दी गई हैं। टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा-सूची धीरे-धीरे कम हो गई है। मांग पर टेलीफोन की उपलब्धता मांग में वृद्धि होने और इस सेवा को प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सीमा पर निर्भर करती है।

विवरण

महानगरीय जिला	31.3.95 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची	1995–96 के दौरान किए गए टेलीफोन कनेक्शन	31.3.96 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची	सीधी एक्स लाइनों का लक्ष्य का 1996–97	31.7.96 तक, 96-97 की उपलब्धियां
दिल्ली	130243	200070	9221	250000	42029
मुम्बई	50039	200167	10572	250000	19709
कलकत्ता	52393	65107	47588	55000	11602
मद्रास	857.43	60348	83187	75000	9712

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : क्या प्राइवेट सैक्टर के साथ मिलकर सरकार इस सारे काम को पूरा करेगी? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सुखराम जी मिनिस्टर थे, उन्होंने क्वश्चन ऑवर में उत्तर दिया था कि इनडिपेंडेंटली सरकार इस सारे काम को करेगी। क्या आपका विभाग इस सारे काम को स्वयं करने में असमर्थ हैं? यदि असमर्थ है तो इसके क्या कारण हैं?

आप निजी क्षेत्र की सहायता क्यों ले रहे हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष जी, जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, वह कदाचित इस सम्मानीय सदन में अपनाई गई थी और उस समय दूरसंचार सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसे अपनाया गया था कि बगैर निजी क्षेत्र की भागीदारी के जितने संसाधन होने चाहिए

उतने सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें प्रवेश के लिए अनुमति दी गई थी और यह नीति अपनाई गई थी तथा उसी नीति के तहत लक्ष्य रखा गया था कि 1997 के अन्त तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक "ऑन डिमाण्ड" टेलीफोन दिए जाएंगे।

हम फिर भी अपने विभाग की तरफ से पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रश्न महानगरों के लिए है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस समय तक महानगरों में 82,000 टेलीफोन लाईनस दी हैं लेकिन हम 31 मार्च, 97 तक करीब साढ़े पांच लाख और टेलीफोन लगाएंगे। ज्यों-ज्यों इसका विस्तार हो रहा है त्यों-त्यों इसकी मांग और बढ़ती जा रही है। साढ़े पांच लाख टेलीफोन लगाने के बाद भी यह अनुमान है कि कि एक लाख के ऊपर फिर वेटिंग लिस्ट रह जाएगी और विभाग की तरफ से भी पूरी तरह से विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन जब तक निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू नहीं होगी तब तक ऑन डिमांड टेलीफोन में थोड़ा समय लगेगा।

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : मेरा अगला प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने अपनी जो स्टेटमेंट लोगों के सामने रखी है उसमें आपने विभिन्न शहरों की 31 मार्च, 96 तक की वेटिंग लिस्ट जारी की है उसमें पूरी संख्या के बारे में आपको कोई फिक्स तारीख देनी चाहिए कि दिल्ली में 31 मार्च, 97 तक कोई भी वेटिंग लिस्ट पर नहीं रहेगा। अगर यह बात साफ हो जाती तो हम आपसे प्रश्न न करते। दूसरा मेरा कहना यह है मान लीजिए अगर कोई 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को एप्लाई करता है तो उसको आप कौन सी तारीख तक पूरा कर देंगे? यह बात अगर जनता के सामने साफ हो जाए तो बहुत लाभ होगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, आपने सही सवाल किया है। इस समय जो चारों महानगरों में वेटिंग लिस्ट है यह वेटिंग लिस्ट 31-7-97 तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भी अनुमान है कि एक लाख से ऊपर वेटिंग लिस्ट फिर बन जाएगी लेकिन इस समय जो वेटिंग लिस्ट है यह समाप्त हो जाएगी।

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : आपने ठीक कहा लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल को एप्लाई करता है तो उसको आप 3–4–6 महीने या कितने महीने में टेलीफोन दे देंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, यह तो काल्पनिक प्रश्न है।. . . **(व्यवधान)**

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : नहीं, यह काल्पनिक प्रश्न नहीं है, व्यावहारिक प्रश्न है।. . . .**(व्यवधान)**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उस समय हमारी कितनी मांग बढ़ जाएगी? ....**(व्यवधान)**

श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम" : सरकार को पब्लिक को यह बताना चाहिए कि हम आपकी मांग को फलां तारीख तक पूरा कर देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमारा अनुमान है कि 1 अप्रैल को एक लाख से ऊपर मांग और बढ़ जाएगी।....**(व्यवधान)**

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : मैंने यह कहा है कि आप कितने समय तक पूरा कर देंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, पूरे देश में जो नये कनैक्शंस जा रहे हैं, उनमें करीब 25 प्रतिशत उन महानगरों को ही दिए जा रहे हैं, ...**(व्यवधान)**

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : आप समय तो बताएं कि 3-4 या 6 महीने में पूरा कर लेंगे, कब तक पूरा कर लेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : इस तरह के सवाल आप हमसे न पूछें क्योंकि फिर बाद में आप कहेंगे कि आपने सदन को गुमराह किया।

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" : ठीक है, धन्यवाद।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमारा प्रयास होगा कि हमारा विस्तार तेजी से हो और वेटिंग लिस्ट भी कम से कम रहे।

[अनुवाद]

श्री एन० एस० वी० चित्तयन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा सभापटल पर रखे गये विवरण में वर्ष 1996-97 में दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक के लिये 2,50,000 कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित करने का उल्लेख किया है। लेकिन मद्रास के मामले में इस में भारी कमी कर इसे 75,000 कर दिया गया है। क्या माननीय मंत्री, वर्ष 1996-97 के लिये मद्रास के लिये निर्धारित वर्तमान 75000 कनेक्शन के लक्ष्य को बढ़ाकर यदि 2,50,000 नहीं तो कम से कम 1,50,000 करने के बारे में कदम उठायेंगे?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि बहुत समय पहले गठित की गई दूरसंचार मंत्रणा समिति का वह कब पुर्नगठन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, मद्रास के लिए जो इसमें 75,000 का लक्ष्य दिया गया है उसके बारे में हम यह बताना चाहेंगे कि हमको जो 75,000 बताया गया है इसको 31 जुलाई तक एचीव कर लिया जाएगा। चूंकि महानगर में टेलीफोन कनैक्शन की मांग ज्यादा होती है इसलिए विभाग का भी प्रयास है और हमारा भी प्रयास रहेगा कि यहां टेलीफोन कनैक्शंस के विस्तार में और प्रगति लाई जाए। आपने जो टीएसी के बारे में पूछा है उसके बारे में हमने देखा नहीं है लेकिन हमको बताया गया है कि एडवायज़री कमेटियां बनी हुई हैं, जहां नहीं बनी हुई हैं वहां भी हम इस सत्र के बाद चाहेंग कि जो हमारे माननीय संसद सदस्य हैं उनकी जो राय हो उनका हम ज्यादा से ज्यादा आदर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : दिल्ली में प्रतीक्षा सूची में 9221 व्यक्तियों के नाम हैं और सरकार 2,50,000 कनेक्शन देने का वायदा कर रही है। ऐसा करने की क्या बुद्धिमता है? क्या आंकड़ों में कोई त्रुटि है? यह कैसे हो सकता है कि प्रतीक्षा सूची में 9221 व्यक्तियों को कनेक्शन देने के लिये नाम हैं जबकि 2,50,000 लोगों को कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुम्बई के बारे में भी यही स्थिति है। मैं नहीं जानता कि ये आंकड़े ठीक हैं अथवा नहीं . . .**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मधुकर को अनुमति दी है।

श्री मधुकर सर्पोतदार : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मैं संचार मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभालने के बाद मंत्री महोदय द्वारा कुछ निर्णय लिये जाने के लिये उन्हें बधाई दूंगा।

दूसरे, मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात की जांच करें कि प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम हैं और वास्तव में कितने कनेक्शन दिये गये हैं। इनमें भारी अन्तर है। वर्ष 1996-97 के लिये निर्धारित कनेक्शन भी दे दिये गये हैं। मेरा प्रश्न मुम्बई से सम्बन्धित है। अब से एक वर्ष से अधिक समय से मुम्बई में मंत्रणा समिति अस्तित्व में नहीं है। लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। दूरसंचार मंत्रणा समिति का अभी गठन किया जाना है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इसका गठन कब तक किया जायेगा।

तीसरे, समस्त टेलीफोन प्रणाली को इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली में बदलने के बाद भी हमें इस आशय की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि केबिल में खराबी होने तथा भूमि सम्बन्धी समस्याओं के कारण शिकायत करने के बाद टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये हैं। बहुत दिनों तक कनेक्शन ठीक नहीं किये गये हैं। सरकार का इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है? उपभोक्ताओं को इस समस्या से किस प्रकार छुटकारा मिलेगा?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : टी. ए. सी. कमेटी के बारे में आपने सवाल किया है। यह सदन चल रहा है और जल्दबाजी में हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं। हमारे जो सम्माननीय सदस्य इसमें हैं उनकी राय का भी हम आदर करना चाहते हैं। हमारा अपना कोई पूर्वाग्रह नहीं है। हम विभाग में सुधार के लिए जो भी कदम होगा वह उठाएंगे। मुम्बई की प्रतीक्षा सूची इस समय 52717 है और इस सत्र के अंत तक हमारा लक्ष्य दो लाख पचास हजार नये टेलीफोन कनेक्शन देने का है। यह प्रतीक्षा सूची तो खत्म हो जाएगी लेकिन फिर नयं टेलीफोन कनेक्शन की डिमांड आ जाएगी। इस तरह प्रतीक्षा सूची तो रहेगी। इन पूरे महानगरों में छः लाख से ऊपर नये कनेक्शन देने के बाद भी करीब एक लाख से ऊपर एक अप्रैल के बाद प्रतीक्षा सूची हो जाएगी। हम चाहते हैं कि यह सूची बढ़े। इसीलिए निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति इसमें दी गयी थी। इसमें थोड़ा विलम्ब है। अगर वह आ गये होते तो 1997 के अंत तक डिमांड टेलीफोन शुरू हो जाता। . . .**(व्यवधान)** आपने पूछा कि टेलीफोन में जो दोष आ जाते हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार : केबिल में खराबी और भू योजन सम्बन्धी दो विशिष्ट कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमने विभाग संभालने के फौरन बाद इस बात के ऊपर ध्यान दिया था और हमने निर्देश दिए थे कि 48 घंटे तक केवल फाल्ट खत्म कर दिए जाएंगे। ओ० वी० इश्यू होने के 15 दिन में टेलीफोन कनेक्शन लग जाएंगे। शिफ्टिंग अगर एक ही एक्सचेंज में है तो 15 दिन में वह भी हो जाएगी। मुम्बई में 7 दिनों में शिफ्टिंग 23 प्रतिशत है, 15 दिनों में नये कनेक्शन 23 प्रतिशत, 48 घंटे में टेलीफोन का केवल फाल्ट ठीक होने का 73 प्रतिशत है। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम विभाग के अधिकारियों को फिर से निर्देश देने जा रहे हैं कि हमने अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अगर निर्देशों के अनुपालन में कोई दोषी है तो हम विचार कर रहे हैं कि उसकी सी. आर. में भी उसको नोट किया जाए। हमारा इस बात पर खास जोर है कि जो उपभोक्ताओं की सुविधाएं हैं उनमें वृद्धि हो। बिना वजह लोग शिकायत न करें। विभाग के नियमों का पालन हमारे अधिकारी और कर्मचारी करें।

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन कनैक्शन देने में और उसके बिलों में बहुत गड़बड़ी हो रही है। जब कभी उपभोक्ता टेलीफोन बिल के बारे में गड़बड़ी की शिकायत करता है तो टेलीफोन अधिकारी उचित ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हरेक क्षेत्रीय स्तर पर माननीय सदस्यों और उपभोक्ताओं की एक सलाहकार समिति का गठन करना चाहती है जो कि टेलीफोन कनैक्शन और बिलों की अनियमितताओं को देखें। क्या सरकार इस पर विचार करेगी और कोई गड़बड़ी न हो, इस पर ध्यान देगी। साथ ही साथ . . .**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही सप्लीमैंट्री काफी है।

श्री रमेन्द्र कुमार : मैं राय दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : राय छोड़िए, आपका क्वश्चन हो गया है।

श्री रमेन्द्र कुमार : बिहार जैसे राज्य में टेलीफोन की सबसे अधिक खराब हालत है। 7 करोड़ रुपये टेलीफोन विभाग ने खर्च नहीं किए और सरैंडर कर दिए। बिहार में औसतन प्रति व्यक्ति प्वाइंट सात टेलीफोन है। जबकि राष्ट्रीय औसत चार है। इसका क्या कारण है? पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने पर क्या सरकार ध्यान नहीं देगी?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमान्, सलाहकार समितियों के गठन का प्रावधान तो बिहार में है ही। बिहार के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल किया। बिहार के बारे में आज की कार्य सूची में ...**(व्यवधान)**

श्री रमेन्द्र कुमार : उसको इसी में ही ले लिया जाए। क्वश्चन 387 डायरैक्ट इसके साथ ले लिया जाए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : वह जब आएगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 1997 तक ऑन डिमांड टेलीफोन देंगे। उसके लिए आपको अभिनन्दन ...**(व्यवधान)**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैंने यह नहीं कहा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : 1997 तक ऑन डिमांड टेलीफोन देने की उम्मीद है, उसके लिए अभिनन्दन। इन दिनों टेलीफोन सेवाओं में बहुत तेजी से गिरावट आई है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि नागपुर जहां से मैं चुनकर आया हूं, वह एक सैंट्रल सिटी है। वहां 20 लाख लोगों की आबादी है। वहां इतनी तेजी से टेलीफोनों में ब्रेक डाउन हो रहे हैं कि वे महीनों डैड रहते हैं। वहां का स्टाफ ऐरोगेटरी रिपलाई देता है। वहां के जनरल मैनेजर से जब शिकायत करते हैं तो वह कहता है कि हमारा जो करना है कर लीजिए। जब एम. पी. के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। वहां महीनों तक टेलीफोन खराब रहते हैं। हम आपको चिट्ठी लिखते हैं तो आपके हस्ताक्षर से तीसरे दिन उस चिट्ठी का जवाब आ जाता है। इसके लिए हम आपकी तारीफ करते हैं और अभिनन्दन करते हैं। वहां के जी० एम० को शिकायती पत्र लिखे लेकिन उनका एक भी जवाब नहीं आया। इस तरह का ऐरोगेंट व्यवहार अगर आपका स्टाफ करेगा तो आप कैसी अच्छी सेवा दे पाएंगे। गिल्टी आफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेना आपका काम है। आप टेलीफोन सेवा सुधारने के लिए क्या कोई कारगर कदम उठायेंगे? सदन को इसके बारे में आश्वस्त करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो वह हमें लिखकर भेजें। माननीय सदस्यों का सम्मान हमारी नजर में सर्वोपरि है। अगर हमारा कोई अधिकारी ऐसा काम करेगा तो उसको सजा देने में हम कोई कंजूसी नहीं करेंगे।

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बारे में अच्छा काम करने की बात कही। महाराष्ट्र के जो बड़े-बड़े शहर नागपुर, पुणे और औरंगाबाद हैं, क्या आप वहां अच्छी टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई स्कीम चला रहे हैं? पहले सैंटरलाइज हुई थी। अगर किसी को टेलीफोन देना होता था तो सुखराम जी के पास जाना पड़ता था। किसी हैंडीकैप्ड लड़के को टेलीफोन बूथ देना होता था तो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता था। इसका परिणाम वह आज भोग रहे हैं ....**(व्यवधान)** आपने अपने डिपार्टमैंट को सैंटरलाइज किया है। इससे सैंटरलाइज पावर्स इकट्ठी हुई हैं। क्या अब उसको डिसैंटरलाइज करने वाले हैं? हमारे सहयोगी और बड़े भाई पुरोहित जी ने सही बात कही कि गांवों में 10-15 दिनों तक टेलीफोन बंद रहते हैं। हम चिट्ठी लिखते हैं तो उसका जवाब नहीं मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पावर्स डिसैंटरलाइज कर उनको पूरे अधिकार दीजिए और जन प्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहिए।

दूसरी बात यह है कि जो एम० पीज० को 25 टेलीफोन कनेक्शन साल में देते हैं, अगर देने के लिये लैटर भेजते हैं तो महीने-दो-महीने उसका कनेक्शन ही नहीं होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एम० पी० का कोटा बढ़ाने की कोई योजना है? हमारे पास बहुत से लोग आते हैं तो एक साल के लिये 25 टेलीफोन कनेक्शन कम हैं। आप लोक प्रतिनिधि हैं तो इसके लिये एक लोक प्रतिनिधि को कम से कम एक महीने में 25 कनेक्शन या साल भर में 200-250 टेलीफोन कनेक्शन दिये जायें। क्या ऐसी कोई योजना है, आप आश्वासन दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपका क्वश्चन हो गया है।

श्री दत्ता मेघे : आप या तो उसको विदड्रा कीजिये, वी डोंट माईड। हमारे पास 1000-500 आदमी आते हैं, उनको कहां से दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनको उत्तर देने दीजिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पॉवर डी-सैंट्रलाईजेशन के बारे में कहा है तो अब संयुक्त मोर्चा की सरकार ने मिनिस्टर के आउट ऑफ टर्न का कोटा होता था, उसको खत्म कर दिया है। हमारा भी खत्म हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैम्बर का कोटा भी खत्म कर दीजिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैम्बर्स का खत्म नहीं करेंगे। एम० पी० तो हम भी हैं। जो आपका कोटा है, वह तो रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। जहां तक कोटा बढ़ाने की बात के लिये सुझाव दिया है, जो विभाग की क्षमता है उसे देखना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य ऑन डिमांड टेलीफोन देने का है तो आउट ऑफ टर्न का कोई महत्व ही नहीं है। जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है, वह जब शुरू हो जायेगी तो हमें उम्मीद है कि ऑन डिमांड टेलीफोन रह जायेगा और जो आउट ऑफ टर्न या कोटा सिस्टम है, वह खत्म हो जायेगा।

श्री दत्ता मेघे : सुखराम के जमाने में एक कमेटी बनी थी, वह पैसा लेकर सबको कनेक्शन देती थी, उस कमेटी को बर्खास्त करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में मर्यादा बनाये रखें।

[हिन्दी]

डा० राम विलास वेदान्ती : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र मछलीशहर के लिये मैंने कई बार संचार मंत्री को पत्र लिखे कि वहां पर एस० टी० डी० की सुविधा नहीं है और वहां पर वर्षों से मामला विचाराधीन है लेकिन अभी तक स्ट्रीट टॉवर नहीं लग पा रहा है और कई बार इस तरह के पत्र भी लिखे कि मछलीशहर संसदीय क्षेत्र को जोड़ने के लिये मुगराबाद फूलपुर से जोड़ दिया जाये जिससे वहां पर एस० टी० डी० की सुविधा हो जाये लेकिन उसका उत्तर आज तक नहीं मिला। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस संबंध में क्या करना चाहते हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मान्यवर यह प्रश्न महानगरों के बारे में है और इन्होंने मछलीशहर के बारे में कहा है। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, इसलिये उत्तर नहीं दे सकते।

डा० राम विलास वेदान्ती : अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : नहीं हुआ है तो हमारे पास अभी कोई सूचना नहीं है। जिस विषय के संबंध में सवाल है, सिर्फ उसी के बारे में उत्तर दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : उत्तर में यह बताया गया है कि मद्रास के मामले में प्रतीक्षा सूची में 85743 व्यक्तियों के नाम हैं और वर्ष 1995-96 में 60348 व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये और 31 मार्च, 1996 को प्रतीक्षा सूची में 83,187 व्यक्तियों के नाम थे। दिल्ली और मुम्बई में कनेक्शन देने की संख्या कलकत्ता और मद्रास की तुलना में बहुत अधिक है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये लक्ष्य निर्धारित करने का क्या मानदण्ड है। क्या लक्ष्य का निर्धारण विकास के आधार पर अथवा शहरीकरण अथवा औद्योगिकीकरण के आधार पर किया जाता है?

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि सुखराम द्वारा दूरसंचार के सम्बन्ध में किये गये बड़े घोटाले का पता लगने के बाद क्या सरकार लक्ष्य का पुर्ननिर्धारण करने का प्रयास कर रही है; और अन्त में....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है।

श्री रूपचन्द पाल : उत्तर के भाग (ग) के सम्बन्ध में, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस आशय का समाचार प्राप्त होने के पश्चात् कि अनेक कम्पनियों, जिनमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं, ने टेंडरों के प्रत्युत्तर में मूल्य उद्धृत करने के लिये उत्पादन संघ का गठन कर लिया है, क्या सरकार भूतपूर्व मंत्री द्वारा की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण और समीक्षा करेगी अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, यह जो सवाल किया गया है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। जहां तक नये टेलीफोन कनेक्शन देने का सवाल है, यहां पर जिन इलाकों में जिस हिसाब से मांग हो रही है, उसी हिसाब से लक्ष्य बनाया गया है और हमारा लक्ष्य है कि जो इसमें मांग है वह 31.7.97 तक पूरी हो जाएगी। जहां तक दूसरा सवाल है, इसमें हमारा पूरा विश्वास है कि पूरी तरह से हमारा विभाग पारदर्शी रहे और इसीलिए हमारी जो पिछली प्रैक्टिस थी टैण्डर्स को मिनिस्टर्स द्वारा फाइनल करने की, वह हमने खत्म कर दी है। अब ओफिसर्स तय करेंगे और मिनिस्टर्स सिर्फ कंट्रोल करेंगे। हमारा काम कंट्रोल करना है, इनक्वायरी करना है, पनिश करना है, लेकिन खरीद-फरोख्त में ज्यादा हाथ नहीं होना चाहिए। इसलिए जो टी० ए० सी० कमेटी होगी, वही फाइनल करेगी। हम सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने विभाग के अधिकारियों पर पूरा विश्वास करते हैं। हमारे विभाग के अधिकारी कम योग्य या कम सक्षम नहीं हैं। सब अधिकारियों की ईमानदारी पर शक नहीं करना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि विभाग का काम पहले से ज्यादा पारदर्शी हो जिससे लोगों को ईमानदारी दिखाई पड़े। इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोई भी शिकायत आप इस तरह की देंगे तो हम पूरी गंभीरता से उस पर निर्णय लेंगे और कहीं पर आपको हमारे ऊपर भी शक हो तो हम शक को दूर करने की कोशिश करेंगे..।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पर तो शक जाहिर नहीं किया उन्होंने।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम तो इस राजनीति से ही सन्यास ले लेंगे। राजनीतिक लोगों का चेहरा जिस तरह से खराब हो रहा है यह लोकतंत्र के लिए खराब है। इसलिए हमारा सब तरह से कर्त्तव्य होना चाहिए कि राजनीतिक लोगों का चेहरा साफ हो क्योंकि जो हमारे देश की आजादी का लक्ष्य था, और जो देश की आज़ादी के दीवानों ने, तथा महात्मा गांधी ने लक्ष्य रखा था, वह कलंकित हो रहा है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमारा लोकतंत्र साफ-सुथरा फिर से निखरकर दुनिया के सामने एक स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में आए। . . (व्यवधान)

प्रो० ओमपाल सिंह 'निडर' : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं 'महानगर' शब्द का प्रयोग करते हुए कि उन्होंने कहा था कि महानगरों पर यह सवाल पूछा गया है। लेकिन अगर केवल महानगरों का ही ख्याल किया जाएगा लेकिन जिन गांवों की बात आप बार-बार पानी पी-पी कर करते हैं उन गांवों की क्या स्थिति रहेगी? उनमें टेलीफोन सुविधायें शीघ्रता से उपलब्ध कराने के क्या-क्या उपाय शासन कर रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न लिमिटेड है।

प्रो० ओमपाल सिंह 'निडर' : वही प्रश्न है। क्योंकि मैं तो भाई गांव का आदमी हूँ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : गांव हमारी प्राथमिकताओं में है लेकिन प्रश्न सिर्फ महानगरों के बारे में है, इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चौबे जी, आप ऐसा मत बोलिए। प्लीज आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार का है। उत्तर से यह पता लगता है कि सरकार ये दूर संचार सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने में पूर्णतया निजी कम्पनियों की भागीदारी पर निर्भर करती है। मेरा अभिप्राय तकनीकी क्रांति से है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचार का विषय नहीं है, आपको प्रश्न पूछना है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस मामले में पहले ही तकनीकी क्रान्ति आ चुकी है और टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता के उल्लेखनीय विस्तार के बारे में अनेक नये तकनीक सामने आ रहे हैं। उदाहरणार्थ, रिमोट नियंत्रण प्रणाली द्वारा बहुत अधिक निवेश किये बिना टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार किया जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार दूरसंचार सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार के लिये विश्व में व्याप्त तकनीकी क्रान्ति का अध्ययन करेगी और क्या टेलीफोन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये इस प्रणाली को देश में लागू किया जायेगा? . . .(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उनको जवाब तो देने दीजिए। क्या आपकी समझ में प्रश्न नहीं आया, उनका मतलब है कि क्या आप मॉडर्न टैक्नोलोजी अडाप्ट करेंगे और आप उसकी स्टडी करेंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मॉडर्न टैक्नोलोजी तो इस विभाग में दिन-प्रतिदिन आ रही है और उसको अडॉप्ट भी किया जा रहा है और उसी के हिसाब से विस्तार भी हो रहा है। लेकिन जो हमारे देश की मांग है।

श्री जी. एम. बनातवाला : रिमोट कंट्रोल सिस्टम से बहुत बड़ा काम हो सकता है, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय दुनिया में चीन

के बाद सबसे ज्यादा विस्तार अगर हो रहा है तो हिंदुस्तान में हो रहा है और मॉडर्न टैक्नोलोजी भी अडॉप्ट की जा रही है। लेकिन ज्यों-ज्यों विस्तार हो रहा है, मांग बढ़ती जा रही है। हम उस मांग को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक और प्रश्न अलाउ करूंगा। अगला प्रश्न उसके बाद नहीं करूंगा।

....(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : जो आपने रिमोट कंट्रोल कहा था, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि यहां पर जो अनुबंध पेश किया गया है उसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास के लिए वेटिंग लिस्ट जो मार्च 1995 तक की दी हुई है, उसके आधार पर 1995-96 में मुंबई के लिए सिर्फ 20,167 टेलीफोन कनेक्शंस दिये गये हैं। इसका मतलब 30 हजार के करीब यहां पर कमी हैं। उसके पश्चात यहां पर यह भी बताया है कि उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट बढ़ी है वह 10572 है। तो इसका मतलब करीब 40 हजार से ऊपर वेटिंग लिस्ट के नम्बर्स हैं। यहां पर लिखा गया है कि दिल्ली और मुंबई के लिए ढाई-ढाई लाख टेलीफोन कनेक्शंस की योजना 1996-97 में बनेगी। लेकिन आगे आप लिखते हैं कि इस 1996 की जुलाई तक आपने मुंबई के लिए 19709 टेलीफोन कनेक्शंस दिये हैं। तो ढाई लाख में से यदि 19709 टेलीफोन कनेक्शंस आपने देने की व्यवस्था की है तो इस 1996 के अंत में आप कितने टेलीफोन कनेक्शंस देंगे। क्योंकि आपने जो 1996-97 का टारगेट ढाई लाख कनेक्शंस देने का बनाया है तो ढाई लाख में से 1996 के आखिर तक आप कितने कनेक्शंस अधिक देने का प्रावधान कर सकेंगे, क्या इसके बारे में आप कोई गारंटी दे सकते हैं? आपके ही आंकड़ों के आधार पर यह सवाल है, क्योंकि 1997 का अलग है उसके आखिर तक कितने होंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन्, इस समय 31.7.96 तक मुंबई की वेटिंग लिस्ट 52717 है और साल के आखिर तक ढाई लाख लगाने का हमारा टारगेट है।

श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : यह 1997 तक का है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : यह 31 मार्च तक का है। लेकिन उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट में आगे डिमांड और बढ़ जायेगी। लेकिन इस समय वेटिंग लिस्ट 52717 है और हम ढाई लाख कनेक्शंस लगाने जा रहे हैं।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : मंत्री महोदय आपने यहां पर जो लिखित में दिया है उसके बारे में मैं आपसे क्लिअर करना चाहती हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अनुबंध में 31.3.96 तक के आंकड़े हैं और हम आपको 31.7.96 तक के दे रहे हैं। उससे आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। हम ढाई लाख देने जा रहे हैं जबकि वेटिंग लिस्ट 52 हजार के करीब है। अब इसके अलावा और क्या चाहते हैं।

श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : मंत्री महोदय, मेरा सवाल यह है कि आपने ढाई लाख की संख्या लिखी है लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में आपकी देने की जो संख्या है वह बहुत कम है, तो कितने समय तक आप उसको पूरा कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये इस प्रश्न पर बहुत समय लग गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : 31.7.97 तक यह पूरा हो जाएगा।

श्री नवल किशोर राय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के इस अभी के सवाल के जवाब में उन्होंने जो राजनीति में स्वच्छता लाने और अपने विभाग में पारदर्शिता की बात की है और लोकतंत्र में राजनीति में स्वच्छ छवि हो, इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपके माध्यम से इनसे यह सवाल करना चाहता हूं कि अभी जो पिछले दिनों से घोटालों के बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है तो क्या मंत्री महोदय पिछले तीन साल के सभी टेंडरों की समीक्षा पुनः कोई एक्सपर्ट कमेटी को बैठाकर कराना चाहते हैं। जिससे राजनीति में पारदर्शिता जो अब इनके विभाग में आने वाली है वह पिछले दिनों की भी पारदर्शिता यदि इस संसद में आ सके तो बहुत अच्छा हो। यही मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : पारदर्शिता के बारे में मैंने जो कुछ कहना था, उतना कह दिया है।...**(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर राय : पिछले दिनों जो मामला सामने आया, इसीलिए मैंने तीन साल के मामलों की समीक्षा की बात कही है...**(व्यवधान)**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : पिछले दिनों के मामले की बात नहीं, जो भी मामला हमारे संज्ञान में आयेगा उसमें हम किसी प्रकार की रियायत नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : बस बहुत हो गया।

श्री नवल किशोर राय : पिछले दिनों एक क्वैश्चन मार्क लग चुका है इसीलिए मैंने तीन साल के मामलों की समीक्षा की बात कही ताकि पारदर्शिता में हम एक कड़ी और आगे चले जाएं...**(व्यवधान)**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : पिछले मामलों की जांच चल रही है और यदि कोई नया मामला हमारे संज्ञान में आयेगा तो उसमें भी किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्वैश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत से माननीय सदस्य इसमें इंटरैस्टेड है, बेहतर होगा कि इस पर हम आधे घंटे की चर्चा कर लें। अब मैं नेक्स्ट क्वैश्चन लेता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमन् हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई बेकार नहीं हुई।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : पौने घंटे से तो हम बोल ही रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आगे भी आपका ही क्वैश्चन आ रहा है।

[अनुवाद]

दूरसंचार विभाग में हानि

*383. **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री आई० डी० स्वामी :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 19 जुलाई, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार दूरसंचार विभाग को प्रतिवर्ष 804 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व की हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता के उपयोग में किस हद तक कमी आयी है;

(घ) उक्त हानि के कारणों का पता लगाने और उसकी भरपाई के लिए क्या कोई अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों से टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता के उपयोग के आंकड़े इस प्रकार हैं :–

31.3.94 के अनुसार –81.93%

31.3.95 के अनुसार –81.46%

31.3.96 के अनुसार –81.89%

(घ) अक्तूबर, 95 में एक स्वतंत्र व्यावसायिक दल द्वारा स्विचन क्षमता के उपयोग पर अध्ययन कराया गया है और उनकी रिपोर्ट फरवरी, 96 में स्वीकार कर ली गई थी।

(ङ) अध्ययन के ब्यौरे अनुबंध I में दिए गए हैं।

(च) उक्त "ङ" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध-I

भाग (ङ) का उत्तर

1. **"एक्सचेंज की क्षमता के अधिकतम उपयोग"** पर एक परामर्शी अध्ययन अक्तूबर, 95 में एक स्वतंत्र व्यावसायिक संगठन (आई सी आई सी आई) को सौंपा गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 95 में प्रस्तुत की थी जो कि बाद में फरवरी, 1996 में दूरसंचार आयोग ने स्वीकार की।

2. उनकी रिपोर्ट के निष्कर्ष में आई सी आई सी आई ने यह संकेत दिया है "भारतीय नेटवर्क की कुल स्विचिंग क्षमता का उपयोग विश्व के अन्य विकसित एवं विकासशील देशों से तुलनीय है। तथापि, आने वाले वर्षों में नेटवर्क में दिए गए विस्तार, दूरसंचार वृद्धि योजनाएं, "मांग पर टेलीफोन प्रदान करने" की दूरसंचार नीतियों के लक्ष्य प्राप्त करने में उपयोग के इस स्तर को बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है।

3. अध्ययन में क्षमता के कम उपयोग के जिन निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है :–

"छोटी स्विचिंग एक्सचेंजों को अनुपाततः बड़े मॉड्यूलर में बदलने पर ग्रामीण क्षेत्रों और किसी हद तक अर्ध-शहरी एक्सचेंजों में बढ़ी हुई क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग में लाना कठिन हो जाएगा।"

"बड़े स्विचिंग एक्सचेंजों में जहां पर अधिक क्षमता का बढ़ाना कठिन नहीं है वहां शहरी क्षेत्रों में एक स्विचिंग एक्सचेंज में अग्रिम योजना बनाकर कई प्रकार के विस्तार करके उच्च क्षमता का "मांग पर टेलीफोन प्रदान करने" की स्थिति में उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।"

82% से 85% तक की क्षमता का उपयोग किया जा सकता है यदि एक्सचेंजों के विस्तार कार्य के मध्य का औसत अंतर 5 महीने का रखा जाए और उसके विस्तार को चरणबद्ध पूर्व योजना बना ली जाए।

यदि यह वर्तमान योजना प्रक्रिया एवं संगठनात्मक संरचना में संभव नहीं हो और योजना चरणबद्ध तरीके से बनानी पड़ती हो तब शहरी नेटवर्क की संपूर्ण उपयोगिता 20% की मांग वृद्धि दर के लिए लगभग 76% होगी जो एक वर्ष के लगभग विस्तार के मध्य का औसत अंतर होगा।

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्यतया माननीय मंत्री समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है और वह इस समाचार के लिये जिम्मेवार है। लेकिन जुलाई, 1996 में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के कारण दूरसंचार विभाग को प्रतिवर्ष 804 करोड़ रुपये के भारी राजस्व की हानि हो रही है। लेकिन माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि ऐसी कोई हानि नहीं हुई है। 804 करोड़ रुपये का आंकड़ा पूर्णांक अथवा विषम आंकड़ा नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' द्वारा दिये गये 804 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि के आंकड़े का कोई आधार है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वह यह उत्तर कैसे दे सकते हैं कि दूरसंचार विभाग को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई। 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस महत्वपूर्ण समाचार की पूर्णतया उपेक्षा करने के क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : समाचार पत्र में जो कुछ छपा है, उसे मैंने भी देखा है। वह उनकी टेक्निकल कैलकुलेशन है। वर्ष 1992 में हमारे टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल क्षमता के 85.68 प्रतिशत भाग का उपयोग किया जाता था, जो 1996 में घटकर 81.89 परसेंट रह गया।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैं वही बता रहा हूं कि हमारे टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल क्षमता का उपयोग 85 परसेंट से घटकर 81 परसेंट रह गया, क्षमता का उपयोग कम हुआ और इसीलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर पूरी 85 परसेंट क्षमता का उपयोग हुआ होता तो इतना लाभ होता...**(व्यवधान)** पहले आप पूरी बात सुन लीजिए। इस आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि इस रुपए का नुकसान हुआ। जब तेजी से विस्तार होता है तो एक्सचेंजों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जा रहे हैं। जहां 10 टेलीफोन की मांग है, वहां हम 50 या 100 की क्षमता के एक्सचेंज लगा रहे हैं। हमारे इंस्ट्रक्शन्स हैं कि 6 महीने में आपको 60 फीसदी क्षमता का उपयोग करना है, फिर एक साल तक उसके बाद इतना उपयोग करना है। जब विस्तार होता है तो क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा विस्तार चीन में हो रहा है लेकिन वहां भी सिर्फ 60 परसेंट क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। वहां 30 परसेंट ग्रोथ रेट है, जबकि हमारे यहां ग्रोथ रेट 22 परसेंट है। हमारे यहां क्षमता का उपयोग 81 परसेंट हो रहा

है, जबकि चीन में केवल 60 परसेंट क्षमता का उपयोग हो रहा है। पिछले वर्षों में यह विस्तार तेजी से हुआ है, इसलिए पूरी क्षमता का उपयोग संभव नहीं है। इसलिए हमने टैक्निकल कैलकुलेशन दिया है कि अगर पूरी क्षमता का उपयोग होता तो इतना नुकसान होता। वह वास्तव में नुकसान नहीं है। जब विस्तारीकरण पूरा हो जाएगा तो हम 94 परसेंट क्षमता का उपयोग करेंगे। अभी जो 85 परसेंट से 81 परसेंट का जो नुकसान हुआ है वह बताया है। हम 94 परसेंट का उपयोग करेंगे। 6 परसेंट हम इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं। हमारी जो पूरी रेवेन्यू है वह हमें मिलेगी। इसलिए यह टैक्निकल कैलकुलेशन है। विस्तारीकरण से क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हम सी० ए० जी० को अपना जवाब भी भिजवा रहे हैं।

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने बहुत तर्कपूर्ण, तकनीकी और मुहावरेदार भाषा में इसका उत्तर दिया।

मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे माननीय संचार मंत्री समस्त देश में पूरे टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कृतसंकल्प हैं। उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि केवल महानगरों के लिये मार्च, 1995 के अन्त तक तीन लाख से अधिक आवेदन पत्र प्रतीक्षा सूची में थे। जहां तक मेरी जानकारी है प्रतीक्षा सूची में 21.5 लाख आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। यह जानकारी समस्त देश के बारे में है। इसका अभिप्राय यह है कि इन सब आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने और लोगों को टेलीफोन उपलब्ध करा कर उन्हें संतुष्ट करने का उल्लेखनीय कार्य सरकार को करना है।

जहां तक टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता का उपयोग करने का सम्बन्ध है, दूरसंचार विभाग द्वारा अधिकतम उपयोग क्षमता 92 प्रतिशत निर्धारित की गई है। वर्ष 1991-92 में अधिकतम उपयोग क्षमता 85 प्रतिशत थी और अब यह घट कर 81 प्रतिशत रह गई है। हमें पहले ही 4 प्रतिशत की हानि हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप इसके लिये जिम्मेवार हैं। इस में कहीं कोई त्रुटि है। मुझे प्रसन्नता है कि हाल ही में मंत्रालय ने एक्सचेंजों की अधिकतम क्षमता के उपयोग के बारे में आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा किये गये अध्ययन की ओर ध्यान दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे इस बात में शंका है कि जब तक क्षमता का उपयोग करने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये जायेंगे।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : जी, हां। जब तक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जायेगा आप 21.5 लाख टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः मेरा प्रश्न यह है कि जब मार्च, 1995 को प्रतीक्षा सूची में 21 लाख लोगों के नाम हैं और आपने महानगरों के लिये केवल 3 लाख टेलीफोन कनेक्शन दिये हैं। इसका अभिप्राय यह है कि अभी 18 लाख व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने बाकी हैं। आपने सदन को यह आश्वासन दिया था कि वर्ष 1997 तक आप सब लोगों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा देंगे। यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि आपके पास कोई 'जय पराला भैरवी मंत्र' अथवा अलादीन का चिराग न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः मैं जानना चाहता हूं....

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास कोई "जय पराला भैरवी मंत्र" अथवा अलादीन का चिराग अथवा "राम मंत्र" है अन्यथा वह इस आश्वासन को कैसे पूरा करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह यह कार्य कैसे पूरा करेंगे। यह देश की ज्वलन्त समस्या है। इससे देश की प्रगति में सहायता मिलेगी। मैं यह जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि महानगरों के बीच आंकड़ों में इतना अधिक अन्तर क्यों हैं। आपने उनके लिये तीन लाख से अधिक के आंकड़े दर्शाये हैं जबकि समस्त देश के लिये 21 लाख से अधिक कनेक्शनों की मांग दिखाई गई है। 18 लाख टेलीफोन कनेक्शनों का अन्तर कैसे हो सकता है? मैं यह अवश्य जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे भी हो, प्रश्न समाप्त होता है। अब कोई भाषण नहीं। आपने डिफरेंस का पूछा तो इन्होंने बता दिया कि डिफरेंस क्या है।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : जहां तक नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का प्रश्न है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 12.5 लाख लाइनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है। यह न तो हमारी रिपोर्ट है और न ही 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट है। यह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है। आपको इस बारे में क्या उत्तर देना है। 12.5 लाख लाइनों का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं?

महोदय, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आज के प्रश्न केवल श्री वर्मा से सम्बन्धित हैं।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : मैंने पहले ही बता दिया था, माननीय सदस्य ने ठीक से सुना नहीं। 1991 के मुकाबले इसमें बताया गया है कि जो एक्सचेंज की क्षमता है उसका कम इस्तेमाल किया गया। 1991 के मुकाबले इधर विस्तारीकरण ज्यादा हुआ। हमने पहले ही बताया है कि जब विस्तारीकरण की प्रक्रिया तेज होगी तो पूरी क्षमता का इस्तेमाल संभव नहीं है। हम एक एक्सचेंज लगा लेते हैं। उसका 100 लाइनों की क्षमता है, केवल पड़ रहे हैं तो एकदम से 100 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज चीन में भी हो रहा है। चीन में सबसे तेजी से विस्तार हो रहा है। वहां केवल 60 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है। हम तो 81 परसेंट का उपयोग कर रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे और आपका जो सुझाव है उसका हम आदर करते हैं। लेकिन इसमें कोई विभाग की गलती नहीं है। सी० ए० जी० की रिपोर्ट है और टैक्निकल कैलकुलेशन है। लेकिन यदि हम दूसरे देशों से मुकाबला करें तो हमारे देश में क्षमता का उपयोग जिस हिसाब से वृद्धि दर है उस हिसाब से कम नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री आई. डी. स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और 'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार आपके विभाग के लिये अधिकतम उपयोग क्षमता का लक्ष्य 92 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख भी किया है। क्या यह सच है?

अभी माननीय मंत्री ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने गांवों में और ग्रामीणों को टेलीफोन कलेक्शन देने संबंधी यह निदेश जारी किये हैं कि यदि वे 15,20,25 अथवा 35 आवेदन पत्र देते हैं और उनके लिये प्रतिभूति राशि जमा करते हैं तो उनके लिये टेलीफोन कनेक्शन अथवा टेलीफोन एक्सचैंजों की व्यवस्था की जायेगी। इस बात को गुजरे छः महीने नहीं बल्कि एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। और उनको टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, यद्यपि उन्होंने 25 अथवा 35 से अधिक आवेदन पत्र और प्रतिभूति राशि विभाग में जमा कर दी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन ग्रामीणों को कब तक टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे जबकि इन्हें प्रतिभूति राशि सहित आवेदन पत्र जमा कराये एक अथवा दो वर्ष से अधिक समय हो गया है?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : ग्रामों में टेलीफोन उपलब्ध करवाने के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस संबंध में हमने पहले ही कहा था कि ग्राम हमारी प्राथमिकताओं में हैं और इस वर्ष हमने 75 हजार टेलीफोन गांवों में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया है। अभी तक ऐसा प्रावधान पहले कभी नहीं हुआ और मैं यह बताना चाहता हूं कि इस धन का उपयोग ग्रामों में टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए ही किया जाएगा।

माननीय सदस्य तो 30-35 टेलीफोनों के ऊपर एक्सचेंज खोलने की बात कह रहे हैं हमारी नीति के अनुसार तो 10 टेलीफोन कनैक्शन एक गांव में यदि लोग मांगते हैं, तो वहां पर भी एक टेलीफोन एक्सचेंज खोल दिया जाएगा, यह है।

श्री आई. डी. स्वामी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि 600 करोड़ गांवों में टेलीफोन के लिए प्रावधान किया है और गांव इनकी प्राथमिकता में हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल है कि आपने बताया कि 10 टेलीफोन कनैक्शनों पर एक टेलीफोन एक्सचेंज खोल दिया जाएगा। लेकिन सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर 30-35 एप्लीकेशंस दी गई हैं और डिपाजिट जमा किया गया है, लेकिन वहां पर दो-दो वर्ष हो गए हैं अभी तक एक्सचेंज नहीं लगे हैं। यहां आप जवाब दे रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है और प्राथमिकता दी जा रही है, तो फिर मैं आपको यदि चाहें तो ऐसे ग्रामों की सूची दे सकता हूं जिनमें छः-छः महीने से लेकर एक या दो साल हो गए हैं और 30-35 लोगों ने पैसे जमा करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक उनको टेलीफोन कनैक्शन नहीं दिये गए हैं?

जब हम जनरल मैनेजर से पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि हमारे पास 35 टेलीफोन वाले एक्सचेंज चलाने के लिए जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, उसकी कमी है। वे यह भी कहते हैं कि इस बारे में आप चीफ जनरल मैनेजर से बात कीजिए। जब आपने गांवों को प्रायरटी दी है और आपने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान सिर्फ गांवों में टेलीफोन पहुंचाने के लिए किया है और आप कहते हैं यदि एक गांव से 10 एप्लीकेशन भी दी जाती हैं, तो हम उस गांव में टेलीफोन एक्सचेंज खोल देंगे, लेकिन देश में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां 30-35 टेलीफोन लगाने के लिए डिपाजिट जमा हैं और एक-एक तथा दो-दो वर्ष हो गए हैं वहां पर अभी तक टेलीफोन नहीं लगे हैं। एक्सचेंज नहीं लगा है, मैं आपको कोट कर सकता हूं? संचार मंत्रालय की तो यह नीति भी थी कि हर पंचायत को एक टेलीफोन देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है स्वामी जी आपने सवाल पूछ लिया। कृपया अब आप बैठें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान माननीय सदस्य हर पंचायत की बात कर रहे हैं। हमारे देश में छः लाख गांव हैं। हमारी नई संचार नीति के अनुसार 'गांव' का मतलब 'रैवेन्यू विलेज' में टेलीफोन देने का प्रावधान है।

श्री आई. डी. स्वामी : कब तक?.....(**व्यवधान**)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : अब यदि दो-दो लोग एक साथ पूछेंगे, तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। अभी तक दो लाख गांवों में टेलीफोन पहुंच पाए हैं। यदि संसाधनों की कमी नहीं हुई और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति दी गई और निजी कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया, तो "आन डिमांड" टेलीफोन हम शहरों और गांवों में दे पाएंगे। जब निजी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति दी गई थी। तब यही माना गया था कि उनके प्रवेश से टेलीफोन मांगे जाने पर दिया जा सकेगा। हमने 10 प्रतिशत गांवों में टेलीफोन देने की शर्त भी निजी कंपनियां पर लागू की है। अब जहां तक आपने पूछा कि कब तक ऐसा हो जाएगा, तो हमारा प्रयास यह होगा कि एक साल के अंदर ऐसा हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री टी. गोपाल कृष्ण : उपाध्यक्ष महोदय, दूरसंचार विभाग को हानि होने का एक कारण यह है कि वह अपनी इच्छानुसार और लोगों को विश्वास में लिये बिना कार्य करता है। उदाहरणार्थ, उन्होंने हाल ही में एस. टी. डी., आई. टी. पी. टी. के लिये ईस्ट गोदावरी जिले में 31 मार्च, 1998 तक के लिये समितियां नियुक्त की हैं। इनकी नियुक्ति हमारी जानकारी के बिना की गई है।

महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस पत्र का भी उत्तर भेज दें।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : कहां का एस्टीमेट? हमने तो कोई एस्टीमेट नहीं बनाया है।

[अनुवाद]

श्री टी. गोपाल कृष्ण : मैंने आपको 15 दिन पहले एक पत्र लिखा था (**व्यवधान**) आपने समिति की नियुक्ति हमारी जानकारी के बिना की है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : आपने लैटर लिखा हुआ है। हमने तो कोई एस. टी. डी. कमेटी नहीं बनाई।

[अनुवाद]

श्री टी. गोपाल कृष्ण : आपके जनरल मैनेजर ने उक्त समिति नियुक्त की है।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमने तो किसी को नियुक्त नहीं किया।....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लैटर का जवाब लैटर से दे देंगे। यह प्रश्नकाल है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही छोटा और सीधा सवाल आपकी अनुमति से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं। मंत्री जी, आपने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट को निराधार बताते हुए कहा कि 804 करोड़ रुपये का नुकसान नहीं हो रहा है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हमने निराधार नहीं बताया है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपके विभाग के अनुसार कितने राजस्व की हानि प्रतिवर्ष हो रही है? क्योंकि हमारी संसदीय पद्धति में जवाब देने का तरीका यह बन गया है कि यदि 803 करोड़ रुपये का घाटा हो और गलती से हम यह पूछ बैठें कि 804 करोड़ रुपये का नुकसान आप उठा रहे हैं तो आप इतना कहकर सच्चे हो जायेंगे मगर सही आंकड़ा नहीं देंगे। मैं केवल इतना ही जानना चाहती हूं कि आपके विभाग के अनुसार कितने राजस्व की हानि प्रतिवर्ष हो रही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : श्रीमान, टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के बारे में सी. ए. जी. की रिपोर्ट थी और हमने आप सब लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की कि यह उनकी टेक्नीकल कैल्कुलेशन है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरा बहुत सीधा सवाल है कि 804 करोड़ रुपये नहीं है तो वह कितना है?.....**(व्यवधान)**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : दोनों लोग साथ-साथ बोलेंगे तो हम उत्तर क्या देंगे? अगर आप सवाल कर चुकी हैं तो हम बतायें। हम उसको टेक्नीकल कैल्कुलेशन मानते हैं। हम विभाग की हानि नहीं मानते। ..... **(व्यवधान)** विस्तार जब तेजी से होगा तो पूरी क्षमता फौरन नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न यह है कि यदि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट गलत है तो आपके डिपार्टमेंट के मुताबिक कितना नुकसान है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : यह सी. ए. जी. की रिपोर्ट पर आधारित है। सी. ए. जी. को हम जवाब देने जा रहे हैं कि यह विस्तरीकरण के कारण है।....**(व्यवधान)** विभाग का नुकसान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपका कहना यह है कि कोई राजस्व नहीं है .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपका डिपार्टमेंट कितना नुकसान मानता है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : हम उसे नुकसान नहीं मानते।

[अनुवाद]

एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के कर्मचारी

*384. **श्री पी. आर. दासमुंशी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कितने विमान प्रचालन में हैं; और

(ख) उपरोक्त संगठनों को अर्थक्षम तथा और अधिक लाभकारी बनाने हेतु सरकार का उन्हें व्यावसायिक प्रबंधन उपलब्ध करवाने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) तथा (ख) सदन पटल पर एक विवरण-पत्र रखा है।

विवरण

(क) एअर इंडिया के पास 18,502 कर्मचारी हैं और 26 विमानों का बेड़ा है। इंडियन एयरलाइन्स के पास 21,439 कर्मचारी हैं और 54 विमानों का बेड़ा है।

(ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एअर लाइन्स दोनों की प्रबंध व्यवस्था अनुभवी व्यवसायी कर्मियों द्वारा की जाती है। इनका एक सांझा बोर्ड है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए प्रतिभावान तथा योग्यता प्राप्त सदस्य शामिल हैं। दोनो ही संगठन और अधिक यात्रियों को आकृष्ट करने और राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से अपनी सेवाएं, छवि तथा समयबद्ध कार्यनिष्पादन में सुधार लाने की दिशा में कदम उठा रहें हैं।

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय विवरण से यह प्रतीत होता है कि इंडियन एयरलाइंस के पास 54 विमानों का बेड़ा है और एयर इंडिया के पास 26 विमानों का बेड़ा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या एशिया, अफ्रीका और यूरोप में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए एयर इंडिया के विमान बेड़े में वृद्धि करने का कोई निर्णय लिया गया है और क्या इस बारे में व्यवसायिक प्रबंधन का भी ध्यान रखा गया है अथवा नहीं। मैं यह प्रश्न इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि हांगकांग जैसे छोटे देश में कैथे पैसेफिक और सिंगापुर एयर लाइंस ने अपने विमान बेड़े में वृद्धि कर पैसेफिक के समस्त पर्यटक यातायात पर कब्जा कर लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एयर इंडिया द्वारा इस बारे में असफल होने के क्या कारण हैं।

जम्बो जैट समय-समय पर प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति जी को उनके दौरे के लिये विदेश ले जाते हैं। इस दौरान सब यात्री सुविधाएं रद्द कर दी जाती हैं और सब बुकिंग भी रद्द कर दी जाती है जिससे यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के दौरों के लिये पृथक, विमान की व्यवस्था करने की ओर ध्यान दिया जा सकता है ताकि यात्रियों की निर्धारित यात्राओं में बाधा न पड़े।

श्री सी. एम. इब्राहीम : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमारे पास विमानों की कमी है। इसका कारण यह है कि हम गत पांच वर्षों से इस बारे में बैठकें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और नये विमानों की खरीद के लिये हम फाइल भी प्रस्तुत कर रहे हैं लेकिन इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। पिछली बार चुनावों के कारण इस बारे में निर्णय स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब मैंने उनको विशेष रूप से बता दिया है कि हमें अपने विमान बेड़े में वृद्धि करनी पड़ेगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

श्री सी. एम. इब्राहीम : सर्वप्रथम, हमें उड़ानों की संख्या बढ़ानी होगी। दूसरी बात गन्तव्य स्थानों से सम्बन्धित है। अब मैंने अपने विभाग को निर्देश दिये हैं। अब हम टोरान्टो से होकर शिकागो के लिये चार नई सेवाएं आरंभ कर रहे हैं और कलकत्ता होकर हांगकांग के लिये भी सेवा आरंभ कर रहे हैं, जैसा कि माननीय

सदस्य ने उल्लेख किया है। हमारी पूर्वोत्तर और श्रीनगर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय 'हवाई अड्डे स्थापित' करने की एक महत्त्वकांक्षी योजना है। हम विश्व को यह दिखाना चाहते हैं कि वहां क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।

माननीय मंत्री ने इस समय नियमित उड़ानों और बुकिंग के रद्द किये जाने के बारे में सुझाव दिया है। जैसे ही हमें विमानों का नया बेड़ा प्राप्त होगा में माननीय प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से अनुरोध करूंगा कि उस विमान बेडे में अपने लिये पृथक विमान ले लें।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*385 **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री संदीपान थोरात :

क्या **नागर विमानन मंत्री** 11 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 284 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित प्रत्येक नए विमानपत्तन के लिए कितना आवंटन किया गया है;

(ख) उक्त प्रत्येक विमानपत्तन पर निर्माण कार्य, भूमि की खरीद इत्यादि के संबंध में स्थिति क्या है;

(ग) नए विमानपत्तनों के कब से चालू हो जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1997-98 के दौरान स्थापित किए जाने वाले नए विमानपत्तनों तथा उनके लिए निर्धारित धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) एक विस्तृत विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें किये गये आवंटन, निर्माण कार्य की स्थिति, समय-सीमा जब तक नये हवाई अड्डों के चालू हो जाने की संभावना है; का उल्लेख है।

(घ) वर्ष 1997-98 के लिए योजना अभी तैयार की जानी है।

विवरण

क्र. सं.	नये हवाई अड्डे और राज्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	बजट आवंटन (1996-97)	निर्माण कार्य और भूमि अर्जन संबंधी स्थिति	समय-सीमा जब तक विमान क्षेत्र चालू हो जाएगा
1	2	3	4	5	6
1.	देवनहाली (बंगलौर) कर्नाटक	770.00 (चरण-1)	सार्वजनिक/निजी भागीदारी के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन	क) मैसर्स टाटा उद्योग और संघ द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। ख) कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि अर्जन की कार्रवाई चल रही है	कार्य सौंपे जाने के के बाद 5 वर्ष
2.	मंगलौर कर्नाटक	—		केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार को को एक अनिवासी भारतीय द्वारा स्वयं बनाओ स्वयं चलाओ आधार पर मंगलौर के निकट एक नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अनुमोदन दे दिया है।	—
3.	कोचीन के निकट नेदुम्वेसेरी केरल	288.00	सार्वजनिक/निजी भागीदारी के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन	क) धावनपथ, एप्रन, टैक्सी ट्रैक और चारदीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ख) टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य शीघ्र ही आरंभ किये जाने की संभावना है।	2000 तक
4.	अंदरोध लक्षद्वीप का संघ राज्य क्षेत्र	65.00	1.00	क) अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली से परियोजना के लिए पर्यावरणीय क्लीयरेंस की प्रतीक्षा है। ग) 100 एकड़ भूमि अर्जन के लिए संघ राज्य क्षेत्र सरकार को मांग प्रस्तुत की गई है।	कार्य सौंपे जाने के बाद 3 वर्ष
5.	तरा मेघालय	12.21	7.00 राज्य सरकार योजना के अधीन	क) धावन पथ के लिए निर्माण कार्य दिसम्बर, 1995 में आरंभ हुआ। ख) मेघालय राज्य सरकार से 12.21 करोड़ रुपए की सशर्त स्वीकृति के अभाव में टर्मिनल भवन के लिए कार्य सौंपा जाना रूका पड़ा है।	दिसम्बर, 1998

1	2	3	4	5	6
6.	लेंगवुई मिजोरम	92.00	10.00 राज्य-सरकार योजना के अधीन	क) हवाई अड्डे के निर्माण के लिए स्थल के विकास का कार्य 7.6.1996 को आरंभ हो गया ख) राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा टर्मिनल भवन काम्पलैक्स के निर्माण के लिए निविदाएं मांगी गई है।	दिसम्बर, 1999
7.	इटानगर अरूणाचल प्रदेश	–	–	क) राष्ट्रीय राजमार्ग-52ए पर इटानगर से 14 किलोमीटर की दूरी पर नहरलगन के निकट वर्तमान हेलीपेड स्थल को 20 सीटों वाले विमान प्रचालन के लिए एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया था। ख) राज्य सरकार को भूमि अर्जन की सलाह दी गयी है। ग) राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि अर्जन किया जाना है। घ) हवाई अड्डे के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय से अभी क्लीयरेंस ली जानी है।	–
8.	शिरडी महाराष्ट्र	–	निजी भागीदारी से राज्य सरकार योजना के जरिए	क) 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अहमदनगर जिले के तालुक कोपर गांव, ग्राम अष्ट गांव के निकट एक स्थल को चुना गया है। ख) राज्य सरकार द्वारा अभी भूमि अर्जन किया जाना है। ग) राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय और पर्यावरण और वन मंत्रालय से अभी क्लीयरेंस ली जानी है।	–
9.	सिन्धदुर्ग महाराष्ट्र	–	0.50 राज्य सरकार योजना के अधीन	क) सिंधुदुर्ग जिले में म्हापन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा एक व्यवहार्यता अध्ययन किया गया। ख) स्वयं बनाओ स्वयं चलाओ/स्वयं बनाओ, हस्तांतरित करो आधार पर बंगलौर और कोचीन के निकट हवाई अड्डों के विकास के संबंध में कर्नाटक और केरल राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई पद्धति पर गैर सरकारी वित्त-पोषण से परियोजना शुरू करने की राज्य सरकार को सलाह दी गयी है।	– –
10.	कारगिल जम्मू और काश्मीर	18.19	6.00	क) 6000 फुट x 150 फुट परिमाप के धावनपथ के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। ख) 100 यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन और नियंत्रण टावर के निर्माण का कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा ड्राइंग का अनुमोदन कर दिया गया है। निविदाएं मांगी जा रही है।	अक्तूबर, 1998
11.	किश्तवार	15.00	0.50	राज्य सरकार से धावनपथ विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का अनुरोध किया गया है।	
12.	अजमेर	40.00	1.00	क) 50 सीटों वाले विमान के लिए एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सरदना गांवे के निकट एक स्थल की पहचान करे ली गई है। ख) वांछित अवस्थिति में 460 एकड़ भूमि के अर्जन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।	कार्य सौंपे जाने के बाद 2 वर्ष 6 महीने
13.	हसन कर्नाटक	50.00	0.25	क) 50 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 145 एकड़ अतिरिक्त भूमि अर्जन के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।	कार्य सौंपे जाने के बाद 2 वर्ष

[अनुवाद]

बोइंग 747-200 विमानों की बिक्री

*386. **श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने अपने दो बहुत पुराने बोइंग 747-200 विमानों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या उनकी बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एअर इंडिया के उन विमानों की संख्या कितनी है जिनकी मियाद पूरी हो गई है; और

(ङ) उनके स्थान पर नए विमान कब तक खरीदे जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) एयर इंडिया ने छह बी 747-200 विमानों की बिक्री हेतु विज्ञापनों के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की। सरकार द्वारा इस विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (ङ) कोई मियाद निर्दिष्ट नहीं है। विमान तब तक प्रचालनगत रह सकता है जब तक कि वह नागर विमानन महानिदेशक के विनियमों के अनुसार उड़नयोग्य है। एयर इंडिया की नौवीं योजनावधि के दौरान अपने विमान बेड़े में विस्तार और नवीकरण को जारी रखने की योजना है।

बिहार में संचार प्रणाली

*387. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में संचार प्रणाली के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य में उक्त प्रणाली अभी भी शोचनीय स्थिति में है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान बिहार में संचार प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री त्रेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में संचार प्रणाली के विकास पर किया गया योजना व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	योजना व्यय (रु करोड़ में)
1993-94	180.89
1994-95	222.61
1995-96	189.01

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान, 31.3.96 की स्थिति के अनुसार 42,481 लोगों की प्रतीक्षा सूची के मुकाबले 47,000 सीधी एक्सचेंज, लाइनें प्रदान करने, इलैक्ट्रानिक स्विचन क्षमता में 67,800 लाइनें जोड़ने, 6,500 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने तथा 10,000 लाइनों की ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज क्षमता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

स्वर्ण तथा अन्य धातुओं की खोज और खनन के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय/निजी कंपनियां

*388. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में और विशेष रूप से कर्नाटक में स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं की खोज और खनन के लिए भारतीय निजी कंपनियों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार से इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक में स्वर्ण तथा बहुमूल्य धातुओं की खोज और खनन हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न कंपनियों से इस संबंध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने स्वर्ण की खोज और खनन के लिए इन कंपनियों पर कोई शर्त लगाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) स्वर्ण की खोज और खनन के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले स्थानीय व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं।

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) तथा (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993, उच्च मूल्य तथा दुलर्भ खनिजों के गवेषण में विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करती है। यह नीति, पहले सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिए आरक्षित खनिजों को अनारक्षित भी करती है। इस प्रकार स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र द्वारा स्वर्ण सहित सभी खनिजों के गवेषण तथा विदोहन की अनुमति दी गई है। भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को आवेदन कर सकती है।

(ख) जी नहीं।

(घ) से (छ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उसने खनिज गवेषण, विशेषकर स्वर्ण के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए स्वदेशी तथा विदेशी निजी

कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किये थे, बशर्ते कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करें। इसके उत्तर में उन्हें 281 कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक सरकार ने बताया है कि इसे इन आवेदनों पर अभी विचार करना है।

(ज) इस स्तर पर, प्रश्न नहीं उठता। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा इसके तहत लगाए गये नियमों में यह व्यवस्था है कि भूस्वामियों की लिखित स्वीकृति मिलने पर ही पूर्वेक्षण/खनन प्रचालन किये जा सकते हैं।

बिना कुटा धान

*389. **श्री छतर सिंह दरबार :**
श्री अशोक प्रधान :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में राज्यवार कितना बिना कुटा धान पड़ा है;

(ख) क्या मिल मालिकों ने उक्त धान की कुटाई करने से इंकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त धान को मानव उपयोग के अनुपयुक्त घोषित करने से पूर्व इसकी कुटाई के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1994-95 की फसल की धान की कुटई करने में मुख्य रूप से पंजाब में कुछ समस्याएं अनुभव की गई थीं। पंजाब में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा धान की 73.76 लाख टन रिकार्ड मात्रा की वसूली की गई थी जो पिछले मौसम से 33% अधिक थी। निर्धारित सीमा से अधिक टोटे की प्रतिशतता में छूट देने की मांग उठाकर पंजाब के चावल मिल मालिकों द्वारा दर्शाए गए असहयोग के रवैये से इन समस्याओं में और वृद्धि हुई थी। इसके बावजूद भी केवल 4.68 लाख टन धान को छोड़कर पूरे स्टाक की या तो कुटाई कर दी गई है अथवा बिक्री के माध्यम से निपटान कर दिया गया था। केवल 1.03 लाख टन की थोड़ी सी मात्रा को छोड़कर पंजाब में बिना कुटी धान के सम्पूर्ण स्टाक का ठेका किया गया है जिसके अधीन मिल मालिकों का यह दायित्व है कि वे धान की ठेकाबद्ध मात्रा की कुटाई का कार्य पूरा करेंगे।

1995-96 फसल की धान की कुटाई प्रगति पर है।

(ग) धान की कुटाई में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए थे :

(1) 1994-95 और 1995-96 मौसमों के दौरान पंजाब के हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य क्षेत्रों को धान की कुछ मात्रा भेजी गई थी। यह मात्रा इन क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिक्त कुटाई क्षमता की सीमा के बराबर थी।

(2) 1994-95 फसल की धान के लिए चावल के टोटे की प्रतिशतता में 30% तक छूट दी गई थी।

(3) 1995-96 मौसम के दौरान विनिर्दिष्टियों के कुछ पैरामीटरों में छूट दी गई है।

(4) कच्चे चावल का उत्पादन करने के लिए 1995-96 मौसम के दौरान 2% शुष्कन छूट की अनुमति दी गई थी।

(5) दिनांक 21.12.1995 को पंजाब सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें वर्ष 1995-96 में पंजाब सरकार/एजेंसियों द्वारा वसूल की गई धान की कुटाई 31 मई, 1996 तक पूरा करने की व्यवस्था की गई थी। अब यह अवधि 31 अगस्त, 1996 तक बढ़ा दी गई है।

(6) 1995-96 मौसम के दौरान 27.5.1996 से सेला चावल का उत्पादन करने के लिए सामान्य कुटाई प्रभारों के अतिरिक्त 5/- रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन।

(7) पंजाब में 1994-95 फसल की कुल 21.66 लाख टन धान निविदा के अधीन अथवा खुली बिक्री के माध्यम से बेच दी गई थी। निविदा के माध्यम से धान का निपटान करने का कार्य प्रगति पर है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कुटाई के लिए प्रतीक्षारत पान के वर्षवार स्टाक को बताने वाला विवरण

(लाख टन में)

क्र. सं.	क्षेत्र	बिना कुटी पड़ी धान की मात्रा				निम्न तारीख को स्थिति के अनुसार	कैफियत
		93-94 फसल	94-95 फसल	95-96 फसल	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पंजाब	—	1.03	0.59	1.62	19.8.96	उपर्युक्त के अतिरिक्त पंजाब सरकार/ एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल के लिए वसूल किए गए बिना कुटे धान की मात्राएं निम्नानुसार हैं:- 1994-95 फसल - 3.65 लाख टन
2.	हरियाणा	—	0.46	0.52	0.98	10.8.96	
3.	उत्तर प्रदेश	—	नगण्य 181 टन	0.07	0.07	31.7.96	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	0.015	0.013	0.002	0.03	26.7.96	1995-96 फसल - 5.17 लाख टन
5.	उड़ीसा	—	—	—	—	31.7.96	8.82 लाख टन
6.	आंध्र प्रदेश (अनंतिम)	0.19	0.10	0.09	0.38	31.7.96	
7.	राजस्थान	—	0.24	0.006	0.246	31.7.96	
8.	तमिलनाडु	—	—	—	—	31.7.96	
	जोड़ :	0.205	1.843	1.278	3.326		

[हिन्दी]

विकलांग कर्मचारियों हेतु सुविधाएं

*390. **डा. बलिराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के विभिन्न विभागों में विकलांग कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) क्या पदोन्नति के समय भी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं इसकी प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:-

(i) दिनांक 20.11.89 के का. ज्ञा. सं. 36035/8/89-स्था. में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार समूह "ग" और "घ" पदों में पदोन्नति के लिए आरक्षण का प्रावधान।

(ii) अधिकतम आयु सीमा में छूट।

(iii) अधिकतम 100/- रुपये प्रतिमाह तक वाहन भत्ता।

(iv) आवेदन और परीक्षा शुल्क अदा करने से छूट।

(v) कृत्रिम अंग/पहिए वाली कुर्सी/तीन पहियों की साइकिल आदि खरीदने के लिए कल्याण निधि वित्तीय सहायता।

(ख) ऊपर (1) में बताए अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसरण में पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाता है।

(ग) अभिज्ञात समूह "ग" और "घ" पदों में नेत्रहीनों, बहरों और अपंगों के लिए प्रत्येक की एक प्रतिशत।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निवेश

*391. **श्री मोहन रावले** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों द्वारा निवेश संबंधी प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई।

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ङ) एकत्र किए गए कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, किंतु जिनकी अदायगी तत्काल आवश्यक नहीं है, का वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान पैटर्न के अंतर्गत निवेश किए जाने योग्य बेशी राशि का 40% केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में, 30% केंद्रीय सरकार की विशेष जमा योजना में और शेष 30% बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/कंपनियों में निवेश किया जाना है। चूंकि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित पैटर्न के आधार पर, भिन्न-भिन्न एजेंसियों के साथ निवेश करने का दायित्व संविभाग प्रबंधक के रूप में भारतीय स्टेट बैंक का है अतः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निवेश की प्रक्रिया के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है।

पर्यटन तथा होटल उपक्रमों में विनिवेश

*392. **श्री तारीक अनवर :**
डा. एम. पी. जायसवाल :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पर्यटन तथा होटल उपक्रमों में पूर्ण विनिवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण

*393. **श्री व. चौबा सिंह :**
श्री बी. धनंजय कुमार :

क्या नागर विमानन मंत्री 18 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण/उन्नयन संबंधी कार्य के विमानपत्तन-वार अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण/उन्नयन संबंधी कार्य जिसके लिए

1996-97 के दौरान धनराशि आवंटित की गई थी, के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार अगले वर्ष के दौरान कुछ और हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो हवाई अड्डे-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक हवाई अड्डे पर किए जा रहे आधुनिकीकरण/उन्नयन संबंधी कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	हवाई अड्डे का नाम	कार्य का स्वरूप	लागत (करोड़ रुपये में)	कार्य की स्थिति	पूरा होने की प्रक्षेपित तिथि
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
	हैदराबाद	नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण	43.60	65%	दिसम्बर, 1997
	तिरूपती	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	7.50	1%	जून, 1998
	विजयवाड़ा	धावनपथ और एसोसियेटेड पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण, टर्मिनल भवन का विकास	16.29	निविदा अवस्था	जून, 1999
असम	डिब्रूगढ़	पटरी का निर्माण कार्य	11.33	65%	दिसम्बर, 1996
		टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन		योजना स्तर	
	गुवाहाटी	नये टर्मिनल भवन का निर्माण	12.45	54%	अप्रैल, 1997
		अप्रान का विस्तार	2.52	शून्य	अप्रैल, 1997
		एएसआर/एमएसएसआर का संस्थापन	29.40	संस्थापन में प्रगति हो रही है	अक्तूबर, 1996
	लीलाबाड़ी	धावनपथ का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	13.89	4%	जुलाई, 1998
		नये टर्मिनल भवन का निर्माण	14.46	निविदा अवस्था	जुलाई, 1999
	सिल्चर (आईएएफ)	टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	3.87	10%	जनवरी, 1998
		डीवीओआर का संस्थापन	1.20	संस्थापन में प्रगति हो रही है।	दिसम्बर, 1996
	तेजपुर (आईएएफ)	नये सिविल इन्क्लेव का निर्माण	18.60	निविदा अवस्था	दिसम्बर, 1998
		डीवीओआर का संस्थापन	1.20	संस्थापन में प्रगति हो रही है।	सितम्बर, 1996
		डीएमई (एचपी) का संस्थापन	0.85	संस्थापन में प्रगति हो रही है।	सितम्बर, 1996
बिहार					
	पटना	टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	6.08	70%	दिसम्बर, 1996
गोवा					
	डबोलिम (नेवी)	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	9.22	85%	नवम्बर, 1996
		अप्रान का विस्तार तथा लिंक टैक्सीवे का निर्माण और हैलीपेड का सुदृढ़ीकरण	8.57	8%	दिसम्बर, 1998
		डीवोओआर का संस्थापन	1.20	संस्थापन कार्य प्रगति पर	दिसम्बर, 1996
गुजरात					
	अहमदाबाद	एएसआर/एमएसएसआर का संस्थापन	29.42	संस्थापन कार्य प्रगति पर	दिसम्बर, 1996
	पोरबन्दर	नए टर्मिनल भवन एप्रान तथा टैकसी ट्रैक का निर्माण	3.00	आयोजना स्तर	

1	2	3	4	5	6
	भुज (आईएएफ)	नये सिविल इन्क्लेव का निर्माण	5.00	योजना अवस्था	
		डीवीओआर का संस्थापन	1.50	संस्थापन कार्य प्रगति पर	सितम्बर, 1996
हिमाचल प्रदेश					
	शिमला	घावनपथ का 300 फुट तक विस्तार		योजना स्तर	
जम्मू और कश्मीर					
	लेह (आईएएफ)	सेंट्रल हीटिंग प्रणाली की व्यवस्था	1.79	कार्य प्रगति पर	नवम्बर, 1996
		डीवीओआर का संस्थापन	1.50	संस्थापन कार्य प्रगति पर	नवम्बर, 1996
	जम्मू (आईएएफ)	घावनपथ का विस्तार	13.00	योजना स्तर	
	कारगिल	हवाई अड्डा-घावनपथों तथा सम्बद्ध पटरियों और टर्मिनल भवन का विस्तार	18.19	डीजीवीआरओ तथा राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य निष्पादित किया जा रहा है जबकि जमा कार्य केवल 11 प्रतिशत	
कर्नाटक					
	बंगलौर (एचएएल)	अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण	13.70	4.25%	दिसम्बर, 1998
केरल					
	कालीकट	घावनपथ का विस्तार	89.88	13.5%	जनवरी, 2000
	त्रिवेन्द्रम	मुख्य घावनपथ का 350 मीटर तक विस्तार	5.76	22%	फरवरी, 1997
		अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का अंतरिम आशोधन	2.02	15%	जुलाई, 1997
मध्य प्रदेश					
	भोपाल	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	3.38	51%	मई, 1997
		घावनपथ का पुनः सतहलेपन	4.34	निविदा स्तर	जून, 1997
	इन्दौर	टर्मिनल भवन का निर्माण	7.92	84%	दिसम्बर, 1996
		तकनीकी ब्लॉक एवं नियंत्रण टावर का निर्माण	3.65	12%	दिसम्बर, 1997
		घावनपथ, एप्रान तथा टैक्सी ट्रैक का विस्तार	7.93	14%	मई, 1997
	जबलपुर	घावनपथ का 6500 फुट का विस्तार	11.76	निविदा स्तर	अक्तूबर, 1998
	रायपुर	टर्मिनल भवन का विस्तार	8.55	1.5%	अप्रैल 1998
		घावनपथ का पुनः सतहलेपन तथा एप्रान का विस्तार	6.91	9%	अक्तूबर, 1997
		आईएलएस/डीएमई (पीपल) का संस्थापन	1.10	संस्थापन कार्य प्रगति पर	सितम्बर, 1996
महाराष्ट्र					
	औरंगाबाद	घावनपथ का पुनः सतहलेपन	4.51	कार्य सौंपा	जून, 1997
		डीवीओआर का संस्थापन	1.20	संस्थापन कार्य प्रगति पर	सितम्बर, 1996

1	2	3	4	5	6
		आईएलएस का संस्थापन	1.75	संस्थापन कार्य प्रगति पर	सितम्बर, 1996
		डीएमई (एलपी) का संस्थापन	0.60	संस्थापन कार्य प्रगति पर	नवम्बर, 1996
	मुम्बई	नये अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन (फेज-II) का निर्माण	105.49	42%	दिसम्बर, 1997
		मुख्य धावनपथ 09/27 का स्तरोन्नयन	19.28	100%	मई, 1996 में पूरा हो गया।
		अतिरिक्त बे संख्या 14, 18 तथा 19 का निर्माण	5.57	80%	फरवरी, 1997
		डेल्टा टैक्सी ट्रैक तथा ब्रेवो टैक्सी ट्रैक की विस्तारित सेंटर लाइन के मध्य मुख्य धावनपथ के सामानान्तर टैक्सी ट्रैक का निर्माण (फेज-II)	4.60	55%	मार्च, 1997
मनिपुर					
	इम्फाल	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	10.03	निविदा मूल्यंकनाधीन	दिसम्बर, 1998
नागालैंड					
	डिमापुर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	9.65	92%	नवम्बर, 1996
उड़िसा					
	भुवनेश्वर	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	13.42	74%	मई, 1997
		धावनपथ का विस्तार	12.42	निविदा स्तर	दिसम्बर, 1998
पंजाब					
	अमृतसर	डीवीओआर का संस्थापन	1.20	संस्थापन कार्य प्रगति पर	सितम्बर, 1996
		डीएमई का संस्थापन	0.85	संस्थापन कार्य प्रगति पर	सितम्बर, 1996
	लुधियाना	टर्मिनल भवन का विस्तार	1.07	निविदा स्तर पर	
राजस्थान					
	जयपुर	धावनपथ का विस्तार	4.59	35%	अक्तूबर, 1996
	उदयपुर	धावनपथ का विस्तार	5.96	25%	जनवरी, 1997
		आईएलएस का संस्थापन	1.75	संस्थापन कार्य प्रगति पर	दिसम्बर, 1996
		डीएमई (एलपी) का संस्थापन	0.60	संस्थापन कार्य प्रगति पर	दिसम्बर, 1996
	जोधपुर	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	7.63	95%	अक्तूबर, 1996
तमिलनाडु					
	मद्रास	तकनीकी ब्लॉक एवं नियंत्रण टावर का निर्माण	23.04	16.5%	मार्च, 1998
		एडीएस का संस्थापन	3.00	संस्थापन कार्य प्रगति पर	दिसम्बर, 1996
		एएसआर/एमएसएसआर का संस्थापन	37.61	संस्थापन कार्य प्रगति पर	जून, 1997
		आयात कार्गो परिसर का विस्तार	0.97	95%	अगस्त, 1996
		बी-747 के लिए कार्गो बेज का सुदृढ़ीकरण	1.03	100%	पूरा हो गया
त्रिपुरा					
	अगरतला	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आशोधन	18.11	अनुमोदन स्तर पर	दिसम्बर, 1998

1	2	3	4	5	6
		विद्यमान एप्रान तथा लूप टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण	4.95	निविदा स्तर पर	दिसम्बर, 1997
उत्तर प्रदेश					
	आगरा (आईएएफ)	टर्मिनल भवन का विस्तार तथा अशोधन और एप्रोन का विस्तार	10.24	28% एवं 30%	नवम्बर, 1997
		डीवीओआर का संस्थापन	1.50	संस्थापन कार्य प्रगति पर	अक्तूबर, 1996
		डीएमई का संस्थापन	0.60	संस्थापन कार्य प्रगति पर	अक्तूबर, 1996
	वाराणसी	टर्मिनल भवन को आधुनिक बनाने की योजना		आयोजना स्तर पर	
		धावनपथ में 7232 फुट से 9000 फुट तक विस्तार 103 एकड़ अतिरिक्त भूमि		आयोजन स्तर पर	
वेस्ट बंगाल					
	बागडोगरा (आईएएफ)	नए टर्मिनल भवन का निर्माण	11.43	भारतीय वायुसेना से भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य रूका	जून, 1998
		डीवीओआर का संस्थापन	1.20	कार्य सौंपा गया	अगस्त, 1997
	कलकत्ता	एएसआर/एमएसएसआर का संस्थापन	38.52	संस्थापन कार्य प्रगति पर	दिसम्बर, 1996
		एडीएस का संस्थापन	3.00	कार्य सौंपा गया	जून, 1997
		नए अंतर्देशीय टर्मिनल पर तीसरे एयरोब्रिज के लिए एयरोलिंको का निर्माण दूसरे एप्रान पर सुरक्षा लगाया	6.87	6%	मई, 1997
		सीसीआर हाल (सिविल) की शिफ्टिंग	2.50	96%	नवम्बर, 1996
		सीसीआर हाल (इलैक्ट्रिकल) की शिफ्टिंग	1.92	50%	मार्च, 1997
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह					
	पोर्ट ब्लेयर (नेवी)	टर्मिनल भवन परिसर का विकास	18.87	अनुमोदन स्तर पर	दिसम्बर, 1999
		आईएलएस का संस्थापन	0.90	कार्य सौंपा गया	अप्रैल, 1997
		डीएमई (एलपी) का संस्थापन	0.60	संस्थापन कार्य प्रगति पर	अप्रैल, 1997
दिल्ली		आगंतुक लांज का निर्माण	18.22	99%	अगस्त, 1996 में पूरा किया गया
		दूरस्थ पार्किंग बेज के अतिरिक्त 4 अदद का निर्माण	6.76	72%	नवम्बर, 1996
		दूरस्थ पार्किंग बेज की अतिरिक्त 3 अदद का निर्माण	4.04	22%	फरवरी, 1997
		अतिरिक्त कार्गो वेज का निर्माण	4.05	86%	फरवरी, 1997
		ए-320 विमानों की 6 पार्किंग के लिए अतिरिक्त अन्तर्देशीय बेज का निर्माण	3.18	कार्य अभी शुरू हुआ है।	अक्तूबर, 1997
		पक्षी टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए 4 कूड़ा-कचरा निर्वाहकों का निर्माण	0.40	100%	अप्रैल, 1996 में पूरा हो गया

बेरोजगारी

*394. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों के माध्यम से देश में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति का पता चलता है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की सही स्थिति का आकलन करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) सारे देश में प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, बेरोजगारी तथा श्रम बल की वास्तविक स्थिति का आकलन करने हेतु विस्तृत रोजगार, बेरोजगारी तथा श्रम बल सर्वेक्षण करता है।

बकाया ऋण राशि

*395. **श्री नवल किशोर राय** :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख औद्योगिक घरानों को इस्पात विकास निधि से ऋण उपलब्ध कराए गए थे;

(ख) यदि हां तो मार्च, 1996 के अंत तक बकाया ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऋण की अदायगी हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु इस्पात विकास निधि से कितनी अनुदान राशि तथा ऋण उपलब्ध कराया गया?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस्पात विकास निधि से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड को ऋण मंजूर किए गए हैं।

(ख) 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार ऋणों की बकाया राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

इस्पात उत्पादक	ऋण की बकाया राशि (करोड़ रु०)
सेल	4675.51
टिस्को	884.29
इस्को	44.68
कुल :	5604.48

(ग) और (घ) इस्पात विकास निधि की प्रबंधन समिति के निर्णय के अनुसार ऋण निर्मुक्त करने/संवितरण की तारीख से 12 वर्ष के भीतर ऋण वापिस करना पड़ता है।

(ङ.) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान निर्मुक्त किया गया है।

[अनुवाद]

प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपग्रह चैनल

*396. **कुमारी क्रिडा तोपनो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीणों के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर के पाठ प्रसारित करने के लिए कुछ उपग्रह चैनलों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए; और

(ग) ये कार्यक्रम किन भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं तथा इनसे कौन से राज्यों को लाभ मिल रहा है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) (क) से (ग) यद्यपि दूरदर्शन के उपग्रह चैनलों से केवल ग्रामीणों के लिए प्राथमिक विद्यालय मानक पाठों का प्रसारण नहीं किया जाता तथापि केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्यों के शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा निर्मित शैक्षिक कार्यक्रमों, जो मुख्य रूप से 5 से 11 और 9 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए संवर्धन कार्यक्रम हैं, को दूरदर्शन की विभिन्न क्षेत्रीय भाषा सेवाओं के माध्यम से स्थलीय रूप से प्रसारित किया जा रहा है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :–

कार्यक्रम	भाषा	कवर किए गए क्षेत्र
केन्द्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली)	हिन्दी	उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
राज्यों के शैक्षणिक प्रौद्योगिक संस्थान		
(i) अहमदाबाद	गुजराती	गुजरात
(ii) भुवनेश्वर	उड़िया	उड़ीसा
(iii) हैदराबाद	तेलुगु	आन्ध्र प्रदेश
(iv) पुणे	मराठी	महाराष्ट्र

[हिन्दी]

खंड विकास मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधाएं

*397. **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंड मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की सरकार की नीति क्या है;

(ख) उक्त नीति कब से लागू है;

(ग) मध्य प्रदेश में जिलावार कितने खंड मुख्यालयों को अब तक टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है; और

(घ) उक्त मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) खंड विकास मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधा के साथ जोड़ने की सरकार की कोई अलग नीति नहीं है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में सभी गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इससे खंड विकास मुख्यालयों को भी यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश के सभी 459 खंड विकास मुख्यालयों को यह सुविधा पहले ही दी जा चुकी है।

हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड

*398. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1996 में कर्मचारी संघ एवं हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड के बीच वेतनमानों के संशोधन के संबंध में द्विपक्षीय समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समझौते को कार्यान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब लागू किया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उपरोक्त समझौते का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) (क) से (च) हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन में 1.1.93 से वेतनमानों के संशोधन के बारे में कर्मचारियों तथा हिंदुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन की एक वार्ता समिति के बीच एक सशर्त वेतन समझौते के संबंध में जनवरी, 1996 में बातचीत शुरू हुई थी।

(1) हिंदुस्तान वैजिटेबल आर्यल्स कार्पोरेशन द्वारा पहले ही वापस की जा चुकी अथवा रोक दी गई आनुषंगिक लब्धियों को तब तक बहाल नहीं किया जाएगा जब तक हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन अतिरिक्त व्यय वहन करने में सक्षम नहीं हो जाता है।

(2) वेतन में संशोधन के कारण 1.1.93 से 31.12.95 तक की अवधि की बकाया राशि को फिलहाल आस्थगित रखा जाएगा।

(3) कर्मचारियों की संख्या में 2% वार्षिक की दर से कमी की जाएगी।

(4) सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 1.1.93 से 2100 रु० प्रति महीना नियत किया जाना है।

2. हिन्दुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के बोर्ड ने 27.3.96 को हुई अपनी बैठक में वेतन समझौते के मसौदे पर विचार किया और वेतन संशोधन के वित्तीय प्रभावों तथा संशोधित वेतन का भुगतान करने के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता का निर्धारण करने और उसे प्रशासनिक मंत्रालय को भेजने का निर्णय किया गया।

3. इस बीच हिंदुस्तान वैजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के बोर्ड ने 22.5.96 को हुई अपनी बैठक में बहुमत के निर्णय से यह भी संकल्प पारित किया कि 1995-96 की वित्तीय स्थिति के आधार पर बी आई एफ आर से संपर्क किया जाना अपेक्षित है और तदनुसार बी आई एफ आर को एक आरम्भिक सूचना भेज दी गई है। बी आई एफ आर को औपचारिक सूचना भेजने के लिए सूचना एकत्र की जा रही है।

4. सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्थायी आदेशों के आलोक में प्रस्ताव की जांच की गई है और उसे मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के पास भेज दिया गया है। एकीकृत वित्त प्रभाग प्रस्ताव ने जांच करने के बाद सलाह दी है कि वेतन संशोधन को तब तक आस्थगित रखा जाए जब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय उपलब्ध नहीं हो जाता है।

[अनुवाद]

खान-पान ठेके को अंतिम रूप देने में विलम्ब

*399. **डा० एम० जगन्नाथ : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अगस्त, 1996 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार खान-पान ठेके को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण एअर इंडिया को अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी राशि का घाटा हुआ है; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क), (ख) और (ग) 1 अगस्त, 1990 से 31 मार्च, 1993 तक की अवधि के लिए टोकियो फ्लाइट किचन के साथ खान-पान ठेके को अंतिम रूप देने में हुए प्रक्रियागत विलम्ब के कारण एयर इंडिया को 127.67 लाख रुपए की हानि हुई।

(घ) इस संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एयर-इंडिया द्वारा सर्तकता जांच प्रारंभ कर दी गई है। एयर इंडिया की खान-पान समिति को भी खान-पान संबंधी सभी ठेकों को अंतिम रूप देने के बाबत समय पर कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

राज्यों की राजधानियों के लिए विमान सेवाएं

*400. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों की राजधानियां राष्ट्रीय राजधानी से विमान सेवा द्वारा अभी नहीं जुड़ी हुई हैं; और

(ख) इनको विमान सेवा से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) राज्यों की निम्नलिखित राजधानियों को अभी तक वायुमार्ग से दिल्ली के साथ नहीं जोड़ा गया है :–

(1) कोहिमा

(2) इटानगर

(3) शिलांग

(4) गंगतोक

(ख) कोहिमा, गंगतोक तथा इटानगर में प्रचालनात्मक विमान क्षेत्र नहीं हैं। शिलांग हवाई अड्डा इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में उपलब्ध किस्म के विमानों के प्रचालन हेतु उपयुक्त नहीं है। तथापि, गैर-सरकारी प्रचालकों को अपने नेटवर्क में शिलांग सहित और अधिक स्टेशनों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वायदा बाजार आयोग

3245. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाजार आयोग, मुम्बई ने कोमोडिटी एक्सचेंजों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक व्यापक पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे कोमोडिटी एक्सचेंजों के कार्यकरण ढांचागत स्वरूप, प्रशासन और व्यापार में किस तरह से सुधार होगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) वायदा बाजार आयोग इन एक्सचेंजों, जो निजी व्यापारियों के स्वतन्त्र संगठन हैं, की वित्तीय स्थिति का प्रबंध करने/लेखा परीक्षा करने में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, भारत सरकार द्वारा नियुक्त काबरा समिति द्वारा की गई सिफारिशों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वस्तु एक्सचेंजों को स्वनियमक संगठन बनाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की सिफारिश शामिल है, के अनुसरण में वायदा बाजार आयोग, मुम्बई, इन एक्सचेंजों को समय-समय पर सलाह देता रहा है कि वे प्रत्येक सौदे पर लगाये जाने वाले सौदा शुल्क, वार्षिक अंशदान, जमानत की राशि मार्जिन धन में उपयुक्त वृद्धि करने आदि जैसे विभिन्न उपायों के जरिए अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करें। इन उपायों और विभिन्न वस्तु एक्सचेंजों के पदाधिकारियों की 29 व 30 जुलाई, 1996 को मुम्बई में बुलाई गई उनकी बैठक में व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ग) ये उपाय टेलीफोन, फैक्स, कम्प्यूटरों जैसी आधुनिक सुविधाएं स्थापित करके तथा उसके साथ ही काम करने के स्थान में वृद्धि करके वस्तु एक्सचेंजों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए बनाए गए हैं और इनसे वस्तु एक्सचेंजों के कार्यकरण में सुधार होने की उम्मीद है। वायदा बाजार आयोग ने इन एक्सचेंजों का आवधिक निरीक्षण भी शुरू किया है, ताकि उनके प्रशासन संबंधी बुनियादी ढांचे को सक्रिय किया जा सके। जहां कहीं आवश्यक होता है, इन एक्सचेंजों की माध्यस्थम/सतर्कता समितियों जैसी आंतरिक समितियों को सक्रिया किया जा रहा है। वस्तु एक्सचेंजों को आत्मनिर्भर तथा स्वनियमनकारक बनाकर आयोग को उम्मीद है कि वह देश में वस्तु बाजारों के स्वस्थ विकास के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

3246. **श्री द्वारका नाथ दास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अत्यधिक बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना संबंधित राज्य (संघ शासित प्रदेश भी शामिल) सरकारों द्वारा की जाती है, जो अपने प्रस्ताव योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु सीधे योजना आयोग को भेजतें हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु निजी एजेंसियों को भी अनुमति दी गई है बशर्ते कि वे इसके लिए निर्धारित मानकों को पूरा करती हों। 31.7.95 की स्थिति के अनुसार सारे देश में 2911 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे थे। जिनमें से 1064 राज्य क्षेत्र में तथा 1847 निजी क्षेत्र में थे व इनकी कुल सीटों की संख्या 4.5 लाख थी।

केन्द्रीय सरकार राज्य एवं निजी एजेंसियों के नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं विद्यमान संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के प्रयासों का समर्थन करती है।

उड़ीसा दूरदर्शन का बकाया देय

3247. **श्री रनजीव बिसवाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र पर बाहर के निर्माताओं को कोई बकाया देय हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माताओं के बकाया देय के भुगतान के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) 1/4/96 की स्थिति के अनुसार दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर की 11.28 करोड़ रुपए की बकाया देयता है। यह देयता विशिष्ट सॉफ्टवेयर योजना

स्कीम के तहत कार्यक्रमों की कमीशन करने से संबंधित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया देयताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1993-94	1.01 करोड़
1994-95	6.33 करोड़
1995-96	11.28 करोड़

(ग) इन देयताओं का अतिरिक्त बजटीय आवंटनों एवं गैर व्यपगमनीय निधि से भुगतान किया जा रहा है।

टेलीफोन का अन्यत्र लगाया जाना

3248. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एक्सचेंजवार अन्तर-एक्सचेंज और एक्सचेंज में ही टेलीफोन को अन्यत्र लगाए जाने हेतु कितने आवेदन पत्र मंजूरी के लिए लंबित हैं : और

(ख) इन आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों की शिफ्टिंग समय में कमी करने के लिए ओ० बी० का शीघ्र जारी करना, वाणिज्य नीतियों का सरलीकरण, ओ० बी० को कुरियर सेवा द्वारा भेजना तथा अन्तः एक्सचेंज शिफ्ट के मामलों में बेबाकी पत्र जारी करना आदि कदम उठाए गए हैं। स्थानीय शिफ्टों को 7 दिन के अन्दर और अन्तः एक्सचेंज शिफ्टों को 15 दिनों के अंदर पूरा करने के लिए मानक तय किए गए हैं। इन मानकों को पूरा करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर पर मानीटर किया जाता है।

विवरण

एक्सचेंज	अंतर-स्थानान्तरण	स्थानीय स्थानांतरण	कुल
जनपथ	6	1	7
किदवई भवन	21	19	40
राजपथ	8	–	8
सेना भवन	35	–	35
जोर बाग	70	53	123
लोधी रोड	25	3	28
दिल्ली गेट	5	2	7
ईदगाह	30	32	62
तीस हजारी	21	15	36
लक्ष्मी नगर	122	93	215
कड़कड़डोमा (लक्ष्मीनगर)	19	7	46
कड़कड़डोमा	10	7	17
मयूर विहार	51	12	63
शाहदरा	5	19	24
यमुना विहार	12	8	20
शक्ति नगर	76	123	199
केशव पुरम	10	1	11
रोहिणी (सेक्टर 3)	75	3	78
रोहिणी (सेक्ट० 6)	74	–	74
रोहिणी (से० 9)	129	7	136
सरस्वती विहार	27	9	36
बादली	60	–	60
अलीपुर	2	–	2
नरेला	4	–	4
चाणक्यापुरी	35	22	57
भिकाजी कामा प्लेस	78	46	124
हौज खास	45	47	92
छत्तरपुर	51	1	52
बसंत कुंज	160	38	198
नेहरू प्लेस	255	287	542
तुगलकाबाद	61	41	102
ओखला	151	72	223
तेहखण्ड	21	–	21
सरिता बिहार	22	–	22
पालम	1	6	7
शामली	5	–	5
दिल्ली कैंट	10	49	59
शादी पुर	11	6	17
करोल बाग	45	42	87
जनकपुरी	96	59	155
नजफगढ़	15	6	21
राजौरी गार्डन	27	35	62
हरि नगर	7	6	13
पश्चिम बिहार	11	19	30
नांगलोई	9	10	19
कुल जोड़	2013	1226	3239

गन्ना उत्पादक

3249. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादक भारत कृषक समाज के बैनर तले हाल ही में प्रधानमंत्री से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की विषयवस्तु क्या है और प्रधानमंत्री से उनकी क्या बात हुई; और

(ग) सरकार का उस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री को भारत कृषक समाज के बैनर तले एक ज्ञापन, दिनांक 12.7.1996 को दिया गया था जिसमें सिंचाई पर राज सहायता, 18 हार्स पावर ट्रेक्टर और उपकरणों पर राजसहायता, ब्याज की कम दर पर ऋण, राज सहायता प्राप्त शुल्क पर बिजली की नियमित आपूर्ति, मिक्स फार्मिंग पैकिंग, वनरोपण, खाद्यान्नों के संचलन, भूमि मुआवजा, किसानों पर कोई कर नहीं, सहकारिता कानून को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने, सहकारी समितियों को आय-कर से छूट, बीमा, दैवी आपदाओं में राहत, अद्वितीय बिल, के० वी० के० को वित्त-पोषण, गन्ना उत्पादकों को ब्याज सहित भुगतान, स्माल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोरशियम (एम०एफ०ए०सी०) को सक्रिय करने और पेट्रोलियम पदार्थों के निर्देशित मूल्यों में कमी करने के संबंध में 18 मांगे थीं। कृपि मंत्रालय द्वारा संबंधित विभागों की सलाह से इस ज्ञापन की जांच की जा रही है।

आई० टी० डी० सी० को स्थान का आबंटन

3250. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय भारत पर्यटन विकास निगम को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विमान पत्तन कलकत्ता में कुछ स्थान आबंटित करने के मामले पर नागर विमानन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) (क) और (ख) कलकत्ते के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हवाई अड्डे पर भारत पर्यटन विकास निगम की शुल्क मुक्त दुकानों के उन्नयन से संबंधित मामले को पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तक भेजा गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसी कोई अतिरिक्त जगह नहीं है जिसे भारत पर्यटन विकास निगम को, शुल्क मुक्त दुकानों हेतु आबंटित करने पर विचार किया जा सके।

हिन्दी परामर्शदात्री समिति की बैठकें

3251. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा गत अनेक वर्षों से अब तक हिंदी वार्षिक प्रगति कार्यक्रम पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हिंदी परामर्शदात्री समिति की कितनी बैठकें हुई तथा एक साल में चौथी बैठक आयोजित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) हिंदी परामर्शदात्री समिति का पुनर्गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के सभापतियों तथा सदस्यों द्वारा हिंदी में कितना प्रतिशत श्रम किया जाता है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) और (ख) भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कथित वार्षिक कार्यक्रम सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा तैयार एवं परिचालित किया जाता है और इसमें निहित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों एवं उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) इस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन न होने के कारण पिछले तीन वर्ष के दौरान इसकी बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

(घ) समिति का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है।

(ङ) इस मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करते हैं।

विदेश संचार निगम में प्रतिनियुक्ति अधिकारी

3252. **श्री सुरेश कोडीकुनील :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश संचार निगम में उन अधिकारियों का ब्यौरा और संख्या क्या है जो प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बावजूद वरिष्ठ पद पर बने हुए हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि को बार-बार बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अधिकारियों को उनके मूल कार्यालय वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दूरसंचार विभाग से मुख्य वित्त अधिकारी के पद पर केवल एक अधिकारी विदेश संचार निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर है।

(ख और (ग) अधिकारी ने नवम्बर, 1993 में प्रतिनियुक्ति पर विदेश संचार निगम लि० में कार्यभार ग्रहण किया था। मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के लिए आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

आकाशवाणी केन्द्र

3253. **श्रीमती एम० पार्वती :**
श्री पी० एम० सुधीरन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना/विकास के लिए गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष में अब तक कितने प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी;

(ङ) विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत जनसंख्या को इसका लाभ होगा; और

(च) इस पर कितना खर्च आएगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी भागीदारी

3254. **श्री एन० एस० वी० चित्तयन** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उड़ानें संचालित करने वाली फर्मों में विदेशी भागीदारी की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुमति किन नियमों और शर्तों पर की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी हां,।

(ख) विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर हवाई परिवहन सेवाओं में 40% की अधिकतम सीमा तक विदेशी इक्विटी की भागीदारिता की अनुमति दी गई है।

डायमंड हार्बर कस्बे में स्थानीय टेलीफोन सुविधा

3255. **श्री समीक लहिरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कलकत्ता में डायमंड हार्बर कस्बे में स्थानीय टेलीफोन सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डायमंड हारबर कस्बा, कलकत्ता महानगरीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। इस कस्बे के स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत, स्थानीय कॉल की सुविधा उपलब्ध है। डायमंड हारबर एसटीडी सुविधा के द्वारा कलकत्ता टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पारधी समुदाय

3256. **श्री बी० धर्मभिक्षम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश में पारधी समुदाय की स्त्रियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देती है तथा पुरूषों को नहीं देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने ऐसे भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) आज की तारीख तक यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियों (आदेश, 1950 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित परिधी को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हैं। इस प्रकार कि उस राज्य में उस समुदाय के किसी भी सदस्य को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन को नुकसान

3257. **श्री भक्त चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को 1990 से 1993 के दौरान बहुत अधिक नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "वर्ल्ड दिस वीक" कार्यक्रम से प्रायोजकता शुल्क कम दर से वसूल करना इस नुकसान का मुख्य कारण था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

ओबी वारकों को टेलीफोन कनेक्शन

3258. **डॉ० अरविन्द शर्मा** : क्या संचार मंत्री 1 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्र० सं० 2521 के भाग (क) (IV) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "क्षेत्र तकनीकी रूप से अव्यावहारिक है" शब्दावली की परिभाषा क्या है;

(ख) संसद सदस्यों के कोटों में से कितने मामले में ओबीज़ जारी कर दिए गए हैं तथा 1 जनवरी, 1996 से ओखला टेलीफोन एक्सचेंज, नई दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए हैं; और

(ग) उस एक्सचेंज में ऐसे कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक ये कनेक्शन दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र वे हैं, जहां बाह्य संयंत्र की बाध्यताओं के कारण अर्थात् केबल पेअर आदि उपलब्ध न होने के कारण अथवा एक्सचेंज क्षमता के उपलब्ध न होने के कारण टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सकते।

(ख) इस प्रकार का कोई मामला लंबित नहीं है।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं देखता।

विदेशी एअरलाइंस के साथ संयुक्त उद्यम

3259. **श्री एस० डी० एन० आर० वाडियार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी एअरलाइंस के साथ संयुक्त उद्यम और कोड-शेयरिंग बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) और (ख) एअर इंडिया अपनी बाजार में उपस्थिति में वृद्धि करने की दृष्टि से यूरोपियन, अमेरिकन तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई विमान वाहकों के साथ मिलकर अपने कोड-शेयर प्रचालनों में विस्तार करने की संभाव्यता के बारे में निरंतर पता लगा रही है। ऐसी कोड-शेयर/संयुक्त उद्यम प्रबंध-व्यवस्थाएं पहले से ही स्कैंडिवियन एयरलाइन प्रणाली, यूनाइटेड एयरलाइन्स, कुवैत एयरलाइन्स, मलेशियन एयरलाइन्स, गल्फ एयर तथा मारिशियस के साथ प्रचालन में हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में खनिजों का खनन

3260. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन खानों के नाम क्या हैं जहां कीमती खनिजों का खनन किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में खनन किए गए खनिजों तथा अन्य कीमती वस्तुओं का मूल्य सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज सर्वेक्षण विभाग द्वारा राज्य में कोई सर्वेक्षण भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य में खनिजों के खनन की क्या संभावनाएं हैं;

(ङ) क्या अजमेर के निकट तांबे के किसी भंडार का पता लगाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में खनन कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के पिंडवाड़ा-वाटेरा क्षेत्र, सिरोही जिला, आनन्दपुरी भूकिया क्षेत्र, बांसवाडा जिला तथा हिंगलाज-माता क्षेत्र, एशपुरी तहसील, डूंगरपुर जिले में स्वर्ण के लिए अन्वेषण/गवेषण कार्य किए जा रहे/किए गए हैं।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा निम्न स्थानों पर आधार धातुओं के लिए सर्वेक्षण एवं गवेषण किये गए हैं/किए जा रहे हैं–

(I) दक्षिण सिन्देसर रिज, दरीबा-बेठुमनी पट्टी, राजसमन्द जिले में सीसे जस्ते के लिए गवेषण (II) लेशियो का खेडा–जितावास ब्लॉक, /दरीबा बेठुमनी पट्टी राजसमंद जिले में आधार धातुओं के लिए अन्वेषण। (III) कालाब-कालान-बोयो की नाडी क्षेत्र में आधार धातु अन्वेषण (IV) रामपुरा-टोंडा-नायला-की-धानी क्षेत्र पूर्वी खेतडी राजस्थान में आधार धातुओं के लिए गवेषण (V) धुगरा-कयार क्षेत्र, अजमेर जिले में सीसा-जस्ता अन्वेषण, स्वर्ण के लिए (I) पिंडवाडा-वाटेरा क्षेत्र, सिरोही जिला (II) आनन्द पुरी– भूकिया क्षेत्र, बांसवाडा जिला तथा (III) हिंगलाजमाता क्षेत्र, एशपुर तहसील, डूंगरपुर जिले में गवेषण कार्य किया गया है/जारी है। अन्वेषण कार्य पूरा होने के बाद ही इन खनिज भण्डारों की संभावना/मूल्य का आकलन किया जा सकता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी० एस० आई० को अजमेर के आसपास कोई तांबा भंडार नहीं मिला है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

वाणिज्यिक डाक प्रभार में वृद्धि

3261. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु डाक प्रभारों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रभारों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इससे व्यापारियों/उद्यमियों पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक दर में संशोधन वार्षिक बजटीय प्रक्रिया का एक अंग है। यह संशोधन प्रचालन लागत तथा अन्य संबद्ध कारणों को ध्यान में रख कर किया जाता है। तथापि, इस समय, उन डाक प्रभारों को छोड़कर, जो पहले ही माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में शामिल हैं, अन्य डाक प्रभार बढ़ाने का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त "क" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चीनी की ढुलाई

3262. **श्री पी० सी० चाक्को** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेवी चीनी की सड़क मार्ग से ढुलाई करने में कतिपय प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लेवी चीनी की सड़क मार्ग से ढुलाई को और सुविधाजनक बनाने के लिए इन प्रतिबंधों को हटाने का कोई विचार है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) लेवी चीनी के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, जब कभी लेवी चीनी का सड़क द्वारा संचलन किया जाता है उस समय थोक विक्रेताओं को लेवी चीनी के परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में प्रतिबंध होता है। अनुमत परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दर पर की जाती है और यह दर उस राज्य में खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकृत परिवहन प्रभारों की दर तक सीमित होती है। जहां कहीं भारतीय खाद्य निगम की दरें उपलब्ध नहीं होती हैं वहां राज्य सरकार की दरें अनुमत होती हैं जो वास्तविक रेल भाड़े तक के लिए सीमित होती है। इसमें एकरूपता लाने के लिए इस प्रयोजन के लिए बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार परिवहन प्रभारों के लिए अनुमति दी जाती है।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधाओं की कमी

3263. **श्री अशोक अर्गल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में टेलीफोन सुविधाओं की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त जिले में संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। विभाग ने निवल स्विचन क्षमता की 4376 लाइनें जोड़ने और 1996-97 के दौरान मुरैना जिले में 370 की प्रतीक्षा-सूची की तुलना में 2625 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है।

सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची

3264. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पूरी सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार सामान्य वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों को रेल-भाड़ा विशेष अर्जित अवकाश, संघ कार्यालय तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी संघों को यह सुविधायें प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संघों व समितियों को मान्यता देने पर प्रतिबंध है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। श्रेणीवार जनसंख्या नीचे दी गई है :–

क्र० सं०	श्रेणी	1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
1.	अनुसूचित जाति	13,82,23,277
2.	अनुसूचित जनजाति	6,77,58,380
3.	सामान्य श्रेणी	उपलब्ध नहीं
4.	पिछड़ा वर्ग	–तदैव–

(ग) और (घ) सी सी एस (आर० एस० ए०) नियम 1993 के अंतर्गत "सर्विस एसोसिएशन का गठन किसी जाति, जनजाति अथवा धर्म सम्प्रदाय अथवा ऐसी जाति, जनजाति अथवा धर्म सम्प्रदाय के भीतर या वर्ग के किसी समूह के आधार पर हित प्रस्तुत करने के नहीं किया जाना चाहिए।" अतः केवल सामान्य श्रेणी अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे किसी संघ को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। अतएव ऐसी एशोसिएशन को इस तरह की सुविधाएं दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत जाति/जनजाति के आधार पर संघ की मान्यता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कोटा में हवाई अड्डा

3265. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा के हवाई अड्डे में विमान के उतरने की सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल के अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम

3266. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कार्यान्वित किए गए अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार केरल में अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रख रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ 15 सूत्री कार्यक्रम केरल राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप अल्पसंख्यकों के समग्र विकास के लिए अनेक शैक्षणिक, रोजगार वृद्धि तथा आर्थिक विकास योजनाएं शुरू हुई हैं। इनमें परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना, केन्द्रीय वक्फ परिषद के माध्यम से शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकासार्थ सहायता और मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण संबंधी योजना केरल राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। तथापि, बहु-क्षेत्र विकास योजनाओं से संबंधित योजना और सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में मालापुरम, कोजीकोड, कैन्नौर, पालाघाट और वैयन्द जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(क) और (ग) संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयं/विभाग इन योजनाओं की मानिटरिंग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के निकट सहयोग से कर रहे हैं। परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना का मानिटर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त अत्यधिक रिपोर्टों और लाभग्राहियों से प्राप्त सूचना के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम अपने द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का मानिटर राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत ऋणों के उपयोग और वसूली की स्थिति के आधार पर करता है। बहु-क्षेत्र विकास योजनाओं का जिला स्तर पर मानिटर जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय वक्फ परिषद अपने द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों का मानिटर वक्फ बोर्डों के माध्यम से करता है। शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण और सघन क्षेत्र कार्यक्रम का मानिटर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों के आधार पर करता है।

(घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान केरल को विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए ऋण स्वरूप अब तक 1.22 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने मालापुरम और त्रिचूर जिले में स्थित कोचिंग संस्थाओं को क्रमशः 3.55 लाख रुपए और 1.00 लाख रुपए निर्मुक्त किए हैं।

टिन प्लेटों का उत्पादन और आयात

3267. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टिन प्लेटों के उत्पादन तथा उनके आयात के संबंध में सरकार की नवीनतम नीति क्या है;

(ख) गुणवत्ता की दृष्टि से भारतीय निर्माताओं द्वारा उत्पादित टिन प्लेटें आयातित टिन प्लेटों की तुलना में कैसी हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि टिन प्लेटों की देश की जरूरत पूर्णतया अथवा ज्यादातर भारतीय कम्पनियों से ही पूरी हो सके तथा इस संबंध में विदेशी मुद्रा बाहर न जाये, भारत सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) से (ग) सरकार ने इस्पात उत्पादन जिसमें टिन प्लेट का उत्पादन भी शामिल है, की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकालना,

(II) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना, और

(III) विदेशी निवेश के प्रयोजन से लोहा और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त टिन प्लेट मिल ब्लेक (टी० एम० बी० पी०), टिन प्लेट के उत्पादन के लिए कच्चे माल पर आयात शुल्क को धीरे-धीरे कम किया गया है तथा इसे टिन प्लेट से कम रखा गया है ताकि घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।

1995-96 के दौरान टिन प्लेट की 2.10 लाख टन की अनुमानित प्रत्यक्ष खपत की तुलना में स्वदेशी अनुमानित उत्पादन 0.53 लाख टन था, इस प्रकार मांग और पूर्ति के बीच अन्तर रहा जिसे आयात के जरिए पूरा किया गया। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्कृष्ट क्वालिटी की टिन प्लेटों के अतिरिक्त टिन प्लेट अपशिष्ट तथा टिन प्लेट अपशिष्ट-अपशिष्ट का भी देश में आयात किया जा रहा है। घरेलू सप्लाई में वृद्धि करने के लिए टिन प्लेट का आयात निर्बाध रूप से करने की अनुमति देने तथा 1995-96 के बजट में टिन प्लेट पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 40% कर दिया गया था।

[हिन्दी]

डिबाई (खुर्जा) में टेलीफोन एक्सचेंज

3268. **श्री अशोक प्रधानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में डिबाई (खुर्जा) में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) क्या इस एक्सचेंज ने कार्यकरण शुरू कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह कब से कार्य करना शुरू कर देगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) (क) जी, हां।

(ख) संस्थापित क्षमता — 384 लाइनें
व्यय — लगभग 53.34 लाख रु०

(ग) जी हां, यह काम कर रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास योजनाएं

3269. **श्री ताराचन्द भगोरा :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राजस्थान के मारू, त्रिकोन, हड़ोती तथा शेखावटी की पर्यटन विकास योजनाएं लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा इनके लिए कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पर्यटन के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आगे आयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जोधपुर में वेलकम संस्थान स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) आर्थिक कार्य विभाग के बाह्य निधिकरण के लिए राजस्थान के पर्यटन विभाग ने तीन परियोजनाओं, अर्थात् त्रिभुजाकार मरूस्थल (डेसर्ट ट्राईएंगल) के विकास, मेवाड़ क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र के संरचनात्मक विकास की सिफारिश की है। तथापि, राजस्थान में हड़ोती के विकास के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी परियोजनाएं

3270. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों से संबंधित कितनी परियोजनाएं आरम्भ और पूरी की गईं;

(ख) इन परियोजनाओं हेतु मूलरूप से कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया था;

(ग) क्या तत्पश्चात् आकलनों को संशोधित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के पूरा होने पर अंतिम रूप से कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

3271. **श्री गिरधारी यादव :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी सलाहकार समिति का गठन कब तक होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) और (ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के उपबन्धों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के कार्यान्वयन के सभी उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पिछला गठन 9.3.1995 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। संसद सदस्यों के रिक्त हुए पदों को, संसदीय-कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति से नामांकन प्राप्त होते ही शीघ्र भर लिया जाएगा।

बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरभाष सुविधाएं

3272. **श्री आर० एल० पी० वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरे क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो बिहार के कोडरमा जिले में सतगावाँ तथा गिरडीह जिले में गनवाँ को दूरसंचार सुविधाओं से वंचित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार, वहां पहाड़ी पर एक टावर स्थापित करके एसटीडी/आईएसडी प्रदान करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) दोनों स्थानों पर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ग) (I) इस समय सतगावाँ में एस० टी० डी० सुविधा ओवरहैड लाइनों पर उपलब्ध है। इसे उपग्रह के जरिए विश्वसनीय माध्यम पर उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

(II) गनवाँ में भी एक टावर की स्थापना करके विश्वसनीय माध्यम पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की योजना है।

(घ) और (ङ) उपस्करों के उपलब्ध होने पर इन सुविधाओं को, वर्ष 1996-97 के दौरान विश्वसनीय माध्यम पर उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है।

स्पीड-पोस्ट सेवा

3273. **श्री ओ० पी० जिन्दल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अगस्त, 1996 के नव भारत टाईम्स में "कूरियर सर्विस से पिछड़ती जा रही है स्पीड पोस्ट" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी कूरियर सेवाओं की तुलना में डाक विभाग की स्पीड-पोस्ट सेवा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस सेवा को और अधिक व्यापक तथा प्रभावी बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : जी हां।

(ख) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्राइवेट कूरियर सेवाओं की तुलना में स्पीड पोस्ट सेवा में गिरावट आई है। वस्तुस्थिति तो यह है कि स्पीड पोस्ट के परियात तथा राजस्व में पिछले वर्षों के दौरान प्रभावशाली वृद्धि हुई है जिससे यह पता चलता है कि उपभोक्ता सामान्यतया संतुष्ट हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने स्पीड पोस्ट के वर्तमान नेटवर्क को समेकित करने की एक नीति बनाई है ताकि इस सेवा का असंयत रूप से विस्तार न हो। किसी स्थान को स्पीड पोस्ट नेशनल नेटवर्क में तभी शामिल किया जाता है जब उस स्थान पर उसे वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए वहां पर्याप्त संभावित परियात हो और स्पीड पोस्ट के मानदंडों के अनुरूप जब सर्विस स्टैंडर्ड प्रदान करने के लिए प्रचालन के अनुकूल हो। इसके अलावा सेवा की गुणवत्ता की बेहतर मानीटरिंग के लिए महत्वपूर्ण शहरों में स्पीड पोस्ट वस्तुओं की प्रोसेसिंग का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है।

[अनुवाद]

नेपाली टेलीफिल्म

3274. **श्री आर० बी० राई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के पश्चात विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुई नेपाली टेलीफिल्मों की स्क्रिप्टों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने स्क्रिप्टों को स्वीकृति मिल चुकी हैं;

(ग) आज तक पूर्ण हुई फिल्मों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(घ) अब तक कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, नेपाली भाषा में "अस्तित्व" नामक एक टेलीफिल्म के निर्माण के लिए सिर्फ एक प्रस्ताव 12.4.96 को दूरदर्शन के केन्द्रीय कमीशन एकक में प्राप्त हुआ है।

(ख) महोदय अभी तक कोई आलेख स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी मिलें

3275. **श्री राधा मोहन सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी चीनी मिलें काफी लम्बे समय से बंद पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप हजारों कर्मचारी वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको बंद करने के क्या कारण हैं तथा इन मिलों के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चीनी मिलों की संख्या तथा चीनी मौसम, जबसे उत्पादन की सूचना नहीं दी गई है, निम्नवत् है :–

वर्ष जबसे उत्पादन की सूचना नहीं दी गई है।	चीनी मिलों की संख्या
1967-68	1
1970-71	2
1975-76	1
1983-84	1
1984-85	2
1985-86	1
1986-87	1
1991-92	3
1993-94	6
1994-95	7
1995-96	10
कुल :	35

(ख) एक चीनी मिल कई कारणों से बन्द हो सकती है, जैसे—गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अलाभकर आकार, पुराने एवं जर्जर प्लांट व मशीनरी, तकनीकी तथा प्रबंधन संबंधी समस्याएँ, वित्तीय कठिनाइयाँ आदि। चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएँ स्वयं ही तैयार करनी होती हैं तथा उन्हें संबंधित संस्थाओं से स्वीकृत कराना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है, बशर्ते, विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाय।

[हिन्दी]

मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा विदेश यात्राएं

3276. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के मंत्री और अधिकारियों ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी विदेशी यात्राएं कीं;

(ख) इन विदेशी यात्राओं पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) इन यात्राओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के कितने प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार दी गई है :—

वर्ष	किए गए विदेशी दौरों की संख्या		कुल अनुमानित व्यय
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्री एवं पर्यटन राज्य मंत्री	अधिकारी	रुपये (लाखों में)
1994-95	7	13	29.51
1995-96	4	13	16.11

उपरोक्त उल्लिखित दौरों में से कुछ दौरे विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मार्टों/पर्यटन मेलों अर्थात् लंदन में विश्व यात्रा मार्ट, बर्लिन में आई टी बी आदि में भाग लेने के लिए किए गए थे।

(ग) चूंकि विदेशों में पर्यटन का विकास करने वाली मार्केटों में पर्यटन का संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है इसलिए इस प्रकार के दौरों के फलस्वरूप कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है, इसका आवंटन करना संभव नहीं है। यद्यपि मंत्री जी और अधिकारियों द्वारा किए गए संवर्धनात्मक अभियान विदेशी मीडिया और यात्रा व्यवसाय में देश की सकारात्मक छवि का भारी सृजन करते हैं, अन्य घटक जो विदेशी पर्यटक यातायात को बढ़ाने में योगदान देते हैं वह हैं— विज्ञापन और प्रचार, विदेशी यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा प्रचालकों, पत्रकारों, टी. वी. दलों द्वारा भारत में परिचयात्मक दौरे करना, मेलों और त्यौहारों का आयोजन करना, सार्वजनिक संपर्क आदि।

गत दो वर्षों के दौरान पर्यटक यातायात में प्राप्त की गई वृद्धि निम्नानुसार है :—

1994-95	+ 1.9%
1995-96	+ 14.8%

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सुविधाएं

3277. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शास्त्री भवन, नई दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों का वेतन और अन्य सुविधाएं इस विभाग के अन्य कर्मचारियों से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को समान वेतनमान और अन्य सुविधाएं कब तक प्रदान कर दी जाएंगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) (क) और (ख) राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में कैफेटेरिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बिना किसी लाभ हानि के भारत पर्यटन विकास निगम को ठेके के आधार पर दिया गया है। यह ठेका दिनांक 23.8.1997 तक वैध है। इस कैफेटेरिया को चलाने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने कर्मचारियों को ठेके के आधार पर एक समेकित वेतन पर नियुक्त किया था तथा उन्हें नियुक्ति की अन्य शर्तों के अनुसार अन्य सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं।

(ग) चूंकि कार्य वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाए जाते हैं इसलिए इन कर्मचारियों को समान वेतन और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

चुनाव प्रसारणों का रद्द किया जाना

3278. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले चुनाव में राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव प्रसारण में बन्दे मातरम और जय श्री राम शब्दों के प्रयोग के कारण दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारण करने से इन्कार करने की वजह से चुनाव प्रसारण रद्द कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के पीछे क्या औचित्य था; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) से (ग) "वन्दे मातरम्" शब्द के प्रयोग के कारण राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनैतिक दल के चुनाव प्रसारण/टैलीकास्ट के लिए इन्कार नहीं किया गया था। क्योंकि जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत आलेख में "श्री जय राम" शब्द के प्रयोग की अनुमति नहीं दी इसलिए आकाशवाणी, जयपुर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रसारण नहीं किया गया। इसी प्रकार दूरदर्शन केन्द्र तथा आकाशवाणी लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव टेलीकास्ट/प्रसारण नहीं किया गया क्योंकि आलेख में कतिपय ऐसे सन्दर्भ निहित थे। जो निर्वाचन आयोग के विचार से राष्ट्रीय एकता के हित में अथवा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं थे। निर्वाचन आयोग ने

टेलीकास्ट/प्रसारण से पूर्व उन अंशों को संशोधित करने/हटाने की सलाह दी थी जिसे भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

कानपुर में महिला आश्रम में असामाजिक गतिविधियां

3279. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर के महिला आश्रम में इसमें रहने वालों को अपर्याप्त भोजन; सिलाई व बुनाई के काम का भुगतान नहीं किया जाता, जाली और झूठी शादियों, आश्रम प्राधिकारियों द्वारा दहेज की 90 प्रतिशत राशि को हड़पना, गोद लेने के बहाने बच्चों को बेचा जाना तथा युवतियों को शादी के नाम पर बूढ़ों व रिक्शा चालकों को बेचा जाना जैसे असामाजिक कार्य चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष रहे हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

3280. **श्री जी० एम० बनातवाला** :
श्री ई० अहमद :
श्री पी० आर० दासमुंशी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड के कार्यकरण में गंभीर अनियमितताओं और कदाचारों में तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु नियत निधि के दुर्विनियोग और दुरूपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कथित अनियमितताओं और कदाचारों का ब्यौरा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल विधान सभा के सभापटल पर प्रस्तुत की गई पी० के० सेनगुप्ता रिपोर्ट की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चित बंगाल के वक्फ बोर्ड के कार्यकरण और जांच के लिए विभागीय जांच करने के संबंध में शिकायतों के प्राप्त होने की पुष्टि की है। किन्तु विभागीय जांच की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त नहीं हुई है यद्यपि, प्रेस में ऐसी रिपोर्ट तथा राज्य विधान सभा में इस मामले में बहस का उल्लेख हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु नियत निधि के दुर्विनियोग तथा दुरूपयोग के संबंध में, केन्द्र सरकार के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

अग्रिम संविदा अधिनियम में संशोधन

3281. **श्री सरत पटनायक** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) तथा संप्रतीक और नाम (अनुसूचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1952 (1950 का 12) में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन अधिनियमों में संशोधन कब तक किया जाएगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) भारत में वायदा बाजार आयोग के कार्य की समीक्षा करने तथा अग्रिम संविदा (विनियमन), अधिनियम, 1952 (1952 का 74) में संशोधन करने की सिफारिश सहित सिफारिशें करने के लिए प्रो० कमल नयन काबरा की अध्यक्षता में सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने सितम्बर, 1994 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की है। सरकार ने अधिनियम में संशोधन करने से संबंधित समिति की सिफारिशों पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

सरकार के समक्ष संप्रतीक तथा नाम का, (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 1950 के समूचे अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक तीन सदस्यीय सरकारी समिति गठित की गई है।

निजी गोदामों का निर्माण

3282. **श्री प्रह्लाद सिंह** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों के भंडारण के लिए निजी गोदामों का निर्माण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन गोदाम मालिकों के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने ऐसे निर्माणों के लिए बैंक ऋण संवितरण किए जाने की सिफारिश की थी;

(ङ) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं;

(च) क्या ऋण के संवितरण से जुड़ा कोई विवाद न्यायालय में लंबित पड़ा था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। 1976 में भारतीय खाद्य निगम

ने कृषि पुनर्वित्त विकास निगम (ए. आर. डी. सी.) योजना के अधीन प्राइवेट पार्टियों द्वारा गोदामों के निर्माण को प्रोत्साहित किया था।'

(ख) और (ग) जी, हां। ए०आर०डी०सी० योजना के अधीन गोदामों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट पार्टियों के साथ करार किया गया था। आरम्भ में गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनका कब्जा लेने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 40 पैसे तथा 50 पैसे प्रति वर्ग फुट प्रति मास के निश्चित किराये पर इस विकल्प के साथ किराये पर लिए गए थे कि उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर पट्टे की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। उपर्युक्त योजना के अधीन जिन पार्टियों के साथ करार किए गए थे उनके लिए अपनी भूमि के अलावा निर्माण लागत का कम से कम 25% धनराशि का निवेश करना अपेक्षित था। भारतीय खाद्य निगम की सिफारिश पर, शेष 75% धनराशि उन्हें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 11% प्रति वर्ष ब्याज की रियायती दर पर ऋण के रूप में दी गई थी। बैंकों द्वारा इस योजना के अधीन दिए गए ऋण की राशि का वितरण कृषि पुनर्वित्त विकास निगम ने किया था।

(च) और (छ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऋण का वितरण नहीं किया गया था। तथापि, 5 वर्ष की सम्मत संविदात्मक अवधि के दौरान किसी भी पार्टी के साथ किरायेदारी या कब्जे अथवा किराये के भुगतान के संबंध में कोई विवाद नहीं था।

विदेशी प्रिंट मीडिया के प्रवेश पर रोक

3283. **श्री चित्त बसु :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र कर्मचारियों के तीन राष्ट्रीय संगठनों, आल इंडिया न्यूजपेपर, एम्पलाइज फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ दि पी. टी. आई. एम्पलाइज यूनियन तथा दि यू. एन. आई. एम्पलाइज फेडरेशन ने 27 जून, 1996 को प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया था जिसमें मांग की गई थी कि विदेशी मीडिया के प्रवेश पर रोक लगायें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्रधान मंत्री को दिनांक 26 जून, 1996 को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में अखिल भारतीय समाचारपत्र कर्मचारी संघ, पी. टी. आई. कर्मचारी यूनियन संघ तथा यू. एन. आई. कर्मचारी संघ, ने विभिन्न समस्याएं उठाई हैं, जिनको नीचे संक्षेप में दिया जा रहा है :—

ज्ञापन में उठायी गई मदें

(1) विदेशी प्रिन्ट मीडिया का प्रवेश तथा द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कानून की आवश्यकता।

(2) भारत में इलैक्ट्रोनिक मीडिया के अनियंत्रित प्रवाह को समाप्त करना।

(3) विदेशी तथा भारतीय समाचारपत्रों तथा टी. वी. एककों के बीच हुए गुप्त समझौतों की जांच करना।

(4) भारत के लोकाचारों के विरूद्ध विदेशी इलैक्ट्रोनिक मीडिया के विद्रोही प्रचार को समाप्त करना।

सरकार की टिप्पणी/प्रतिक्रिया

(1) सरकार, 1955 के मंत्रिमंडल निर्णय द्वारा निरन्तर दिशा निर्देशित हो रही है जो कि (क) देश में विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा (ख) समाचार और समसामयिक विषयों से संबंधित विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन पर रोक लगाना है।

(2) वर्तमान में किसी भी निजी पार्टी को देश में रेडियो/टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित करने की अनुमति नहीं है। इसी तरह, किसी भी निजी पार्टी को भारतीय भूमि से अपलिंकिंग सुविधा की अनुमति नहीं है।

(3) कोई विशिष्ट शिकायत न होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(4) विदेशी इलैक्ट्रोनिक मीडिया की चुनौती से मुकाबला करने के उद्देश्य से दूरदर्शन अपने स्थानीय नेटवर्क के चरणबद्ध विस्तार, अद्यतन कला उपकरणों की शुरूआत तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रमुखतः भारतीय कार्यक्रमों की समग्र सूची उपलब्ध करवाकर अपने चैनलों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत् आधार पर प्रयासरत है जिससे कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में दर्शकों की रूचि को बनाए रखा जा सके तथा उसको बढ़ाया जा सके। इसी तरह, भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनी सभी फिल्में चलचित्रकी अधिनियम, 1952 के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जांची तथा प्रमाणित की जाती हैं।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात और आयात

3284. **श्री हरिवंश सहाय :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितनी चीनी का निर्यात और आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों को चीनी का निर्यात और आयात किया गया; और

(ग) निर्यात और आयात की गई चीनी का प्रति मिट्रिक टन मूल्य कितना-कितना था?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) वित्तीय वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा

1995-96 के दौरान आयातित तथा निर्यातित चीनी की मात्रा निम्नलिखित है :–

(मात्रा लाख टन में)

वित्तीय वर्ष	निर्यातित मात्रा (नेपाल सहित)	आयातित मात्रा
1993-94	3.32 (अ.)	शून्य
1994-95	0.35 (अ.)	9.76 * (अ.)
1995-96	4.49 (अ.)	1.99 (अ.)

* इसमें खुले बाजार में बिक्री के लिए खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत निजी पार्टियों द्वारा आयात की गई चीनी शामिल नहीं है।

अ. = अनन्तिम

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान चीनी का निर्यात जिन देशों को किया गया तथा जहां से उन्हें आयात किया गया था, उन देशों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निर्यात एवं आयात की गई चीनी के औसत प्रति मीट्रिक टन मूल्यों को नीचे दिया गया है :–

वित्तीय वर्ष	निर्यातित चीनी का मूल्य (प्रति मी० टन रुपये में)	आयातित चीनी का मूल्य (अमेरिकी डालर प्रति मी० टन में)
1993-94	रुपये 8834.34 (अ.)	शून्य
1994-95	रुपये 8702.86 (अ.)	अमेरिकी डालर 387.13 (अ)
1995-96	रुपये 13680.32 (अ.)	अमेरिकी डालर 422.93 (अ)

अ. = अनन्तिम

विवरण

वित्तीय वर्ष, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जिन देशों को चीनी का निर्यात किया गया तथा जिन देशों से चीनी का आयात किया गया, उनके नाम दर्शानेवाला विवरण।

जिन देशों को चीनी का निर्यात किया गया था।

सोमालिया, अंगोला, श्रीलंका, केन्या, यमन, दुबई, मिस्र, बांगलादेश, ईराक, स्लोवाकिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका, नेपाल, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इंडोनेशिया, मालदीव, इरीट्रिया, अदन, मयन्मार आदि।

जिन देशों से चीनी का आयात किया गया था।

थाईलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन, पौलेंड, फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील, तुर्की, बेल्जियम, कोलम्बिया आदि।

[अनुवाद]

जनजातीय विकास परिषद का गठन

3285. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिति की समीक्षा के बारे में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार धेबर आयोग की तरह एक और जनजातीय विकास परिषद का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परिषद के कब तक गठित हो जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत धेवर आयोग की लीक पर एक आयोग स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इस आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव सहित सात सदस्य होंगे। आयोग का अध्यक्ष अनुसूचित जनजातियों में से होगा तथा अयोग के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जनजातियों में से विख्यात व्यक्ति होंगे। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय आदिवासी क्षेत्र में अथवा उसके निकट होगा।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

3286. **श्री हंसराज अहीर** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों के निर्यात कोटा को समुचित रूप से जारी नहीं किया है जबकि देश में चीनी का शेष उत्पादन आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है और कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दे दिया गया है;

(ख) क्या इसके कारण चीनी मिलें आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं तथा इसके कारण ये गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने में असमर्थ हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) 1995-96 के लिए चीनी मिलों को निर्यात के लिए जारी कोटा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) ई ई सी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को तरजीही कोटा के रूप में निर्यात की छोटी मात्रा के अलावा अगस्त, 1995 की शुरूआत में सरकार ने अतिरिक्त खुली बिक्री चीनी में से अब तक लगभग 10 लाख टन चीनी की मात्रा को वाणिज्यिक निर्यात के लिये अधिसूचित किया है। पुनः यदि निर्यात आवश्यक एवं व्यवहार्य समझा गया तो अनुमति दे दी जाएगी।

(घ) वर्ष 1995-96 के मौसम के उत्पादन में से निर्यात के लिये रिलीज की गई चीनी के राज्य-वार कोटे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के लिए चीनी मिलों को रिलीज किए गए राज्यवार निर्यात कोटे को दर्शाने वाला विवरण–

क्रम सं०	सफेद चीनी राज्य	21.8.1996 तक अनन्तिम रिलीज की गई मात्रा (मी० टन में)
1.	महाराष्ट्र	1,58,781.0
2.	उत्तर प्रदेश	1,58,980.00
3.	गुजरात	40,898.0
4.	बिहार	7,300.0
5.	आन्ध्र प्रदेश	33,600.0
6.	मध्य प्रदेश	9,400.0
7.	तमिलनाडु	2,58,385.2
8.	कर्नाटक	64,040.0
	कुल योग (क)	7,31,384.2

क्रम सं०	कच्ची चीनी राज्य	21.8.1996 तक अनन्तिम रिलीज की गई मात्रा (मी० टन में)
1.	महाराष्ट्र	37,400.0
2.	कर्नाटक	14,200.0
	कुल योग (ख)	51,600.0
	कुल योग : क + ख :	7,82,984.2

जनजातीय महिलाओं के लिए शिक्षा

3287. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जनजातीय महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ग) इसे कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातीय महिलाओं की दशा

3288. **श्री हरिन पाठक :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में जनजातीय महिलाओं की दशा पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन भी भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आयोग ने देश में आदिवासी महिलाओं की दुर्दशा पर विशेष रूप से चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, आयोग ने अपनी 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में मानवाधिकारों की अविभाज्यता तथा परस्पर संबंधित गुणवत्ता का उल्लेख किया है किन्तु आदिवासी महिलाओं की दुर्दशा पर कोई अलग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर में कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता

3289. **श्री एल. रमना** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में कूकियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन्हें मणिपुर में अनुसूचित जनजाति को दर्जा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) मणिपुर के संबंध में कुकी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी समुदाय को शामिल करने के लिए मणिपुर राज्य सरकार का प्रस्ताव अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों की सूचियों में व्यापक संशोधन के संदर्भ में भारत सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन सेवाओं में सुधार

3290. **श्री रूप चन्द पाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्किल के हुगली जिले में धमियाखली, हरिपाल, बालागढ़ के टेलीफोन उपभोक्ताओं को हो रही सेवा संबंधी कठिनाइयों से अवगत हैं; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर टेलीफोन सेवाओं में सुधार हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) हुगली जिले के धमियाखली, हरिपाल और बालागढ़ में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक हैं। इन तीनों स्थानों में विश्वसनीय एस. टी. डी. माध्यम सहित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

3291. **श्री कचरू भाऊ राउत :**
श्री उद्धव वर्मन :
डॉ० रमेश चन्द तोमर :
श्री एल० रमना :
श्री भक्त चरण दास :
श्री छीतूभाई गामीत :
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री एस० पी० जायसवाल :
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्री राम देव दिवाचे :
डॉ० ए० के० पटेल :

श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री दत्ता मेघे :
श्री राजकेशर सिंह :
श्री पी० एस० गढ़वी :
श्री पी० चण्मुगम :
श्री हराधन राय :
वैद्य दाऊ दयाल जोशी :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान आज तक राज्य-वार तथा जिला-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं

(ख) जून, 1996 तक राज्य-वार तथा जिला-वार कितने लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं :–

(ग) उन लोगों को राज्य-वार, जिला-वार तथा वर्ष-वार कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या टेलीफोन सेवाओं/टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार एवं विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्य-वार इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई;

(छ) क्या सरकार को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ज) के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में डाक सुविधाओं का विस्तार

3292. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 तथा 1 अप्रैल, 1996 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में डाकघरों, डाक लिपिकों, डाकियों तथा पत्र-पेटिकाओं की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या हाल ही के वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, जनसंख्या तथा कुछ नई कालोनियों की लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) वर्ग "ग" ओर "घ" के स्टाफ के संबंध में अन्तिम बार मूल्यांकन कब किया गया था; और

(घ) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान समूह "ग" और "घ" के कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता दिखाई गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दिनांक 1.4.1991 और 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार डाकघरों, डाक लिपिकों, डाकियों और लैटर बॉक्सों की संख्या निम्नानुसार है :–

तारीख	डाकघरों की संख्या	डाक सहायक	डाकिये	लैटर बॉक्स
दिनांक 1.4.91 की स्थिति के अनुसार	542	3122	2880	2935
दिनांक 1.4.96 की स्थिति के अनुसार	553	2892	2874	3182

(ख) जी हां।

(ग) नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर स्टाफ की पुनरीक्षा की जाती है। ऐसी अंतिम पुनरीक्षा 1.4.95 से 31.7.96 की अवधि के दौरान की गई है।

(घ) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान अतिरिक्त ग्रुप "ग" और "घ" स्टाफ की प्रोजेक्टिड आवश्यकता निम्नानुसार है :–

श्रेणी	1994-95	1995-96	1996-97
ग्रुप "ग"	शून्य	94 पोस्टमैन	शून्य
ग्रुप "घ"	शून्य	शून्य	शून्य

किराए के भवन

3293. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने भवन किराए पर लिए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को ऐसे भवनों का पट्टा समाप्त हो जाने के पश्चात् इन्हें खाली करने के लिए कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पट्टा समाप्त हो जाने के पश्चात् इन भवनों को खाली नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा विशेष रूप से दिल्ली में इन भवनों को खाली करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा कार्यालय प्रयोजनों के लिए किराए पर लिए गए भवनों/मकानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है :–

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भवनों की संख्या
महाराष्ट्र	1
मध्य प्रदेश	21
गुजरात	5
पंजाब	17
हरियाणा	9
हिमाचल प्रदेश	3
उत्तर प्रदेश	25
राजस्थान	13
जम्मू और कश्मीर	3
पश्चिम बंगाल	26
बिहार	17
उड़ीसा	10
असम	13
मेघालय	6
नई दिल्ली	11 भवन (82 फ्लैट)
तमिलनाडु	12
आंध्र प्रदेश	22
कर्नाटक	7
केरल	1

(ख) और (ग) 1.1.96 से 20.8.96 तक की अवधि के दौरान पट्टा करार की अवधि समाप्त होने के बाद भवनों को खाली करने के बारे में खाद्य प्रापण और वितरण विभाग को कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भवनों को खाली करने के लिए समय-समय पर मकान मालिकों से उन्हें अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं। भारतीय खाद्य निगम गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक पत्र पर कार्रवाई करती है।

(घ) और (ङ) आवश्यकता के आधार पर भवनों को किराए पर लिया जाता है और इन भवनों की आवश्यकता महसूस न किए जाने/अथवा निर्मित भवन उपलब्ध होने के बाद इन भवनों को खाली कर दिया जाता है। किराए के भवनों को खाली करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम ने अपने भवनों का निर्माण करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लिया है। गुड़गांव में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान काम्प्लैक्स का निर्माण कर इस संबंध में शुरूआत कर दी गई है। भारतीय खाद्य निगम ने अपने फील्ड कार्यालयों से अपने स्वयं के कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव भी आमंत्रित किए हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन धारावाहिकों की कड़ियों को और आगे बढ़ाना

3294. **श्री राम कृपाल यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर प्रसारित किसी भी धारावाहिक की कड़ियों को और आगे बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन धारावाहिकों की कड़ियों को और बढ़ाया गया है;

(ग) कड़ियों को बढ़ाने के लिए क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इन मार्गनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) डी डी-1 तथा डी डी-2 पर विगत तीन वर्षों के दौरान विस्तारण प्रदान किए गए टी. वी. धारावाहिकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिशा-निर्देशों के अनुसार, टी० वी० धारावाहिक को स्वीकृति प्रदान करते समय चयन समिति प्रकरणों की संख्या का विशेष रूप में उल्लेख करती है। सामान्यता प्रकरणों की संख्या डीडी-1 के मामले में 13 तथा डीडी-2 के मामले में 26 से अधिक नहीं होती। महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा धारावाहिक की लोकप्रियता, इसकी विज्ञापन आय, निर्माण की गुणवत्ता तथा विषय अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखते हुए प्रकरणों की विनिर्दिष्ट संख्या से आगे विस्तारण प्रदान किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन धारावाहिकों की सूची जिनको डी० डी०-1 और डी० डी०-2 पर विस्तारण प्रदान किया गया

डी० डी०-1

1.	संसार
2.	उजाले की ओर
3.	तौबा करी तौबा
4.	तहकीकात
5.	नीम का पेड़
6.	अकबर दि ग्रेट
7.	अलिफ लैला
8.	जमीन आसमान
9.	चन्द्रकांता
10.	शान्ति
11.	जुनून
12.	कानून

13.	रिपोर्टर
14.	सब का मालिक एक है
15.	इम्तिहान
16.	कजरी
17.	बाप से बड़ा रुपैया
18.	दास्ताने हातिम ताई
19.	घुटन
20.	वूमैन ऑफ इंडिया
डी० डी० 2	
1.	सराब
2.	जय हनुमान
3.	पतझड़
4.	परछाइयां
5.	बाइबिल की कहानियां
6.	साम्राज्य
7.	सहारा
8.	साहिल

[अनुवाद]

पर्यटन का विकास

3295. **श्री चमन लाल गुप्ता :**
श्री मंगत राम शर्मा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू डिवीजन में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु योजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विकसित किए गए पर्यटक स्थलों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) प्रत्येक राज्य में पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, उनके गुण-दोषों और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू क्षेत्र में पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए वर्षवार स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना/योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये लाखों में)
1993-94		
1.	बटोट में चार कुटीरें	18.00
2.	बानी में पर्यटक बंगला	28.00
3.	अथौली में पर्यटक बंगला	19.29
4.	पटनीटॉप में पांच कुटीरों का निर्माण	21.95
5.	मानसर झील में एक्वेटिक क्रीड़ा उपकरण मुहैया कराना	3.97
6.	बाग-ए-बहू में एक्वेटिक क्रीड़ा उपकरण मुहैया कराना	2.45
7.	डेरा-की-गली में चार कुटीरें	14.00
8.	सोती गंडौ भलेसा में पर्यटक कुटीरें	6.45
9.	उज्ज, बैराज में एक्वेटिक क्रीड़ा उपकरण	0.90
1994-95		
1.	सन्नसर में पर्यटक परिसर	28.08
2.	पटनीटॉप में पर्यटक परिसर	27.75
3.	राजोरी में पर्यटक परिसर	24.02
1995-96		
	कटरा, माता वैष्णो देवी में पर्यटक आवास का निर्माण	28.00

गेहूं की बिक्री

3296. **श्री आई० डी० स्वामी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार/निर्यात में बिक्री हेतु खाद्यान्न लाइसेंस धारकों को पंजाब और हरियाणा में गेहूं के स्टाक जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टाकों के जारी करने में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का गेहूं के स्टाक जारी करने के लिए सारे परमिटों की जांच करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार भविष्य में इस संबंध में भ्रष्टाचार रोकने के लिए मार्गदर्शन जारी करने अथवा निश्चित प्रक्रिया निर्धारित करने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या इस संबंध में हरियाणा और पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) खाद्यान्नों का लाइसेंस पंजाब में लागू है और यह हरियाणा में लागू नहीं है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न लाइसेंसधारियों सहित सभी को खुले बाजार में गेहूं की बिक्री कर रहा है।

(ख) कुछेक क्षेत्रों से गेहूं की निर्मुक्ति में कदाचार के संबंध में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के सतर्कता स्क्वाड द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से विदित हुआ था कि जून, 1996 के दौरान खुली बिक्री के लिए जिला करनाल (हरियाणा) को 22,500 टन गेहूं का आवंटन किया गया था इसमें से 6.6.1996 तक 14,775 टन गेहूं के लिए निर्मुक्ति आदेश जारी किए गए थे। 7.9.1996 को 102 पार्टियों ने डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कर दिए थे। जांच से पता चला है कि जिला कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, करनाल के कर्मचारियों द्वारा "पहले आओ, पहले पाओ" सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि कर्मचारियों ने जिला प्रबंधक, जो सक्षम प्राधिकारी हैं, के किसी विशिष्ट अनुमोदन के बिना 18 पार्टियों को पिछली तारीख में निर्मुक्ति आदेश जारी कर दिए थे। पुलिस प्राधिकारियों ने दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों के घरों पर मारे गए छापों के दौरान कुछ नकदी और धारक चैक जब्त किए। दो कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है। पांच अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है जिनमें एक अधिकारी श्रेणी-I का है। राज्य सरकार ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो से रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

पहले के एक मामले में राज्य के सतर्कता विभाग ने एक शिकायत के आधार पर जिला कार्यालय, रोहतक (हरियाणा) पर छापा मारा था। इस छापे के दौरान, बताया जाता है कि भारतीय खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों के घरों से करेंसी नोट बरामद हुए थे। इस मामले में चार कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। पुलिस ने 31 जनवरी, 1996 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

(घ) और (ङ) पंजाब और हरियाणा में गेहूं का स्टाक निर्मुक्त करने के सभी परमिटों की जांच करने का प्रश्न सामान्यतया आवंश्यक नहीं समझा जाता है।

(च) और (छ) गेहूं की खुली बिक्री में कदाचार की और रोकथाम करने के लिए 26.8.1996 को संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। इनमें इच्छुक खरीदारों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के बाद भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय स्तर पर एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा आवंटन करना शामिल है। एक खरीदार को एक मास में बेची जाने वाली मात्रा में भी कमी की गई है।

(ज), (झ) और (ञ) इस संबंध में ब्यौरा उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में दिया गया है।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

3297. **श्रीमती रजनी पाटील** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में चीनी की कुल कितनी मांग थी;

(ख) क्या चीनी मिलों को तदनुसार लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी चीनी मिलों को लाइसेंस दिए गए हैं;

(घ) क्या उक्त चीनी मिलों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985-86 से 1989-90 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी की कुल घरेलू खपत 466.63 लाख टन थी।

(ख) और (ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए 103 आशय पत्र जारी किए गए थे। राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत् है–

क्रम सं०	राज्य	आशय पत्रों की संख्या
1.	तमिलनाडु	12
2.	महाराष्ट्र	36
3.	उत्तर प्रदेश	20
4.	पंजाब	5
5.	कर्नाटक	5
6.	गुजरात	8
7.	आन्ध्र प्रदेश	6
8.	उड़ीसा	5
9.	हरियाणा	3
10.	दादरा नगर हवेली	1
11.	मध्य प्रदेश	2
	कुल :	103

(घ), (ङ.) तथा (च) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए जारी 103 आशय पत्रों में से 48 आशय पत्र 31.7.96 तक कार्यान्वित हो चुके हैं। 11 आशय पत्रों को कालातीत समझा गया है क्योंकि उद्यमियों ने कोई सन्तोषजनक प्रगति नहीं की। बाकी आशय पत्र कार्यान्वयन के भिन्न-भिन्न चरणों में है। सरकार उनके कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण कर रही है।

मध्य प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधा

3298. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर एसटीडी सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में शुरू किए गए कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) राज्य के किन-किन जिला मुख्यालयों में एसटीडी सुविधा प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश में वर्ष 1995-96 के दौरान 57 स्थानों को एस. टी. डी. सुविधा प्रदान कराने का प्रस्ताव था।

(ग) इन 57 स्थानों में से 43 स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी है। संलग्न विवरण में दर्शाए गए शेष 14 स्थानों को वर्ष 1996-97 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(घ) राज्य में सभी 45 जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने के लिए संभावित स्थानों की सूची

उप-मंडलीय मुख्यालय	
1.	मऊगंज
2.	सिरमोर
तहसील मुख्यालय	
1.	मिहोना
2.	दभौरा
3.	लोरमी
4.	पालमगढ़
5.	पंडारिया
6.	शाहनगर
7.	भिलाईगढ़
8.	गढ़
9.	हनुमानगंज
10.	भरतपुर
11.	लूंडरा
12.	वदराफ नगर

[अनुवाद]

ढुलाई क्षमता

3299. **श्री विजय हांडिक** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने भारत में पंजीकृत 30 तथा उससे अधिक यात्री ढ़ोने की क्षमता वाले सभी यात्री विमानों को ग्राउन्ड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी और गैर-सरकारी विमानों की सुरक्षा संबंधी जांच की जाती है, और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) नागर विमानन निदेशालय ने सभी टरबाईन इंजन वाले विमानों पर जिनका अधिकतम प्रमाणीकृत उड़ान भार 5700 कि० ग्रा० से अधिक हो अथवा ऐसे विमानों पर जो 9 यात्रियों से अधिक के वहन के लिए प्राधिकृत है, 31 दिसम्बर, 1998 तक ग्राउंड प्रोक्सिमिटर वार्निंग सिस्टम स्थापित करा लेने के संबंध में नागर विमानन अपेक्षा जारी की है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त श्रेणी में 1 अप्रैल, 1997 के बाद भारत में आयात किए जाने वाले सभी विमानों में ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम लगा होना आवश्यक है।

(ख) और (ग) चूंकि ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम 31 दिसम्बर, 1998 तक स्थापित होना आवश्यक है इसलिए इस समय ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम को फिट करने के प्रयोजन के लिए सुरक्षा आडिट को आवश्यक नहीं समझा गया। तथापि, प्रचालकों और अनुरक्षण संस्थानों की सुरक्षा आडिट उनके प्रचालनात्मक, इंजीनियरिंग और अन्य विमान-उन्मुख प्रबंध क्रियाकलापों में की जाती है। सुरक्षा आडिट रिपोर्टों में उल्लिखित कमियां आवश्यक उपचारात्मक आन्तरिक उपायों के लिए प्रचालकों के ध्यान में लायी जाती है।

कमीशंड कार्यक्रमों के अंतर्गत फिल्में/धारावाहिक

3300. **श्रीमती केतकी देवी सिंह** :
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमीशंड कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1996 के दौरान सरकार को कौन-कौन सी टेलीफिल्में/धारावाहिक/वृत्तचित्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) श्रेणीवार अब तक कितने कार्यक्रम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में संबद्ध निर्माताओं को पत्र जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें कब तक स्वीकृत प्रदान की जाएगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) कमीशंड स्कीम के अन्तर्गत 1996 के दौरान प्राप्त टेलीफिल्मों/धारावाहिकों/वृत्तचित्रों के नाम को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्नन हैं–

(ख) निम्नलिखित कार्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं :–

टेलीफिल्म	:	1
धारावाहिक		15
वृत्तचित्र	:	7

(ग) जी, हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

टेलीफिल्म :

1.	मज़ा
2.	अनारो का दुखड़ा
3.	एक जंग की कहानी
4.	मुंह बोले रिश्ते
5.	रेवा
6.	देवदासी
7.	परिणति
8.	अधिकार
9.	परिवर्तन
10.	मजबूरी
11.	दीपिका
12.	सवेरा
13.	मैं भी औरत हूँ
14.	नई दिशा
15.	आशा
16.	सवेरा
17.	अंदाज़
18.	हेलन केल्लर
19.	सोने की चमक
20.	ओ बाला कथा
21.	एहसास
22.	प्रायश्चित
23.	आसरा
24.	पतवार
25.	नई जिंदगी
26.	अधूरा मिलन
27.	अभिलाषा
28.	अधिकार
29.	शारत
30.	आनन
31.	भारती
32.	आशा
33.	अधूरे सपने
34.	पारो का इंसाफ
35.	भांझ गयी
36.	एक सवाल
37.	घर
38.	अहिंसा के आंगन में
39.	रिश्ने नाते
40.	बिश्वास
41.	प्रोग्राम ऑन होली
42.	अपना लहू
43.	सा-वेराहेय
44.	अपना अपना सच
45.	दि एटर्नल लाइट
46.	कुर्बानी
47.	हेवनली होप
48.	पीड़ा का अनुरोध
49.	बिरादरी
50.	प्रोग ऑन विशु
51.	ममता
52.	आखरी पर्दा
53.	समाज मंथन
54.	चक्रव्यूह
55.	स्वीट होम

56.	पड़ाव से पड़ाव तक
57.	कांवर पाथोपल
58.	वापसी इंसानियत की
59.	ऐसा क्यों
60.	रामा
61.	रूपान्तर
62.	कौशल्या
63.	दो चांद
64.	रात गुज़र गयी
65.	अस्तित्व
66.	हेम पुष्पा
67.	फैसला
68.	घरघुसरा
69.	मानवता
70.	बुला
71.	मासी बुग्गाला पासी मोग्गालु
72.	औरत हो तो ऐसी
73.	मेरा भारत महान
74.	बाघ
75.	कस्तूरी
76.	सौदा
77.	बन्धन
78.	संगीता
79.	कठफुला
80.	चैलेंज
81.	कतरन
82.	प्यार के रिश्ते
83.	सत्य का मार्ग
84.	टूटे रिश्ते
85.	क्षितिज के उस पार
86.	इंसानियत
87.	सजा दर्द
88.	एक नया इंकलाब
89.	समाधान
90.	खौफ
91.	स्वौख
92.	अने ते अक्स
93.	दहशत
94.	हमारा कश्मीर
95.	अधूरे सपने
96.	मनुसिया दीप नहीं
97.	सुहागिनी
98.	रोटी
99.	सुनहरे लोग
100.	पुनियावथी वेंकम्बा
101.	नासूर
102.	तिरस्कार
103.	बसंतिया
104.	अधूरी तस्वीर
105.	प्राण प्रतिष्ठा
106.	फिर नई सुबह
107	मझधार
108.	प्रेम की पुकार
109.	दि टू रिंग्स ऑफ एट
110.	अलग्यो झा
111.	प्रोग ऑन ओणम
112.	एहसास
113.	बेनिशा
114.	उखड़े खम्बे
115.	भारत गेस्ट हाउस
116.	पश्चाताप
117.	वकील साहब

118.	पटवारी
119.	मन की आँखे
120.	बावजूद
121.	टेसू के फूल
122.	छंदा कबाड़ी
123.	प्रेम
124.	ओणम
125.	भिखारी सेठ
126.	माटी पुत्र
127.	मकसद
128.	फेथ
129.	टूटा पत्ता
130.	बंधे हाथ
131.	आरती
132.	न जलाओ आशियाना
133.	स्नेक
134.	मुझे जवाब चाहिए
135.	वापसी
136.	खामोश रिश्ते
137.	शक
138.	अनकहा दर्द
139.	वो कौन थी
140.	सलाम-ए-कश्मीर
141.	पुनर्जन्म
142.	हमने खुद ही क्या
143.	सितम
144.	वाह एक प्याला
145.	एहसास
146.	आजादी एंड प्रतीक
147.	साहिल
148.	खुदा की कुदरत

टी. वी. सीरियल

1.	कवच
2.	तमाशा
3.	टोट-टोक
4.	किस्से एक हजार
5.	पंचतंत्र
6.	चिल्ड्रन अनशेकल्ड
7.	दि ईगल्स
8.	चेतना
9.	सलाखों के पीछे
10.	लैटर्स फ्राम फादर टु हिज डॉटर
11.	खोया बचपन
12.	डूबी डूबी डब डब
13.	वंडर बॉय
14.	फीस्ट ऑफ स्टोरीज़
15.	घर गृहस्थी
16.	कन्या कथा
17.	संगिनी सहेली
18.	सफर अपना अपना
19.	डाटर्स ऑफ दिस कण्ट्री
20.	वूमैन ऑफ नार्थ ईस्ट
21.	बैटर हाल्व्स
22.	प्रायश्चित
23.	चैलेंज
24.	सहेली
25.	वूमैन ऑफ इण्डिया
26.	प्रेरणा
27.	ग्रोरियस सनसेट्स
28.	राजहंस
29.	तरंगलु

30.	जीने भी दो यारों
31.	आइये प्रदूषण से बचें
32.	मंज़िल दूर नहीं
33.	बुनियाद के अक्षर
34.	मुट्ठी भर छांव
35.	अभिमान
36.	ये सच है
37.	मिसिंग याम
38.	आज़ादी की ओर
39.	भिखमंगा
40.	कल्लाजोची
41.	नया दौर
42.	ताबीर
43.	कभी जुदा न होंगे
44.	पोशुन्ल की वापसी
45.	बर्फ की आग
46.	वो सुबह फिर आएगी
47.	गुलाबो
48.	दामन
49.	अंजाम
50.	वारिस
51.	ढलते साये
52.	अमर चिनार
53.	संगीत
54.	अमिता
55.	नई सुबह
56.	क्विज ऑन कश्मीर
57.	शबनम
58.	रिश्तों की पहचान
59.	किंग बादशाह एंड चिनारू के आंसू
60.	दि स्नो शैल मेल्ट
61.	चेदिया घर
62.	लाल डेड ऑफ कश्मीर
63.	मरघट की आत्मा
64.	बीरबल धार और दुड्डोस गोजारी
65.	शान्ति के दूत
66.	कश्मीर ऑन दि मार्च
67.	आशियाना
68.	करवट
69.	बिपिनैर संसार
70.	मानव धरम
71.	श्री कृष्णदवे रायुलो
72.	जाफरान की खुशबू
73.	गंगा लहेरी
74.	सज़ा
75.	कुदरत का तोहफा
76.	दस दरवाले
77.	रेशेई श्राइंस इन कश्मीर
78.	बहारें फिर भी आयेंगी
79.	लीजेंड्स ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर
80.	प्रेरणा
81.	छोटो
82.	कोशिश
83.	शांति की ओर
84.	आधी हकीकत आधा अफसाना
85.	ये कुदथ सज़ा
86.	राम रहीम के बन्दे
87.	वरदान

88.	जन्नत
89.	ये गुलिस्तां हमारा
90.	असि बोर विजी विजी लाल हयात्स
91.	अपनों से दूर अपनों के पास
92.	सुनो सौदामिनी
93.	सज़ा
94.	लाला रुख
95.	गुलमोहर
96.	अनहोनी
97.	जद्दो जहद
98.	वैखिथिकुल्लो
99.	रोल आफ आर्मड फोर्सेज
100.	अपने अजनबी
101.	सहमे सहमे लोग
102.	जाहिल
103.	येली फूलन शौषण
104.	परशुराम
105.	खराबी मेरे कशाने की
106.	बेनाम रिश्ते
107.	परिवार
108.	जन्नत
109.	हमारा वतन
110.	कच्ची सड़क
111.	नौशीन
112.	बस्ती ये चिनारों की
113.	मुट्ठी में आसमां
114.	अब न बनेगी देहरी
115.	हिफाजत
116.	कश्मीर हमारी जन्नत है
117.	केसर
118.	बदमाश
119.	शेरवानी
120.	पिंजर
121.	स्वर एक रंग अनेक
122.	दूर बहुत दूर
123.	शार सुभा
124.	शहर में कर्फ्यू
125.	बिन पंख के पंछी
126.	वापसी
127.	कश्मीर नामा
128.	ये इश्क नहीं आसान
129.	कश्मीर द ट्रेजिक डायमेन्सन्स
130.	तलाश
131.	गुलाब
132.	कश्मीरी हसीना
133.	आक्रोश
134.	परवरिश
135.	ओ बाला कथा
136.	सिसकती वादियां
137.	सदा-ए-नगोजा
138.	सरहद पार
139.	वादी-ए-खुशबू
140.	हार्मनी इन द नॉर्थन रीजन
141.	आतिश
142.	वादियां प्यार की
143.	अमन
144.	जज्बात
145.	गुलरेज
146.	सास बहू की कहानियां
147.	स्वीकार
148.	सरहद के उस पार

149.	शबनम
150.	शिरफिरे
151.	त्यागराज
152.	तरघवा
153.	हकीकत
154.	पोशमाल
155.	सोहिटा
156.	अपना अपना सुख
157.	मुकाम
158.	ताले खुले
159.	अंगीका कबिता तुझे पुकारे
160.	गेस्ट हाउस
161.	कश्मीर-ए-लव स्टोरी
162.	जिम कार्बेट
163.	त्रिवेणी
164.	रोशनी
165.	मेरे बाद
166.	शेषरंग
167.	खुदसर
168.	फेयर इलेक्शन-मार्च टु डेमोक्रेसी
169.	कुर्बानी
170.	कबेला
171.	इलेक्शन्स-प्रोपेगेन्डा एण्ड रियलिटी
172.	मसवाल बारे काबू
173.	मुकद्दर
174.	असरफी
175.	खांजड़े
176.	चोकन बुसगर
177.	हिन्दुस्तान का चांद
178.	गुलिस्तां
179.	जवाबी कार्ड
180.	पाकिस्तान अक्यूपाइट-कश्मीर एण्ड रियलिटी
181.	मर्डर मोस्ट फाउल
182.	महानुभाव
183.	होते अगर स्याणे ये दोनों दीवाने
184.	सत्य मेव जयते
185.	दिल के आँसू
186.	प्रतीक
187.	अंगार
188.	बिखरे मोती
189.	मेरे अपने
190.	कोइल ऑफ कोबरा
191.	कपाल कुण्डल
192.	मुक्ति
193.	रवीला गोपाला
194.	महामंत्रणा
195.	जननी शारदा
196.	शान्ति निकेतन
197.	राज तरंग
198.	चन्द्रशेखर
199.	अग्निपथ
200.	मैं अकेली
201.	संघर्ष
202.	बैकुण्ठ यात्रा
203.	हैल्थ लाइन
204.	मुट्ठी भर आकाश
205.	असास
206.	आ लौट चलें
207.	बदलाव

208.	घरम का
209.	दर्द आसना
210.	सच-मुच
211.	डगर
212.	आस
213.	तलछठ
214.	बेहोशी लाल
215.	प्रताप रूद्ध
216.	रंग-बिरंगे
217.	बंगले वाली
218.	नालो नेनू
219.	अथागरी कथालू
220.	ये संसार है
221.	भागवत गीता
222.	चमचा गुरू
223.	स्वीकार
224.	पुथ्या सरियराम
225.	अपना हाथ जगन्नाथ
226.	लकीर के फकीर
227.	नन्हें परिश्ते
228.	आंधियां
229.	सुखता हुआ तालाब
230.	मन चंगा तो कंटौती में गंगा
231.	बढ़ते कदम
232.	संघर्ष/घायल
233.	चोरी-चोरा चुपके-चुपके
234.	बेताल प्रसत्रा
235.	खोरा छत्र गया
236.	पतझड़ के फूल
237.	तपंन पदमावत्
238.	चिल्गंन
239.	कर्मफन
240.	शिक्षा
241.	मकसद
242.	बलिदान
243.	लाल रूख
244.	समय-ए मौहब्बत
245.	श्रीमती का
246.	फाक प्रकोरमिंग आर्टस
247.	गोपी चन्द की अमर कहानियां
248.	ये कैसा संबंध
249.	बंजारा
250.	इन्द्रजाल
251.	जैसा त्रिसनी
252.	सेवरा
253.	ऐसा भी होता है
254.	ललन मल्लन
255.	दूरदमया
256.	ललन मल्लन
257.	चक्र श्रीमती का
258.	अन्दाज मेरा मस्ताना सा
259.	जागृति
260.	आकाश दर्पण
261.	शिखर
262.	जहाँ कोई ना हो
263.	साधना
264.	गोपी चन्द की अमर कहानियां
265.	ये कैसा संबंध
266.	आशा तृष्णा
267.	संघर्ष
268.	फोल्क प्रफोरमिंग आर्टस
269.	इन्द्रजाल

270.	बंजारा
271.	सवेरा
272.	मिडनाईट
273.	आप क्या करते
274.	बहु बेगम
275.	अपना माल पराया
276.	राजहंस
277.	अभिनेत्री
278.	गर्दिश
279.	सोर्थी बृजबार (फेटेंसी)
280.	मेरा कहा मान लीजिए
281.	फरारी
282.	आंट
283.	रंगभूमि
284.	देवी चौधरानी
285.	कहां कहां से गुजर गये
286.	जाहिल
287.	निश्चय
288.	नेटवर्क न्यूज
289.	ढाई अक्षर प्रेम के
290.	संघान
291.	अभिनाथी
292.	जातक कथा
293.	वहशत
294.	इन्द्रजाल
295.	बाला गोरिया
296.	हकीकत
297.	बाग को बहार
298.	लाल सलीब
299.	एक कहावत एक कहानी
300.	शिकस्त

वृत्तचित्र :

1.	महिला सप्रख्या
2.	साईलेंट पाइजन
3.	वात्सल्या की छांव में
4.	प्रीटिंग
5.	डाकुमेंटरी आन पॉपुलेशन
6.	इको इंडिया
7.	सामरितिका प्रायपुडर
8.	द स्पेस विथिन
9.	डाकुमेंटरी आन श्री पी० वी० नरसिंह राव
10.	गांधी एण्ड लेबर मूवमेंट
11.	कला दर्पण
12.	ट्राइबल वूमेन
13.	क्वीकीज मूवमेंट
14.	जंगल में मोर नाचा
15.	लिटरेसी ट्रेजर ऑफ इंडिया
16.	मीराबाई
17.	द अल्फाबीट एन्ड सक्शप
18.	वेस्टर्न उड़ीसा
19.	डाकुमेंटरी ऑन प्राईम मिनीस्टर
20.	राजीव गांधी
21.	सीरिज ऑफ सोशियल फीविल्स
22.	चंद्रशेखर आज़ाद
23.	महाराजा रणजीत सिंह
24.	ट्राइबल आफ नार्थ ईस्ट
25.	सिटीजन
26.	पूर्वांचल
27.	राजा साहिब
28.	फेस्टीवल आफ नागाज

29. रामनुजाचार्य
30. बियोंड मंकिज
31. फिल्म असमिज
32. ज्वालामुखी
33. देवरिया
34. इंडियन हैन्डीक्राफ्ट
35. इ्रम बीटिज आफ कामरूप
36. होते अगर सयाणें यह दोनों दीवाने
37. श्रीभावन से अस्तित्व बोध
38. अर्जुन
39. मुस्लिम माप्पारी आर्ट इन केरला
40. कर्तव्य
41. हमिन जंगल बिरादई
42. निरक्षर
43. राग भारत
44. स्कॉलर पी० एम०
45. फ्रीडम स्ट्रगल
46. पालकी
47. मित्रुष्य इनाश्युश
48. नार्थ ईस्ट इंडिया
49. नार्थ ईस्ट
50. जादुगर
51. संगीत के जादुगर
52. कलर ऑफ रैनबो
53. कल्चर आफ लक्षद्वीप
54. रंग भारती
55. बदलता भारत
56. कल्चर हेरटिग आफ इंडिया
57. कारतूस
58. कंजूमर अवानित
59. ग्लोरी आफ इंडियन सफरी
60. पंजाबी रंगमंडल में दिल्ली का योगदान
61. व्हाईट बर्ड
62. सोशियल-पॉलिटिक टरमोईल आफ ट्रिबल्स
XX
XX
63. सिलेक्ट टूरिस्ट रेसार्ट
64. गांधीयन इन्स्टिटूशन एण्ड गांधी जी क्लोज एसोशिएट्स
65. सुरभी सेवन सिस्टर
66. डाकुमेंटरी सीरिज इन मलयालम-यूनाईटिड
67. वेयर टू गो
68. हरदोई
69. भिमा भूत
70. डाकुमेंटरी आन नार्थ ईस्ट
71. रथ्याथिल पोथथमलर
72. वेटिंग फार ए बाइट
73. एबोड आफ द क्लाउड्स
74. क्रिएशन आफ इंडियन कान्स्टीटूशन
75. डाकुमेंटरी आन आनन्द
76. अर्थनडाली
77. डिजास्टर टू होप ट्रिबल आर्टफेचर एन्ड कल्चर
78. नेश्नल फिल्म आर्किव आफ इंडिया
79. ए ड्रे आफ लाइफ आफ ऑस्टखी मॉड
80. इंटरनेशनल मोनूमेन्टस
81. टूरिजम इन सिक्किम

82. द रिटन वर्ड
83. पदा प्रदीप
84. इंडिज ऑन द मार्च
85. नमस्कार कलाकार
86. कवरेज आफ 1000 ईयर सेलिब्रेशन आर्ट टूबो मोनास्तव
87. पंच केदार
88. ड्रेसिंग टू किल
89. टिटेट टूडे
90. दि डिसएपिरिंग कल्चर सोशल
91. ख्वाजा हजरत बन्दा नवाज
92. टोपिक आफ एडवांसड आफ टेक्नोलिज
93. ओडिसा चन्द्रिका
94. दि टी इंडस्ट्री आफ असम
95. महायोगी प्रव्यानंद
96. माउटेंन रिसोर्ट
97. फिल्म आन अमरनाथ यात्रा
98. महा मनीष
99. हैरिटेज द दैट लिव्स ऑन
100. सोलेस आफ इवस
101. इंडियन एग्रो एक्सपोर्ट
102. युगप्रवर्तक
103. मिसिंग यामेंग
104. अनन्त यात्रा
105. पूरन भगत
106. शामे मोहब्बत
107. प्राइम मिनिस्टर (एच० डी० देवे गौडा)
108. विशू कथा
109. वो कौन है
110. नी (मिजोरम एंड मणिपुर)
111. डाक आन असम
112. प्रोग आन नार्थ ईस्ट
113. एशिया डिफेन्स
114. सीरिज आन डिफरेंट सब्जेक्टस
115. सेवन नार्थ ईस्टर्न स्टेटस्
116. महात्मा
117. साइकलोन एंड फ्लड
118. सीरिज आन सोशियल रिलिवेंट सब्जेक्टस्
119. पावर सीनिरियो इन इंडिया
120. कल्चरल हेरिटैज एंड एनवायरमेंट
121. रामानुजम
122. ट्राइबल फेअर्स एंड फेस्टिवल्स
123. थिरिलंकी वेतु
124. लाइफ बीगिन आफटर 50
125. इंडिया
126. कुण्डलपुर
127. ओंनम फेस्टिवल
128. दि इंडियन
129. पदमानाभव
130. सीरिज आन डिफरेंट इश्यूज
131. दि नाग
132. कंज्यूमर आवरनेस
133. नार्थ ईस्टर्न स्टेटस
134. मार्टयर्स आफ असम
135. गुरू हरीकिशन साहिब जी
136. मीनार रोसी के
137. पांच केदार
138. इको इंडिया
139. डा० बी० आर० अम्बेडकर
140. ओणम
141. तेलुगु गंगा

142.	चिरपेसमराने
143.	फिल्म मेकिंग इज एन आर्ट
144.	ट्रांसपोर्ट इन सोगलिओ इन दिल्ली
145.	सोशल सेक्योरिटी इन इंडिया
146.	अरूणा आसफ अली
147.	दा रिवरे ऑफ दी गोड्स
148.	इन्स्टीट्यूट आफ हाई तिब्बत स्टडीज
149.	कोन्डा सूरिदु
150.	चित्रकला दर्पण
151.	एन्वायर्नमेंट एण्ड एक्वाकल्चरहैरिटेज
152.	अर्थक्वेक
153.	श्री चैतन्य महाप्रभु
154.	लैसर नोन प्लेसेज ऑफ टूरिस्ट इन्ट्रैस्ट
155.	इन्द्रापुरी से नई दिल्ली तक
156.	मेरा जीवना मीर मुशारिक हुसैन
157.	चिताई असमीना
158.	दी वन्डर वर्ल्ड ऑफ मुश्रूम्स
159.	काक्रिया श्रवण मेला ऑफ वैद्यनाथ धाम
160.	बुन्देलखण्ड तारीख के आइने में
161.	लेह एण्ड लद्दाख
162.	सैन्ट्रली स्पान्सड स्कीम इन जम्मू एण्ड कश्मीर
163.	कश्मीर
164.	श्रीनगर एण्ड टूरिस्ट प्लेस ऑफ जे एण्ड के
165.	चेंज ऑफ वैलेस इन काश्मीर
166.	काश्मीर मुस्लिम माइग्रैन्ट एण्ड देअर वैलफेयर
167.	काश्मीर एट दा युनाइटेड नेशन्स
168.	अमन
169.	मिट्टी की खुश्बू
170.	ऑन यतीन ट्रेस्ट
171.	काश्मीर गुलाहा
172.	ऑन जे एण्ड के स्टेट
173.	कल आज और कल
174.	काश्मीर फाइट फॉर दा बैलेट
175.	पीस रिटर्निंग इन दा पैराडाइज
	XX
176.	लौट के आना
177.	अल्वेर ट्री फॉरमिंग इन नागालैंड
178.	ट्रेडिसनल क्लासिक एण्ड फॉल्क म्यूजिक
179.	कश्मीर ए यैलो लैंस

[हिन्दी]

राजसहायता दर पर उपभोक्ता वस्तुएं

3301. **श्री शिवराज सिंह :**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुछ राज्यों में राज सहायता-दर पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए जनजातीय क्षेत्रों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों को दी जाने वाली प्रस्तावित राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा 1.1.92 को घोषित संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए विवरण पर दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों की पहचान की है।

(ग) केन्द्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 52/- रुपए प्रति क्विंटल कम की राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करती है और राज्यों को उसे परिवार कार्डधारकों को केंद्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति कि०ग्रा० 0-25 रु. कम पर जारी करने के निर्देश देती है।

विवरण

संयुक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रमों के तहत पहचाने गए राज्यवार ब्लाकों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	51
2.	अरूणाचल प्रदेश	48
3.	असम	69
4.	बिहार	112
5.	गोआ	—
6.	गुजरात	50
7.	हरियाणा	—
8.	हिमाचल प्रदेश	7
9.	जम्मू व कश्मीर	—
10.	कर्नाटक	23
11.	केरल	21
12.	मध्य प्रदेश	220
13.	महाराष्ट्र	68
14.	मणिपुर	22
15.	मेघालय	30
16.	मिजोरम	20
17.	नागालैण्ड	28
18.	उड़ीसा	118
19.	पंजाब	—
20.	राजस्थान	23
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	9
23.	त्रिपुरा	18
24.	उत्तर प्रदेश	4
25.	पश्चिम बंगाल	9
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
27.	चंडीगढ़	—
28.	दादरा व नगर हवेली	1
29.	दमण व द्वीप	1
30.	दिल्ली	—
31.	लक्षद्वीप	5
	कुल	1073

सिक्किम में जिलों को ब्लाक के समकक्ष माना गया, जो आर्थिक रूप से समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम में आते हैं।

[अनुवाद]

सैल्यूलर टेलीफोन सेवा पर कंसोरटियम

3302. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 सैल्यूलर टेलीफोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को मिलाकर एक कंसोरटियम की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके द्वारा कितना निवेश किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां तो क्या वे सम्पूर्ण भारत में यह सुविधा प्रदान करेंगी अथवा मात्र चार महानगरों तक ही सीमित रहेंगी;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) सेल्यूलर लाइसेंस धारकों ने सरकार से किसी भी कंसोर्टियम की स्थापना करने के लिए अनुमति नहीं ली है। तथापि, समाचार पत्रों में रिपोर्टें छपी हैं जिनके बारे में चार महानगरों में सेवा प्रदान कर रहे आपरेटरों से ब्यौरे मांगे गए हैं।

"वक्फ" सम्पत्ति का विकास

3303. **श्री के० एस० रघुपति** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वक्फ बोर्ड से राज्यों में वक्फ सम्पत्तियों के विकास के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) ऐसी अनुदान सहायता राशि की अधिकतम सीमा क्या होती है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के लिए ऐसे सहायता अनुदानों को प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) (क) केन्द्रीय वक्फ परिषद (न कि केन्द्रीय वक्फ बोर्ड नहीं) वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थाओं को ऋण सहायता (न कि सहायता अनुदान) देती है जिससे वे राज्यों में शहरी वक्फ सम्पत्तियों का विकास कर सकें। शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास की गैर योजना स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय वक्फ परिषद को दिए गए वार्षिक सहायता अनुदान में से केन्द्रीय वक्फ परिषद द्वारा ऋण सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) ऋण सहयता की ऐसी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। तथापि, परिषद द्वारा जमीन के मूल्य को छोड़कर ऋण की राशि परियोजना की अनुमानित लागत के 75% तक सीमित है और जो किसी एक वर्ष में प्रत्येक मामले में अधिकतम 10 लाख रुपए होगी। विशेष परिस्थितियों में, परियोजना की अनुमानित लागत के 75% से भी अधिक ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि संबंधित वक्फ बोर्डों से प्राप्त होते हैं जिसे वे वक्फ संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। तथापि, परिषद को प्रस्ताव भेजने से पूर्व राज्य वक्फ बोर्ड केन्द्रीय वक्फ परिषद से ऋण लेने के लिए ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में संबंधित राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

देश में दूरसंचार केन्द्र

3304. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में जिलेवार, राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार कितने दूरसंचार केंद्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान देश में कुछ और दूरसंचार केंद्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है और यह कब तक स्थापित किए जाएंगे;

(घ) क्या सरकार ने इन केंद्रों के चौबीस घंटे कार्य करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सूचना विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं, 1996-97 और 1997-98 के दौरान देश में और अधिक दूरसंचार केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दूरसंचार केन्द्र छोटे कस्बों में स्थापित किये जाते हैं और वे सीमित घंटों तक काम करते हैं।

विवरण

देश में दूरसंचार केंद्रों की संख्या का ब्यौरा-राज्य/संघ शासित राज्य/जिलावार–

क्र० सं०	राज्य/संघ-शासित राज्य का नाम	जिले का नाम	दूरसंचार केंद्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	**आंध्र प्रदेश**		
	1.	आदिलाबाद	5
	2.	अनंतपुर	10
	3.	चित्तूर	9
	4.	कुडापाह	9
	5.	पू० गोदावरी	23
	6.	गुंटूर	10
	7.	हैदराबाद	6
	8.	रंगारेड्डि	3
	9.	करीमनगर	9
	10.	खम्माम	6
	11.	कृष्णा	10
	12.	कुरनुल	16
	13.	महबूब नगर	8
	14.	मेडक	7
	15.	नालगोंडा	5
	16.	नेल्लूर	8
	17.	निजामाबाद	3
	18.	प्रकाशम	3
	19.	श्रीकाकुलम	11
	20.	विशाखापट्टनम	12
	21.	विजयनगरम्	5
	22.	वारंगल	7
	23.	प० गोदावरी	6
		जोड़ :	191

1	2	3	4
2.	असम		
	1.	डिब्रूगढ़	1
	2.	कामरूप	7
	3.	करीमगंज	1
	4.	धुबरी	1
	5.	हैलाकंडी	शून्य
	6.	कारबी अंगलोंग	शून्य
	7.	शिवसागर	शून्य
	8.	उत्तरी लखीमपुर	शून्य
	9.	शोणितपुर	शून्य
	10.	बारपेटा	शून्य
	11.	कोकराझार	शून्य
	12.	मोरीगांव	शून्य
	13.	तिनसुकिया	1
	14.	कछार	1
	15.	नालाबाड़ी	1
	16.	बोगाईगांव	1
	17.	एन० सी० हिल	शून्य
	18.	गोलाघाट	शून्य
	19.	जोरहाट	शून्य
	20.	धेमाजी	शून्य
	21.	दारांग	शून्य
	22.	ग्वालपाड़ा	शून्य
	23.	नौगांव	शून्य
		जोड़ :	14

1	2	3	4
3.	बिहार		
	1.	जमशेदपुर	3
	2.	रांची	4
	3.	धनबाद	3
	4.	बोकारी	2
	5.	गया	1
	6.	भोजपुर	1
	7.	कयूमपुर	1
	8.	नालंदा	3
	9.	भागलपुर	1
	10.	लखीसराय	1
	11.	शेखपुरा	1
	12.	बेगूसराय	3
	13.	दुमका	1
	14.	पूर्णिया	3
	15.	सहरसा	2
	16.	समस्तीपुर	1
	17.	कटिहार	2
	18.	दरभंगा	1
	19.	मुज्जफ्फरपुर	3
	20.	वैशाली	1
	21.	सारण	4
	22.	पटना	6
	23.	सिवान	2
		जोड़ :	50
4.	पंजाब		
	1.	भटिंडा	1
	2.	फिरोजपुर	2
	3.	होशियारपुर	2
	4.	लुधियाना	3

1	2	3	4
	5.	नवांशहर	1
	6.	पटियाला	1
	7.	रोपड़	1
	8.	संगरूर	3
		जोड़ :	14
		चंडीगढ़ (संघ शासित राज्य)	4
		कुल जोड़ :	18
5.	हिमाचल प्रदेश		
	1.	कांगड़ा	3
	2.	हमीरपुर	1
	3.	कुल्लू	1
	4.	सोलन	2
	5.	सिरमौर	1
		जोड़	8
6.	गुजरात		
	1.	अहमदाबाद	3
	2.	खेड़ा	3
	3.	पंचमहल	1
	4.	वलसाड	1
	5.	भड़ूंच	3
		जोड़ :	11
7.	कर्नाटक		
	1.	बंगलूर	2
	2.	बेलगांव	8
	3.	धारवाड़	7
	4.	मैसूर	1
	5.	दक्षिण कन्नड़	1
	6.	रायचूर	1
	7.	गुलबर्गी	1
	8.	बेल्लारी	1
		जोड़	22

1	2	3	4
8.	केरल		
	1.	अलपुझा	5
	2.	एर्नाकुलम	16
	3.	इडुक्की	1
	4.	कन्नूर	3
	5.	कासरगोड	1
	6.	कोल्लम	11
	7.	कोट्टयम	8
	8.	कोझिकोड़	5
	9.	मालापुरम	3
	10.	पालक्कड़	5
	11.	पतनमथित्ता	9
	12.	तिरूवनंतपुरम	15
	13.	तिरीसूर	5
	14.	वायनाड	1
	15.	लक्षद्वीप (सं. शा. रा.)	5
		जोड़ :	93
9.	हरियाणा	हरियाणा में कोई दूरसंचार केन्द्र नहीं है।	
10.	महाराष्ट्र		
	1.	अकोला	01
	2.	अहमदनगर	03
	3.	अमरावती	01
	4.	मुंबई	08
	5.	नागपुर	10
	6.	उसमानाबाद	01
	7.	पुणे	03
	8.	रायगढ़	02
	9.	शोलापुर	02
	10.	थाणे	02
		योग :	33

1	2	3	4
11.	उड़ीसा		
	1.	बलसाड़	01
	2.	भद्रक	01
	3.	बोलनगीर	02
	4.	बेरहामपुर (जीएम)	02
	5.	कटक	02
	6.	धेनकनाल	01
	7.	कलाहांडी	01
	8.	क्योंझर	01
	9.	कोरापुट	04
	10.	मयूरभंज	02
	11.	पुरी	03
	12.	रायगढ़	02
	13.	झारसुगुदा	01
	14.	सम्बलपुर	01
	15.	सुन्दरगढ़	03
		योग :	27
12.	दिल्ली		
	1.	दिल्ली	23
13.	जम्मु कश्मीर		
	1.	श्रीनगर	4
14.	अरूणाचल प्रदेश		
	1.	इटानगर	2
15.	मेघालय		
	1.	शिलांग	2
16.	मिजोरम		
	1.	अजावल	1
17.	त्रिपुरा		
	1.	अगरतला	3
18.	मणिपुर		
	1.	इम्फाल	2

1	2	3	4
19.	नागालैंड		
	1.	कोहिमा	4
20.	गोवा		
		गोवा में कोई दूरसंचार केन्द्र नहीं है।	
21.	मध्य प्रदेश		
		पालाघाट	—
		बस्तर	—
		बेतुल	2
		भिंड	2
		भोपाल	14
		बिलासपुर	2
		छत्तरपुर	1
		छिंदवाड़ा	1
		धार	4
		देवास	5
		दमोह	1
		दुर्ग	5
		दतिया	—
		गुना	—
		ग्वालियर	4
		होशंगाबाद	6
		इंदौर	5
		जबलपुर	11
		झबुआ	2
		खांडवा	3
		खारगांव	7
		मांडला	—
		मंदसौर	5
		मुरैना	1
		नरसिंहपुर	—

1	2	3	4
		पन्ना	—
		रायगढ़	—
		रायपुर	4
		रायसेन	1
		राजगढ़	2
		राजनंदगांव	1
		रतलाम	2
		रिवां	1
		सागर	3
		सरगुजा	—
		सतना	1
		सेहोर	—
		सिवनी	—
		शहदील	
		शाजापुर	1
		शिवपुरी	—
		शिधी	—
		टीकमगढ़	—
		उज्जैन	8
		विदिशा	2
		योग :	107
22.	राजस्थान		
		अजमेर	6
		अलवर	2
		बांसवाड़ा	—
		बाड़मेर	—
		भरतपुर	1
		भीलवाड़ा	2
		बीकानेर	2
		बुंदी	—
		चित्तौड़गढ़	—
		चुरू	—
		धौलपुर	1
		डुंगरपुर	—
		श्रीगंगानगर	1
		हनुमानगढ़	1
		जयपुर	1
		दौसा	8
		जयसलमेर	—
		जालोर	—
		झालावाड़	1
		झुन्झुनु	1
		जोधपुर	3
		कोटा	3
		बरां	3
		नागौर	—
		पाली	—
		सवाईमाधोपुर	2
		सीकर	3
		सिरोही	1
		टोंक	1
		उदयपुर	1
		राजसमंद	2
		योग :	46
23.	उत्तर प्रदेश		
	1.	इलाहाबाद	15
	2.	आज़मगढ़	4
	3.	बलिया	3
	4.	बस्ती	2

1	2	3	4
	5.	बांदा	2
	6.	बहराइच	—
	7.	बाराबंकी	4
	8.	देवरिया	2
	9.	इटावा	5
	10.	फैजाबाद	8
	11.	फरूखाबाद	3
	12.	फतेहपुर	2
	13.	गोरखपुर	8
	14.	गोंडा	4
	15.	गाजीपुर	2
	16.	हरदोई	—
	17.	हमीरपुर	—
	18.	जौनपुर	2
	19.	झांसी	6
	20.	जालौन	1
	21.	कानपुर एवं	
	22.	कानपुर देहात	5
	23.	लखनऊ	11
	24.	लखीमपुर खीरी	—
	25.	ललितपुर	—
	26.	मैनपुरी	1
	27.	मऊ	2
	28.	मिर्जापुर	2
	29.	महाराजगंज	—
	30.	प्रतापगढ़	5
	31.	रायबरेली	2
	32.	सुलतानपुर	7
	33.	सीतापुर	2
	34.	सिद्धार्थनगर	—
	35.	शाहजहांपुर	1
	36.	सोनभद्र	2
	37.	उन्नाव	2
	38.	पडरोना	—
	39.	वाराणसी	5
	40.	भदोही	—
	41.	महोवा	1
	42.	अंबेडकर नगर	1
	43.	आगरा	16
	44.	फिरोजाबाद	2
	45.	गाजियाबाद	10
	46.	बुलंदशहर	—
	47.	देहरादून	7
	48.	बरेली	11
	49.	सहारनपुर	5
	50.	हरिद्वार	1
	51.	मुज्जफरनगर	4
	52.	मेरठ	5
	53.	नैनीताल	5
	54.	उधमसिंहनगर	2
	55.	अलीगढ़	4
	56.	मुरादाबाद	5

1	2	3	4
	57.	अल्मोड़ा	2
	58.	पिथोरागढ़	—
	59.	उत्तरकाशी	1
	60.	पौड़ी	1
	61.	टिहरी	1
	62.	गोपेश्वर	1
	63.	चमोली	3
	64.	मथुरा	9
	65.	ऐटा	1
	66.	बिजनौर	1
	67.	रामपुर	—
	68.	पीलीभीत	1
	69.	बदायूँ	1
		जोड़ :	221
24.	तमिलनाडु		
	1.	मद्रास	22
	2.	मदुरई	9
	3.	कोयंबटूर	6
	4.	त्रिचिरापल्ली	17
	5.	सलेम	2
	6.	इरोडे	2
	7.	वी. ओर चिंदबरनार	4
	8.	धर्मपुरी	1
	9.	साउथ अरकोट बल्लालार	2
	10.	रामनाथ पुरम	4
	11.	तंजावूर	6
	12.	तिरुनेलवेली कोटम्बोमन	7
	13.	कन्याकुमारी	2
	14.	चिंगलपुर एमजीआर	2
	15.	उत्तर अरकोट अंबेडकर	2
	16.	विल्लूपुरम रामासामी पडयाची	4
	17.	कामराजार	1
	18.	पेरियार	3
	19.	पुडुकोटई	2
	20.	पेरांबलूर थिरुवलवूर	1
			99
		पांडिचेरी संघ शासित	1
		जोड़	100
25.	सिक्किम		
		सिक्किम में कोई दूरसंचार केन्द्र नहीं है।	
26.	पश्चिम बंगाल		
	1.	कलकत्ता	4
	2.	हावड़ा	3
	3.	हुगली	3
	4.	24 परगना (साउथ)	1
	5.	वर्द्धवान	2
	6.	मिदनापुर	1
	7.	मुर्शीदाबाद	1
	8.	दार्जिलिंग	2
	9.	बांकुड़ा	1
	10.	कूचविहार	1
		जोड :	19

निजी विमान कंपनियां

3305. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों ने निजी विमान कंपनियों से यात्रा की और इनके द्वारा कितने माल की ढुलाई की गई; और

(ख) इन विमान कंपनियों का इंडियन एयरलाइन्स के कारोबार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम): (क) तथा (ख) विगत दो वर्षों के दौरान गैर-सरकारी विमान कंपनियों द्वारा वहन किए गए यात्रियों तथा कार्गो के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	वाहित यात्री (लाखों में)	वाहित माल (टनों में)
1994	36.10	11,424
1995	48.93	89,359

इंडियन एयरलाइन्स का मार्किट शेयर तद्नुसार कम हुआ है।

[हिन्दी]

गेहूं का नष्ट होना

3306. **श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशनों पर रख-रखाव के अभाव में हजारों टन गेहूं नष्ट हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोडरमा स्टेशन पर बने शेड की लम्बाई कम है और हजारों टन गेहूं को खुले में रखना पड़ता है। जिसके कारण वे नष्ट हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो गेहूं को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, खाद्यानों की हानियों से बचने के लिए रैकों में लदान और उतरान के समय पर्याप्त सावधानियां बरती जाती हैं।

(ग) और (घ) कोडरमा गुडशेड में चार पहियों वाले केवल 40 वैगन खड़े हो सकते हैं जिसमें 10 वैगन ढके हुए शेड और 30 वैगन खुले प्लेटफार्म में खड़े हो सकते हैं। यही कारण है कि कोडरमा और हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन को इकट्ठे रैक भेजे जाते हैं। तथापि, उठाईगीरी और हानियों को कम से कम करने के लिए बोरियों उतारने के बाद इन बोरियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को भेजा जाता है।

फूलों की ढुलाई

3307. **श्री के० सी० कोंडय्या** : क्या नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बाजार विशेषकर यूरोपीय देशों तक फूलों की ढुलाई में सुविधाओं का अभाव फूलों के नर्यात में एक बाधा है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बंगलौर और इसके इर्द-गिर्द फूलों के निर्यात व्यापार को करने वालों के लाभ के लिए अतिरिक्त वायु सेवा प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहीम): (क) जी नहीं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास के अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रेफ्रिजेरेटेड वाहनों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं तथा प्लग-इन सुविधा उपलब्ध है और इन सुविधाओं में और वृद्धि की जा रही है।

(ख) और (ग) विकारी माल जैसे फूल सहित कार्गो के वहन के लिए "मुक्त आकश नीति" प्रचालन में है जिसके अंतर्गत विमान कंपनियां किसी भी हवाई अड्डे से उड़ानें प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बाराबंकी में टेलीफोन सुविधा

3308. **श्री रामसागर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के कितने गांवों में अभी टेलीफोन सेवा प्रदान की जानी है;

(ख) इन गांवों को टेलीफोन सुविधाएं कब तक प्रदान की जाएंगी;

(ग) आठवीं योजना में बाराबंकी की कितनी पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) प्रत्येक जिलों में, विशेषकर बाराबंकी में कितनी पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई;

(ङ) शेष पंचायतों को यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी;

(च) क्या प्रत्येक जिले में विशेषकर बाराबंकी में टेलीफोन भली भांति कार्य कर रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) प्रत्येक जिले में विशेषकर बाराबंकी में स्थानवार कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(झ) क्या राज्य में प्रत्येक जिला तथा विशेषकर बाराबंकी को अन्य जिलों से एस टी डी से जोड़ा जा चुका है; और

(ञ) यदि नहीं, तो कब तक यह जिले तथा विशेष कर बाराबंकी शेष जिलों से जुड़ जाएंगें?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश और बाराबंकी जिले में जिन गावों को अभी सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है, उनकी संख्या क्रमशः 84919 तथा 1573 है।

(ख) इन गांवों को सन् 2000 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ग) पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के अलग से कोई लक्ष्य नहीं रखे गये हैं, लेकिन आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को लगभग 25000 पंचायतों और खास तौर पर बाराबंकी जिले की 200 पंचायतों की ऐसी सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(घ) बाराबंकी जिले को विशेष रूप से शामिल करते हुए जिन पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है। उनकी संख्या का जिलेवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) बाकी पंचायतों को सन् 1999 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(च) और (छ) सार्वजनिक टेलीफोन संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं। ठीक प्रकार से कार्य न करने की सूचना मिलने पर दोषों को ठीक करने हेतु कार्रवाई की जाती है।

(ज) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(झ) जी, हां।

(ञ) उपर्युक्त भाग (i) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

31.7.1996 तक बाराबंकी जिले सहित उत्तर प्रदेश की जिन पंचायतों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है, उनके जिलेवार ब्यौरे

क्रम सं०	जिले का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्राप्त पंचायतों की सं०
1.	इलाहाबाद	853
2.	आजमगढ़	581
3.	बलिया	571
4.	बस्ती	376
5.	बांदा	385
6.	बहराइच	426
7.	बाराबंकी	477
8.	देवरिया	449
9.	पड़रौना	
10.	इटावा	480
11.	फैजाबाद	567
12.	अम्बेडकर नगर	
13.	फर्रूखाबाद	504
14.	फतेहपुर	239
15.	गोरखपुर	311
16.	गोंडा	557
17.	गाजीपुर	336
18.	हरदोई	291
19.	हमीरपुर	
20.	महोबा	272
21.	जौनपुर	592
22.	झांसी	326
23.	जालौन	268
24.	कानपुर	157
25.	कानुपर देहात	552
26.	लखनऊ	592
27.	लखीमपुर	439
28.	ललितपुर	139
29.	मैनपुरी	278
30.	मिर्जापुर	298
31.	मऊ	482
32.	महराजगंज	217
33.	प्रतापगंज	243
34.	रायबरेली	399
35.	सुल्तानपुर	699
36.	सीतापुर	449
37.	शाहजहांपुर	335
38.	सिद्धार्थनगर	209
39.	सोनभद्र	183
40.	उन्नाव	610
41.	वाराणसी	
42.	भदोही	834
43.	फिरोजाबाद 2 टीएचक्यू	24
44.	आगरा	404
45.	फिरोजाबाद	98
46.	सहारनपुर	363
47.	हरिद्वार	175
48.	मथुरा	301
49.	एटा	381
50.	अल्मोड़ा	318
51.	पिथोरागढ़	331
52.	रामपुर	80
53.	पिलीभीत	27
54.	बदायूं	350
55.	गाजियाबाद	540
56.	बुलन्दशहर	
57.	पौड़ी	196
58.	उत्तरकाशी	45
59.	टीहरी	100
60.	चमोली	152
61.	बिजनौर	368
62.	मुरादाबाद	468
63.	बरेली	204
64.	देहरादून	187
65.	मुजफ्फरनगर	538
66.	नैनीताल	407
67.	मेरठ	798
68.	अलीगढ़	448
	जोड़	23199

[हिन्दी]

चीनी मिलें

3309. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी चीनी मिलें चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और जून, 1996 तक इन मिलों द्वारा कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन किया गया था और इन मिलों से कितने प्रतिशत वसूली की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक मिल द्वारा किसानों को भुगतान किए जाने वाले देयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक मिल की आज तक की कुल कितनी देनदारी है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) वर्तमान मौसम, 1995-96 के दौरान 31.7.96 तक उत्पादन आरम्भ करने वाली चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) विस्तृत सूचना उपयुक्त जांच के बाद प्रस्तुत की जाएगी।

विवरण

उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 1995-96 के दौरान (31.7.96 को स्थिति के अनुसार) उन चीनी मिलों की संख्या बताने वाला विवरण जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है।

क्र०सं०	राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1.	पंजाब	21
2.	हरियाणा	12
3.	राजस्थान	3
4.	उत्तर प्रदेश	116
5.	मध्य प्रदेश	8
6.	गुजरात	16
7.	महाराष्ट्र	108
8.	बिहार	19
9.	असम	2
10.	उड़ीसा	7
11.	पश्चिम बंगाल	2
12.	नागालैंड	1
13.	आंध्र प्रदेश	33
14.	कर्नाटक	29
15.	तमिलनाडु	34
16.	पाण्डिचेरी	2
17.	केरल	1
18.	गोवा	1
	अखिल भारत	415

[अनुवाद]

टेलीफोन स्थानांतरण के लिए समयावधि सीमा

3310. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन कनेक्शन का एक ही एक्सचेंज में सात दिन के अंदर और अंतर-एक्सचेंज के मामले में पंद्रह दिन के भीतर स्थानान्तरण करने के लिए निर्देश दिए हैं;

(ख) क्या ये स्थानांतरण संबंधी निर्देश दिल्ली के निकटवर्ती शहरों, जैसे गाजियाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद आदि के संबंध में भी लागू होते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी स्थानांतरण सुविधाएं प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि अन्तर-नगरीय स्थानांतरण की स्थिति में 30 दिन का लक्ष्य है, जो कि दिल्ली के निकटवर्ती शहरों जैसे गाजियाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद इत्यादि पर लागू होगा।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ

3311. **श्री चिन्तामन वानंगा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च, 1982 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए आकाशवाणी के कलाकारों को पेंशन संबंधी लाभ नहीं दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहीम): (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकारों/स्टाफ कलाकारों को सरकारी कर्मचारी मानने की योजना 6 मार्च, 1982 से लागू हुई। इस निश्चित तारीख से पूर्व पेंशन लाभ देने के मुद्दे पर विचार किया गया, परन्तु इस प्रयोजनार्थ गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इसे व्यवहारिक नहीं पाया।

कम शक्ति के टी०वी० केन्द्रों पर नियमित कार्यक्रम

3312. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कम शक्ति के टी.वी. प्रसारण केन्द्रों पर पूर्णकालिक नियमित कार्यक्रम प्रसारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहीम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यानों की खपत

3313. **श्री अमरपाल सिंह :**
श्री सन्त कुमार मंडल :
श्री सुधीर गिरि :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्यानों का अभी अन्नवार क्या भण्डारण है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार खाद्यानों की खाद्यानवार, राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार कुल खपत कितनी हुई;

(ग) 1996 और 1997 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार खाद्यानों की खाद्यानवार कुल आवश्यकता कितनी है; और.

(घ) उक्त भंडार खाद्यानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कब तक के लिए पर्याप्त है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) देश में खाद्यानों के स्टाक, जिसमें किसानों/व्यापारियों के पास पड़े खाद्यान शामिल हैं, का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, पहली अगस्त, 1996 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 25.3 मिलियन टन गेहूं और चावल का कुल स्टाक था।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/ए.आई.आर. में आई.आई.एस. के अधिकारी

3314. **श्री दिलीप संघानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "ए" के कैडर में कितने लोग हैं;

(ख) दूरदर्शन तथा आल इंडिया रेडियो में भारतीय सूचना सेवा के सर्विस आफिसरों की भूमिका क्या है;

(ग) उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है;

(घ) क्या सरकार का विचार सेवा शर्तों को बेहतर बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहीम): (क) भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "ए" की विभिन्न श्रेणियों में कुल स्वीकृत अधिकारियों की संख्या 493 है।

(ख) और (ग) अधिसूचित भारतीय सूचना सेवा, ग्रुप "ए" भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न पदों को भरा जाता है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी अभिनिर्धारित संवर्ग पदों पर कार्य करते हैं जिनमें आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक (समाचार)/अतिरिक्त महानिदेशक (समाचार)/संयुक्त निदेशक/वरिष्ठ संवाददाता/समाचार संपादक/वार्ता अधिकारी/कापी टेस्टर तथा सहायक समाचार संपादक और दूरदर्शन की समाचार सेवा के समाचार प्रमुख/संयुक्त निदेशक/समाचार संपादक तथा सहायक समाचार संपादक शामिल हैं। ये अधिकारी राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समाचारों को एकत्रित करने, तैयार करने तथा इन्हें प्रसारित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय सूचना सेवा, ग्रुप "ए" की सेवा शर्तें अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जैसी ही हैं तथा इनकी समीक्षा समय-समय पर केन्द्रीय वेतन आयोग, संवर्ग समीक्षा समिति आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों द्वारा की जाती है।

टंगस्टन का खनन

3315. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री नामदेव दिवाचे :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नागपुर जिले में टंगस्टन के खनन के नए स्थानों का नाम क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार टंगस्टन के खनन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोई प्रस्ताव टंगस्टन के खनन को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी सौंपने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार टंगस्टन के शुद्धिकरण के लिए मिलों की स्थापना करने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने टंगस्टन के लिए नागपुर जिले के निम्नलिखित क्षेत्रों में गवेषण किए हैं :–

1) कुही खोबना में 2.3 मी. टन जो 65% डब्ल्यू ओ, वाले 7373 टनों के समकक्ष हैं;

2) कोलारी-भावरी क्षेत्रों में 8.68 मि. टन जो 65% डब्ल्यू ओ, वाले 25220 टनों के समकक्ष हैं;

3) खोबना क्षेत्र में 2.46 मि. टन जो 65% डब्ल्यू ओ, वाले 12,600 टनों के समकक्ष है;

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में टंगस्टन के लिए खोज की गई :–

1993-94

1) मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले के डुमरिया-जुनवान-साजबहार-सामडेमा क्षेत्र;

2) महाराष्ट्र में भंडारा जिले के पर्दी-दहेगांव-पिपदागांव क्षेत्र;

3) हिमाचल प्रदेश में मंडी, चम्बा और किन्नम जिलों में;

4) जम्मू तथा कश्मीर में कयुआ जिले के जगोत्रा और बिकिन्दा क्षेत्र;

5) हरियाणा में भिवानी जिले के तोशाम पहाड़ियों में;

1994-95

1) हरियाणा में भिवानी जिले के निगमा, खनक, खडखड़ी और देवरोला क्षेत्र;

2) हिमाचल प्रदेश में मंडी, चम्बा और किन्नम जिलों में;

3) आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के रामगिरी में;

1995-96

(I) सिरमुर तथा शिमला जिलों तथा किन्नम जिले में जावेरी-वंग्टने-ग्रेनिटायट पूर्वी हिस्से में कोर ग्रेनाइट के स्कर्ण।

(II) चमोली जिले में खरपतिया खाल ग्रेनाइट।

(ग) और (घ) उदारीकृत खनिज नीति के तहत टंगस्टन को सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिए आरक्षित खनिजों की सूची से हटा दिया गया है।

(ङ) से (च) टंगस्टन का भावी विदोहन निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में रसायनिक अन्वेषण किये जा रहे हैं।

गुजरात में ग्राम पंचायत टेलीफोनों का काम नहीं करना

3316. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध किए गए टेलीफोनों के काम नहीं करने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिला-वार ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है तथा उनमें से कितने टेलीफोन काम कर रहे हैं/कितने खराब पड़े हैं;

(घ) इन टेलीफोनों को कब तक चालू कर दिया जाएगा और क्या राज्य में ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सेवा को बेहतर बनाने हेतु विभाग को कोई विशेष निर्देश जारी किया गया है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

(घ) और (ङ) खराब टेलीफोनों को शीघ्रातिशीघ्र कार्य करने योग्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय इकाइयों को निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं :–

(I) उपकरण विनिर्माताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेका-करार करना

(II) अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

(III) आवधिकरूप से जांच प्रणाली संबंधी प्राचलों और निर्धारित दोष सूचना संबंधी प्रक्रियाओं का अनुपालन करना।

विवरण

क्र० सं०	जिले का नाम	30.6.96 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन युक्त ग्रामपंचायतों की संख्या	30.6.96 की स्थिति के अनुसार ठीक से कार्य कर रहे ग्रामपंचायत टेलीफोनों की संख्या	अनुबंध 30.6.96 की स्थिति के अनुसार खराब पड़े सार्वजनि टेलीफोनों की कुल संख्या
1.	अहमदाबाद	614	652	32
2.	गांधीनगर	70		
3.	अमरेली	519	374	145
4.	बनस कन्ठ	741	731	10
5.	भडुच	668	601	57
6.	भावनगर	717	596	121
7.	जामनगर	588	504	84
8.	जूनागढ़	781	637	144
9.	खेड़ा	899	839	60
10.	कच्छ (भुज)	519	498	21
11.	मेहसाना	994	994	00
12.	पंचमहल	773	663	110
13.	राजकोट	771	643	128
14.	साबरकाण्ठ	670	650	20
15.	सुरेन्द्रनगर	619	606	13
16.	सूरत	684	578	106
17.	बड़ोदरा	719	552	167
18.	वालसाद	569	541	80
19.	डांग	52		
20.	संघ शासित क्षेत्र	19	19	—
		11986	10678	1308

नशीली दवाओं का दुरुपयोग

3317. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून 1996 के "दि स्टेटसमैन" में "इन-एब्यूज जैसे "दि राइज इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामले में वृद्धि हो रही है और इन प्राधिकारी इसे रोक पाने में विफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या की सीमा से संबंधित किसी राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण के अभाव में यह कहना सम्भव नहीं है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि हो रही है। तथापि, किए गए विभिन्न अध्ययनों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि के संकेत मिलते हैं।

नशीली दवाओं पर निर्भरता की बढ़ती हुई मांग को रोकने के लिए कल्याण मंत्रालय 1985-86 से मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की एक व्यापक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत यह मंत्रालय नशीली दवा चेतना परामर्श सहायता केन्द्रों तथा नशा मुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के लिए नशा मुक्ति शिविरों के आयोजन के लिए तथा चेतना सृजन कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

इस मंत्रालय के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्रों की संख्या 1985-96 में 7से बढ़कर इस समय 363 हो गई है। जिसमें से 130 नशामुक्ति वे पुनर्वास केन्द्र हैं और 233 परामर्श केन्द्र हैं।

यह मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने वाले कार्यक्रमों के लिए चेतना सृजन, निवारक शिक्षा के साथ-साथ नशीली दवाओं के व्यसनियों के पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के संबंध में और अधिक जोर देकर कार्य करना जारी रखेगा।

नारियल तेल का प्रयोग

3318. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य राज्यों में नारियल तेल के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है कि वे नारियल के तेल की वसूली करने तथा उचित दर दुकानों/सहकारी बिक्री केन्द्रों के जरिए उपभोक्ताओं को उसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने की संभावनाओं पर विचार करें, ताकि खाना बनाने में नारियल के तेल के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाया जा सके।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि वे इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ राज्यों ने कहा है कि उपभोक्ताओं द्वारा स्थानीय खाद्य तेल पसन्द करने और साथ ही लंबी दूरियों तक ढुलाई के कारण अधिक लागत होने की वजह से नारियल के तेल का वितरण संभाव्य नहीं होगा।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी के कार्यक्रम सहायकों को वेतनमान

3319. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभियांत्रिकी सहायकों को 2000-3200/-रुपये का संशोधित वेतनमान दिया गया है जबकि कार्यक्रम सहायकों के वेतनमान में कोई संशोधन नहीं किया गया है;

(ख) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के इन दो श्रेणियों के कार्मिकों के वेतनमान कई दशकों तथा चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के उपरांत भी समान रहे हैं; और

(ग) कार्यक्रम सहायकों के वेतनमान में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) से (ग) अभियांत्रिकी सहायकों के वेतनमान को न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में संशोधित किया जाना था। तथापि, अभियांत्रिकी सहायकों एवं ट्रान्समिशन निष्पादकों के वेतनमानों के बीच पहले की समानता को देखते हुए इस मामले को पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग एवं वित्त मंत्रालय के साथ पहले ही उठाया जा चुका है। परन्तु इसके लिए कोई समय-सीमा देना मुश्किल है।

खाद्य तेल की आपूर्ति

3320. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** :
श्री एन० रामकृष्ण रेड्डी :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 और 1996-97 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी मात्रा में खाद्य तेल की मांग की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार में कितनी मात्रा में खाद्य तेल की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से खाद्य तेल के कोटे में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य तेल कोटे में बढ़ोतरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1995 तथा 1996 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त खाद्य तेल की मांग और वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए आयातित खाद्य तेल का आबंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा दी गई है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने 1996 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अपने मासिक आंबटन में वृद्धि करने के लिए कहा है।

(ङ) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेल की आपूर्ति अनुपूरक स्वरूप की है। 1996 के दौरान आयात की जाने वाली खाद्य तेल की संपूर्ण मात्रा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम में आबंटित कर दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कोटे में इस अवस्था में कोई संशोधन करना संभव नहीं है।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आयातित खाद्य तेल की मांग, आबंटन तथा उठान

(आंकड़े मी. टन में)

राज्य	1995*	1995-96		1996**	1996-97	
	मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
आन्ध्र प्रदेश	80000	66600	39801	135000	49000	17220
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	0	0	शून्य	0	0
असम	1200	1200	670	1300	1000	179
बिहार	शून्य	200	0	31500	700	0
गोवा	2900	4000	3125	5600	3200	1327
गुजरात	46000	49000	46091	63000	26000	13231
हरियाणा	500	200	264	शून्य	0	0
हिमाचल प्रदेश	650	1503	1188	1800	1400	204
जम्मू व कश्मीर	500	700	390	900	700	205
कर्नाटक	9000	11000	6622	12000	6000	4310
केरल	शून्य	0	203	4000	2000	89
मध्य प्रदेश	2500	2500	0	शून्य	0	0
महाराष्ट्र	38000	30000	15130	49000	25000	12015
मणिपुर	800	900	307	7200	2100	633
मेघालय	शून्य	200	10	1800	700	100
मिजोरम	1000	1300	398	3600	1400	153
नागालैण्ड	2000	4100	3000	4500	2800	502
उड़ीसा	14000	12000	3504	27000	7000	1040
पंजाब	शून्य	0	0	शून्य	0	0
राजस्थान	300	400	0	2700	350	0
सिक्किम	720	840	629	990	770	270
तमिलनाडु	10000	8000	5089	18000	7000	3483
त्रिपुरा	600	700	40	900	700	20
उत्तर प्रदेश	शून्य	0	0	शून्य	0	0
पश्चिम बंगाल	18500	17000	14903	40000	16000	7851
अंडमान व निकोबार दीप समूह	75	150	50	225	175	25
चंडीगढ़	शून्य	100	0	शून्य	0	0
दादरा व नगर हवेली	560	640	423	720	560	210
दमन व दीव	625	875	460	1075	875	125
दिल्ली	2100	3300	2651	4500	2100	1089
लक्षद्वीप	180	290	250	360	280	31
पाण्डिचेरी	6664	4308	3057	8000	3500	1020
अखिल भारत	239374	222006	148255	425670	161310	65422

*अप्रैल–अक्तूबर, 1995

** फरवरी–अक्तूबर, 1996

खजुराहो हवाई-अड्डा

3321. **कुमारी उमा भारती** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खजुराहो मन्दिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खजुराहो हवाई अड्डे को किसी अन्य जगह स्थानान्तरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस जगह स्थानान्तरित करने का है;

(ग) क्या हवाई अड्डे के उक्त स्थानान्तरण से घरेलू और विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय में कमी होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय की पुनरीक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

निधियों का अन्यत्र उपयोग

3322. **श्री ललित उरांव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु आबंटित निधियां प्रत्येक वर्ष बाढ़ तथा सूखा राहत के लिए उपयोग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को छात्रावास सुविधा

3323. **श्री के० प्रधानी** :
श्री बी० धर्मलिंगम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने छात्रों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान की गईं;

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है;

(ग) क्या बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को रोकने के लिए उठाए गए कदम पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) सरकार द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिक संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्र तथा छात्राओं के लिए होस्टलों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान होस्टल सुविधा प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 31,568, 35,361, 22,994 थी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने में कमी लाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं :–

- प्रोत्साहनों का प्रावधान जैसे छात्रवृत्तियां, पाठ्य पुस्तकें, होस्टल सुविधा आदि।
- निवासियों की 200 संख्या के साथ एक किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान।
- आपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं में सुधार।
- अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए लक्षित समूहोन्मुख नीति अपनाना तथा पहुंच, अनुमान तथा उपलब्धि के लिए अलग लक्ष्यों का निर्धारण।
- उन बच्चों के लिए जो औपचारिक स्कूल पद्धति से बाहर हैं, के लिए गैर पारम्परिक शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का विविधीकरण तथा उसमें सुधार।
- आदिवासी उप-योजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल खोलना।
- इन उपायों के फलस्वरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच सामान्य तौर पर स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है।

[हिन्दी]

श्रमिकों का शोषण

3324. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार विशेष कर वहां के जनजातीय क्षेत्रों के श्रमिक अन्य राज्यों को पलायन कर रहे है;

(ख) क्या उक्त श्रमिकों का अन्य राज्यों में शोषण होता है; और

(ग) यदि हां, तो इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से कर्मकार रोजगार की बेहतर संभावनाओं और उच्च मजदूरी के लिए मौसमी क्रियाकलापों में अस्थायी रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवास करते हैं।

(ख) यद्यपि ऐसे कर्मकारों का शोषण होता है, फिर भी, रा.ग्रा.श्र.आ. की रिपोर्ट (1987-91) के अनुसार, प्रवासी श्रमिक की आय बिना प्रवास के उनके द्वारा अर्जित की जाने वाली आय की तुलना में अधिक होती है।

(ग) सरकार ने इनके रोजगार को विनियमित करने और उन्हें बेहतर सेवा शर्तें आदि मुहैया कराने के लिए अंतर्राज्यिक प्रवासी (आर ई सी एस) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है। सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार गारन्टी योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास, ट्राइसेम जैसे अनेक गरीबी उन्मूलक कार्यक्रम भी क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए आय सृजक परिसम्पत्तियाँ प्राप्त कराने और अतिरिक्त लाभदायक रोजगार सृजित करना है। इन कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय में आठवीं योजना के दौरान पर्याप्त बढ़ोत्तरी की गई है।

[अनुवाद]

गुणवत्ता कार्यक्रम

3325. **श्री दरबारा सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अधिकांश लोग पाकिस्तानी टेलीविजन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को देखते हैं क्योंकि वे उन कार्यक्रमों को अधिक रुचिपूर्ण समझते है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसारण के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार भी किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उच्च स्तर के और रुचिपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार से भारतीय लोग किसी भी तरह से गुमराह न हों?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) पाकिस्तान टेलीविजन भारत-विरोधी प्रचार में संलिप्त रहता है।

(ग) दूरदर्शन पाक प्रचार का मुकाबला करने हेतु देश-विदेश की घटनाओं और विकास कार्यक्रमों का तथ्यात्मक चित्र प्रस्तुत करते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए सतत् रूप से प्रयासरत है।

[हिन्दी]

एअर इंडिया की अनियमित सेवा

3326. **श्री सत्य देव सिंह :**
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान एअर इंडिया की अनियमित एवं निर्धारित समय पर न भरी जा सकने वाली उड़ाना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विमानों की उड़ान में एक घंटे या उससे अधिक विलंब हो जाने की स्थिति में यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) प्रतिकूल मौसम, हवाई अड्डा प्रतिबंधों, तकनीकी खराबियों आदि के कारण अप्रैल, 1994 से मार्च, 1996 तक की अवधि के दौरान 1746 एकतरफा उड़ानों को रद्द कर दिया गया था।

(ख), (ग) तथा (घ) एक से दो घंटों के विलंब के मामले में, यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर जलपान की व्यवस्था की जाती है। विस्तारित विलंब की स्थिति में, प्रथम उपलब्ध उड़ानों पर वैकल्पिक प्रबंध किए जाते हैं बशर्ते कि उनमें स्थान उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

बिजाग इस्पात संयंत्र

3327. **श्री अय्यन्ना पटरुघु :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजाग इस्पात संयंत्र हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि का पूर्ण सदुपयोग किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या खाली पड़ी भूमि को उसके स्वामियों को लौटा दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र हेतु 1980 में आरम्भ में 27,455 एकड़ भूमि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था बाद में भूमि की बाउण्ड्री की परिसीमा में स्थित घनी आबादी वाले गांवों और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर इसे कम करके 22,978 एकड़ कर दिया गया था। 9625 एकड़ सरकारी भूमि सहित इस समय 21,655 एकड़ भूमि अधिग्रहीत है। पर्यावरण विभाग की शर्तों के अनुसार अधिग्रहीत भूमि में से 3626 एकड़ भूमि संयंत्र के विस्तार और बस्ती हेतु तथा ग्रीन बैल्ट के लिए भी निर्धारित की गई है जबकि शेष भूमि का उपयोग कर लिया गया है।

[हिन्दी]

डाक के वितरण में विलंब

3328. **श्री सोहनवीर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक सामग्रियों के वितरण में हो रहे अत्यधिक विलंब के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पत्रों तथा अन्य डाक सामग्रियों के शीघ्र वितरण को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) आमतौर पर डाक के वितरण में अत्यधिक विलम्ब नहीं होता है। लेकिन विभिन्न कारणों से यदा-कदा विलम्ब हो ही जाता है जैसे बसों, रेलों का चलना और हवाई जहाजों की उड़ान का रद्द हो जाना/देरी से चलना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूस्खलन तथा कारपोरेट डाक, शुभकामना डाक आदि का अप्रत्याशित रूप से भारी मात्रा में प्राप्त होना। कुछ राज्यों में राज्य सड़क परिवहन की बसों तथा प्राइवेट बसों द्वारा डाक लाने ले-जाने में भी कठिनाइयां पेश आती हैं। बड़े शहरों और नगरों में, विशेष रूप से नई विकसित हुई कॉलोनियों और उपनगरों में भी डाक-वितरण, वितरण कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण दबाव में है। तथापि, अतिरिक्त कार्य को, जहां तक संभव होता है, कर्मचारियों की पुनः तैनाती करके निपटाया जा रहा है।

2. विभाग ने डाक और मनीआर्डरों के प्रेषण और वितरण में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। ये हैं :–

- छंटाई में तेजी लाने के लए बम्बई और मद्रास में मशीन के अनुकूल डाक की छंटाई पत्र-छंटाई मशीनों पर की जाती है।
- थोक में पोस्ट की गई डाक के मामले में, मेलर्स को डाक की पहले ही छंटाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि ऐसी डाक को गंतव्य स्थान तक शीघ्र भेजा जा सके।
- जून से दिसम्बर तक के व्यस्त सीजन में पोस्ट की गई कॉरपोरेट डाक और त्यौहारों की शुभकामनाओं से संबंधित डाक की छंटाई और प्रेषण के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
- प्राथमिकता के आधार पर मेल प्रोसेसिंग को युक्ति संगत बनाना और विभिन्न श्रेणियों की डाक के समय संबंधी महत्व को ध्यान में रखते हुए उसका पृथक-पृथक निपटान।
- निरीक्षण अधिकारियों द्वारा डाकघरों तथा आर एम एस कार्यालयों के नियमित विजिट्स द्वारा विभिन्न स्तरों पर मेल मूवमेंट तथा मेल प्रोसेसिंग की मॉनीटरिंग करना। टैस्ट लेटर पोस्ट करके डाक कार्यकुशलता का परीक्षण करना तथा लाइट मेल के ट्रांजिट समय की आवधिक जांच करना।
- जिन गांवों की डाक आती है, उनमें डाक का हर रोज वितरण किया जाता है जो मौसम और प्रचालन संबंधी दबावों पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संग्रहण तथा वितरण नेटवर्क की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है।
- डाक और मनीआर्डरों के पारेषण और वितरण की विभिन्न स्तरों पर निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और पुनरीक्षा के उपरांत डाक के रूट में समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है।

राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में घाटा

3329. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री पी.आर. दासमुंशी :
प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए अब तक कितनी राशि का निवेश किया गया;

(ख) क्या उक्त इस्पात संयंत्र गत कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो 31 मार्च, 1996 तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त इस्पात संयंत्रों को लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) "सेल" के राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर जुलाई, 1996 तक किया गया व्यय नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपए)

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.)	3099.75
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी.एस.पी)	4307.15

(ख) से (ङ) राउरकेला इस्पात संयंत्र जो 1984-85 से लाभ कमाता रहा है को आदानों की उच्च लागत, पुराने उपस्करों, अप्रचलित प्रौद्योगिकी आदि जैसे घटकों के कारण 1995-96 के दौरान हानि हुई। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की क्षमता उपयोग, सम्भारिकी असंतुलनों, संयंत्रों के पुराने होने, अप्रचलित प्रौद्योगिक आदि जैसे घटकों के कारण 1982-83 से लगातार हानि हो रही है। 31 मार्च, 1996 की स्थिति नीचे दी गई है :–

(करोड़ रुपये)

	लाभ/हानि (-) वर्ष 1995-96 के लिए	31. 3. 1996 को संचयी
राउरकेला इस्पात संयंत्र	(–) 56.64	283.42
	(–)173.98	(–) 1491.82

दोनों संयंत्रों का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है तथा नयी इकाइयों के स्थिर होने के बाद उनके निष्पादन में सुधार होगा। "सेल" क्षमता उपयोगिता में वृद्धि करने, उत्पादकता में सुधार करने, ऊर्जा संरक्षण उपाय शुरू करने, उत्पाद मिश्र में सुधार करने, उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करने आदि उपायों से निष्पादन में सुधार करने के लिए सतत् आधार पर कदम उठा रहा है।

[अनुवाद]

श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि

3330. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :**
डा. ए. के. पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विभिन्न राज्यों, विशेषरूप से गुजरात से प्रकाशित बड़े, मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों को कितने विज्ञापन दिए गए और इनके लिए कितनी राशि दी गई;

(ख) क्या अन्य भाषाओं की तुलना में गुजरात को क्षेत्रीय भाषा में विज्ञापन देने में कोई विषमता बरती जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से प्रकाशित बड़े, मझौले तथा लघु समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों की कुल संख्या तथा उन्हें दी गई राशि निम्न अनुसार है :–

वर्ष	विज्ञापनों की कुल संख्या	दी गई राशि (रु.)
1993-94	2,04,508	31,49,60,257
1994-95	1,64,669	27,43,36,135
1995-96	1,62,529	45,59,27,591

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात से प्रकाशित बड़े, मझौली तथा लघु समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों की संख्या तथा विज्ञापनों के लिए दी गई कुल राशि निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	सन्निवेशों की संख्या	दी गई राशि (रु.)
1993-94	7097	1,23,02,592
1994-95	5466	95,85,927
1995-96	5401	1,75,32,076

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नही उठता।

कोचीन विमानपत्तन पर माल ढुलाई की सुविधा

3331. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन विमानपत्तन पर माल ढुलाई की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अनुमानित व्यय क्या है तथा इसके लिए कितना धन आवंटित किया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) से (ग) कोचीन हवाई अड्डे पर हवाई कार्गो को प्राप्त करने और भेजने की सुविधा उपलब्ध है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का इस समय कार्गो परिसर का निर्माण करके सुविधाओं के उन्नयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधा

3332. **श्री इलियास आजमी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में मोहम्मदी में एक टावर स्थापित किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक एस. टी. डी. सुविधा शुरू न करने के क्या कारण हैं और यह कब तक शुरू किये जाने तथा राज्य के हरदोई जिले के विभिन्न कस्बों में ऐसी ही सुविधा प्रदान किये जाने की कब तक संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। वहां टावर पहले से ही मौजूद हैं और एस. टी डी भी उपलब्ध है जिसका कोड नं. 05876 है।

(ख) (I) उक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(II) हरदोई जिले के विभिन्न नगरों में एस. टी. डी. सुविधा की व्यवस्था संबंधी ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	कस्बों के नाम	31.3.96 को एस टी डी की स्थिति	एस टी डी की योजना
1.	बेनीगंज	उपलब्ध नहीं	1998-99
2.	बिलग्राम	–वही–	1996-97
3.	गोपामऊ	–वही–	1997-98
4.	कछौना	–वही–	1998-99
5.	माधोगंज	–वही–	1996-97
6.	मल्लावन	–वही–	1998-99
7.	पाली	–वही–	1998-99
8.	पिहानी	–वही–	1998-99
9.	सांधी	–वही–	1996-97
10.	हरदोई	उपलब्ध कोड नं. 05852	–
11.	संदीला	उपलब्ध कोड नं. 05854	–
12.	शाहाबाद	उपलब्ध कोड = 05853	

जिला मुख्यालयों में डाक और तारघर

3333. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक जिला तारघर स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार किन-किन जिला मुख्यालयों में तारघर स्थापित कर दिए गये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। विभाग ने देश के प्रत्येक राजस्व जिला मुख्यालयों में एक-एक स्वतंत्र तार घर स्थापित करने की एक नीति बनायी है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

जिला मुख्यालयों जहां टेलीग्राफ कार्यालय (डी.टी.ओ.) स्थापित कर दिये गए का राज्य-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिला मुख्यालयों की संख्या	जिला मुख्यालयों के नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	अदिलाबाद, अनन्तपुर, कुड्डापा, चित्तूर, गुन्टूर, हैदराबाद, करीमनगर, कूर्नूल, खम्मम, महबूबनगर, अंगोले नलगोण्डा, श्रीकाकुलम् नेल्लोर, विजयानगरम, विशाखपट्टनम, हनमकोण्डा, निजामाबाद, संगरेड्डी, हैदराबाद (आर आर), एलुरू, काकीनाडा और मछलीपट्नम।
2.	असम	23	तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहट, गोलाघाट, गुवाहाटी, हैलाकन्डी, करीमगंज, नारबरी, बारपेटा, गुआलपाढ़ा, बोंगई गोंव, कोकराझार, धुबरी, मंगलदायी, उत्तरी लखीमपुर, धेमाजी, डिफू, हाफलांग, मरीगांव, सिलचर, तेजपुर, नवगांव।
3.	अरूणांचल प्रदेश	3	बोमडिल्ला, पासीघाट, ईटानगर
4.	बिहार	49	पटना, भोजपुर, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सिवान, गुमला, वैशाली, समस्तीपुर, पू० चम्पारन, प० चम्पारन, किशनगंज, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मधुबनी, गढ़वा, रांची, हजारीबाग, पलामू, पू०सिंहभूम, लोहरदागा, धनबाद, गया, गिरीडिह, रोहतास, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय, देवघर, मुंगर, सहरसा, पुर्निया, माधेपुरा, गोड्डा, जमुई, नवादा, खगड़िया, दुमका, औरंगाबाद, जहानाबाद अररिया, बक्सर, बोकारो, प० सिंहभूम, कामुर, बंका, साहेबगंज सुपौल
5.	गुजरात	18	अमरेली, अहमदाबाद, गांधीनगर, बानसकुण्ठा, बड़ौदो भाडुच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, महसाना, खेडा, सुरेन्द्रनगर, सूरत, राजकोट, पंचमहल, साबरकण्ठा, वालसद, भुज।
6.	गोवा	2	पानाजी, मारगो
7.	हरियाणा	10	अम्बाला, अम्बाला सिटी, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, हिसार, सिरसा, रोहतक, भिवानी, जिन्द/फरीदाबाद गुड़गांव, रिवाड़ी, महिन्दरगढ़, सोनीपत, पंचकुला।
8.	हिमाचल प्रदेश	12	शिमला, सोलन, नाहन, उना, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू, हमीरपर, धरमशाला (कांगड़ा), चम्बा, कैलांग, रेकांग पिओ।
9.	जम्मू और कश्मीर	8	लेह, बारामूला, अनन्तनाग, जम्मू, कठुआ, ऊधमपुर, राजोरी और श्रीनगर।
10.	केरल	13	अलप्पुझा, एर्नाकुलम, क्विलन, त्रिवेन्द्रम, पथनमथिट्टा, कोट्टयम, त्रिचूर, पालघाट, मलप्पुरम, कालीकट, कलपेट्टा, कन्नानूर, केसरागढ़।
11.	कर्नाटक	20	बंगलौर शहर, बंगलौर देहात, बेलगांव, बेलारी, बीदर, बीजापुर, चिकमगलूर चित्रदुर्ग, दक्षिण कनाड़ा (मंगलौर), धारवाड़, मादीकेरी, गुलबर्ग, हसन, कोलार, मन्द्या, मैसूर, रायचूर, शिमोगा, तुमकूर, और उत्तरा कनाड़ा (करवार)

1	2	3	4
12.	मध्यप्रदेश	45	भोपाल, बिलासपुर, देवास, दुर्ग, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, मन्दसौर, रायपुर, रीवां, रतलाम, सागर, उज्जैन, सतना, शिवानी, छिंदवाड़ा, विदिसा, गुना, बस्तर, राजनन्दगांव, होशंगाबाद, बालाघाट, रायगढ़, रायसेन, भिण्ड, मुरैना, सिहोर, धर, खारगांन, दामोह, झबुआ, मान्दिस, शिवपुरी, शहदोल, सारगुजा, दतिया, सिधी, छत्तरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, राजगढ़, शाजापुर, बेतुल, नरसिंहपुर।
13.	महाराष्ट्र	30	अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, बीड, अमरावती, बान्द्रा, बुल्धाना, मुम्बई, धुले, चन्द्रपुर, जालना, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नन्देड़, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, रायगढ़, सांगली, सतारा, शोलापुर, थाणे, वर्धागंज, यावतमल, गढचिरौली, मुख्यालय अलीबार।
14.	मणिपुर	2	चाँदरी, इम्फाल
15.	मिजोरम	1	ऐज्वल
16.	मेघालय	2	शिलांग, तुरा
17.	नागालैण्ड	1	कोहिमा
18.	उड़ीसा	21	बालासोर, कटक, पुरी, अंगुल, बोलनगिर, छत्तरपुर, सम्बलपुर, बारीपाढ़ा, भद्रक, देवगढ़, भवानीपटना, धेनकनाल, क्योंझर, फूलबनी, सुरेन्द्रगढ़, बारगढ़, जाजपुर, झारसुगुडा, केन्द्रापाढ़ा, कोरापुट, रायगढ़।
19.	पंजाव	12	अमृतसर, भटिण्डा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलन्धर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट, संगरूर, मोगा
20.	राजस्थान	31	जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, बाड़मेर, सीकर, झुनझुनू, चुरू, नागौर, बुन्दी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, पाली, धौलपुर, जलौर, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौरगढ़, उदयुपर, बांसवाड़ा डुंगरपुर, हनुमानगढ़, दौसा, जैसलमेर, झालावाड़, टॉक, राजसमन्द, बारां
21.	सिक्किम	1	गंगटोक
22.	तमिलनाड़	25	कांचीपुरम, कोयम्बटूर, दिन्दीगुल, धर्मापुरी, विरुधूनगर, नगरकोइल, तिरूनेलवेली, मद्रास, मदुरई, नगरपट्टीनम, उधागमण्डलमू, शिवगंगा, इरोडे, पुडुकोट्टा, रामानाथपुरम, विल्लूपुरम, कुद्दालोर, सेलम, करूर, थानजेवुर, तिरुचिरापल्ली, पराम्बलूर, तिरूवेन्नामलाई, वैल्लोर, तूतिकोरिन
23.	त्रिपुरा	3	राधाकिश्मपुर, कैलाशहर, अगरतल्ला
24.	उत्तर प्रदेश	64	आगरा, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, नैनीताल, मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, हरिद्वार, अलीगढ़, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रामपुर, पीलीभीत, वदायूं, उत्तरकाशी, टेहरी, चमोली, पौढ़ी, मथुरा, एटा, बिजनौर, इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बांदा, बहराइच, बाराबंकी, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फरुखाबाद, फतेहपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हरदोई, हमीरपुर, झांसी, जौनपुर, जालौन, कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर-खेरी, ललितपुर, मिर्जापुर, मैनपुरी, मऊनाथभंजन, महाराजगंज, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, शाहजहानपुर, सीतापुर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, वाराणसी, कानपुर। देहात, पडरौना।
25.	प० बंगाल	10	बड़ासात, चिनसुरा, कृष्णागर, बरहमपुर, बर्दवान, बांकुड़ा, हावड़ा, अलीपुर, दार्जीलिंग, मालदा, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी, कलकत्ता, मिदनापुर, पुरुलिया, राजगंज, बेलूरघाट सुरी।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

3334. **श्री मधुकर सर्पोतदार :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्वीकृत की गयी चीनी मिलों के मामले में लागत में वृद्धि के कारण वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इन परियोजनाओं की निर्धारित लागत में संशोधन करके उसे 40 करोड़ रुपये किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा मानक लागत को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सातवीं योजना में स्वीकृत की गई चीनी फैक्ट्रियों के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इन परियोजनाओं की निर्धारित (नारमेटिव) लागत में संशोधन करके उसे 40 करोड़ रुपये किया जाए। सरकार ने कोई निर्धारित (नारमेटिव) लागत निश्चित नहीं की है यद्यपि वित्तीय संस्थाएं परियोजनाओं का आकलन करते समय वित्तीय पैटर्न और पूंजी पर लाभ की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कुछेक मानकों के अनुसार चल रही है। वित्तीय संस्थाएं सामान्यतया ऋण-इक्विटी अनुपात और परियोजना की वित्तीय सक्षमता से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देती हैं। चूंकि सहकारी समितियों की इक्विटी में अधिकांश भाग राज्य सरकारों के अंशदान का होता है और इन्हें ऋण की गारन्टी भी होती है इसलिए किसी यूनिट विशेष के लिए कुल वित्त की उपलब्धता का प्रश्न उनके, सहकारी समितियों और वित्तीय संस्थाओं के बीच हल करना होता है।

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग

3335. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग देश भर में योजनाबद्ध तरीके से भू-गर्भ मानचित्र तैयार करने और खनिजों की खोज के कार्य में संलग्न रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में विशेषरूप से राजस्थान में कितने सर्वेक्षण किए गए;

(ग) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग राज्यों को खोज संबंधी आंकड़े और रिपोर्ट नियमित आधार पर नहीं भेज रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के साथ-साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में सर्वेक्षण किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में किए गए सर्वेक्षण और खनिज खोजें इस प्रकार हैं :–

(1) उत्तरी और दक्षिणी सिदेसर रिज, सुनेरिया खेड़ा, लेसिओ-का-खेड़ा-जितवास, राजसमेड जिला; सावर, सथाना-भायामागरी, गणेशपुर और फतेहगढ़ क्षेत्र, अजमेर जिला, कलाब-कलान-बोयो-की-नाड़ी, पाली और अजमेर जिला; रामपुरा-टोंडा-नैला-की-धानी, खेतड़ी बैल्ट, झुंझूनू जिले में आधार धातु खोजें;

(2) आनन्दपुरी-भुकिया क्षेत्र, बनासवाड़ा जिला और हिंडलाजमाता, डूंगरपुर जिले में स्वर्ण खोज;

(3) बीकानेर, जैसलमैर और संचौर बेसिन में लिग्नाइट खोज; और

(4) राजस्थान राज्य के विभिन्न भागों में ग्रेनाइट आकलन।

(ग) से (ङ) राज्य में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई सभी खोजों के परिणाम विस्तृत अभिलेख सार के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं और राज्य सरकार सहित सभी संगठनों को नाममात्र के शुल्क पर उपलब्ध होते हैं। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अप्रकाशित प्रगति रिपोर्टों की मांग होने पर राज्य सरकार को उनकी आपूर्ति निःशुल्क की जाती है परन्तु यदि इस प्रकार की रिपोर्टों के आधार पर उनका व्यवसायिक उपयोग होता है तो पट्टेदार को कुछ शुल्क देना होता है जो कि सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को देय होता है और निजी एजेंसियों को भुगतान पर देय होता है।

इस्पात संयंत्र स्थापित करना

3336. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के गंजम जिला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी क्षेत्र की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने गांवों के प्रभावित होने की सम्भावना है;

(घ) उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी हां। उड़ीसा सरकार ने मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को) द्वारा इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए उड़ीसा के गन्जम जिले में क्षेत्र अभिजात किया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार टिस्को द्वारा स्थापित किए जाने वाले इस्पात संयंत्र के लिए एल.ए. अधिनियम, 1894 के खण्ड 4 (1) के तहत 16 गांवों की 7598 एकड़ भूमि अग्रिहण हेतु अधिसूचित की गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार विस्थापित परिवारों के लिए एक पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ मुआवजे का प्रावधान, पुनर्वास संबंधी अन्य लाभ जैसे एक वर्ष के लिए अनुरक्षण भत्ता, जो स्वयं पुनर्वास का विकल्प देते हैं, उनके लिए अनुदान, अस्थायी आवास बनाने के लिए अनुदान, बेहतर रहन-सहन के अच्छे स्तर सहित एक स्थान पर पुनर्वास, दक्षता तथा कार्य आवश्यकताओं

के अनुरूप इस्पात संयंत्र के तत्वावधान में रोजगार प्राप्त करने में सहायता देना, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल जो युवकों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए आवश्यक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा, में प्रशिक्षण की सुविधा देना आदि शामिल है।

पिछड़े वर्गों की सामान्य सूची

3337. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**
श्री एन० जे० राठवा :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में विस्तार के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत कर देगी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची (गुजरात राज्य सहित) में जोड़ना/संशोधन/शामिल करना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इस आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल किए जाने और कम शामिल किए जाने से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने, जांच करने तथा सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए किया गया है।

इस आयोग ने हाल ही में गुजरात राज्य के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में खलीफा (मुस्लिम) और बाबर (मुस्लिम) को जोड़ने तथा पखाली को शामिल करने की सिफारिश की है।

(ग) कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श तथा मंत्रिमंडल का अनुमोदन आवश्यक है। मामला सक्रियरूप से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गेहूं की अनुपलब्धता संबंधी शिकायत

3338. **श्री सुखलाल कुशवाहा** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा पिछले कुछ महीनों से गेहूं उपलब्ध न होने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में डाक-तार विभाग की भूमि का अतिक्रमण

3339. **डा० प्रवीन चंद्र शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कामरूप, नवगांव तथा लखिमपुर जिले में डाक-तार विभाग की भूमि का बाहर के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : डाक और दूरसंचार विभाग (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विभागेत्तर कर्मचारियों के लिए समिति की सिफारिशें

3340. **श्री अनंत कुमार :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक विभाग में विभागेत्तर कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभागेत्तर कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा स्थिति सुनिश्चित करने हेतु कोई समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उनके लिए तत्काल अंतरिम लाभ की घोषणा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उन सिफारिशों को पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में शमिल किया जाएगा; और

(ज) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या 3,08,623 थी।

(ख) जी हां।

(ग) यद्यपि, समिति की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है तथापि निम्नलिखित तीन अंतरिम सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं :—

i) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को, जब से अंतरिम राहत लागू की गई है, तब से, अंतरिम राहत का भुगतान।

ii) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को समान्य ड्यूटी घंटों के बाद भी रोकने के लिए प्रतिपूर्ति; तथा

iii) अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को दी जाने वाली अनुग्रह उपदान की राशि बढ़ाने के प्रयोजन से 97% महंगाई भत्ते का मूल भत्तों में विलय।

(घ) सिफारिश ग (i) पहले ही लागू की जा चुकी है। ग (ii) और (iii) में वित्तीय विवक्षायें निहित हैं और अन्य संबद्ध मंत्रालयों से परामर्श करके निर्णय लिया जाना है जिसमें लगभग 6 माह का समय लगेगा।

(ङ) और (च) अंतरिम राहत पहले ही दी जा चुकी है। इस समय, और अंतरिम लाभ घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं

3341. **श्री आर. साम्बासिवा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर, पत्रपेटी टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने, टेलीफोन लगाने जैसी संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की कोई एक समान नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में गत वर्षों के दौरान कितने डाकघर/टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इन टेलीफोनों/टेलीफोन एक्सचेंजों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ङ) टेलीफोनों के काफी लंबे समय तक खराब रहने तथा उपयोगी न रहने के कारण राज्यवार तथा विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने उपभोक्ताओं ने टेलीफोन कनेक्शन कटवा लिए?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हां। संचार सुविधाएं प्रदान करने की नीति/मानदंड विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) **डाक विभाग** : पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या विवरण-II में दी गई है।

दूर संचार विभाग : पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) टेलफोनों/टेलीफोन एक्सचेंजों के रख-रखाव के लिए किए जा रहे उपाय विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण–I

डाकघर खोलने/लेटर बॉक्स लगाने/टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की नीति

डाक विभाग :

1. **डाकघर खोलना :**

डाकघर मानदंडों पर आधारित औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर एक के बाद दूसरी निरंतर चलने वाली वार्षिक योजना के अंतर्गत प्लान एक्टीविटी के बतौर उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं।

2. नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

2.1 **जनसंख्या**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में** : गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (जिनमें वे गांव भी शामिल हैं, जहां डाकघर खोलने का प्रस्ताव है)

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में** : एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 या गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000।

2.2 **दूरी :**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में** : मौजूदा नजदीकी डाकघर से दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में** : दूरी की सीमा उपर्युक्त अनुसार होगी सिवाय इस कि पहाड़ी क्षेत्रों में निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट का औचित्य बनता हो, जिसका स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव भेजते समय किया जाना चाहिए।

2.3 **प्रत्याशित आय**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में** : प्रत्याशित आय लागत का कम से कम 33–1/3 प्रतिशत होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में** : प्रत्याशित आय लागत का कम से कम 15 प्रतिशत होगी।

3. **नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए मानदंड :**

3.1 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए।

3.2 सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमेय वार्षिक घाटा 2400/- रु. से अधिक तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र में 4800/-रु. से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, शहरी क्षेत्रों में आरंभ में डाकघर आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा आगे चालू रहने की पात्रता के लिए इसे प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए।

3.3 20 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में दो डाकघरों के बीच कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी तथा अन्य शहरी क्षेत्रों मे 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तथापि, कोई भी 2 वितरण डाकघर एक–दूसरे से 5 किलोमीटर से कम की दूरी पर नहीं होने चाहिए।

सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

3.4 शहरी क्षेत्रों के वितरण डाकघर में कैम से कम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

4. **लैटर बॉक्स लगाना :**

डाक विभाग का उद्देश्य 500 से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों में लैटर बॉक्स लगाना है।

दूरसंचार विभाग

विभाग की नीति के अनुसार, कोई नया टेलीफोन एक्सचेंज उस स्थान पर खोलने की योजना बनाई जाती है जहां रजिस्टर्ड पेंड डिमांड 10 या उससे अधिक होती है।

विवरण–II

ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 3 वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या सर्किलवार

क्रम सं.	राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	12	–	2
2.	असम	26	–	–
3.	बिहार	90	–	–
4.	दिल्ली	–	–	–
5.	गुजरात	15	–	–
	दादर और नगर हवेली	–	–	–
	दीव और दमण	–	–	–
6.	हरियाणा	16	1	1
7.	हिमाचल प्रदेश	90	–	–
8.	जम्मू व कश्मीर	23	–	–
9.	कर्नाटक	11	2	–
10.	केरल	29	1	–
	लक्षद्वीप	–	–	–
11.	महाराष्ट्र	105	2	–
	गोवा	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	35	–	–
13.	उत्तर पूर्व			
	अरूणाचल प्रदेश	6	–	–
	मणिपुर	11	–	–
	मेघालय	6	–	–
	मिजोरम	6	–	–
	नागालैंड	5	–	–
	त्रिपुरा	6	–	–
14.	उड़ीसा	42	–	–
15.	पंजाब	6	1	1
	चंडीगढ़	1	–	–
16.	राजस्थान	30	2	–
17.	तमिलनाडु	8	–	–
	पांडिचेरी	–	–	–
18.	उत्तर प्रदेश	95	–	–
19.	पश्चिम बंगाल	33	–	–
	सिक्किम	4	–	–
	अंडमान और निकोबार	–	–	–
	अखिल भारतीय योग	711	9	4

विवरण–III

ग्रामीण क्षेत्र में टेलीफोनों/टेलीफोन एक्सचेंजों के रखरखाव के लिए किए गए उपाय

1. पुराने तथा ऐसे एक्सचेंजों को बदलना जिनकी कार्य-अवधि समाप्त हो चुकी है।
2. बाह्य संयंत्र का उन्नयन।
3. कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।
4. लम्बी ओवर-हैड लाइनों को विश्वसनीय संचारण प्रणाली द्वारा बदलना।
5. रेडियो प्रसारण प्रणाल पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था।
6. ग्रामीण टेलीफोनों/टेलीफोन एक्सचेंजों की नजदीकी मॉनीटरिंग करने के लिए हर रोज परीक्षण।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए कार्य समय

3342. **श्री पवन दिवान** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फैक्टरियों में काम करने वाली महिलाओं/लड़कियों को निर्धारित कार्य समय पश्चात् देर तक बैठना पड़ता है जिसकी वजह से अपने घर वापस जाते समय वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो महिलाओं को देर तक न बैठने के लिए प्रावधान बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 के अंतर्गत, किसी भी महिला कर्मकार को किसी भी कारखाने में प्रातः 6.00 बजे से लेकर रात्रि 7.00 बजे तक के समय को छोड़कर कार्य करना अपेक्षित नहीं है अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कारखाने अथवा कारखानों के ग्रुप अथवा श्रेणी अथवा प्रकार के संबंध में, ऊपर वर्णित सीमाओं को अलग-अलग कर सकती हैं। किन्तु ऐसे किसी अंतर से सायं 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक के बीच किसी महिला के नियोजन को प्राधिकृत नहीं कर सकती है। राज्य सरकारें किसी कच्चे माल को नुकसान होने अथवा खराब होने से बचाने के लिए मछली साफ करने अथवा मछलियों को डिब्बा बन्द करने वाले उद्योगों में कार्य करने वाली महिलाओं के संबंध में सायं 10.00 बज से प्रातः 5.00 बजे के बीच कार्य घन्टों के प्रतिबंध से छूट प्रदान कर सकती हैं। उपर्युक्त उपबंधों के प्रवर्तन का दायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का है।

[अनुवाद]

नए कनेक्शन प्रदान करने में अनियमितताएं

3343. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को वर्ष 1994, 1995 और 1996 में अब तक पश्चिम बंगाल में जिलेवार विशेषरूप से कूच बिहार में नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान

करने के संबंध में कदाचार/अनियमितताओं/भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सरकार को वर्ष 1994-1995 और 1996 के दौरान (अब तक) 25 शिकायतें प्राप्त हुई। जिला-वार ब्यौरा तथा इसमें शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) सेकेण्डरी स्विचन क्षेत्रों के सभी अध्यक्षों/फील्ड अधिकारियों को कहा गया है कि वे नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करते समय अत्यधिक सतर्क रहें।

विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	1994		1995		1996	
		शिकायतों की संख्या	की गई कार्रवाई	शिकायतों की संख्या	की गई कार्रवाई	शिकायतों की संख्या	की गई कार्रवाई
1.	बर्दवान	1	संलिप्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।	1	मामले की जांच की गई किसी अनियमितता का पता नहीं चला है।	1	संलिप्त कर्मचारी का स्थानांतरा कर दिया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।
2.	बिरभूम	1	—वही—	शून्य	—वही—	1	संबंधित कर्मचारी को चेतावनी दी गई है।
3.	दार्जिलिंग	1	संलिप्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।	शून्य	—वही—	शून्य	—
4.	माल्दा	1	चेतावनी दी गई।	1	संलिप्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई	शून्य	—
5.	नदिया	1	मामले की जांच की गई, किसी अनियमितता का पता नहीं लगा है।	शून्य	—	शून्य	—
6.	कूचबिहार	शून्य	—	1	संलिप्त अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।	शून्य	—
7.	उत्तरी 24 परगना	शून्य	—	1	संलिप्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।	1	—
8.	दक्षिणी 24 परगना	शून्य	—	शून्य	—	1	मामले की जाचं की गई है। किसी अनियमितता का पता नहीं चला है।
9.	कलकत्ता टेलीफोन्स	10	सात मामलों की जांच करने पर किसी अनियमितता का पता नहीं चला है। 2 मामलों में थोड़ी बहुत तकनीकी अनियमितताएं पाई गई जिन्हें बाद में ठीक कर दिया गया। एक मामले में संदिग्ध कर्मचारी को चेतावनी दी गई है।	1	सीबीआई द्वारा मामले की जांच की जा रही है।	1	दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विकलांगों के लिए स्कूल

3344. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विकलांगों (मूक और वधिर) के लिए चल रहे स्कूलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये विद्यालय आवश्यकतानुसार पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या बरेली में ऐसे स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर इंटरमीडिएट स्तर तक करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बसवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य तेल का आयात

3345. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने तिलहनों एवं खाद्य तेलों का आयात किया गया; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने तिलहनों एवं खाद्य तेलों का आयात किया जाएगा?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सरकार द्वारा व्यावहारिक कठिनाइयों जैसे संशोधन की (क्वारन्टीन) आवश्यकताओं, क्षतिग्रस्त बीजों के आने आदि को ध्यान में रखते हुए आमतौर पर खाद्य तिलहनों का आयात नहीं किया जाता है। इस समय खाद्य तेल का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत है। सरकार केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेल का आयात करती रही हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किए गए खाद्य तेल का आयात नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा (लाख मी. टन में)
1993-94	0.42
1994-95	1.07
1995-96	1.49

(ख) राज्य व्यापार निगम को फरवरी-अक्तूबर 1996 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 2.00 लाख मी. टन खाद्य तेल का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में खानों को पट्टे पर दिया जाना

3346. **श्री चित्रसेन सिंकु :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में खानों को पट्टे पर दिये जाने से संबंधित बिहार सरकार के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कब से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जायेगी?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। बिहार से संबंधित 12 मामलों को वर्ष 1995-96 के दौरान निपटाया गया है। नया खनन पट्टा मंजूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा अनुशंसित तीन मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन चैनल-4 का प्रसारण समय

3347. **श्री एस. अजय कुमार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस चैनल को खाड़ी देशों में भी लोकप्रिय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दूरदर्शन चैनल-4 के प्रसारण समय को बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) यह चैनल खाड़ी के देशों में रहने वाले मलयाली लोगों के बीच पहले से ही काफी लोकप्रिय है।

(ख) से (घ) वर्तमान में, डी.डी.-4 द्वारा प्रतिदिन 14 घंटे कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तथापि, संसाधनों, जनशक्ति और अन्य आधारभूत सुविधाओं संबंधी बाध्यताओं के कारण फिलहाल इसके प्रसारण समय में वृद्धि करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी पूंजी से टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

3348. **श्री नीतीश कुमार :**
जस्टिस गुमानमल लोढ़ा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार हेतु विदेशी पूंजी संसाधनों का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी पूंजी निवेश के लिए अभी तक कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो जुलाई, 1996 तक निवेश की गई विदेशी पूंजी का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) सात विदेशी साम्या (जैसा ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है) रखने वाली भारतीय रजिस्टर्ड कम्पनियों को दस टेलीफोन सर्किलों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वी.पी.टी) सहित बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए आशय पत्र दिये गये हैं। अपनी बोलियों के साथ प्रस्तुत रोल आउट योजना के अनुसार उन्होंने पहले तीन वर्षों में 1,55,590 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। किसी भी आशय पत्र धारक को आज की तारीख तक कोई लजाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इसलिए विदेशी पूंजी निवेश और इसके लक्ष्य का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बोली लगाने वाले का नाम	जिन सर्किलों के लिए आशय पत्र जारी किये गये उनका नाम	विदेशी साम्य का प्रतिशत	प्रा० ऑपरेटरों द्वारा पहले तीन वर्षों में मुहैया कराये जाने वाले ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
मैसर्स बेसिक टेलीफोन सर्विसेज लि०	तमिलनाडु	25% से 49%	9904
मैसर्स एसएफसी एल बेजेक टेलीकॉम लि०	दिल्ली,	41%	शून्य
	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)		58783
	हरियाणा		1931
	उड़ीसा		39500
मैसर्स टाटा टेली सर्विसेज लि०	आन्ध्र प्रदेश	10%	9635
मैसर्स टेकनो टेलीकॉम लि०	बिहार	15%	22000
मैसर्स एसार कॉमाविजन	पंजाब	10%	5442
मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम	गुजरात	10%	8635
मैसर्स ह्यूज्म इस्पात लि०	महाराष्ट्र	40%	25760

मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधाओं की कमी

3349. **श्री कम्मन सिंह कुशवाहे** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर मंडला एवं बिलासपुर जिलों में टेलीफोन सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तभी तहसील मुख्यालयों को मंडला जिला मुख्यालय से टेलीफोन सुविधाओं से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों, जिनमें मंडला तथा बिलासपुर जिलों के जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, में पर्याप्त टेलीफोन सुविधाएं हैं। इन क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालियों की मौजूदा स्थिति और उनके विस्तार की योजना विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। मंडला जिले में मंडला, निवास तथा डिंडोरी तीन तहसीलें हैं। डिंडोरी तहसील मुख्यालय उपग्रह प्रणाली के माध्यम से मंडला जिला मुख्यालय के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। निवास तहसील मुख्यालय को, उपग्रह के माध्यम से मंडला जिला मुख्यालय के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों, मंडला तथा बिलासपुर जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज प्रणालियों की मौजूदा स्थिति और उनके विस्तार की योजना।

क्र० सं०	जिला	मौजूदा क्षमता	वर्तमान स्थिति				योजना 96-97
			सीधी एक्सचेंज लाइने	प्रतीक्षा सूची	जोड़ी गई निवल क्षमता		जोड़ी गयी सीधी एक्सजेंज लाइनें
1.	मंडला (जनजातीय क्षेत्र)	968	508	0	480		288
2.	बिलासपुर (जनजातीय क्षेत्र)	3464	2002	2006	1456		874
3.	मध्य प्रदेश (जनजातीय क्षेत्र)	150698	108811	5215	7800		5600

चिकित्सा-आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

3350. **डा० जी. आर. सरोदे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आवंटन के मानदंड/नियम क्या हैं;

(ग) क्या आवेदकों को सामान्य विशिक्त श्रेणी में उनके पंजीकरण के बाद चिकित्सा आधार पर अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को समाप्त करने का है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) चिकित्सा आधार पर अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन दुगुने किराये प्रभार पर दिये जा सकते हैं। यदि चिकित्सा आधार पर अस्थायी कनेक्शन की छः महीने से अधिक की अवधि के लिए आवश्यकता होती है तो आवेदक को टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराना पड़ता है।

(ग) जी, हां।

(घ) ऐसा महसूस किया जाता है कि टेलीफोन कनेक्शन की अस्थायी जरूरत के लिए छ : महीने की अवधि पर्याप्त है। यदि उपभोक्ता छः महीने से अधिक की अवधि के लिए टेलीफोन कनेक्शन चाहता है तो उसे टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकरण करा लेना चाहिए ।

(ङ) जी, नहीं।

उत्पाद शुल्क में कमी

3351. **जस्टिस गुमानमल लोढा :**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में इस्पात उद्योग के लिए उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घोषणा के बावजूद इस्पात का उत्पादन करने वाली इकाइयों को पिछले वर्ष की तुलना में उत्पाद शुल्क के रूप में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या उत्पाद शुल्क में वृद्धि से विश्व बाजार में भारत के इस्पात का मूल्य बढ़ेगा?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस्पात पर उत्पाद-शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, निर्यात को उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम को निधियों का आवंटन

3352. **श्री ई० अहमद :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) पिछले वित्त वर्ष में यह धनराशि राज्यवार किस प्राकर वितरित की गई;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम गठित किए गए हैं तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(घ) अन्य राज्यों में ऐसा निगम गठित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या पिछले वर्ष की आवंटित धनराशि का पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो लाभभोगियों की राज्यवार संख्या क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) केन्द्र सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के इक्विटी पूंजी अंशदान के लिए 125 करोड़ रुपए का आबंटन किया है। इसमें से 1995-96 तक 89 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी और वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में 36 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की इक्विटी में आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य सरकारों ने एक-एक करोड़ रुपए का अंशदान किया है जबकि उत्तर प्रदेश ने 7 करोड़ रुपए का अंशदान किया है।

(ख) 1995-96 के दौरान निधियों का राज्य-वार संवितरण इस प्रकार है:–

	धनराशि लाखों में
आन्ध्र प्रदेश	98.00
हरियाणा	93.45
जम्मू और कश्मीर	112.83
कर्नाटक	23.65
मध्य प्रदेश	136.30
पंजाब	91.70
उत्तर प्रदेश	93.18

(ग) बिहार, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों ने राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगमों की स्थापना की है।

इन राज्यों में अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम उन राज्य सरकारों की पूर्णतः स्वामित्व वाली कम्पनियां हैं।

(घ) केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए माध्यम एजेंसी नामिल करने का अनुरोध किया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च)

राज्य	लाभग्राही
आन्ध्र प्रदेश	1650
हरियाणा	263
जम्मू और कश्मीर	290
कर्नाटक	210
मध्य प्रदेश	763
पंजाब	181
उत्तर प्रदेश	1500

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेस डिपो खोलना

3353. **श्री धापरचन्द गेहलोत** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक बेस डिपो खोलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोकारो स्थित बेरमो टेलीफोन एक्सचेंज

3354. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो जिला स्थित बेरमो टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस समय इस एक्सचेंज की केवल 500 लाइनें काम कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप 1994 में टेलीफोन कनैक्शन के लिए पंजीकृत आवेदनों में काफी वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस एक्सचेंज की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बोकारो जिला स्थित बेरमो एक्सचेंज की क्षमता 1000 लाइनों की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक्सचेंज पूरी तरह से कार्य कर रहा है। 31.7.96 की स्थिति के अनुसार, अक्तूबर, 1996 तक 120 उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची निपटाए जाने की आशा है।

राजस्थान में पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएं

3355. **श्री निहाल चन्द चौहान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिलावार उन पंचायतों की संख्या कितनी है जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है; और

(ख) राज्य में जिलावार शेष पंचायतों में कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा रहित पंचायतों की संख्या 1065 है। जिलावार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) शेष पंचायतों में वर्ष 1999 तक सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है। जिलावार ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त तथा सुविधा रहित पंचायतों का जिला-वार ब्यौरा।

क्रम सं.	जिला	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायतें	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा रहित पंचायतें
1	2	3	4
1.	अजमेर	272	4
2.	अलवर	415	62
3.	बांसवाड़ा	269	56
4.	बाडमेर	375	5
5.	भरतपुर	299	73
6.	भीलवाड़ा	332	46
7.	बीकानेर	173	18
8.	बूंदी	137	44
9.	चित्तौड़गढ़	309	82
10.	चूरू	275	4
11.	धौलपुर	136	17
12.	डूंगरपुर	181	55
13.	जयपुर और दौसा	582	129
14.	जैसलमेर	120	6
15.	जालोर	263	1
16.	झालावाड़	126	25
17.	झुनझुनू	264	24
18.	जोधपुर	332	6
19.	कोटा तथा बारां	277	99
20.	नागौर	456	4
21.	पाली	317	4
22.	सवाईमाधोपुर	305	118

1	2	3	4
23.	सीकर	309	19
24.	सिरोही	146	2
25.	श्रीगंगानगर	492	80
26.	टोंक	225	5
27.	उदयपुर तथा राजसमंद	626	77
	कुल :	8113	1065

[अनुवाद]

कांडला पत्तन न्यास

3356. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कांडला के प्रमुख पत्तनों में कार्यरत, विभिन्न श्रमिक संघों की सदस्यता के संबंध में जांच कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक श्रमिक संघ की सदस्यता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार कांडला पत्तन न्यास न्यासी बोर्ड में श्रम न्यासियों एवं कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) कांडला पत्तन न्यास को 1.4.1996 से पुनर्गठित किया गया था और 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार संघों की सदस्यता के सत्यापन संबंधी रिपोर्ट की प्राप्ति पर न्यासी बोर्ड में श्रम न्यासियों को नियुक्त किया गया है।

कांडला गोदी श्रम बोर्ड को 31.12.1990 की स्थिति के अनुसार संघों की सदस्यता के सत्यापन के आधार पर 1.12.1995 से पुनर्गठित किया गया था। 31.12.1992 की स्थिति के अनुसार, संघों की सदस्यता के सत्यापन की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भिन्न-भिन्न संघों को सीटों के आबंटन की पुनरीक्षा की गई है तथा प्रशासनिक मंत्रालय को उनकी पात्रता के अनुसार आबंटित करने के लिए कार्रवाई की गयी है।

विवरण

क्र. सं.	संघ का नाम	केन्द्रीय संगठन/परिसंघ से सम्बन्धन	पत्तन न्यास में कार्यरत कर्मकारों की सत्यापित सदस्यता	गोदी श्रम बोर्ड में कार्यरत कर्मकारों की सत्यापित सदस्यता
1.	परिवहन और गोदी कर्मकार संघ (कच्छ)	हिन्द मजदूर सभा (हि. म. स.)	3095	746
2.	काण्डला पत्तन कर्मकार संघ (कच्छ)	अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस (एटक)	983	—
3.	काण्डला पत्तन कर्मचारी संघ गाँधीधाम	भारतीय राष्ट्रीय व्यवसाय संघ कांग्रेस (इंटक)	1568	233
4.	काण्डला पत्तन और गोदी कर्मचारी संघ, गाँधीधाम	हिन्द मजदूर सभा (हि. म. स.)	05	53
5.	काण्डला पत्तन और गोदी मजदूर संघ, गाँधीधाम	राष्ट्रीय श्रम संगठन (रा. श्र. स.)	13	—
6.	काण्डला महाबन्दर मजदूर संघ गाँधीधाम	भारतीय मदजूर संघ (भा. म. स.)	रिकार्ड नहीं दिए गए	
7.	काण्डला स्टेवेडोर्स और गोदी कर्मकार संघ, गाँधीधाम	केन्द्रीय भारतीय व्यवसाय संघ (सीटू)	—यथोक्त—	

विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र

3357. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करके विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे केन्द्रों के नाम तथा स्थान का ब्यौरा क्या है; और

(ख गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन केन्द्रों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रदान की गई राशि (रुपए लाख में)		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	हैलन कैल्लर इन्स्टीटयूट फार डीफ एंड डीफ ब्लाइंड, बम्बई	—	8.70	4.83
2.	एजूकेशन जीयोलॉजी एंड रिसर्च सोसायटी, बम्बई	—	4.09	0.74
3.	जाजी विद्यार्थी संघ, जलगांव	—	1.55	—
4.	न्यू एजूकेशन सोसायटी, कोल्हापुर	—	2.00	—
5.	सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडल प्रभन्ज	—	2.43	—
6.	श्रीराम एजूकेशन सोसायटी, खांगांव	—	6.40	—
7.	श्री सिद्धेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, वासमथ	2.00	—	—
8.	सुहरद मंडल, पुणे	2.48	1.90	1.96
9.	जानकीभाई शिक्षण संस्थान, विकास विद्यालय फार हेयरिंग हैडीकैप्ड, बम्बई	1.49	0.40	.38
10.	थाणे ज़िला स्ट्रीट शक्ति जागृति समिति, थाणे	1.50	1.50	1.31
11.	आविष्कार सोसायटी फार डिव्लपमेंट आफ एम. एच. परसन्स बांलागिरी	—	2.00	—
12.	एडब्ल्यूएमएस, बम्बई	—	0.77	—
13.	के. ई. एम. होस्पीटल, पुणे	5.76	3.02	—
14.	एमआर रेजिडेंशनल स्पेशल स्कूल फार ब्वाइज एंड गर्लस, नागपुर	—	1.22	—
15.	पुनर्वास एजूकेशन सोसायटी, बम्बई	—	0.52	—
16.	जै वकील रिसर्च सोसायटी फार दि केयर, बम्बई	3.75	13.25	9.62
17.	सोसायटी फार वोकेशनल रिहैब्लीटेशन आफ रिटेरियट, बम्बई	0.27	1.31	1.40
18.	बी डी इन्डियन सोसाइटी फॉर एमआर बम्बई	—	0.44	1.64
19.	फ्री ट्रस्ट विरार	10.75	6.67	9.52
20.	संत बाडगे महाराज मत्कया विनुनसी जैनी संसासी शिशु प्रसारक मंडल परभानो।	—	1.09	2.00
21.	अपंग, मैट्री, थाने।	—	0.50	—
22.	अपंग निराधार कल्याणकारी संस्था, नागपुर।	—	1.78	—
23.	अपंग जीव विकास संस्था, अमरावती।	—	0.18	2.49
24.	ग्राम विकास युवक मंडल, मानदोड	—	0.79	—
25.	इण्डियन कानसर सोसाइटी, बम्बई।	0.74	0.54	0.87
26.	मराठवाडा अपंग संस्थान, लातुर।	—	2.22	—

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रदान की गई राशि (रुपए लाख में)		
		1993-94	1994-95	1995-96
27.	मैत्री सेवा संघ, नागपुर।	2.86	2.56	—
28.	समता युवक मंडल, नानदेड।	—	0.84	—
29.	सोसाइटी फॉर दि एजुकेशन आफ सरीपलैड, बम्बई	1.07	0.79	2.07
30.	अवजय मर्चेन्ट रिहबिलिटेशन सेंटर फॉर दि दिसब्लैड, बम्बई।	1.49	3.59	1.14
31.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, लातुर	—	0.65	—
32.	अपंग पुनर्वास, बुलदाना	2.00	—	—
33.	फैलोशिप ऑफ दि फिजिकली हैंडीकैप्पड, बम्बई	2.47	—	—
34.	एन ए एसईओएच, बम्बई	0.95	2.18	1.61
35.	गणेशी सेवा ट्रस्ट, हिंगोली।	—	2.00	0.50
36.	एन एस डी इंडस्ट्रीयल होम फॉर दि ब्लाइंड, बम्बई	2.20	0.40	—
37.	एन ए बी, बम्बई।	23.15	17.43	17.16
38.	नेशनल फेडरेशन ऑफ द बलाइंड,	—	0.91	0.94
39.	सोसायटी फार द स्पेशल एजूकेशन फार द डीफ	2.25	—	—
40.	सोसायटी फार द बेलफेयर आफ फिजीकली हैन्डीकैप्ड, पुणे	3.50	—	—
41.	रेस्ट्रा सैन्ट तुसादोजी महाराज टेक्नीकल एजूकेशन सोसायटी	4.75	—	—
42.	विद्या भवन एजुकेशन सोसायटी, पारभानी सोसायटी पर एजूकेशन	2.00	—	—
43.	'प्राइड' इण्डिय, बाम्बे	2.47	—	—
44.	लॉयन डीफ एण्ड डम्ब फिजीकली हैण्डीकैप्ड स्कूल, कोपनगांव	0.50	—	—
	कुष्ठ रोग की चिकित्सा प्राप्त रोगियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना			
45.	बाम्बे लेप्रसी प्रोजेक्ट	0.75	1.19	1.22
46.	पूना डिस्ट्रिक्ट लेप्रसी कमेटी, पुणे	3.54	11.61	11.692
47.	वई अक्षर सतारा	—	3.16	—
	सहायताओं और उपकरणों की खरीद/पूर्ति के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना			
48.	एन०ए०एस०ई०ओ०एच०, बाम्बे	4.50	2.00	2.00
49.	अयोध्या चेरिटेबल ट्रस्ट, पुणे	2.50	5.00	2.50
50.	फेलोशिप आफ द फिजीकली हैन्डीकैप्ड, बाम्बे	0.60	0.30	0.15
51.	इण्डियन कैंसर सोसायटी, बाम्बे	0.82	1.50	0.80
52.	ए वाई जे एन आई एच एच, बाम्बे	19.33	43.49	7.00
53.	सोसायटी फार द वेल्फेयर आफ फिजीकली हैण्डीकैप्ड, वनवाडी, पुणे	—	0.50	—
54.	नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइन्ड, नासिक	—	0.03	0.02
55.	आर्टीफिशियल लिम्ब्स, सेन्टर, पुणे	0.21	—	1.00
56.	सुश्रुत मेडिकल-केयर एण्ड रिसर्च सोसायटी, पुणे	1.50	2.87	0.41
57.	हेल्पर आफ् द हैण्डीकेप्ड	—	0.91	0.90

भिलाई इस्पात संयंत्र में जहरीली गैस

3358. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 25 मई, 1996 को जिन चार व्यक्तियों को भिलाई इस्पात संयंत्र में रोगन करने का काम दिया गया था वे जहरीली गैस के रिसाव के कारण मर गये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई उपाय किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) जी, हां। 25 मई, 1996 को भिलाई इस्पात संयंत्र की धमन भट्टी नं० 7 के स्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र के सेटलिंग टैंक नं० 3 में दुर्घटना हुई जिसमें 4 ठेका श्रमिकों जो पेन्टिंग के कार्य में लगाए गए थे, मारे गए।

(ख) और (ग) जी, हां। "सेल" ने दुर्घटना की जांच करने के लिए दो जांच समितियां गठित की थीं। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग ने भी मामले की जांच कराई है। इनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई यथा समय की जाएगी।

(घ) और (ङ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुरावृत्ति को रोकने के लिए इपोक्सी पेन्ट के संघटकों तथा पर्यावरण और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के संबंध में प्रशिक्षण देना, इस प्रकार के कार्यों के लिए सुरक्षा नयाचार तैयार करना तथा ठेकेदारों आदि द्वारा सुरक्षित प्रचालन प्रक्रियाओं के पालन करने आदि जैसे एतिहाती उपाय किए गए हैं।

खान दुर्घटनाएं

3359. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
प्रो० चुन चुन प्रसाद यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993, 1994 तथा 1995 के दौरान खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई;

(ख) खान दुर्घटनाओं में वृद्धि के कौन से कारण होने का पता लगाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में खान दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान खान दुर्घटनाओं की संख्या क्रमशः 1583, 1180 और 1230 थी। खानों में दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति घटती बढ़ती रहती है। वर्ष 1995 के दौरान खानों में दुर्घटनाओं में थोड़ी अधिकता चूनापत्थर खानों में ओपेन कास्ट और भूमि के ऊपर व्यक्तियों के गिर जाने के कारण हुई।

(ग) खानों में कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा से सम्बन्धित प्रावधान खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में किए गए हैं। सुरक्षा कानूनों की निरन्तर समीक्ष की जाती है और उनमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने भी सुरक्षा उपायों में सुधार करने के लिए प्रबंधनों को परिपत्रों के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन प्रावधानों का खान प्रबंधनों द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन किया जाना आवश्यक है। सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी करने के लिए और चूक के मामले में खान अधिनियम, 1952 के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी समय समय पर खानों का निरीक्षण करते हैं। विधायी उपायों के अतिरिक्त सरकार अन्य अनेक पहलों को बढ़ावा दे रही है, जैसे :—

(i) खानों में सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलन,

(ii) प्रबंधनों द्वारा स्वतः विनियमन,

(iii) सुरक्षा प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता,

(iv) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा,

(v) कामगारों का प्रशिक्षण

(vi) सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना और सुरक्षा अभियान चलाना,

(vii) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

जनजातीय विकास परियोजना हेतु निधि आबंटन

3360. **श्री चुन चुन प्रसाद यादव :**
प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनजातीय विकास परियोजनाओं हेतु पांचवीं, छठी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधियों के दौरान कितना तुलनात्मक आबंटन किया गया;

(ख) आबंटन के मुकाबले कितना वास्तविक व्यय किया गया;

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया;

(घ) असंतोषजनक कार्य निष्पादन प्रदर्शित करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार जनजातीय उपयोजनाओं की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) देश में राज्य योजना के अंतर्गत आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए पांचवीं, छठी, सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किया गया तुलनात्मक आबंटन और विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रथम प्ररन्तुक के तहत किए गए आबंटन क्रमशः 1102.84 करोड़ रुपए, 4061.35 करोड़ रुपए और 7163.71 करोड़ रुपए थे।

(ख) पांचवीं, छठी और सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए किए गए आबंटन के मुकाबले किया गया व्यय क्रमशः लगभग 977.26 करोड़ रुपए, 4286.47 करोड़ रुपए और 8023.76 करोड़ रुपए था।

(ग) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 69.78 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले

वास्तव में 102.55 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता दी गई ।

(घ) यह सूचना मिली है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले सभी आदिवासी उप योजना राज्यों ने संतोषजनक उपलब्धि दर्शाई है।

(ङ) और (च) सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 339(1) के अंतर्गत एक आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक आदिवासी उपयोजना दृष्टिकाणे तथा उपयुक्त विकल्प के परीक्षण और सिफारिश सहित आदिवासियों के लिए विकास संबंधी कार्य नीतियों की समीक्षा करना है।

निजी क्षेत्र के होटलों में गोमांस की बिक्री

3361. **श्रीमती मेनका गांधी :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में निजी क्षेत्र के होटलों में विशेषतः ओबेराय ग्रुप के होटलों में गोमांस मुक्त रूप में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो ओबेराय ग्रुप के होटल किस स्रोत से गोमांस प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने गोमांस पर प्रतिबंध लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) (क) और (ख) जी, नहीं। ओबेराय ग्रुप के होटेलों में दिल्ली कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम, 1994 में उल्लिखित सूची के अनुसार प्रतिबंधित कोई गोमांस नहीं परोसा जाता। तथापि, वे दिल्ली और उसके साथ जुड़े हुए क्षेत्रों से मांस बेचने वाले स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से भैंस का मांस प्राप्त कर लेते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह एक राज्यीय विषय है।

[हिन्दी]

निर्माताओं को निधियों का आवंटन

3362. **श्री पुन्नू लाल मोहले :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारावाहिकों तथा वृत्त चित्रों के निर्माण हेतु निजी निर्माताओं को निधियों का आबंटन करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों की गुणवता संबंधी तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सरकार के लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दूरदर्शन के निजीकरण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) कमीशन्ड कार्यक्रम के निर्माताओं को उनके प्रस्ताव के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत तथा लागत समिति द्वारा यथा अनुमोदित बजट ब्यौरों को देखते हुए एक मुश्त राशि दी जाती है।

(ख) बाह्य कमीशन्ड निर्माताओं द्वारा निर्मित कार्यक्रमों की गुणवत्ता उच्च व्यावसायिक स्तर की पाई गई है। चूंकि दूरदर्शन निर्माताओं को निर्माण की लगात का भुगतान कर रहा है इसलिए लाभ और हानि का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादकों की समस्याओं संबंधी आयोग

3363. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच के लिए कोई आयोग गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश में गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग को पेश आ रही समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जाचं करने के लिए आयोग नियुक्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। इन पहलुओं की मानीटरिंग राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही है।

क्रीमी लेयर

3364. **श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में लगाए 50 प्रतिशत की सीमा को भी समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बसवन्त सिंह रामूवालिया) : (ख) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष राशन कार्ड

3365. **डा० सी० सिल्वेरा:**
श्री भक्त चरण दास :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने तथा उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पहचान हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कार्डधारियों द्वारा हाल ही में शुरू की गई नवीनीकरण प्रक्रिया के समय दी गई जानकारी पर भी विचार किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ज) सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों पर केन्द्रित करते हुए उसका पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव का राज्यों द्वारा स्वागत किया गया है। प्रस्ताव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने की बात कही गई है और इस सम्बन्ध में स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने पर तथा उसके कार्यान्वयन के लिए औपचारिक आदेश जारी होने पर राज्य सरकारों को ऐसा करने की आवश्यकता के बारे में समझाया गया है।

जिला मुख्यालयों को हवाई सेवा

3366. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री गिरधारी यादव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से वायु मार्ग से जोड़ने के लिए उड़ानें आरम्भ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी केन्द्र सरकार से इस प्रकार का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) से (ङ) भारत सरकार को सभी जिला मुख्यालयों को हवाई मार्ग से जोड़ने से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापित, देश भर में एक संतुलित ढंग से हवाई परिवहन सेवाओं में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अंडेमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षमता मुहैया कराने के दृष्टि से ट्रंक मार्गों के इच्छुक प्रचालकों को मार्ग निर्धारण संबंधी मार्ग दर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। क्षेत्रीय विमान कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे उन जिलों और कस्बों को हवाई मार्ग से जोड़ें जो दूर दराज हैं और अब तक हवाई मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं।

सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा

3367. **श्री के० वी० सुरेन्द्रनाथ :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की कुछ संस्थाओं की सेवा लेकर सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) (क) और (ख) जी, हां। सांस्कृतिक पर्यटन का संवर्धन करना, पर्यटन विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सीधे ही तथा विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों/संस्थानों की सेवाएं लेकर भी, मेले तथा उत्सव आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

सैल्यूलर फोन सेवा

3368. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने सेल्यूलर फोन सेवाओं के लिए कोई अधिकतम और न्यूनतम प्रभार निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस समय सेल्यूलर फोन सेवा कम्पनियों द्वारा क्या दरें वसूल की जा रही हैं;

(घ) क्या सेल्यूलर फोन सेवा कम्पनियों ने दरों में भारी कमी करने की घोषणा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सरकार ने सेल्यूलर, सचल टेलीफोन सेवा के लिए सीलिंग टैरिफ निर्धारित किया है। सेल्यूलर प्रचालक सीलिंग टैरिफ से अधिक प्रभार वूसल नहीं कर सकते हैं। सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवाओं के लिए कोई न्यूनतम प्रभार निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) सीलिंग टैरिफ का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) चार महानगरों में 8 सेल्यूलर प्रचालकों द्वारा वसूल किए जा रहे प्रभारों की वर्तमान दरों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) से (च) एक कम्पनी द्वारा, जिसे 3 प्रान्तीय दूरसंचार सर्किलों में सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा चलाने का लाइसेंस दिया गया है, सेल्यूलर सचल टलीफोन सेवा की दरों में कमी करने की एक घोषणा के बारे में समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी है। कथित घोषणा के ब्यौरे कम्पनी से मांगे जा रहे हैं।

विवरण

सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा के लिए सीलिंग टैरिफ

1.	सेवा के लिए मासिक किराया	—	156/-रु० प्रतिमाह
2.	प्रतिभूति जमा	—	3000/-रु०
3.	संस्थापना प्रभार	—	1200/-रु०
4.	कॉल प्रभार :—		

4.1 सचल उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कालों के लिए:— स्थानीय, एस टी डी और आई एस डी कालों के लिए स्थिर नेटवर्क में लागू कॉल प्रभारों सहित प्रति यूनिट कॉल 10 सेकेंड की दर से एयर टइाइम प्रभार। एक ही सेल्यूर सेवा क्षेत्र के भीतर सचल से सचल कॉलों तक केवल एयर टाइमप्रभार वसूल किए जाएंगे।

4.2 सचल उपभोक्ता तक टर्मिनेट होने वाली कॉलों के लिए :— 10 सेकेंड प्रति यूनिट कॉल की दर से एयर टाइम प्रभार वसूल किया जाएगा। यदि सचल उपभोक्ता इन कमिंग कॉल को 5 सेकेंड के भीतर समाप्त कर देता है तो इस पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

5. टैरिफ पर टिप्पणिया :

5.1 सचल उपभोक्ता के लिए कॉल अवधि एयर टाइम आधार पर होगी।

5.2 दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क के उच्चतम स्लैब पर लागू यूनिट दर (इस समय रु० 1.40 प्रति यूनिट) पर एयर यूनिट कॉल प्रभारित की जाएगी। यूनिट दर सभी कॉलों के लिए ऊपर लिखे अनुसार लागू की जाएगी और इसके लिए कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं हैं।

5.3 व्यस्त घंटों के दौरान एयर टाइम के लिए काल प्रभार इस प्रकार निर्धारित किए जाएं कि वे उपर्युक्त पैरा! 4 में निर्धारित दर से दुगने न हों। व्यस्त घंटों को प्रतिदिन 4 घंटों से अधिकतम सीमा तक प्रतिबंधित किया जाए। व्यस्त घंटे और व्यस्त घंटों के दौरान एयर टाइम कॉल प्रभार लाइसेंस धारक द्वारा दूरसंचार प्राधिकरण के परामर्श से निर्धारित किए जाएं।

5.4 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्तूबर को 3 राष्ट्रीय छुट्टियों तथा सभी रविवार के दिनों में एयर टाइम प्रभार उपर्युक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों से आधी दर पर वसूल किए जाएं।

5.5 सचल उपभोक्ता से स्थिर नेटवर्क तक की जाने वाली कॉलों के लिए लाइसेंधारक कॉल के समय और दिन के अनुसार दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दरों पर सचल उपभोक्ता से प्रभार वसूल करेगा। इन कॉलों के लिए यूनिट दर, दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क की दर के उच्चतम स्लैब (इस समय रु० 1.40) के बराबर होगी। सभी कॉलों के लिए यूनिट दर उपर्युक्त अनुसार लागू होगी और इसके लिए कोई टेलीस्कोपिक दरें नहीं होगी।

5.6 एयर टाइम में कोई नि:शुल्क कॉल देने की अनुमति नहीं है।

5.7 स्थिर नेटवर्क से सचल उपभोक्ता तक की जाने वाली कॉलें :— सचल उपभोक्ता से एयर टाइम प्रभार लिया जाएगा और दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्यूलर प्रचालक को किसी प्रकार का अभिगम्यता शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। एयर टाइम प्रभार सेल्यूलर प्रचालक द्वारा इकट्ठे किए जाएंगे।

5.8 सचल से सचल तक, दोनों अर्थात् कॉल करने वाले और कॉल की गई पार्टी से प्रभार वसूल किए जाएंगे।

6. टैरिफ में सभी वृद्धियां दूरसंचार प्राधिकरण और/अथवा उसके उत्तराधिकारी की पूर्व अनुमति की शर्त के अध्यायधीन होंगी।

7. किराए में उपभोक्ता के टर्मिनल उपस्कर (सचल हैंड सैट) की लागत शामिल नहीं है। उपभोक्ता किसी भी स्रोत से टर्मिनल उपस्कर खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन के विरुद्ध मुकदमे

3369. **श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा"** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन तथा विदेश संचार निगम लि० के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों और उनके बच्चों द्वारा न्यायालय में दायर मुकदमों का ब्यौरा तथा संख्या क्या है;

(ख) वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने न्यायालय से न्याय की गुहार करने के लिए उन्हें ऐसे मुकदमें दायर करने के लिए मजबूर कर दिया था; और

(ग) न्यायालय में चल रहे मुकदमों तथा मुकदमें दायर करने के बाद चेयरमैन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को बड़ा

परेशान किये जाने के मद्देनजर सरकार द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड के चेयरमैन के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ तथा विदेश संचार निगम लि० के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों और उनके बच्चों द्वारा, अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत न्यायालय में कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रिक्त पद

3370. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत वातानुकूलित और शीतकरण अनुभाग में फोरमैन इत्यादि के आरक्षित श्रेणी के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन पदों को भरने के लिए अनेक विभागीय पात्र प्रत्याशी मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो इन रिक्तियों को नहीं भरने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बातानुकूलित और शीतकरण अनुभाग में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित फोरमैन का एक पद जो अनुसूचित जाति के साथ अन्तर परिवर्तनीय है, रिक्त पड़ा हुआ है।

(ग) जी, नहीं। विज्ञापन के जबाब में केवल विभाग के एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ने आवेदन किया है।

(घ) और (ङ) पद भरने के लिए उपयुक्त अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार का पता लगाने हेतु विगत समय में किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सितंबर/अक्टूबर, 1996 में चयन करने का प्रस्ताव है जिसमें फौरमैन के पद को भरने के लिए अनुसूचित जाति के समुदाय से संबंधित विभागीय और बाहर के उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

पर्यटक स्थलों का विकास

3371. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से कई पर्यटक स्थलों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के गर्म जल के स्रोत, जंगल, पहाड़ तथा वैद्यनाथ धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में कोई योजना तैयार/प्रस्तावित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आधारभूत सुविधाओं, पर्यटक परिसरों, पर्यटक बंगलों, मार्गस्थ सुविधाओं, यात्री निवासों/यात्रिकाओं, पर्यटक स्वागत केन्द्रों, टेंटों में आवास, साहसिक खेलों और प्रचार, उन्नयन, मेलों और उत्सवों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य संघराज्य क्षेत्र सरकारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण संलग्न है :–

(ग) और (घ) गर्म पानी के चश्मों, वनों, पहाड़ों तथा वैद्यानाथ धाम में परियोजनाओं हेतु दी गई वित्तीय सहायता के बयौरे नीचे दिए गए हैं :–

	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
1.	नेत्र हाट में जल-पान गृह	6.64
2.	राजगीर में जन-सुविधाएं	2.87
3.	मुंगेर में पर्यटक परिसर	16.88
4.	देवगढ़ में जन-सुविधाएं	2.57
5.	बैसुखीनाथ में जन-सुविधाएं	2.57
6.	छोटा नागपुर मेला	2.60
7.	ट्रैकिंग उपकरणों की खरीद	2.48
8.	देवगढ़ में यात्रिका	21.93
9.	झुमरी तलैया में जल-पान गृह	9.75
10.	देवगढ़ में पर्यटक परिसर	27.00
11.	हज़ारीबाग में पर्यटक परिसार	16.86
12.	तम्बुओं में आवास	10.86
13.	माइटन में पर्यटक परिसर	16.88
14.	मसनजौर में मार्गस्थ सुविधाएं	8.48
15.	राजगीर में शौचालय एवं पेयजल	1.50

विवरण

गत तीन वर्षों के अर्थात 1993-94, 1994-95, और 1995-96 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता।

(लाख रुपयों में)

	1993-94		1994-95		1995-96	
	स्वीकृत की गई राशि	अवमुक्त की गई राशि	स्वीकृत की गाई राशि	अवमुक्त की गई राशि	स्वीकृत की गई राशि	अमुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5	6	6
आन्ध्र प्रदेश	114.28	57.97	174.64	73.23	13.46	9.00
अरुणाचल प्रदेश	45.40	23.50	—	—	52.26	25.50
असम	78.11	28.83	52.99	27.00	70.24	23.30
बिहार	53.61	19.95	112.12	28.00	116.52	14.04
गोवा	78.82	41.38	162.07	75.52	221.55	96.15
गुजरात	65.76	35.48	21.19	11.00	7.98	4.73
हरियाणा	223.21	81.62	188.96	65.98	119.45	61.57
हिमाचल प्रदेश	349.28	177.22	368.85	131.91	373.39	35.97
जम्मू एवं कश्मीर	225.60	100.88	215.98	108.55	150.30	43.43
कर्नाटक	177.44	114.53	229.96	104.50	229.36	82.55
केरल	97.40	26.50	307.05	146.00	209.94	83.95
मध्य प्रदेश	31.57	9.00	9.32	5.00	—	—
महाराष्ट्र	309.31	156.49	273.46	103.92	83.64	23.90
मणिपुर	45.50	27.35	4.00	2.00	75.81	24.20
मेघालय	1.85	1.85	—	—	4.08	2.04
मिजोरम	88.18	62.83	111.80	41.29	100.86	36.27
नागालैण्ड	16.66	10.97	36.43	16.85	51.60	18.94
उड़ीसा	101.52	61.79	166.31	35.62	108.86	27.50
पंजाब	186.67	50.38	136.71	56.14	139.49	21.50
राजस्थान	260.43	132.93	662.78	567.37	164.65	33.56
सिक्किम	130.89	111.49	49.07	12.63	24.61	13.68
तमिलनाडु	402.45	186.89	145.72	67.35	250.11	72.72
त्रिपुरा	15.07	9.69	46.61	22.40	35.43	10.00
उत्तर प्रदेश	151.04	60.65	223.80	144.30	26.21	26.21
पश्चिम बंगाल	167.30	57.50	144.01	37.26	191.10	22.70
संघ राज्य क्षेत्र						
अण्डमान एवं निकोबार	53.47	26.00	—	—	45.00	20.00
चण्डीगढ़	18.66	14.80	64.66	19.50	17.20	10.86
दादर एवं नगर हवेली	—	—	23.62	12.00	—	—
दमन एवं द्वीव	12.03	7.50	42.31	21.45	44.21	9.30
दिल्ली	117.23	74.64	116.50	56.67	28.23	17.77
लक्षद्वीप	—	—	19.95	10.00	24.65	—
पांडिचेरी	29.75	15.00	—	—	28.12	13.10
जोड़ :	3648.49	1786.06	4110.87	2003.44	3009.31	884.37

[अनुवाद]

बीड़ी कर्मकारों हेतु सचल अस्पताल

3372. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी कर्मकारों हेतु कन्नानोर, केरल में पेरालासेरी नामक स्थान पर प्रस्तावित सचल अस्पताल स्थापित हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा अस्पताल कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) करेल में बीड़ी कर्मकारों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है।

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) कन्नानोर, केरल में पेरालासेरी नामक स्थान पर एक स्थिर-सह-सचल औषधालय सहित बीड़ी कर्मकारों के लिए 54 नये औषधालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचारधीन है।

(ख) इस प्रस्ताव को शीघ्र ही अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है।

(ग) केरल में रहने वाले बीड़ी कर्मकारों सहित बीड़ी कर्मकारों के लिए बनाई गयी विभिन्न कल्याण योजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल में रहने वाले बीड़ी कर्मकारों सहित बीड़ी कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं की सूची।

स्वास्थ्य

1. टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण।
2. कैंसर से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को इलाज के वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति।
3. मानसिक रोगों से पीड़ित कर्मकारों का इलाज और ऐसे कर्मकारों को निर्वाह भत्ता और अन्य लाभ भी प्रदान करना।
4. चश्मों की खरीद के लिए बीड़ी कर्मकारों (घरखाता कर्मकारों सहित) को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
5. कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को घर पर रह कर इलाज प्रदान करने वाले निकायों/संगठनों को सहायता-अनुदान प्रदान करने और पात्र कर्मकारों को निर्वाह भत्ता प्रदान करने की भी योजना।
6. टी.बी. के मरीजों को आवासीय इलाज हेतु वित्तीय सहायता।
7. प्रसूति प्रसुविधा योजना के अंतर्गत महिला बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता।
8. बीड़ी कर्मकारों को नसबंदी हेतु अतिरिक्त वित्तीय मुआवजे के भुगतान हेतु योजना।
9. हृदय रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना।
10. बीड़ी कर्मकारों को गुर्दा प्रत्यारोपण से संबंधित व्यय की वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की योजना।

आवास

1. अपना घर स्वयं बनाओ योजना।
2. बीड़ी कर्मकारों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आवास योजना।
3. शैडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4. सामूहिक आवास योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी कर्मकारों (घरखाता बीड़ी कर्मकारों सहित) के बालकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों को ड्रेस के एक सैट, स्लेट, कापियां और पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता हेतु कम्पोजिट योजना।
3. दसवीं कक्षा से आगे विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन का भुगतान।
4. स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर बीड़ी कर्मकारों की बालिकाओं को 1/-रुपये का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

आमोद-प्रमोद

1. दृश्य-श्रव्य सैटस स्थापित करना/सिनेमा गाड़ियां/चलचित्रों का प्रदर्शन।
2. बीड़ी कर्मकारों के लिए खेल-कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करना।
3. बीड़ी कर्मकारों के लिए अवकास घर की योजना
4. बीड़ी कर्मकारों की औद्योगिक सहकारी समितियों को टी.वी. सैट की पूर्ति।
5. बीड़ी कर्मकारों की आवसायी कलोनी में रंगीन टी.वी. सैट के साथ सामुदायिक केन्द्र की स्थापना

आन्ध्र प्रदेश को धनराशि

3373. **श्री बी. धर्मभिक्षम :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में बुद्ध पूर्णिमा नागार्जुनसागर और नालगोंडा जिले के कोलनपका स्थित जैन मन्दिर को विकसित करने हेतु धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यटन विभाग को नालगोंडा जिले के नागार्जुनसागर के विकास के लिए चार योजनाएं प्रस्तुत की हैं जो निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाखों में)
1.	आवास सहित जल-पान गृह	23.70
2.	जल-क्रीड़ाओं की व्यवस्था	4.74
3.	पर्यटक बंगला	8.50
4.	सार्वजनिक सुविधाएं	4.94

केन्द्रीय पर्यटन विभाग को राज्य सरकार से हैदराबाद में बुद्ध पूर्णिमा और नालगोंडा जिले के कोलनपका स्थित जैन मन्दिर के लिए अभी तक कोई अन्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

पलामू को एस. टी. डी. द्वारा चन्दवा से जोड़ना

3374. **श्री ब्रजमोहन राम :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पलामू को चन्दवा से और 24 परगना में केनिंग टाउन को कलकत्ता के एस. टी. डी. द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक एस. टी. डी. सुविधा से जोड़े जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले के संबंध में पृथक-पृथक क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) चन्दवा में 128 पोर्ट सी-डॉट एक्सचेंज कार्य कर रहा है और इस समय ओवर हैड वायर पर डाल्टनगंज से जुड़ा हुआ है। चन्दवा को मार्च, 1997 तक विश्वसनीय माध्यम पर डाल्टनगंज, पलामू जिले से जोड़ा जाएगा और इसके बाद ही एस टी डी प्रदान करना संभव होगा।

केनिंग टाउन पहले से ही कलकत्ता से जुड़ा हुआ है और वहां एस टी डी सुविधा उपलब्ध है जिसका कोड नं : 03218 है।

(ग) उक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. में स्क्रैप की बिक्री

3375. **श्री पी. आर. दासमुंशी :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संयंत्रों में स्क्रैप की बिक्री हेतु भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को स्क्रैप की बिक्री से कितनी आय हुई;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. द्वारा कभी स्क्रैप का निर्यात करने का कोई प्रयास किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) सेल अपने स्वतः उत्पन्न स्क्रैप, (जिसमें हटाई गई मशीनरी, उपकरण आदि शामिल हैं) का निपटान निविदाओं/नीलामी के माध्यम से करता है क्योंकि इन मदों को मिलीजुली प्रकृति की होने के कारण निर्धारित मूल्य पर नहीं बेचा जा सकता। होमोजिनियस स्क्रैप (उत्पादन प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों में उत्पन्न) जो सेल का अधिकांश स्क्रैप होता है, को सामान्यतः निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है जिसकी आवधिक अंतराल पर समीक्षा की जाती है। कभी-कभी वर्तमान बाजार मूल्यों की जांच करने के लिए इस प्रकार की सामग्रियों को थोड़ी मात्रा में निविदाओं/नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है। वास्तविक ग्राहकों को तरजीह दी जाती है।

(ख) सेल द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान स्क्रैप के निपटान की बिक्री का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु.)
1993-94	667
1994-95	809
1995-96	903

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाक्साइट की खानें

3376. **श्री भक्त चरण दास :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्रों द्वारा संचालित बाक्साइट की खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में बाक्साइट के भंडारों में कितनी तरह का बाक्साइट उपलब्ध है;

(ग) क्या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में बाक्साइट के भंडारों का उपयोग करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) प्रारंभिक एल्यूमिनियम उत्पादकों द्वारा संचालित की जा रही बाक्साइट खानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

कंपनी का नाम	संचालित खान
1. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.	पंचपटमाली, उड़ीसा
2. भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.	मध्य प्रदेश में अमरकंटक और फुटका-पहाड़
3. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लि.	श्रेंगदा, बिहार गुरदारी, बिहार पाखर, बिहार मंदवावट, बिहार अमरकंटक, मध्य प्रदेश
4. इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि.	बिहार में बागरू और भूसार, महाराष्ट्र में चांदगढ और नागरतास्वादी
5. मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि.	कोलीहिल्स तमिलनाडू में यरकोद

(ख) कालाहांडी जिले में तीन प्रमुख बाक्साइट भंडारों में से लांजीगढ़ और कलपिंट धातुकर्मी स्तर के हैं जबकि सिजिमाली के बाक्साइट में उच्च एफ ई, ओ, विद्यमान है।

(ग) से (ङ) लांजीगढ़ भंडार मैसर्स कर्नाटक टेलीकेवल्स द्वारा स्थापित किए जाने वाले 100% निर्यातोन्मुख एलयूमिना उत्पादक इकाई के लिए प्रस्तावित बाक्साइट सम्पर्क भंडार है। तथापि इस परियोजना को कंपनी द्वारा फिलहाल आस्थगित रखा हुआ है क्योंकि कंपनी ने महसूस किया है कि लांजीगढ़ स्थित भंडार एल्यूमिना परियोजना की जीवन पर्यन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

स्पेन के साथ सहयोग

3377. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विमानन क्षेत्र में स्पेन के साथ सहयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) भारत ने पहले ही दिनांक 10.4.1997 को स्पेन के साथ एक हवाई सेवा करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस करार के अंतर्गत प्रत्येक पक्ष की नामित विमान कंपनी को सहमत मार्गों पर प्रति सप्ताह 4 आवृत्तियां प्रचालित करने का अधिकार प्राप्त है।

[हिन्दी]

अजमेर में पी.एम.जी. कार्यालय

3378. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर में पूर्वी सर्किल के पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय भवन के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजन हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या इस समय अजमेर के पी.एम.जी. कार्यालय में स्टाफ अन्य पी. एम.जी. कार्यालयों के स्टाफ की तुलना में कम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं।

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव पर फंड के अभाव में विचार नहीं किया जा सका।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोक का आयात

3379. **श्री सन्त कुमार मंडल** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जुलाई, 1996 के "द फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "पास्ट सिन्स फेल टू कैच अप विद एक्स-एच.जेड.एल. चीफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों को दंडित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) : (क) जी हां। प्रश्न में संदर्भित समाचार मद की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है।

(ख) हिंदुस्तान जिंक लि. (एच.जैड.एल.) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री ए.सी. वधावन की लोक उद्यम चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति सरकार द्वारा इस विषय पर निर्धारित प्रणाली के अनुसार की गई है।

(ग) और (घ) समाचार मद में हिंदुस्तान जिंक लि. द्वारा धातुकर्मी कोक के

आयात के संबंध में एक समिति द्वारा जांच का भी उल्लेख किया है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

नोएडा/ग्रेटर नोएडा में पर्यटन को बढ़ावा

3380. **श्री अशोक प्रधान** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान नोएडा/ग्रेटर नोएडा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा नोएडा/ग्रेटर नोएडा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) पर्यटन विभाग स्थान या क्षेत्र-वार के आधार पर धनराशि नहीं देता। पर्यटन का विकास और उन्नयन करना मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। विशिष्ट प्रस्तावों की प्राप्ति पर, जिन्हें राज्य सरकार के परामर्श से प्राथमिकता दी जाती है, केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से नोएडा का ग्रेटर नोएडा में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने नोएडा में गोल्फ कौर्स के लिए पर्यटक सुविधाओं में सुधार के लिए 37.45 लाख रुपयों की केंद्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की है और वर्ष 1993-94 के दौरान 10.00 लाख रुपये रिलीज किए।

राजस्थान में विमानपत्तन

3381. **श्री ताराचन्द भगोरा** : क्या विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने राजस्थान में मरूभूमि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर में विमानपत्तनों के निर्माण का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

फिल्म/टी. वी. संस्थान

3382. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्थानवार कितने फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थापित किए गए है;

(ख) क्या सरकार का विचार कलाकारों, क्षेत्रीय फिल्मों और धारावाहिकों को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम): (क) वर्तमान में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा कलकत्ता में सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कलकत्ता नामक दो फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान हैं।

(ख) और (ग) देश में हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा फिल्मों के विकास हेतु सरकार ने कई प्रोत्साहक उपाय किए हैं। सुरुचिपूर्ण एवं सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक और देश के विभिन्न क्षेत्रों की फिल्म संस्कृति का बोध कराने एवं उनका मूल्यांकन करने में योगदान देने वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आरंभ किए हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा खंड में भी क्षेत्रीय फिल्मों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम जैसी संस्थाएं स्थापित की हैं जो क्षेत्रीय भाषा फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित देती हैं।

दूरदर्शन के विभिन्न केंद्र नियमित रूप से क्षेत्रीय फिल्में एवं धारावाहिक प्रसारित करते हैं। प्रत्येक रविवार को राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी क्षेत्रीय फिल्में प्रसारित की जाती हैं। समस्त भारत में स्थित कार्यक्रम निर्माण सुविधा केंद्रों सहित ये केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं/कलाकारों को विभिन्न कार्यक्रम स्कीमों के अंतर्गत दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने और इसके लिए कार्यक्रमों का निर्माण करने का अवसर प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम

3383. **श्री गिरधारी यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम के सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) विशेषतया बिहार के पिछड़े वर्गों के विकास के बारे में निगम के क्या कार्यक्रम हैं;

(ग) बिहार में विकास कार्यों पर निगम ने आज तक कितना व्यय किया है; और

(घ) बिहार में उक्त निगम द्वारा आगामी दो वर्षों के दौरान लागू किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एंव विकास निगम का गठन भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत लाभ न कमाने के लिए एक कंपनी के रूप में किया गया है इसीलिए सदस्यों का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके पास एक निर्देशक मंडल है जिसमें अधिकतम 13 सदस्य हो सकते हैं।

(ख) और (ग) एन. बी. सी. एंड डी. सी. ने अभी तक बिहार को 100

योजनाओं के लिए निगम से ऋण के रूप में 3137.81 लाख रुपये स्वीकृत किया है। उपरोक्त में से 680.28 लाख रुपए 3083 लाभार्थियों के लिए राज्य निगम द्वारा निकाला गया है। 31.5.1995 तक की स्थिति के अनुसार निर्मुक्त निधियों में से एस.सी.ए. ने 291.75 लाख रुपए का उपयोग किया है अर्थात् केवल 42.89% । निर्मुक्त निधियों का उचित उपयोग समग्र रूप से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम पर निर्भर करता है।

(घ) एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वास्तविक लाभार्थियों की जरूरतों जिनके लिए परियोजनाएं तैयार की जाती हैं तथा निगम दिशानिर्देशों के अनुसार एस.सी.ए. द्वारा प्रायोजित की जाती है को पूरा करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है। निगम ने किसी व्यवहार्य योजना के लिए कोई प्रतिबंध निर्धारित नहीं किया है। बिहार सहित सभी एस.सी.ए. को पात्र लाभार्थियों की पहचान तथा पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए आवश्यकता आधारित योजनाएं तैयार करने के लिए सूचित कर दिया गया है जिसके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के लिए रियायत

3384. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यवार कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ताओं के लिए कोई रियायत देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए दूरसंचार विभाग की अनुदान मांगों को अभी संसद की मंजूरी मिलनी है। अत : निधियों का राज्यवार (सर्किलवार) आबंटन, वर्ष 1996-97 की अनुदान मांगों को संसद का अनुमोदन मिलने के बाद किया जाएगा। संसद में प्रस्तुत की गई कुल मांग के अनुसार, वर्ष 1996-97 में 983.13 करोड़ रु. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हवाई पट्टियां

3385. **श्री आर. बी. राई** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तिथि में राज्यवार तथा स्थानवार कितनी हवाई पट्टियां है;

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर सुदूर स्थानों में और अधिक हवाई पट्टियों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु वर्ष 1996-97 के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित हवाई अड्डों की राज्य-वार और अवस्थिति अनुसार एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य योजनाओं के अधीन तूरा (मेघालय) और लेंगपुई (मिजोरम) पर नये हवाई अड्डों का विकास किया जा रहा है। कारगिल (जम्मू और कश्मीर), अंदरोथ (लक्षद्वीप द्वीपसमूह) और किस्तवार (जम्मू और कश्मीर) पर निधियां केंद्र सरकार द्वारा जुटाई जाती हैं।

(घ) 1996-97 के दौरान रखी गई राशि :

तूरा 7	करोड़ रुपए
लेंगपुई	10 करोड़ रुपए
कारगिल	6 करोड़ रुपए
अंदरोथ	1 करोड़ रुपए
किस्तवार	0.50 करोड़ रुपए

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सिविल इन्कलेवों और सिविल हवाई अड्डों की सूची

आन्ध्र प्रदेश	
1. विशाखापत्तनम	1. राजामुन्दरी
	2. तिरूपति
	3. विजयवाड़ा
	4. कुड्डपाह
	5. डोनाकोन्डा
	6. वारांगल
	7. हैदराबाद
अरुणाचल प्रदेश	
2. एलोंग	8. पासीघाट
3. डपारिजो	
4. तेजू	
5. जेरो	
असम	
6. जोरहट	9. डिब्रूगढ़
7. सिल्चर	10. गुवाहाटी

8. तेजपुर
11. लीलाबाड़ी
12. रूपसी
13. सेला

बिहार

14. पटना
15. रांची
16. चकूलिया
17. गया
18. जोगवानी
19. मुजफ्फरपुर
20. रक्सोल

दिल्ली

21. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
22. सफदरजंग

गोवा

9. डबोलिम

गुजरात

10. भुज
23. अहमदाबाद
11. जामनगर
24. राजकोट
25. बड़ोदरा
26. काडला
27. केसोद
28. पोरबन्दर
29. भुवनेश्वर
30. दीसा

हिमाचल प्रदेश

31. कुल्लू
32. शिमला
33. गग्गल

जम्मू और कश्मीर

12. जम्मू
13. श्रीनगर
14. लेह

कर्नाटक

15. बंगलौर
34. मंगलौर
35. हसन
36. हुबली
37. मैसूर
38. बेलगाम

केरल

16. कोचीन
39. तिरूवनन्तमपुरम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
40. कालीकट

महाराष्ट्र

17. पुणे
41. बंबई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
42. नागपुर
43. औरंगाबाद
44. कोल्हापुर
45. अकोला
46. जहू बंबई
47. सोलापुर

मध्य प्रदेश

18. ग्वालियर
48. भोपाल
49. इन्दौर
50. खजुराहो
51. रायपुर
52. जबलपुर
53. खंडवा
54. पन्ना
55. सतना
56. बिलासपुर

मणीपुर

57. इम्फाल

मेघालय

58. शिलांग

मिजोरम	59. एजवल
नागालैंड	60. दीमापुर
उड़ीसा	61. भुवनेश्वर
	62. झारसुगुडा
पंजाब	63. अमृतसर
	64. लुधियाना
राजस्थान	
19. बीकानेर	65. जयपुर
20. जोधपुर	66. उदयपुर
21. जैसलमेर	67. कोटा
तमिलनाडु	
	68. मद्रास अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
	69. कोयम्बतूर
	70. मदुरै
	71. तिरूचिरापल्ली
	72. तूतीकोरिन
	73. वेलोर
	74. सलेम
त्रिपुरा	
	75. कमालपुर
	76. कैलाशहर
	77. खोवाइ
	78. अगरतला
उत्तर प्रदेश	
22. कानपुर (चकोरी)	79. वाराणसी
23. आगरा	80. लखनऊ
24. इलाहाबाद	81. देहरादून
25. गोरखपुर	82. पंतनगर
	83. झांसी
	84. कानपुर (सिविल)
	85. ललितपुर
पश्चिमी बंगाल	
26. बागडोगरा	86. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
	87. कूच बिहार
	88. बैलूरघाट
	89. बिहाला
	90. माल्दा
पांडिचेरी (यू.टी.)	91. पांडिचेरी
अंडमान और निकोबार (यू. टी.)	
27. पोर्ट ब्लेयर	
चंडीगढ़ (यू.टी.)	92. अगत्ती
28. चंडीगढ़	
लक्षद्वीप (यू.टी.)	

औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील

3386. **श्री सौम्य रंजन :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक न्यायाधिकरण के कितने निर्णयों के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम ने अपील दायर की है;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें कि सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है;

(ग) क्या उन निर्णयों के विरुद्ध भी अपील दायर की गई है जिनमें दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) औद्योगिक न्यायाधिकण द्वारा दिए गए पंचाट के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 20 मामलों में अपील की है।

(ख) से (घ) : अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	उन मामलों के ब्यौरे जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम ने अपील की है
1	2
1.	औद्योगिक विवाद संख्या 72/94 श्री नंदकुमार, पूर्व नैमित्तिक श्रमिक, मद्रास द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस पंचाट की वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आंचलिक कार्यालब (दक्षिण) के संयुक्त प्रबंधक (विधि) के परामर्श में और हमारे वकील की सहमति से जांच की गई थी। हमारे वकील का विचार था कि याचिकाकर्ता द्वारा गणना किए गए दिनों की कुल संख्या के बारे में साक्ष्य की गैर-मौजूदगी में निर्णय लिया था। सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया था कि पंचाट लागू होने के संबंध में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु पंचाट के विरुद्ध अपील दाखिल की जाए। उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2189/96 दाखिल की गई थी।
2.	औद्योगिक विवाद संख्या 51/86 नालगोंडा जिले के श्री के. गोवरी और अन्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डिपो में खाद्यान्नों की हैंडलिंग करने के लिए डमाली कामगार ठेकेदार के अधीन कार्य कर रहे थे और वे सीधे भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य नहीं कर रहे थे। अतः उन्हें भारतीय खाद्य निगम में बहाल करने संबंधी सुझाव देने वाले पंचाट को वकील के परामर्श से चुनौती दी गई है क्योंकि ठेकेदार के श्रमिक भारतीय खाद्य निगम में रोजगार मांगने के लिए पात्र नहीं हैं। यह मामला न्यायालय (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2228/93) में लम्बित है।
3.	औद्योगिक विवाद संख्या 59/92 की एस.ए. इस्माइल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने बिना इस तथ्य पर विचार किए कि कामगार ने एक पंचांग वर्ष में 240 दिन की निरंतर सेवा नहीं की है, पंचाट पारित करने में भूल की है। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, हैदराबाद ने न्यायाधिकरण के पंचाट के विरुद्ध अपील दायर करने का निर्णय लिया है। रिट याचिका संख्या 18879/95 द्वारा दायर की गई अपील आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में लम्बित है।
4.	औद्योगिक विवाद संख्या 59/92 श्री जी. पुरुषोत्तम, कुरनूल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह मामला उपर्युक्त मद 3 पर दिए गए मामले के अनुरूप ही है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 18883/95 द्वारा अपील दायर की गई है।
5.	औद्योगिक विवाद संख्या 71/92 श्री वी. सत्यनारायण, कुरनूल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह मामला उपर्युक्त मद 3 पर दिए गए मामले के अनुरूप ही है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय में रिट याचिका संख्या 18919/95 द्वारा अपील दायर की गई है।
6.	औद्योगिक विवाद संख्या 18/89 संबंधी सुरिन्द्र कुमार, लेख राज, चमन लाल, बलदेव विक्रम भट्ट, देवराज और सेवाराम, जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सी. जी. आई. टी. चंडीगढ़ का पंचाट कामगारों के पक्ष में दिया गया था। नैमित्तिक कामगारों को नियमित करने के बारे में 9 मई, 1995 को विशेष अनुमति याचिका में पारित आदेशों में संशोधन के लिए पुनरीक्षा याचिका संख्या 1191/95 उच्च न्यायालय में भारतीय खाद्य निगम द्वारा दायर पुनरीक्षा याचिका दिनांक 9.8.95 को खारिज होने के पश्चात् पंचाट कार्यान्वित कर दिया गया है।
7.	औद्योगिक विवाद संख्या 79/88 जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के सर्वश्री पटवारी सोनी, बलदेव राज, भोगराज, पवन सिंह, अशोक कुमार, नेत्र प्रकाश और सुभाष कुमार द्वारा सी.जी.आई.टी. चंडीगढ़ में प्रस्तुत किया गया था। या पंचाट कामगारों के पक्ष में दिया गया था। उच्च न्यायालय में भारतीय खाद्य निगम द्वारा दायर पुनरीक्षा याचिका दिनांक 9.8.95 को खारिज होने के कारण, पंचाट कार्यान्वित कर दिया गया है।
8.	तकनीकी सहायक-2 के पद का प्रत्यावर्तन करने पर श्री एच. एन. साही, तकनीकी सहायक-2 द्वारा औद्योगिक विवाद संख्या 34/91 प्रस्तुत किया गया था। भारतीय खाद्य निगम ने पंचाट के विरुद्ध रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय की रिट याचिका की अंतिम स्वीकृति के अध्यधीन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा पंचाट को क्रियान्वित किया गया था।
9.	श्री मो. मियां, तकनीकी सहायक-2, बिसौली द्वारा अपने कनिष्ठों का प्रतिस्थापन, करने और इसके परिणामस्वरूप नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अतिक्रमण में लाभ देने के संबंध में उनके द्वारा औद्योगिक विवाद संख्या 68/91 प्रस्तुत किया गया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा दायर रिट याचिका में अंतिम निर्णय के अध्यधीन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह पंचाट क्रियान्वित किया गया है।
10.	श्री के. के. अवस्थी, ए. जी.-1 (डी), खाद्य भंडारण डिपो, बाराबंकी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अतिक्रमण में पदोन्नति के लिए और निलम्बन अवधि के दौरान बकाया मजदूरी या भुगतान करने के लिए औद्योगिक विवाद संख्या 67/91 प्रस्तुत की गई थी। प्रबंधक द्वारा दायर रिट याचिका में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय देने की शर्त के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा यह पंचाट क्रियान्वित किया गया है।
11.	श्री छोटे लाल, ए.जी.-3 द्वारा उनके ऊपर लगाए गए जुर्माने और नैसर्गिक न्याय के अतिक्रमण में तथा उन्हें सेवा में रहते हुए अर्हताएं हासिल करने पर पदोन्नति और अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने से इंकार करने के लिए औद्योगिक विवाद संख्या 129/90 प्रस्तुत की गई थी। रिट याचिका संख्या 7028/93 में माननीय न्यायालय में पंचाट को

1	2
	अमल में लाने पर स्थगन हेतु अंतरिम आदेश पारित कर दिया था।
12.	औद्योगिक विवाद संख्या 116/90 श्री छोटे लाल के संबंध में वर्ष 1987 के लिए संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लागू करने और वर्ष 1980 और 1984 से क्रमशः तकनीकी सहायक-3 से तकनीकी सहायक-2 और तकनीकी सहायक-2 से तकनीकी सहायक-1 के लिए देय पदोन्नति न देने के लिए भी प्रस्तुत किया गया था। इस पंचाट के विरुद्ध रिट याचिका दायर करने संबंधी मामला विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के निर्णय की शर्त के अधीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश ने पंचाट को क्रियान्वित करने के लिए आदेश दिए हैं।
13.	श्री लक्ष्मण दास, नरुला को 14.11.1986 से सहायक प्रबंधक (डिपो) के रूप में प्रोन्नत न करने के लिए औद्योगिक विवाद संख्या 137/92 प्रस्तुत की गई थी। प्रबंध द्वारा दायर रिट याचिका उच्च न्यायालय में लम्बित है।
14.	श्री मोहम्मद कासिम की सेवाएं 19.7.82 से समाप्त करने के बारे में उनके द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक विवाद संख्या 22/90 प्रस्तुत की गई थी।
15.	श्री आर.के. मोहन्ती को रोजगार देने से इंकार करने पर उनके द्वारा औद्योगिक विवाद संख्या 10/90 प्रस्तुत किया गया था। पेनल वकील और आंचलिक कार्यालय (पूर्वी), कलकत्ता के मतानुसार दिनांक 29.4.95 को औद्योगिक न्यायाधिकरण, भुवनेश्वर द्वारा पंचाट पारित किया गया था।
16.	श्री गोलक बिहारी बारिक की सेवाएं नियमित करने की मांग के संबंध में उनके द्वारा औद्योगिक विवाद संख्या 39/91 प्रस्तुत किया गया था। औद्योगिक न्यायाधिकरण भुवनेश्वर द्वारा दिए गए पंचाट को क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय (पूर्वी) के परामर्श में चुनौती दी गई है।
17.	श्री राम ईश्वर मोची, खाद्य भंडारण डिपो चंदौती के पूर्व नैमित्तिक श्रमिक द्वारा कथित अवैध छंटनी और उनकी सेवाएं नियमित न करने के संबंध में औद्योगिक विवाद संख्या 32/92 प्रस्तुत किया गया था।
18.	श्रीमती रंजन चक्रवर्ती, नैमित्तिक टंकक, जिला कार्यालय, रांची की सेवाएं समाप्त करने के संबंध में उनके द्वारा औद्योगिक विवाद संख्या 80/91 प्रस्तुत किया गया था। यह पंचाट कामगार के पक्ष में दिया गया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा संबंधित कामगार की पिछली मजदूरी के भारी भुगतान से बचने के लिए पंचाट को चुनौती दी गई है।
19.	एक नैमित्तिक कामगार श्रीमती एल.एच. पुजारी, जिला कार्यालय पूना ने अपनी सेवाएं नियमित करने के लिए औद्योगिक विवाद संख्या 80/91 प्रस्तुत की थी। उन्हें दिसम्बर, 1984 से ड्यूटी पर आने से मना कर दिया गया था। प्रबंध को 6.12.84 से 21.3.85 तक की अवधि के लिए भी मजदूरी का भुगतान करना है। सी.जी.आई.टी. ने कथित नैमित्तिक श्रमिक की मांग को उचित एवं उपयुक्त माना और निगम को उनकी सेवाएं 20.9.75 से नियमित करने और नियमित कर्मचारी के आधार पर उन्हें मजदूरी का भुगतान करने का निदेश दिया। उपर्युक्त पंचाट को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह विवाद केवल उनकी मजदूरी समाप्त करने से संबंधित है न कि उनकी आरंभ की नियुक्ति की तारीख से उन्हें नियमित आधार पर रखने के बारे में है और इसलिए पंचाट स्पष्टतः गलत है। प्रबंध का ऐसा मत, इसलिए था क्योंकि यह शुरू में नियमित आधार पर नियुक्ति नहीं की गई थी और नियमित आधार पर भर्ती करने पर भी भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और सेवाएं नियमित करने के लिए भारत सरकार की अनुमति से ही ऐसा निर्णय लिया जा सकता था। बंबई उच्च न्यायालय ने भी निगम के तर्क को नकार दिया और उसके बाद श्रीमती एल. पुजारी को पिछली मजदूरी के भुगतान के साथ नियमित आधार पर नियुक्त कर दिया गया और इस मामले में कोई शिकायत शेष नहीं है।
20.	खाद्यान्नों का आयात बंद हो जाने के परिणामस्वरूप कांडला पत्तन पर लगभग 1590 कामगार फालतू हो गए थे। 1590 कामगारों में से 1541 कामगारों ने विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और इसके बाद कांडला पत्तन पर 49 कामगार शेष रह गए थे जिन्होंने इस योजना के अधीन सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया था। इन कामगारों को बंबई और मनमाड स्थानांतरित कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट एंड डाक वर्कर्स यूनियन द्वारा इन कामगारों को बंबई और मनमाड में काम करने की अनुमति नहीं दी थी और उन्होंने निगम को कोई नोटिस दिए बिना काम बंद कर दिया। निगम ने अनुचित श्रम आचार संहिता के अधीन सी.जी.आई.टी. के समक्ष एक मामला दायर किया। सी.जी.आई.टी. ने अपने पंचाट में ट्रांसपोर्ट एंड डाक वर्कर्स यूनियन द्वारा अपनाए गए अनुचित श्रम आचार संहिता से संबंधित निगम के दावे को स्वीकार नहीं किया। तथापि निगम ने बम्बई उच्च न्यायालय में इस पंचाट को चुनौती दी थी और बंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात् यह मामला पुनः सी.जी.आई.टी. को यह निदेश देते हुए वापस भेज दिया था कि वे अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करें। सी.जी.आई.टी. ने मामले की सुनवाई की और अपना पंचाट भी दिया जिसे स्वीकृति और निर्णय देने के लिए श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है जो अभी तक वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

एअर बस-320 का सौदा

3387. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एअर बस-320 सौदे की 29 मार्च, 1990 को शुरू की गई जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य विभागों द्वारा इस मामले को भारत

और विदेश में की गई जांच पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एस. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जांच पूरी करने में विलंब का वस्तुत : यह कारण है कि इन जांच कार्यों को यूएसए, यूके, फ्रांस, स्विटजरलैंड, चैनल द्वीप-समूह नाइजीरिया आदि जैसे विभिन्न देशों में लैटर्स रोगेटरी माध्यम से पूरा करना होगा। विदेश में जाकर जांच करने में समय लगेगा चूंकि इसमें कानूनी प्रक्रिया की जटिलता शामिल है। इस दृष्टि से, जांच कार्य के पूरा होने की कोई नियत तारीख निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ग) अभी तक केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई इस जांच पर 7,09,085 रु. का व्यय हुआ है।

महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधकों को टेलीफोन

3388. **श्री के.डी. सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.टी.डी. और आई.एस.डी. सुविधायुक्त अनेक असूचीबद्ध टेलीफोन कनैक्शन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली दूरसंचार सर्किल के महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधकों और अन्य अधिकारियों को उनके कार्यालयों और आवासों दोनों जगहों पर उपलब्ध करवाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए अपने आवासों पर भी ऐसी सुविधा की वास्तव में आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा की गई एस.टी.डी./आई.एस.डी. कालों का उनके प्रयोजन सहित कोई रिकार्ड रखा जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन टेलीफोनों का दुरूपयोग न हो?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। उप महाप्रबंधकों और महाप्रबंधकों को उनके कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर आसूचीबद्ध (अनलिस्टेड) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

उप महाप्रबंधकों को उनके कार्यालय तथा आवास, दोनों स्थानों पर एस. टी.डी. सुविधा प्रदान की जाती है। महाप्रबंधकों को उनके कार्यालय तथा आवास दोनों स्थानों पर एस.टी.डी. व आई एस डी सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख) क्षेत्रीय अधिकारियों को, जनता से भारी संख्या में शिकायतों के बारे में टेलीफोन कॉलें प्राप्त होती हैं, जैसे-उनके टेलीफोनों का लंबे समय तक खराब रहना, टेलीफोन शिफ्ट करने में विलंब होना, नए कनेक्शन प्रदान करना, आदि-आदि। आने वाली (इनकमिंग कालों) के लिए टेलीफोन नम्बर को फ्री रखने की दृष्टि से क्षेत्रीय अधिकारियों को एक बिना नम्बर वाला टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाता है ताकि वे सेवा के हित में, जैसा कि नीचे (ग) के उत्तर में बताया गया है, आवक (आउटगोइंग) कॉलें कर सके।

(ग) जी हां : हमारे अधिकांश इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज विदेशों से आयात किए जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को, सॉफ्टवेयर तथा दोष मरम्मत आदि से संबंधित तकनीकी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए भारत में और कभी-कभी विदेश में अपने प्रतिस्थानियों (काउंटरपार्ट्स) से सम्पर्क करना होता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) चूंकि, टेलीफोन, वरिष्ठ एवं जिम्मेदार अधिकारियों को ही प्रदान किए जाते हैं, अतः उनके द्वारा टेलीफोनों के दुरूपयोग की आशंका नहीं की जा सकती और अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

गन्ने की पिराई

3389. **श्री पंकज चौधरी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान गन्ने की पिराई का राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) चीनी मिलों की गन्ना पिराई की दैनिक मौजूदा क्षमता कितनी है;

(ग) इस बीच किन-किन स्थानों पर गन्ने की पिराई शुरू हो गई है; और

(घ) राज्यवार-संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी चीनी मिलों की गन्ना पिराई क्षमता में बढ़ोत्तरी की जा रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) अगले तीन वर्षों के दौरान गन्ने की पेराई का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) देश में चीनी मिलों की वर्तमान प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता 903370 टी सी डी है। (प्रतिदिन पेरा गया गन्ना टनों में)।

(ग) वर्तमान पेराई मौसम 1995-96 (अक्तूबर-सितम्बर) 31.7.96 तक के दौरान 11 नई चीनी मिलों ने पेराई कार्य पहली बार शुरू किया है।

(घ) चीनी मिलों, जहां गन्ना पेराई की क्षमता बढ़ाई जा रही है, की राज्यवार संख्या दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

विवरण

चीनी मिल, जहां गन्ने की पेराई क्षमता बढ़ाई जा रही है, की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य	विस्तार के अधीन चीनी मिलों की सं.
1	2	3
1.	पंजाब	6
2.	हरियाणा	4
3.	उत्तर प्रदेश	70
4.	राजस्थान	1
5.	मध्य प्रदेश	3
6.	गुजरात	7

1	2	3
7.	महाराष्ट्र	99
8.	बिहार	7
9.	उड़ीसा	2
10.	पश्चिम बंगाल	2
11.	नागालैंड	1
12.	आन्ध्र प्रदेश	14
13.	कर्नाटक	22
14.	तमिलनाडु	10
15.	पॉडिचेरी	1
	जोड़ :	189

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर ऋण

3390. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और दूरदर्शन पर ऋण भार बढ़ता जा रहा है, ऋणदाता मंत्रालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं और दूरदर्शन घाटे में जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी ने गत वर्षों की तुलना में काफी लाभ कमाया था; और

(घ) सरकार द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यकरण में सुधार करने और उन्हें लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (घ) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दूरदर्शन केन्द्र बिहार

3391. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बरौनी तथा बेगुसराय औद्योगिक शहरों में अभी तक कोई दूरदर्शन केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन औद्योगिक शहरों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) यद्यपि एक अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर पहले ही 17.2.89 से बेगुसराय में कार्य कर रहा है तथापि, बरौनी उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर पटना के सीमावर्ती कवरेज क्षेत्र में पड़ता है जहां उन्नत एंटिना का उपयोग करके टी. वी. संकेत प्राप्त किया जा सकता है। बरौनी में टी. वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध करवाने में अनियमितताएं

3392. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टेलीफोन लाइन्स हैव माइल्स टू गो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन कनैक्शन की मांग और पूर्ति में अंतर और निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पिछले कई वर्षों में टेलीफोनों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम हुआ है। आठवीं योजना के पहले चार वर्षों में, प्रतीक्षा सूची को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए 61.68 लाख लाइनों की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की गई है। निम्नलिखित सारणी प्रतीक्षा अवधि कम करने में हुए सुधार को दर्शाती है। जैसा कि कार्यरत लाइनों के प्रतिशत के रूप में प्रतीक्षा सूची में कमी द्वारा दिखाया गया है।

वर्ष	समस्त भारत	दिल्ली
1993-94	31.11%	30.82%
1995-96	19.00%	0.79%

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर सतर्कता कक्ष कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

डाक तथा तार योजनाओं के विस्तार को स्थगित करना

3393. **श्री छतर सिंह दरबार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 जुलाई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार डाक तथा तार विभाग के विस्तार संबंधी योजनाओं को पिछले चार माह से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) डाक तथा तार विभाग के विस्तार संबंधी योजनाओं को स्थगित किए जाने अथवा बंद किए जाने का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं। दिनांक 14 जुलाई, 1996 के नवभारत टाइम्स में डाक विभाग के काम के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तैयार की गई संबंधित वार्षिक योजनाओं के अनुरूप विभाग के विकास कार्यक्रम विधिवत रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। चालू वर्ष 1996-97 के दौरान, योजना कार्यक्रमों का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह के लिए लेखा अनुदान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अनुरूप रहा है। डाक काउंटरों के कंप्यूटरीकरण का कार्यक्रम आरंभिक कठिनाइयों के कारण योजनावधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान शुरू में धीमी गति के उपरांत गत तीन वर्षों के दौरान सुचारू रूप से चल रहा है। विभाग ने फंड की कमी के कारण अपना कोई विकासात्मक कार्यक्रम स्थगित या आस्थगित नहीं किया है। अधिकांश डाक सेवाओं द्वारा अर्जित राजस्व प्रचालन लागतों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। अतः विभाग को उपयुक्त फंड के लिए आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

यहां तक वर्ष 1996-97 में नये डाकघर खोलने का संबंध है, विभाग का 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 150 विभागीय उपडाकघर खोलने का लक्ष्य है और संबंधित सर्किलों को इनका आबंटन कर दिया गया है। डाकघर मानदंडों की पूर्ति और संसाधन उपलब्ध होने पर ही खोले जाएंगे। अब तक, चालू वर्ष के दौरान 20 विभागीय शाखा डाकघर तथा 2 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को मंजूरी दी जा चुकी है। पंचायत संचार सेवा केन्द्रों के संबंध में, चालू वर्ष के लिए लक्ष्य 250 केंद्रों का है और इसका आबंटन भी सर्किलों को कर दिया गया है। इनमें जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 60 केन्द्र भी शामिल हैं। नये डाकघर खोलने के संबंध में विभाग के योजना लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विभाग सरकार के मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों का अनुपालन भी कर रहा है। डाक दरों के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया सरकार की वार्षिक बजटीय प्रक्रिया का एक अंग है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

हलगढ़ परिसर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

3394. **श्री कचरू भाऊ राउत :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य के नासिक जिले के सुरगना तहसील में हलगढ़ परिसर को पर्यटन स्थल (हित स्टेशन) स्थल के रूप में विकसित करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) केंद्रीय पर्यटन विभाग को महाराष्ट्र राज्य सरकार से नासिक जिले की सुगरना तहसील में हलगढ़ परिसर के विकास के लिए कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी परियोजनाएं

3395. **डा. बलिराम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थानवार दूरदर्शन केंद्रों/आकाशवाणी के स्टेशनों की स्थापना किए जाने के से संबंधित कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं/लंबित हैं;

(ख) उन पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) राज्य में 1996-97 के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरे विवरण-I तथा विवरण-II में किए गए हैं।

(घ) और (ङ) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन परियोजनाओं को सूत्रबद्ध करते समय सरकार का सतत प्रयास रहता है कि शहरी ग्रामीण तथा पिछड़ी आबादी सहित सम्पूर्ण आबादी को एक समान रूप से कवर किया जाए।

विवरण-I

क्र.सं.	स्थान तथा स्कीम	स्थिति/चालू करने की तिथि	खर्च की गई अनुमानित राशि (लाख रु. में)
1.	फैजाबाद में 6 किवा एफएम ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रेडियो बहु. स्टू.	17.6.93	265.25
2.	बेरली में 6 किवा एफएम ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रेडियो केंद्र बहु. स्टू.	17.6.93	241.20
3.	झांसी में 6 किवा एफएम ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रेडियो केंद्र बहु. स्टू.	11.7.93	219.82
4.	ओबरा में 6 किवा एफएम ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रेडियो केंद्र बहु. स्टू.	29.8.93	211.11
5.	मसूरी में 10 किवा एफएम ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रिले केंद्र	19.7.95	155.85
6.	पौड़ी में 1 किवा एफएम ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रेडियो केंद्र बहु. स्टू.	तकनीकी रूप से तैयार	241.93
7.	उत्तरकाशी में 1 किवा एफएम ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रिले केंद्र	तकनीकी रूप से तैयार	126.59
8.	चमोली में 1 किवा मीवे ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रेडियो केंद्र बहु. स्टू.	1996-97 के दौरान पूरा किया जाना है	183.84
9.	पिथौरागढ़ में 1 किवा मीवे ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रिले केंद्र	-वही-	199.13
10.	अलीगढ़ में 6 किवा एफएम ट्रा. तथा अभिग्रहण सुविधाओं सहित रिले केन्द्र	-वही-	164.45

विवरण-II

परियोजना	व्यय (लाख रु. में)	स्थिति
का. नि. सु. मऊ	116.51	पूर्ण
आर. शा. ट्रा. औरैया	79.86	पूर्ण
गंजडुडवारा	62.81	,,
महोबा	59.55	,,
मऊ रानीपुर	55.02	,,
नौगढ़	90.00	,,
न्यू टिहरी	44.09	,,
कासगंज	58.99	,,
नान पारा	57.01	,,
अयदामा	7.99	,,

परियोजना		व्यय (लाख रु. में)	स्थिति
		(पूंजीगत लागत लाख रु. में)	
स्टूडियो इलाहाबाद		977.79	कार्यान्वयनाधीन
मथुरा		261.00	,,
वाराणासी		300.41	,,
उ.रा.ट्रा.	बाँदा	599.00	,,
उ.श.ट्रा.	अल्मोड़ा	लगभग 1 करोड़ रु.	,,
	हल्दानी	,,	,,
	रूदोली	,,	,,
	कर्ण प्रयाग	,,	,,
	बाराकोट	,,	,,
	धनाघाट	,,	,,
	नरोरा	,,	,,

परियोजना		व्यय (लाख रु. में)	स्थिति
	रूयौली	लगभग 1 करोड़ रु.	कार्यान्वयनाधीन
	राठ	,,	,,
	तलबेहट	,,	,,
	महरौनी	,,	,,
	छिबरामऊ	,,	,,
	अमरेहा	,,	,,
	कर्वी	,,	,,
	दुर्घाननगर	,,	,,
	मोसी	,,	,,
	खेतीखान	,,	,,
	नैनी डंडा	,,	,,
अ.अ.श.ट्रा.	चमोली	लगभग 3 करोड़ रु.	,,
	चौखटिया	,,	,,
	जोशीमठ	,,	,,
	देवप्रयाग	,,	,,
	लैसंडाउन	,,	,,
	प्रतापनगर	,,	,,
	जिन्सर	लगभग 8 करोड़ रु.	कार्यान्वयनाधीन
अ.अ.श.ट्रा.	बसोट/थिक्यासैण	तथैव	तथैव
	गज्जा	,,	,,
	रतेह पर्वत	,,	,,
	खेत पर्वत	,,	,,
	राजगढ़ी	,,	,,
	सिराकोटा/वैकुन्ठधाम		,, ,,
	साहिया	,,	,,
	धौसी	,,	,,
	मनीला	,,	,,
	धराली	,,	,,
	रुद्र प्रयाग	,,	,,
	मणिकपुर	,,	,,
	नौगांवखल	,,	,,
	केदारनाथ	,,	,,
बद्रीनाथ		,,	,,
गौरीखंड		,,	,,

संकेतः- का. नि. सु.—कार्यक्रम निर्माण सुविधा,
उ.श.ट्रा.—उच्च शक्ति ट्रान्समीटर,
अ.श.ट्रा.—अल्प शक्ति ट्रान्समीटर,
अ.अ.श.ट्रा.-अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर,

[अनुवाद]

गेंहू का आयात

3396. **श्री तारीक अनवर :**
श्री सन्त मेहता :
श्री गिरधारी यादव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों को गेहूं का कोटा जारी करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्यात आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कुल कितना गेहूं निर्यात किया गया;

(ङ) इससे उक्त अवधि में कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(च) 1996-97 के दौरान देश-वार कितना गेहूं निर्यात किए जाने की संभावना है तथा इससे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) रबी विपणन मौसम 1996-97 के दौरान केंद्रीय पूल में सरकार द्वारा गेहूं की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 मिलियन टन कम की गई है। सरकार ने कृषि और विधायित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) को निदेश दिया है कि वे पंजीकरण-एवं-आवंटन प्रमाण पत्र जारी करना रोक दे। गेहूं सहित खाद्यान्नों की निर्यात आयात नीति का निर्णय इस तरीके से किया जाता है कि इससे देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों से दौरान देशवार निर्यात किए गए गेहूं की यात्रा और उनके मूल्य को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(च) निर्यात की गई विभिन्न किस्मों, विभिन्न गुणवत्ता आदि के कारण गेहूं के निर्यात की सम्भावी मात्रा के सही-सही अनुमान बताना संभव नहीं है। देश से गेहूं के निर्यात के लिए अर्जित की जानी संभावी विदेशी मुद्रा अन्य बातों के साथ-साथ विश्व बाजार में मूल्यों पर निर्भर करती है जिसे इस समय निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि 1996-97 के पहले तीन महीनों अर्थात् अप्रैल-जून, 96 में 460.71 करोड़ रुपए मूल्य की 7.47 लाख टन मात्रा निर्यात की गई थी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार निर्यात किए गए गेहूं की मात्रा और कीमत

कीमत लाख रुपये में

देश	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1	2	3	4	5	6	7
अफगानिस्तान	–	–	–	–	40	5.99
अल्जीरिया	–	–	21000	1063.81	–	–
बांगला देश	–	–	22960	1108.95	131565	7476.44
इथोपिया	–	–	–	–	11836	748.73
हांगकांग	–	–	–	–	42	2.44
ईरान	–	–	–	–	250	18.72
जोर्डन	–	–	–	–	21249	1358.52
केन्या	–	–	–	–	66312	3790.82
कुवैत	–	–	–	–	302	22.63
मलेशिया	–	–	–	–	553	30.87
मालदीव	–	–	54	4.07	–	–
मारीशस	–	–	–	–	5	0.47
मंयमार	–	–	7000	365.55	530	40.14
मोरक्को	–	–	–	–	40000	2392.09
नामिबिया	–	–	–	–	112	6.72
नेपाल	310	15.90	–	–	69	3.04
नीदरलैंड	–	–	–	–	42216	2590.33
न्यूजीलैंड	–	–	–	–	31	2.40
कतार	–	–	–	–	42	3.22
रूस	–	–	–	–	3000	177.23
सिंगापुर	–	–	41	2.11	5660	328.65
सोमालिया	–	–	–	–	125	9.61
दक्षिण अफ्रीका	–	–	–	–	23750	1424.02
सूडान	–	–	–	–	18100	1094.59
तन्जानिया गणतंत्र	–	–	–	–	7816	470.72
तुर्की	–	–	–	–	50067	3084.51
संयुक्त अरब अमीरात	40	2.63	35572	1689.49	83433	4847.08
यू. के.	–	–	–	–	8338	492.78
संयुक्त राज्य अमेरीका	–	–	–	0.04	42	3.41
वियतनाम	–	–	–	–	5695	358.40
यमन	–	–	–	–	96031	5366.57
जोड़	350	18.53	86628	4234.01	617211	36090.17

ग्रेच्युटी और अन्य देयों का भुगतान

3397. **श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और अन्य देयों का शीघ्र भुगतान कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में सेवानिवृत्त व्यक्तियों के देयों का भुगतान तुरंत करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (घ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत ग्रेच्यूटी भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित नियोजक का है। इसलिए, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मकारों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबद्ध प्रबंधन द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। ऐसे कुछ मामले सामने आये हैं जिनमें ग्रेच्युटी और अन्य बकाया राशियों का मुख्यतः कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों के कारण भुगतान नहीं किया गया है। ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब के ऐसे मामले जब भी प्राप्त होते हैं समुचित कार्रवाई के लिए संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों की जानकारी में लाए जाते हैं। भविष्य निधि बकाया राशियों से संबंधित चूक के मामले में भविष्य निधि की वसूली और लाभानुभोगियों को इसके भुगतान के लिए प्रबंधन के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 7क, 8ख, 14, 14ख के अंतर्गत यथा उपबंधित आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। उचित मामलों में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भविष्य निधि बकाया राशियों का भुगतान प्रतिष्ठान से इसकी वसूली लम्बित होने की अवस्था में भी किया जा सकता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा टेलीफोन कनेक्शन

3398. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र द्वारा टेलीफोन कनेक्शन जारी करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रायोगिक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु केवल कर्नाटक को प्राथमिकता आधार पर चुनने का क्या आधार है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के निष्पादन तथा आकलन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना की निर्धारित समय-सीमा तथा सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले संभावित व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक

3399. **कुमारी क्रिडा तोपनो :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) जनजातीय समुदाय के बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार, सुंदरगढ़ जिले में कामकाजी बालकों की संख्या 36118 थी। कामकाजी बालकों की व्यवसायवार और समुदायवार सूचना नहीं रखी जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बालकों संबंधी सूचना जनगणना कार्य महापंजीयक द्वारा अभी तक जारी नहीं की गयी है।

(ग) पहले चरण में भारत सरकार ने पहले ही देश के बाल श्रम बहुत जिलों में 76 बाल श्रम परियोजनाएं (उड़ीसा राज्य में 16 परियोजनाओं सहित) स्वीकृत कर दी हैं। सुंदरगढ़ जिले में अभी तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में ठेका श्रमिक

3400. **श्री महेन्द्र कर्मा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के किरान्दुल एवं बछेली लौह अयस्क खानों में लदाई/उतराई कार्य में लगे कितने अकुशल श्रमिक हैं;

(ख) उपरोक्त मजदूरों में से ठेका मजदूरों की संख्या कितनी है और प्रबंधन के अधीन कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा निःशुल्क बुनियादी सुविधाएं दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) बायप डेप 14, किरान्दुल में फाइन अस्यक रेक्स/वेगन की लदाई के कार्य में लगे हुए कर्मकारों की संख्या 341 है और बायप डेप संख्या 5, बछेली में यह संख्या शून्य है।

(ख) उपरोक्त कर्मकार ठेकागत कर्मकार नहीं हैं और सभी विभागीय उजरती दर कर्मकार हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन पर भोजपुरी फिल्में

3401. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा कितनी भोजपुरी फिल्में प्रसारित की गईं;

(ख) क्या बहुत कम संख्या में भोजपुरी फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में और भोजपुरी फिल्मों का प्रसारण किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार से है :

1993-94	3
1994-95	3
1995-96	20

(ख) से (घ) दूरदर्शन इसे प्रस्तुत विभिन्न बोलियों/भाषाओं की फिल्मों को उनकी उपयुक्तता तथा समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए प्रसारित करता है। उक्त अवधि के दौरान दूरदर्शन द्वारा प्रसारित भोजपुरी फिल्मों की संख्या अन्य बोलियों की फिल्मों के अनुकूल है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों की आरक्षण में प्रतिशतता

3402. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये बौद्ध धर्मावलंबियों को 1990 के अधिनियम 15 द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने से आज की तारीख तक अनुसूचित जातियों की बढ़ी हुई जनसंख्या की प्रतिशतता पर महाराष्ट्र तथा केन्द्र सरकार की सेवाओं में भर्ती में अनुसूचित जाति की प्रतिशतता निर्धारित करते समय विचार किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिशतता निर्धारित की गई है;

(ग) इस प्रतिशतता के अनुरूप आज तक कितने पद सृजित किए गए; और

(घ) पिछली कितनी रिक्तियां अभी बकाया हैं तथा ये कब तक भर दी जाएंगी।

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत सरकार के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए किया गया आरक्षण का प्रतिशत तभी से अपरिवर्तित है जब से उनके लिए यह 15% की प्रतिशतता निर्धारित की गई थी।

(ग) पदों का सृजन आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार नहीं किया जाता।

(घ) विशेष भर्ती अभियान, 1995 के अंतर्गत 1.4.1995 को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का अभिज्ञात बैकलॉग इस प्रकार है :-

(1) मंत्रालय/विभाग	= 8251
(2) बैंक	= 524
(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	= 3620
	12395

विशेष भर्ती अभियान, 1995 के दौरान भरे गये अनुसूचित जातियों के पदों की संख्या नीचे दी गई है :-

(1) मंत्रालय/विभाग	= 4672
(2) बैंक	= 385
(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	= 1879
	6936

सरकार ने 1.7.1996 को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 1996 में छठा विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है।

डाक-टिकट छापने वाला गिरोह

3403. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने के अंतर्गत पुलिस ने डाक-टिकट छापने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) गाजियाबाद में अप्राधिकृत रूप से डाक-टिकट छापने का कोई मामला विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

कीटनाशक कारखानों में कार्यरत कर्मचारी

3404. **श्री विजय हाण्डिक :**
श्री निहाल चंद चौहान :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खतरनाक रसायनिक उद्योगों और कीटनाशक फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों को सरकार द्वारा उचित प्रशिक्षण तथा बचाव संबंधी उपकरण प्रदान किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में टेलीफोन सुविधा का विस्तार

3405. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में अब तक टेलीफोन सुविधा का कितना विस्तार हुआ है;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त संघ राज्य क्षेत्र में टेलीफोन सुविधा का विस्तार करने हेतु कोई कार्य-योजना बनाई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सभी प्रमुख कस्बों में टेलीफोन सुविधा दे दी गयी है। सभी जिला मुख्यालयों, उप-मंडलीय मुख्यालयों और कुल 7 में से 6 तहसील मुख्यालयों को एस टी डी सुविधा प्रदान कर दी गयी है। कुल 292 गांवों में से 93 गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस समय 24 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं जिनकी परिसज्जित क्षमता 6581 लाइनों, 5153 सीधी एक्सचेंज लाइनों की है तथा प्रतीक्षा सूची में 2326 दर्ज हैं।

(ख) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। विभाग ने वर्ष 1996-97 के दौरान स्विचिंग क्षमता की 2450 लाइनें, 2000 नये टेलीफोन कनेक्शन और 201 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन और लगाने की योजना बनायी है। इसमें पोर्ट ब्लयेर, कैम्पनेवल हट बे, हैवलाक, ब्रिचगुंज और लापैथी में टेलीफोन एक्सचेजों का प्रतिस्थापन/विस्तार तथा कौतडरी तथा ओग्राब्रज में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना शामिल है।

विवरण

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा

		1993-94	1994-95	1995-96
1.	चालू किये गये एक्सचेंजों की संख्या	3	4	3
2.	बढ़ायी गयी निवल स्विचिंग क्षमता	680	1417	1384
3.	प्रदान की गयी कुल सीधी एक्सचेंज लाइनें	301	722	1320
4.	प्रदान किये गये ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	7	18	36
5.	सर्किल (अंडमान और निकोबार) में स्टेशनों की संख्या जिन्हें एस. टी. डी. सुविधा प्रदान की गयी है।	2	1	2

देश में डाकघर

3406. **श्री अनन्त कुमार हेगड़े :**
श्री राम सागर :
श्री एस. पी. जायसवाल :
श्री दत्ता मेघे :
श्री सौम्य रंजन :
श्री हाराधन राय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार जिले-वार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कितने डाकघर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य-वार और जिले-वार कितने डाकघर स्थापित किए गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में डाक सेवाओं के सुधार/विस्तार/डाक के त्वरित वितरण/डाक सामग्री की समुचित आपूर्ति के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग, राज्य-वार तथा जिले-वार कितने नये डाकघर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) डाक सेवा में सुधार व उसके विस्तार के लिए विभाग की कार्य-योजना विवतरण में दी गई है।

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 15 विभागीय उप डाकघर तथा शहरी क्षेत्र में 135 विभागीय उपडाकघर खोलने का प्रस्ताव है। जिले-वार लक्ष्य आबंटित नहीं किए जाते हैं

क्योंकि डाकघर मानकों पर आधारित औचित्य और प्रत्येक मामले की मैरिट को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं।

विवरण

डाक विभाग
कार्य योजना

डाकघर खोलना

1. वर्ष 1996-97 के लिए वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा 150 विभागीय उप डाकघर और 80 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चूंकि, हाल ही के मितव्ययिता संबंधी उपायों को ध्यान में रखते हुए नए पदों की मंजूरी की संभावना नहीं है, अतः सभी सर्किलवार लक्ष्य के अनुसार 30 सितम्बर से पूर्व डाकघर खोलने के प्रस्ताव निदेशालय को अनुमोदन के लिए भेजेंगे।

ग्रामीण डाक मानीटरिंग

2. इस समय, ग्रामीण क्षेत्र में 1,36,064 डाकघर कार्य कर रहे हैं। इनमें से 1,22,350 डाकघर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर हैं। किंतु प्रत्येक गांव में डाक का दैनिक वितरण किया जाता है जो मौसम की स्थिति और प्रमाणन-बाध्यताओं पर निर्भर करता है। प्रत्येक सर्किल कुल गांवों में से 10 प्रतिशत का चयन करेगा और वितरण/भुगतान में विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए मनीआर्डरों और डाक की मानीटरिंग करेगा तथा सुधारात्मक उपाय करेगा। सर्किलों के अध्यक्ष निदेशालय के अनुदेश प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर अपने क्षेत्राधिकार के 10 प्रतिशत गांवों की शिनाखत करेंगे और उनकी सूची परिचालित करेंगे और निरीक्षण-स्टाफ को मानीटरिंग कार्य आबंटित करने के साथ-साथ हमारे ग्रामीण डाक संग्रहण और वितरण नेटवर्क की कार्यकुशलता के संबंध में आंकड़ें भी एकत्र करेंगे। मानीटरिंग के लिए गांवों का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल उन्हीं गांवों/क्षेत्रों का चयन किया जाए जहां डाक वितरण या मनीआर्डरों के देरी से वितरण की नियमित शिकायतें ध्यान में आती हैं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की उपस्थिति, राज्य परिवहन या निजी बसों के न चलने, मनीआर्डरों के भुगतान के लिए फंड की कमी तथा मौसम की स्थिति या नागरिक उपद्रवों के जैसी अन्य प्रचालन बाध्यताओं के कारण डाक/मनीआर्डर के भुगतान में विलम्ब के संबंध में विशेष आंकड़े एकत्र किए जाने चाहिएं। ऐसे क्षेत्रों, जहां डाक की रूटिंग और वितरण में सिस्टम संबंधी त्रुटियां ध्यान में आती हैं या अतिरिक्त विभागीय स्टाफ के अनुपस्थित होने की बात ध्यान में आती है, उसका पता लगाया जाना चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

डाक लेखन सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति

3. सभी प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में, 10 प्रतिशत शाखा डाकघरों के अलावा, डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री की मौजूदा उपलब्धता की समीक्षा की जानी चाहिए और प्रत्येक पीएमजी द्वारा इस आशय का एक प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए कि संबंधित डाकघर में डाक टिकटों और डाक लेखन सामग्री का पर्याप्त स्टॉक पहुंच गया है और ध्यान में आए प्रक्रियात्मक विलम्बों और त्रुटियों को दूर किया गया है ताकि मांग करने वाले डाकघरों को सी. एस. डी. से डाक-टिकटों और डाक लेखन सामग्री का सुचारू और त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

स्पीड पोस्ट

4. सभी सर्किल उन पारेषण और वितरण प्वाइंट्स का पता लगाएंगे जहां स्पीड पोस्ट वस्तुओं में निर्धारित मानदंडों से अधिक विलम्ब नहीं होता तथा सुधारात्मक उपाय अपनाएंगे। जहां गृह-सर्किल के बाहर निरंतर विलम्ब नोटिस किया जाता है, विस्तृत तथ्य और आंकड़े 30 सितम्बर, 1996 तक उप महानिदेशक (मेल) तथा संबंधित सर्किलों को भेजे जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम 90 प्रतिशत स्पीड पोस्ट डाक निर्धारित समय के भीतर वितरित की जाती है।

बचत बैंक पेयरिंग

5. कम से कम 25 प्रतिशत लेजर एग्रीमेंट आगामी 100 दिन के भीतर पूरे कर लिए जाएं और कम से कम बचत बैंक लेजर एग्रीमेंट, जहां लंबितता आर डी से प्रायः कम होती है, अद्यतन किए जाएं।

डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी करना

6. ऐसे सभी लंबित मामले, जिनमें मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी किए जा सकते हैं, ऐसे मनीआर्डर जारी करके निपटाए जाएंगे और ऐसे सभी लंबित बचत बैंक मृतक दावे जिनमें उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है, सत्यापन के पश्चात् निपटा दिए जाएं।

काउंटर सेवाओं का उन्नयन

7. निदेशालय द्वारा आगामी 100 दिन के भीतर 250 इलेक्ट्रानिक फ्रैंकिंग मशीनें और 900 काउंटर मशीनें सप्लाई करने के प्रयास किए जाएंगे और सर्किल नई मशीनों से काम करना शुरू करेंगे।

लंबित अन्वेषण रिपोर्टें

8. उन सभी लंबित अन्वेषण मामलों की, जिनमें निहित धनराशि 10,000 रुपए से अधिक है, प्रत्येक क्षेत्रीय पीएमजी/सीपीएमजी द्वारा व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाएगी और आशा है कि कम से कम 80 प्रतिशत मामलों में पूर्ण अन्वेषण रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः सर्किल स्तर की जांच भी इस निर्धारित समय के भीतर पूरी कर ली जाएगी और जहां नकदी और बचत बैंक से संबंधित स्टाफ अपने कार्यकाल से अधिक समय तक बना रहा है, उसे निवारक उपाय के रूप में अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। धोखाधड़ी के मामले में, बचत बैंक संबंधी दावे संबंधित कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना ही निपटाए जाएंगे।

स्टाफ का चयन और पदोन्नति

9. सभी सर्किल अगले उच्चतर रैंकों में पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति

समिति की बैठक करेंगे और उन संवर्गों के संबंध में, जहां भर्ती नियत है और रिक्त पद मौजूद हैं, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भर्ती

10. अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी रिक्त पद विशेष भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और यदि ऐसा कोई पद 30 सितम्बर से पूर्व नहीं भरा जाता है, तो इस संबंध में निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भरे गए पदों की कुल संख्या के बारे में भी उप महानिदेशक (पी) तथा निदेशालय के अनुसूचित जाति/जनजाति संपर्क अधिकारी की सूचित किया जाएगा।

हवाई सुरक्षा

3407. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान हवाई सुरक्षा उल्लंघन के कितने मामलों का पता सरकार को चला है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत की हवाई सुरक्षा के स्तर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा के स्वीकृत मानदंडों के बराबर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) अगस्त, 1994 से जुलाई, 1996 की अवधि के दौरान हवाई सुरक्षा के उल्लंघन के 39 मामले सामने आए हैं। इन मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

इंडियन एयलाइन्स	-	10
एयर इंडिया	-	3
गैर-सरकारी विमान कंपनियां और अन्य	-	26
	-	39

अंतर्ग्रस्त विमानचालक/सह-विमानचालक के लाइसेंस के निलंबन और संबंधित प्रचालक को स्वीकृत अनुमोदन को वापस लेने/निलंबन जैसे उपयुक्त कदम उठाए गए हैं।

(ख) हवाई सुरक्षा के स्तर में वृद्धि करने के लिए जोखिमी घटनाओं और विमान दुर्घटनाओं की जांच के बाद की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन, उड़ान रिकार्डरों की निगरानी, नागर विमानन अपेक्षाओं को जारी करने, प्रचालकों की सुरक्षा ऑडिट करने, सुरक्षा संगोष्ठियां/बैठकें आयोजित करने, विमानक्षेत्रों इत्यादि के निरीक्षण करने जैसे कदम लगातार उठाए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में एस. टी. डी./आई. एस. डी. सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

3408. **श्री एल. रमना :**
श्री सोमजीभाई डामोर :
श्री नामदेव दिवाचे :
श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक जिले तथा विशेषतः दीमापुर में इस समय कितने एस टी सी/आई एस डी/सार्वजनिक टेलीफोन बूथ काम कर रहे हैं;

(ख) उक्त प्रत्येक राज्य में जिले-वार ऐसे टेलीफोन बूथ के आबंटन हेतु कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) आवेदकों को ऐसे बूथ कब तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को उक्त राज्यों में ऐसे बूथ आपरेटरों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी।

देश में भविष्य निधि अधिकारी

3409. **श्री के. सी. कोंडय्या** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भविष्य निधि के क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक में क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं तथा कहां-कहां हैं;

(ग) क्या औद्योगिक रूप से विकसित जिलों में जहां बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं भविष्य निधि उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का सरकार का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक में उनका तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक में सभी भविष्य निधि क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक इन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत कर दिया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) वर्तमान में देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 16 क्षेत्रीय और 53 उपक्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त, 4 अन्य उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो इस प्रकार हैं मंगलौर, हुबली, गुलबर्गा और मैसूर, प्रत्येक जगह एक-एक।

(ग) और (घ) कार्यभार और अन्य पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए, जब कभी कर्मचारी भविष्य निधि उपक्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तब उन्हें खोला जाता है। तथापि, वर्तमान में कर्नाटक में एक नया उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) मैसूर स्थित उपक्षेत्रीय कार्यालय को छोड़कर, कर्नाटक में स्थिति सभी क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालयों को कम्पयूटरीकृत

कर दिया गया है। मैसूर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

मधुबन (बिहार) में दूरसंचार सुविधा

3410. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पूर्वी चंपारण जिले (खंड मधुबन) में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सभी तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले (मधुबनी ब्लाक) में संचार सुविधा प्रदान कर दी है तथा विवरण-I में दी गई कार्य योजना के ब्यौरे के अनुसार इसका और आगे विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपरोक्त (क) एवं (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) और (ङ) बिहार राज्य में कोई तहसील मुख्यालय नहीं है तथापि, वहां 130 सबडिविजनल मुख्यालय हैं जिन्हें जिला मुख्यालयों के जरिए से एस.टी.डी. की सुविधा से जोड़ दिया गया है। सब डिविजनल मुख्यालय के जिलेवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) उपरोक्त (घ) एवं (ङ) के उत्तर को देखते लागू नहीं होता।

विवरण-I

बिहार के पूर्वी चंपारण जिला (खंड मधुबन) में विस्तार के लिए प्रस्तावित विद्यमान संचार सुविधा और कार्य योजना।

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	किस्म	वर्तमान प्रस्तावित	1996-97 के दौरान विस्तार (लाइनें)
1.	अरेराज	256 पी (आरएएक्स)	184	152
2.	हरसिद्धी	128 पी (आरएएक्स)	88	152
3.	सतहा	64 पी (एमआईएलटी)	56	0
4.	बड़ाचकिया	512 पी (सी-डॉट)	424	576
5.	दामोदरपुर	128 पी (रैक्स)	88	152
6.	कल्याणपुर	128 पी (रैक्स)	88	152
7.	केसरिया	2x128 पी (रैक्स)	160	304
8.	कोरवा	128 पी (रैक्स)	88	0
9.	मेहसी	2x128 पी (रैक्स)	160	160
10.	पिपरी कोठी	128 पी (रैक्स)	88	152
11.	छोवारादानो	128 पी (रैक्स)	96	152
12.	चिरैया	128 पी (रैक्स)	88	152
13.	दराका	256 पी (रैक्स)	184	160
14.	घोड़ासहन	2x256 पी (रैक्स)	264	160
15.	मोतीहारी	1.4 के.+512-सी-डॉट)	1888	3000
16.	सेहरा	128 पी (रैक्स)	88	0
17.	सुगवली	2x128 पी (रैक्स)	160	160
18.	तुर्कौलियां	2x128 पी (रैक्स)	160	152
19.	जी. मधुबन	2x128 पी (रैक्स)	160	152
20.	पकरीदयाल	256 पी (रैक्स)	184	160
21.	पताही	128 पी (रैक्स)	80	0

विवरण-II

जिला मुख्यालयों से जुड़ी हुई एस. टी. डी. सुविधाओं का उप मंडलिय मुख्यालयों का जिला-वार ब्यौरा

जिले का नाम	क्र. सं.	उप मंडलीय मुख्यालय
1	2	3
भोजपुर	1.	आरा
	2.	जगदीशपुर
	3.	पिरो
बक्सर	4.	बकसर
	5.	डुमरांव
रोहतास	6.	ससाराम
	7.	देहरि
	8.	बिकरमगंज
भभुआ	9.	भभुआ
	10.	मोहनिया
भागलपुर	11.	भागलपुर
	12.	कहलगांव
	13.	नौगछिया
बंका	14.	बंका
सारण	15.	छपरा
	16.	सोनपुर
	17.	मढौड़ा
सिवान	18.	सिवान
	19.	महराजगंज
गोपालगंज	20.	गोपालगंज
	21.	हथुआ
डालटेनगंज	22.	टालटेनगंज
	23.	लतेहर
	24.	हुसैनाबाद
	25.	छत्तरपुर
गड़वा	26.	गड़वा
	27.	नगारूतरी
दरभंगा	28.	दरभंगा
	29.	बेनीपुर
	30.	बिरउल
मधुबनी	31.	मधुबनी
	32.	बेनीपट्टी
	33.	जयनगर
	34.	झाझरपुर
	35.	फुलपरास
समस्तीपुर	36.	समस्तीपुर
	37.	दलसिंहसराय
खगड़िया	38.	पटोरी
	39.	रोसेड़ा
	40.	खगड़िया
	41.	गोगरी
बेगूसराय	42.	बेगूसराय
	43.	बलिया
	44.	टेघरा
	45.	मझौल
	46.	बखरी
धनबाद	47.	धनबाद
बोकारो	48.	चास
	49.	बेरमू
दुमका	50.	दुमका
	51.	झारमंडी
देवघर	52.	देवघर
	53.	माधोपुर
साहेबगंज	54.	साहेबगंज
	55.	राजमहल
पाकुर	56.	पाकुर
गोड्डा	57.	गोड्डा
गया	58.	गया
	59.	टेकरी
	60.	शेरघाटी
जहानाबाद	61.	जहानाबाद
	62.	अरवल
औरंगाबाद	63.	औरंगाबाद
	64.	दाउदनगर
नवादा	65.	नवादा
	66.	रजैली
हजारीबाग	67.	हजारीबाग
	68.	बरही
	69.	रामगढ़
कोडरमा	70.	कोडरमा
चतरा	71.	चतरा
गिरोडीह	72.	गिरीडीह
प. सिंहभूम	73.	जमशेदपुर
	74.	घाटशीला
चाइबासा	75.	चाइबासा
	76.	चक्रधरपुर
	77.	सरायकेला
कटिहार	78.	कटिहार
	79.	मनिहारी
	80.	बरसोई
किशनगंज	81.	किशनगंज
पुर्णिया	82.	पुर्णिया
	83.	बैसी
	84.	बनमंखी

1	2	3
	85.	धमदहा
अररिया	86.	अररिया
	87.	फोरबेसगंज
मुंगेर	88.	मुंगेर
	89.	एच. खरगपुर
	90.	जमुई
शेखपुरा	91.	शेखपुरा
लखीशराय	92.	लखीशराय
प. चंपारन	93.	मोतीहारी
	94.	चकिया
	95.	रक्सौल
	96.	सिकरहाना
	97.	अरेराज
	98.	पकरिदयाल
	99.	सेटिया
	100.	बगहा
	101.	नरकटियागंज
मुफ्फरपुर	102.	मुफ्फरपुर
	103.	मोतीपुर
बैशाली	104.	हाजीपुर
	105.	महुआ
सितामढ़ी	106.	सीतामढ़ी
	107.	बेलसाद
	108.	शिवहर
	109.	पुपरी
पटना	110.	पटना
	111.	पटना शहर
	112.	मसैडी
	113.	दानापुर
	114.	बाह
नालंदा	115.	बेगूशरीफ
	116.	राजगीर
	117.	हिलशा
रांची	118.	रांची
	119.	खुन्टी
गुमला	120.	गुमला
लोहरडागा	121.	लोहरडगा
	122.	सिमडगा
सहरसा	123.	सहरसा
	124.	द. बख्तियारपुर
सुपवल	125.	सुपवल
	126.	निमलो
	127.	बिरपुर
	128.	तिरबेनीगंज
माधेपुरा	129.	माधेपुरा
	130.	उदयकिशनगंज

विदेशों में श्रमिकों हेतु रोजगार के अवसर

3411. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विदेशों में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को रोजगार अवसर मुहैया कराए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा गत तो वर्षों के दौरान अन्य देशों में कितने श्रमिक भेजे गए;

(ङ) क्या बिहार के श्रमिकों को ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (च) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की भूमिका रोजगार के प्रयोजनार्थ विदेश जाने वाले भारतीय श्रमिकों के संबंध में नियोजन की शर्तों, दिये जाने वाली मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा लाभों, विवादों के निपटान की विधि आदि तक ही सीमित है। विदेशों में भारतीय कर्मकारों के लिए रोजगार अवसरों का या तो श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा अथवा परियोजना निर्यातकों द्वारा अथवा विशेष व्यक्तियों द्वारा स्वयं ही पता लगाया जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने विदेश में भारतीय कर्मकारों के नियोजन के लिए जनशक्ति निर्यात निगम भी स्थापित किये हैं। ये नियम इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती एजेंटों के रूप में भी पंजीकृत हैं। कर्मकारों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों की मांग विदेशी नियोजकों से भर्ती एजेन्टों द्वारा सीधे प्राप्त होती है। वर्ष 1994 और 1995 के दौरान, विदेश में रोजगार के लिए क्रमशः 4.25 लाख और 4.15 लाख व्यक्तियों को अनुमति प्रदान की गयी थी। देश के सभी भागों जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है, से कर्मकार विदेश में रोजगार अवसरों का पता लगाने के लिए श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों से सम्पर्क कर सकते हैं। तथापि, भारत विदेशों में अपने नागरिकों को व्यापार सेवाओं संबंधी सामान्य समझौते (गैट), जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच की वचनबद्धता और कुशल कार्मिकों का सेवा संविदा अथवा अंतरा-निगमित अंतरितों और व्यवसाय पर्यटकों की श्रेणी में अस्थायी आवंटन के लिए बातचीत हेतु ढांचा का प्रावधान है, के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन के साथ वार्ताओं के माध्यम से विदेशों में विशिष्ट सेवाएं मुहैया करवाने के लिए संबंधित बाजार पहुंच की तलाश करता रहा है। संबंधित व्यावसायिक संगठन जैसे एन.ए.एस.सी.ओ.एम., जो कम्प्यूटर साफ्टवेयर व्यावसायिकों का प्रतिनिधित्व करता है, लक्षित देशों के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल लिए हैं। इस मामले को द्विपक्षीय बातचीत के दौरान संबंधित सरकारों के साथ भिन्न-भिन्न स्तरों पर भी उठाया गया है।

[अनुवाद]

नागपुर में दूरसंचार नेटवर्क का उच्च होना

3412. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागपुर शहर में दूरसंचार

नेटवर्क पूर्णरूप से ठप्प हो गया है तथा नागपुर टेलीफोन के कर्मचारी खराब पड़े टेलीफोनों को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं;

(ख) शहर में कितने टेलीफोन खराब पड़े हैं तथा पिछले छः महीनों से उनमें से कितने टेलीफोन ठीक किये गये हैं; और

(ग) टेलीफोन लाइन को तुरंत ठीक करने और बहाल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) नागपुर के दूरसंचार नेटवर्क में कोई बहुत बड़ा दोष नहीं आया है। जून-जुलाई में वर्षा-ऋतु के दौरान दोषों में वृद्धि की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान कुल 1,18,462 खराब टेलीफोनों की सूचना दर्ज कराई गई थी और उनमें से 1,14,196 टेलीफोन ठीक कर दिए गए हैं। 15.8.96 की स्थिति के अनुसार लम्बित पड़े खराब टेलीफोनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

3 से 7 दिनों तक	—	1921
7 से 15 दिनों तक	—	1367
15 से 30 दिनों तक	—	858
30 से 60 दिनों तक	—	80

(ग) इन दोषों को तुरंत ठीक करने के लिए नागपुर टेलीफोन द्वारा यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में पर्यटन का विकास

3413. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री पी. सी. थॉमस :
श्री सत महाजन :
श्री अनंत कुमार :
श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से पर्यटन के विकास के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत/लम्बित/अस्वीकृत किए गए हैं;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है तथा आगामी दो वर्षों में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का विचार है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार का विचार सबरीमाला तथा इरूमली तीर्थ स्थलों के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी हां। केंद्रीय पर्यटन विभाग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान 34 यात्री निवासों, 199 पर्यटक बंगलों और 119 मार्गस्थ सुख-सुविधाओं/पर्यटक स्वागत केंद्र के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। उक्त उल्लिखित अवधि के दौरान प्रदान की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन अग्रिम रूप में नहीं करता क्योंकि इनको राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धता के आधार पर अभिनिर्धारित किया जाता है। वित्तीय सहायता उन परियोजनाओं को दी जाती है जो दिशा-निर्देशों के तहत और हर लिहाज से पूरी होती है।

(ङ) और (च) राज्य सरकार से केरल के सबरीमाला और इरूमली तीर्थ-स्थलों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

गत तीन वर्षों के अर्थात 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत की गई केंद्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

	1993-94		1994-95		1995-96	
	स्वीकृत की गई राशि	अवमुक्त की गई राशि	स्वीकृत की गई राशि	अवमुक्त की गई राशि	स्वीकृत की गई राशि	अवमुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	114.28	57.97	174.64	73.23	13.46	9.00
अरूणाचल प्रदेश	45.40	23.50	—	—	52.26	25.50
असम	78.11	28.83	52.99	27.00	70.24	23.30
बिहार	53.61	19.95	112.12	28.00	116.52	14.04

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	78.82	41.83	162.07	75.52	221.55	96.15
गुजरात	65.76	35.48	21.19	11.00	7.98	4.78
हरियाणा	223.21	81.62	188.96	65.98	119.45	61.57
हिमाचल प्रदेश	349.28	177.22	368.85	131.91	373.39	95.97
जम्मू एवं कश्मीर	225.60	100.88	215.98	108.55	150.30	43.43
कर्नाटक	177.44	114.53	229.96	104.50	229.36	82.55
केरल	97.40	26.50	307.05	146.00	209.94	83.95
म ध्य प्रदेश	31.57	9.00	9.32	5.00	—	—
महाराष्ट्र	309.31	156.49	273.46	103.92	83.64	23.90
मणिपुर	45.50	27.35	4.00	2.00	75.81	24.20
मेघालय	1.85	1.85	—	—	4.08	2.04
मिजोरम	98.18	62.83	111.80	41.29	100.86	36.27
नागालैंड	16.66	10.97	36.43	16.85	51.60	18.94
उड़ीसा	101.52	61.79	166.31	35.62	108.86	27.50
पंजाब	186.67	50.38	136.71	56.14	139.49	21.50
राजस्थान	260.43	132.93	662.78	567.37	164.65	33.56
सिक्किम	130.89	111.49	49.07	12.63	24.61	13.68
तमिलनाडु	402.45	186.89	145.72	67.35	250.11	72.72
त्रिपुरा	15.07	9.69	46.61	22.40	35.43	10.00
उत्तर प्रदेश	151.04	60.65	223.80	144.30	26.21	26.21
पश्चिम बंगाल	167.30	57.50	144.01	37.26	191.10	22.70
संघ राज्य क्षेत्र						
अंडमान एवं निकोबार	53.47	26.00	—	—	45.00	20.00
चंडीगढ़	18.66	14.80	64.66	19.50	17.20	10.86
दादर एवं नगर हवेली	—	—	23.62	12.00	—	—
दमन एवं द्वीव	12.03	7.50	42.31	21.45	44.21	9.30
दिल्ली	117.23	74.64	116.50	56.67	28.23	17.77
लक्षद्वीप	—	—	19.95	10.00	24.65	—
पांडिचेरी	29.75	15.00	—	—	28.12	13.10
जोड़ :	3648.49	1786.06	4110.87	2003.44	3009.31	884.37

एयर इंडिया के साथ विमान सौदा

3414. **श्री ओ. पी. जिंदल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "विमान सौदे के लिए कंपनियों में कड़ी टक्कर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका की एक बोइंग कंपनी एयर इंडिया से इस सौदे को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एयर इंडिया की नौवीं योजनावधि के दौरान अपने विमान बेड़े में मध्यम क्षमता के लंबी दूरी के (एम.सी.एल.आर.) विमानों को शामिल करने

की योजना है। जिन विमानों का मूल्यांकन किया जा रहा है वे हैं एयरबस उद्योग के ए-340-300, बोइंग एयरप्लेन कंपनी के बी-777-200 तथा मैक डोनेल डॉगलस निगम के एम डी-11।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवाओं में सुधार

3415. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हाल ही में पूरे देश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार की जांच करने के लिए कदम उठाने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार सेवाओं में दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है; और

(घ) क्या सरकार ने देश में कोई दूरसंचार सेवाएं कार्य-योजना तैयार की है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) समूचे देश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं :-

i) स्थानीय स्थानांतरण :- सात दिनों के भीतर

ii) अंतः-एक्सचेंज स्थानांतरण : 15 दिनों के भीतर

iii) अंतः राज्य स्थानांतरण : 30 दिनों के भीतर

iv) दोष ठीक करना : 48 घंटों के भीतर

v) नए टेलीफोन कनेक्शन : 15 दिनों के भीतर

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां, फील्ड अधिकारियों को मानकों के अनुरूप सेवा पैरामीटरों तक सुधार लाने के लिए यथासंभव प्रयास करने के अनुदेश दे दिए गए हैं। इन पैरामीटरों पर फील्ड यूनिटों तथा दूरसंचार मुख्यालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

कलकत्ता से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

3416. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने और दिल्ली से कलकत्ता के लिए कुछ विदेशी उड़ानों का मार्ग बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) नीतित : भारत सरकार कलकत्ता के लिए प्रचालन हेतु विदेशी विमान कंपनियों को विभिन्न प्रोत्साहन दे रही है जिसमें अन्य प्रमुख गेटवेज से कलकत्ता को जोड़ने की योग्यता, उदारवादी पंचम स्वतंत्रता अधिकार, वाणिज्यिक करारों की उदार शर्तें आदि शामिल हैं। कतिपय मामलों में दिल्ली तथा मुम्बई जैसे प्रमुख गेटवेज के लिए प्रचालन करने वाली योग्यता को ही कलकत्ता के लिए उनके प्रचालन करने की कसौटी बनाया गया है। तथापि, वास्तविक प्रचालन संबंधित विमान कंपनियों के वाणिज्यिक निर्माण पर आधारित होते हैं।

एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

3417. **प्रो. पी. जे. कुरियन :**
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 में केरल में जिले-वार इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले गए एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्य में जिले-वार कितने एक्सचेंजों को परिवर्तित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का राज्य में कासरगोड़ टेलीफोन एक्सचेंज की पुरानी प्रणाली को आधुनिक प्रौद्योगिकी से बदलने का विचार है जिससे मालाबार क्षेत्र के लोगों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जो पिछले छह वर्षों से टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) केरल में वर्ष 1995-96 के दौरान 34 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदला गया। जिलाधार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) केरल में 1996-97 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवार्तित किए जाने वाले एक्सचेंजों की संभावित जिलावार संख्या विवरण-II दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) 4000 लाइनों वाले आई सी पी क्रॉस बार एक्सचेंज को बदलने के लिए अपेक्षित उपस्कर मार्च, 97 तक प्राप्त होने की संभावना है तथा बदलने का चाय 1997-98 के मध्य तक होने की आशा है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित एक्सचेंजों की जिला-वार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 95-96 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अल्लप्पी	5
2.	कालीकट	2
3.	कन्नौर	5
4.	एर्नाकुलम	3

1	2	3
5.	इदुक्की	1
6.	कसारागोड	2
7.	कोट्टायम	1
8.	मालापुरम	2
9.	पलक्कड	1
10.	पथनमथिट्टा	5
11.	क्विलोन	4
12.	त्रिचूर	2
13.	त्रिवेन्द्रम	1
	जोड़ :	34

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किए जाने वाले संभावित एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 96-97 के दौरान इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किए जाने वाले संभावित एक्सचेंजों की संख्या
1.	कालीकट	3
2.	कन्नौर	3
3.	एर्नाकूलम	6
4.	कोट्टायम	13
5.	मालापुरम	4
6.	पालघाट	1
7.	पथनमथिट्टा	1
8.	क्विलोन	3
9.	त्रिचूर	3
	जोड़ :	37

[हिन्दी]

देश में डाक और तार घर

3418. **श्री महेश कुमार एम. कन्नोडिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक-तार विभाग की सेवाओं में दिन-प्रतिदिन आ रही गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में डाक और तार घर स्थापित किए जाने हेतु कोई मानदंड/मापदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में और डाक और तार घर स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने डाक और तार घर कब तक स्थापित किए जाएंगे; और

(छ) सरकार द्वारा डाक-तार विभाग को और कुशल बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) :

डाक विभाग

(क) और (ख) देश में डाक सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक हैं। डाक सेवा अपने विभिन्न कार्यों के लिए अनेक बाह्य एजेंसियों जैसे एयरवेज, रेलवे और रोडवेज पर निर्भर करती है, अत : कभी-कभार प्रचालनात्मक चूक हो जाती हैं जिन्हें उपयुक्त हस्तक्षेप करके दूर किया जाता है।

दूरसंचार विभाग

(क) और (ख) तार सेवाओं का कार्य निष्पादन संतोषजनक है। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 92.75 प्रतिशत, 92.75 प्रतिशत और 94.38 प्रतिशत तार दिन के 12 घंटे के भीतर वितरित कर दिए गए।

(ग) जी हां।

(घ) डाकघर तथा तारघर खोलने के मानदंड विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) : जी हां।

डाक विभाग

31 मार्च, 1997 तक ग्रामीण क्षेत्र में 80 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 15 विभागीय उप-डाकघर तथा शहरी में 135 विभागीय उप-डाकघर खोलने पर प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

दूरसंचार विभाग

स्वतंत्र तारघर निर्धारित मानदंडों और व्यवहार्यता के आधार पर खोले जाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में तार सुविधा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह मांग परियात की मात्रा के औचित्य के आधार पर खोले जाते हैं।

(छ) डाक और तार सेवाओं को अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए तथा किए जा रहे उपाय विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

डाकघर खोलने के लिए मानदंड

1. **नए शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदंड**

1.1 **जनसंख्या**

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (जिनमें वे गांव भी शामिल हैं, जहां डाकघर खोलने का प्रस्ताव है)

(ख) **पहाड़ी जनजाति, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में :**

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 या गांवों के एक समूह की जनसंख्या 100।

1.2 **दूरी**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

मौजूदा नजदीकी डाकघर से दूरी कम से कम 3 किलोमीटर होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में :**

दूरी की सीमा उपर्युक्त अनुसार होगी सिवाय इसके कि पहाड़ी क्षेत्रों में निदेशालय द्वारा ऐसे मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट का औचित्य बनता हो, जिसका स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव भेजते समय किया जाना चाहिए।

1.3 **प्रत्याशित आय**

(क) **सामान्य क्षेत्रों में :**

प्रत्याशित आय लागत का कम से कम 33-1/3 प्रतिशत होगी।

(ख) **पहाड़ी, जनजाति, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में :**

प्रत्याशित आय लागत का कम से कम 15 प्रतिशत होगी।

2. **नए विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए मानदंड :**

2.1 **ग्रामीण क्षेत्रों में :**

अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का न्यूतनम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमेय वार्षिक घाटा 2400/- रु. से अधिक तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्र में 4800/- रु. से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2 **शहरी क्षेत्रों में :**

2.2.1 शहरी क्षेत्रों में आरंभ में डाकघर आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा आगे चालू रहने की पात्रता के लिए इसे प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय 5 प्रतिशत लाभ दर्शाना चाहिए।

2.2.2 20 लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में दो डाकघरों के बीच कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 2 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। तथापि, कोई भी 2 वितरण डाकघर एक-दूसरे से 5 किलोमीटर से कम की दूरी पर नहीं होने चाहिए।

2.2.3 सर्किल अध्यक्षों को 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्त में छूट देने का अधिकार है।

2.2.4 शहरी क्षेत्रों के वितरण डाकघर में कम सेकम 7 पोस्टमैन मीट्स होनी चाहिएं।

दूरसंचार विभाग

तारघर खोलने के लिए मानदंड

ग्रामीण क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र में तार सुविधा मांग और ट्रैफिक के परिमाण के औचित्यपूर्ण होने पर प्रदान की जाती है।

शहरी क्षेत्र

(i) जैसे और जब तार के ट्रैफिक का दैनिक औसत 500 प्रचालनों का मानदंड प्राप्त कर लेता है तब संयुक्त डाक एवं तारघर का दर्जा बढ़ाकर स्वतंत्र तारघर कर दिया जाता है।

(ii) यदि किसी स्थान में तारघर पहले से ही स्थित हो और वितरित किए गए तार 500 से अधिक हों तो 200 तारों के वितरण के लिए एक जोनल तारघर खोलने हेतु किसी क्षेत्र को अलग किया जा सकता है।

(iii) देश के प्रत्येक राजस्व जिला मुख्यालय में किसी निर्धारित मानदंड पर विचार किए बिना एक स्वतंत्र तारघर खोलने के लिए एक नीति भी बनाई गई है।

विवरण-II

डाक विभाग

(क) समय की दृष्टि से संवेदनशील डाक को लाने ले जाने के लिए अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करना। राष्ट्रीय नेटवर्क पर अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट सेवा 73 शहरों में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय ई. एम. एस. नेटवर्क पर भारत 76 देशों से जुड़ा है।

(ख) मेट्रो शहरों के बीच डाक के शीघ्र संचालन के लिए मेट्रो चैनल शुरू किया गया है। दिल्ली को अनेक राज्यों की राजधानी से जोड़ने के लिए राजधानी चैनल शुरू किया गया है। व्यवसायिक घरानों द्वारा भेजे जाने वाले वल्क मेल पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए विजनेस चैनल शुरू किया गया है।

(ग) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चुनिंदा डाकघरों में कम्प्यूटर आधारित बहुउद्देशीय मशीनें लगाई गई हैं।

(घ) सेटेलाइट चैनलों के माध्यम से मनीआर्डर का प्रेषण शुरू किया गया है। फिलहाल इस चैनल से 69 शहर जुड़े हुए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 75 और शहरों को जोड़ने की योजना है।

(ङ) हाल में हाइब्रिड डाक सेवा भी शुरू की गई है।

(च) मुम्बई एवं मद्रास में स्वचालित छंटाई मशीनें कार्य कर रही हैं जिनमें डाक की छंटाई करने की अत्यधिक क्षमता है।

(छ) फ्रंट रूप ऑपरेशन्स का आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण करने का

एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

दूरसंचार विभाग

(i) तार नेटवर्क में दस स्टोर एवं फारवर्ड मेसेज स्विचिंग 128 लाइनों वाली प्रणाली, ग्यारह एस एफ एम एस-64 लाइनों वाली प्रणाली तथा इक्कीस एस एफ एम एस-32 लाइनों वाली प्रणाली पहले से ही चालू हैं।

(ii) देश भर में लगभग 190 इलेक्ट्रोनिक की-बोर्ड कंस्ट्रेटर्स और 1850 इलेक्ट्रोनिक की-बोर्ड पहले से ही कार्य कर रहे हैं। तार नेटवर्क में इसे वर्षों पुरानी कम स्पीड की मोर्स प्रणाली को बदलने के लिए लगाया गया है।

(iii) तार नेटवर्क में लगभग 800 फॉरमेटेड टर्मिनल लगाए गए हैं।

(iv) जयपुर में एक एस एफ एम एस-64 लाइनों वाली प्रणाली और शिलांग में एक एस एफ एम एस-32 लाइनों वाली प्रणाली लगाई जा रही है।

(v) नौ और एस एफ एम एस-32 लाइनों वाली प्रणालियों की आपूर्ति और उनका संस्थापन किया जा रहा है।

(vi) 600 और फॉरमेटेड टर्मिनल शीघ्र ही संस्थापित कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

जबलपुर में एस.टी.डी. सुविधा में रूकावट

3419. **दादा बाबूराव परांजपे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबिल के कट जाने के कारण 13.6.96 को एस.टी.डी. सेवाएं ठप्प हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाहियां की गई. और

(घ) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या एहतियाती कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्री (श्री वेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। कृन्तकों की वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल कट जाने के कारण, 13.6.96 को जबलपुर से एस. टी. डी. सेवा 6 घंटे और 30 मिनट के लिए आंशिक रूप से प्रभावित हुई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) उक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दोषपूर्ण स्थान को कंकरीट कर दिया गया है और अनुरक्षण प्रयास बढ़ाए गए हैं।

[हिन्दी]

टेलीविजन चैनल आपरेटरों के लिए शर्तें

3420. **श्री खलिल उरांव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कम्पनियों को स्वतंत्र टेलीविजन चैनल शुरू करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का उचित ढंग से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या "प्रोग्राम फार एडल्ट्स" कार्यक्रम का प्रसारण निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा इस कार्यवाही के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी.एम.इब्राहीम) : (क) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार किसी भी निजी कंपनी अथवा व्यक्ति को देश में एक स्वतंत्र टी.वी. चैनल स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सरकार को इस संबंध में किए गए विरोधों की जानकारी है परंतु विदेशी उपग्रह टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम भारतीय कानून की परिधि में नहीं आते क्योंकि वे विदेश से अपलिंक किए जाते हैं। तथापि, भारत में केवल आपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम जिनको प्राप्त करने के लिए विशेषीकृत गजट-डिकोडर की आवश्यकता होती है, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता के उपबंधों के अनुकूल हों।

[अनुवाद]

आदिवासी/अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का उन्नयन

3421. **श्री के. प्रधानी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में वर्ष 1995 से 2000 के दौरान दसवें वित्त आयोग द्वारा प्रशासन के उन्नयन हेतु कोई पुरस्कार प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग प्रभाग ने बताया है कि दसवें वित्त आयोग ने 1995 से 2000 के दौरान राज्यों के आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के उन्नयन के लिए उन्नयन अनुदानों के रूप में किसी पुरस्कार की सिफारिश नहीं की है।

[हिन्दी]

जालंधर में खराब पड़े टेलीफोन

3422. **श्री दरबारा सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जालंधर के अधिकांश टेलीफोन खराब पड़े हैं और बार-बार शिकायत करने पर भी उनको ठीक नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन टेलीफोनों को यथाशीघ्र ठीक करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानों की निगरानी

3423. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री राजकेशर सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल्दी ही देश में उड़ानों की निगरानी का काम रडार की जगह उपग्रहों से किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ उपग्रह प्रणाली कब से शुरू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को वित्तीय सहायता

3424. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दी गई केन्द्रीय सहायता/अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सहायता का दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समुचित उपयोग किया गया है।

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं। केंद्रीय सरकार ने गत 3 वर्षों के दौरान दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को कोई सहायता/अनुदान नहीं दिया गया है।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

गुजरात में हवाई अड्डों का उपयोग

3425. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
डा. ए. के. पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात से केशोद, कांडला, पोरबंदर तथा राजकोट हवाई अड्डे सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के किसी भी सिविल एयलाइन्स द्वारा प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन हवाई अड्डों के पूरे उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) जी नहीं। एन ई पी सी एयरलाइन्स केशोद, कांडला, पोरबन्दर तथा राजकोट के लिए सेवा प्रचालित करती है। इंडियन एयरलाइन्स भी राजकोट के लिए सेवा प्रचालित करती है।

[अनुवाद]

ग्राम सभाओं में एस. टी. डी. सहित टेलीफोन सुविधाएं

3426. **श्री नामदेव दिवाये : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्राम सभाओं को एस. टी. डी. के साथ टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95, 1995-96 के दौरान कितनी ग्राम सभाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए ग्राम सभाओं को यह सुविधा प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश की ग्राम सभाओं को एसटीडी सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से कोई नीति नहीं है। यह सुविधा ग्राम सभाओं सहित गांवों में संस्थापित सार्वजनिक टेलीफोनों पर प्रदान की गई हैं जहां इसकी मांग हो और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जन अदालत के रूप में जनवाणी

3427. **डा. एम. पी. जायसवाल :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर "जनवाणी" कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को "जनअदालत" का नया नाम दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खनिजों का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीक

3428. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विपुल मात्रा में उपलब्ध उत्कृष्ट धातु का पता लगाने हेतु भूभौतिकीय हवाई सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण के लिए किसी विदेशी कंपनी ने भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग के लिए आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार ने हवाई सर्वेक्षण सहित आधुनिक तकनीकों से खनिजों के स्थान का पता लगाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। आपरेशन हैंड रॉक (इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक) के तहत 30,140 वर्ग किमी. क्षेत्र पर कार्य किया गया। 1971-72 के दौरान बी० आर० जी० एम०/सी सी जी सर्वेक्षणों द्वारा राजस्थान के कुछ हिस्सों में कार्य किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बहुसंवेदी वायु भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों द्वारा राजस्थान के 93674 वर्ग किमी. क्षेत्र पर कार्य किया है। हवाई भू-भौतिकीय असमानताओं के मूल्यांकन के लिए अनुवर्ती जमीनी सर्वेक्षण तथा आधार धातु तथा बहुमूल्य धातुओं (स्वर्ण) के लिए अन्वेषण जारी है।

एफ एस 1995-96 के दौरान राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा तथा दुर्गापुर जिलों के आसपास के क्षेत्रों तथा मानपुरा-संजोला में स्वर्ण के लिए अन्वेषण किया गया।

एफ एस 1996-97 के दौरान टोंक जिले के दियोली टोडा राय सिंह तहसील के हिस्सों के काकलवार-सालगियावास क्षेत्र के अलावा बूंदी, सवाई माधोपुर तथा भरतपुर जिलों के कुछ हिस्सों में सर्वेक्षण करने की योजना तैयार की जा रही है।

(ग) से (छ) राजस्थान सरकार ने मैसर्स सी आर ए एक्सप्लोरेशन लि० (आस्ट्रेलिया) नई दिल्ली का मैसर्स एसोसियेटिड सीमेंट कंपनीज के सहयोग से सीसा, जस्ता, तांबा तथा संबंधित खनिजों के हवाई भू-भौतिकीय सर्वेक्षण के बारे में एक आवेदन प्रस्तुत किया है। राजस्थान सरकार को सलाह दी गई है कि मैसर्स सी आर ए एक्सप्लोरेशन लि. प्रथमतः आवश्यक स्वीकृति हेतु सीधे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

2. ब्रोकन हिल प्रोपराइटरी कंपनी लि. (बी एच पी) (आस्ट्रेलिया) ने राजस्थान में हवाई भू-भौतिकीय आंकड़े प्राप्त करने तथा संसाधित करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ सहयोग का प्रस्ताव रखा है। जी एस आई तथा बी एच पी लि० के बीच सहयोग की कार्रवाई को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

[हिन्दी]

पर्यटन केन्द्र

3429. **श्री हरिवंश सहाय : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पडरौना तथा देवरिया जिलों में स्थित पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की चालू वित्तीय वर्ष में भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल कुशीनगर का विस्तार तथा सौंदर्यकरण करने हेतु धनराशि आबंटित करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार कुशीनगर से देवरिया जिले में स्थित दिदवेश्वर नाथ मझौली राज पर्यटक केन्द्र तक 100 किलोमीटर लम्बी सड़क के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का भी विचार है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिदवेश्वर नाथ मझौली राज पर्यटन केन्द्र के विकास के लिए धनराशि आबंटित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) (क) पदरौना में दिद्वेश्वर नाथ मझौली राज एवं दुग्धेश्वर नाथ देवरिया जिले में देवरहा बाबा आश्रम, पर्यटक महत्व के स्थान हैं।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर– निर्वाण स्थल, बौद्ध परिपथ का एक हिस्सा है जिसे विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (जापान) की वाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के माध्यम से विकास हेतु लिया गया है। इस परियोजना के तहत भू-दृश्यांकन, विद्युत आपूर्ति योजनाएं, जलापूर्ति योजनाएं तथा दूर संचार योजनाओं को लिया गया है।

(घ) पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) से (छ) राज्य सरकार ने दिद्वेश्वर नाथ मझौली राज पर्यटक केन्द्र के विकास हेतु पर्यटन विभाग, भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। राज्य सरकार ने अपनी जिला योजना के माध्यम से विकास कार्य आरम्भ किया है।

[अनुवाद]

स्टेनलेस स्टील का उत्पादन

3430. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलेस स्टील का उत्पादन कर रहे इस्पात संयंत्रों की राज्यवार संख्या और ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या स्टेनलेस स्टील के कुछ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) विकास आयुक्त लोहा और इस्पात की सूची में दर्ज बेदाग इस्पात का उत्पाद करने वाली औद्योगिक इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

1. पश्चिम बंगाल	(1)	मैसर्स गेस्ट कीन विलियम्स, हावड़ा
	(2)	मैसर्स पोद्दार उद्योग लि०, हुगली
	(3)	मैसर्स इण्डो-जापान स्टील्स लि०, हावड़ा
	(4)	मैसर्स नीफा स्टील लि०, हुगली
2. महाराष्ट्र	(1)	मैसर्स महिन्द्रा यूगीन स्टील कं० लि०, रायगढ़
	(2)	मैसर्स फर्थ (इंडिया) स्टील कं० लि०, नागपुर
	(3)	मैसर्स मुकुन्द लि०, थाने
	(4)	मैसर्स कल्याणी स्टील्स लि०, गुन्धवा, पुणे
3. हरियाणा	(1)	मैसर्स हरियाणा स्टील्स एंड एलायज लि०, सोनीपत
	(2)	मैसर्स प्रताप स्टील्स, बल्लभगढ़
	(3)	मैसर्स स्टारवायर इंडिया लि; वल्लभगढ़
4. मध्य प्रदेश	(1)	मैसर्स कुसुम इंगोट एंड एलायज लि०, इन्दौर
	(2)	मैसर्स श्री ईश्वर एलायज एंड स्टील लि० इंदौर
	(3)	मैसर्स रिलायंस इस्पात इंडस्ट्रीज लि. देवास
5. गुजरात	(1)	मैसर्स पंचमहल स्टील लि०, कलोल
	(2)	मैसर्स विक्रम स्टील लि०, राजकोट
6. पंजाब	(1)	मैसर्स पंजाब कानकास्ट स्टील लि०, लुधियाना
	(2)	मैसर्स प्रताप स्टील रालिंग मिल्स (1935) लि., अमृतसर
7. राजस्थान	(1)	मैसर्स राठी एलायज एंड स्टील लि., अलवर
8. उत्तर प्रदेश	(1)	मैसर्स राठी इस्पात लि., गाजियाबाद
9. गोवा	(1)	मैसर्स मारमोगोवा स्टील्स लि., मारमोगोवा
10.हिमाचल प्रदेश	(1)	मैसर्स अशोक एलायज स्टील्स लि., सिरमौर

इसके अतिरिक्त, स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. का मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गपुर, पश्चिम बंगाल, विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड, भद्रावती, कर्नाटक तथा कुछ लघु विद्युत भट्ठी इकाइयां भी बेदाग इस्पात का उत्पादन करती हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार लोहा और इस्पात उद्योग जिसमें बेदाग इस्पात भी शामिल हैं, को स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय शर्तों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। इस प्रकार, बेदाग इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए इस्पात मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं हैं।

परिवहन प्रभार

3431. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**
श्री दिनशा पटेल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि लेखे में राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत परिवहन प्रभारों (खुदरा विक्रेता के परिवहन प्रभार सहित) को स्वीकार करने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारत सरकार के 28 अक्तूबर, 1972 के पत्र में जारी किए गए पूर्व मार्ग निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि के अंतर्गत चुंगी एवं बीमा शुल्कों की वसूली की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को थोक और खुदरा व्यापारियों को दिए जाने वाले "मार्जिन" को तय करने के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार थोक और खुदरा व्यापारियों को ढुलाई प्रभारों की अनुमति दी जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में राज्य सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित और इस प्रयोजनार्थ नियुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित वे वास्तविक ढुलाई प्रभार शामिल हैं जो रेल-भाड़े तक सीमित हैं।

(ग) और (घ) सरकारी नीति के अनुसार चुंगी और बीमा-प्रभारों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।

असम से प्रकाशित समाचार-पत्र

3432. **डा० प्रवीण चन्द्र शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष असम से प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्रों की भारतीय प्रैस पंजीयक द्वारा यथा प्रमाणित बिक्री होने वाली प्रतियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक समाचार-पत्र को कितनी मात्रा में अखबारी कागज आवंटित किया गया; और

(ग) 1990 के पश्चात् राज्य में प्रकाशित हुए समाचार-पत्रों तथा अन्य मैगजीनों इत्यादि का वर्षवार नवीन ब्यौरा क्या है और इन समाचार-पत्रों की बिकने वाली प्रतियों की स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) सीमित संसाधनों की दृष्टि से भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक विवरण में दावा किए गए अनुसार देश में प्रत्येक समाचारपत्र के प्रसार दावे का मूल्यांकन सत्यापित नहीं किया जाता है। असम से प्रकाशित दैनिक समाचारपत्रों जिनके वर्ष 1992, 1993, 1994 के प्रसार दावों को विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रमाणित/मूल्यांकित किया गया था, के ब्यौरे विवरण "क" में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना क्रमशः विवरण (ख) और (ग) में दी गई है।

विवरण – क

उन दैनिक समाचार पत्रों के ब्यौरे जिनके वर्ष 1992, 1993, तथा 1994 के प्रसार दावों को विगत 3 वर्षों के दौरान प्रमाणित/मूल्यांकित किया गया है, निम्न प्रकार से हैं :

क्र. सं.	प्रकाशन का नाम	भाषा/अवधि	प्रकाशन का स्थान	प्रसार	
				दावा	मूल्यांकित
1	2	3	4	5	6
1.	न्यूज स्टार	अंग्रेज़ी/दैनिक	गुवाहाटी	14311	13402
2.	जन्मभूमि	असमियां/दैनिक	जोरहाट	39380	37586
3.	इंस्टर्न क्लारियोन	अंग्रेजी/दैनिक	–तथैव–	12015	11449
4.	फरन्टीयर सन	अंग्रेजी/दैनिक	सिल्चर	आपूर्ति नहीं की गई	अस्थापित
5.	न्यूज फ्रन्ट	अंग्रेजी/दैनिक	गुवाहाटी	37396	35639
6.	पूर्वांचल प्रहरी	हिन्दी/दैनिक	–तथैव–	आपूर्ति नहीं की गई	अस्थापित
7.	नूतन दैनिक	असमिया/दैनिक	–तथैव–	40480	39388
8.	अरान्ते ज्योति	बंगला/दैनिक	सिलचर	आपूर्ति नहीं की गई	अस्थापित
9.	संध्या बटोरी	असमियां/दैनिक	गुवाहाटी	15778	15190
10.	पूर्वांचल	असमियां/दैनिक	गुवाहाटी	आपूर्ति नहीं की गई	अस्थापित
वर्ष 1993 हेतु					
1.	नूतन दैनिक	असमिया/दैनिक	गुवाहाटी	40611	38775
2.	प्रेसेन्ट टाइम्स	अंग्रेजी/दैनिक	–तथैव–	आपूर्ति नहीं की गई	अस्थापित
3.	नूतन असमिया	असमिया/दैनिक	–तथैव–	आपूर्ति नहीं की गई	अस्थापित

1	2	3	4	5	6
4.	असम एक्सप्रेस	अंग्रेजी/दैनिक	गुवाहाटी	25159	24275
5.	अजिर असम	असमिया/दैनिक	गुवाहाटी	24401	23806
6.	दैनिक सोनार काचर	बंगला/दैनिक	सिलचर	आपूर्ति नहीं की गई	अस्थापित
7.	जनक्रांति	असमिया/दैनिक	गुवाहाटी	—तथैव—	—तथैव—
		वर्ष 1994 हेतु			
1.	न्यूज स्टार	अंग्रेजी/दैनिक	गुवाहाटी	आपूर्ति नहीं की गई	अस्थापित
2.	असम ट्रिब्यून	अंग्रेजी/दैनिक	गुवाहाटी	39265	38425
3.	दैनिक असम	असमिया/दैनिक	गुवाहाटी	32103	31426
4.	पूर्वांचल प्रहरी	हिन्दी/दैनिक	गुवाहाटी	23686	23183

विवरण - ख

क्र० सं०	1993-94 के दौरान जारी हकदारी प्रमाण-पत्र	आवंटित मात्रा (मीट्रिक टनों में)
1.	सेंटिनेल, अंग्रेजी/दैनिक, गुवाहाटी	खुला ह. प्र.*
2.	समय प्रभा, बंगला/दैनिक, गुवाहाटी	121.09 मी. ट.
3.	अजिर असम, असमिया/दैनिक, गुवाहाटी	खुला ह. प्र.
4.	जन्मभूमि, असमिया/दैनिक, जोरहाट	खुला ह. प्र.
5.	जन्मभूमि, असमिया/साप्ताहिक, जोरहाट	9.20 मी. ट.
6.	असम ट्रिब्यून, अंग्रेजी/दैनिक, गुवाहाटी	खुला ह. प्र.
7.	अग्रदूत, असमिया/द्विसाप्ताहिक, गुवाहाटी	खुला ह. प्र.
8.	नूतन दैनिक, असमिया/दैनिक, गुवाहाटी	खुला ह. प्र.
9.	दैनिक असम, असमिया/दैनिक, गुवाहाटी	खुला ह. प्र.
10.	असम वाणी, असमिया/साप्ताहिक, गुवाहाटी	55.41 मी. ट.
11.	सेंटिनेल, हिंदी/दैनिक, गुवाहाटी	125.21 मी. ट.
12.	चित्रा संवाद, असमिया/साप्ताहिक, गुवाहाटी	96.08 मी. ट.
13.	संध्या बटोरी, असमिया/दैनिक, गुवाहाटी	39.35 मी. ट.
14.	नूतन दिन आस/साप्ताहिक, गुवाहाटी	27.17 मी. ट.
15.	बिश्भोई, आस/मासिक, गुवाहाटी	33.65 मी. ट.
16.	अजिर बटोरी, आस/दैनिक, गुवाहाटी	458.90 मी. ट.
17.	उत्तरकाल, हिन्दी/दैनिक, गुवाहाटी	223.14 मी. ट.
18.	डोंगूमूसा, कामी/साप्ताहिक, गुवाहाटी	8.68 मी. ट.
19.	ईस्टर्न क्लेरियोन, अंग्रेजी/दैनिक, जोरहाट	195.17 मी. ट.

* खुला हकदारी प्रमाणपत्र उन समाचारपत्रों को जारी किया जाता है जिनकी अखबारी कागज की वार्षिक हकदारी 200 मीट्रिक टन से अधिक थी।

1994-95 के दौरान जारी हकदारी प्रमाणपत्र

1.	सैंटीनल	अंग्रेजी/दैनिक	गुवाहाटी	खुला हकदारी प्रमाणपत्र
2.	समय प्रभा,	बंगला/दैनिक	गुवाहाटी	—तथैव—
3.	अजीर असम	असमी/दैनिक	गुवाहाटी	—तथैव—
4.	जन्मभूमि	असमी/दैनिक	जोरहाट	—तथैव—
5.	असम ट्रिब्यून	अंग्रेजी/दैनिक	गुवाहाटी	—तथैव—
6.	अग्रदूत	असमी/द्विसाप्ताहिक	गुवाहाटी	—तथैव—
7.	नातुन दैनिक	असमी/दैनिक	गुवाहाटी	—तथैव—
8.	असम वाणी	असमी/साप्ताहिक	गुवाहाटी	55.38 मी.
9.	सैंटीनल	हिन्दी/दैनिक	गुवाहाटी	49.91 मी.
10.	जन्मभूमि	असमी/साप्ताहिक	जोरहाट	13.07 मी.
11.	चित्र संवाद	असमी/साप्ताहिक	गुवाहाटी	80.22 मी.
12.	रंगपुर	असमी/साप्ताहिक	गुवाहाटी	23.33 मी.
13.	नार्थ ईस्ट आब्जर्वर	अंग्रेजी/दैनिक	गुवाहाटी	99.88 मी.
14.	अजिर संवाद	असमी/दैनिक	दीसपुर	302.92 मी.
15.	संध्या भौंरी	असमी/दैनिक	गुवाहाटी	58.82 मी.
16.	अलोक	असमी/साप्ताहिक	गुवाहाटी	31.64 मी.
17.	सूत्रधार	असमी/पाक्षिक	गुवाहाटी	7.53 मी.
18.	बिसमोई	असमी/मासिक	गुवाहाटी	21.76 मी.
19.	चित्रागंधा	असमी/पाक्षिक	गुवाहाटी	1.68 मी.
20.	पायलोन	अंग्रेजी/साप्ताहिक	गुवाहाटी	15.96 मी.

1995-96 के दौरान जारी हकदारी प्रमाणपत्र (असम के लिए)*

		वार्षिक आधार पर	मासिक आधार पर
1.	जन्मभूमि, असमी/साप्ताहिक, जोरहाट	20.12 मी.	1.68 मी.
2.	दा ईस्टर्न क्लेरिआन अंग्रेजी/दैनिक, जोरहाट	192.12 मी.	16.01 मी.
3.	बिस्मोई, असमी/मासिक, गुवाहाटी	28.17 मी.	2.35 मी.

*सरकार ने अखबारी कागज के आयात को 1.5.95 से ओ सी एल के अन्तर्गत समाविष्ट किया था। इसके परिणामस्वरूप, समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा समाचारपत्रों को हकदारी प्रमाणपत्र जारी करना अपेक्षित नहीं था।

विवरण - ग

1990 से असम राज्य में प्रकाशित नए दैनिक तथा अन्य पत्रिकाएं

वर्ष 1990

क्र. सं.	समाचार पत्रों के नाम	भाषा	आवर्तिता	प्रसार					
				1990	1991	1992	1993	1994	1995
1.	समय प्रभा	बंगला	दैनिक	आ. न.*	आ. न.*	11484	14207	आ. न*	आ. न*
2.	बिजनेस रिलेशन	अंग्रेजी	द्वि-साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	14508	14031	12187	आ. न.
3.	एक्शन न्यूज मैगज़ीन	अंग्रेजी	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	663
4.	असम	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
5.	चित्र संवाद	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	44721	36380	35759	35856
6.	मोर बोरक	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
7.	सदंनिया संबाद	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	6625	आ. न.	8669	आ. न.
8.	सीमान्त असम	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
9.	जीरदाद	बहुभाषी	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
10.	नुआ दृष्टि	बहुभाषी	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	15000	आ. न.
11.	खेल संबाद	असमिया	पाक्षिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
12.	नूतन आविष्कार	असमिया	मासिक	आ. न.	3863	4500	4515	4589	आ. न.
13.	अमर जातीय बार्ता	असमिया	मासिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
14.	प्रक ज्योतिष पंजिका	असमिया	वार्षिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.

आ. न.* – आपूर्ति नहीं की गई

'' ''वार्षिक विवरणों में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रसार।

नए दैनिक और अन्य पत्रिकाएं आदि जो 1990 से असम राज्य में प्रकाशित की गई हैं।

वर्ष – 1991

क्र. सं.	समाचार पत्रों का नाम	भाषा	आवर्तिता	प्रसार				
				1991	1992	1993	1994	1995
1.	न्यूज फ्रण्ट	अंग्रेजी	दैनिक	आ. न.*	37336	आ. न.*	आ. न.*	आ. न.
2.	संध्या बटोरी	असमिया	दैनिक	आ. न.	15778	15762	15809	आ. न.
3.	एक्शन न्यूज मैगजीन	अंग्रेजी	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
4.	दिफू टाइम्स	अंग्रेजी	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
5.	पायलान	अंग्रेजी	साप्ताहिक	आ.न.	21527	21819	आ. न.	आ. न.
6.	सप्त सेतु	हिंदी	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	3049	994	685
7.	अग्निगढ़	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
8.	नातुन दिन	असमिया	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–
9.	रत्न पीठ वार्ता	असमिया	–वही–	–वही–	8618	8603	आ. न.	9170
10.	साप्ताहिक स्वाधीन असम	–वही–	–वही–	–वही–	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
11.	मिलातेर डाक	बंगला	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–
12.	बडोसा	द्विभाषी	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–
13.	द कंस्ट्रक्शन ट्रिब्यून	अंग्रेजी	पाक्षिक	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–
14.	अजिर चित्र ज्योति	असमिया	पाक्षिक	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–
15.	सिल्वर टाइम्स	असमिया	पाक्षिक	–वही–	–वही–	–वही–	5280	–वही–
16.	आमि	असमिया	मासिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	14428	–वही–
17.	विकल्प	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–
18.	किशोर	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	आ. न.	–वही–
19.	पुबाली	–वही–	त्रैमासिक	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–
20.	समयन्ती	–वही–	त्रैमासिक	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–	–वही–

आ. न.* आपूर्ति नहीं की गई

" " जैसा कि वार्षिक विवरण में दर्शाया गया है।

1990 से असम राज्य में प्रकाशित किए दैनिक तथा अन्य पत्रिकाएं

वर्ष – 1995

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम	भाषा	आवधिकता	प्रसार 1995
1.	चैलेंजर वार्ता	अंग्रेजी	साप्ताहिक	*आ. न.
2.	दि ऑयल फील्ड टाइम्स	”	”	”
3.	अमर अग्निवन	असमिया	”	”
4.	ए सोमिया कणक क्षेत्र	”	”	”
5.	नाम अच्छे	”	”	”
6.	नातून परिचय	”	”	”
7.	बरिक वैलो	वंगला	”	”
8.	समियर अहबन	”	”	”
9.	शताब्दी वार्ता	”	”	”
10.	जुगार संधान	द्विभाषी	”	”
11.	एथिखल	वोडो	साप्ताहिक	”
12.	बरन तम्पक	मणिपुरी	साप्ताहिक	”
13.	पूर्णिया	मणिपुरी	साप्ताहिक	”
14.	बोडोलैंड खौरंग	बहुभाषी	”	”
15.	जन कथा	असमिया	पाक्षिक	”
16.	क्रोयानोल	असमिया	”	”
17.	पासेकिया ब्रह्मपुत्र	असमिया	”	”
18.	ऐकया बणि	वंगला	”	”
19.	कला लिपि	बंगला	”	”
20.	चिन्ता मणि	असमिया	मासिक	”
21.	ज्योतिष फलक	असमिया	मासिक	*आ.न.
22.	महकिया चिंतादूत	”	”	”
23.	संस्कृतिक संवाद	”	”	”
24.	आर्शे राशें	बंगला	”	”
25.	बरखेत्री सम्बद्ध	असमिया	तिमाही	”

* आ. न. – आपूर्ति नहीं की गई।

-- वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट अनुसार

नए दैनिक और अन्य पत्रिकाएं आदि जो 1990 से असम राज्य में प्रकाशित की गई

वर्ष – 1994

क्र० सं०	समाचार पत्रों के नाम	भाषा	आवधिकता	प्रसार 1994	प्रसार 1995
1.	अजिर सम्बद्ध	असमिया	दैनिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
2.	जगरोटा प्रोहोरी	असमिया	पाक्षिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
3.	चितरंगदा	असमिया	पाक्षिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
4.	पौसेकिया नवरून	असमिया	पाक्षिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
5.	स्वरूप	असमिया	मासिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
6.	गरियोशी	असमिया	मासिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
7.	तृष्वातार	असमिया	मासिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
8.	श्रीजनी	असमिया	मासिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
9.	नूतन धारित्री	असमिया	मासिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
10.	आगन	असमिया	अन्य आवधिकता	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
11.	साप्ताहिक रंगोनी	असमिया	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
12.	साप्ताहिक कृषक बन्धू	असमिया	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
13.	असम जन सूत्र	असमिया	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
14.	रंगीली वार्ता	असमिया	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
15.	साप्ताहिक कल्पतरू	असमिया	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
16.	साप्ताहिक सुबनश्री	असमिया	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
17.	सम्बद्ध विविधा	बंगला	पाक्षिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
18.	उत्तर पूर्व सम्बद्ध	बंगला	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
19.	पूर्व भारत सम्बद्ध	बंगला	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
20.	करीम गंज सम्बद्ध	बंगला	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
21.	अमर बारक	बंगला	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
22.	दि संटीनेल एंड अजिर असम होमलिंक	द्विभाषी	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
23.	बोडोलिंक राडब	बोडो	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
24.	दि ब्रह्मपुत्र टाइम्स	अंग्रेजी	पाक्षिक	आपूर्ति नहीं	आपूर्ति नहीं
25.	दि हाईलैंड आब्जर्वर	अंग्रेजी	पाक्षिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं
26.	नार्थ ईस्ट पीपुल	अंग्रेजी	साप्ताहिक	आपूर्ति नही	आपूर्ति नहीं

आ. न. – आपूर्ति नहीं की गयी
वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट अनुसार

दिनांक 29.8.96 के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3432

नए दैनिक और अन्य पत्रिकाएं आदि जो 1990 से असम राज्य में प्रकाशित की गई

वर्ष-1992

क्र० सं०	समाचार पत्र का नाम	भाषा	अवधि	प्रसार			
				1992	1993	1994	1995
1.	इस्टर्न क्लेयरन	अंग्रेजी	दैनिक	12015	11879	10649	11645
2.	दैनिक अजीर बथोई	असमिया	दैनिक	आ. न.	आ. न.	80880	आ. न.
3.	असम प्रहरी	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
4.	असम सम्बाद	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	41029	आ. न.	आ. न.
5.	सप्ताह दर्पण	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
6.	देश वार्ता	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
7.	नव प्रीरणा	असमिया	पाक्षिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
8.	पुबाली	असमिया	पाक्षिक	26270	18679	18060	16479
9.	अंगाणा	असमिया	मासिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
10.	बिजोयनी	असमिया	मासिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
11.	महानायक समन्वय	बंगला	मासिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.
12.	अजीर	असमिया	द्विमासिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.	आ. न.

आ. न. – आपूर्ति नहीं की गयी

वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट अनुसार

1990 से असम राज्य में प्रकाशित नए दैनिक तथा अन्य पत्रिकाएं

वर्ष - 1993

क्र० सं०	समाचारपत्रों का नाम	भाषा	अवधि	प्रसार		
				1993	1994	1995
1.	नार्थ ईस्ट आबर्जवर	अंग्रेजी	दैनिक	*आ. न.	42352	*आ. न.
2.	गण पत्रिका	बंगला	दैनिक	31536	आ. न.	आ. न.
3.	अमर ज्योति	असमिया	द्विसाप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.
4.	दी बोडो लैण्ड टाइम्स	अंग्रेजी	सप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.
5.	रंगपुर	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	22249	आ. न.
6.	साप्ताहिक देवबार	असमिया	साप्ताहिक	16590	आ. न.	आ. न.
7.	साप्ताहिक गणयुग	असमिया	साप्ताहिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.
8.	देयूका	असमिया	द्विमासिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.
9.	अक्षर ब्रेटूटा	बंगला	त्रैमासिक	आ. न.	आ. न.	आ. न.

*आ. न. – आपूर्ति नहीं की गयी

वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट अनुसार

मैसूर में डाक मुख्यालय

3433. **श्री अनंत कुमार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र का डाक मुख्यालय स्थापित करने का मुद्दा गत 17 वर्षों से लंबित है;

(ख) क्या इस संबंध में आदेश मार्च, 1979 में ही जारी किया गया था;

(ग) इसके कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) दक्षिण कर्नाटक क्षेत्र की स्थापना करने के आदेश जुलाई, 1979 में जारी किए गए थे। इस क्षेत्र का मुख्यालय मैसूर में स्थापित किया जाना था। तथापि, बाद में इस क्षेत्र का मुख्यालय बेंगलूर में ही बनाए रखने का निर्णय लिया गया।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तीर्थ स्थलों का विमानपत्तन

3434. **श्री आर० साम्बासिवा राव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में सभी मुख्य तीर्थ स्थलों के लिए विमानपत्तन तथा विमान सेवा उपलब्ध करने हेतु कोई एक समान नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) देश के सभी मुख्य तीर्थ स्थलों के कब तक हवाई मार्ग मानचित्र पर आ जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) से (ग) तीर्थ स्थल के लिए हवाई अड्डे पर सुविधाओं की व्यवस्था करना स्थलों की अवस्थिति, अनुकूल भूप्रदेश परिस्थितियों, यातायात संभाव्यता और आर्थिक व्यावहार्यता पर निर्भर करता है। कुछ तीर्थस्थलों जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णों देवी आदि कठिन भूप्रदेश में स्थित हैं और पर्वत क्षेत्र में हवाई अड्डे का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं है। लेकिन वाराणसी, अमृतसर, पुट्टापार्टी, तिरुपति, मदुराई, गया, नांदेड़ जैसे तीर्थस्थलों में प्रचालनगत हवाई अड्डें हैं। कुछ तीर्थस्थल निकटतम हवाई अड्डे से कम दूरी के भीतर स्थित हैं। तथापि, इन हवाई अड्डों के लिए प्रचालनात्मक सेवाएं यातायात संभावयता और एयरलाइनों के वाणिज्यिक निर्णय के अधीन हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग व्यक्ति

3435. **श्री एन० एस० वी० चित्तन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों को जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) महोदय, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकांश संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 दिनांक, 1.1.1996 के भारत के असाधारण राजपत्र में इसकी अधिसूचना के अनुसरण में, 1996 के अधिनियम-1 के रूप में प्रभावी हुआ।

(2) तदनुसार, इस अधिनियम को दिनांक 7.2.1996 से लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया।

(3) मुख्य आयुक्त का पद का सृजन 8000/- रुपए प्रति माह के समेकित वेतन में कर लिया गया है।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित नियमों के मसौदे केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए हैं जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विचार प्राप्त करने के लिए परिचालित किया गया है।

(5) राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए मानक नियम भी तैयार किए गए हैं जिन्हें राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

(ख) महोदय, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) कल्याण मंत्री ने इस अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय, प्रशासनिक और संस्थागत निर्देश जारी करने के लिए इस मामले को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों के साथ उठाया है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

3436. **श्री अमर राय्प्रधान** : क्या **श्रम मंत्री** ठेका मजदूरी प्रणाली को खत्म करने के बारे में 25 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1786 के खंड (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों को न्यायालय के उक्त निर्णय की प्रति किस तिथि को प्रेषित की गई;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों को उक्त निर्णय लागू करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनका मंत्रालय अन्य मंत्रालयों/केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा उक्त निर्णय में की गई सिफारिशों को कब तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित कराएगा?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति सभी राज्य सरकारों और सभी मंत्रालयों/विभागों को क्रमशः 30.6.1995 और 6.11.1995 को परिचालित की गई थी।

(ख) से (ङ) सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों के विचार/टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट का खनन

3437. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर ग्रेनाइट खनन का कार्य चल रहा है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट का निर्यात किया गया था;

(ग) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका किन-किन देशों को निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चीनी के थोक व्यापारी

3438. **श्री राजीव प्रताप रुडी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993 के उपरान्त चीनी के थोक व्यापारियों, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चीनी सप्लाई करते हैं, की जिला स्तर पर नियुक्ति पर रोक लगा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या देश में चीनी के थोक व्यापारियों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चीनी के ऐसे थोक व्यापारियों को बहाल करने अथवा उनका स्थानापन्न देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने लेवी चीनी का वितरण करने के लिए थोक विक्रेताओं/खुदरा विक्रेताओं की नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

केरल, गुजरात और राजस्थान में डाकघरों के लिए भवन का निर्माण

3439. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील :**
श्री एन० जे० राठवा :
वैद्य दाऊ दयाल जोशी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, गुजरात और राजस्थान में जिलेवार कितने डाकघर/उप-डाकघर/तारघर हैं;

(ख) उक्त राज्यों में जिलावार इनमें से कितने किराए/विभागीय भवनों में हैं;

(ग) उक्त राज्यों में राज्यवार कितने भवन बनाए जा रहे हैं/पूरा होने के चरण में हैं; और

(घ) उक्त राज्यों में आठवीं योजना के दौरान जिलावार कितने भवन बनाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) (क) **डाक विभाग :** केरल, गुजरात और राजस्थान डाक सर्किलों में प्रधान डाकघरों और विभागीय उप-डाकघरों की जिला-वार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(क) और (ख) **दूरसंचार विभाग :** तारघरों की जिलावार संख्या तथा इनमें से जितने तारघर किराए के/विभागीय भवनों में हैं, उनकी संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ग) **डाक विभाग :** केरल, गुजरात और राजस्थान डाक सर्किलों में जितने डाकघर भवन बनाए जा रहे हैं डाकघर भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, उनकी जिलावार संख्या विवरण-III में दी गई है।

(ग) **दूरसंचार विभाग :** बनाए गए तारघर भवनों/निर्माणाधीन भवनों की जिलावार संख्या निम्नानुसार है :–

सर्किल का नाम	जिला
केरल	(i) त्रिचूर
	(ii) तेल्लीचेरी
गुजरात	शून्य
राजस्थान	(i) जयपुर

(घ) **डाक विभाग :** विभागीय डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण धनराशि, भूमि और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

(घ) **दूरसंचार विभाग :** केरल, गुजरात और राजस्थान सर्किलों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए जाने वाले प्रस्तावित भवनों की संख्या विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

केरल सर्किल में विभागीय डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
1.	तिरुवनंतपुरम	4	145
2.	क्विलोन	4	107
3.	पटनमथिट्टा	3	104
4.	अल्लेपी	5	114
5.	कोट्टायम	5	124

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
6.	इदुक्की	2	52
7.	एर्नाकुलम	5	140
8.	त्रिचूर	5	167
9.	पालघाट	4	139
10.	मालापुरम	4	99
11.	वायनाड	1	18
12.	कन्नानूर	3	99
13.	कालीकट	4	101
14.	कासरगोड	2	30
	कुल :	51	1439
	लक्षद्वीप	—	6
	पांडिचेरी	—	1
	कुल योग	51	1446

गुजरात सर्किल में विभागीय डाकघरों की जिलावार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
1.	अहमदाबाद	4	161
2.	गांधीनगर	1	32
3.	साबरकांठा	2	52
4.	बनासकांठा	2	36
5.	मेहसाणा	5	89
6.	भरुच	1	65
7.	डांग	—	5
8.	केदा	4	132
9.	पंचमहल	2	44
10.	सूरत	2	116
11.	वडोदरा	3	97
12.	वलसाड	3	80
13.	अमरेली	1	38
14.	भावनगर	2	65
15.	जामनगर	2	64
16.	जूनागढ़	3	87
17.	कच्छ भुज	2	65
18.	राजकोट	2	87
19.	सुरेन्द्रनगर	1	41
	कुल	42	1356

दमण और दीव

1.	दमण	—	2
2.	दीव	—	4
	कुल	—	6
	दादरा और नगर हवेली	—	2
	कुल योग	42	1370

राजस्थान सर्किल में विभागीय डाकघरों की जिलावार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
1.	अजमेर	4	105
2.	अलवर	3	68
3.	बांसवाड़ा	1	21
4.	बारन	—	15
5.	भरतपुर	4	56
6.	बाड़मेर	1	34
7.	भीलवाड़ा	1	47
8.	बीकानेर	1	43
9.	बूंदी	1	20
10.	चित्तौड़गढ़	1	45
11.	चूरू	2	49
12.	दौसा	1	27
13.	धौलपुर	1	18
14.	डूंगरपुर	1	28
15.	हनुमानगढ़	1	27

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
16.	जयपुर	5	134
17.	जालौर	1	24
18.	जैसलमेर	1	16
19.	झालावाड़	1	21
20.	झुंझुनू	2	67
21.	जोधपुर	2	69
22.	कोटा	2	47
23.	नागौर	3	59
24.	पाली	2	58
25.	राजसमंद	1	22
26.	सवाई माधोपुर	3	54
27.	सीकर	4	72
28.	सिरोही	1	25
29.	श्रीगंगानगर	1	36
30.	टोंक	1	24
31.	उदयपुर	2	56
	कुल : 55		1387

विवरण - II

(ख) **सर्किल का नाम : केरल**

क्रम. सं.	जिले का नाम	काम कर रहे विभागीय भवन में	तारघरों की संख्या किराए के भवन में	तारघरों की कुल संख्या
1.	अलपुझा	01	04	5
2.	एर्नाकुलम	03	04	7
3.	इदुक्की	—	—	—
4.	कन्नूर	—	02	2
5.	कासरगाड	—	01	1
6.	कालम	01	02	3
7.	कोट्टायम	01	02	3
8.	कोझीकोड	01	03	4
9.	मालापुरम	—	01	1
10.	पालक्कोड	01	01	2
11.	पथनमथिट्टा	—	02	2
12.	तिरुवनंतपुरम	01	02	3
13.	त्रिश्शूर	01	03	4
14.	वायनाड	—	01	1
15.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	—	01	1
16.	पांडिचेरी	—	—	—
	कुल	10	29	39

(ख) **सर्किल का नाम : गुजरात**

क्रम सं०	जिले का नाम	काम कर रहे तारघरों की संख्या		तारघरों की
		विभागीय भवन	किराए के भवन में	कुल संख्या में
01.	अहमदाबाद	02	09	11
02.	अमरेली	—	01	1
03.	वडोदरा	—	04	4
04.	भरुच	01	03	4
05.	भावनगर	01	—	1
06.	भुज (कच्छ)	—	02	2
07.	बनासकांठा	—	01	1
08.	डांगवहा	—	—	—
09.	जामनगर	01	01	2
10.	जूनागढ़	01	02	3
11.	खेडा	01	04	5
12.	मेहसाणा	—	02	2
13.	पंचमहल	—	03	3
14.	राजकोट	01	01	2
15.	सूरत	01	01	2
16.	साबरकांठा	—	01	1
17.	सुरेन्द्रनगर	01	—	1
18.	वलसाड	01	04	5
19.	गांधीनगर	—	01	1
	कुल :	11	40	51

(ङ) सर्किल का नाम : राजस्थान

क्रम सं०	जिले का नाम	काम कर रहे विभागीय भवन में	तारघरों की संख्या किराए के भवन में	तारघरों की कुल संख्या
1.	अजमेर	02	01	3
2.	अलवर	01	—	1
3.	बांसवाड़ा	01	—	1
4.	बाड़मेर	01	01	2
5.	भरतपुर	01	—	1
6.	भीलवाड़ा	—	01	1
7.	बीकानेर	01	—	1
8.	बूंदी	01	—	1
9.	चित्तोड़गढ़	—	01	1
10.	चुरू	—	02	2
11.	धौलपुर	—	01	1
12.	डूंगरपुर	—	01	1
13.	श्रीगंगानगर	01	01	2
14.	हनुमानगढ़	01	—	1
15.	जयपुर	02	04	6
16.	दौसा	01	—	1
17.	जैसलमेर	—	01	1
18.	जालोर	—	01	1
19.	झालावाड़	01	—	1
20.	झुंझूनू	—	01	1
21.	जोधपुर	01	02	3
22.	कोटा	01	01	2
23.	बारन	01	—	1
24.	नागौर	—	02	2
25.	पाली	01	01	2
26.	सवाई माधोपुर	—	01	1
27.	सीकर	—	01	1
28.	सिरोही	01	—	1
29.	टोंक	—	01	1
30.	उदयपुर	01	01	2
31.	राजसमंद	—	01	1
	कुल :	20	27	47

विवरण–III

केरल, गुजरात और राजस्थान में डाकघरों के लिए बनाए जा रहे/निर्माण कार्य पूरा होने वाले भवनों की जिलावार संख्या।

केरल

क्रम सं०	जिला	निर्माणाधीन भवनों/जिनका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, उनकी संख्या	
1.	त्रिवेन्द्रम		7
2.	क्विलोन		2
3.	पथानमूथिट्टा		1
4.	अलेप्पी		2
5.	इदुक्की		1
6.	एर्नाकुलम		1
7.	त्रिचूर		1
8.	कालीकट		2
9.	मालापुरम		1
10.	कन्नानूर		4
11.	कासरगोड		1
		कुल :	23

गुजरात

1.	अहमदाबाद		1
2.	गांधीनगर		2
3.	साबरकांठा		1
4.	खेडा		1
5.	वलसाड		2
	कुल :	कुल :	7

राजस्थान

1.	अलवर		3
2.	सिरोही		1
		कुल :	4

विवरण-IV

दूरसंचार विभाग

आठवीं योजना के दौरान बनाए जाने के लिए प्रस्तावित तारघर भवनों की जिलावार संख्या।

सर्किल का नाम	जिले	भवनों की संख्या
केरल	त्रिचूर	1
	तेंल्लीचेरी	1
	एर्नाकुलम	1
गुजरात	शून्य	–
राजस्थान	जयपुर	–

राजस्थान में 8वीं योजना की शेष अवधि में केवल तारघरों के लिए बनाए जाने वाले भवनों की सख्या शून्य है। तथापि, एक नीतिगत निर्णय के रूप में अपेक्षानुसार, प्रशासनिक प्रयोजन से/टेलीफोन एक्सचेंज के लिए निर्माणधीन/बनाए जाने वाले भवनों में तारघर प्रदान करने के बारे में विचार किया जाएगा।

आई० टी० डी० सी० और कर्मचारियों के बीच उत्पादकता से जुड़ा वेतन समझौता

3440. **श्री ई० अहमद** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत पर्यटन विकास निगम ने अपने कर्मचारियों के साथ उत्पादकता से जुड़ा प्रमुख वेतन समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वेतन समझौते के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के 1995-96 वर्ष हेतु कारोबार का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) (क) तथा (ख) होटल तथा केटरिंग यूनिटों तथा मुख्यालय के आई० डी० ए० वेतन पद्धति पर कार्य कर रहे गैर-सरकारी कर्मचारियों के संबंध में भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन तथा इसके कर्मचारियों के बीच दिनांक 1.1.92 से 31.12.96 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी एक वेतन समझौता दिनांक 31 जुलाई, 1996 को किया गया। यह वेतन समझौता उत्पादकता से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार एक सामान्य वेतन समझौता है। इस समझौते के संबंध में, कर्मचारियों के वेतनमान, मूल वेतन के 20% का निर्धारण लाभ देते हुए बढ़ा दिए जाएंगे। इन कर्मचारियों को प्रयोज्य निर्धारित महंगाई भत्ते तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के अतिरिक्त दिनांक 1.4.94 से प्रभावी संशोधित मूल वेतन पर हाऊस रैन्ट अलाउंस तथा सिटी कम्पनसेटरी अलाउंस भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को समझौते की तारीख से अन्य बढ़े हुए वेतन तथा भत्तों का भी लाभ मिलेगा।

(ग) जिन कुल कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा उनकी संख्या 6120 है।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का कारोबार 298.05 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

डाक सेवाओं में सुधार की योजनाएं

3441. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक सेवाओं को सरल बनाने के लिए 1995-96 और 1996-97 में कोई व्यापक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा उपलब्धि क्या थी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) विभाग की संबंधित वार्षिक योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य डाक सेवाओं को बेहतर और सुचारू बनाना होता है। वर्ष 1995-96 और 1996-97 के वार्षिक कार्यक्रमों में भी ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

1. कम्प्यूटर पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों की शुरूआत।

2. बड़े नोडल सॉर्टर्स में मेल प्रोसेसिंग को ऑटोमैटिक बनाना।

3. मनीआर्डर के त्वरित पारेषण तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए वेरी स्माल अपरचर टर्मिनल्स (वीसेट्स) की स्थापना।

4. बचत बैंक, डाक जीवन बीमा तथा स्पीड पोस्ट प्रचालन के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग।

5. चुनिंदा महत्वपूर्ण डाकघरों में काउंटर सेवाओं तथा फ्रंट आफिस कार्यकलापों का आधुनिकीकरण।

6. अधिक महत्वपूर्ण डाकघरों में काम की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत प्रचालन उपस्करों की व्यवस्था।

7. डाक नेटवर्क का विस्तार।

(ग) वर्ष 1995-96 के लिए इन योजनाओं के संबंध में वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियों और चालू वार्षिक योजना 1996-97 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–

	योजना	लक्ष्य 1995-96	दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां	लक्ष्य 1996-97
1.	प्रौद्योगिकी उन्नयन			
(क)	बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें	1000	550	1500
(ख)	डाकघरों का आधुनिकीकरण	350	366	350
(ग)	आटोमेटिड इंटिग्रेटिड मेल प्रोसेसिंग सिस्टम	1	1	–

1	2	3	4	5
(घ)	उपग्रह मनीआर्डर सेवा	फेज-क का समापन (75 वी सेट्स)	61	14
(ङ)	बचत बैंक			
(i)	स्थानीय क्षेत्र नेठवर्क	100	45 एलएएन उपस्कर लगाए गए	200
(ii)	बचत बैंक नियंत्रण संगठन	60	105	100
(च)	डाक जीवन बीमा			
(i)	सर्किलों में डाक जीवन बीमा कार्य का कम्प्यूटरीकरण	3	3	—
(ii)	कम्प्यूटर प्रणाली का उन्नयन	—	—	4
(छ)	स्पीड पोस्ट			
(i)	ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली	20	6	4
(ज)	उन्नत उपस्करों का प्रावधान	200	245	200
2.	डाक नेटवर्क का विस्तार			
(क)	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना	80	4	80
(ख)	विभागीय उपडाकघर खोलना	150	53	150
(ग)	पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	500	497	250

वर्ष 1996-97 के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है और उपलब्धियां इस अवधि के समापन के उपरांत ही निधारित की जा सकती हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं

3442. **श्री हरिन पाठक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि–

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण तथा अन्य डाक सेवाओं की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-वितरण की क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर प्रणालीबद्ध मानीटरिंग और पुनरीक्षा करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य डाक सेवाओं की आवधिक जांच और पुनरीक्षा की जाती है। डाकघर खोलने के औचित्य की जांच करने के लिए निरीक्षक स्टाफ के माध्यम से नियमित सर्वेक्षण कराने की भी प्रणाली है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं सामान्यतया संतोषजनक हैं किन्तु परिवहन की अप्रत्याशित समस्याओं और विभाग के नियंत्रण से परे अन्य ऐसे कारणों की वजह से डाक वितरण में यदा-कदा विलम्ब हो जाता है।

(ग) (i) डाक वितरण की पुनरीक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। डाक में विलम्ब के कारणें का, यदि कोई हो, विभिन्न स्तरों पर सर्वेक्षण करके पता लगाया जाता है।

(ii) नए डाकघर खोलकर डाक सेवाओं का उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 1312 डाकघर मंजूर किए गए।

[हिन्दी]

जनजातियों के कल्याण हेतु विदेशी सहायता

3443. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक जनजातियों के कल्याण के लिए देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात में संगठनों को विदेशी संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात में विभिन्न संगठनों ने विदेशी संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का दुरुपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ दी जा रही विदेशी सहायता का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) गरीब जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु के गई विदेशी सहायता राशि खर्च नहीं किए जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

3444. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक पक्षाघात तथा मानसिक शैथिल्य से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा में लगे स्वयंसेवी संगठनों को जनशक्ति विकास हेतु सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) मानसिक

पक्षाघात तथा मानसिक शैथिल्य के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्ताओं/प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण और होस्टल सुविधाओं का प्रावधान एवं अपेक्षित अन्य सहायता हेतु संगठनात्मक तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के वास्ते गैर-सरकारी संगठनों को 100% तक सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु एक योजना स्कीम 5 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के तहत 30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

हीरा खान

3445. **श्री शिवराज सिंह** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के देवभोग में हीरों की खानों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन हीरा की खानों के प्रबंधन में उपयुक्त सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार रायपुर के देवभोग क्षेत्र में हीरा खानें नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैथिली के विकास के लिए वित्त निगम

3446. **जस्टिस गुमान मल लोढा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथिली के विकास के लिए वित्त निगम की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त निगम की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बसवन्त सिंह रामूवालिया) (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दरों में संशोधन

3447. **श्री राम सागर** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में दरों में संशोधन और आनुषंगिकताओं के अनुमोदन में अनावश्यक रूप से अधिक समय लिया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलंब कम करने और सुपर बाजार के कार्यकरण में दक्षता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री (देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दरों में संशोधन के लिए तथा सप्लायरों को अनुमोदित करने के लिए अनावश्यक लम्बा समय नहीं लिया जाता। जल्दी बिकने वाली वस्तुओं के मामले में आमतौर पर अनुमोदन तत्काल दे दिया जाता है जबकि धीरे बिकने वाली वस्तुओं के लिए एक या दो सप्ताह के भीतर अनुमोदन दे दिया जाता है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

डाक सामग्रियों की बिक्री हेतु लाइसेंसधारी एजेन्ट

3448. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक-टिकटों तथा सामग्रियों की बिक्री तथा पंजीकृत सामग्रियों की देखभाल करने वाले प्राधिकृत लाइसेंसधारी एजेंटों की कितनी संख्या है;

(ख) क्या ऐसे एजेंटों को इस योजना में नियुक्त किए जाने के संबंध में कोई विरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री चेनी प्रसाद वर्मा) : (क) देश में 144 लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंट काम कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) स्टाफ यूनियनों ने इस स्कीम का विरोध किया था।

(घ) आगे लाइसेंस देने के लिए इस स्कीम को 1987 से आस्थगित कर दिया गया है।

प्रेस पर सैंसर

3449. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रेस पर सेंसर लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के संबंध में कोई जांच करायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी. एच. इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पटना में मोबाइल टेलीफोन सुविधा

3450. **श्री ब्रजमोहन राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न शहरों विशेषतः बिहार की राजधानी पटना में मोबाइल टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सरकार ने, बिहार में सेल्यूलर सचल (मोबाइल) टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायन्स टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड को लाइसेंस दिया है। बिहार में इस सेवा के लिए मैसर्स कोशिका टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड को भी आशय-पत्र जारी किया गया है। लाइसेंस करार के अनुसार, कम्पनियों को पहले वर्ष कम से कम 10% जिला मुख्यालयों में यह सेवा प्रदान करनी होगी।

(ख) लाइसेंस करार के अनुसार, कम्पनी को दिसम्बर, 1996 के अंत तक पटना सहित बिहार में यह सेवा आरंभ कर देनी चाहिए।

(ग) उपर्युक्त "क" भाग के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय खान ब्यूरो

3451. **श्री एस० डी० एन० आर० वाडियार :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय राज्यवार कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में विशेषतः कर्नाटक में ऐसे और अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनको कब तक खोले जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय इस प्रकार हैं :–

राज्य	स्थान
राजस्थान	अजमेर और उदयपुर
कर्नाटक	बंगलौर
प० बंगाल	कलकत्ता
उत्तर प्रदेश	देहरादून
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
मध्य प्रदेश	जबलपुर
तमिलनाडु	मद्रास
गोवा	मारगांव
महाराष्ट्र	नागपुर
बिहार	रांची
उपक्षेत्रीय कार्यालय	
आंध्र प्रदेश	नेलौर

(ख) से (घ) 1979 में भारतीय खान ब्यूरो की समीक्षा समिति ने भुवनेश्वर अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय तथा कलकत्ता में आंचलिक कार्यालय खोलने के लिए सिफारिश की थी। वित्तीय बाध्यताओं के कारण सरकार फ़िलहाल कर्नाटक सहित किसी भी राज्य में आई. बी. एम. के नये क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की स्थिति में नहीं है।

पेजिंग सेवाओं के लिए अतिरिक्त चैनल

3452. **श्री सन्त कुमार मंडल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान में पेजिंग सेवाओं के आपरेटरों द्वारा अतिरिक्त फ्रिक्वेंसी चैनलों की मांग पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फ्रिक्वेंसी की मांग के दबाव को कम करने हेतु एक नया पेजिंग कोड शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इससे वर्तमान फ्रिक्वेंसी पर उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी वृद्धि होगी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उच्च गति प्रोटोकोल जैसे ई आर एम ई एस और एफ एल ई एक्स के प्रयोग पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रस्तावित उच्च गति प्रोटोकोल का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :–

(I) **ई आर एम ई एस**

(1) यूरोपियन मानक

(2) प्रचालन का फ्रीक्वेंसी बैंड : 169.4–169.8 एम एच जैड

(3) चैनल स्पेसिंग : 25 के एच जैड

(4) प्रचालन की गति : 6.25 के बी पी एस

(5) यदि केवल न्यूमेरिक उपभोक्ताः क्षमताः 3,81,000

(6) यदि केवल अल्फा न्यूमेरिक उपभोक्ताः क्षमताः 1,11,000

(II) **एफ एल ई एक्स**

(1) मोटोरोला, यू. एस. ए. का स्वामित्व

(2) प्रचालन का फ्रीक्वेंसी बैंड;

929.0—932—ओ एम एच जैड, 138.0—174. ओ एम एच जैड

(3) चैनल स्पेसिंग : 25 के एच जैड

(4) प्रचालन की गति : 1.6, 3.2 और 6.4 के बी पी एस

(5) यदि केवल न्यूमेरिक उपभोक्ता : क्षमता : 6.4 के बी पी एस में 6,35,000

(6) यदि केवल अल्फा न्यूमेरिक उपभोक्ता : क्षमता : 64 के बी पी एस में 1,24,000

उच्च गति प्रोटोकॉल के आपूर्तिकर्ताओं का दावा है पी ओ सी एस ए जी की मौजूदा प्रणाली की क्षमता उपभोक्ताओं की संख्या में 3 से 4 गुना की वृद्धि होती है।

कलकत्ता में दूरसंचार निविदाएं

3453. **श्री पी० आर० दासमुंशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कलकत्ता महानगर के क्षेत्राधिकार में दूरसंचार निविदाएं प्राप्त करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस पर पश्चिम बंगाल राज्य ने कोई आपत्ति की है; और

(ग) क्या राज्य के मुख्यमंत्री ने कलकत्ता में वाणिज्यिक सेल्यूलर मोबाइल सेवा शुरू करने के संबंध में मोदी ग्रुप द्वारा सेल्यूलर सेवाएं आरंभ करने संबंधी उद्घाटन समारोह में भाग लिया था?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) कलकत्ता महानगर में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन के लिए नवम्बर, 1994 में मै. मोदी टेल्स्ट्रा तथा मै. उषा मार्टिन टेलीकाम को लाइसेंस प्रदान किये गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 23 अगस्त, 1995 को कलकत्ता में व्यावसायिक सेल्यूलर (मोबाइल सेवा शुरू करने वाली मोदी ग्रुप सेल्यूलर सर्विसेज के उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया। तथापि मै० मोदी टैल्स्ट्रा प्रा० लि० ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री इस नेटवर्क के आरंभिक परीक्षण आरंभ करने के समय उपस्थित थे, जो 31 जुलाई, 1995 को आयोजित किया गया था।

वृद्ध आश्रम

3454. **श्री सौम्य रंजन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के वृद्ध आश्रमों में कितने वृद्ध लोगों को रखा जाता है और उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बसवन्त सिंह रामूवालिया) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे तीन वरिष्ठ नागरिक गृहों में रखे गए वरिष्ठ नागरिकों की संख्या इस प्रकार दी गई है :—

वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए गृह	37
डा० हेडगेवार वरिष्ठ नागरिक गृह, कालका जी	10
दीनदयाल उपाध्याय सदन (ग्रीन पार्क)	11
	58

इन गृहों में, विभाग की ओर से मुफ्त भोजन, वस्त्र, आवास बिछावन, मुकदमा संबंधी कार्य और परामर्श सेवाएं, चिकित्सा देखभाल तथा मनोविनोद सुविधाएं, शैय्या पर पड़े अथवा नित्यक्रिया सम्पादित करने में असमर्थ व्यक्तियों की सहायता के लिए सहायक उपलब्ध कराए जाते हैं।

अंतःसंबद्ध समझौते

3455. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर आपरेटरों ने सरकार के अंतःसंबद्ध समझौतों के मसौदे पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप देश के 17 भागों में सेल्यूलर सेवाओं के रोल-आउट में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समझौते के प्रारूप में संशोधन करने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) क्या कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालकों को दिए गए लाइसेंसों में किसी अंतः संबद्ध समझौते का प्रावधान नहीं है। फिर भी, प्रचालन संबंधी स्पष्टता के लिए इस सेवा के प्रचालकों के बीच एक अंतःसंबद्ध समझौता परिचालित कर दिया गया है।

(ख), (ग) तथा (घ) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) जी हां।

(च) अंतः संबद्ध समझौते का प्रारूप तकनीकी और वित्तीय कोण से दूरसंचार विभाग के संबंधित प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके तथा विधि और न्याय मंत्रालय के विचार जानने के बाद तैयार किया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

3456. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए किसी छात्रावास का निर्माण नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त शीर्ष के अंतर्गत बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों इस प्रयोजनार्थ धनराशि आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार का उक्त शीर्ष के अंतर्गत बिहार के लिए कब तक धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत केन्द्र सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए होस्टलों को स्थापित करती है। तथापि, कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए होस्टलों के निर्माण की चार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित करता रहा है जिसके अंतर्गत होस्टल भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को 50% का केन्द्रीय हिस्सा दिया जाता है।

(ग) और (घ) इन योजनाओं के अंतर्गत, राज्यवार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। होस्टलों के निर्माण के लिए अनुमानित 50% की सीमा तक संबंधित राज्य के राज्य बजट में प्रावधान करने के बाद राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए होस्टलों की स्थापना के लिए 50% केन्द्रीय हिस्से के रूप में प्रदान करने के लिए प्रस्ताव भेजे जाते हैं।

(ङ) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन

2457. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के सभी चैनलों पर समाचार बुलेटिन के प्रसारण के संबंध में मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिनों का भाषा-वार, श्रेणी-वार तथा चैनल-वार समय क्या है।

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम):

(क) दूरदर्शन पर समाचारों के प्रसारण को दूरदर्शन की कार्यक्रम संहिता एवं विज्ञापन संहिता द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्यौरे विवरण-I और विवरण-II में संलग्न हैं–

विवरण-I

दूरदर्शन समाचार : नई दिल्ली

मुख्यालय (नई दिल्ली) से प्रसारित समाचार बुलेटिन

भाषावार

भाषा	नाम	समय	अवधि	चैनल	प्रायिकता
हिन्दी	समाचार	0700-0715	15 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
	समाचार	1400-1410	10 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
	समाचार	1900-1915	15 मिनट	1 (दिल्ली)	प्रतिदिन
	क्षेत्रीय		अ. श. ट्रां.		
	समाचार	2030-2050	20 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
	मुख्य समाचार	2230-2232	02 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
अंग्रेजी	दी न्यूज	0815-0830	15 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
	दी न्यूज	1410-1420	10 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
	दी न्यूज	2100-2120x	20 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
	न्यूज हैडलाइन्स	2330-2332	02 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
		x संसद सत्र दिवसों के दौरान बुलेटिन की अवधि 15 मिनट है।			
उर्दू	उर्दू	1425-1435	10 मिनट	11 (मैट्रो)	प्रतिदिन
संस्कृत		1315-1325	10 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	रविवार
संकेत भाषा	मूक बधिरों के लिए	1300-1315	15 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	रविवार
डी. डी. – इंटर नेशनल चैनल					
अंग्रेजी	इंडिया न्यूज	0900-0915	15 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
हिन्दी	भारत समाचार	1145-1200	15 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	प्रतिदिन
हिन्दी	संसद समाचार	2045-2100	15 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	संसद सत्र के दौरान
अंग्रेजी	संसद समाचार	2115-2130	15 मिनट	1 (राष्ट्रीय)	

विवरण-II

दूरदर्शन के क्षेत्रीय समाचार एककों से प्रसारित बुलेटिनों का ब्यौरा

क्र० सं०	केन्द्र	भाषा	समय	अवधि	चैनल
1.	अहमदाबाद	गुजराती	1900-1915	15 मिनट	1
2.	बंगलौर	कन्नड़	—तथैव—	15 मिनट	1
3.	भुवनेश्वर	उड़िया	1900-1920	20 मिनट	1
4.	भोपाल	हिन्दी	1900-1915	15 मिनट	1
5.	मुम्बई	मराठी	(1) 1900-1915	15 मिनट	1
			(2) 2150-2200	10 मिनट	1 (सोमवार/शुक्रवार)
			2200-2210	10 मिनट	2 (शनिवार/रविवार)
6.	कलकत्ता	बंगला	(1) 1700-1705	5 मिनट	1
		बंगला	(2) 1900-1915	15 मिनट	1
		उर्दू	(3) 1915-1925	10 मिनट	1
		बंगला	(4) 2150-2200	10 मिनट	1 (सोमवार/शुक्रवार)
			2200-2210	10 मिनट	2 (शनिवार/रविवार)
7.	गुवाहाटी	असमिया	(1) 0845-0900	15 मिनट	1
			(2) 1900-1915	15 मिनट	1
8.	हैदराबाद	तेलुगु	(1) 1900-1915	15 मिनट	1
		उर्दू	(2) 1915-1925	10 मिनट	1
9.	जयपुर	हिन्दी	1900-1915	15 मिनट	1
10.	जालंधर	पंजाबी	(1) 1700-1705	5 मिनट	1 (सोमवार/शुक्रवार)
		पंजाबी	(2) 1900-1915	15 मिनट	1
11.	लखनऊ	हिन्दी	(1) 1900-1915	15 मिनट	1
		उर्दू	(2) 1915-1920	5 मिनट	1
12.	मद्रास	तमिल	(1) 1900-1903	3 मिनट	1
		तमिल	(2) 2030-2050	20 मिनट	1
		तमिल	(3) 2150-2200	10 मिनट	1 (शनिवार/रविवार)
13.	पटना	हिन्दी	(1) 1900-1915	15 मिनट	1
		उर्दू	(2) 1915-1925	10 मिनट	1
14.	श्रीनगर	कश्मीरी	(1) 1900-1915	15 मिनट	1
		उर्दू	(2) 1915-1930	15 मिनट	1
15.	तिरुवनन्तपुरम	मलयालम	(1) 1700-1703	3 मिनट	1
			(2) 1900-1915	15 मिनट	1

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं

3458. **डा० बलिराम :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ कल्याणकारी योजनाएं स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये योजनाएं कब से लम्बित हैं;

(ग) इनकी मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इन पर कितना खर्च आने की सम्भावना है; और

(ङ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ.) जी हां, इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कुछ प्रस्ताव लम्बित हैं और ये विचार के विभिन्न स्तरों पर हैं। उनमें से कुछ के संबंध में अन्तिम अनुमोदन से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग का विनियंत्रण

3459. **श्री तारीक अनवर :**
श्री नवल किशोर राय :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी को विनियंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका गन्ने के उत्पादन, इसकी मिलों में उपलब्धता, चीनी मिलों द्वारा पेराई, खरीद के समय गन्ना उत्पादकों को पूरे मूल्य का भुगतान, चीनी की उचित दर पर बिक्री इत्यादि विषयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या चीनी उद्योग के विसरणीकरण का भी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो क्या चीनी के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। वर्तमान में चीनी के आंशिक नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) चीनी निर्यात को असरणीबद्ध (डिकन्गलाइजेशन) करने संबंधी प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) चीनी की अधिशेष उपलब्धता के कारण चीनी के मूल्य में बढ़ोत्तरी होने की संभावना नहीं है।

वयस्कों हेतु चैनल

3460. **कुमारी क्रिडा तोपनो :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन वयस्कों हेतु एक पृथक चैनल शुरू करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चैनल पर प्रसारित कार्यक्रमों की क्या विशेषताएं होंगी;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के पूर्व में ही सेंसर किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में चल दूरभाष सुविधाएं

3461. **डॉ० एम० जगन्नाथ :**
श्री सईदा कोटा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न नगरों में विशेष रूप से हैदराबाद में चल-दूरभाष सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये सुविधाएं कब तक दी जाएंगी;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ बुनियादी ढांचा बना दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेल्युलर फोन कनेक्शन की अनुमानित लागत कितनी है और प्रति मिनट काल पर कितनी लागत आती है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हां, आंध्र प्रदेश में सुल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए सरकार ने मै० टाटा कम्यूनिकेशन तथा मै० जे टी मोबाइल्स लि० नामक दो भारतीय कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया है। कंपनियों के साथ किये गये लाइसेंस करार के अनुसार कंपनियों को प्रथम वर्ष के भीतर कम से कम 10% जिला मुख्यालय की टेलीफोन सेवा प्रदान करनी है। वित्त वर्ष 1996-97 में हैदराबाद सहित आंध्र प्रदेश में टेलीफोन सेवा प्रारंभ कर दिये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) लाइसेंस करार के अनुसार, इस सेवा के लिए आवश्यक सभी आधार भूत ढ़ाँचा लगाने की जिम्मेदारी लाइसेंस धारी की है।

(ङ) इस सेवा के लिए उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले टैरिफ सीमा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

4 महानगरों के लिए टैरिफ सीमा

टैरिफ

1. सेवा के लिए मासिक किराया	—	रु. 156/-प्रति माह
2. प्रतिभूति जमा	—	रु. 3000/-
3. संस्थापन शुल्क (प्रभार)	—	रु. 1200/-

4. काल प्रभार

4.1 मोबाइल उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कालों के लिए :

एयर टाइम प्रभार 10 सैंकेड प्रति यूनिट की दर से तथा काल प्रभार जैसा कि फिक्सड नेटवर्क हेतु स्थानीय एस टी डी और आई एस डी कालों के लिए लागू होती है। एक ही सैल्यूलर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मोबाइल टेलीफोन से मोबाइल टेलीफोन को की गई कालों के लिए केवल एयर टाइम प्रभार लिए जाएंगे।

4.2 मोबाइल उपभोक्ता को की गई कालों के लिए : — 10 सैकेंड प्रति यूनिट काल की दर से एयर टाइम प्रभार लिया जाएगा। अगर मोबाइल उपभोक्ता 5 सैकेंड के भीतर आवक काल को काट देता है उस मोबाइल उपभोक्ता से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

5. टैरिफ पर टिप्पणी :

5.1 मोबाइल उपभोक्ता के लिए काल अवधि एयर टाइम पर आधारित होगी।

5.2 एयर टाइम यूनिट काल दूरसंचार विभाग के (फिक्सड) नेटवर्क के उच्चतम स्लैब पर लागू यूनिट दर से (फिलहाल 1.40 रु. प्रति यूनिट है) वसूल की जाएगी। सभी कालों के लिए उपरोक्त के अनुसार यूनिट दर लागू होंगी तथा कोई टेलीस्कोपिक दर नहीं है।

सीमा क्षेत्रों में रेडियो ट्रांसमीटर

3462. **श्री प्रमोद महाजन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जुलाई, 1996 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के सीमावर्ती जिले तथा अन्य राज्य पड़ोसी देशों के ज्यादा शक्ति वाले ट्रांसमिशन केन्द्र से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पाकिस्तान रेडियो द्वारा इस भारत विरोधी प्रचार को रोकने के लिए राजनयिक स्तर पर क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) और (ख) लाहौर स्थित पाकिस्तान रेडियो केन्द्र, अन्य भारत विरोधी कार्यक्रमों के अलावा "पंजाबी दरबार" नाम के एक दैनिक कार्यक्रम प्रसारित करता है जिसमें पंजाब के बारे में मिथ्या वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। पाक दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए आकाशवाणी, जालंधर से तथा आकाशवाणी की विदेश सेवा से पंजाबी सेवा में पंजाब की घटनाओं तथा विकास की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत करते हुए कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ग) सरकार ने अन्य देशों को उनके साथ हुए राजनयिक विचार-विमर्शों के दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार तथा आतंकवाद को उसके समर्थन के बारे में अवगत करवा दिया है। भारत के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

[हिन्दी]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

3463. **श्री पंकज चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघरों के व्यापक रूप से कम्पयुरीकरण के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान डाक सेवाओं में विस्तार से सरकार को कितनी अतिरिक्त आय हुई है;

(घ) क्या डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां; तो यह कब शुरू किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डाक सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ई. डी. बी. ओ.) तथा शहरी क्षेत्रों में विभागीय उप-डाकघर (डी. एस. ओ.) खोलकर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में 675 ई. डी. बी. ओ. तथा 199 डी. एस. ओ. खोले गए। सामान्य क्षेत्रों में नये ई० डी० बी० ओ० खोलने के लिए वर्तमान मानदंडों में अनुमानित लागत के $66^{2}/_{3}$ प्रतिशत की सीमा तक आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, जबकि जनजातीय/पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में अनुमानित लागत के 85 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्र में विभागीय डाकघर तभी खोले जाते हैं यदि अनुमानित आय अनुमानित लागत को कवर करती हो।

इन परिस्थितियों में विभाग को इन डाकघरों के खोलने में कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होता है।

(घ) और (ङ) डाकघरों का कंप्यूटरीकरण करने का कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था और यह कार्य अभी चल रहा है। देश के 680 डाकघरों में पी० सी० पर आधारित 2300 काउण्टर मशीनें संस्थापित की जा चुकी हैं, और 69 वेरी स्माल आपरेटर टर्मिनल (वी. एस. ए. टी.) स्टेशन कंप्यूटर पर आधारित टेक्नॉलॉजी के माध्यम से काम कर रहे हैं। ये स्टेशन मनीऑर्डर तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं का त्वरित पारेषण सुनिश्चित करते हैं। बंबई और मद्रास में कंप्यूटर टेक्नॉलॉजी के साथ आटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटरों की स्थापना की गई है। डाकघरों में बचत बैंक, डाक जीवन बीमा के कार्य को आधुनिक बनाने के लिए कंप्यूटर लगाए गए हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राइवेट टेलीफोन आपरेटर

3464. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग एवं प्राइवेट टेलीफोन सर्विस आपरेटरों के बीच कोई समझौता (इंटर-कनेक्टीविटी) किया गया है;

(ख) यदि हां, तो शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राइवेट टेलीफोन सर्विस आपरेटरों द्वारा मूल रूप से समझौते में उल्लिखित नियमों, मानदंडों एवं शर्तों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में केटरिंग महाविद्यालय की स्थापना

3465. **श्री के० सी० कोंडय्या** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास कर्नाटक में एक केटरिंग महाविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई० टी० डी० सी०) को इस प्रस्ताव का अध्ययन करने हेतु कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या है तथा प्रस्तावित महाविद्यालय को कहां स्थापित किया जायेगा;

(घ) प्रस्तावित महाविद्यालय हेतु वार्षिक आवर्ती व्यय कितना होगा;

(ङ) क्या इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार ने भूमि तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा बंगलौर में वर्ष 1994 में पहले से ही होटल प्रबंध केटरिंग तकनालाजी और अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान की स्थापना की जा चुकी है।

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

3466. **श्री भक्त चरण दास :**
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक सहायता-प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा और बिहार में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) इस समय उक्त राज्यों में कितने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने संस्थान कहां-कहां पर खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त संस्थान खोलने के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई; और

(घ) इन संस्थानों में अब तक कितनी महिलाएं प्रशिक्षित की गईं और 1996-97 के दौरान कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विश्व बैंक सहायित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के तहत महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दो स्कीमें, नामतः "महिलाओं हेतु नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों की स्थापना" तथा विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों में नए व्यवसाय आरम्भ करना" उड़ीसा तथा बिहार में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) उक्त राज्यों में, महिलाओं हेतु विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना-स्थलवार संख्या तथा चालू वर्ष में आरम्भ किए जाने वाले प्रस्तावित संस्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्यों को विश्व बैंक से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। केन्द्र सरकार को ऋण अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप अनुमोदित स्कीमों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जाती है। राज्यों द्वारा अनुमोदित स्कीमों पर किए गए व्यय का पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उड़ीसा तथा बिहार राज्यों में महिला प्रशिक्षण संबंधी दो स्कीमों में अब तक हुआ व्यय क्रमशः 372.515 लाख रु० तथा 90.347 लाख रु० है।

(घ) संबंधित राज्यों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, उड़ीसा तथा बिहार में अब तक प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या क्रमशः 795 तथा 305 है। 1996-97 के दौरान उड़ीसा तथा बिहार में क्रमशः 261 तथा 704 महिलाओं की प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

(क) स्कीम का नाम : "महिलाओं हेतु नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों की स्थापना।

क्र० सं०	संस्थान का स्थापना-स्थल
उड़ीसा	
1.	उमरकोट
2.	*छत्तरपुर
3.	*बारागढ़
4.	*बोलनगीर
5.	धनकनाल
6.	बौध

*चालू वर्ष के दौरान आरम्भ किए जाने के लिए प्रस्तावित

क्र० सं०	संस्थान का स्थापान-स्थल
बिहार	
1.	सीवन
2.	मुजफ्फरपुर
3.	आरा
4.	चईबासा
5.	मोतीहारी
6.	दरभंगा
7.	गया
8.	हज़ारीबाग

चालू वर्ष के दौरान बिहार में नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) स्कीम का नाम : "विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों में नए व्यवसाय आरम्भ करना।"

क्र० सं०	संस्थान का स्थापना-स्थल
उड़ीसा	
1.	कटक
2.	आनन्दपुर
बिहार	
1.	रांची
2.	दुमका

[हिन्दी]

दूरदर्शन स्टूडियो, बिहार

3467. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र पटना में 15 मार्च, 1996 को एक स्टूडियो का उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो स्टूडियो के निर्माण पर कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या अब स्टूडियो बंद कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह कब बंद हुआ और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने स्थानीय कार्यक्रमों का समुचित प्रसारण और निर्माण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जून, 1996 तक टी० वी० स्टूडियो, पटना पर 2251.71 लाख रुपए का व्यय किया गया है।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन केन्द्र, पटना में वर्तमान में उपलब्ध विद्युत आपूर्ति नए स्टुडियो सेट अप के निर्बाध कार्य निष्पादन हेतु पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, स्थायी स्टुडियों सेट अप के लिए स्टाफ मंजूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी प्रदान की जानी है तथा पटना स्थित अन्तरिम स्टूडियो सेट अप के लिए उपलब्ध स्टाफ, नए स्टूडियो के सामान्य परिचालन के लिए पर्याप्त नहीं है। नए स्टूडियो सेट अप द्वारा स्थानीय कार्यक्रमों का निर्माण तथा प्रसारण अबाध विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता तथा दूरदर्शन केन्द्र, पटना स्थित स्थायी स्टूडियो सेट अप के लिए स्टाफ की पूर्ण संख्या की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

दूरर्शन की आय/व्यय

3468. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन की आय और व्यय का ब्यौरा क्या रहा;

(ख) क्या दूरदर्शन अब एक वाणिज्यिक संगठन जैसा बन गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न कार्यक्रमों की विज्ञापन दरें क्या हैं और दूरदर्शन की आय के अन्य स्रोत क्या हैं;

(ङ) क्या लघु और कुटीर उद्योगों को विज्ञापनों में कोई रियायत दी जाती है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) 1. सकल वाणिज्यिक राजस्व

1993-94	372.98 करोड़ रुपये
1994-95	398.02 करोड़ रुपये
1995-96	430.13 करोड़ रुपये
2. व्यय (करोड़ रुपये में)	
1993-94	744.64 रु० (स्वीकृत)
	0.57 रु० (प्रभारित)
1994-95	906.17 रु० (स्वीकृत)
	0.61 रु० (प्रभारित)
1995-96	106.54 रु० (स्वीकृत)
	13.23 रु० (प्रभारित)

(ख) जी, नहीं। दूरदर्शन समग्र रूप से एक वाणिज्यिक संगठन के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दूरदर्शन की प्रायोजकता दरें 1500/- रुपये से 3,00,000/- रुपये के बीच हैं और स्पॉट-बाई (प्रति 10 सैकेण्ड) दरें 1000/- रुपये से 90,000/- रुपये के बीच हैं। वाणिज्यिक विज्ञापनों के अलावा, दूरदर्शन भारत में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड आदि जैसे आयोजनों के कवरेज अधिकारों की बिक्री, दूरदर्शन द्वारा कमीशन किए गए/निर्मित कार्यक्रमों की बिक्री और अन्य संगठनों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के माध्यम से भी आय प्राप्त करता है।

(ङ) लघु उद्योगों द्वारा सीधे दूरदर्शन के पास विज्ञापन बुक करने पर उन्हें विज्ञापन प्रभारों में 15% की छूट दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग

3469. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :**
श्री सुरेश कोडीकुनील :
श्री ई० अहमद :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए कार्य कर रहे पूर्व परीक्षा कोचिंग केन्द्रों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का ऐसे और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग ली थी; और

(ङ) इन कोचिंग योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आगामी दो वर्षों के लिए कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना तथा आर्थिक मानदंडों पर आधारित अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इस समय कोचिंग एवं सम्बद्ध दोनों योजनाएं संशोधनाधीन हैं। इन योजनाओं को संशोधन किए जाने के बाद नए केन्द्रों की स्थापना पर विचार किया जाएगा।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दो कोचिंग एवं संबद्ध योजनाओं के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :–

योजना का नाम	वर्ष और धनराशि		
	93-94	94-95	95-96
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना	1.73	2.00	2.05
आर्थिक मानदंडों पर आधारित अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	0.50	1.46	1.35

वर्ष 1996-97 में इन दो योजनाओं के लिए आवंटन क्रमशः 3 करोड़ रुपए और 4 करोड़ रुपए है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आवंटन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परीक्षा पूर्व कोचिंग	
		अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए	अन्य पिछड़े वर्गों/ अल्पसंख्यकों के लिए
1	2	3	4
1.	आन्ध्र पेदश	3	13
2.	असम	1	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	—
4.	बिहार	3	3
5.	दिल्ली	2	7
6.	गुजरात	6	—
7.	हरियाणा	7	—
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—
9.	जम्मू और कश्मीर	2	—
10.	कर्नाटक	7	2
11.	केरल	4	—
12.	मध्य प्रदेश	13	3
13.	महाराष्ट्र	4	—
14.	मणिपुर	1	1
15.	मेघालय	1	—

1	2	3	4
16.	नागालैंड	1	—
17.	उड़ीसा	17	3
18.	पंजाब	1	2
19.	राजस्थान	36	2
20.	तमिलनाडु	2	1
21.	त्रिपुरा	1	—
22.	उत्तर प्रदेश	13	4
23.	पश्चिम बंगाल	5	—

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में हवाई पट्टियों का हस्तांतरण

3470. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में उन हवाई पट्टियों को, जो कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है को राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में विभिन्न संगठनों के अधिकार क्षेत्र में हवाई पट्टियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह हवाई पट्टियाँ कब तक महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी जाएंगी?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शोलापुर और कोल्हापुर हवाई अड्डों को सौंप देने का अनुरोध किया है।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अकोला, औरंगाबाद, मुम्बई, जुहू, कोल्हापुर, नागपुर और शोलापुर में स्थित हवाई अड्डों पर नियंत्रण रखता है। अहमदनगर, डारना कैम्प (नासिक), देवलाली, कल्याण, नासिक, ओजार और पुणे के हवाई अड्डे रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। अमरावती, चन्द्रपुर, जैथ, जलगाँव, कराड़ कबालपुर, नान्देड़, ओसमानाबाद, फाल्टन, रत्नागिरी और यवतमाल के हवाई अड्डे राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। निजी लाइसेंस के अधीन कुडाल और बालूज पर दो हवाई पट्टियां हैं और नागर विमानन महानिदेशालय पुणे के निकट हडप्पसर में एक ग्लाइरड्रोम चलाता है।

(ग) शोलापुर और कोल्हापुर की हवाई पट्टियों को नवम्बर, 1996 तक राज्य सरकार को सौंप दिये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सूरत हवाई अड्डा

3471. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हवाई अड्डे को भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत कब तक लाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम): (क) से (ग) जी, हां। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण, इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए सूरत हवाई अड्डे का अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं है।

अटलांटा ओलिम्पिक, 1996

3472. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रचार माध्यमों को अटलांटा ओलिम्पिक, 1996 में भेजने में भेदभाव किया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, नहीं। अटलांटा ओलंपिक खेल, 1996 की कवरेज के लिए दूरदर्शन की ओर से 8 सदस्यीय सरकारी दल भेजा गया था। आकाशवाणी के मामले में, यद्यपि वॉयस ऑफ अमेरिका द्वारा प्रतिदिन उस दिवस के प्रमुख खेलों को कवर करते हुए हिन्दी में 15 मिनट का कैप्स्यूल निःशुल्क आधार पर उपलब्ध कराया गया था, तथापि श्री जसदेव सिंह, गैर-सरकारी कमेंटेटर को भी हिन्दी में टेलीफोन वॉयस काम्ट्स जिसे खेलों की अवधि के दौरान प्रतिदिन प्रसारित किया गया था, उपलब्ध कराने के लिए अटलांटा भेजा गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पर्यटक स्थल

3473. **श्री सौम्य रंजन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटन महत्व के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर हैं; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पर्यटन स्थलों के विकास हेतु उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) (क) पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 1992 में गहन विकास के लिए पुरी–भुवनेश्वर-कोणार्क को अभिनिर्धारित किया गया था। इन स्थानों से संबंधित सूचना पर्यटन विभाग द्वारा निकाले गए प्रचार साहित्य में उपलब्ध है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य को स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता

के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

		(रु० लाखों में)
1993-94	1994-95	1995-96
101.52	166.31	108.86

पेंशन योजना

3474. **श्री राम नाईक** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1996 में सरकार ने सेमिनार आदि के माध्यमों से नई पेंशन योजना को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुछ मजदूर संघों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) केन्द्रीय सरकार ने जुलाई, 1996 में नई पेंशन योजना पर कोई सेमिनार आयोजित नहीं की थी। तथापि, केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों के साथ पहले, कई बैठकें की गई थीं। उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ विवाहित पुत्रों और विवाहित पुत्रियों के मध्य और फिर से विवाह करने वाली विधवाओं और फिर से विवाह करने वाले विधुरों के बीच भेदभाव समाप्त करने, 5000/- रु० से अधिक प्रतिमाह मजूदरी आहरित करने वाले कर्मचारियों को योजना लाभ प्रदान किए जाने, परिवर्तन के लिए प्रावधान करने, पेंशन की पूर्ववत् अदायगी के लिए कटौती दर में कमी करने, चूक के मामले में पेंशन की अदायगी के लिए प्रावधान करने, परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल न हुए अंशदाताओं पर योजना लागू करने, छूट के मामले में परिवार पेंशन संबद्ध आहरण लाभ की वापसी करने और उजरती दर पर काम करने वाले कर्मकारों को योजना में शामिल करने के लिए सुझाव दिए थे। इन सुझावों की पड़ताल की गई है और परिवार पेंशन योजना, 1995 में जरूरी संशोधन करने के लिए 28.2.1996 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। वैयक्तिक विकल्प की व्यवस्था करने, पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने और पेंशन को एक तृतीय लाभ के रूप में प्रदान किए जाने जैसे सुझावों को बीमांकन की दृष्टि से स्वीकार किए जाने हेतु व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

कश्मीर में पर्यटकों की हत्या

3475. **डा० एम० पी० जायसवाल** :
श्री मंगत राम शर्मा :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर में हाल ही में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों की हत्या के कारण घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान घाटी में अब तक आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या घाटी में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा अनुदेशों के बारे में जानकारी दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार जनवरी से जुलाई 1996 के दौरान कश्मीर घाटी में 5744 पर्यटक आए।

(घ) से (च) राज्य सरकार द्वारा पर्यटक परामर्शदात्री जारी की गई है तथा इसे राज्य में हवाई अड्डे तथा पर्यटक स्वागत केन्द्र जैसे विभिन्न पर्यटक आगमन स्थलों पर भी प्रदर्शित किया जा रहा है।

गन्ने की उपलब्धता

3476. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अभी कार्य कर रहे चीनी मिलों की कुल उपलब्धता गन्ने का लगभग 33 प्रतिशत गन्ना ही मिल रहा है;

(ख) क्या यह प्रतिशतता राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में गन्ने की विद्यमान उपलब्धता को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने की प्राप्ति दर राज्य में गुड़ तथा खांडसारी इकाईयों की एक बड़ी संख्या में उपस्थिति के कारण कम रही हैं। 1995-96 के लिए गन्ना उत्पादन के अग्रिम अनुमान तथा 1995-96 मौसम के लिए 30.6.1996 तक उत्तर प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा पेरे गए गन्ने की मात्रा के आधार पर फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने की प्राप्ति दर 62.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 43.8 प्रतिशत थी।

(घ) उत्तर प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने की पेराई की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए सरकार नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु प्रदान किए गए अकार्यान्वित आशय पत्रों के कार्यान्वयन की सूक्ष्म रूप से जांच कर रही है तथा और अधिक नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा विद्यमान चीनी फैक्ट्रियों में विस्तार हेतु आशय पत्र प्रदान किए हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल इंस्टिट्यूट फार द आर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड, कलकत्ता का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा उसमें हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) एक नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) दो नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 363/96]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : निदेशक का पद अनेक वर्षों से रिक्त पड़ा है। चूंकि माननीय मंत्री सभा पटल पर पत्र रख रहे है, मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं उक्त पद पर 15 दिन के भीतर नियुक्ति कर दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : यह आश्वासन है।

वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इसमें हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नागर विमानन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पिणयां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 364/96]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत, चीनी (वर्ष 1995-96 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1996, जो 14 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 209 (अ)/आ० व०/चीनी में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 365/96]

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का भारतीय तेल निगम लिमिटेड इत्यादि के बारे में प्रतिवेदन

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) मैं श्री टी० आर० बालू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (1995 का संख्यांक 20) – (वाणिज्यिक) – भारतीय तेल निगम लिमिटेड (रिफानरीज़ एण्ड पाईप लाईन्स), का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 366/96]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (1995 का संख्यांक 23)–(वाणिज्यिक)–तरल प्राकृतिक गैस का निर्यात और तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड) का आयात करने के लिए सिंगल बॉय मूरिंग, का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 367/96]

(तीन) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (1995 का संख्याक 24)–(वाणिज्यिक)–भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार), का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 368/96]

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक–संघ सरकार (1995 का संख्यांक 19)–(वाणिज्यिक)–आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण, का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 369/96]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल रहमान अंतुले – उपस्थित नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी – उपस्थित नहीं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : माननीय सदस्य सभा पटल पर पत्र रखने के लिये उपस्थित नहीं हैं। यह उचित नहीं हैं। यद्यपि एक माननीय सदस्य मेरे दल से भी सम्बद्ध है फिर भी मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ...

श्री पी. आर. दास्मुंशी (हावड़ा) : कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखत प्रतिवेदन और उन पर कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(4) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(5) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन)

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रण समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वापिस मद संख्या 6 पर आते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस मद में कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के लिए कार्य सूची में दिखाया गया है वह मद छूट गया है। श्री संतोष कुमार गंगवार ने मद संख्या 7 के अन्तर्गत पत्र सभा पटल पर रखे हैं। क्या अब हम वापिस लौट सकते हैं? हम वापिस नहीं लौट सकते हैं। मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। किसी आईटम पर यदि उस समय सदस्य मौजूद नहीं हैं तो बाद में बुला लिया जाता है।

अपराह्न 12.04½ बजे

शहरी तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के बंजर भूमि विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय के शहरी विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

वाणिज्य सम्बन्धी स्थायी समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : मैं वाणिज्य विभाग (वाणिज्य मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 1996-97 के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05¼ बजे

मानव संसाधन विकास सम्बन्धी स्थायी समिति

इक्तालीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० महादीप सिंह शाक्य (एटा) : मैं मानव संसाधन विकास सम्बन्धी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) निजी विश्वविद्यालय (स्थापन और विनियमन) विधेयक, 1995, जिसे राज्य सभा के सभापति के 26 मार्च, 1996 को उस समय सौंपा गया था जब उसका सत्र नहीं चल रहा था, सम्बन्धी इक्तालीसवां प्रतिवेदन; और

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 1996-97 सम्बन्धी बयालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05½ बजे

उद्योग सम्बन्धी स्थायी समिति

[अनुवाद]

अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (अलवर) : मैं निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के उठारहवें और उन्नीसवें प्रतिवेदनों की प्रतियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) इस्पात मंत्रालय; और

(2) खान मंत्रालय

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) :– उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की सूचना दी है... **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाने की सूचना दी है। जिसका सम्बन्ध भारत के संविधान से है। आपको मेरी बात दो मिनट के लिए सुननी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने सूचना दी है। मुझे मामला उठाने की अनुमति दें। यह बहुत गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० दासमुंशी : मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिये नोटिस दिया है... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। इस तरह से मैं किसी भी सदस्य की बात नहीं सुन सकूंगा। मेरे पास सूची है। मैं एक-एक करके सबको मौका दूंगा।

... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार बोलने का क्या लाभ है? कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने एक सदस्य के कंडक्ट के बारे में इस हाउस की कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। मैंने सुखराम जी के बारे में सदन की कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और वह बात मुझे सदन के सामने रखने के लिए परमीशन दीजिए। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सब की बात सुनने को तैयार हूं, आप एक-एक करके कहिए। मैं सब को बुलाऊंगा। अब आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाने के लिए सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपका नोटिस मिल गया है। मैं प्रत्येक का नाम पुकारूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया मुझे मामला उठाने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं जाते?

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : सब मामले महत्वपूर्ण हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सब मामले इसके जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार बोलना जारी रखेंगे तो कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया मुझे पहले मामला उठाने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उचित रूप में मामला उठाना नहीं चाहते?

श्री बसुदेव आचार्य : हम मामला उठाना चाहते हैं ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वासन दे चुका हूं कि मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा। आप बैठ क्यों नहीं जाते?

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : एक मैम्बर, सुखराम जी के कंडक्ट के बारे में हमने प्रस्ताव दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका बीच में है, मैं लूंगा। दो नोटिस हैं, मैं सब को लूंगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, दो तारीख को माननीय स्पीकर साहब ने कहा था कि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। दो तारीख लास्ट डे था, अभी 26 तारीख को सैशन शुरू हुआ है... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने भी नहीं पढ़ा है, मेरे पास भी नहीं आया है। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा। तभी मैं आपको बता सकूंगा।

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंजाब के किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले 25 वर्ष से वहां की सरकार किसानों की पैडी जो पी. आर. 106 वैराइटी है, उसे सुपर फाइन क्वालिटी के रूप में खरीदती रही है। लेकिन पिछले साल

पी. आर. 106 जिसे परमल कहते हैं, उसको फाइन क्वालिटी का नाम दिया गया। पिछले साल फाइन क्वालिटी का रेट 375 रुपये प्रति क्विंटल था और सुपर फाइन क्वालिटी 395 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकती रही। लेकिन पिछले साल सुपर फाइन क्वालिटी को फाइन क्वालिटी का नाम दे दिया गया और इस कारण छोटे किसानों ने 20 रुपये प्रति क्विंटल कम रेट पर पंजाब की मंडियों में इसे बेचा। बड़े किसान अपनी पैडी को पंजाब के साथ लगे राज्य हरियाणा और राजस्थान में सुपर फाइन क्वालिटी के नाम से बेचते रहे और उनको वही रेट मिलता रहा। इस तरह पंजाब के अंदर पी. आर. 106 जो कम रेट पर बिकी, किसानों को इससे करौड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। बाद में पंजाब सरकार की तरफ वादा किया गया कि सरकार किसानों को पांच रुपये प्रति क्विंटल बोनस देगी। लेकिन, वह भी अभी तक नहीं दिया गया। हमारी केन्द्र सरकार से मांग है कि पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों की लूट न की जाए। पी. आर. 106 को सुपर फाइन क्वालिटी मानकर वही रेट दिया जाए, जिससे किसानों की लूट न हो सके।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : मैं अभी कुछ दिन पूर्व पंजाब गया था। उन्होंने फाइन क्वालिटी को सुपर फाइन में बदल दिया है। अतः किसानों के लिये 20 रुपये का अन्तर पड़ गया है। क्वालिटी में कोई अन्तर नहीं है। अतः माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से मैं सहमत हूं। कृषि मंत्री राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का निर्देश दें।... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यही नहीं, पटसन के मूल्य भी कम हो रहे हैं। पटसन के मूल्य गिर कर लगभग आधे रह गये हैं। कृषि मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह यह देखे कि इसके मूल्यों में वृद्धि हो।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें धान के बारे में उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : उपाध्यक्ष महोदय, पैडी के बारे में कहा गया है। यह मामला राज्य सरकार का है। मैं चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य ने क्वालिटी के डिग्रेड होने की बात कहीं है, वह मुझसे मिल लें, हम मंत्रालय में देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जूट को भी देख लें।

श्री चतुरानन मिश्र : जूट की खरीद हमारा मंत्रालय नहीं करता।

श्री हज्ञान मोल्ला (उलूबेरिया) : तबकी 562 रुपये दिए, पिछले साल 600 रुपये था।

श्री चतुरानन मिश्र : हमने घटाया नहीं है, बढ़ा दिया है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह काफी नहीं है। पहले मूल्य 1500 अथवा 1700 रुपये था और अब यह घटकर 800 रुपये के लगभग हो गया है।... **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : भारतीय पटसन निगम ने उत्पादकों से अपरिष्कृत पटसन की खरीद नहीं की है।

श्री चतुरानन मिश्र : मेरे मंत्रालय द्वारा इसकी खरीद नहीं की जाती है। यह दूसरे मंत्रालय द्वारा की जाती है... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यद्यपि उनके मंत्रालय द्वारा यह खरीद नहीं की जाती है। फिर भी पटसन उत्पादकों को बुरी तरह लूटा जा रहा है... **(व्यवधान**

श्री सोमनाथ चटर्जी : वरिष्ठ मंत्री यहां उपस्थित हैं। मिश्र जी का यह कहना उचित है कि उनके मंत्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि इस मामले में पहल करें और देखें कि इस समस्या का कोई समाधान निकल सके। सवाल मंत्रालयों के दायित्वों को विभाजित करने का नहीं है। यह ऐसा मामला है जिस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये।... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उनका जबाब सुन लीजिये, वे कुछ कहना चाहते हैं। महोदय, वे उत्तर दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री चतुरानन मिश्र : माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं इस बारे में कुछ करूं और वस्त्र मंत्री को पत्र लिखूं।

मैं उनको शीघ्र पत्र लिख सकता हूं। जब माननीय सदस्य ने यह मामला उठाया है तो मुझे उसका उत्तर अवश्य देना चाहिये। लेकिन मेरा भी अपना क्षेत्राधिकार है। मेरा क्षेत्राधिकार सीमित है। तब भी मैं इस मामले को माननीय मंत्री के ध्यान में लाऊंगा और उनसे ऐसा करने का अनुरोध करूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह बहुत गम्भीर विषय है... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी० आर० दासमुंशी : पैसा लेकर खरीदने के लिये काम नहीं कर सकते. ..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पटसन का उत्पादन बिल्कुल नहीं हो रहा है... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी० आर० दासमुंशी : लेकिन मुझे लगता है कि जूट उद्योग को बर्बाद करने के लिये जान-बूझकर जरूर कोई लॉबी काम कर रही है... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जैसा भी हो, हम उनकी चिन्ता समझते हैं... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : टैक्सटाइल मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिये हम जाकर वहां परचेज करें, हम इतना ही कर सकते हैं... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जायें।...

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, या तो आप इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दें। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा की जानी चाहिये। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगला मद लेता हूं। चार सदस्यों ने इस विषय पर बोलने का नोटिस दिया है। मैं चारों सदस्यों को बोलने का अवसर देने का प्रयास करूंगा। श्री बसुदेव आचार्य।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) महोदय, मैंने भी नोटिस दे रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम इसमें है। सब के नाम एक-एक करके आएंगे। जिनके नाम हैं, मैं सबको चांस देने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, गत वर्ष इस सदन में कार्य नहीं हो सका था क्योंकि तब हम विपक्षी दलों ने यह मामला उठाया था जब हमें पता लगा कि हजारों करोड़ रुपये का ठेका एक विशेष फर्म को दिया जा रहा है, उसका पक्ष किया जा रहा है– उस समय सत्ता रूढ़ दल कांग्रेस (आई) के सदस्यों द्वारा हमारी आलोचना की गई थी। अब यह उचित ठहराया जा चुका है।... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : न्यायालय ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं दिया और आपके नेता ने उन्हें निर्दोष होने का प्रमाण पत्र दे दिया... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : संसद की अवहेलना कर आदेश दिया गया था यद्यपि इसका सदन में उस समय विरोध किया गया था... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री पी० आर० दासमुंशी : साथ में फांसी लगाओ।

श्री बसुदेव आचार्य : फांसी क्या, जो पनिशमेंट होना चाहिये, वह होगा।

[अनुवाद]

कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित नहीं किया है। उन्हें केवल निलम्बित किया गया है... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम दक्षिण कोरिया की तरह नहीं है... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके मंडी, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली स्थित निवासों से 4 करोड़ रुपये से अधिक बरामद किये हैं जिसमें लाखों रुपये के जेवर और विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

उन्होंने हैदराबाद की मैसर्स एडवांस रेडियो मास फर्म को ठेका दिये जाने के संबंध में दो समितियों की सिफारिशों को नामंजूर कर दिया था। उन्होंने ठेका दिये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा बार-बार दी गई चेतावनी की भी उपेक्षा की थी। उन्होंने यह निर्देश दिया कि उक्त विशेष फर्म से 900 सैट खरीदे जायें। ये 900 सैट जो क्रिस्टल-500, सिंथेसाइज्ड किस्म के है बहुत घटिया किस्म के थे।

श्री सुखराम ने यह निर्देश देकर उस विशेष फर्म–एडवांस रेडियो–मास को स्पष्ट रूप से लाभ पहुंचाया। यह पक्षपात और भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है। क्रिस्टल प्रणाली घटिया किस्म की थी। तब अन्य फर्म से सप्लाई करने के लिये कहा गया क्योंकि यह विशेष फर्म घटिया किस्म की सामग्री सप्लाई कर रही थी। 27 तारीख को श्री सुखराम ने क्रिस्टल प्रणाली और सिंथेसाइज्ड प्रणाली दोनों प्रणालियों के लिये समान मूल्य पर आर्डर दिये। अनेक अधिकारियों जैसे निदेशक, एम. सी. सी. एडवांस प्लानिंग, सदस्य (योजना) ने यह बात दोहराई और टिप्पणी की कि चूंकि क्रिस्टल प्रणाली घटिया स्तर की है, मूल्यों में अन्तर होना चाहिये।. .. **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, थोड़ा कम समय लीजिये क्योंकि तीन और सदस्यों के इसी सब्जैक्ट पर नोटिस हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन भूतपूर्व संचार मंत्री ने इसकी कोई परवाह नहीं की। अतः उन्होंने इस प्रकार संचार विभाग के मानदण्डों, नियमों और प्रणाली का उल्लंघन किया। इस मामले में भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

मैं सरकार से यह अनुरोध और मांग करता हूं कि सदन में इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये जिसमें जांच की वर्तमान स्थिति से सदन को अवगत कराया जाना चाहिये। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच की अनुमति दी जानी चाहिये और सदन को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिये और भूतपूर्व संचार मंत्री श्री सुखराम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध, जो भ्रष्टाचार में शामिल पाये जायें, कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : पिछले कुछ दिनों के दौरान एक बड़े घोटाले का पता लगा है जिसमें भूतपूर्व संचार मंत्री, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, के शामिल होने का पता लगा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भूतपर्व मंत्री, उच्च अधिकारियों सहित उनके कुछ सहयोगियों और मित्रों के अनेक निवास स्थानों पर मारे गये छापों से यह पता लगा है कि उन्होंने धनराशि लेकर कुछ कम्पनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है।

पिछले सत्र में हमने यही मांग की थी और काफी लम्बे समय तक और कई दिनों तक हमारे लिये विरोध प्रकट करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था कि संचार क्षेत्र में उदारीकरण के नाम पर क्या हो रहा है। उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार का यह एक बड़ा मामला था।

मैं इस बारे में एक उदाहरण दे सकता हूं। जब हम एक विशेष मंच पर पंचायतों को उपलब्ध कराई गई मल्टी ऐसेस रेडियो सिस्टम के उचित कार्य न करने के बारे में चर्चा कर रहे थे, हमें यह बताया गया था कि 'वर्जिन-वन' के बाद 'वर्जिन-टू' उपलब्ध कराया गया है जिसके अन्धा कार्य करने की आशा है। हैदराबाद की उसी कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया गया 'वर्जिन' भी कार्य नहीं कर रहा था। फिर भी उस कम्पनी को लाभ पहुंचाना जारी रहा। यह लाभ न केवल हैदराबाद की इस विशेष कम्पनी ए० आर० एम० को पहुंचाया गया बल्कि अन्य कम्पनी शाम कम्पनी और इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों के साथ भी ऐसा किया गया जिसकी निगमित विश्व को भी कोई जानकारी नहीं थी। जब हिमाचल फ्यूचूरिस्टिक कम्पनी लिमिटेड को टेंडर दिया गया था, हम यह चर्चा कर रहे थे फ्यूचूरिस्टिक, जिस कम्पनी की किसी को कोई जानकारी नहीं थी, ने 1,10,000 करोड़ रुपये, जिन्हें जुटाया जाना था में से 84,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया।

नौ क्षेत्रों में से केवल तीन क्षेत्रों में ठेके दिये गये और प्रक्रिया निरन्तर जारी

रही। छापे पड़ने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्रृंखला खुलती चली जा रही हो। इसके अतिरिक्त निजी डायरियों में कोड भाषा में नाम लिखे गए हैं जिनसे यह पता चलता है कि न केवल देश की कम्पनियों बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी पक्षपात लाभ पहुंचाया गया था।

हमने इस बात की मांग की है कि जितने भी ठेके दिये गये हैं उन सब की जांच की जानी चाहिये। हमें अभी हाल ही की घटना के बारे में बताया गया है। जैसा कि 'हवाला' घोटाले के मामले में हुआ है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो को छापों के बाद आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। यह 'फैरा' के उल्लंघन का भी मामला बनता है लेकिन प्रवर्तन निदेशालय– जैसा कि हवाला मामले में हुआ था–इसे 'फैरा' के उल्लंघन का मामला नहीं मानता।

इस बात का पूर्ण विश्वास है कि मंत्री तथा उनके कुछ सहयोगियों से बरामद धनराशि उनकी आय की तुलना में बहुत अधिक है। धनराशि न केवल भारत में है बल्कि इसका कुछ भाग विदेशों में भी होने की सम्भावना है। प्रवर्तन निदेशालय को इस कार्य का भार सौंपा जाना चाहिये और उन्हें सी० बी० आई० द्वारा बरामद दस्तावेजों से वंचित नहीं रखा जाना चाहिये।

हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दूरसंचार टेंडर तथा ऐसी ही गतिविधियों से सम्बन्धित सभी दस्तावेज जिनमें भूतपूर्व मंत्री शामिल पाये गये हैं, सभा पटल पर रखे जायें ताकि इस विषय पर उचित चर्चा की जा सके।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि ये मामला इस सदन में मैं आज नहीं उठा रहा हूं। जिस समय यह दूरसंचार की डील हिमाचल फ्यूचिरिस्टक लिमिटेड और दूसरी कंपनियों के साथ हुई थी, उस समय लोग अभियान का अध्यक्ष होने के नाते मैंने एक रिट-पिटीशन दायर की थी। यहां भी सदस्यों ने इस मामले को बड़े जोरदार ढंग से उठाया था। 15 दिन तक संसद में यह मामला उठता रहा और लगातार कांग्रेसी सदस्य सुखराम ज़ी का बचाव करते रहे और यह कहते रहे कि सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ये घोटाले कब तक प्रकाश में आते रहेंगे। इस बारे में अभी तक सरकार ने क्या किया है, वह सब सरकार को सदन के सामने रखना चाहिए। केवल यही एक घोटाला नहीं बल्कि उनके समय में जितने भी घोटाले हुए हैं मैं उन सब घोटालों की जांच की मांग करता हूं। वे सब घोटाले इस सदन के सामने लाए जाने चाहिए। सी० बी० आई० ने करोड़ों रुपए की सम्पत्ति उनके घर से, गोदामों से बरामद की है इसके बाद भी अभी तक सी० बी० आई० ने उनके खिलाफ वारंट इश्यू क्यों नहीं किए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को जिस प्रकार से कागज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं वह गलत है और उनको सारे कागज उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि जांच को सही दिशा दी जा सके।

उपाध्यक्ष जी, मैं रखैल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस प्रकार से सी० बी० आई० ने देखा कि अलग-अलग घर बने हुए थे और उनके अंदर महिला मित्र भी थीं, तो उससे हमारे समाज के अंदर किस तरह का आदर्श उपस्थित किया जा रहा है। एक के बाद दूसरे घोटाले सामने आ रहे हैं। आज हमारे कांग्रेसी मित्र चुप बैठे हैं जो पहले हमारा विरोध कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया।

उपाध्यक्ष जी, दो नम्बर के रुपयों के लिए वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम है। आपको चाहिए कि जो जन-प्रतिनिधि भ्रष्ट हो गए हैं उन भ्रष्ट लोगों के लिए भी एक वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम लाई जानी चाहिए ताकि जो रुपया वे विभिन्न घोटालों के अंदर डकार गए हैं उसका खुलासा वे कर सके।... **(व्यवधान)** सबका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर ही इतने सारे चार्ज लगे हुए हैं और इतनी सारी इंक्वारियां चल रही हैं, तो ऐसे लोगों को वालंटरी डिस्क्लोजर स्कीम का लाभ दिया जाए ताकि वे स्वयं ही अपनी सम्पत्ति का डिस्क्लोजर कर सकें और सरकार इनको थोड़ी सी राहत दे सके। मैं यह मांग करता हूं कि हाउस की एक कमेटी बनायी जानी चाहिए और सुखराम जी का पासपोर्ट तुरंत जब्त करना चाहिए। इनका बेटा भी मंत्री है, उसके ऊपर भी नजर रखी जानी चाहिए। सुखराम जी के बेटे किस प्रकार से उनके कार्यकलापों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं इस पर भी नजर रखी जानी चाहिए। मैं इसकी भी मांग करता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री नाईक बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मुझे बोलने के लिये कहा गया है **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं यह जानता हूं कि आपको बोलने के लिये कहा गया है। क्या आप इसी विषय पर बोल रहे हैं? **(व्यवधान)** तब आप बोलें।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री एस. बंगारप्पा (शिमोगा) महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक सुझाव देना चाहता हूं। अनेक सदस्यों ने इस विषय पर बोलने के लिये नोटिस दिये हैं। अनेक नये माननीय सदस्य सदन में चुन कर आये हैं। हमें नहीं पता कि पूर्व चर्चा में क्या बातें कही गईं। शायद नये माननीय सदस्यों के भी वहीं विचार हों। मेरा यह कहना है कि यह छोटा मामला नहीं है। यह एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर सदन में चर्चा की जानी चाहिये। आप कृपया सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दें ताकि वे चर्चा में भाग ले सकें और इस विषय पर अपने विचारों से सदन को अवगत करा सकें। इस पर किसी विशेष नियम के अधीन पृथक से चर्चा करवायें। यह सामान्य सुझाव है। आप इस पर विचार करें। यह अच्छा होगा कि यदि अन्य सदस्यों को भी इस विषय पर बोलने का अवसर मिले और वे इस विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकें– **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि कुछ और लोगों ने भी नोटिस दिए हैं और वे ऑनरेबल स्पीकर के पास हैं। वह शायद नियम 184 के अन्तर्गत इसको कंसिडर करने जा रहे हैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस इश्यू को यहां क्लोज कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, मैंने श्री सुखराम के आचार की जांच करने के लिये सदन की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया था क्योंकि उन्होंने बहुत ही अनुचित व्यवहार किया है जिससे सभा की प्रतिष्ठता को आघात पहुंचा है। जैसे कि 45 वर्ष पूर्व श्री एस० सी० मुदगल ने एक प्रश्न पूछने और कुछ संशोधन प्रस्तुत करने के लिए 2,000 रुपये लिये थे और उस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री और

सभा ने एक समिति का गठन किया था। इस बार भी एक समिति का गठन किया जाना चाहिये। मैं शून्य काल में यह मुद्दा नहीं उठाना चाहता। लेकिन मैं प्रस्ताव के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करूंगा। अतः यह अच्छा होगा यदि आप प्रस्ताव की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है और वह इस मामले में निर्णय लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि आपने मेरा नोटिस देखा नहीं होगा। इसके बारे में मेरा आग्रह है कि हाउस की एक कमेटी बननी चाहिए और इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार का काम किया, उसकी भी इनक्वायरी होनी चाहिए। सी० बी० आई० इनक्वायरी के साथ-साथ क्रिमिनल केस भी चलना चाहिए। हाउस के मैम्बर्स किस प्रकार का बिहेव करें, उसके लिए हाउस की एक कमेटी की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने नोटिस दिया है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, 26 तारीख को सब दलों के नेताओं की बैठक थी। उस बैठक में माननीय सदस्यों ने सुखराम सहित अन्य विभिन्न मामलों पर विचार किया। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने बैठक में भाग लिया था। मैंने वहां उपस्थित माननीय अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया था कि यदि माननीय अध्यक्ष सुखराम के मामले पर चर्चा की अनुमति देते हैं तो हम चर्चा के विरुद्ध नहीं हैं।

दूसरे, हमने यह कहा था कि चूंकि इस मामले पर काफी कुछ समाचार पत्रों और जांच एजेंसियों के प्रेस सम्मेलनों में कहा जा चुका है, यह मामला बहुत गम्भीर हो गया है। इस बता को ध्यान में रखते हुए यदि सदन की समिति अथवा स्थायी समिति नियुक्त कर अथवा अन्य प्रकार से इस मामले में कार्यवाही करने का कोई सर्वसम्मत निर्णय लेता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने यह भी कहा है कि हमें बोफर्स और प्रतिभूति घोटाले के सम्बन्ध में संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति का पहले अनुभव रहा है। जब एक आपराधिक मामला चल रहा हो तो संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति से समस्या का समाधान नहीं होता। यदि सभी दलों की यही राय है, तो हम इसका विरोध नहीं करते। कुछ माननीय सदस्यों का हमारी ओर इशारा था और वे हम पर आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में पहले कोई कार्यवाही नहीं की। हमें चुनावों में इस बात का हर्जाना उठाना पड़ा जब हमारे अनेक वरिष्ठ नेताओं को, जिनके विरुद्ध जांच जारी थी, टिकट नहीं दिये गये। पहले भी श्री राजीव गांधी के शासन काल में जब श्री अब्दुल गनी खां चौधरी के विरुद्ध रिपोर्ट थी तो उनसे त्याग पत्र देने के लिये कहा गया था... **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : मैंने मामला उठाया था **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : जी, हां। आपने मामला उठाया था। इसके बाद यह पाया गया कि वह वह नहीं ठीक था। लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अतः यह कह कर राजनीतिक खेल न खेलें कि कांग्रेस इस मामले में बाधा डाल रही है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : आपने 15 दिन पहले क्यों किया था?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : बल्कि हमें इस बात पर आश्चर्य है कि सभा में इस मामले पर पिछले चार दिनों में चर्चा क्यों नहीं की गई। वे अब इस मामले को उठा रहे हैं। लेकिन हम इसके लिये सभा के सत्र के पहले ही दिन से मानसिक रूप से तैयार होकर आये थे। अतः हम इस मामले में किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं। सभा जो भी निर्णय लेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। यह बात स्पष्ट होनी चाहिये... **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य : इस बारे में सरकार की क्या राय है?... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस वक्तव्य के एक मांग भाग के प्रति मुझे आपत्ति है। बोफोर्स तथा प्रतिभूति घोटाले सम्बन्धी नियुक्त संयुक्त संसदीय समिति के विभिन्न पहलु थे। बोफर्स सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति का समस्त विपक्ष ने बहिष्कार किया था। लेकिन अन्य संयुक्त संसदीय समिति के मामले में ऐसा नहीं हुआ था। इसने बैंक घोटाले सम्बन्धी जानकारी देकर देश के प्रति अपना दायित्व निभाया। अतः सभा में इस प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।... **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यह मामला आज उठाना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह बहुत गम्भीर मामला है। आज जब समस्त राष्ट्र भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, सी० बी० आई० न्यायालय के कहने पर एक एजेंसी के रूप में उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सब मामलों की जांच कर रहा है। इस समय मैं संविधान के अनुच्छेद 26 के उपबन्ध को उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

"(ख) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का, (घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का" यह प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को प्रभावित करने वाले किसी मामले महिलाओं की गरिमा को प्रभावित करने वाले किसी मामलों, और अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के बारे में भी इस सभा में समय-समय पर चर्चा होती रही है। आज मुझे यह उल्लेख करते हुए दुख होता है कि बंगाल में मुसलमानों की वक्तव्य सम्पत्ति के संबंध में 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि के घोटाले का पता लगा है। इसका पता लगने पर भी इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच क्यों नहीं करवाई गई?... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी, यह राज्य का विषय है।... **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० दासमुंशी : जी, नहीं। यह राज्य का विषय नहीं है। **(व्यवधान)** यह अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मामला है **(व्यवधान)** यह राज्य का विषय नहीं है ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अपना भाषण जारी रखें। **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० दासमुंशी : बंगाल के महालेखाकार ने अनियमितताओं के बारे में टिप्पणी की थी और इस बड़े वक्फ घोटाले की आलोचना की थी।... **(व्यवधान)** इसका भेद खुल गया है।... **(व्यवधान)** एक समिति अथवा दूसरी समिति का गठन कर समस्त मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, पहले उन्हें अपनी बात समाप्त कर लेने

दीजिये।

श्री पी० आर० दासमुंशी : महोदय, हम हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं।... **(व्यवधान)** वे अल्पसंख्यक है वे मुस्लिम है और वे चिल्ला रहे हैं **(व्यवधान)** श्री बनातवाला इसे जानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उनकी कठिनाइयाँ क्या हैं **(व्यवधान)** मैं वक्फ सम्पत्ति सम्बन्धी सभी घोटाले की शीघ्र ही सी० बी० आई० द्वारा जांच किये जाने की मांग करता हूं। यह लगभग 1000 करोड़ रुपये का घोटाला है... **(व्यवधान)** उन्हें संविधान के अनुच्छेद 26 के अन्तर्गत संरक्षण की आवश्यकता है। **(व्यवधान)** जहां तक सुखराम का मामला है, इसकी जाँच उच्च स्तर पर चल रही है। और हमने कहा है कि जो भी संसद निर्णय लेगी हम वही करेंगे और कांग्रेस इस निर्णय का पालन करेगी... **(व्यवधान)** अतः इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों जिनका सत्तारूढ़ दल द्वारा संरक्षण और बचाव किया जाता है, के किसी एजेंसी पर न छोड़कर, सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जानी चाहिये। सी० बी० आई० को इनकी जांच के निर्देश दिये जाने चाहिये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सब बाते कह चुके है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० दासमुंशी : उसको लूटा और डाका डाला गया है। यह बात सभी लोगों की जानकारी में है। इस बारे में जांच क्यों नहीं की गई? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री पी० आर० दासमुंशी : वक्फ बोर्ड राष्ट्रीय विषय है। **(व्यवधान)** यह धर्मनिरपेक्षता का मामला है। **(व्यवधान)**

सी० बी० आई० को इस मामले की जांच करनी चाहिये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री चटर्जी, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे?... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शालीनता बनाये रखें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे कुछ बोलने का असर देंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बनातवाला और श्री चटर्जी दो आदमी इस पर बोलेंगे।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पून्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड के कार्यकरण में गम्भीर अनियमितताएं कदाचार के गम्भीर मामले सामने आये हैं। न्यायिक सचिव की इस बारे में रिपोर्ट भी है। रिपोर्ट आंख खोलने वाली है। पश्चिम बंगाल से मेरे दोस्त माननीय सदस्य हैं। **(व्यवधान)** *

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : यहां तक कि महालेखाकार ने भी इन सब अनियमितताओं और कदाचारों का उल्लेख किया है। 1000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि इस बारे में हम पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में कोई देरी नहीं की जानी चाहिये और यथासम्भव सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

वक्फ से सम्बन्धित कल्याण मंत्री हैं। गृहमंत्री यहां हैं। उन्हें इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये। उन्हें सभा को इस बात की जानकारी अवश्य देनी चाहिये कि वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कदाचारों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी बोलें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दो आदमी की पार्टी है और दोनों ही आदमी बोलेंगे। **(व्यवधान)** मैं श्री दासमुंशी को हो रही परेशानी समझता हूं। **(व्यवधान)**

श्री पी० सी० चाको (मुकुन्दपुर) जो लोग भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं व दोहरी नीति अपना रहे हैं... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्वयं नियुक्त व्यक्ति इस देश की वित्तीय अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। जब लोगों ने अपना अधिमत दे दिया है तो आप यह प्रश्न क्यों उठा रहे हैं। लोगों ने अपना अभिमत दे दिया है और इसलिये वे वहां गये हैं, महोदय ... **(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट : क्या आपने अपने दायें और देखा है? तब आप हमारी ओर संकेत क्यों कर रहे हैं? कृपया इस प्रकार का दावा न करें। लोगों ने बहुत सोच-समझकर अपना मत अभिव्यक्त किया है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पायलट जी उन्हें बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ धैर्य रखें। उन्हें अपनी बात कह लेने दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं चुपचाप सुन रहा था और कभी बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। यहां सब प्रकार के निर्णयों का उल्लेख किया गया है और मुझे नहीं पता कि किस माननीय सदस्य को इस बारे में विस्तृत जानकारी है... **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला : हमारे पास न्यायिक सचिव की रिपोर्ट है... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात सब ने सुन ली है। अब उनकी बात भी सुनने दीजिये, श्री बनातवाला।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें इस बात की जानकारी है कि न्यायिक सचिव की रिपोर्ट पर मुख्य मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था और उसे पश्चिम बंगाल विधान सभा में रखा गया था। उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे किसी भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता

नहीं है। हम ईमानदारी अथवा भ्रष्टाचार से नहीं खेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के निर्देश दिये थे। अब अनेक मामलों में वे न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। जब एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दिये जाते हैं तो केवल राजनीतिक प्रयोजनार्थ उन्हें न्यायपालिका में विश्वास नहीं होता।

महोदय, यह प्रश्न उठाना बिल्कुल अनुचित है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस चर्चा को जारी नहीं रखा जाना चाहिये। कहीं भी भ्रष्टाचार को स्वीकृति देने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। मैं सदन को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि दोषी व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी अतः उन्हें कुछ धैर्य रखना चाहिये। वे न्यायपालिका की बात तब करते है जब वह उनके लिये उपयुक्त होती है। अब जब न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं तो उनका धैर्य-समाप्त हो गया है। उन्होंने जो यहां तस्वीर खींची है मैं उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार श्री बनातवाला ने संसद सदस्यों के बारे में उल्लेख किया है वह संसद में अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार का उचित तरीका नहीं है। हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं; हम यह सब बातें जानते हैं। मैं उनके आरोपों का जोरदार शब्दों में खंडन करता हूं... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आपके विचार रिकार्ड में शामिल हो गये हैं। कृपया बैठ जाये। उनको अपनी बात कहने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। आप अपनी बात कह चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : केन्द्रीय सरकार इतने गम्भीर मामले पर चुपचाप बैठी नहीं रह सकती... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? आप दोनों बैठ जायें। श्री चन्दूभाजरा अब बोलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह भद्र पुरूष को शोभा देने वाली बातें नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : हम भी इस सभा के सदस्य हैं। हमें भी यह जानने का अधिकार है कि सरकार का इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही करने का विचार है... (व्यवधान) श्री सोमनाथ चटर्जी सदस्य नहीं हैं... (व्यवधान) हम जानना चाहते हैं... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जायें। मैंने एक अन्य सदस्य प्रो० चन्दू माजरा का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : हम मंत्री महोदय से इस बारे में वक्तव्य चाहते हैं... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अपनी बात कह चुके हैं अब और सदस्यों को भी अपनी बात कहने दें। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो परसों माननीय जज ढींगरा साहब ने दिया। वर्ष 1984 के दंगों के जितने कल्प्रिट थे, कुल 89 लोगों को उन्होंने कन्विक्ट किया है। औनरेबल जज ने जब अपना जजमेंट सुनाया तो उसमें कई लोगों के खिलाफ सख्त स्ट्रिक्चार को पास किए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप न्यूजपेपर में से मत पढ़िए।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उस वक्त पोलिटिकल मास्टर्स थे, उनके बारे में औनरेबल जज ने बोला है... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप न्यूजपेपर में से मत पढ़िए। जो कुछ पहले आपने पढ़ा हो, वही बता दीजिए।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : पोलिटिकल मास्टर्स के बारे में औनरेबल जज ने कहा है—

जिन्होंने इन सब घटनाओं की योजना बनाई वे अभी तक फरार हैं।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि औनरेबल जज ने अपने जजमेंट में जो स्ट्रिक्चर पास किए हैं, उसके आधार पर क्या सरकार के द्वारा इन्वैस्टीगेशन कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि इन्वैस्टीगेशन होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली में जो हीनियस क्राइम हुआ था, दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह सिखों का कत्ले-आम हुआ था, उसके पीछे पोलिटिकल मास्टर्स थे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको शायद याद होगा और इस हाउस के बहुत से माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि इन दंगों के पीछे जो पोलिटिकल मास्टर्स थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन दिनों वे बहुत हैसियत पर थ, बड़े पोलिटिकल नेता थे। जब सिखों का कत्ले-आम हो रहा था तो प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि यह कत्ले-आम क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा था 'जब कोई बड़ा दरख्त डिगता है तो धरती कांपती है'— यह कैसी शर्मनाक बात थी।

आज देर जरूर हुई है लेकिन अंधेर नहीं। कोर्ट के इस डिसीजन के बाद आज हमें तसल्ली जरूर हुई हैं, कुछ संतुष्टि जरूर हुई है, मगर जो जस्टिस डिलेट इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है, जिन लोगों ने इसके पीछे कांस्पीरेसी की, जिन लोगों ने मैनेज करके हजारों बहनों का विधवा बना दिया, हजारों माताओं के अरमानों का गला घोंटा, उनकी आज कोई सुनवाई न हो, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया मगर उस कांड के पीछे जो रियल कल्प्रिट है, जो पोलिटिकल मास्टर्स हैं, जिन नेताओं ने उस समय बोला था कि बड़े दरख्तों के डिगने से धरती कांपती है; उनके खिलाफ इन्वैस्टीगेशन जरूर होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में इंक्वायरी होनी चाहिए। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि यह एक इम्पौर्टेंट मसला है, इस मामले में पूरी इन्वैस्टीगेशन होनी चाहिए। क्या सरकार ऐसी इन्वैस्टीगेशन कराएगी? मेरी मांग है कि इस मामले को इन्वैस्टीगेट करने के लिए सी० बी० आई० को सौंप दिया जाए क्योंकि सी० बी० आई० ने इन दिनों कई बड़े-बड़े पोलिटिकल मास्टर्स को कान से पकड़ कर सामने लाया है, चाहे पानी स्कैंडल हो, यूरिया स्कैंडल हो, बोफोर्स स्कैंडल हो या कोई दूसरी स्कैंडल हो। मैं चाहता हूं कि इस मामले की इंक्वायरी का काम सी० बी० आई० को सौंप देना चाहिए ताकि 1984 के सिखों के कत्ले-आम के जिम्मेदार रियल कल्प्रिट्स का पता लगाया जा सके, उन्हें सामने लाया जा सके, उन्हें सजा दी जा सके। होम मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वैस्ट है कि इम्पार्शयल इंक्वायरी की घोषणा सदन में करें।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बस काफी हो गया।

श्री बसन्त सिंह खालसा (रोपड़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मामला है। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, उस पर देश की बहुत बड़ी अदालत ने फैसला दिया है। उसने यह साबित कर दिया है कि इसमें फंसे हुए जो बड़े लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जिन लोगों का बड़ा भारी हाथ था, जिन लोगों ने सारा काम किया था उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि होम मिनिस्टर इस पर आज ही बयान दें और कहें कि इसकी इंक्वायरी कराएंगे। उन लोगों ने भयंकर कत्लेआम किया है, कई औरतों को विधवा कर दिया है जिससे देश की बड़ी भारी तौहीन हुई है। इससे देश को सारे संसार में नीचे देखना पड़ा है। ऐसे लोगों की इंक्वायरी करके उन्हें देश और इस हाउस के सामने लाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमें प्रसन्नता है कि कम से कम इस मामले में कोई प्रक्रिया तो आरम्भ हुई। समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्णय में विद्वान मजिस्ट्रेट ने गम्भीर टीका-टिप्पणी की है। अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों, उच्च पदाधिकारियों के विरूद्ध मुकदमे चलाये जाने चाहिये। यह एक ऐसा मामला है जिस पर गम्भीरता से कार्यवाही की जानी चाहिये। इस मामले से बड़ी संख्या में लोग सम्बद्ध हैं। राजधानी में कत्लेआम हुआ था। अतः इस मामले पर, विशेषकर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के संदर्भ में, गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। हम यह जानना चाहेंगे कि सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है। मैं गृहमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर, यदि अभी नहीं, तो उचित समय पर वक्तव्य दे, जिसमे इस बारे में सरकार के विचारों से अवगत कराये। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और इस ओर उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में एक बात कहना चाहूंगा। चटर्जी साहब ने कहा यह बड़ा रिविलिंग जजमेंट है। उसमें कुछ कल्प्रिट्स सामने आ गए और कुछ कल्प्रिट्स ऐसे हैं जो पोलिटिक्स माध्यम से बचे हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से यह मांग करता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जाए और अंदर जो गिल्टी लोग हैं उनको पनिशमेंट दें।

दूसरा, सारे हाउस को इस जजमेंट के लिए दिल्ली की बी० जे० पी० सरकार, जिसके मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना थे, उनको बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने दो साल के अंदर सारे कस पर्सू करके जो दोषी थे उनको सजा दिलाई है। हिन्दुस्तान की माइनोरिटी कम्प्युनिटी, जिसके गुरूओं ने देश के लिए बलिदान किया था, जिन लोगों ने उस कम्युनिटी के लोगों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया, उन लोगों को जेल की कोठरी तक पहुंचाया। इसके लिए बी० जे० पी० और उसकी सरकार को बधाई देनी चाहिए।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं खुर्जा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के जेवर, दादरी और सिकंदराबाद क्षेत्र भयंकर बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। मैं पिछले एक महीने से प्रशासन से कह रहा हूं कि यह कच्चा पुश्ता है, इसकी हालत खराब है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज सुबह जब मैं वहां गया तो देखा कि वह पुश्ता 90 प्रतिशत कट चुका था। उसके कटने से और आने से मेरे क्षेत्र के 30-35 गांव डूब जाएंगे, जो सिकंदराबाद क्षेत्र के हैं। उसके दूसरी तरफ पुश्ता है। उसका पानी नहीं निकलेगा तो वहां के लोग बर्बाद हो जाएंगे। उनकी फसलें डूब चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि पुश्ते का पक्का बनाया जाए और जिन अफसरों ने वहां नेगलिजेंसी बरती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद और बुलंदशहर के डी० एम० वहां बैठे हैं। मैं परसों भी उनको कहकर आया हूं कि यह हालत हो रही हैं, इसलिए यहां सेना को बुलाया जाए। आज जब मिलिट्री को बुलाया है तो मैंने मिलिट्री के मेजर ओ० पी० परसवाल से बात की। वे कहने लगे कि हमें सिर्फ बुलाया गया है और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है कि हम बाढ़ को रोके। हम तो सिर्फ बचाव के लिए आए हैं। जब डूब जाएंगे तो लोगों को यहां से निकालकर ऊपर ले जाएंगे।

मेरे बड़े भाई श्री राजेश पायलट जी वहीं से आते हैं, उसी क्षेत्र से बिलौंग करते हैं। वहां हर साल पचासों गांव बाढ़ में डूब जाते हैं। जेवर डूब चुका है, सिकदरांबाद डूबने के लिए तैयार है। मैं सुबह 9.30 बजे वहां से वापस आया हूं और अब तक वह पुश्ता पूरी तरह टूट चुका होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। संसदीय कार्य मंत्री को इस बारे में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से अवश्य बात करनी चाहिये। वहां स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हैं। माननीय सदस्य का कथन सच है। यदि पुश्ते की मरम्मत अथवा उस पर काम नहीं किया गया तो आगामी कुछ दिनों में बाढ़ से 90 गांव पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे।

अपराह्न 1.00 बजे

सरकार को उत्तर प्रदेश प्रशासन को विश्वास में लेना चाहिये और उसे इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अनुरोध करना चाहिये। माननीय सदस्य की यह बात सच है कि वहां सेना को भेजा गया है क्योंकि उन्हें बताया गया है कि वहां आदमी डूब रहे हैं। मंत्री महोदय को संसद की भावना से राज्यपाल को अवगत कराना चाहिये और उनसे कहना चाहिये कि वह लोगों की जान बचाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के साथ आज शाम यहां पहुंच जायें।

[हिन्दी]

अब मेरे बड़े भाई आप बैठें हैं, ये कह रहे हैं कि बलिया के बारे में कुछ बतायें। बलिया के बारे में ये बतायेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को इस बारे में गम्भीरता से ध्यान देना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : सरकार ने यह बात नोट कर ली है। उत्तर प्रदेश प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

[हिन्दी]

अशोक प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने क्या किया है, वहां रोड के बहाने एक पुस्ता बना दिया जिसके कारण साथ पानी इधर आ रहा है। इसलिए मेरे क्षेत्र के बहुत सारे गांव डूब रहे हैं।..: **(व्यवधान)**

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, बलिया और गाजीपुर में जो स्थिति है,... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर चौबे मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री नवल किशोर शर्मा को बोलने के लिए कहा है। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है; **(व्यवधान)**

डा० एम० पी० जायसवाल (सेतिया) : अध्यक्ष महोदय, आपने "नवल किशोर शर्मा" का नाम बोलने के लिए पुकारा है और बोलने के लिए खड़े हुए हैं "नवल किशोर राय" **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर चौबे, कृपया आप बैठ जाएं। मैंने नवल किशोर शर्मा को बोलने को कहा है न कि आपको। मैं आपको बाद में समय दूंगा।... **(व्यवधान)**

डा० एम० पी० जायसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर चौबे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जब मैं आपका नाम बोलने के लिए पुकारूंगा, तो आप बोल लें।

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से सदन में उठाना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी भी आज यहां मौजूद हैं। दिल्ली के जो गांव हैं उनमें गरीब और जो छोटे किसान लोग रहते हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन है वे आज फटे हाल हैं। इसी संसद में एक साल पूर्व दिल्ली किराया कानून बना और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए वेट करता रहा। बाद में उस पर उनके हस्ताक्षर हुए और उसने कानून का रूप ले लिया, लेकिन आज उस संशोधित विधेयक को कानून बने हुए एक साल हो गया, परन्तु उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि आज जन्तर-मन्तर पर दिल्ली देहात के लोग इसको लागू करने हेतु धरने पर बैठकर न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश में विधेयक को कानून बने हुए एक वर्ष हो गया है लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाया जा रहा है। आपके जरिये मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मेरा गृह मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन है कि उस कानून को लागू करें और धरने पर बैठे लोगों से बात करके उनके धरने को तुड़वाएं।... **(व्यवधान)**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस किराया कानून को लागू करने के बारे में दिल्ली की 90 प्रतिशत जनता विरुद्ध है। इस बारे में शायद नवल किशोर राय जी को मालूम नहीं है। इस देश की सारी पार्टियां इस कानून के खिलाफ हैं।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो भी कह रहे है उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री नीतिश भारद्वाज (जमशेदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान जमशेदपुर के निकट स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कार्य कर रहे 10,000 कर्मचारियों के बीच चिन्ता तथा भय का वातावरण विद्यमान हैं। यह कम्पनी तांबें का खनन करती है। इसके तीन खनन क्षेत्र– मोसाबानी केन्दादिह और राखा हैं। मोसाबानी खान में उन्हें भूतल से लगभग 1000 मीटर नीचे कार्य करना पड़ता है। स्पष्टतया इसकी गहराई बहुत अधिक है। अतः उन्हें 'स्ट्राटा नियंत्रण', रोशनदान, जल निकासी और वातावरण सम्बन्धी गहन खनन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गहन खनन के कारण उत्पादन लागत बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा नये बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा ताँबा कैथोड पर शुल्क में कमी किये जाने से... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : भारद्वाज जी, शून्य काल में पढ़कर नहीं बोला जाता। आप ऐसे ही बोलिये।

श्री नीतिश भारद्वाज : मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं यह जानकारी दे रहा था कि इन दो मदों पर शुल्क में कमी कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप उनको खुले बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि उनके पास 469.63 हैक्टेयर खनन क्षेत्र है जिसका पट्टा रद्द किया जा चुका है। उनके पास पहले इसका पट्टा था लेकिन इसे राज्य सरकार द्वारा किसी कारणवश रद्द कर दिया गया था। उन्होंने सब विनियमों का पालन किया था। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया था। खनिज मंत्रालय ने कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने संयुक्त उद्यम के लिये विश्व टैंडर का अनुरोध किया था ताकि उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता न पड़े। मेरा विचार है कि उक्त कम्पनी केवल श्रमिक बल के आधार पर चल रही है। मोसाबानी खानों और उसकी कम्पनी के शीघ्र बन्द होने की सम्भावना है। प्रबन्धन समस्त श्रमिक बल को मोसाबानी खानों से छपरी और सिद्धेश्वर क्षेत्र को स्थानान्तरित करना चाहते हैं, और उनका संपूर्ण विस्तार कार्य इस क्षेत्र के पट्टे पर आधारित हैं। मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि इस कम्पनी को, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, यह क्षेत्र पट्टे पर क्यों नहीं दे दिया जाना चाहिये और उसे पट्टे को दिये जाने पर विचार किया जाना चाहिये। इसे एक निजी कम्पनी स्टटलाइट माइनिंग कम्पनी को दिये जाने पर विचार क्यों किया जाना चाहिये। सरकारी कम्पनी के पास पट्टा पहले ही था। अतः इसी कम्पनी को पट्टा दिया जाना चाहिये। अन्यथा यह कम्पनी शीघ्र बन्द हो जायेगी। और इस कम्पनी के 10,000 कर्मचारियों में चिन्ता और बेरोजगारी का भय बना हुआ है।

जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार और विशेष रूप से बिहार के इस क्षेत्र में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। केवल खनन कार्य होता है। मैं नहीं समझता कि इस व्यापार को बंद करना उचित होगा जो कि बहुत अच्छी तरह चल रहा है।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जेना जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप लंच ऑवर चाहेंगे या नहीं। अभी नियम 377 भी बाकी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस का कनसैन्सस क्या है? आप लंच ऑवर चाहते हैं या नहीं क्योंकि अभी बजट की डिस्कशन भी शुरू होनी है।

श्री श्रीकान्त जेना : अभी नियम 377 है। उसके बाद नियम 193 के अधीन चर्चा है और फिर बजट पर डिस्कशन है यदि हम लंच ऑवर स्किप करके अभी 377 को ले लें तो यह ठीक रहेगा।..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस का कनसैन्सस क्या है?

(व्यवधान)

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : आपने जो आश्वासन दिया था। उसका क्या हुआ?... **(व्यवधान)** मुझे अवसर नहीं दिया गया **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पूछ रहा हूं कि लंच ऑवर होगा या नहीं?

(व्यवधान)

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : हम भोजनावकाश नहीं करेंगे, महोदय। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त होता है। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेंगे।

श्री मंगल राम प्रेमी : व्यवधान

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : आप धरने पर बैठे हुए लोगों की बात सुन रहे हैं।... **(व्यवधान)** जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है।... **(व्यवधान)** हजारों-लाखों लोग ऐसे पड़े हैं, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सदन में यही विचार होता है तो मैं समझता हूं कि यह देश की जनता के लिए न्याय की जगह नहीं है।... **(व्यवधान)**

अपराह्न 1.08 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.10 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.10 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.16 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.16 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केलकर समिति की सिफारिशों के अनुसार इंडियन न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष जी, न्यूज प्रिंट पेपर के भारतीय उत्पादकों का, जिसमें हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट भी शामिल है, अपने उत्पादित न्यूज प्रिंट को बेचने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसका मुख्य कारण ओ. जी. एल. आधार पर कस्टम मुक्त विदेशी न्यूज प्रिंट मंगाने की छूट है, जिसकी वजह से भारत से उत्पादित न्यूज प्रिंट पेपर मिलों के पास जमा हो रहा है।

मैं सरकार से इस सम्बन्ध में मांग करता हूं कि केलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्यूज प्रिंट पेपर उत्पादकों को उपयुक्त संरक्षण देने का कष्ट करे।

(दो) केरल राज्य को तटीय क्षेत्र विनियमन के कार्य क्षेत्र से विमुक्त किये जाने की आवश्यकता।

श्री पी० सी० चाक्को (मुकंदपुरम) : पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लागू किये जा रहे समुद्र तटीय क्षेत्र विनियमन केरल जैसे राज्यों के लिये बड़ी कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। केरल एक तटीय क्षेत्र राज्य है, सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में इसका तटीय क्षेत्र 700 किलोमीटर फैला हुआ। इसके लिए समुद्र तटीय क्षेत्र में निर्माण पर लगे प्रतिबन्धों का पालन करना सम्भव नहीं है। हाल ही के एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार उच्च ज्वार भाटा क्षेत्र से 500 मीटर दूर के क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किये जाने की अनुमति है। केरल के तटीय क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर मछुआरों की आवास कालोनियां है और मत्स्य पालन और मत्स्य उद्योग से जुड़े वाणिज्यिक निर्माण हैं। समुद्र तट के किनारे तथा नदियों के किनारे किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने से केरल में पर्यटन की सम्भावनाएं बहुत अधिक प्रभावित होंगी। केरल की अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिये नावचालन पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणामस्वरूप नावचालन (बैंकवाटर) स्थल से 200 मीटर के भीतर कोई भी निर्माण कार्य सम्भव नहीं होगा।

पर्यावरण मंत्रालय केरल जैसे तटीय राज्यों को इस प्रतिबन्ध से भुला कर कोई ऐसी नीति तैयार कर सकता है तथा केरल जैसे राज्यों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्माणों को विनियमित कर सकता है बजाये इसके कि इस तथाकथित नीति को यांत्रिक रूप से लागू किया जाये जिससे राज्य के आर्थिक विकास में बाधा पड़े।

(तीन) आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से अधिक धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, जल-भूतल मंत्रालय ने दिनांक 3.1.1989 को राज्य सरकारों को भेजे गये अपने पत्र में सूचित किया है कि संसद द्वारा 13.5.1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश को प्रतिवर्ष 202.86 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह वर्ष 1989-90 से 1994-95 तक की 6 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यक्रम में शामिल किये जाने वाले कार्यों की एक कार्य सूची तैयार करे। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, जल-भूतल मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत धनराशि जारी करने हेतु भारत सरकार को 25 कार्य मदों की सूची भेजी है।

महोदय, भारत सरकार ने अब तक 20.09 करोड़ रुपये की लागत के केवल 6 कार्य मदों को ही मंजूरी दी है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में सड़क प्रणाली, जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, की मरम्मत के लिये वर्ष 1995-96 में 80 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है। लेकिन यह राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, शेष 19 कार्य मदों को भारत

सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इससे यह पता लगता है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये इस निर्देश का कि आंध्र प्रदेश को प्रतिवर्ष केन्द्रीय सड़क निधि से 202.86 करोड़ रुपये जारी किये जायें का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में सड़कों के विकास के लिये समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह आंध्र प्रदेश द्वारा भेजे गये शेष 19 कार्यों को शीघ्र मंजूरी दे और संसद द्वारा पारित संकल्प के अनुसार आंध्र प्रदेश में सड़कों के विकास के लिये नियमित रूप से राशि जारी करे।

(चार) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बैराज के जल ग्रहण क्षेत्र में जमा गाद और रेत को नियमित रूप से निकालने के लिये कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता।

श्री सुबोध खान (दुर्गापुर) : पश्चिम बंगाल में बांकुरा और बर्दमान जिलों में हजारों एकड़ कृषि भूमि को बचाने और उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से वर्ष 1957 में दामोदर नदी पर दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया था। इसका उद्देश्य वर्षाकाल में पानी जमा कर शुष्क मौसम में सिंचाई के लिये पानी वितरित करना है। लेकिन इसके निर्माण के बाद दामोदर नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में गाद की निकासी के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप बांध में पानी की जमाव क्षमता बहुत कम रह गयी है। वर्ष 1978 में दामोदर नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा। न केवल बैराज टूट गया बल्कि हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि भी डूब गई और कृषि योग्य भूमि पर रेत की मोटी तह जम गई। इससे भूमि के उपजाऊपन में कमी आयेगी। सितम्बर, 1955 के अन्तिम सप्ताह में मलियारा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कुल्दिया, पिंगुरी, माधवपुर, नवपारा, बारजोन ग्राम पंचायत के अन्तर्गत जलानपुर और पोखन्निया ग्राम पंचायत के अन्तर्गत माना गांव फिर से बाढ़ के पानी में डूब गये हैं और इससे बाढ़ में कृषि योग्य भूमि पर टनों मिट्टी जमा हो गई है। इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि इस क्षेत्र के अधिकांश लोग गरीब कृषि मजदूर हैं और वे हमेशा के लिये बेरोजगार हो जायेंगे क्योंकि भूमि का उपजाऊपन हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा। इस बात के समाचार भी हैं कि बांकुरा जिले में पटरासयर और सोनामुखी पंचायत समिति क्षेत्रों के आस-पास बांध क्षेत्रों में अनेक दराड़ें पड़ गई हैं। पहले ही सैकड़ों एकड़ भूमि दामोदर नदी में हमेशा के लिये डूब गई है। स्थानीय लोगों की जान-माल और सम्पत्ति की रक्षा तथा कृषि भूमि के संरक्षण और दुर्गापुर और बारजोन क्षेत्रों में उद्योग के विकास के लिये मैं दुर्गापुर बैराज के अधिग्रहण क्षेत्र में वर्षों से जमा रेत और गाद की नियमित रूप से निकासी के लिये एक कार्य योजना तत्काल बनाये जाने की मांग करता हूं।

(पांच) कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से विशेष रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के मार्तण्डम में दूरदर्शन कार्यक्रम दिन भर प्रसारित किये जाने की आवश्यकता।

श्री एन० डेनिस (नगरकोइल) : महोदय, देश में अनेक कम शक्ति वाले ट्रांसमिशन केन्द्र पूरे दिन कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं करते हैं। इन्हें बहुत कम अवधि, सामान्यतया शाम 4.30 बजे के बाद आरम्भ किया जाता है। अतः इन कम शक्ति ट्रांसमिशन केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देखने वाले दर्शक निराश हो जाते हैं क्योंकि इनका प्रसारण पूरे दिन नहीं किया जाता। यह बात जानकारी में आई है कि पूरे दिन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। कर्मचारियों की कमी और उसके परिणामस्वरूप ट्रांसमिशन और कार्यक्रमों के समय में कमी किये जाने से दर्शकों में निराशा है। तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी जिले में मार्तण्डय में एक कम शक्ति वाला ट्रांसमिशन केन्द्र ऐसा ही है जिसमें कर्मचारियों की संख्या में कमी और अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण पूरे दिन कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया जाता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कम शक्ति वाले ट्रांसमिशन केन्द्रों में समुचित संख्या में कर्मचारियों का प्रबन्ध करने की तुरन्त व्यवस्था करे ताकि दर्शक पूरे दिन टेलीविजन का कार्यक्रम देख सके।

(छः) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में कोटीपल्ली और काकीनाडा के बीच रेलवे लाइन को पुनः चालू किये जाने की आवश्यकता।

श्री टी० गोपाल कृष्ण : (काकीनाड़ा) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में विश्व युद्ध के दौरान कोटीपल्ली और काकीनाड़ा के बीच एक रेल लाइन थी : युद्ध काल के दौरान कुछ रेल लाइनें जिनमें से एक का उल्लेख किया जा रहा है, बन्द कर दी गई थी; जबकि इनमें से अनेक अथवा अधिकांश लाइनें स्वतन्त्रता के बाद पुनः चालू कर दी गई थी। इस लाइन को जो लगभग 50 किलोमीटर लम्बी है, अभी तक चालू नहीं किया गया है। दसवीं लोक सभा के दौरान माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में इस लाइन को अपने बजट में शामिल किया था। मुझे पता लगा है कि इस बारे में एक सर्वेक्षण भी किया गया था। यह लाइन जब पुनः चालू हो जायेगी तो इससे कृषि की दृष्टि से सम्पन्न कोनासीमा क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा।

इस समय, इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बढ़ते हुए संचालन के कारण, सड़क परिवहन पर भारी दबाव आ पड़ा है। इसके अतिरिक्त, काकीनाडा एक महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र है। यहां चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य कालेज हैं : पत्तन और जिला मुख्यालय भी हैं। कोनासीमा क्षेत्र से प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी, किसान, व्यापारी और कर्मचारी काकीनाड़ा आते हैं। वे केवल सड़क परिवहन पर निर्भर करते हैं जो उनका भार वहन करने में असमर्थ है। कोनासीमा के व्यापारी/कृषक अपने उत्पादों को काकीनाडा पत्तन आसानी से भेज सकते हैं और इस प्रक्रिया में रेलवे को भी पर्याप्त राजस्व की आय हो जायेगी।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अपने पूर्ववर्ती मंत्री द्वारा इस लाइन को पुनः चालू करने का वायदा पूरा करें।

(सात) उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बाईपास का कार्य शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर में बाईपास सड़क का निर्माण हो रहा है। इसका निर्माण कार्य 10 वर्ष पहले शुरू किया गया था। भारत सरकार के मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया है। पिछले 5 वर्ष से सड़क का कार्य बंद पड़ा है। नदी तथा नाले पर पुल का बनना शेष रह गया है।

मान्यवर, ललितपुर नगर में झांसी, सागर तथा जबलपुर (म० प्र०) रोड मध्य से गुजरती है। दिन में 3-4 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहता है तथा वर्ष में 10-12 दुखदायी घटनाएं हो जाती है। अतः यह अति आवश्यक है कि सड़क का डामरीकरण तथा नदी व नाले पर पुल बनवाकर चालू किया जाए।

माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सड़क को चालू करने हेतु शेष कार्य को पूरा करने के तुरन्त निर्देश देने की कृपा करें।

(आठ) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर इंदौर और देवास के बीच बाईपास के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : गत कई सालों से राष्ट्रीय राजमार्ग मुबई-आगरा राजमार्ग पर इन्दौर-देवास के बीच बाईपास तथा फोरलेनिंग की कार्य योजना चल रही है। यह राजमार्ग शहर के बीच से गुजर रहा है। अतः हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है। गत कुछ सालों से विश्व बैंक के अंतर्गत इस बाईपास का सर्वे भी हो चुका है। कार्य में देरी होने से मूल लागत बढ़ सकती है। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसको अवलिंब प्रारम्भ किया जाए।

अपराह्न : 2.21 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन के फलस्वरूप हुई जनहानि।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करेंगे। इसके लिये दो घंटे का समय उपलब्ध है। श्री संतोष मोहन देव।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मैं अपना भाषण आरम्भ करने से पूर्व यह जानना चाहूंगा चूंकि दो दिन व्यतीत हो गये हैं, क्या गृह मंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं; क्योंकि समाचार पत्रों में बहुत से समाचार प्रकाशित हो रहे हैं जो कि उनके द्वारा दी गई जानकारी से बिल्कुल विपरीत हैं। चूंकि मैं सरकार को समर्थन देने वाले दल का एक सदस्य हूं इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचार सच हैं अथवा सरकार द्वारा दी गई जानकारी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में जानकारी दें ताकि हमारे लिये अपने विचार व्यक्त करना आसान हो सके।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य किस समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार का उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन मैं दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्राप्त कुछ अद्यतन जानकारी दे सकता हूं।

मुझे सभा को बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मृतकों की संख्या बढ़कर 194 हो गई है। पहले जब मैंने सदन में वक्तव्य दिया था तब मृतकों की संख्या 127 थी। यह बढ़कर अब 194 हो गई है। इन आंकड़ों को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है :–

वर्षा और हिमपात आरम्भ होने के बाद मरे तीर्थयात्री	–	165
मौसम खराब होने से पहले मरे तीर्थ यात्री	–	13
उस तीर्थ यात्रा में बोझा ढोने के काम में लगे कुली तथा यात्रियों को किराया लेकर घोड़े पर बैठाकर ले जाने वाले खच्चर वाले	–	12
सुरक्षा बल कर्मी	–	4

हमें उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार मरने वालों की कुल संख्या 194 हैं। इसमें 165 वें व्यक्ति शामिल हैं जिनकी मृत्यु वर्षा और हिमपात होने के बाद और मौसम खराब होने के बाद हुई।

112 शवों की पहचान की गई है। इनमें 96 शव यात्रियों के हैं, 12 शव स्थानीय कुलियों आदि के हैं और 4 शव सुरक्षा कर्मियों के हैं। अतः इस प्रकार पहचान किये गये शवों की संख्या 112 है।

जहां तक असैनिकों के शवों के दाह संस्कार का सम्बन्ध है, 164 शवों की अन्त्येष्टि की गई और 12 शवों को दफनाया गया; विमान द्वारा 11 शवों को ले जाया गया; आज सुबह समाचार प्राप्त होने तक 3 शवों को विमान द्वारा ले जाया जा रहा था। इससे कुल मृतकों की संख्या 194 हो गई है। 4 शव सुरक्षाकर्मियों के हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है।

श्री संतोष मोहन देव : मैं हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन 164 शवों का जिनका दाह संस्कार किया गया है उनके सम्बन्धियों ने पहचान कर ली थी अथवा नहीं... **(व्यवधान)** क्या कुछ ऐसे शवों को भी दफना दिया गया है जिनकी पहचान नहीं की गई थी क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि उन शवों की दशा बहुत बिगड़ती जा रही थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसाकि मैंने कल बताया था कि सामान्यतया केवल उन्हीं शवों का दाह संस्कार किया जाता है जिनके बारे में उनके मित्रों अथवा सम्बन्धियों से सहमति प्राप्त कर ली जाती है। लेकिन बाद में कुछ और शवों का दाह संस्कार किया गया क्योंकि उनकी पहचान किसी ने नहीं की और वे शव खराब हो रहे थे।

इस समय कुछ खोजी दल वहां कार्य कर रहे हैं। और पूरे तीर्थ यात्रा मार्ग की देखभाल कर रहे हैं। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक आज वहां गये हैं। वे मार्ग में स्थित सभी शिविरों का सर्वेक्षण करेंगे। इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि विशेष रूप से पंचतरणी और अमरनाथ की गुफा के बीच कुछ और शव मिल सकते है। कुछ शव उस क्षेत्र में हो सकते हैं। यदि ऐसा होगा, तो वहां कार्य कर रहे खोजी दल उनका पता लगायेंगे। लेकिन मैं यह बात निश्चित रूप से नहीं कह सकता। राज्य प्रशासन द्वारा हमें यही सूचना दी है **(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : गुम होने वाले लोगों/यात्रियों की संख्या कितनी है। उनके सम्बन्धी उनकी खोज कर रहे हैं लेकिन उन्हें वे मिल नहीं रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपका कहने का अभिप्राय यह है कि "गुम हुए व्यक्ति और उनके परिवार उनको नहीं मिल सके और इस प्रकार वे गुमशुदा हैं।" मेरे विचार से आप यही कहना चाहते हैं।

जहां तक मेरी जानकारी है, उन सभी व्यक्तियों के नाम प्रकाशित किये जा चुके हैं जिनके शवों की पहचान की जा चुकी है। पूरी सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी है। वास्तव में, ऐसे शवों की संख्या की जानकारी नहीं हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकी थी और यदि वे हिन्दू थे तो उनकी अन्त्येष्टि कर दी गई थी और यदि वे मुसलमान थे उन्हें दफना दिया गया था। मुझे बताया गया है अब पहलगांव में लगभग 3000 व्यक्ति बचे हैं। सड़कें खोल दी गई हैं। यातायात चालू है। शेष सभी यात्रियों को वाहनों द्वारा जम्मू जाने वाली सड़क से ले जाया जा रहा है।

राज्य प्रशासन के अनुसार अधिकांश मौतें शेषनाग तथा गुफा स्थित शिविरों,

तथा पंचतरणी, पोशपत्री व महागुणा के बीच लगाये गये छोटे शिविरों तथा इन शिविरों के बीच स्थित सड़कों पर हुई। यह भी बताया गया है कि केवल शेषनाग, पंचतरणी और गुफा स्थित शिविरों पर दूरसंचार व्यवस्था उपलब्ध है। अतः अन्तवर्ती छोटे शिविरों जैसे पोशपत्री और महागुणा के बारे में जानकारी निजी तौर पर एकत्र करनी पड़ रही थी। यह भी बताया गया है कि पहले अथवा दूसरे दिन मृतकों की अन्त्येष्टि उनके सम्बन्धियों ने गुफा के पास और मृतक स्थल पर ही कर दी थी। बाद में अन्य यात्रियों द्वारा शवों को पीछे छोड़ दिया गया और प्रशासन ने इन्हें एकत्र कर शेषनाग में (46 शवों); मणिगांव में (38 शवों) और चन्दनवाड़ी में (25 शवों) का दाह संस्कार किया था। राज्य प्रशासन द्वारा दी गई रिपोर्ट का यह एक अंश है।

महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में एक अथवा दो बातें और कहनी है क्योंकि ये बातें पूछे गये, प्रश्नों से सम्बन्धित हैं। यह हैं घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा। 21 अगस्त की रात को भारी वर्षा आरम्भ हो गई। मैं वहां 22 तारीख की सुबह तक था। वर्षा 22 तारीख की सुबह से हो रही थी। गृह सचिव और गृह मंत्री ने चुनाव व्यवस्था की पुनरीक्षा करने के लिये श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने यात्रा व्यवस्था की भी समीक्षा की।

मौसम की भविष्यवाणी के बारे में पूछा गया है। राज्य सरकार द्वारा अवन्तीपुर स्थित भारतीय वायुसेवा केन्द्र से मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी की रिपोर्ट प्रतिदिन के आधार पर प्राप्त की जाती है। इस क्षेत्र में एक मात्र यही मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी करने वाला यूनिट अथवा केन्द्र है, जिसका संचालन अवन्तीपुर स्थित वायुसेना केन्द्र से किया जाता है। वहां से रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है। 22 अगस्त को ही प्रातः 9 बजे पर्यटन निर्देशक जो पहलगांव आ रहे थे, द्वारा तीर्थ यात्रियों को उन शिविरों, जहां तक वे पहुंच चुके थे, से आगे जाने की अनुमति न दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गये। इन्हीं निर्देशों को उसी दिन अर्थात् 22 अगस्त को उपायुक्त, अनन्तनाग ने; जो मुख्य यात्रा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, अनेक बार दोहराया। 22 अगस्त को जब ऊंचाई पर स्थित जगहों से भारी हिमपात होने की प्रथम रिपोर्ट मिली तभी वायुसेना के हेलीकाप्टर मंगाये जाने का अनुरोध किया गया। तथापि खराब मौसम के कारण 22 अगस्त को विमान उड़ान नहीं भर सके। सलाहकार द्वारा 22 और 23 अगस्त को हेलीकाप्टर द्वारा विभिन्न शिविर स्थलों तक पहुंचने के प्रयास किये गये। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि हेलीकाप्टर उड़ान नहीं भर सका। हेलीकॉप्टर के साथ यह समस्या हैं कि यदि उसमें ईंधन भरते समय कुछ बूंदे पानी की चली जायें तो उनके उड़ने में कठिनाई होती है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस बारे में कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। हेलीकाप्टर के बारे में जानकारी रखने वालों ने मुझे यह बताया है। अतः सब बातों को स्थगित करना पड़ा। 24 अगस्त को सलाहकार पंचतरणी पहुंचे लेकिन खराब मौसम के कारण वह वहां उतर नहीं सके। तथापि वह पहलगांव उतरे और बचाव व्यवस्था की पुनरीक्षा की। 24 अगस्त को अधिकांश यात्रियों को सड़क मार्ग द्वारा ऊंचाई पर स्थित जगहों से पहलगांव स्थित बेस कम्प में पहुंचा दिया गया था। 24 अगस्त को विमानों द्वारा राहत सम्बन्धी कार्यवाही की गई। 25, 26 और 27 अगस्त को प्रशासन का मुख्य कार्य मार्ग अवरोधों को हटाना तथा फंसे हुए यात्रियों को उनके घरों तक पहुंचाने तक केन्द्रित रहा। विभिन्न ऊंचे स्थानों से शवों को लाने में समय लगता है और सब शवों को प्राप्त करने के भरसक प्रयास किये गये थे। इस सम्बन्ध में यही सिलसिलेवार घटनाक्रम है।

श्री सन्तोष मोहन देव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न दलों द्वारा इस सम्बन्ध में व्यक्त की गई चिन्ता में हम भी भारी मन से भागीदार हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के हस्तक्षेप के बाद हम आज उस दुखद घटना की चर्चा करने के लिये यहां एकत्र हुए हैं। गृहमंत्री के अनुसार इस दुखद घटना में मरने वालों की संख्या 194 है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी उल्लेख किया कि अगामी कुछ दिनों में कुछ और शव मिलने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसी कारण मैंने अपना भाषण आरम्भ करने से पहले माननीय गृहमंत्री से यह अनुरोध किया था कि यदि हस बारे में उन्हें अद्यतन जानकारी है तो वे सभा को इससे अवगत करा दें।

हम अपने दल की ओर से सम्मानीय सदन और राष्ट्र की चिन्ता में भागीदार है। मैं यह बात बता दूं कि हम यहां यह कहने के लिये नहीं आये है कि अमुक व्यक्ति अथवा केन्द्र सरकार की गलती के कारण यह घटना घटी। लेकिन हमारी यह धारणा है कि यदि राज्य सरकार, उसके अधिकारियों तथा जम्मू प्रशासन के उच्चाधिकारी अर्थात् राज्यपाल, मुख्य सचिव और उनके सलाहकार द्वारा और अधिक चुस्ती बरती गई होती तो इस घटना को टाला जा सकता था। जब इस सम्मानीय सदन ने, किसी दल की ओर ध्यान दिये बिना, सरकार को यह संकेत दिया कि सरकार को दी गई जानकारी जिसे हमने उसी दिन देखा था, परेशानी पैदा करने वाली है। आज यह बात बिना किसी शंका के सिद्ध हो गई है। मैं यह भी एक मुद्दा उठाना चाहता था। लेकिन मैं गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने यह जानकारी दी कि 22 और 24 अगस्त को मौसम बहुत खराब था। पिछले दो दिनों तक जब प्रधान मंत्री और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हमें जानकारी दी थी तब वे हमें यह नहीं बता सके थे कि राज्यपाल के सलाहकार श्री सकलानी 24 अगस्त को वहां क्यों पहुंचे। लेकिन आज उन्होंने यह बताया कि इस बात के प्रयास किये गये थे कि वे वहां पहुंच सके लेकिन खराब मौसम के कारण वह उस स्थल पर नहीं उतर सके और वे पहलगांव चले गये।

अब प्रधानमंत्री ने इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से सभा को अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने तम्बूओं और आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ा दी है। उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी सरकार ने आश्चर्यजनक कार्य किया है। चाहे उन्होंने आश्चर्यजनक कार्य किया है अथवा नहीं। लेकिन इस दुर्घटना में 194 व्यक्ति मारे गये। मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की इस बात से सहमत हूं कि हम प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि वहां मौसम खराब था, भारी वर्षा हो रही थी, भारी हिमपात हो रहा था, भूस्खलन हो रहा था और सड़के पानी से भरी थी। जो कुछ भी घटा वह अभूतपूर्व है। संकटकालीन प्रबन्ध करने के बारे में मेरा भी कुछ अनुभव रहा है क्योंकि मुझे रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और गृह मंत्रालय में कार्य करने का अवसर मिला था। मुझे सियाचिन, जो काश्मीर में है, का दौरा करने का अवसर भी मिला था। यहां 12,000 फीट की ऊंचाई है जबकि सियाचिन में यह ऊंचाई इससे दुगुनी है। सेना के पास इस प्रकार के तापमान में रहने की विशेषज्ञता है। वह शून्य और शून्य से कम तापमान में रह सकती है। अभी पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा था जिसमें अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के लिये करणीय और अकरणीय बातों की सूची परिचालित की गई थी। कुल मिलाकर 7 करणीय और 5 अकरणीय बातें हैं। इसमें कम्बल और विंडचीटर ले जाने तथा मौसम की स्थिति खराब होने की सम्भावना जैसी बातों को छोड़कर किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया हैं। इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि स्थिति इस कदर बिगड़ जायेगी कि आगे जाना सम्भव नहीं होगा। 14,000 कम्बल बांटे गये थे और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 लाख 25 हजार यात्री उस यात्रा में गये थे। मैं माननीय गृहमंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वह सभा को यह बतायें कि

इन यात्रियों के तम्बू, कम्बल विंडवीटर और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। वे कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया था। किन परिस्थितियों में आप इस बात से संतुष्ट हैं? दिल्ली में समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार करणीय और अकरणीय बातों में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ले जाने की अनुमति न दिये जाने की बात कही गई थी। कितने बच्चों को ले जाने की अनुमति दी गई थी? उन्हें जाने की अनुमति किसने दी थी? मैं नहीं जानता कि क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सच हैं अथवा नहीं। आप यह बात आज नहीं कह सकते। लेकिन भविष्य में आपको इस बात की जांच करनी होगी कि प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या त्रुटि की और बच्चों को ले जाने की किसने अनुमति दी।

अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि सम्पर्क टूट गया था। मेरे मित्र श्री राजेश पायलट ने कहा है कि आज के वैज्ञानिक युग में, यह विश्वास करना कठिन है कि वायरलैस प्रणाली ठप्प हो गई थी। यदि आप ऐसा कहते हैं तो उस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं आज के समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार कह रहा हूं कि यात्रा से लौटे अधिकांश यात्रियों ने उनको हुई भयभीत करने वाली भारी कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्हें इस बात का दुख नहीं है कि उन्हें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि वे सुरक्षित लौट आये और यदि वे आगे चलते नहीं रहते तो वहीं उनकी समाधि बन गई होती। उनके अनुसार मृतकों की संख्या 234 होने की सम्भावना है। उन्होंने आगे कहा है कि कुलियों ने उन्हें बताया कि आगे न जाये क्योंकि आगामी 24 घंटों में मौसम और खराब होने की सम्भावना है। उन्होंने अपने अनुभव से हमें चेतावनी दी। जो यात्री उस स्थल पर जाने को धर्मान्ध नहीं थे, उन्होंने कुलियों की सलाह मानी। वे बचा लिये गये और उन्होंने स्वयं को बचा लिया।

मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक प्याला चाय की कीमत 15 रुपये और नाश्ता, रोटी आदि की कीमत 50 रुपये थी इसके विपरती सरकार का कहना है कि "उसने पर्याप्त मात्रा में चावल, गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री रखने की समुचित कार्यवाही की थी "इस लंगर खाने की व्यवस्था कौन कर रहा था? क्या यह व्यवस्था 1,25,000 व्यक्तियों के लिये पर्याप्त थी। गैर-सरकारी स्रोतों के अनुसार यात्रियों की संख्या 2 लाख थी। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में पूरी सावधानी न बरतने के क्या कारण हैं? अभी आपने बताया है कि 21 और 22 अगस्त के उन संकटपूर्ण दिनों में आप काश्मीर में थे। आप चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा अमरनाथ यात्रा की जानकारी लेने वहीं गये थे। आप और गृह सचिव वहां थे। यह अच्छी बात थी। यदि आपका वक्तव्य सच है तो क्या उन्हें लौटने से पूर्व खराब मौसम की सूचना मिल गई थी कि जो पहलगांव प्रशासन को यात्रियों को बुलाने हेतु भेजी गई थी।" वापिस लौट आओं। आगे मत जाओ?" यदि हां, तो वापिस लौटने के बाद आपके गृह सचिव ने क्या कार्यवाही की? राज्यपाल और गृह सचिव को वहां तुरन्त फिर से क्यों नहीं भेजा गया? जब वे फिर वहां वापिस भेजे गये तो क्या कार्यवाही की गई? क्या वे प्रश्न किसी को दण्ड देने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। मैं यह प्रश्न इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि अमरनाथ गुफा एक ऐतिहासिक गुफा है और यह एक धार्मिक स्मारक है। भविष्य में भी लोग वहां जायेंगे और हमें आज की गलतियों से सबक लेना है ताकि उन्हें भविष्य में दोहराया न जाये। यह मेरा अनुरोध है। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि अमुक व्यक्ति को दण्ड दिया जाये। मैं इस विषय का बाद में उल्लेख करूंगा।

एक साधु ने बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्व की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यात्राएं मुख्यतया 50 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के लोगों द्वारा की जाती हैं। इस श्रेणी के यात्रियों के लिये जो व्यवस्था की जानी चाहिये थी सरकार वैसी व्यवस्था करने में असफल रही। आप स्वयं वहां मौजूद थे और आपने ऐसे लोगों को यात्रा करते हुए देखा था जो चलने में असमर्थ थे। इस सम्बन्ध में मैं अपने मित्र श्री जगमोहन को बधाई देना चाहूंगा जो यहां बैठे हैं। मैं उस समय गृह राज्य मंत्री था। उनके विरूद्ध यह शिकायत थी कि वे वैष्णों देवी मन्दिर का अधिग्रहण करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री द्वारा भेजने पर वहां गया। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं वहां गया था। मैंने स्थल का दौरा किया। मैंने उस व्यवस्था को देखा जो वह करना चाहते थे। मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन वहां स्थानीय दलबन्दी थी। वे धनराशि अर्जित करते थे और वे उक्त धनराशि को ग्रामीणों पर खर्च करते थे आप पर नहीं। मैं वापिस लौटा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वह यह काम जिस आशय से कर रहे थे वह बहुत अच्छा था। लेकिन समय ही बतलायेगा कि क्या वह अच्छा था। तीन महीने बाद जब मैंने वहां का दौरा किया तो वह सेवानिवृत्त होने वाले थे। उन्होंने वहां बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। कल ही श्री बीजू पटनायक ने यह सुझाव दिया था कि अमरनाथ जाने वाली सड़क और व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। मुझे पता नहीं कि क्या वह चर्चा में भाग ले रहे हैं अथवा नहीं। मेरा विचार है कि उन्हें इस विषय को उजागर करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इसमें सुधार किया जायेगा। इसकी आवश्यकता है। कामख्या जाने वाले बीस वर्ष पूर्व उस स्थान पर चढ़ नहीं सकते थे। आज उस पर आप आसानी से चढ़ सकते हैं। आज सदन में हमें यह निर्णय लेना चाहिये कि इस प्रकार के कार्य करने की जिम्मेवारी केवल कश्मीर सरकार की ही नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार की भी इस कार्य में भागीदारी होनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार, पर्यटन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को सुविधाओं में सुधार लाने और वहां घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की जिम्मेवारी लेनी चाहिये। इस कार्य में रक्षा मंत्रालय को भी शामिल किया जाना चाहिए।

मुझे एक बात को जानकर बहुत आश्चर्य और धक्का लगा। गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के वक्तव्यों में उन स्थानीय लोगों का कोई उल्लेख नहीं है जिन्होंने तीर्थ यात्रियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी अर्ध-सैनिक बल की प्रशंसा करना उचित है। उन्होंने रक्षा बल की उचित ही प्रशंसा की है। लेकिन कलकत्ता के समाचार पत्रों को पढ़े। गृह मंत्री महोदय आप कितने समाचार पत्र पढ़ते हैं? आपको मुझे इस बारे में बताना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (बोलपुर) इन सब बातों का उत्तर देने के लिये समय नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : यह मेरी आदत है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह पश्चिम बंगाल में अड़ंगा डालना चाहते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि यदि ग्रामीण काश्मीर के लोग और कुलियों ने सहायता न की होती तो मृतकों की संख्या 1000 से अधिक होती। सदन में हमें यह बात अवश्य स्वीकार करनी चाहिये कि जनता ने पूरी सहायता की और हमें इस बारे में जनता का आभार प्रकट करना चाहिये।

अब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात का उल्लेख करता हूं। उनकी मूल जानकारी अन्य लोगों से अधिक है। मैं इस बात से सहमत हूं... **(व्यवधान)** लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हो सकता। आप स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं ओर कहना चाहते हैं कि इस मामले में सरकार दोषी है।

आप स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। उस बात की क्या हुआ जब आपके जोशी जी ने यह कसम ली थी कि वह कश्मीर जायेंगे और वहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे। उस समय हमारी सरकार ने इस बात पर आपत्ति नहीं की थी। लेकिन क्या वे वहां पहुँच सके? मौसम उनके खिलाफ था। यह उनकी इच्छा नहीं थी। **(व्यवधान)**

श्री कृष्णलाल शर्मा (बाहरी-दिल्ली) हम वहां पहुंचे थे। मैं वहां था। हमने लाल चौक पर ध्वज फहराया था।

श्री संतोष मोहन देव : आप सच कहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने वहां राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जम्मू और कश्मीर में अगस्त के महीने में मौसम हमेशा खराब रहता है। यहां तक कि आपकी यात्रा भी प्रभावित हुई।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : खराब मौसम के बावजूद हम वहां पहुंचे।

श्री संतोष मोहन देव : आप वहां पहुंचे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने अच्छा कार्य नहीं किया। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आपको वहां के अगस्त महीने के मौसम का अनुभव है। मैं यह बात इस आशय से कह रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपका इरादा नेक नहीं था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वहां नहीं पहुंच सके। लेकिन आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते थे। आप विमान से यात्रा करना चाहते थे।

पेट्रोलियम आर प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री० टी० आर० बालू) श्री संतोष मोहन जी, इन्हें विमान से उतारा गया था।

श्री संतोष मोहन देव : जी, हां। इन्हें विमान से उतारा गया था। आप यह कह रहे हैं कि इसके लिये प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और अन्य व्यक्ति जिम्मेवार हैं। आपकी **कार सेवा** का क्या हुआ? हजारों लोग इस अच्छे कार्य के लिये वहां गये। मुझे कहने दीजिये। आप उत्तर बाद में दे सकते हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : श्री संतोष मोहन जी, यदि सड़क टूटी हुई नहीं होती तो हम सड़क द्वारा वहां गये होते। सड़क ठीक नहीं थी। इसलिये हम विमान से गये। लेकिन हमारा वहां पहुंचने का दृढ़ निश्चय था। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : शर्मा जी, मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि अगस्त में वहां मौसम हमेशा खराब रहता है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन खराब के बावजूद अच्छा कार्य किया जा सकता है।

श्री संतोष मोहन देव : मेरा कहने का मतलब यह था कि वहां अगस्त के महीने में मौसम हमेशा खराब रहता है। खराब मौसम के कारण वे सामान्य मार्ग से वह वहां नहीं जा सके। उन्हें विमान से वहां जाना पड़ा। मैं चाहता हूं कि इस मामले से हमें निष्कर्ष निकालना चाहिये। मैं वरिष्ठ सदस्य और गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भविष्य में अमरनाथ यात्रा करते समय इन बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यात्रियों की संख्या पर नियंत्रण रखें।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री सन्तोष मोहन देव : मुझे इस विशेष बात की जानकारी नहीं है। एक बात स्पष्ट है कि जो व्यक्ति तीर्थ यात्राओं में विश्वास नहीं रखते वे अमरनाथ यात्रा के आधे रास्ते तक ही पहुंचते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आधे रास्ते नहीं, वहां से केवल छः किलोमीटर।

श्री संतोष मोहन देव : एक अधिकारी ने कहा था कि यह उन्होंने जान-बूझकर किया था। उसने इसी प्रकार की बात कही थी। आपने इससे इंकार किया। लेकिन आपने ऐसा किया। आपने ऐसा क्यों किया? यह तीर्थ यात्रियों के लिये था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह श्री संतोष मोहन देव से बचने के लिये प्रार्थना कर रहा था... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : इस प्रकार के धार्मिक समारोहों में लोगों की मृत्यु किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण नहीं होती। यह प्रकृति के कारण हुई थी। और प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इन्द्रजीत जी, मैं यहां उस स्थान से खड़ा होकर बोल रहा हूं जो आपकी पारम्परिक सीट थी। यदि आप इस सीट पर होते तो आप क्या कहते?

श्री सोमनाथ चटर्जी : 'अत्यधिक अकुशल सरकार'

अपराह्न 3.01 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

श्री संतोष मोहन देव : मुझे खुशी है कि एक अन्य भागीदार ऐसा कह रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह खेल का एक हिस्सा है।

श्री संतोष मोहन देव : जम्मू के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उपस्थित नहीं है। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि नियंत्रण कक्ष का क्या कार्य है? आपने इसका उत्तर नहीं दिया है। कितने नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये? जसवन्त सिंह जी ने जो उस दिन कहा था वह आज के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। आज भी आपने मृतकों, दफनाये गये शवों, दाह संस्कार किये गये शवों और विमान से लाये गये व्यक्तियों के आंकड़े दिये हैं। उन शवों के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा जिनकी पहचान किये बिना दाह संस्कार कर दिया गया अथवा दफना दिया गया? मैं इस बारे में जानना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया है। इसका आपने अपने भाषण में भी उल्लेख किया था और गृहमंत्री होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन बातों की ओर ध्यान दें।

जिन शवों की पहचान नहीं की गई है, उनके फोटोग्राफ आदि से सम्बन्धित सभी जानकारी प्रशासन द्वारा रखी जानी चाहिये। यह इसलिये क्योंकि जब कोई दावा किया जाये, तो श्री सोमनाथ चटर्जी जैसा कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होकर मुकदमा दायर कर धनराशि न कमाये। प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिये भी एक प्रणाली है। कृपया इस बारे में ध्यान दें।

मुझे मेरे एक सैनिक मित्र ने बताया कि मार्ग की लम्बाई 45 किलोमीटर है और किसी भी स्थान पर अधिकतम ऊंचाई 12,000 फीट है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैं इससे प्रभावित हो चुका

हूं। पर्यटन मंत्री के रूप में मैंने अपनी पत्नी के साथ अमरनाथ की यात्रा की थी। मैं खच्चर पर गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वह खच्चर बच गया?

श्री संतोष मोहन देव : बच गया। पर्यटन मंत्रालय ने कश्मीर सरकार को इस मार्ग पर और अधिक यात्री निवास स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। पर्यटन मंत्रालय के पास यात्री निवास स्थापित करने सम्बन्धी योजना है। लेकिन राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि "यह अमरनाथ यात्रा तो एक लम्बी अवधि के बाद एक बार होती है। शेष समय पर्यटन मंत्रालय के इन यात्री निवासों का क्या होगा?" यदि सड़कें अच्छी होंगी, बेहतर सुविधाएं होंगी तो इनका उपयोग पर्यटन सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये किया जा सकेगा। 'शिवलिंग' के दर्शन हमेशा नहीं हो सकते। हर शिवलिंग की स्थापना वर्ष में केवल एक बार होती है। आपको धर्म की जानकारी नहीं है। इसकी स्थापना एक बार होती है। यह पिघल जाता है और फिर बढ़ जाता है। कृपया इस बारे में कुछ कार्यवाही कीजिये। मैं अधिक समय तक बोलना नहीं चाहता।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने इसका सारा श्रेय ले लिया है। शायद आप यह बात भूल गये कि जब पिछली बार अमरनाथ यात्रा होनी थी तो आतंकवादियों ने धमकी दी थी। लेकिन हमारी सरकार ने उक्त चेतावनी सब के सहयोग से स्वीकार कर ली थी। किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं की गई थी। जब श्री बाल ठाकरे ने बम्बई से चेतावनी दी थी कि "यदि अमरनाथ जाने वाले किसी यात्री की हत्या की गई तो मैं बम्बई से किसी मुसलमान को मक्का जाने की अनुमति नहीं दूंगा।" हमने चेतावनी स्वीकार की और कुछ नहीं हुआ। श्री बाल ठाकरे ने कुछ नहीं किया। लेकिन हमने चेतावनी स्वीकार की।

महोदय, प्रधान मंत्री प्रत्येक बात का श्रेय ले रहे हैं। लेकिन यह जो दुखद घटना घटी इसके लिये किसे जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिये – न ही श्री इन्द्रजीत गुप्त को, न ही गृह सचिव को और न ही श्री देवेगौड़ा को। हम इस बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करवाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्ति हैं राज्यपाल, मुख्य सचिव और राज्यपाल के सलाहकार। क्या यह सम्भव है कि एक कोई मजिस्ट्रेट यह कहे कि श्री "कृष्ण राव जी, आप गलती पर है? जी, नहीं।

आपके पास दो विकल्प है। एक विकल्प यह है कि आप न्यायिक जांच करवायें। यदि आप यह अनुभव करते हैं कि न्यायिक जांच सम्भव नहीं है– आप संसद की एक समिति गठित करें। 13 तारीख के बाद वह समिति वहां जाये और सभी क्षेत्रों का दौरा करे, स्थानीय लोगों से बातचीत करे, अधिकारियों से पूछताछ करे। उक्त समिति तीन से पांच दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे। यह मामला इस प्रकार न छोड़ें। जो घटना घटी है वह बहुत गम्भीर है। और जो अन्य तीर्थ स्थलों पर हो रहा है वह भी खराब है। भारत की धार्मिक मनोवृत्ति और जीवन दर्शन को देखते हुए आप धार्मिक स्थलों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आपको इस ओर ध्यान देना होगा।

आपकी सरकार को भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी और भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन प्राप्त है लेकिन यह बात न भूलें कि इसे कांग्रेस (आई) का भी समर्थन प्राप्त है। क्योंकि यदि धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसका विरोध किया जायेगा। हम उनको ऐसा अवसर नहीं देना चाहते। उनकी उदासीनता ठीक है इससे इंकार नहीं किया जा सकता। सदन में जो कोई भी मामले उठाये गये हैं, सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिये और इनसे सीख लेनी चाहिये। मैं यह बात दोहरा रहा हूं।

मैं इस मामले में न तो प्रधान मंत्री को और न ही गृह मंत्री को दोषी ठहराता हूं। उनकी आलोचना करने के लिये वह प्रतिदिन अनेक मुद्दे उठाते है, लेकिन इस मुद्दे पर मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि दूसरों की आलोचना करने की बजाये हम सब मिलकर यह संदेश दें कि भविष्य में प्रकृति की विफलताओं के कारण यदि कोई विपदा आती है तो हम 21वीं शताब्दी में उस पर नियंत्रण पायेंगे। ऐसा किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं।

जो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है, वह ठीक है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि 13 लोगों की मृत्यु प्राकृतिक थी क्योंकि कुछ वृद्ध लोगों की बीमारी और अन्य कारणों से मार्ग हुई थी। मैं इस बात से सहमत हूं। ऐसा हो सकता है।

मैं माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन ग्रामीणों और संगठनों ने जिन्होंने प्रशंसनीय काम किया है उन्हें पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिये। लेकिन यह पुरस्कार नकद न होकर उनके क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाकर दिया जाना चाहिये। 'दी टाइम्स आफ इंडिया' और अन्य समाचार पत्रों में भी यही बात कही गई है कि यदि आप इन सब गांवों को आई० आर० डी० पी० डी० आर० डी० ए० योजना के अन्तर्गत नहीं ला सकते तो उनके लिये सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाना चाहिये। भविष्य में सामान्य स्थिति में वे इनका उपयोग अपने समारोहों के लिए कर सकते हैं। किसी आपद स्थिति में सरकार इनका उपयोग कर सकती है। उदाहरण के तौर पर असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दिवगत श्री देव कान्त बरुआ ने अतिरिक्त स्कूलों का निर्माण कर उनका उपयोग कर लिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल शिक्षित युवकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि इनका उपयोग बाढ़ प्रभावित लोगों के लिये राहत शिविरों के रूप में भी किया जा सकेगा क्योंकि सरकार के पास धनराशि नहीं होगी। इसके पीछे यह भावना थी।

इन शब्दों के साथ में बोलने की अनुमति देने के लिये आपको धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इन्द्रजीत गुप्त जी आप मंत्रिमंडल से सलाह किये बिना इस बारे में आज ही निर्णय लेंगे।

मैंने आपकी आलोचना की है लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप पश्चिम बंगाल राज्य से पहले गृह मंत्री हैं। मैं इस बात से और भी खुश हूं कि आपने श्री सोमनाथ चटर्जी को सरकार से बाहर रखा है।

प्रधान मंत्री ने धनराशि में वृद्धि की है परन्तु, लाभार्थियों को यह धनराशि मिलनी चाहिये। जिन लोगों का दाह संस्कार उनके सम्बन्धियों का पता लगाये बिना कर दिया गया है उनके मामले में एक सूची तैयार की जानी चाहिये और लोगों को तुरन्त प्रमाण दिया जाना चाहिये। इस मामले में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं नियम 193 के अधीन इस मामले को उठाने की अनुमति देने के लिये आपका धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति महोदय, आज हम सदन में एक बहुत ही दुखद त्रासदी के बारे में विचार कर रहे हैं। जब हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, तो गृह मंत्री जी द्वारा कल सदन में दिया गया बयान हमारे सामने है। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर है कि जितनी बड़ी यह त्रासदी थी उसके अनुरूप न यह व्यक्त है, न इसकी शब्दावली है और न इसमें जो भाव व्यक्त किए गए हैं, वे हैं। इसके विपरीत यदि कोई इस वक्तव्य को पढ़े, तो उनको लगेगा कि इससे देश के करोड़ों लोंगो की भावनाओं को आघात पहुंचाया गया है। उस आघात पर कुछ मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने की कोशिश की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे वक्तव्य में प्राकृति के प्रकोप के बारे में ही सब कुछ कहा गया है और प्रशासन की विफलता के लिए एक शब्द भी नहीं है। यानी अगर इनके वश में होता, तो शायद ये इन्द्र देव का कोर्ट मार्शल करते थे, या उसको बुलाकर इन्क्वायरी करते। प्रशासन का तो इसमें कोई कोई दोष ही नहीं है। गृह मंत्री जी जब वहां गए, तो इन्होंने जो वहां कुछ देखा, तो इन्हें ढूंढ़ने से एक यात्री ऐसा मिला जिसने शिकायत की जो उन्होंने अपने वक्तव्य के पृष्ठ संस्था 5 पर लिखा है-

[अनुवाद]

"पहलगांव में केवल एक यात्री ने निजी दुकानदारों द्वारा खाद्य वस्तुओं के मूल्य अधिक लिये जाने की शिकायत की है।"

[हिन्दी]

यानी इस सारी यात्रा में इसको सिर्फ एक यात्री मिला यह कम्प्लेट की। इससे ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर इसको मिनीमाइज करने की कोशिश की गई है। यह जो वक्तव्य है, इसकी जो शब्दावली है, मैं उसमें से ही पाइंट आउट कर रहा हूं। गृह मंत्री जी मुझे बताएगें, तो मुझे अच्छा लगेगा कि वे जहां-जहां गए क्या उन्हें सिर्फ एक यात्री ही ऐसा मिला, जिसने यह शिकायत की। अभी संतोष मोहन देव जी कह रहे थे कि 15 रुपए में एक कप चाय मिली। क्या आपको कोई यात्री बोलने वाले नहीं मिले और क्या सिर्फ एक ही यात्री मिला?

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी जो आपत्तिजनक बात है वह यह है कि इसके कन्क्लूडिंग पैराग्राफ में लिखा है-

[अनुवाद]

यद्यपि व्यवस्था में कुछ मामूली सी त्रुटियां देखी जा सकती थीं प्रशासन का केवल यही अभ्योरोपण है।

[हिन्दी]

और हिन्दी से पढ़कर, तो मुझे आश्चर्य हुआ, पता नहीं किसने इसका अनुवाद किया हैं हिन्दी की शब्दावली को पढ़कर मैं दंग रह गया और मुझे बहुत चोट पहुंची।

गृह मंत्री जी कहते हैं कि प्रबंधों में वहां कुछ हल्की-फुल्की खामियां पाई जा सकती है। हल्की-फुल्की खामियों का मायने क्या है? आप बताइये..... **(व्यवधान)** आप भी जानते हैं। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल ही नेगलीजिबल, जिसका कोई भी नोटिस नहीं लेना चाहिए। .... **(व्यवधान)** ये खामियां पाई गयी है। अगर इसी बात पर मैं यह पूछूं कि पिछली बार वहां 70 हजार यात्री गये थे और इस बार यह उम्मीद थी कि यात्री ज्यादा जायेंगे। पहला सवाल यह है कि क्या इस अपेक्षा के मुताबिक सारा प्रबंध किया गया था? जो मौसम की खराबी है, वह तो बाद में देखेंगे। जो प्रबंध किये गये थे, क्या वे इनके अनुसार किये गये थे? गृह मंत्री जी ने अपने दौरे में बताया कि वे पहलगाम में आर्मी बेस कैम्प में गये। लेकिन जो पॉइट्स बताये गये हैं। जहां पर ज्यादा यात्रियों की भीड़ का वातावरण रहता है। वह पहलगाम से शुरू होता है।

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : गृह मंत्री जी सो रहे हैं या सुन रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : वे सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं। .... **(व्यवधान)** पहलगाम से यह यात्रा शुरू होती हैं। पहलगाम में कुछ व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने कहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो बाकी के स्थान हैं, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और बीच में जो पवित्र गुफा है, वहां पर कुछ अरेंजमेंट्स थे? क्या वहां पर कोई कैम्प थे, कोई मेडिकल एड थी। आप मेरी नॉलेज को करैक्ट करिये। वहां केवल एक हजार टैन्ट्स थे और एक टैंट में आठ लोग रह सकते हैं। इस प्रकार से आठ हजार लोगों की व्यवस्था थी जबकि इतने लाखों लोग वहां जाने वाले थे। आपकी स्टेटमैंट में पूरी डिटेल आनी चाहिए थी कि इतने टैंट्स थे, इतनी व्यवस्थायें थीं व इतने वीकल्स थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये सब आंकड़े दिये तो हुए हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : ठीक है, आप देंगे। मुझे यह कहना है कि आप देंगे तो अच्छा है। मेरी जो जानकारी है, वह यह है कि व्यवस्थायें यात्रियों की संख्या के मुताबिक बहुत कम थी। अगर आप इन व्यवस्थाओं को गंभीरता से नहीं देखेंगे और प्रशासन को इसके बारे में कलीन चिट दे देंगे तो आगे भी व्यवस्थायें ठीक नहीं होगी और आगे भी इस तरह से यात्री मारेंगे। इस बार तो दोहरा प्रकोप था। एक तो मौसम का और दूसरा आतंकवाद का प्रकोप हर बार रहता है। वहां पर आतंकवाद का भी प्रकोप था। अनिश्चित मौसम के बारे में भी श्री संतोष मोहन देव जी मुझे भी कह रहे हैं कि हमको पता है लेकिन सरकार को हमारे से ज्यादा पता होगा कि वहां अगस्त में मौसम कैसे रहता है। क्या हम यह मान ले कि मौसम के मुताबिक और वहां जो आतंकवाद का खतरा है, उसके मुताबिक सारे कैम्पस में व्यवस्थायें ठीक थीं, पूरी थीं।

आपने ठीक बताया कि सकलानी जी वहां पर नहीं पहुंचे। सकलानी जी वहां पहुंच भी जाते तो क्या करते? वहां जब कुछ नहीं था तो वे वहां जाकर क्या करते? अगर वहां कुछ होता तो वे वहां जाकर स्ट्रीम लाइन करते, मोनीटर करते, कुछ और करते। मुझे आश्चर्य यह होता है कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई। क्रम यह है कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री जी गये हैं तो 26 तारीख को, जिस दिन हाऊस शुरू होने वाला था। वे उससे पहले नहीं गये जो गवर्नर महोदय है, वे 25 तारीख को गये हैं। वे 22 तारीख से दिल्ली में बैठे हुए थे। गृह सचिव भी 25 तारीख को गये हैं। वे भी यहां दिल्ली में बैठे हुए थे। जो डी. डी. सकलानी साहब हैं, उन्होंने 24 तारीख को कोशिश की और वे 24 तारीख को ही वहां पहुंचे। यह एक बात है। मैं यह प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं

कल जम्मू-कश्मीर में चुनाव हो जायेंगे, यह दूसरी बात है। अभी तो वहां राष्ट्रपति शासन है केन्द्र के अधीन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या वहां अमरनाथ यात्रा का महत्व समझते हुए केंद्र सरकार की कोई रिस्पौसिबिलिटी नहीं थी।

केन्द्र का इस सारी व्यवस्था में कोई हाथ था या नहीं था यह सिर्फ स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ दिया गया? स्टेट ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी जनरल डी.डी. सकलानी, अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर, गवर्नर और बाकी सारे लोग दिल्ली आकर बैठ गए। केवल ये दो लोग व्यवस्था देखने वाले थे। यह जानकारी तो हमें चाहिए। आतंकवाद है, मौसम अनिश्चित है, अमरनाथ की यात्रा वर्ष में एक बार और बहुत महत्व की होती है। इस यात्रा में थोड़ी सी भी घटना होती है तो सारे देश में उसकी प्रतिक्रिया होने की संभावना है। इसमें केंद्र का क्या रोल था? क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी थी? क्या केंद्र ने उस जिम्मेदारी को निभाया? क्या पहले गृह मंत्री जी या किसी ने सारे कैम्प्स से जाकर व्यवस्था देखी? 16 अगस्त से यात्रा शुरू होने वाली थी। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? क्या केंद्र ने उसकी किसी जिम्मेदारी को संभाला? ऐसी यात्राओं में हर जगह कुंभ होता है। सारे देश में अनेक यात्राएं होती हैं, पहले कई व्यवस्थाएं होती हैं, सैंटर खुलते हैं, कंट्रोल रूम खुलते हैं कंट्रोल रूम श्रीनगर में है। क्या पहलगाम के कंट्रोल रूप का दिल्ली से कोई सम्पर्क है? क्या पहलगाम के कंट्रोल रूप का जम्मू, श्रीनगर से कोई सम्पर्क है? क्या इस सारी यात्रा की गृह मंत्रालय में कोई मोनीटरिंग व्यवस्था है जबकि यह इतना सैनसिटिव मामला है? मुझे लगता है कि इस फेल्योर को पूरी तरह से अपने व्यक्तव्य में छिपाया गया है। प्रकृति के प्रकोप में हमारा वश नहीं है। जो कुछ हुआ, उसके आगे हमें नतमस्तक होना पड़ता है। लेकिन प्रकृति के प्रकोप के बावजूद वहां जो विफलता हुई है, यदि उसपर हमने पर्दा डालने की कोशिश की तो मुझे डर है कि आगे के लिए यह प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा। मै चाहूंगा कि गवर्नर से एक्सप्लेनेशन लिया जाए कि ऐसे समय से वे यहां क्यों थे। सारी व्यवस्थाओं के बारे में जो जिम्मेदार अफसर हैं, मैंने स्टेटमेंट में पढ़ा है और पहले सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि गिल्टी अधिकारियों को पनिश किया जाएगा। लेकिन एक-एक स्टेटमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि सरकार पीछे हट रही है, रिट्रेन कर रही है और ऑफिसर्स को शील्ड करना चाहती है। यदि ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय होगा।

कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने आज थोड़ी सी जानकारी दी है। उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हमारी जानकारी के मुताबिक वह संख्या आज भी 234 तक पहुंची हुई है और 400 से ऊपर जा सकती है, ऐसी संभावना है। आपने कहा है कि सर्च पार्टीज गई है। वे जल्दी पता लगाएं, खबर लें और यह खबर सब तक पहुंचे, यह सारे देश की चिंता है। इसमें विलंब न हो, यह बात बहुत जरूरी है। यदि आपने वहां कोई कमियां देखी हैं तो उनकी भी जानकारी हमें देनी चाहिए।

प्रधानमंत्री जी ने यहां जब वक्तव्य दिया तो कहा कि गृह मंत्री जी मौके पर गये हैं, वे आयेंगे तो कुछ ऐडीशनल जानकारी मिलेगी। हमें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, दोनों के वक्तव्यों से बहुत निराशा हुई क्योंकि जो बात प्रधानमंत्री ने वहां पर बिना गये कही, वही बात हमारे गृह मंत्री जी ने वहां जाकर आने के बाद कही। उसमें कोई खास ऐडीशन नहीं है कि मौके पर जाकर देखने से ऐसी बातें सामने आ गयी हों। मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। वहां ऐसा लगता है कि अल्टीमेट भी सब कुछ भगवान भरोसे हो गया। मुझे नहीं मालूम, यह कहा गया कि पहलगाम से बालताल का एक दूसरा रास्ता है। क्या दूसरे रास्ते से आने के लिए यात्रियों को जो अनुमति दी गयी, क्या उस रास्ते पर सारी व्यवस्थाएं थीं? मानो उस रास्ते पर कोई और दुर्घटना हो जाती, कोई और जो आने जाने के रास्ते आपने तय किये हैं, उसकी कोई व्यवस्था की होगी, कहां सिक्योरिटी लगाई होती, आपने वहां और सारे अरेंजमेट किये होंगे। जो दूसरा रूट आपने खोला, क्या वहां पर सारी व्यवस्थाएं की गई थीं? या यात्री जहां जाना चाहते हैं, चले जायें, जिस रास्ते से निकल सकते हैं, निकल जाये या जो-जो बचकर निकल जाएगा, वही भला है, उनको हमने छोड़ दिया। इस तरह से जा हमने उन लोगों को जाने दिया, यह अच्छा नहीं हुआ।

दूसरी एक बात है। आपने जो यह कहा है कि कुछ लाशें, चूंकि पहले ये बातें आई कि 19 लाशें जलाई गई, जो आइडेंटीफाई नहीं हो सकीं। आइडेंटीफाई नहीं हो सकीं तो यह तो मामूली सी बात थी। अगर उनके फोटोग्राफ लेकर टी. वी. पर आप देते, लोगों के सामने जाते, उनमें से कुछ लोगों को लोग पहचान लेते, कुछ वहां पहुंच जाते, लेकिन हमने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया। आज भी गृह मंत्री जी का कहना है कि हमने उनके फोटोग्राफ्स लिए हैं और फोटोग्राफ लेकर रखें है, लेकिन अगर कुछ देर तक उनका कोई वारिश नहीं आया तो उनको हम क्रिमेट कर देंगे। मेरा यह कहना है कि फोटोग्राफ लेकर किसलिए रखे हुए हैं, उनकी टी. वी. पर आप क्यों नहीं दिखाते हैं? लोगों को अगर पता लग जाय, अगर देश में कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को पहचान लें तो वह उनको ढूंढने के लिए, उनको लेने के लिए वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन यह दिखाने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई कोशिश नहीं है। कोई इस तरह की व्यवस्था भी नहीं की गई कि ये सारी बातें टी. वी. पर लोग को दिखाई जायें कि थे-ये लोग हैं, जो हमारे पास पड़े हैं। हमारे पास इसकी यह फोटो है, अगर उसका कोई मालिक हो तो उसको आकर ले जाय। मेरा यहां पहले दिन यह सुझाव था कि यहां से कोई विपक्षी दलों की या सर्वदलीय टीम वहां जानी चाहिए। वह सुझाव नहीं माना गया। आज हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं वहां गये है, हमारी पार्टी के एक और साथी भी गये हैं। वे वहां सारी स्थिति को देखने के लिए गये हैं और वहां स्थिति देखकर वह आयेंगे और जो तथ्य लायेंगे वह भी आपके ध्यान में आ जाएंगे।

मेरा यह कहना है कि अब जो सारी कुछ घटना हुई है। अब इस घटना की अगर कोई जांच करानी है तो आपको न्यायिक जांच अंडर कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट करानी चाहिए। नहीं तो लोगों को कोई संतोष नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं होगा। आप जांच भी करेंगे, लोगों को संतोष भी नहीं होगा, गुनाहे बेलज्जत होगा। अगर आप जांच करवाना चाहते हैं तो एक ज्यूडिशियल इन्क्वायरी अंडर दि कमीरशंस ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट करानी चाहिए, क्योंकि जांच के बारे में भी अगर आप लोगों के अंदर विश्वास पैदा नहीं करेंगे, तब यह जांच की बात लोगो से किसी भी प्रकार से ध्यान में नहीं आएगी।

मैं एक बात और यहां पर कहना आवश्यक समझता हूं। कुछ लोग इस तरह की बातें कह सकते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से बात की जाती हैं, जो एडजार्नमेंट मेंशन है, वह राजनैतिक है। संतोष मोहन देव जी जो बोलेंगे, वह सांस्कृतिक है, वह बिल्कुल राजनैतिक नहीं है, ऐसा उसमें से मान लिया जाय। लेकिन मेरा यह कहना है कि ऐसे जो विषय है, वैसे भी कश्मीर के बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कश्मीर एक ऐसा विषय है, जिसको हमने राष्ट्रीय विषय माना है और आज तक कश्मीर को लेकर जितने भी सवाल, चाहे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर और चाहे सदन में उठे हैं, सभी दलों ने उसमें उस सयम की सरकार का सहयोग दिया है और हमने यह सबूत दिया है। इसका संदेश हमने पाकिस्तान को भी दिया है और दुनिया को भी दिया है कि जम्मू-कश्मीर के सवाल पर सारा देश एक है, सारा राष्ट्र एक है। लेकिन जिन लोगों ने इसके लिए कुरबानियां दी है, इसके

लिए कष्ट उठाये हैं, इसके लिए संघर्ष किया है, उनकी किसी बात को इस तरह से कहकर टाल दिया जाया कि यह तो राजनैतिक लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है तो हमें इसका बहुत दुख होता है। हम उन लोगों से कम से कम कोई उपदेश नहीं लेना चाहते, जो एड़ी से चोटी तक खुद तो राजनीति में डूबे हुए हैं और दूसरों को यह उपदेश दे कि आप यह बात करके इसको राजनैतिक विषय मत बनाइए। यह तो एक दूसरे को कहने का कोई तरीका नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरनाथ एक ऐसा पवित्र स्थान है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है, यहां पश्चिम से रामेश्वरम तक से लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। सारे उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से सब तरफ से लोग जाते हैं और यह केवल राष्ट्रीय एकता और अखंडता का नहीं, यह हमारी सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। इसमें सब लोग मिलकर सहयोग देते हैं। ऐसे विषय में इतनी संवदेनशीलता का परिचय देना, संवदेनशून्यता का परिचय देना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी आतंकवाद की चुनौती होते हुए भी देश भर से लाखों लोग अपनी जान की परवाह न करके यात्रा पर गये हैं। वे वहां आतंकवादी के हाथों से भी मर सकते थे लेकिन इसके बावजूद भी वे यात्रा पर गये हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार इसको इस तरह से हल्का-फुल्का समझकर टाल देगी तो यह अच्छा नहीं है। मुझे तो यह लगता है कि जांच तो होनी ही चाहिए, लेकिन यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है और इसके अंदर जो कमियां त्रुटियां रही हैं, ये कोई मामूली त्रुटियां नहीं है। यह केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं है। प्रशासन की विफलता है। इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं यह समझता था कि केंद्र की सरकार कुछ कहेगी, लेकिन एक भी शब्द, जैसा मैंने कहा, रिग्रेट का, पेन का, ग्रीफ का इस स्टेटमेंट में नहीं है कि उनको बहुत परेशान किया गया कोई उनको दुख पहुंचा है, आघात पहुंचा है, एक शब्द इस स्टेटमेंट में नहीं है। इससे मैं क्या समझूं? मैं तो यह समझता था कि यह सरकार और गृह मंत्री जी, हमारे प्रधान मंत्री जी स्वयं आकर बिना किसी संकोच के सारे राष्ट्र से इस बात के लिए क्षमा-याचना करेंगे कि इतनी बड़ी यात्रा में हमसे जो कमियां रही हैं, इसके लिए हम क्षमा-याचना करते हैं और आइंदा हम यह कमियां कहीं नहीं आने देंगे। यह अगर व्यवहार सरकार दिखाती तो मुझे लगता है कि देश में, राष्ट्र में और लोगों में इसकी प्रशंसा होती, लेकिन इतनी उदारता और इतना भाव सरकार के अंदर कहीं से नहीं आ सकता।

मैं आज भी यह महसूस करता हूं कि सरकार को इस बारे में फिर विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। अमरनाथ की घटना कोई मामूली घटना नहीं है और ये जो कमियां त्रुटियां हैं, ये तो अपराधी स्तर की है। प्रशासन को इतनी आसानी से अगर इसमें से निकलने दिया गया तो हम सब के साथ, देश के साथ भी और जनता के साथ भी, यह न्याय नहीं होगा। केंद्र और प्रदेश, दोनों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और देश से राष्ट्र से कितनी जल्दी क्षमा मांग लेंगे, उतना अच्छा होगा।

जांच तो अवश्य होनी चाहिए और जो दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। सबसे मुख्य बात यह कि आइंदा ऐसी घटना कभी न घटे और मौसम की खराबी के बाजवूद भी इन सारे कैम्प्स में अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो और मौके पर सब लोगों को जो सहायता चाहिए, वह मिले, इसका प्रबंध आने वाले समय में किया जाय। यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती है आप मन में यह न रखे कि इस बार लोग मर गये तो अगली बार लोग कम आएंगें अगली बार और ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा श्रद्धा से आएंगे। सब लोग मिलकर इस तरह से यहां सदन में बैठकर, सरकार में बैठकर, अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस बारे में सोचें के इस व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा अच्छा अगली बार हम कैसे बना सकते हैं। वह तभी होगा, अगर आज की त्रुटियों को हम क्षमा न करते हुए उसपर पूरी कार्रवाई करें और दोषी लोगों को दंड दें, जांच करवाएं और सरकार अवश्य देश से, राष्ट्र से क्षमा मांगे। मेरा यही निवेदन है। मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, हम एक बड़ी दुर्घटना पर चर्चा कर रहे हैं। जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गये।

आरंभ में मैं दुर्घटना में मारे गये यात्रियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इस यात्रा के दौरान मुसीबतें सहने वालों के प्रति भी मुझे हार्दिक सहनुभूति है।

महोदय, में पहले भी कह चुका हूं कि इस मामने को राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिये और न ही इस मामले की उपेक्षा की जानी चाहिये। यह एक दुखद घटना है। देश के किसी भी नागरिक की अप्राकृतिक मृत्यु पर हमे शोक प्रकट करना चाहिये और जब इतने अधिक लोगों की मृत्यु हुई है—वे यहां राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिये एकत्र नहीं हो रहे थे, लेकिन उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा—इस मामले को सभा द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिये और हमें ऐसे उपाय अपनाने का प्रयास करना चाहिये कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति न हो।

महोदय, हमें अब तक प्राप्त कराई गई सामग्री से दुर्घटना की जानकारी मिली है। श्री शर्मा जी ने माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्यों की सत्यता को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने यह कहा है कि इससे यह पता लगता है कि इस मामले में त्रुटि थी अथवा इस मामले में सरकार की असफलता थी? अथवा कुछ विशेष पहलुओं की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जहां तक वक्तव्य की सत्यता का संबंध है, उसे चुनौती नहीं दी गई है। अतः हम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री को सत्य मानते हुए इस चर्चा में भाग ले रहे हैं।

हम सब जानते हैं कि ऐसी यात्राएं खतरनाक होती हैं। मुझे आज से लगभग 34 वर्ष पूर्व केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला था। जब वहां सड़कों का निर्माण नही हुआ था। लेकिन लोग वहां बड़ी संख्या में जाया करते थे। स्वभावतया, लोग खतरा मोल लेते थे। चूंकि ऐसी यात्राओं पर अक्सर वृद्ध लोग जाते हैं तो अधिक ऊंचाई हाने के कारण आक्सीजन की कमी होने का खतरा और भी अधिक बड़ जाता है। सड़कें बहुत संकरी हैं और कुछ क्षेत्रों में तो एक व्यक्ति के लिये भी गुजरना मुश्किल हैं फिर भी लोग वहां जाते हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। कुछ लोग वहां धार्मिक प्रयोजन से जाते हैं और कुछ लोग वहां राष्ट्रीय घटनाओं में भाग लेने के लिये जाते हैं। इस मैं इसे सद्भावना और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक मानता हूं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न भागों से एक स्थान पर एकत्र होते हैं। मुझे याद है कि यात्रा लंबी होने के कारण यात्रा में बहुत से लोगों से अच्छी दोस्ती भी हो जाती है।

मेरे मन में जो विचार उठता है वह यह कि यदि यह दुर्घटना प्रकृति के प्रकोप के बिना हो तो, इस बार यह दुर्घटना प्रकृति के प्रकोप के कारण घटी है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह चाहता कि इस प्रकार की यात्राओं के लिये वैष्णों देवी जैसे न्यास अथवा, निकाय द्वारा प्रवन्ध किये जाने चाहिये थे। मुझे पता नहीं कि अमरनाथ में ऐसा वर्ग संगठन है अथवा नहीं। केदारनाथ और बद्रीनाथ में इस प्रकार का एक संगठन है जो सरकार के साथ मिलकर सुविधाओं की व्यवस्था करता है और तीर्थ यात्रियों की देखभाल करता है और बहुत सी धर्मशालाएं उनके द्वारा चलाई जाती है। लेकिन क्या यदि मौसम की दशा में इतनी अधिक खराबी नहीं होती तो क्या ऐसी दुखद घटना घटती? प्रश्न यह है कि हम मौसम की स्थितियों के महत्व को कम नहीं कर सकते। खराब मौसम के दौरान जब वहां बिना रुके दो दिन तक वर्षा होती है तो उसके परिणामस्वरूप भूस्खलन होने लगता है और किसी भी सड़क पर मुड़ना असंभव होता है। अत : खतरा तो उठाना ही पड़ता है। इसका यह अभिप्राय यह नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मेवारी से मुक्त कर रहा हूं। क्या हम यह कह सकते हैं कि किसी प्रकार की असावधानी बरती गई और उचित कार्यवाही करने में असफलता हुई? इसकी हमें जानकारी नहीं है। ऐसी दुर्घटनाओं के बाद समझदार होना बहुत सरल है। पहले हम इस बात की कल्पना भी नही कर सकते थे कि भारत के गृह मंत्री हेलीकॉप्टर की सहायता से पंचतरणी में उतर सकते हैं। आजकल पायेलट भी यह खतरा मोल ले लेते हैं। दुर्भाग्य से जो स्थिति अकस्मात विकसित हुई उसमें अपनी इच्छानुसार कार्यवाही करना बहुत कठिन होता है। मुझे विश्वास है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि यात्रियों को सब प्रकार की सुरक्षा और सुविधाएं प्रदान की जायें? इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हमें इस प्रकार की संकटपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिये किसी तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिये। हमारे पास संकट प्रबंध सुविधा क्या उपलब्ध है? यह बहुत बड़ा संकट था जो आकस्मिक ही उत्पन्न हो गया। इस प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार की संकट प्रबंध प्रणाली की व्यवस्था हो सकती है। जब यात्रा चल रही थी तो इस प्रकार की भयंकर दुर्घटना की कोई कल्पना नहीं थी।

अतः मैं उस तारीख को राज्यपाल तथा मुख्य सचिव की अनुपस्थिति पर नाराजगी प्रकट करता हूं और उसकी आलोचना करता हूं। यह सच है कि वे निजी रूप से वहां नहीं जाते और लोगों का बचाव नहीं करते लेकिन स्थानीय अथवा राज्य प्रशासन के प्रमुख की उपस्थिति से लोगों में विश्वास उत्पन्न होता है वे लोगों का मार्गदर्शन और लोगों के सलाह दे सकते थे। दोनों को शीघ्र वापिस लौटना चाहिये था। मैं इसके लिये उन्हें दोषी मानता हूं। दिल्ली में चाहे उन्हें कितना ही आवश्यक कार्य होता, उन्हें 24 अथवा 25 तारीख को शीघ्र लौटना चाहिये था और निजी रूप से बचाव और राहत कार्य में भाग लेना चाहिये था। स्थानीय राज्य प्रशासन के सर्वोच्य अधिकारियों की लापरवाही के अलावा, जो लोग वहां बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे उनका योगदान रहा। करणीय और अकरणीय बातों की घोषणा करना आसान है लेकिन ये तर्क संगत होने चाहिये। सरकार इन लोगों को अग्रिम चेतावनी दे रही थी कि उन्हें इन सब बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। ऐसी स्थिति में हम अल्प क्षेत्र में जाने का आवश्यक खतरा उठाते हैं। संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने लोगों को मौसम के बारे में जानकारी नहीं दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि करणीय और अकरणीय संबंधी निदेशों का जिस किसी ने भी दिये थे, गंभीरता से पालन हुआ अथवा नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक अमरनाथ यात्रा का संबंध है, देवता के दर्शन एक विशेष तारीख को करने की लोगों में भावना होती है। दी गई अनेक चेतावनियां जैसे पर्याप्त संख्या में कम्बल अथवा पर्याप्त मात्रा में साधारणा दवाइयां, खाद्य सामग्री ले जाने संबंधी हिदायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि इन हिदायतों की ओर ध्यान दिया गया होता तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये कि वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत हो।

स्वभावतया, लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जाने के लिये मजबूर नहीं करता है। लेकिन जो लोग वहां जाते हैं उन्हें कुछ अनिश्चितता और खतरे की जानकारी होनी चाहिये। उन्हें अकरणीय और करणीय हिदायतों का पालन करना चाहिये तथा सरकार से सहयोग करना चाहिये। मुझे नहीं पता किस ने यह सुझाव दिया था कि यात्रियों की संख्या पर नियंत्रण होना चाहिये। गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में एक स्थान पर यह उल्लेख किया था कि जम्मू में कुछ अधिकारियों द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि एक निश्चित क्षेत्र से आगे न जाये क्योंकि आगे खतरा है। मुझे यह नही पता कि क्या इस हिदायत का पालन किया गया। प्रश्न यह है कि आप जाने वाले लोगों पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। क्या आप लोगों को वहां जाने से रोक सकते हैं? जबकि भारत के प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है कि वह देश के किसी भी भाग में जा सकता है। यह ऐसे अवसर है जो लोगों को आकर्षित करते हैं। अतः यह कहने का क्या तर्क है कि "आपको इस वर्ष 50 से 60 प्रतिशत यात्रियों की संख्या में आकस्मिक वृद्धि का अनुमान लगाना चाहिये था" मैं यह कहना नहीं चाहता कि मैं किसी व्यक्ति को उसकी जिम्मदारी से मुक्त कर रहा हूं लेकिन प्रश्न यह है कि हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और यह देखना चाहिये कि क्या जो किया जाना चाहिये था वह किया गया अथवा नहीं।

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि प्रकृति का प्रकोप अभूतपूर्व था। ऐसे समय पर स्थिति पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता था। क्या पर्याप्त संख्या में गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी अथवा नहीं, इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिये था। शायद भविष्य में वे और समझदारी से काम लेंगे और अतिरिक्त कार्यवाही करेंगे ताकि जितने व्यक्तियों की आशा की जाये उनके लिये उचित प्रबंध किये जा सके।

हमें अनेक स्थानों पर यात्रियों को सहायता देने के लिये स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद करना चाहिए। मैंने कुछ समाचारपत्रों के सम्पादकीय में पढ़ा था कि शायद प्रशासन तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में अधिक चिन्तित था। यह कहा जाता है कि शायद गत वर्ष की चेतावनी के कारण सुरक्षा को उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। यह देखना उनका कर्तव्य था कि राष्ट्र विरोधी अथवा आतंकवादी गतिविधियों से कोई मौत न हो। शायद इसी कारण सुरक्षा पहलू पर इतना अधिक ध्यान दिया गया। उन्होंने शायद यह अनुभव किया कि यात्री स्वयं अपना ध्यान रखेंगे और मैनेंजर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। उन्होंने शायद यह महससू नहीं किया कि यदि यहां कुछ और अच्छी अथवा विकसित सुरक्षा व्यवस्था होती तो और अधिक लोग आकार्षित होते।

स्थानीय लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जैसाकि मुझे विभिन्न लोगों ने बताया प्रधान मंत्री द्वारा यह कहना अच्छी बात है कि "स्थानीय लोगो के सहयोग से सब प्रबंध और सुदृढ़ हो गये और स्थानीय लोगों के सब वर्गों द्वारा यात्रा के लिये विभिन्न सेवाओं में भागीदारी इस वर्ष यात्रा की विशेष उत्साहित करने वाली महत्वपूर्ण बात थीं।"

16 अगस्त से 21 अगस्त तक यह निरंतर जारी रही जब तक कि यह दुखद घटना न हो गई।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है इस क्षेत्र का भूगोल बड़ा जटिल है। सीधी और अच्छी सड़कों का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिये सीमा सुरक्षा संगठन की विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है।

अपराह्न 3.49 बजे

(प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

मुझे यह नहीं पता कि श्री संतोष मोहन देव कितनी अवधि तक पर्यटन मंत्री रहे। एक बार जब वह पर्यटन मंत्री थे तब मैंने उन्हें बोलपुर आमंत्रित किया था। मैंने उनके लिये भारी स्वागत की व्यवस्था की थी। लेकिन जिस दिन उन्हें वहां जाना था वह अकस्मात ही संचार मंत्री बन गये। मैंने उनसे पूछा कि "आपको संचार संबंधी क्या जानकारी है सिवाय इसके कि आप एक ऐसी सरकार चला रहे हो जो अकार्यशील टेलीफोनों की विशेषज्ञ हैं।" यह एक अच्छा विचार है। वह कुछ भी और अच्छी बात का अनुवाद नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी वह अच्छे सुझाव देते हैं।

महोदया, मुझे विश्वास है आप वहां उस क्षेत्र में भी होती। मैं शायद अमरनाथ नहीं जाता मेरी पत्नी इस बारे में मेरी हमेशा आलोचना करती रहती है। अब वृद्ध होने के कारण मेरे लिये वहां जाना संभव नहीं है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : वहां जाने का प्रयास न करें। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं। **(व्यवधान)** इस क्षेत्रों का उपयोग पर्यटन के प्रयोजन के लिये भी किया जा सकता है। क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। यदि सड़क आदि जैसी और अधिक सुविधाएं उपलब्ध होगी तो लोग आकर्षित होंगे। यात्रियों के ठहरने के आवास सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये। अतः यह एक अच्छा सुझाव है। मैं श्री अग्निवेश के कथन से सहमत नहीं हूं। उन्होंने अनेक बाते कही हैं। में उनके बारे में उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे अनेक धार्मिक स्थलों पर जहां तीर्थ यात्री एकत्र होते हैं विभिन्न परिमाण की ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। हाल ही में हरिद्वार में ऐसी घटना घटी, उज्जैन के भी ऐसी घटना घटी **(व्यवधान)** सागर मेला, कुंभ मेला और अन्य मेलों **(व्यवधान)** में ऐसी घटनाएं घटी; रथ यात्रा में भी ऐसी घटना घटी **(व्यवधान)** मैं इनका उल्लेख क्यों कर रहा हूं? मैं अनादर करने के लिये ऐसा नही कह रहा हूं। मैं इन स्थानों पर एकत्र होने वाले लोगों की भावनाओं का पूरा आदर करता हूं। केवल बात यह है कि कभी कभी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं। इनको कैसे हल किया जाये? जब मैंने यह कहा कि इस घटना को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये तो इसमें मेरा अभिप्राय यह था कि इन मामलों पर सबको मिलकर बातचीत करना चाहिये और सुझाव देने चाहिये ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति न हो। ऐसी दुर्घटनाएं हरिद्वार अथवा उज्जैन अथवा अमरनाथ अथवा अन्य किसी भी स्थान पर हो सकती है। देया में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। दुर्भाग्य से धर्म का राजनीतिक उपयोग किया जाता है। देश में धर्म का महत्व है। इस बात से कोई इंकार नहीं करता। हमने देखा है कि धर्म का तभी महत्व है जब इसका राजनीतिक उद्देश्य से प्रयोग न किया जाये। अतः यह ऐसे मामले में जिनके दीर्घावधि हल निकाले जाने चाहिये।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि यदि इस सदन की यह राय हो कि इस मामले की जांच की जानी चाहिये तो हम जांच का विरोध नहीं करेंगे। जांच की जाये। लेकिन प्रश्न यह है कि किस प्रकार की जांच की जाये। इस बारे में सर्वसम्पति होनी चाहिये। मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में यदि आवश्यक हो, तो एक बैठक बुलायें। मैं किसी जांच पर जोर नहीं दे रहा हूं। यदि कोई जांच होती है तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे।

लेकिन, महोदया, कृपया इस बात की ओर ध्यान दें कि लोग कितनी गहराई तक जा सकते हैं। हम कुछ लोगों की गतिविधियों की प्रशंसा करते हैं, वहां के स्थानीय लोगों ने यथा संभव सहायेता की। आज के समाचार पत्र में हृदय विदारक समाचार प्रकाशित हुआ है—मुझे पता नहीं यह सही है अथवा नहीं, वे उनको मिले भारी स्वागत के बारे में कहते हैं। यहां तक उस स्थानीय लोगों ने भी जिनपर आतंकवादी होने का संदेह किया जाता था, अतिथि सत्कार का परिचय दिया। समाचार पत्रों ने उनके अतिथि सत्कार का उल्लेख किया है। यहां तक कि सुरक्षा कर्मचारियों को भी यह भय था कि कुछ तीर्थ यात्रियों का क्या होगा। लेकिन उन्होंने खतरा उठाया। उन्होंने लोगों के निमंत्रण को स्वीकार किया वे इन घरों में गये; रात भर रहे भी। उनके साथ उच्च कोटि का मानवीय व्यवहार किया गया; उनका भारी अतिथ्य सत्कार किया गया। हम चाहते हैं कि इसी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही हमें पता लगा है कि कुछ ऐसे लोग भी के जो वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर उनकी काला बाजारी कर रहे थे जिससे लोगों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी। स्वभावतया प्रशासन को इस प्रकार की गतिविधियों में लगे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिये। इन्हे मैं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की संज्ञा देता हूं।

महोदया, मैं अपने साथियों और अपनी ओर से एक बार फिर दुख प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसा अवसर नहीं आयेगा जब इस सदन को उस प्रकार की भारी दुर्घटना के बारे में चर्चा करनी पड़े और हमें भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये शांत वातावरण में चर्चा करनी चाहिये।

एक और समस्या का मैं उल्लेख करना चाहूंगा जिसका उल्लेख श्री दासमुंशी ने भी किया है। विभिन्न स्थानों से लोगों का अता-पता मालूम करने के लिये बहुत से टेलीफोन आ रहे हैं। हमारी पार्टी के दो संसद सदस्य भी वहां गये है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अधिकारी को भेजा है। अन्य राज्यों ने भी डी. आई. जी. रैंक के अपने अधिकारियों को वहां भेजा है। यद्यपि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की गई है लेकिन यह स्पष्ट हैं कि वे सब जगह उनकी खोज के लिये नहीं जा सकते। अतः इस प्रकार की कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिये जिससे लोगों को यह जानकारी दी जा सके कि किन लोगों का पता लगा लिया गया है और किन लोगों का पता नहीं लगाया जा सका है। मैं यह बात जानता हूं कि यदि किसी स्थान पर अचानक कोई घटना हो जाती है जहां इतनी अधिक संख्या में लोग एकत्र होते हैं, तो उनको सम्पर्क करना आसान नहीं होता है। लेकिन हमें उनके संबंधियों, मित्रों और परिवारों की चिंता को अवश्य समझना होगा। जब कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हर कोई पूछताछ आरंभ कर देता है। अतः यदि देश में भविष्य में बेहतर सूचना प्रणाली की व्यवस्था हो जाती है तो इससे लोगों के भय और अविश्वास को दूर करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। दुर्भाग्य से 194 व्यक्तिओं की मृत्यु हुई। मुझे दुख है कि दुर्घटना में सुरक्षा बल के कर्मचारी, गरीब कुली और टट्टू वाले भी मारे गये। वर्षा होने से पहले ही 13 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो चुकी थी। जब 160 लोगों की मृत्यु की खबर आई तो सब कोई चिन्तित होने लगे।

अतः मैं एक बार फिर सुझाव देता हूं कि जब कभी भविष्य में ऐसे समारोहों

का आयोजन किया जाये तो बेहर सूचना प्रणाली का विकास किया जाना चाहिये। संकटग्रस्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमें अवश्य दिशा-निर्देश निर्धारित करने चाहिये। भविष्य में बेहतर कार्यवाही करने के लिये हमे पूर्व अनुभव से सीखना चाहिये। हमें आशा करनी चाहिये कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना कभी न हो।

मैं एक बार फिर शोक सन्तप्त परिवारों और जिन लोगों ने इस दुर्घटना में भारी कठिनाइयां उठाई हैं उनके प्रति संवदेना प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा से कुछ ठोस निष्कर्ष सामने आयेंगे और उससे इस समस्या के हल करने में सहायता मिलेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदया, मुझे बोलने के लिये अवसर देने के लिये धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं उन यात्रियों, 'टट्टूवालों और सैनिकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई। मेरी उन व्यक्तियों से भी पूरी सहानुभूति है जो घायल अवस्था में अस्पतालों में हैं। श्री संतोष मोहन देव का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय शायद यह मत था कि सब कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

वास्तव में उनकी जानकारी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहना है लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा नहीं है। मुझे एक समर्पित कम्युनिस्ट नेता की बहन के बारे में जानकारी है कि वह जब तक पूजा नहीं कर लेती कुछ काम नहीं करती। लेकिन इससे उसके समर्पित कम्युनिस्ट होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमें इस अन्य किसी भी दृष्टिकोण से लें लेकिन इस प्रकार के दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उनकी पार्टी में भी नास्तिक लोग हैं। यहां प्रश्न धर्म का नहीं है। जहां तक मैं समझती हूं प्रश्न मानवीय समस्याओं से सम्बन्धित है जो यात्रा के दौरान एक बहुत कठिन भूप्रदेश में अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण उत्पन्न हुई।

मैं पहलगाम गयी हूं लेकिन अमरनाथ नहीं गयी। इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत संकटपूर्ण है। और इस प्रकार की परिस्थिति में संकट का मुकाबला करना और भी कठिन हो जाता है। इस दृष्टि से जैसे के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं और जिनका मेरे माननीय सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी ने उल्लेख किया है—मैं उनको दोहराना नहीं चाहती—स्थानीय लोगों द्वारा सहानुभूति दिखाये जाने और उनके दुर्व्यवहार की अनेक कहानियां सुनने में आई है। यह मानव प्रवृत्ति है। हमें पहली बात को प्रोत्साहित और दूसरी बात को यथासंभव तरीके से हतोत्साहित करना चाहिये।

मैं भी यह अनुभव करती हूं कि यह अत्यन्त अभूतपूर्व स्थिति थी और जिसका मुकाबला करना बहुत कठिन था। ऐसी स्थिति में राज्यपाल और गृह सचिव वहां क्यां नहीं पहुंचे। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बारे में जांच करेगी और इसको हतोत्साहित करेगी। मैं आशा करती हूं कि इसके लिये उनसे उचित स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने प्रशंसनीय कार्य किया है उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि इतनी अधिक भीड़ को देखते हुए मरने वालों की संख्या काफी अधिक हो सकती थी। भगवान का शुक्र है कि रोल नहीं हुआ। निःसंदेह, ऐसा इसलिये नहीं हुआ कि उन्हें विभिन्न स्रोतों, जिनमें जवान, स्थानीय लोग और प्रशासन शामिल था, से सहायता मिलती रही।

अब मैं भी वही प्रश्न उठाऊंगी जो श्री सोमनाथ चटर्जी ने उठाया है। निःसंदेह ये धार्मिक समारोह धार्मिक भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदा-कदा, यहां-वहां बड़ी दुर्घटनाएं, जैसे कुंभ मेले में भगदड़ आदि घटती रहती है। प्रश्न यह है कि हम इस प्रकार की दुर्घटनाओं को किस हद तक रोक सकते हैं। क्या हम सावधानी बरत कर ऐसे तरीकों का पता लगा सकते हैं जिनसे यदि हम दुर्घटना रोक नहीं सकते तो कम से कम इस प्रकार की दुर्घटना की संभावना को कम तो कर सकते हैं? सब लोगों का, विशेषकर धार्मिक समारोह से संबंधित व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करे। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि उनके लिये किसी प्रकार के तंत्र और संगठन की व्यवस्था की जा सकती है। प्रशासन को इसमें भाग लेना चाहिये। यात्राओं और मेलों आदि का आयोजन करने वाले संगठनों को इसमें भाग लेना चाहिये, स्थानीय लोगों तथा अन्य व्यक्तियों को भी इस में भाग लेना चाहिये। इस दुखद वातावरण में चीजों की कालाबाजारी, निश्चित रूप से बहुत बुरी बाता है। इस प्रकार की बातों को सामान्य काला-बाजारी न समझकर, सख्ती से काम लिया जाना चाहिये। ऐसा तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर विचार विमर्श करें और भविष्य के लिये सुझाव दें। मुझे आशा है कि हम सब ऐसा करेंगे और मैं आशा करती हूं कि वहां जो भी यात्री हैं वे शीघ्र ही सुरक्षित वापिस आयेंगे।

अंत में मैं श्री सोमनाथ बाबू द्वारा उठाये गये मुद्दे का समर्थन करती हूं। हमारे से भी इस बारे में बहुत पूछताछ की जा रही है। उदहारण के तौर पर मेरे कनिष्ठ सहयोगी ने यह बताया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र शिवकांशी से 32 व्यक्ति गये थे लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसी प्रकार, मुझे पश्चिम बंगाल से सूचना मिली है। पश्चिम बंगाल से जो लोग गये थे उनकी स्थिति के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। यह सच है कि इतनी बड़ी भीड़ में हर किसी को ढूंढना आसान काम नहीं है लेकिन मैं आशा करती हूं कि इस बारे शीघ्र कोई कार्यवाही की जायेगी और जो वहां अभी बाकी बचे हैं और उनके नीचे आने के बारे में जानकारी दी जायेगी ताकि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों, जिनको वहां भेजा गया है, को उनकी कुशलता का संदेश अथवा जो भी स्थिति हो उसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

श्री तिरुचि शिवा (पुडुक्कोट्टई) : हस्तक्षेप के लिये मुझे दुख है। तमिलनाडु से जो लोग वहां गये थे उनके बारे में हमें संदेश मिला है वे सुरक्षित है। मुख्य मंत्री ने इस आशय की घोषणा की है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह अच्छी बात है कि उन्हें जानकारी मिल गई है। वे कल आये थे। इससे पहले वे चिन्तित थे अभी भी वहां बहुत से लोग रह गये है। जो लोग वहां रह गये हैं, यदि उनके बारे में हमें शीघ्र सूचना मिल जाये तो बहुत अच्छी बात होगी।

जहां तक जिम्मेवारी निर्धारित करने का प्रश्न है, मुझे विश्वास है सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि यह किस प्रकार किया जाये। यह दोनों ही प्रकार से—प्रोत्साहन देकर और हतोत्साहित करके किया जा सकता है। भविष्य में हमें ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे इस प्रकार की घटनाओं को कम से कम किया जा सके। यह बहुत विशिष्ट स्थिति थी। ऐसा अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण हुआ। पहले मौसम कोई समस्या नहीं था। उस समय चीजों पर नियंत्रण रखना समस्या थी। हम इस प्रकार की परिस्थिति में स्थिति पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, हमें इस बारे में विचार करना होगा।

अंत में मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी। यात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि से इस बात का पता लगता है कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि हमारा कश्मीर चुनावों के लिये सुरक्षित नहीं है और जो यह सोचते हैं कि कश्मीर की स्थिति में सुधार नहीं होगा उन्हें इस तथ्य की जानकारी हो जायेगी कि इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग गये, हिंदू गये और उन्हें मुसलमानों ने आश्रय दिया। इससे पता लगता है कि इनका यह सोचना गलत था ऐसा वहां हुआ। इस दुखद घटना से यह सिद्ध होता है कि हिंदू और मुसलमान कठिनाई के समय एक दूसरे की जिस प्रकार सहायता करते हैं। यह एक अच्छी बात है जिसकी ओर हमें ध्यान देना होगा इससे भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं को हल करने में सहायता मिलेगी।

श्री जगं मोहन (नई दिल्ली) : मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिनका मेरे विद्वान सहयोगियों ने उल्लेख किया है। मुझे कुछ एक मुद्दे उठाने है। मैं कुछ ठोस सुझाव दूंगा क्योंकि मैं इस क्षेत्र में पहलगांव से गुफा तक दो बार पैदल गया हूं। मैं सुझाव दूंगा कि इस संबंध में क्या किया जाना चाहिये। मैं उनकी जानकारी सभा को देना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा।

हम जानते हैं कि विनाश राहत अथवा विनाश प्रबंध एकक जैसी एक संस्था होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सभी सदस्य राष्ट्रों से विनाश राहत अथवा विनाश एकक स्थापित करने की सिफारिश करता रहा है। यहा तक कि संयुक्त राष्ट्र भी इस संबंध में कुछ सहायता देता है। यदि अचानक भूचाल आ जाये, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब मैं दिल्ली का उप राज्य प्रमुख था तब हमने इसकी व्यवस्था की थी। यदि दिल्ली में अचानक भूकंप आ जाता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी जब सभी संचार व्यवस्था भंग हो जाती है, कोई आदमी उपलब्ध नहीं होता, तो विनाश का कैसे मुकाबला किया जाये? मेरा यह पहला प्रश्न है। क्या भारत सरकार ने विनाश प्रबंध अथवा राहत एकक की व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? यदि इसकी व्यवस्था की गई है तो उसने यह पता लगते ही की मौसम बहुत खराब हो गया है, कार्य करना आरंभ क्यों नही किया? प्राकृतिक आपदा 21 और 22 तारीख की रात को आई थी। कोई भी व्यक्ति जो वहां उस क्षेत्र में होता वह बादलों के प्रकार को देख सकता है। यह बताया गया है कि कुछ टट्टूवालों ने लोगों को कहा था कि वे वापिस चले जायें क्योंकि मौसम खराब होने वाला है। उसके पास कोई यंत्र नहीं था। वह केवल ऐसा अपने निर्णय के आधार पर कह रहा था। मैं वहां रहा हूं। मुझे वहां के मौसम की जानकारी है। जब मौसम खराब होता है तो आप आसानी से पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। अतः मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि जब 21, 22 की रात्रि और 25 तारीख में अंतर था। मैं इस बात को छोड़ता हूं। यदि कोई जांच होती है तो क्या कोई इस बात की ओर ध्यान देगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत सरकार का एक आसूचना ब्यूरो है। राज्य सरकारों को विशेष शाखाएं हैं। आखिरकार, दिल्ली और बंगाल से लोगों के चलने के बाद सरकार को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई होगी। मेरे विचार से वहां जाने वाले यात्रियों में सबसे अधिक संख्या बंगाल की होती है क्योंकि वे शिव के अनन्य भक्त हैं। जब मैं वहां गया तो मैंने यह देखा कि एक बड़ी संख्या में बंगाली गुफा की ओर जा रहे थे। इनमें 70 वर्ष के वृद्ध भी शामिल थे। मैंने उन्हें गुफा तक पहुंचने में मदद की। वहां कुछ समस्या थी। लेकिन मूल बात यह है कि विभिन्न लोगों के अब वहां जाने की श्रद्धा भावना है। मैं देखता हूं दिल्ली, जम्मू और अन्य राज्य की राजधानियों में बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। यह आशा की जाती है कि सरकार आसूचना, कल्पना और सूचना के आधार पर कार्यवाही करेगी और पूर्व व्यवस्था करेगी। मेरे विचार से सरकार ने ऐसा नहीं किया। वे विमान से नहीं आ रहे थे। अधिकांश यात्री बसों से आ रहे थे। वहां जाने के लिये केवल एक ही मार्ग है। यदि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि कितने लोग श्रीनगर पहुंच गये हैं और कितने लोग पहलगांव जा रहे हैं, कितन लोग पहलगांव में जगा हो रहे हैं, तो उसे शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये थी। जहां तक इस यात्रा का संबंध है, मेरे विचार में इसमें पूर्व योजना का पूर्ण अभाव था। इस समय यह कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह दुर्घटना किस सीमा तक प्राकृतिक थी और किस सीमा तक मानव निर्मित। अपने अनुभव के आधार पर मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है।

यदि आपको इस क्षेत्र के बारे में कोई अनुभव है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं—मरने वालो की संख्या में भारी कमी हो सकती थी। सोनामल, बल्ताल से इस गुफा तक एक मार्ग है। यह मार्ग सेना द्वारा बनाया गया था। यह जीप मार्ग है। मैंने इस मार्ग पर यात्रा की है। इस मार्ग से तुलनात्मक आसानी ने पहुंचा जा सकता है। लेकिन यह मार्ग जनता के लिये खुला नहीं है। यह पारम्परागत मार्ग नहीं है। लोग पहलगांव होकर परंपरागत मार्ग से जाना पसंद करते हैं। मैं यह बात बाद में बताऊंगा कि वह परंपरागत मार्ग से जाना क्यों पसंद करते हैं **(व्यवधान)** मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग हटकर है। मैं आप से पूर्णतया सहमत हूं। मैं यहां कुछ और कहना चाहता हूं। यदि पूर्व योजना होती। तो मामूली से प्रयास से आप बालताल सड़क की मरम्मत कर सकते थे—आप इसे तैयार रख सकते थे—जब आपको पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने आना है-आप उस पर कुछ सीड़िया बना सकते थे। अधिकांश व्यक्तियों की मृत्यु गुफा और इस पुष्पहार के बीच हुई। जब आप नीचे पंचतरणी जाते हैं तो वहां कुछ ढलान है और आप आसानी से जा सकते हैं। तीर्थ यात्री उस स्थान पर फंस गये। जो उधर गये और लाइन में खड़े थे वह प्रभावित हुए। वहां बड़ी संख्या में लोग लाइन में खड़े थे। वे नहीं जानते थे कि आगे कैसे जायें अथवा पीछे कैसे जायें। मुझे तीन भाइयों के मामले की जानकारी है। दो वापिस आ गये और एक वापिस नहीं आया। जो लोग टेलीविजन देखते हैं उन्होंने देखा होगा एक व्यक्ति कह रहा था "मेरी पत्नी पीछे रह गई है; मैं उसको ढूंढ नहीं पाया" ऐसा इसलिये हुआ कि वह वापिस नहीं जा सका। इस स्थान पर बहुत से लोगों को एकत्र होने की अनुमति दी गई थी। अधिकांश लोगों की मौत इसी स्थान पर हुई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि ऐसे संकटपूर्ण स्थल पर एक जिम्मेवार अधिकारी को क्यों नियुक्त नहीं किया गया।

यदि मैं गुफा के सामने खड़ा होता हूं — मैं वहां था और मैं आपको बता सकता हूं—यदि लोग चल नहीं रहे हैं, तो वहां भगदड़ मच जायेगी, लोगों की मृत्यु हो जायेगी और एक बार उसमें फसने के बाद वापिस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता कि लोगों के आगे बढ़ने पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जा सकता है जब तक कि कोई मार्ग दर्शक न हो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। यदि इस मार्ग को तैयार किया गया होता तो कम से कम उन्हें इस पक्की सड़क पर लाया जा सकता था और बहुत से लोगों को मृत्यु के मुह से बचाया जा सकता था।

मुझे आश्चर्य है। सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि वहां वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई और भारी हिमपात हुआ। क्या कोई मुझे बतायेगा कि वहां वास्तव में

कितनी वर्षा अथवा हिमपात हुआ। 22 अगस्त को वहां कितने इंच हिमपात हुआ? मैं कश्मीर में पहले छः वर्ष रह चुका हूं। क्या कोई यह कह सकता है कि वहां इतना अधिक हिमपात होगा कि लोग वर्फ में जिन्दा दफन हो जायेंगे? यह असंभव है। यह हो सकता है कि वहां आधा इंच अथवा एक इंच अथवा दो इंच हिमपात हुआ हो। वह अगले दिन अथवा उससे अगले दिन पिघल जायेगा। हिमपात से लोग कैसे मर सकते हैं? लोग ठंड से मरते हैं। वे कम तापमान के कारण मरते है। उनके पास ओड़ने के लिये कुछ नहीं होता। वे भीगे हुए थे। वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। उनका मार्ग दर्शन करने के लिये वहां कोई नहीं था। वहां कोई नहीं था जो उनको बताये कि वे अमूक मार्ग से अथवा अमूक मार्ग से जा सकते हैं कुछ भी नहीं किया गया। वहां ऐसी स्थिति थी।

यह कहा जाता है कि टैंट लगाये गये थे। हम तम्बुओं की संख्या के बारे में विवाद कर रहे हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि लगाये गये टैंटों की गुणवत्ता कैसी थी। कोई व्यक्ति दो रॉड पर कुछ चादर रख दे तो वे इसे टैंट कहते हैं। इस प्रकार के टैंट तो आपके सांस लेने से ही उड़ जायेंगे। क्या किसी व्यकित ने इन टैंटो पर स्तंभपीठ रखी। टैंट लगाने से पहले उसके फर्श पर ईटें बिछाई जाती है जिससे जमीन में पानी न भर जाये। स्तंभ पीठ नहीं रखी गई थी। आप किसी सेना के टैंट में जाये अथवा बी. एस. एफ. के टैंट में जाये। वे फर्श पर बहुत ऊंची ईटे बिछाते है ताकि वर्षा होने पर पानी अंदर प्रवेश न कर सके। अन्यथा कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि आप कच्ची सड़क पर टैंट लगा लेते हैं, जो गीली है तो आप वर्फ और पानी के टैंट में स्वयं फंस जायेंगे। आप भीग जायेंगे, आपके कपड़े भीग जायेंगे और सब कुछ भीग जायेगा। आपको इसी प्रकार सारी रात रहना पड़ेगा। क्या होगा? इस प्रकार के टैंटो से आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है जिसका उल्लेख नही किया गया है।

मैं आलोचना नहीं करना चाहता। मैं केवल त्रुटियों आदि की बात कर रहा हूं। जब कभी कोई जांच की जायेगी ये बाते सामने आयेंगी। लेकिन में भारतीय परिस्थितियों के एक पहलू के बारे में महसूस करता हूं। श्री संतोष मोहन देव उपस्थित नहीं है। उन्होंने वैष्णों देवी मदिर का उल्लेख किया था। मैं सभा को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1986 में जब वहां कुछ समय के लिये राज्यपाल शासन था मैं इस क्षेत्र में (चन्दनबाड़ी-गुफा) गया था। मैंने इसके लिये योजना तैयार की थी। मैं आपको बता दूं कि विश्व में इस क्षेत्र की तुलना में कोई खूबसूरत क्षेत्र नहीं है। मैं फोर्ड फाऊंडेशन फैलोशिप पर गया था, जब मैं सेवा में था। विश्व में, यहां तक कि युगोस्लेविया आदि में भी चन्दनबाड़ी से लेकर इस गुफा तक की यात्रा सबसे खूबसूरत यात्रा है। शेषनाग क्षेत्र, पंचतरणी क्षेत्र और पोशपा के आस-पास के क्षेत्र स्वर्ग के समान लगते हैं। आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह क्षेत्र कितना खूबसूरत है। झील और छोटी नदियां कैसे बहती हैं, छोटे झरने कैसे बहते हैं, पहाड़ कैसे हैं छोटी पहाड़ियां कैसी हैं, चारों ओर हरियाली कैसी है और चट्टानें कैसी हैं। प्रत्येक नाम स्तंभ पर पौराणिक कथा लिखी है। शेषनाग से पंचतरणी क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और धर्म का छाप है। जब लोग अनुच्छेद 370 का उल्लेख करते हैं तो मुझे आश्चर्य होता हैं क्योंकि कश्मीर का शेष भारत से संबंध मस्तिष्क और आत्मा का है और वह 5000 वर्ष पुराना है। यदि आप चन्दनबाड़ी से गुफा तक जाते हैं तो आप भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म और भारतीय पुराण के सैंकड़ों नाम स्तंभ देखेंगे। यदि आप कोई पुस्तक लिखना चाहें तो आप इन नाम स्तंभों पर 1000 पृष्ठ लिख सकते हैं—ये क्या है, इनकी पृष्ठ भूमि क्या है, इनमें क्या निहित है और अन्य इसी प्रकार की बातें।

इन सब सुंदर स्थलों पर आश्रय स्थल स्थापित किये जा सकते हैं। आप पत्थर और शीशे का ढांचा बना सकते हैं। पत्थर से आपको शक्ति प्राप्त होती है और उस पर ग्लास रखें। यह शून्य से नौ अथवा 10 डिग्री नीचे तापमान तक रह सकता है और यह बहुत सुंदर लगता है। मान लीजिये मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूं और वहां जाता हूं। मैं थक जाता हूं। मैं उस स्थान पर बैठ जाऊंगा और विश्प के सबसे सुंदर दृश्य का आनंद उठाऊंगा मैं चाय, कॉफी अथवा कोई अन्य वस्तु ले सकता हूं क्योंकि इस बात की व्यवस्था बराबर वाले कमरे में अथवा बेसमेंट में की जा सकती है। मैं सब चीजें स्टोर कर सकता हूं। दवाइयों के लिये मैं आक्सीजन सैलेंडर रख सकता हूं। वृद्ध व्यक्ति को सिगरेट की आवश्यकता हो तो आप उसे दे सकते हैं। आप उन्हें दवाई, अतिरिक्त ऊनी कपड़े आदि दे सकते हैं, यदि वे बीमार है। भीड़-भाड़ के समय वहां डाक्टरों की नियुक्ति की जा सकती है। इस प्रकार के सब प्रबंध यि जाने की आवश्यकता है। आज हम एक आधुनिक और प्रौद्योगिकी युग में रह रहे हैं। क्या आप रोशनी के लिये वहां डीजल इंजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्या आप रात को देखने वाली प्रणाली की व्यवस्था नहीं कर सकते जो भारत सीमा सुरक्षा बल के पास सीमाओं पर है। रात को देखने की प्रणाली की व्यवस्था वहां है। ऐसे प्रत्येक स्थल पर 20 अथवा 30 आश्रय स्थलों की बसेरे के रूप में व्यवस्था की जानी चाहिये। यदि इसी प्रकार कभी खराब मौसम हो जाता है तो उनका उपयोग बहुत से लोगों के लिये आश्रय स्थलों के रूप में किया जा सकता है। यदि इन सब सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकती है तो आपको विश्व के कुछ सबसे सुन्दर स्थलों पर आश्रय और आराम एककों उपलब्ध होंगे।

वर्ष 1986 में मैं वहां गया था-योजना तैयार करने के लिये वस्तुविदों और इंजीनियरों के पास मेरे सब फोटो और अन्य समान था। इस क्षेत्र में कार्य करने का मौसम केवल दो अथवा तीन महीने हैं—जून का थोड़ा सा भाग, जुलाई और अगस्त। जब आप कोई योजना तैयार करते है तो यह आगामी दो अथवा तीन मौसमों के बाद अथवा वर्षों में पूरी हो जायेगी। हमने ऐसा किया था, दुर्भाग्य से उसके तुरंत बाद राज्यपाल शासन समाप्त हो गया और राज्य मंत्रिमंडल आ गया। मैंने राज्य मंत्रिमंडल को एक नोट भेजा था जिसमें योजना का ब्यौरा, क्षेत्र, उसके लिय प्राप्त होने वाली वित्तीय राशि, इसको पूरा करने का तरीका, यूनिटों की स्थापना कहां की जानी चाहिये आदि बातों का ब्यौरा दिया था। मैंने मंत्रिमंडल से अनुवर्ती कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। लेकिन दुर्भाग्य से जैसा आप जानते हैं उसका रवैया उपेक्षित था और एक हद से अधिक काम करने से इंकार करने का था। मेरे राज्य से लौटने तक मामला इसी प्रकार लटकता रहा।

वहां योजना उपलब्ध हैं, वैष्णों देवी बोर्ड का नमूना उपलब्ध है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि जब राज्यपाल के शासन के दौरान मैंने वैष्णों देवी मंदिर को अधिग्रहीत किया तो मुझे कितने निहित स्वार्थी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। मेरे सब अधिकारियों ने कहा।

[हिन्दी]

आप क्या कर रहे हैं। आपका ये लोग जनाजा निकाल देंगे। कल जम्मू के लोग इतना झगड़ा करेंगे। यदि आपको कुछ कार्यवाही करने होती है तो हिम्मत से काम लेना होता है। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि मैं क्यों वैष्णों देवी का उल्लेख कर रहा हूं। सरकार ने इसका अधिग्रहण नहीं किया है। मैंने सरकार के बाहर एक सांविधक बोर्ड एक विधायी बोर्ड का गठन किया क्योंकि राज्यपाल

शासन के दौरान मुझे विधायी शक्तियां प्राप्त थीं और मैंने एक अध्यादेश जारी किये जिसकी बाद में पुष्टि कर दी गई।

अब इसके लाभ क्या हैं? यह इस अर्थ में धार्मिक स्थल नहीं है कि हमें धार्मिक प्रयोजन के लिये जाने वालों के लिये व्यवस्था करनी पड़े। इसका सब पर प्रभाव पड़ा है। मेरा माननीय गृहमंत्री से अनुरोध है कि वह इस बारे में विचार करें इसका सब पर प्रभाव क्यों पड़े? अब आप वैष्णों देवी मंदिर देखते हैं। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का नकारात्मक दृष्टिकोण है। कटरा से वैष्णों देवी जाने वाले 13 मील लंबे मार्ग पर आपको हजारों भिखारी मिलेंगे और अस्वस्थकर स्थिति मिलेगी। लोगों के लिये शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कालाबाजारी आदि कर रहा है। पहली बार दौरा करने के बाद मेरे मन में यह विचार आया कि यदि आप भारत का नैतिक अधोपतन देखना चाहते हैं तो आपको पैदल कटरा से वैष्णों देवी की यात्रा करनी होगी। स्थिति इतनी खराब थी। स्वार्थी लोग धनराशि उगाह रहे थे और इस प्रकार उगाही गई धनराशि का उपयोग वैश्यवृत्ति, मुकदमों आदि पर किया जा रहा था। वहां सब सामाजिक समस्याएं विद्यमान थीं। चूंकि भीख मांगने में आमदनी होती थी इसलिये कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता था। पहले ही दिन से बच्चे को सड़क पर बैठा दिया जाता था क्योंकि वह प्रतिदिन 25 से 30 रुपये तक कमा लेता था। इस क्षेत्र में भारत मे सबसे अधिक अशिक्षितता की दर है। किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था। अतः मैंने कार्यवाही की। मैंने ऐसा करने का पक्का इरादा किया और मैंने सब भिखारियों को वहां से हटा दिया। मैंने उनको काम दिया। मैंने इस क्षेत्र का विकास वैष्णों देवी के मंदिर को प्राप्त होने वाली धनराशि से किया और सरकारी राजस्व से एक पैसा भी नहीं लिया। अब प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं से प्राप्त होने वाले सात करोड़ रुपये इस क्षेत्र के विकास में लगाये जाते हैं। यही वास्तविक सेवा है। आप इसे धर्म कह सकते हैं; आप इसे संस्कृति कह सकते हैं और विवेकानंद के विचारों के अनुसार आप इसे 'जीव शिव है' की संज्ञा दे सकते हैं। यदि आप निर्धन की सेवा करते है तो परमात्मा की सेवा करते हैं। परमात्मा की यह सबसे बड़ी सेवा हैं। उन्होंने कहा है "कि मैं एक मात्र परमात्मा अर्थात् निर्धनों, बीमारों और मरने वालों की सेवा करने के लिये बार-बार जन्म लेता रहूं।" यही वास्तविक कार्य है जो आप वहां देखते हैं। इस धनराशि से पर्यावरण में सुधार हुआ है, स्वच्छता में सुधार हुआ है और खाना पकाने का सब काम आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। अब कोई बीमार नहीं होता। अन्यथा पहले जो वहां जाता था वह आंत्रशोथ से पीड़ित हो जाता था। वहां की दशा बहुत खराब थी। अब सब बच्चे स्कूल जा रहे है और स्कूलों की स्थापना उक्त धनराशि से की गई है उक्त धनराशि से औषधानियों की व्यवस्था की गई है और 18 लाख वृक्ष लगाये गये हैं। वे सब लोग जो उस क्षेत्र में अपराधों में लगे थे अब निर्माण कार्य में लगे हैं। वे भारतीय समाज के उत्पादक एकक हो गये हैं। अब आप आर्थिक पहलू की ओर ध्यान दें।

पहले वहां प्रतिवर्ष तीन से चार लाख लोग जाया करते थे क्योंकि वे मन्नत मांगते थे अथवा उनके पूर्वजों ने कहा था कि वे वहां अवश्य जायें। लेकिन जब वे वहां जाते थे तो बहुत परेशान होते थे। अब 40 लाख यात्री वहां जाते हैं। वे वहां खुशी-खुशी जाते हैं क्योंकि वातावरण अच्छा है। 'जो भी वहां जाता है, चाहे वह वैज्ञानिक हो अथवा श्री सोमनाथ चटर्जी जैसा मेरा विद्वान मित्र हो वहां जाकर खुश होता है क्योंकि वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। मेरे विद्वान मित्र मि. जस्टिस कृष्ण अय्यर एक बार वहां गये थे। कुछ लोगों को वातावरण से आध्यत्मिक दर्शन प्राप्त होता है। आप मूर्ति पूजा मे विश्वास न करें लेकिन आपको अंतरिक संतोष प्राप्त होता है। यही वैज्ञानिक पहलू अर्थ रखता है। आप राष्ट्र में यह भावना पैदा कर रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परम्परा और इतिहास आदि से जोड़ रहे हैं। यदि आप जम्मू जाते हैं तो आपको पता लगेगा कि 40 लाख यात्रियों के वहां पहुंचने से जम्मू की अर्थव्यवस्था में कितना अंतर आ गया है। 140 होटलों की स्थापन की गई है और परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसका चहुंमुखी प्रभाव पड़ा है। उन सब महिलाओं को जो खाली बैठी रहती थी चुन्नी निर्माण एककों में नियुक्त कर दिया गया क्योंकि जो भी यात्री वहां जाता है, चुन्नी खरीदता है। वे चुन्नी बेचती है और प्रति माल 600 से 700 रुपये तक कमाती है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल गया है और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ गया है। जब मैं राज्यपाल था मेरे मित्र श्री पी. आर. दासमुंशी वहां आते थे और वे राजभवन निःशुल्क लंच लेते थे। लेकिन वापिस जाते समय वे अपनी पुत्री और मित्रों के लिये कुछ चुन्नियां खरीदते थे। वे जम्मू में विशेष माने जाने वाली वस्तु भी खरीदते थे। इस प्रकार जम्मू के व्यापारियों की बिक्री में वृद्धि हुई है, राज्य के बिक्री कर में वृद्धि हुई है और परिवहन व्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रत्येक चीज में कई गुना वृद्धि हुई है। अतः मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो सामाजिक निकास, राष्ट्रीय शर्म का स्मारक था, अब समाज, सांस्कृतिक जीवन के पुनरूत्थान का प्रतीक हो गया है और इसके लिये एक पैसा भी सरकार से नहीं लिया गया है। इस क्षेत्र में 80 करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है। कल्पना कीजिये कि एक निर्धन क्षेत्र को निवेश के लिये 80 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। हम सामान्यतया अतिरिक्त स्रोतों के लिये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से सहायता मांगते हैं। यदि आपका दिमाग कल्पन चतुर है, यदि आप रुढ़िवाद को छोड़ना चाहते हैं, तो संसाधन हमेशा आपके हाथ में रहते हैं और यह इस बात का जीता जागता सबूत है। आपने संसाधन पैदा किये हैं। जो आपका दायित्व था इसे आपने अपनी अस्तियों में बदल दिया है। अतः इस प्रणाली का चंदनवाड़ी क्षेत्र में अनुसरण करें। वहां खूबसूरत स्थल है। वैष्णों देवी और इस क्षेत्र में भी कोई तुलना नहीं की जा सकती। वास्तव में धनराशि की अतिरिक्त कठिनाई को पूरा करने के लिये मैंने दोनों बोर्डो को जोड़ने की योजना तैयार की थी ताकि मैं इस क्षेत्र में धनराशि का उपयोग कर सकूं क्योंकि इस क्षेत्र का अभी विकास किया जाना है। वहां असंख्य स्थल ऐसे हैं जिनका विकास किया जा सकता है और जो लोग धर्म में अथवा अन्य बातों में रुचि नहीं रखते वे वहां जा सकते हैं। उन्हें वहां कुछ बहुत सुन्दर स्थल दिखाई देंगे। मुझे विश्वास है कि विभिन्न ट्रैक्स और विदेशी लोग वहां जायेंगे और आप वहां विभिन्न व्यवस्थाएं कर सकते हैं। मुझे अब कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि सम्मानीय सदन का यह विचार हो कि मैं इस कार्य में उपयोगी सिद्ध हो सकता हूं तो मुझे इस सम्बन्ध में सहयोग देने में प्रसन्नता होगी और मैं ऐसी संस्थाएं व्यवस्था करने में सहायता करूंगा। जिससे इस जगह का स्थान विश्व के सबसे खूबसूरत स्थानों में हो जाये, विश्व के सबसे आकर्षित स्थानों में हो जाये और ऐसी शक्तियां को उत्पन्न करे जो भारत में पुनरूद्धार करे। आखिरकार, हमें अपनी परम्पराओं को समझना है। वे क्या आंतरिक शक्तियां थी जो विवेकानन्दजी को कलकत्ता से कन्याकुमारी लाई और कन्याकुमारी से अमरनाथ यात्रा पर लाई। क्या आप जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? मैंने इस बारे में एक लेख लिखा है। इसमें मैंने लिखा है कि विवेकानन्दजी के क्या विचार थे। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब उन्होंने इस मंदिर में प्रवेश किया तो वे कितने विमोहित थे। इस यात्रा का क्या महत्त्व है? समय की कमी के कारण मैं यहां उसका उल्लेख नहीं करना

चाहता। लेकिन मैंने कुछ समय पूर्व विभिन्न समाचार पत्रों में लेखों में इस बारे में उल्लेख किया है। यदि इसके महत्त्व को समझ लिया जाये तो हमारा राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण हो जाये, वास्तविक समीकरण हो जाये और लोगों के मस्तिष्क का विकास हो जाये। इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने तीर्थ यात्रियों के लिये पर्याप्त आश्रय की व्यवस्था की। यह बहुत ही अच्छी मिसाल है और यह कश्मीरी परंपरा का एक अंग है।

मैं आपकी जानकारी के लिये एक और मुद्दे का उल्लेख करूंगा। कश्मीरी सब बड़े अच्छे मित्र होते हैं और चरारे-ए-शरीफ और नुमे ऋषि के जीवन दर्शन के अनुसार यह मुस्लिम अर्थों में एक प्रकार के वैदान्तिक जीवन दर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से यह संकीर्ण राजनीति थी जो 1947 के बाद आई और जिसने काश्मीरी इस्लाम को कट्टरवादी बना दिया। लेकिन कश्मीरियों के हृदय सोने के है। मेरे पहले सेवाकाल के दौरान उन्होंने मेरा हृदय से स्वागत किया। केवल पाकिस्तान और कुछ क्षेत्रों में हमारे संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण, नकारात्मक, दृष्टिकोण के कारण उन्हें अथवा कश्मीरी जनसंख्या के एक बड़े भाग को कट्टरवारिता का दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिली है।

उनमें ऐसी बात नहीं है। यदि आप उनके किसी 'खानखास' के पास जाते हैं, तो आपको एक बात मिलेगी। वास्तव में चरारे-ए-शरीफ में उन्होंने मेरा स्वागत किया था। केवल मैं ही एक ऐसा राज्यपाल था जिसे **'दिस्तारे बहान्दी'** से विभूषित किया गया था।

[हिन्दी]

स्पेशल पगड़ी बांधते हैं।

[अनुवाद]

उनके हृदय सोने के बने हुए हैं। वह आज जो कर रहे हैं वह हमारी संकीर्ण राजनीति के कारण और पाकिस्तान के बहकावे में आकर कर रहे हैं। वर्ष 1990 में जब मैं वहां गया तो स्थिति भिन्न थी। मैं समझता हूं कि हमारे लोगों ने नहीं समझा, उचित बात का समर्थन नहीं किया हैं। तथापि यह भिन्न पहलू है। अत : मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। आपने मेरी लम्बी कहानी को बड़े धैर्य से सुना इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। यद्यपि मैं कुछ और मुद्दे उठाना चाहता था। अन्य मित्रों ने भी बोलना है।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदया, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा, जैसाकि अनेक सदस्यों ने उल्लेख किया है, भारत की समस्त जनता के लिये यह न केवल एक यात्रा है बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षण और अवसर है जिसमें प्रतिवर्ष यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति की एकता कि विशेष अवधारण निहित है। यह एक यात्रा है, जो कश्मीर में सब अवसरों पर पवित्र गुफा में हिंदुओं द्वारा अपनी धार्मिक निष्ठा से की जाती है और जिसे मुसलमानों का समर्थन प्राप्त होता है। अमरनाथ यात्रा में भारतीय संस्कृति की एकता की विशेष अवधारणा निहित है। अतः यह दुखद घटना न केवल एक परिवार के लिये त्रासदी है, चाहे वह हिंदू हो अथवा गैर-हिंदू बल्कि इसमें उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है जो सारे वर्ष इस यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं।

मुझे इस बार यात्रा के लिये की गई व्यवस्था तथा इस बारे में की गई कार्यवाही को देखकर वास्तव में धक्का लगा। मैं यह सरकार की आलोचना करने नहीं आया हूं। मैं अमरनाथ त्रासदी से लाभ उठाने तथा इसे राजनीतिक रूप देने के लिये यहां नहीं आया हूं। मैं यहां सरकार को समर्थन देने आया हूं। चूंकि मैं सरकार को समर्थन देना चाहता हूं। इसलिये मैं सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि इस बार हुई गलतियों की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। वे गलतियां क्या थी? इस बारे में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ है।

सभा को स्मरण होगा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखर ने एक बार बलिया के कुछ लोगों की कश्मीर में हुई हत्या के बारे में मामला उठाया था।हम गृह मंत्री का आदर करते हैं। मैं निजी तौर पर एक सांसद के रूप में उनका आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उनका जनता की भलाई में वास्तव में विश्वास है। प्रशासन के मामले में भी वह बहुत स्पष्टवादी हैं। गृह मंत्री ने सदन् में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि अमरनाथ यात्रा के लिये विशेष सावधानी बरती जायेगी। उस समय आतंकवादियों की गम्भीर चेतावनी थी। सरकार को कश्मीर में अनेक षडयंत्रों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उन षडयन्त्रों का उल्लेख नहीं करूंगा जो भारत को अस्थिर करने, सरकार के लिये परेशानी पैदा करने और इस तथ्य का लाभ उठाने कि कश्मीर में चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से नहीं किये जा सकते, के उद्देश्य पैदा किये गये थे। उस समय गृह मंत्री ने यह कहा था कि यात्रा के लिये विशेष व्यवस्था की गई है। मुझे विश्वास था कि सरकार वास्तव में इन मामलों में विशेष प्रयास कर रही है। दुर्भाग्य से उन विशेष प्रयासों का उचित रूप से समन्वय नहीं किया गया।

अब मैं विशेष मामले का उल्लेख करता हूं। जब लोक सभा बुलिटेन सबसे पहले हमें यह बताने के लिये परिचालित किया गया कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा, तब पता लगा था कि जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित विभाग केवल प्रधान मंत्री संभालेंगे। मैंने सदस्य होने के नाते यह सोचा था कि जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित मामलों को पहले प्रधान मंत्री कार्यालय में गृह मंत्रालय के समन्वय के साथ देखा जायेगा। इन दोनों के बीच जम्मू और कश्मीर सरकार, जो अब राष्ट्रपति के शासनाधीन हैं, का प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्रालय से नियमित सम्पर्क बना रहेगा और उनकी ओर से कोई समन्वित करेगा। अब मुख्य मुद्दा मौसम से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिये दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यदि सभा अनुमति दे तो क्या हम इसके लिये आधे घंटे का समय बढ़ा सकते हैं?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम एक घंटे का समय बढ़ा सकते हैं।

श्री पी.आर. दासमुंशी : एक घंटा समय बढ़ाया जाना ठीक रहेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : हम इस विषय पर 6 बजे तक चर्चा कर सकते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है। आप दासमुंशी जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री पी. आर. दासमुंशी : गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है और आज

भी गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि मौसम रिपोर्ट के बारे में अवन्तीपुर एयर फोर्स स्टेशन से चेतावनी दी गई थी और उसी आधार पर पर्यटन निदेशक ने यात्रियों को 22 तारीख की सुबह नौ बजे पहलगांव से सचेत कर दिया था कि वे आगे न बढ़ें। सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चेतावनी अवन्तीपुर एयर फोर्स स्टेशन में 20 अथवा 21 तारीख को दी गई थी। जहां तक मुझे जानकारी है—मैं गृह मंत्री नहीं हूं—अवन्ती एयर फोर्स स्टेशन ने मौसम की हालत के बारे में 20 तारीख को चेतावनी दी थी और यात्रियों को सतर्क होने में समय लगा, 22 तरीख को चेतावनी दी गई। 22 तारीख को भी चेतावनी तब दी गई जब गृह मंत्री वहां कश्मीर में मौजूद थे। प्रश्न यह है कि क्या गृह मंत्री को चेतावनी की जानकारी थी अथवा नहीं। यदि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी तो यह बात सिद्ध होती है कि जम्मू सरकार और गृह मंत्रालय के बीच कोई गंभीर समन्वय नहीं था। यदि समन्वय होता तो उस दिन गृह मंत्री क्या कार्यवाही करते? मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अमरनाथ यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया गया। आतंकवादी लोगों को निशाना बना सकते थे। इस बार अमरनाथ यात्रा के बारे में गंभीरता क्या थी? उन्हें पता था कि एक लाख यात्रियों के आने की संभावना थी। प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 1994 में यात्रियों की संख्या 40,000 थी; 1995 में यह संख्या 70,000 थी; इसका अर्थ यह हुआ कि 1995 में यात्रियों की संख्या 1994 की तुलना में दुगुनी थी। इस बार यात्रियों की संख्या एक लाख से अधिक थी। यह बताया था कि पिछली बार की तुलना में इस बार चार गुना व्यवस्था की गई थी। वह चार गुना व्यवस्था का क्या हुआ? यह बताया गया था कि 1 लाख 20 हजार यात्रियों के लिये पूर्ण व्यवस्था की गई थी। लेकिन यात्रियों के विस्तरों की आवश्यकता पूरी करने के लिये केवल 14,500 कम्बलों की व्यवस्था की गई थी। वक्तव्य में एक अनोखी बात कही गई है। मैं नहीं जनता कि क्या गृह मंत्री ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य को अपने वक्तव्य के रूप मं लिया है। गृह मंत्री ने अपने व्यक्तव्य में कहा है कि 22 तारीख की सुबह 9 बजे यात्रियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वे आगे न बढ़े। प्रधान मंत्री ने अपने "21 तारीख के वक्तव्य में कहा है कि जब मौसम खराब हो गया, उस समय लगभग 1.2 लाख यात्री जम्मू से अमरनाथ के लिये रवाना हो चुके थे और तब तक यात्रा ठीक प्रकार चल रही थी। 21-22 अगस्त को मौसम में परिवर्तन आया और भारी वर्षा आरंभ हो गई। तब 23 अगस्त, को लगभग 50,000 तीर्थ यात्री पंचतरणी अपर रिज पर तीन स्थानों पर फंस गये। इसका अर्थ यह हुआ कि 1.25 लाख यात्रियों में से 50 हजार यात्री 23 तारीख की सुबह पंचतरणी अपर रिज तक पहुंच गये थे, जो जम्मू से 21 तारीख को रवाना हुए थे। क्या यह संभव है? श्री जगमोहन वहां राज्यपाल थे। मुझे पहलगांव से चंदनबाड़ी तक जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। मैं इससे आगे नहीं गया। क्या जम्मू से 21 तारीख को चलकर 23 तारीख को सुबह पहलगांव पहुंचना संभव है? प्रधान मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि 22 तारीख को मौसम खराब होना शुरू हुआ था। लेकिन वास्तविक बात यह है कि प्रधान मंत्री कार्यालय, राज्यपाल प्रशासन और गृह मंत्रालय के बीच 22 और 24 तारीख के बीच कोई सामंजस्य नहीं था जिससे इस बात का पता लग सके कि कश्मीर की धरती पर अमरनाथ यात्रा के बारे में क्या हा रहा है। यही मेरा मुद्दा है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है।

कुछ वक्तव्य दिय गये हैं जिनसे कहा गया है कि 24 तारीख को गृह सचिव सारे दिन काम करते रहे। बहुत अच्छी बात है। 23 तारीख को मैं एक स्थान पर व्यस्त था तब मुझे पहली खबर मिली कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 20 युवकों का कोई पता नहीं है, युलूबेरिया के 10 व्यक्ति, जिनमें हमारे दल के विधान सभा सदस्य श्री संजीवदास के साले भी शामिल थे, का कुछ पता नहीं है और वड़ा बाजार के 30 लोगों का कुछ पता नहीं है। तब मैंने दिल्ली गृह मंत्रालय को टेलीफोन किया लेकिन वहां कोई उत्तर नहीं मिला। तब मैंने राज्यपाल को "फैक्स" किया और मुझे बताया गया "आप 'फैक्स' क्यों भेज रहे हैं राज्यपाल दिल्ली में हैं" लेकिन राज्यपाल से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सका। तब मैंने मुख्य सचिव को सम्पर्क किया। वह सो रहे थे। 10.30 बजे वह सो रहे थे। मैंने उनका टेलीफोन नम्बर लिया। वह डिफेंस कालोनी में सो रहे थे। लेकिन जब मैंने सम्पर्क किया वह उपलब्ध नहीं थे। तब मैंने अपने लोगों को टिकट लेकर जम्मू भेजा और एक ग्रुप को सम्पर्क करने और पता लगाने के लिये श्रीनगर भेजा।

आज सुबह, जो व्यक्ति जम्मू में था उसने मुझे टेलीफोन किया और कहा "यह सुपरिन्टेन्डेंट ऑफ पुलिस के पास मेरा 10वां दौरा है और अभी भी वह मुझे यह नहीं वतला सका कि क्या पहचान किये गये शवों में मेरे सम्बन्धियों के शव हैं।" तब उसने कहा "क्या आप मुझे फोटोग्राफ दिखा सकते हो? उसने जबाब दिया कि वह फोटोग्राफ नहीं ला सका। तब मेरे आदमी ने कहा कि क्या उसे वहां ले जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

मैं गृहमंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से 22, 23 और 24 तरीख को जम्मू और कश्मीर सरकार और दिल्ली के बीच अमरनाथ यात्रा के बारे में कोई समन्वय तंत्र विद्यमान नहीं था।

मैं श्री जगमोहन जी से पूर्णतया सहमत हूं। मैं विस्तार में नही जा रहा हूं कि तीर्थ यात्रियों की कैसे मृत्यु हुई लेकिन ऊंचाई पर ठंड लगने के कारण मौते हुई। कम्बलों की कमी के कारण ठंड लगी। प्रत्येक सरकार यह कहती है कि उसने भूतपूर्व सरकार से अच्छा कार्य किया और वह इसका श्रेय होना चाहती है। इसमें प्रधान मंत्री का कोई दोष नहीं है। यदि वर्तमान सरकार ने पूर्व सरकार की तुलना में चार गुना कार्य किया है, कम से कम यात्री तो चार गुना नहीं गये। यात्री दो गुना गये थे। उनकी चार गुनी व्यवस्था में 14,500 कम्बल 52,000 लोगों को शीत लहर से नहीं बचा सकते थे।

मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री से अनुरोध है कि कृपया इस मामले में स्वयं विशेष जांच करें। मैं राजनीतिक दृष्टि से ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि नौकरशाही ने गृह मंत्री को नीचा दिखाने के लिये ऐसा किया हो। नौकरशाही ने प्रधान मंत्री तक को जानबूझकर नीचा दिखाने के प्रयास किये थे। निश्चित रूप से ऐसा प्रयास किया गया था। जब 20 तारीख को आवन्तीपुर से एयर फोर्स स्टेशन द्वारा सूचना दे दी गई थी तो 22 तारीख के सुबह चेतावनी क्यों दी गई 22 तारीख को आपने पहलगांव से चेतावनी दी। पहलगांव से चंदनबाड़ी तक सैनिक वायरलैस प्रणाली से चेतावनी देने में कितना समय लगता है? जैसाकि मुझे पता लगा है आपने विशेष सावधानी बरती थी ताकि यात्रियों पर आतंकवादियों द्वारा हमला न किया जा सके। आप आसूचना राज्य द्वारा जिनके पास विशेष प्रकार की वायरलैस प्रणाली होती है उन्हें सुरक्षा सहायता दे सकते थे। क्या ये वायरलैस प्रणाली कार्य करती है। यह चंदनवाड़ी से अन्य भागों में कैसे कार्य करती हैं? यदि आपने उचित व्यवस्था की होती तो सब व्यवस्था भंग नहीं हो जाती। 22 तारीख से लोगों की मृत्यु होनी आरंभ हो गई थी और बचाव कार्य—आपके वक्तव्य के अनुसार—केवल 24 तारीख से आरंभ किया गया था। अत : मैं यह अनुरोध करता

हूं कि इस बात की जांच की जाये कि ऐसा कैसे हुआ।

जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है, मुझे उन पर अरोप लगाते हुए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वह सेना प्रमुख थे उन्होंने सेना में प्रशंसनीय कार्य किया, उन्होंने देश के लिये महत्त्वपूर्ण अंशदान किया। लेकिन राज्यपाल के रूप में उनकी भूमिका देखकर—में निजी तौर पर यह अनुभव करता हूं—जब कभी हम शासन में थे, हम सब बातों के लिये जिम्मेवार ठहराये जाते थे, मैं स्वीकार करता हूं—एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के गौरवपूर्ण प्रमुखों को आगे से राज्यपाल के पद पर इन जटिल समस्यों के लिये नियुक्त न किया जाये। जब कभी उन्हें जनता की आलोचना और समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उनका सेना, वायुसेना अथवा नौसेना, जिस किसी में भी वे हों, का अंशदान जनता की नजरों में कम हो जाता है। उनकी प्रतिष्ठता को ठेस लगती है और मुझे इसके लिये दुख होता है। जनरल ने भारत की रक्षा के लिये प्रशंसनीय कार्य किया था लेकिन कश्मीर में उनका कार्य दुखद, अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण रहा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने अमरनाथ यात्रा को गंभीरता से नहीं लिया। सरकार ने संभवतया सोचा कि सब बात को देख लिया जायेगा। मैं अवश्य कहूंगा कि सरकार को अपने गृह राज्य मंत्री श्री मकबूल दर को, जो कश्मीर क्षेत्र के हैं, वहां समन्वय कार्य के लिये नियुक्त कर सकती थी। उन्हें समस्त व्यवस्था पर निगरानी करने के लिये कश्मीर में रखा जा सकता था?

बंगाल में हम देखते हैं कि गंगा सागर मेले के दौरान राज्य सरकार एक नहीं, बल्कि दो-तीन मंत्रियों को एक नहीं बल्कि पंद्रह दिनों के लिये वहां नियुक्त करती है। वे वहां ठहरते हैं—मैंने श्री सुभाष चक्रवर्ती और अन्यों को देखा है वे अंतिम यात्री के रवाना होने तक वहां ठहरते हैं और प्रबंध पर गिनरानी रखते हैं। उन्होंने जो बंदोबस्त किया उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हाल ही के मामले में भी उन्होंने बंगाल के लोगों के बारे में पता लगाने के लिये एक टीम कश्मीर भेजी है। सरकार ने कश्मीर में मंत्रियों को नियुक्त क्यों नहीं किया जबकि सरकार को आंतकवादियों की धमकी की जानकारी थी, जब कि सरकार को तीन अमरीकी एजेंटों के बारे में जानकारी थी जबकि सरकार को यह विदित था कि सब प्रकार के षडयंत्र वहां चल रहे हैं? सरकार ने इन सब बातों को देखते हुए भी अमरनाथ यात्रा को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। वह चुपचाप बैठी रही और चुनाव कार्य में व्यस्त रही? यात्रा को गंभीरता से न लेने का मैं तीव्र विरोध करता हूं। मैं पूर्णतया सरकार की सेवा में हूं। मैं अमरनाथ त्रासदी का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहता। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको गलत समझेंगे। अतः कृपया इस संबंध में सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाये। यदि गृह मंत्री यह प्रयास करते कि एयर फोर्स स्टेशन द्वारा पहले अवन्तीपुर से सूचना दे दी गई होती—इस स्थान का नाम मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि इस स्थान का नाम मैंने 3 दिसम्बर, 1971 को कलकत्ता मैदान में सुना था जब इंदिरा जी ने यह घोषणा कि :

[हिन्दी]

अवन्तीपुर में बम गिरा है, पाकिस्तान ने पहले लड़ाई शुरू की है।

[अनुवाद]

मेरी यह जानकारी है कि आपको चेतावनी के संकेत 20 तारीख को ही मिल गये थे, आपने यात्रियों को 22 तारीख को सतर्क किया और इस कार्य में इतना अधिक समय लगाया क्योंकि 21 तारीख के बाद निर्देश देने के लिए कश्मीर में सरकार नाम की कोई चीज कार्य नहीं कर रही थी। सब लोग यहां व्यस्त थे। यद्यपि यह त्रासदी का कारण नहीं है तथापि त्रासदी के बाद की कार्यवाही अथवा त्रासदी स्थल तक पहुंच कर जी जानेवाली कार्यवाही उचित प्रकार से की जानी चाहिये थे।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह भारत के तीर्थ यात्रियों को यह आश्वासन दे कि इस प्रकार की दुखद घटना की पुनरावृति नहीं होगी। मैं प्राकृतिक आपदा की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन कम से कम बेहतर बंदोबस्त किया जाना चाहिये। अभी भी लोगों का पता नहीं है। कम से कम इस संबंध में व्यवस्था करे जिन मृतकों की पहचान न होने के कारण अंतिम संस्कार अथवा दफना दिया गया था उनके बारे में टेलीविजन पर फोटो सहित घोषणा की जानी चाहिये ताकि उनके सम्बन्धियों को कम से कम यह पता लग सके कि उनके संबंधी की मृत्यु हो गई है, वे उन्हें नहीं मिलेंगे। वे सब जगह फंसे पड़े हैं। पुलिस और कोई भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर सकता मेरे निवार्चन क्षेत्र से 68 व्यक्ति गायब है और 100 से अधिक व्यक्ति बड़ा बाजार क्षेत्र से गायब है। श्रीमती कृष्ण बोस बता रही थी केवल जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र से एक ट्रेवल एजेंट 50 लोगों को ले गया था। उनको आप क्या जवाब देंगे? वे कहते हैं कि आप दिल्ली में सरकार के इतने निकट है, कम से कम इस सूचना की पुष्टि कीजिये। उन्हें किसी बात का पता नहीं है। वे सच्चाई जानना चाहते हैं ताकि वे अन्तिम संस्कार कर सकें।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि श्री इन्द्रजीत गुप्त सारी कार्यवाही करें। कृपया एक बात स्पष्ट करें। पंजीकृत यात्रियों का लॉग बुक में श्रीनगर, पठानकोट और जम्मू में पंजीकरण किया जाता है। लॉग बुक में जिन लोगों की पहले ही पहचान की जा चुकी है, उन्होंने रिपोर्ट भी कर दिया है। लेकिन जिन लोगों का पता नही चल रहा है, वे या तो मर गये हैं अथवा उनकी पहचान नहीं हो सकी है। किसी भी प्रकार से प्रत्येक पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाना चाहिये ताकि जो लोग वहां जा रहे हैं वे सूची से यह जान सके कि ये राज्यवार 1,20,000 व्यक्ति थे और ये मृतकों की सूची है। ये जीवित व्यक्तियों की सूची है। ये उन व्यक्तियों की सूची है जिनकी पहचान नहीं हा सकी है ये उन व्यक्तियों की सूची है जिनका दाह संस्कार कर दिया गया है ताकि जो लोग आये हैं वे शांतिपूर्वक वापिस जा सके। अन्यथा भारत के विभिन्न भागों से संसद सदस्यों प्रतिदिन आपको परेशान करेंगे और पूछंगे कि व्यवस्था किस प्रकार चल रही है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं भारतीय सेना, कश्मीर की जनता, सीमा सुरक्षा बल और अन्य लोगों को जिन्होंने राहत कार्य के लिये यथासंभव प्रयास किये, धन्यवाद करता हूं। यद्यपि इन्द्रजीत बाबू वहां 26 तारीख को गये थे, उन्हें वहां कुछ पहले जाना चाहिये था। मेरा तर्क यह है—मुझे आशा है कि सरकार मेरी टिप्पणी का बुरा नहीं मानेगी कि जब इस प्रकार की भारी त्रासदी हुई थी तो यह उचित होता कि गृह मंत्री के स्थान पर वहां प्रधान मंत्री निजी तौर पर गये होते ताकि सारे देश को यह पता लग जाता कि प्रधान मंत्री ने इस त्रासदी को कितनी गंभीरता से लिया है।

सभापति महोदय : अब चर्चा करने के लिये केवल 45 मिनट बचे हैं और अभी सात वक्ता बाकी है। क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि अपना भाषण संक्षेप में पांच मिनट में पूरा करे? हमने समय सीमा निर्धारित की हुई है। श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह।

पांच मिनट में खत्म करने का प्रयत्न कीजिये। इसका समय 4.41 बजे तक था, इसको 5.41 बजे तक बढ़ाया गया है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : माननीय सभापति जी, इस अमरनाथ की त्रासदी में विभिन्न माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं, उसमें माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव रखे। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले अमरनाथ के उन यात्रियों को जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनक परिवारों को भी आपके माध्यम से शांति के लिए संदेश भेजना चाहता हूं। अमरनाथ यात्रा के दौरान जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, हमको उस पर भी विचार करना चाहिए। 13,500 फीट की ऊंचाई पर यह यात्रा समाप्त होती है और 46 कि.मी. पैदल चलना पड़ता है। इतनी ऊंचाई है और 6 कि.मी. का रास्ता बर्फ से ढका रहता है। सरकार द्वारा निर्देश भी दिया जाता रहा कि आप ऐसे स्थान पर यात्रा करने जा रहे हैं, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े वगैरह लेकर जाएं। लेकिन सवा लाख के लगभग लोग वहां गए और उनमें से अधिकतर लोग गर्म कपड़े पहने ही नहीं थे। उनके पास न तो कम्बल था, न गर्म कपड़े थे। ऐसा क्यों होता है? मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे वहां नहीं जाएं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि बिना गर्म कपड़े के लोग क्यों चले जाते हैं। जहां हिमपात होता है, अक्सर होता है, इतनी ऊंचाइयों पर हिमपात होते हैं और मौसम खराब होने की संभावना भी रहती है। फिर भी लोग बिना गर्म कपड़े पहने हुए चले जाते हैं। यहां के लोगों का धर्म में ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति बहुत कठिनाइयां सहकर भी धार्मिक स्थलों के लिए यात्रा करते हैं, इससे उनको ज्यादा फल मिलता है।

अपराह्न 5.00 बजे

मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वे मानते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस समय वे लोग जाते है उस समय अगर वे बगैर गर्म कपड़े के जा रहे हैं तो सरकार को उनको गर्म कपड़े मुहैया कराने चाहिए, नहीं तो उनको रोक देना चाहिए, यह मेरा पहला सुझाव है। दूसरा मेरा कहना यह है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वैसे पदाधिकारियों को या वैसे लोगों को भी दंडित किया जाएगा जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती है। साथ ही साथ उनकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए जैसे कि सेना के लोगों ने या वायु सेना के जिन लोगों ने ऐसी जगहों पर काम किया।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रा के दरम्यान विभिन्न जगहों में जो बर्फ गिरती है, इस तरह की जो घटनाएं वर्षा होने पर घटती है, वर्षा में जो यात्राएं होती हैं उन यात्राओं में इस तरह की घटनाएं न घटें, इसके लिए विश्रामालय बनाया जाना चाहिए। चूंकि हमारे आते ही समय निर्धारित हो गया इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति महोदया, अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों पर बहुत सी मुसीबतें आई और उसमें बहुत से यात्री उस दुर्घटना के शिकार हो गए। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो वक्तव्य इस सदन में दिया और उस वक्तव्य से पहले इस दुर्घटना पर हमारे प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य हुआ। इस दुर्घटना के बारे में विपक्ष के नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इस सदन में चर्चा करनी चाही और हमारे सीनियर सांसद जसवंत सिंह जी ने भी इस विषय पर काम-रोको प्रस्ताव रखना चाहा और आज 193 के तहत यह चर्चा होने जा रही है।

अपराह्न 5.03 बजे

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : इस तरह से बातें करना ठीक नहीं है। इतनी गंभीर चर्चा चल रही है उसमें आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : यदि यही चर्चा काम-रोको प्रस्ताव के तहत होती तो आज जो इस सदन में हंसी मजाक हो रहा है वह शायद न होता। आज 193 के तहत हम यहां चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा के बाद क्या केन्द्रीय सरकार इस दुर्घटना की जिम्मेदारी समझने वाली है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दो महीने में यह तीसरी घटना यात्रियों के बारे में हुई है। पहली घटना उज्जैन में हुई। उस घटना में भी सही व्यवस्था के अभाव के कारण कई यात्रियों की मृत्यु हो गई।

उसके बाद व्यवस्था के अभाव के ही कारण हरिद्वार में पुल टूटा, जिसके कारण यात्रियों की मृत्यु हुई। कामरोको प्रस्ताव की मांग के दौरान अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी गृह मंत्री जी कश्मीर गये हुए है, उनके आने के बाद इस सदन को आंखों देखा हाल उनके बयान से मिलेगा और जो वास्तविकता है उसी पर उनका बयान होगा। लेकिन गृह मंत्री जी का जो बयान है वह प्रधानमंत्री के बयान के नक्शे-कदम पर है। कई सदस्यों ने अपने प्रश्न में कहा था कि मौसम के खराब होने के संकेत 22 तारीख से पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। गृह मंत्री जी ने भी अपने बयान में कहा था कि मैंने भी राज्य के अधिकारियों से पूछा था कि खराब मौसम को देखते हुए क्या-क्या सावधानियां बरती गयी थी लेकिन जवाब में जो कुछ उन्होंने कहा है उसको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वक्तव्य गृह मंत्री जी ने यात्रा के बारे में दिया है वह किसी अधिकारी के कहने पर, या राज्यपाल के सलाहकार के कहने पर या किसी के सुनाने पर दिया है। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे इस बात का है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी केवल एक यात्री को छोड़कर कोई यात्री उन्हें शिकायत करने वाला नहीं मिला।

आज यहां पर हमारे संसाद चमन लाल गुप्ता जी मौजूद नहीं है। शायद वह अटल जी के साथ कश्मीर गए हुए हैं। उन्होंने सरकार को इस यात्रा से पहले ही चेतावनी दी थी कि इस बार यात्रा में पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तीर्थ-यात्री यात्रा करने वाले हैं और इसके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उनकी मांग को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। आज इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी हमारी सरकार इस दुर्घटना को गंभीरता से नहीं ले रही है। एक सांसद ने यहां पर हिंदी अनुवाद पढ़कर सुनाया कि जिस तरह से दुर्घटना का वर्णन हमारे गृह मंत्री जी ने किया है कि इस वर्ष तीर्थ-यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए, उनके लिए किए गए प्रबंधों में कुछ हल्की-फुल्की कमियां पाई जा सकती है—यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी हमारे गृह मंत्री यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि व्यवस्था में भारी खामियां थीं।

उपाध्यक्ष जी, जिस तरह से यह व्यक्तव्य दिया गया है उससे लगता है कि सरकार इस दुर्घटना के बारे में गंभीर नहीं है। गृह मंत्री जी के वक्तव्य में 127 यात्रियों की मृत्यु का जिक्र है। बाद में कहा गया है कि असल में मरने वाले 194 हैं। लेकिन मृतकों की संख्या 234 से भी ज्यादा है। कुछ लोग मृतकों की

संख्या 400 के आस-पास कहते हैं। हमारे कश्मीर के एक सांसद आज यहां मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि मृतकों की संख्या 500 से भी ज्यादा है। अभी भी कई सौ लोग लापता हैं जिनकी जानकारी हमारी सरकार को नहीं है।

गृह मंत्री ने अपने बयान में बताया है कि 22 तारीख को पता चला कि अब मौसम खराब होने वाला है। जब यह चेतावनी देने की कोशिश की गई तो यात्री एक शिविर से दूसरे शिविर को चल पड़े थे। जो असमर्थता सरकार ने यहां पर दिखायी, वह वहां पर भी दिखायी गई। यदि यह खबर यात्रियों तक सही वक्त पर पहुंच जाती ते शायद मृतकों की संख्या बहुत कम होती।

उपाध्यक्ष जी, अमरनाथ यात्रा में देश के हर कोने से लोग शामिल होते हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी राज्यों के लोग और शुभचिन्तक इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसलिए इस यात्रा में एक राष्ट्रीय समारोह का रूप देखने को मिलता है। इस यात्रा में यात्री श्रद्धा से आते हैं। जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ उससे पहले 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग अमरनाथ की यात्रा करते थे। जब पहली बार कश्मीर के आतंकवादियों ने इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया और देश को चुनौती देने की कोशिश की तो उस चुनौती को इस देश के नौजवान युवकों ने स्वीकार किया। तब से युवक भी इस यात्रा में जाने शुरू हो गए। अब भारी संख्या में युवक इस यात्रा को जाते हैं। हर साल यह संख्या दुगनी हो रही है। जो आतंकवादी इस प्रकार से हमारे देश को ललकारते है, चुनौती देते हैं, उनकी चुनौती स्वीकार कर जो बहादुर नवयुवक इस अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, उनकी बहादुरी की हमें सराहना करनी चाहिए और उन्हें दाद देनी चाहिए। जब यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ती है लेकिन दुख इस बात का है कि जितनी गम्भीरता से अमरनाथ यात्रा की ओर सरकार को देखना चाहिए था, सरकार ने उतनी गम्भीरता से इस यात्रा की ओर देखा नहीं और अपनी जिम्मेदारी प्रकृति के ऊपर सौप दी। यह यात्रा हर साल होती है प्रकृति का प्रकोप कभी भी हो सकता है यदि यह प्रकोप नहीं होता और यात्रा कामयाब होती तो हमारी सरकार उस कामयाबी का श्रेय अपने ऊपर लेती और लोगों से कहती कि हमारे राज में यह यात्रा कामयाब हो गई, लेकिन सरकार की कसौटी उस समय परखी जाती है जब ऐसी दुर्घटना होती है, प्रकृति का प्रकोप होता है और प्रकोप के सामने लड़ते हुए और शिकार होते हुए यात्रियों को बचाने और राहत दिलाने की कोशिश होती है। सरकार को जितनी गम्भीरता से इस यात्रा को देखना चाहिए था, उतनी गम्भीरता से उसे नहीं देखा।

आज 193 के तहत इस पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा से कुछ निकलेगा, ऐसा हमें लगता नहीं है। हमें इस चर्चा से कुछ सीखना चाहिए। गम्भीरता से सरकार को इस विषय पर खेद व्यक्त करना चाहिए था। यदि सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेती या अपने आप को जिम्मेदार मानती तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती।

हमारे गृह मंत्री इस देश के गृह मंत्री हैं। यदि वह इस जिम्मेदारी को मानते, अपने आप को जिम्मेदार समझते तो उनका छानबीन का तरीका अलग होता, उनका पूछताछ का तरीका अलग होता। वह वहां जाकर अधिकारियों से न मिलकर वहां के प्रकोपग्रस्त लोगों से मिलते और पूछते। यहां यह निवेदन करने से पहले यह तय हो चुका या कि यह नई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह जिम्मेदारी प्रकृति की है जब एक बार यह निर्णय लिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो इसी तरह का वक्तव्य सदन में आना चाहिए था। वास्तविकता सदन में नही आएगी तो वह किसी से छिपी भी नहीं रहेगी।

जो यात्री अमरनाथ की यात्रा के लिये गये थे, उन्हें इन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और जो मर गये, वे यहां पर कहने के लिये नहीं आयेंगे लेकिन जो जीवित है, जो वहां से बचकर अपने घर आये हुये हैं, इस घटना के साक्षी हैं। वे बोलने वाले हैं; वे बयान देने वाले हैं और इस देश की जनता के सामने हकीकत रखने वाले है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि सरकार को इन यात्रियों की तरफ गंभीरता से देखना चाहिये। जो सुविधायें या व्यवस्थायें सरकार की तरफ से होनी चाहिये थीं, करनी चाहिये थीं, वे व्यवस्थायें सरकार की तरफ से की नहीं गयीं। यही कारण है कि इतने लोग इस दुर्घटना में मर गये। यह एक राष्ट्रीय दुर्घटना है। जो शिव भक्त दर्शन के लिए गये थे, पुण्य कमाने के लिये गये थे, उनमें से कुछ इस संसार से चले गये और अपने घरों को नहीं लौटे लेकिन उनके परिवार आज भी मुसीबत में हैं। उनके सामने कई समस्यायें हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने मृतक परिवारों के लिए पचास हजार रुपये की राशि घोषित की हैं अब पचास हजार कब मिलने वाला है? हम तो ज्यादा की मांग करने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : दो लाख रुपये का ऐलान हो गया है।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : ठीक है, दो लाख हो गये हैं लेकिन यह दो लाख तुरंत मिलना चाहिए। कई राज्य सरकारों ने भी घोषित किया है। जैसे महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने सभी परिवारों के लिये 25 हजार रुपया घोषित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटना है। इसलिए जो मृतक हुये हैं, उनक प्रति दुख व्यक्त करते हुये अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूँगा क्योंकि बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। सरकार ने उस त्रासदी को ठीक से समझा नहीं है। सबसे अधिक संख्या में 40,000 से ज्यादा-व्यक्ति गुजरात से गये थे। यह इतनी अधिक दुखद घटना है कि सम्पूर्ण राज्य शोक मग्न है क्योंकि कुछ खबर नहीं मिल रही है। कल रात ही दस बजे के बाद मुझे अपने निर्वाचित क्षेत्र से टेलीफोन आया जिसमें लगभग दस लोगों के बारे में पूछताछ की गई थी।

यहां यह कहा जाता है कि पर्याप्त प्रबन्ध किये गये थे। कुल 1,50,000— अथवा दो लाख यात्री वहां गये थे। क्या आज के इस कम्प्यूटर युग में दो लाख नामों की सूची को कम्प्यूटरीकृत कर प्रत्येक राज्य को भेजना सम्भव नहीं है? जबकि यात्री पहले आ रहे थे, जम्मू जा रहे थे, बसें ले रहे थे, मेरे विचार से यह बहुत सरल प्रक्रिया थी। मैंने मृतकों की सूची देखी है। मुझे उसमें प्राकृतिक आपदा में मरने वाले किसी गुजराती का नाम दिखाई नहीं दिया। सूची दोषपूर्ण है। आपको पता नहीं लगता सूची में किस तरह से नाम दिये गये हैं। इस तरह के क्रूर रवैये का सहन नहीं किया जा सकता। यह क्रूर रवैया गृह मंत्री अथवा प्रधान मंत्री का नहीं था जिस बात से मुझे बहुत दुख हुआ वह यह कि हम प्रशासन की क्रूरता के प्रति क्षमा प्रार्थी क्यों हों।

माननीय श्री जगमोहन ने 'वैष्णोदेवी' की घटना का उल्लेख किया था। गुजरात में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। 'पालीताना' मन्दिर, जो जैनियों का सबसे बड़ा मन्दिर है, उसका उदाहरण लें। वहां न्यास किस प्रकार के प्रबन्ध कर रहा

है? मैं यह बात समझने में असमर्थ हूं कि एक प्रभुत्व सम्पन्न देश जिसके राज्य सरकार के पास भारी तंत्र है, इस प्रकार के अच्छे प्रबन्ध की व्यवस्था क्यों नहीं कर सका। एक गैर-सरकारी न्यास हजारों यात्रियों के लिये सारे साल व्यवस्था कर सकता है। वे सड़कों का निर्माण करते हैं। वे सब तैयारियां करते हैं। वे निःशुल्क खाद्य सामग्री आदि सप्लाई करते हैं। मेरा विचार है कि मूल प्रश्न रवैये का है। इसे कहा जा सकता है "आपदा के लिये तैयार रहना" इस बात के दो पहलू हैं। पहला पहलू है दुर्घटना की स्थिति के लिए तैयार रहना। आपदा की स्थिति के लिये तैयार रहने पर अनुवर्ती कार्यवाही बहुत सरल हो जाती है। मेरे विचार से इस मामले में यह मान लिया गया कि अमरनाथ यात्रा के लिये सारी व्यवस्था स्वयं तीर्थ यात्रियों द्वारा की जाती थी। उन्हें कोई व्यवस्था नहीं करनी थी और वे जायेंगे और वापिस आ जायेंगे। प्रशासन के इसी रवैये ने यह स्थिति पैदा की है। मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि अगले वर्ष तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आयेगी तो वह गलती पर है। भारत तेजी से विकास कर रहा है और देश में अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अभी हाल ही में 'हिमालियन रॉक क्लाइम्बिंग' एक्सपीडीशन पर मुझे एक युवक मिला और साथ ही 60 वर्ष का एक व्यक्ति मिला जो सूरत में प्रोफेसर है। वह कह रहा था कि वह इस अभियान में जा रहा है। अतः देश के सभी भागों में ऐसी गतिविधियां आरम्भ हो गई हैं। इसके साथ ही देश की सरकार मृतकों के उचित तौर पर नाम देने में भी असफल रही है। ऐसी सरकार से हम भविष्य में क्या आशा कर सकते है?

दूसरा मुद्दा जांच के सम्बन्ध में है। दो प्रकार की जांच का प्रस्ताव है। एक न्यायिक जांच का मार्ग है अथवा जिस प्रकार की जांच आप कराना चाहें, आप किसी को सजा देना चाहते हैं। यदि आप इस प्रकार की जांच कराना चाहते हैं तो इसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। मेरा निजी अनुभव यह है कि इस प्रकार की जांच में चाहे वह जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत की जाये, बड़े लोग साफ बच जाते हैं और छोटे लोगों को सजा होती है। जांच का यह प्रयोजन नहीं है। जांच का प्रयोजन दो बातों के लिये होना चाहिये सबसे पहले यह पता लगाया जाना चाहिये कि राज्य प्रशासन कहां असफल रहा। इस बारे में क्या व्यापक उपाय किये जा सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिये किसी प्रकार की ब्लू या रैड बुक स्थायी तौर पर तैयार की जानी चाहिये ताकि भविष्य में आपदाओं को रोका जा सके।

मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि जो लोग मन्दिर की यात्रा कर लौटे हैं उन्होंने अनेक साक्षात्कार दिये हैं। गुजरात में अनेक लोगों ने अपने अनुभव बताये हैं। एक बात पर सब सहमत हैं कि किसी भी यात्री ने सेना के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की है। उन्होंने सेना के कार्य की प्रशंसा की है। इसका प्रभिप्राय यह है कि जब हम क्रूर अथवा असफलता का उल्लेख करते हैं तो हमें अपने मस्तिष्क में यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारतीय सेना अपने काम में असफल नहीं रही है और वह तीर्थ यात्रियों की सहायता करती रही है। यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते है तब आप स्वतः आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे कि असफलता राज्य प्रशासन की थी। क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात सरकार का राहत आयुक्त भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से पहले वहां पहुंच जाये? मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता। प्रेस के लोगों को प्राकृतिक आपदा का पता लगा; वे देश के विभिन्न भागों में थे। मेरा अपना मित्र जो पत्रकार है वहां यह जानने के लिए बहुत पहले ही पहुंच गया था कि वहां क्या घटना घटी। प्रश्न इच्छा शक्ति का है। कभी-कभी जब कोई इन्द्र के प्रकोप का उल्लेख करता है, मैं महसूस करता हूं कि इन्द्र के प्रकोप ने श्री इन्द्रजीत को हरा दिया। यह इस सभा की मुख्य घटना है। मैं आशा करता हैं कि आगामी अमरनाथ यात्रा पर यदि इन्द्र का प्रकोप होता है तो वह इन्द्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें उसका मुकाबला करने के लिये उपायों का पता करेंगे। ये कुछ सुझाव हैं जो मैंने दिये हैं। आशा है इस बारे में उनके विचार स्पष्ट होंगे। में यह बात सरकार पर छोड़ता हूं। श्री इन्द्रजीत उस बात पर सहमत हो गये हैं कि इस बारे मैं जांच की जायेगी। मेरा अनुरोध है जांच व्यापक होनी चाहिये। जांच असफलताओं तथा इस बारे में भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में भी होनी चाहिये। इसमें श्री जगमोहन द्वारा दिये गये सुझावों को भी शामिल किया जाना चाहिये। उन्होंने देश के इतिहास का उल्लेख किया है।

तिरूपति में न केवल धनराशि अर्जित की जा रही है बल्कि धार्मिक स्थानों के आस-पास फैली बुराइयों को दूर हो रही है और आस पास के क्षेत्र का विकास कर रहा है। दूसरी घटना जम्मू देवी की है और तीसरी घटना पालीतना से सम्बन्धित है। अतः हमें लोगों के प्रयास से सबक लेना चाहिये। कभी कभी लोगों के प्रयास सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम सब बातें सरकार पर छोड़ देते है। मैं आशा करता हूं कि अगली बार अथवा जब कभी इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन किया जाये तो कम से कम उन राज्यों के बीच समन्वय अवश्य होना चाहिये जिनसे सबसे अधिक यात्री यात्रा पर जा रहे हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जी ने मुझे बताया कि सरकार ने अनेक राज्यों को निर्देश जारी किये थे लेकिन राज्य केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि यदि माननीय प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि अमरनाथ यात्रा में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक था, जानबूझकर अथवा अनजाने में राज्यपाल यहां थे, मुख्य सचिव इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे— इन्हें इसको अस्वीकृत करना था और तब सम्बद्ध प्रशासन को संदेश भेजना चाहिये था। उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। यदि राज्यपाल असफल रहते, हम कुछ नहीं कहते; यदि प्रशासन असफल होता हम कुछ नहीं कहते : हमें पता लगा है कि कुछ लोगों को जांच के नाम पर सजा दी जा रही हैं और इस प्रकार स्थिति में निरन्तर गिरावट आ रही है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की दुर्घटना को राष्ट्रीय दुर्घटना करार दिया जायेगा और इसे राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जायेगा और अन्ततः भविष्य में इसे राष्ट्रीय गर्व में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इस शब्दों के साथ मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से अपील करता हैं कि इससे सबक लें और इस मामले में व्यापक जांच करें।

मैं श्री जगमोहन जी को भी याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय आपदा स्थिति तैयारी सम्बन्धी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उसमें उपस्थित था। मैं भी उस सम्मेलन में एक प्रतिनिधि था उनके पास ज्वालामुखी क्षेत्रों और भूकम्प से अक्सर प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पूरी योजना है। गुजरात राज्य ने इस बारे में उदाहरण पेश किया है। जब बिहार में भूकम्प आया था तब गुजरात राज्य से वहां लोग गये थे और उन्होंने राहत कार्यों का संचालन किया था। इस प्रकार की भयंकर प्राकृतिक आपदा के घटित होने पर हम ऐसी ही कार्यवाही क्यों नहीं करते? हमें टुकड़ों में सूचना मिलती है। मैंने नामों के बारे में जानकारी तीन समाचार पत्रों को पढ़ने के बाद प्राप्त की थी और नामों का पता लगाने का प्रयास किया मगर मैं किसी नाम का पता नहीं लगा सका और यह भी पता नहीं लगा सका कि वह पुरुष था अथवा महिला अथवा क्या वह गुजराती था अथवा पंजाबी। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका।

हमें लोगों की परेशानी को समझना चाहिये। 40,000 व्यक्ति एक राज्य से गये और देश के विभिन्न भागों से कुछ लोग गये। यदि उनके सम्बन्धियों को इस बात की सूचना नहीं मिलेगी कि क्या तीर्थ यात्री जिन्दा हैं अथवा नहीं तो इससे सरकार के बारे में उनकी धारणा बहुत खराब बनेगी। कम से कम हमें सरकार की प्रतिष्ठात्मक और कुशलता की ओर ध्यान देना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं अभी-अभी साढ़े चार बजे श्रीनगर से दिल्ली आया हूं। 26 तारीख से लेकर 3 दिन तक मैं श्रीनगर में था। अभी आधा घंटा पहले ही मैं दिल्ली आया हूं। यहां आते ही पता चला कि अमरनाथ यात्रा की जो कारुणिक घटना घटी है, उस पर सदन चर्चा कर रहा है तो मैंने आपसे दो-चार मिनट की इजाजत मांगी है। महोदय, एक राष्ट्रीय ट्रेजडी हो गई है। अमरनाथ यात्रा में गये यात्रियों का जीवन अभी भी देश के सभी राज्यों में एक चिंता का विषय बना हुआ है। उनके जो रिश्तेदार अमरनाथ गये है वे जिंदा हैं या नहीं, मृत्यु हुई है तो कितने लोगों की हुई है, मृत्यु के बाद उनका अग्निदाह किया गया या नहीं किया गया, यह सारी समस्या, सारी घटना तीन दिन तक मेरी आंखें के सामने रही। 25 तारीख को जब हमें पता चला कि 22 की रात को पंचतरणी और शेषनाग के बीच भारी वर्षा, हिमवर्षा के कारण हजारों यात्री उसमें दब गये हैं तो जैसे सनत भाई ने बताया कि गुजरात सरकार के रिलीफ कमिश्नर और सरकार की ओर से मुझे प्रतिनिधि बनाकर श्रीनगर भेजा गया। गुजरात की ओर से हम अपना हैलीकॉप्टर लेकर श्रीनगर पहुंचे।

तीन दिन तक मैं श्रीनगर में रहा। मेरे अलावा श्री लहीरी भी दूसरे दिन 27 तारीख को वैस्ट बंगाल से पहुंचे। उसके पहले मोहम्मद सलीम वैस्ट बंगाल से 26 तारीख को आ गये थे। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि वहां कोई तंत्र नहीं था—वहां प्रशासन पूर्णतया असफल रहा है। आज भी पंचतरणी और शेषनाग के बीच 200 डैड बौडीज से ज्यादा पड़ी हुई हैं। मैं दो-ढाई दिन की मेहनत के बाद, गुजरात सरकार की इजाजत से, हैलीकोप्टर लेकर गया था जबकि लहीरी साहब और मोहम्मद सलीम साहब कार के जरिए पहुंचे थे। वहां हमें लोगों ने बताया कि 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जिस मात्रा में बारिश हुई और हिम-शिलाएं गिरी, उसमें दबकर अनेकों लोग मर गए। मैं यहां उस घटना के विस्तार में जाना नहीं चाहता लेकिन यह बड़े दुख का विषय है। मैं इसे कोई राजनैतिक मुद्दा भी नहीं बनाना चाहता।

मैं तीन दिन तक श्रीगनर में रहने के बाद, अभी रिलीफ कमिश्नर को वहां छोड़कर आया हूं। अभी तक वहां मृतकों की लिस्ट भी नहीं मिली है—कोई नहीं जानता कितने लोग मारे गये। किसी को नहीं पता कि क्या उनका दाह संस्कार किया गया अथवा नहीं . . . **(व्यवधान)** आप मुझे बोलने दीजिए, मैं अभी वहां से आ रहा हूं। वहां कितने लोग मारे गए, कुछ पता नहीं है। कभी मृतकों की संख्या 130 बताई जाती है, दो घंटे बाद 140, कभी 205 कभी 300 लेकिन अभी तक कोई लिस्ट श्रीनगर नहीं पहुंची है—मैं जम्मू और कश्मीर के मुख्यालय में था। कहा जा रहा है कि पहलगाम से आने वाली है, शेषनाग से आने वाली है। जो लोग मर गए हैं, उनके कोई फोटोग्राफ्स नही आए हैं, किसी के नाम का पता नहीं है। देशभर के सभी राज्यों से सैंकड़ों लोगों के फोन लगातार आ रहे हैं, घंटियां बज रही हैं लेकिन जवाब देने वाला न कोई श्रीनगर में है, न जम्मू में है और न पहलगाम में है।

मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां जितने लोग आज जिंदा हैं, उनके जीवन को भी खतरा है। आज भी नेशनल हाईवे ब्लाक है। कल दोपहर तक सरकार के मुताबिक 12 हजार लोग पहलगाम में थे उससे पहले 70 हजार लोग थे अब वे धीरे धीरे जम्मू की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में भी वही समस्या है। देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। यह यात्रा पहली बार नहीं हुई है लेकिन कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किये गये। जम्मू से अनन्तनाग 240 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से पहलगाम 43 किलोमीटर है, पहलगाम से शेषनाग 26 किलोमीटर है, शेषनाग से पंचतरणी 13 किलोमीटर है और कुल मिलाकर 325 किलोमीटर अमरनाथ यात्रा का रास्ता है। यह यात्रा 16 अगस्त को शुरू हुई थी। और सबको मालूम था कि यात्रा के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी जगह कोई व्यवस्था नहीं की गई। टैंट खुलते ही नहीं थे, सभी जगह अपर्याप्त सुविधाओं की शिकायत थी—यहां तक कि लोगों के बारे में जानकारी देने के लिये, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, कोई कंट्रोल रूम नहीं था।

जब ऐसी स्थिति श्रीनगर और पूरे रास्ते में हैं, मैं जिम्मेदारी से सदन में कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जानी चाहिए क्योंकि कहीं कम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। 'जे-एंड-के' एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह फेल्योर सिद्ध हुआ है। तीन दिन बाद तक हम वहां किसी बड़े अधिकारी से बात नहीं कर सके। यद्यपि हम गुजरात सरकार की तरफ से 22 करोड़ रुपए का हैलिकोप्टर लेकर गए थे, दवाइयां लेकर गए थे ताकि लोगों की मदद कर सकें, सिर्फ गुजरात के लोगों की मदद के लिए हम नहीं गए थे बल्कि पूरे देश के लोगों की मदद के लिये गए थे। हमारा हैलिकोप्टर तीन दिन तक पट्टी पर पड़ा रहा। हमने कहा, हमें कहीं नहीं जाना, आप इस हैलिकोप्टर का उपयोग कीजिए ताकि गर्दिश में पड़े लोगों को, बीमार लोगों को सही जगह पहुंचाया जा सकें लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं वहां किसी जिम्मेवार अधिकारी से सम्पर्क नहीं कर सका, यद्यपि मैं स्वयं श्रीनगर में था। यह बहुत दुख की बात है। जिस रैस्ट हाउस में मैं ठहरा था, उसका टेलीफोन इस आधार पर काट दिया गया था कि सरकार ने उसका बिल नहीं भरा था। हम वहां टूरिज्म कमिश्नर से बात करना चाहते थे और अपना हैम रेडियो गुजरात से लेकर गए थे—उसका एक सैट हमने अपने कमरे में लगाया और दूसर सैट गांधीनगर में लगाया था। श्रीनगर में बैठे-बैठे चार बंगले के बाद किसी अफसर से बात करने के लिए मुझे "हैम रेडियो" पर गांधीनगर बात करनी पड़ी। गांधीनगर से बात श्रीनगर पहुंची और उसके बाद बात हो पाई। आज इस घटना को पूरे सदन को गंभीरता से लेना चाहिए और इसकी पूरी जांच की जाए। जिस स्थिति में इतने लोग मर गए हैं उसकी पूरी इंक्वायरी कराइये।

मेरी दो-तीन मांगे हैं। एक तो अभी भी लिस्ट नहीं बनाई गई कि कितने लोगों का क्रिमिनेशन किया गया है। अभी-अभी मेरे पास फोन आया कि नागदान भाई कहां है जो सौराष्ट्र का बहुत बड़ा आदमी है। सक रमेश ठक्कर नाम का लड़का मुझे जम्मू में मिला। उसका 40 साल का बाप लापता है। वह कहता है कि टी.वी. पर आ गया है कि वे मर गए हैं। लेकिन मेरे बाप की डैड-बॉडी कहां है, उसका कोई पता नहीं है। सरकार को यह पता नहीं कि डैड-बॉडी का अग्निदाह हो चुका है या रखी है। यह हजारों लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले यही मांग करूंगा कि जितने भी लोग इसमें मर गए हैं उनकी क्या स्थिति है, इसके सही आंकड़े क्या हैं, इसकी जानकारी दी जाए।

दूसरा, जो मर गए हैं उनका क्रिमिनेशन हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो उसका कोई आइडेंटिफिकेशन हुआ या नहीं? मैं आपको बताता हूं,

21 तारीख की रात को 19 लोग मर गए। इन 19 लोगों को बिना किसी फोरमैलिटी के जला दिया गया। आधी जली हुई लाशे आज वहां पड़ी हुई हैं। 19 लोगों को बिना फोटोग्राफ, बिना आइडेंटिफिकेशन के जला दिया गया। इतनी भारी मात्रा में धांधली हो रही है। जब मैं अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा कि हम फ्री ऑफ चार्ज सबको बसों से जम्मू भेजेंगे। 27 तारीख की शाम को जब रास्ता खुला तो हमने वहां पर कांटेक्ट किया कि ये 50 हजार लोग कैसे जाएंगे। उनके पास पैसे नहीं थे। 92 बेस आर्मी हॉस्पीटल में जब 26 तारीख की रात को 8 बजे हम गए तो 140 लोग देश भर के पड़े थे। किसी के पास पैसे नहीं थे। 80 हजार लोग पहलगाम में पड़े थे। जब मैंने सरकारी अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार ने बसें रखी हैं। जिनकी प्राइवेट बसें हैं वे तो जाएंगे ही, लेकिन बाकी बसें सरकार की ओर से जाएंगी और वे सबको जम्मू ले जाएंगे। एक-एक यात्री से 300 रुपये मांगे गए। वे कहां से पैसा लाएं? जिनके पास थे उन्होंने पैसे दिए। मैं 27 तारीख की दोपहर की बात कर रहा हूं। 300 रुपये देकर वे बस में बैठ गए। बस की कैपेसिटी 50 है। फिर कंडक्टर कहता है कि 500 रुपये देने वालों की बारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे सरकारी बसें थीं?

श्री हरिन पाठक : सरकारी बसें थीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्राइवेट बसें थीं।

श्री हरिन पाठक : प्राइवेट बसें नहीं थीं। मुझे वहां सचिव ने बताया। मैं वहीं पहलगांव में था। मेरे सामने झगड़ा हुआ। 27 तारीख की रात को कहा गया कि— आज अन्तिम दिन हैं 27 तारीख की रात को पहलगांव में अनाउंस किया गया कि सरकार की 140 बसें श्रीनगर से आ गई है, आज आखिरी दिन है। आपको पहलगांव किसी भी तरह सुबह सात बजे से पहले छोड़ना होगा, अन्यथा सरकार कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी।

रात को 8 बजे अनाउंसमेंट हो गई। 50 हजार लोगों की रात से भागदौड़ शुरू हो गई। धक्का-मुक्की में वे कैम्प से डेढ़ किलोमीटर दूर बस अड्डे पहुंचे तो वहां 50 बसें खड़ी थी। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे में सरकारी बस थी। मैं प्राइवेट बस वालों की बात नहीं करता, प्राइवेट बस वाले करें तो उसकी अलग बात है, वे सरकारी बसें थी। 27 तारीख को लंगर बंद कर दिया गया। सारी घटनाओं की बात करना उचित नहीं है। हम बहुत दुखी हैं। मेरे और साथी भी बोलना चाहेंगे। इसमें कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। मैं वहां तीन दिन रहकर आया हूं। इस तरह से कोई शासन नहीं चलता। मैं भी 27 साल से राजनीति में हूं। मैं भी कार्पोरेशन का चेयरमैन रहा हूं, सरकार में रहा हूँ और तीन टर्म से यहां हूं। यह एक ऐसी सरकार है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और लोग मर रहे हैं। आठ दिन के बाद भी किसी को पता नहीं है कि उसका बाप, बहन या भाई जिंदा है या मर गया। यदि मर गया है तो उसकी डैड-बॉडी कहां पड़ी है यहां हमें नहीं, देश को नहीं, वहां श्रीगनर में बैठे हुए सरकारी अफसर को पता नहीं है कि उसकी डैड-बॉडी को जला दिया गया था या रखा गया है।

उपाध्यक्ष जी, यह हम सबकी भावना है। इसमे गृह मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस दिन आप गए उससे दो घंटे पहले में भी वहीं था। मगर आप ऐसे विजिट कर के चले आए। अगर वहां बैठकर आपने पूछा होता, तो आपको मालूम होता। मेरी आप से गुजारिश है कि आप अभी नहीं, लेकिन यदि कल 11 बजे सदन को बताइए कि कुल कितने लोगों की डैथ हुई है, कितने लोगों का क्रिमेशन हुआ, कितनी लाशें अभी भी पड़ी हुई हैं, तो आप कल भी यह सूचना नहीं दे पाएंगे।

सभापति महोदया, कितनी बड़ी यह दुर्घटना घटित हुई है, इस पर सरकार को बहुत चिन्तित होना चाहिए। मैं सरकार की भर्त्सना करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई नई बात नहीं है। यह यात्रा हर साल होती है। सरकार को पहले से ही प्रीकाशनरी मैजर्स लेने चाहिए। हर 10 किलोमीटर पर एक टेलीफोन बूथ होना चाहिए। जब मेरे जैसा आदमी गुजरात से एक रेडियो स्टेशन लेकर वहां जा सकता है औ पहलगांव के रैस्ट हाउस में बैठकर गुजरात के सात जिलों के लोगों से सम्पर्क कर सकता है तो इतनी बड़ी यह भारत सरकार क्या वहां सूचना देने और भेजने की व्यवस्था नहीं कर सकती है। क्या वह यह व्यवस्था नहीं कर सकती है कि पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग या पंचतरणी में क्या हो रहा है, इससे देशवासियों को अवगत करवा सके?

महोदया, सवाल किसी व्यक्ति या स्टेट का नहीं है। यहां पर दो सदस्य उधर बैठे हैं और एक मैं हूं जो वहां पर जाकर आए हैं और जिन्होंने स्थिति को देखा है। हमारी मांग है कि इस सारी घटना की उच्चस्तरीय जांच की जाए। जो लोग अभी भी रास्ते में बीच में हैं, उनके सारे ब्यौरे समग्र देश के सामने रखे जाएं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग बीच में कहां-कहां पर है। रामविलास पासवान जी 25 तारीख को मैंने आपको टेलीफोन किया था।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैंने आपके नाम का उल्लेख किया है।

श्री हरिन पाठक : अभी रेलवे का उल्लेख आएगा। लोगों के पास पैसा नहीं है। राम विलास जी चार-चार दिन से लोग भूखें हैं। यहां तक स्थिति है कि लाशों तक पर कपड़े नहीं हैं। मैंने 18 लाशें देखीं, उनके ऊपर सिर्फ बनियान और नेकर ही था। इतनी ठंड में लोगों के पास सिर्फ बनियान और नेकर ही है। पूरे कपड़े तक नहीं हैं। इस प्रकार से पेनीलैस इतने सारे यात्री जम्मू में हैं। सरकार की ओर से उनको अपने घरों तक भेजने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग गुजरात के हों, उनको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जहां-जहां भी सीधी ट्रेने चलती हों, वहां भेजने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। यह मेरी मांग है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : वे उस स्थल तक गये थे। मेरा विचार है कि उन्होंने और अन्य दो माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है—लिख कर उन्हें दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) क्योंकि कुछ बातों की वे जांच कर संकेत हैं और उचित कार्यवाही कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि स्थल पर किये गये दौरे से अधिक जानकारी मिलेगी। उन्हें अन्य स्त्रोतों से अद्यतन जानकारी मिल रही है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं उन परिवारों के प्रति दुख प्रकट करता हूं जिन परिवार के लोगों की वहां मृत्यु हुई और मैं उन साथियों और कश्मीर की जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने उन अमरनाथ यात्रियों को बचाने में अपना योगदान किया तथा सहायता दी। मैंने पाठक जी का बयान ध्यान से सुना। उसको सुनकर मैं सरकार की भर्त्सना करने पर विवश हूं। मैं केवल जम्मू कश्मीर सरकार की ही नहीं बल्कि भारत सरकार की भी भर्त्सना करता हूं क्योंकि वहां पर इस समय राष्ट्रपति शासन है और केन्द्र सरकार सीधी इसके लिए उत्तरदायी है। इस नाते से प्रधान मंत्री के

पास वहां का चार्ज है तथा प्रधान मंत्री को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। वहां के लैफ्टीनेंट गवर्नर को हटाया जाए। चीफ सैक्रेट्री को हटाया जाए।

परसों गृह मंत्री जी विपक्ष के नेता को कह रहे थे कि विपक्ष के नेता नहीं गए, लेकिन गृह मंत्री जी, दो माननीय सदस्य वहां बैठे हैं और एक यहां, जो वहां पर गए हैं। इन लोगों ने जो बातें यहां कही है उनमें तथा प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के जो बयान की प्रतियां हमें दी गई हैं उनमें बहुत अंतर हैं। वे अलग-अलग है। यह तो सीधा हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार इस संसद के अंदर भी असलियत नहीं बता सकती तो इस देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मैं इन सब बातों के लिए केन्द्र सरकार को दोषी ठहराता हूं। इन लोगों ने क्या किया है? हरियाणा प्रदेश के कई लोग मारे गये हैं। मैंने स्वयं गृह सविच से टेलीफोन पर बात किया था कि आप हमें कम से कम यह तो बता दें कि कौन-कौन से लोग मरे हैं। उनकी सूची हम लोगों को बता दें कि कौन से लोग जिंदा है और वे कहाँ पर रुके हुए हैं लेकिन हमें सूची नहीं दी गयी। हरियाणा प्रदेश के लोग कार द्वारा पहलगाम पहुंच सकते हैं लेकिन कश्मीर में श्रीनगर के अधिकारी पहलगाम से आगे नहीं पहुंच सके। यह बड़ी शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी त्रासदी हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी अपने राजनीतिक जलसे करते रहे, चुनाव की तैयारियां करते रहे। यहां गृह मंत्री जी बैठे रहे। गवर्नर साहब दो दिन यहां बैठे रहें और कहने लगे कि मैंने तो प्रधानमंत्री जी से मिलना है इसलिए मैं दिल्ली में बैठा हूं। ऐसे गवर्नर की तत्काल छुट्टी करनी चाहिए। इसमे इंक्वायरी की क्या जरूरत है? सारे देश के सामने जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी से कोताही की है, जिन लोगों ने देश की जनता के सामने नंगा नाच किया है, अपनी ड्यूटी से धोखा किया है, ऐसे कर्मचारियों को चाहे वह गवर्नर हो, चाहे चीफ सैक्रेट्री हो, को निलम्बित किया जाये। गवर्नर को वहां से हटाया जाये उसके बाद इंक्वायरी शुरू की जाये।

अभी माननीय सांसद कह रहे थे कि इंक्वायरी करेंगे तो कौन लोग फसेंगे? वहां पर जो छोटे मुलाजिम है, वे फसेंगे। यह ठीक है। जब इंक्वायरी शुरू होती है तो सरकारी नौकरियों में भी जिन अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई इंक्वायरी बैठायी जाती है तो सबसे पहले उसे इलाके से उसको बदला जाता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि राज्यपाल से लेकर चीफ सैक्रेट्री या और जो भी दूसरे अधिकारी इसमें शामिल है, उनको जम्मू-कश्मीर से हटाया जाये। उसके बाद एक आयोग बैठाया जाये, एक कमीशन बैठाया जाये जो उसकी इंक्वायरी करे। दूसरा विपक्ष के माननीय सांसदों की एक टीम कल वहां पर भिजवाई जानी चाहिए ताकि हम देश की जनता के सामने असलियत रख सकें। हमारे वरिष्ठ सांसद कह देते हैं कि राजनीति की बात मत करें। मैं इस बात से बहुत ही परेशान हूं। हम यहां राजनीति करने के लिए आये हैं? हम यहां धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए नहीं आये हैं लेकिन जो हमारे माननीय वरिष्ठ सांसद हैं, वे लोग कहते हैं कि आप सब फायदा उठाते हैं। आज फायदा उठाने वाली कोई बात नहीं है। फायदा अधिक से अधिक क्या होगा। हम लोगों को जनता ने जो चुना है। हम 11 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके इस हाउस में आये हैं हम विपक्ष में बैठे हैं इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है यदि सरकार जनता के साथ धोखा करे, जनता के साथ अन्याय करे तो हम आपके माध्यम से देश की जनता को और सरकार को इस बात से अवगत करवा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ। दूसरी पॉर्टियों के लोगों में इस बात की चर्चा थी कि अभी तक लिस्ट नहीं बनी। यह नहीं पता लगा कि कौन मरा है, किसकी लाशें फूंकी गयी, दवा-दारू का किसने इंतजाम किया है। जब गुजरात की सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार वहां पर दवा-दारू का इंतजाम कर सकती है तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में इन लोगों की सरकार ने वहां पर क्या इंतजाम किया है? यह बड़े शर्म की बात है।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : महाराष्ट्र के मिनिस्टर भी गये हैं।

श्री जय प्रकाश : 500-500 रुपये एक प्राइवेट बस वाले ने किराया लिया है। मैं कहता हूं कि सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। चाहे सरकारी हो, अर्द्ध सरकारी हो या निजी हो, वह सब सरकार की जिम्मेवारी है। जब कोई बाजार में जायेगा तो पांच रुपये की चीज 50 रुपये में लेगा तो क्या आपका शोप इंसपेक्टर उसे नहीं रोकेगा? क्या उस दुकानदार का चालान नहीं किया जायेगा? प्राइवेट वस वाले को 500 रुपये एक यात्री से, जा विपदा में हो, संकट में हो लेने का क्या अधिकार है? इसलिए अधिक से अधिक जिम्मेदारी सरकार की है देश की जनता पार्लियामेंट का और मंत्रिमंडल का खर्चा उठाये बैठी है। क्या आप लोगों का कोई फर्ज नहीं है कि वहां जाकर सारी स्थिति को कंट्रोल में किया जाये? हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र के अंदर इसी तरह से बहुत बड़ा मेला लगता है। आप लोगों को ज्ञान है कि वहां पर 10-10 लाख लोग आते हैं? हमारी सरकार पहले से इंतजाम करती हैं। बाकायदा मुनियाद करवाती है कि हमने इतने कंट्रोल रूम बना दिये है, वहां-वहां पर हमारे कंट्रोल रूम है, दवा-दारू का इंतजाम कर दिया है, इतने टेलीफोन की व्यवस्था की है, इतने क्लोज सर्किट टी.वी. लगाये हैं मैं मानता हूं कि बहुत लम्बा इलाका, 250 किलोमीटर का है।

लेकिन हिन्दुस्तान के पास आज दूर संचार का बहुत बड़ा माध्यम है। वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जगह-जगह डाकटरों की टीम बिठाई जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ज्यादा लोग आ गए थे। मैं आपके माध्यम से इस देश की सरकार से केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि कल को ये कह देंगे कि दिल्ली में ज्यादा सांसद चुनकर आ गए हैं, हमारा सिटिंग अरेजमैंट कम है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किस तरह से यह बयान देती है कि ज्यादा लोग आ गए, कम्बलों का इंतजाम नहीं कर सके। कम्बल तो साढ़े चौदह हजार थे। लेकिन (व्यवधान) सवा लोग वहां पहुंचे है। यदि देश की सरकार चाहे कि तीन घंटों में एक लाख कम्बलों का इंतजाम करना है तो इनके पास हैलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, सेना है, अर्ध सैनिक बल है, वे किस काम आएंगे। सड़के नहीं हैं तो हवाई जहाज से भिजवाएं। यह सरकार की जिम्मेदारी है।

पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में बाढ़ आई। जिस इलाके से मैं संबंध रखता हूं, वहां सात दिन तक हमारे लोग पानी में घिरे रहे लेकिन सरकार ने प्रदेश की जनता को एक हैलीकॉप्टर भी मुहैया नहीं करवाया। कितने दुख की बात है। वहां लाखों की तादात में ऐसे लोग फंसे हुए जिनके पास पैसा नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि बर्फ पड़ गई। बारिश हुई। हम मानते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप से लोग मर जाते हैं लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया। उसके बाद जो लोग मरे हैं, उस की आप किसपर जिम्मेदारी लगाएंगे। लोग भूखें, नंगे, प्यासे रहकर आज जम्मू कश्मीर में आए हैं।

माननीय रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं इनसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप सदन के नेता हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जम्मू के अंदर ज्यादा से ज्यादा सरकारी होटल खुलवाएं जाएं। सरकार के जो भी मंत्री हों, वहां दो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाए कि लोगों की जेब को इस तरह से न काटा जाए। वहां सारे देश के लोग गए हैं। जम्मू कश्मीरं से लेकर तमिलनाडु तक के लोग वहां गए हैं। यदि वहां इस प्रकार का माहौल बना है, जब वे लोग देश में आएंगे तो क्या कहेंगे कि सरकार और हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनकर गए हैं, उन्होंने क्या किया।

उस दिन जब ऐडजर्नमैंट मोशन की बात आई थी तो मैंने एक बात कहीं थी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके माध्यम से देश की जनता को सचेत करें कि आप देश की जनता के साथ ठीक तरह का रवैया नहीं अपना रहे। लेकिन जब इस तरह की बातें करते हैं तो हमारे दूसरे सरकार के सहयोगी दल कहना शुरू कर देते हैं कि सरकार को चलाना है, सरकार को बचाना है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को बचाने की, सरकार को चलाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि सरकार जनहित में कार्य नहीं करेगी तो हम उसका जमकर विरोध करेंगे। इसलिए जो भयंकर त्रासदी हुई है, मैं उसके लिए सरकार को दोषी ठहराता हूं। प्रधान मंत्री जी को चाहिए कि जिन अधिकारियों ने ड्यूटी पर कोताही की है, उनको निलंबित करवाकर जांच आयोग बिठानी चाहिए। यही मेरा कहना है।

श्री समीक लहिरी (डाइमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी-अभी श्रीनगर से यहां लौटकर आया हूं। मैं पहलगांव भी गया था। दो दिन श्रीनगर में भी था। जो यात्री वहां मर गए हैं, मैं उनके प्रति सबसे पहले अपनी दुख और वेदना प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं श्रीनगर गया था।

[अनुवाद]

वहां मुख्य समस्या यह थी कि विशेष तौर पर असैनिक और सैनिक अधिकारियों के बीच कोई समन्वय नहीं था। वहां दो समानान्तर प्राधिकरण कार्य कर रहे थे।

[हिन्दी]

सिविल अथारिटी कुछ और बोल रही थी और आर्मी अथारिटी कुछ दूसरी दात बोल रही थी। हम पहलगांव जाना चाहते थे लेकिन वहां की अथारिटी ने हमें परमीशीन नहीं दी। उन्होंने कहा कि सड़क बंद है रात को जो यात्री लौटकर आए, उनसे हमें जानकारी मिली कि सड़क तो खुली हुई है। यदि हमको पहलगांव जाने के लिए ऐलाऊ कर दिया जाता तो बीच के यात्री आश्वस्त हो सकते थे।

[अनुवाद]

मेरे सभी सहयोगियों ने पहले ही बताया है कि उसके पास बड़ी मात्रा में दवाइयां थी। इन दवाइयों के साथ पहलगांव नहीं पहुंच सका, मैंने यह भी देखा है। हम लोग तो पहलगांव कल पहुंच सके, कल वहां जाने के बाद हमने वहां देखा, पहलगांव से पहले ही 60 प्रतिशत लोगों को निकाला जा चुका था। लेकिन मुख्य समस्या समन्वय के अभाव की थी।

[हिन्दी]

वहां के एस.पी. के साथ मेरी बातचीत हुई तो एस.पी. ने कहा कि अब बस तो फ्री हो जाएगी, सब यात्रियों को बस फ्री ऑफ कास्ट ले जाएगी। लेकिन फिर भी वहां की जो लोकल स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन है, वहां टिकट सेल हो रहे थे। बहुत सारे यात्रियों के पास मैंने वे टिकट देखे। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्राइवेट बसें वहां से रिक्वीजीशन की लेकिन उन्होंने प्राइवेट बसों को कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी कि आप यात्रियों से किराया मत लेना। बस के मालिक के पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थीं। वहां इतना रश था कि सब लोग यही सोचते थे कि जो तीन बसें आ रही हैं, यही लास्ट बसें हैं, हम लोग जम्मू नहीं जा सकेंगे, इसलिए वे वास्तव में बस की ओर दौड़ रहे थे। मैंने यह भी देखा कि वह रास्ता बहुत खराब हालत में हैं। उस रास्ते से जो यात्री लौट रहे थे, उनमें छत पर भी मैंने 50-60 यात्री देखें, वे बहुत खतरनाक तरीके से आ रहे थे। ऐसी हालत हुई थी। हम लोगों ने वहां के एस.पी. के साथ बातचीत की, वहां के जो ट्रैफिक पुलिस के आफिसर्स थे उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत की कि आप यहां ज्यादा से ज्यादा बस लगाइये, नहीं तो वास्तव में वे आतंकित थे। क्योंकि, वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार यह घोषणा की थी कि 28 तारीख के बाद हम सुरक्षा प्रभार लेने के लिये जिम्मेवार नहीं होंगे। लेकिन जब हम लोगों ने एस.पी. के साथ बातचीत की थी तो हम लोगों को बताया गया कि जब तक अन्तिम यात्री पहलगांव नहीं छोड़ जाता। मैं यहां रहूंगा। हम लोगों को आश्वस्त किया गया और उसके बाद कल मैंने देखा कि बहुत सी बसें और ट्रक पहलगांव की तरफ जाने लगे हैं।

एक बात तो मैं यहीं यह बताना चाहता हूं कि वहां संचार का अभाव था। पहलगांव में बहुत सारे, 70,000 लोग 23,24 तारीख से थे, वे लोग अपने इलाके में कोई भी खबर नहीं भेज पाये थे, इसीलिए लोगों में बहुत एंग्जायटी थी। वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके लिए यह कोई भारी बात नहीं थी कि वहां एक रेडियो स्टेशन बना देता। वहां टैम्परेरी टेलीफोन बूथ लगाया जा सकता था, लेकिन वहां कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था यहां तक कि श्रीनगर में भी दिल्ली से कोई संचार व्यवस्था नहीं थी। वहां यही मुख्य समस्या थी। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि जब भी ऐसी कोई बात आएगी, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट यात्रा ओर किसी इम्पोर्टेंट चीज की देखभाल गवर्नमेंट को करनी होगी तो गवर्नमेंट को पूरी तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जहां आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। सिविल और आर्मी दोनों एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे हैं उन दोनों में एक को आर्डीनेशन होना चाहिए। यह कोआर्डीनेशन बिल्ट अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां बहुत जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी उनको बहुत अच्छी तरह से निभानी होगी, नहीं तो यह केओस हो जाएगा।

मैं रेल मंत्री से यह भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने रेल का कुछ इन्तजाम जम्मू में किया है। जम्मू में हम लोगों ने कैम्प लगाए हुए थे, वहां से मुझे यह सूचना मिली है, लेकिन सबसे बड़ी यह बात आई, वास्तव में यात्रियों के पास एक पैसा भी नहीं था। इसलिए उन यात्रियों को टिकट मुफ्त दिया जाय, ताकि वे कम से कम आने राज्य की राजधानी वापिस लौट सकें। ऐसी कुछ ट्रेन जम्मू से चलाई जाएं। यह स्थिति में वहां देखकर आया हूं। जम्मू में अगर ठीक तरीके से ट्रेन लगा दी जाएं और बसें लगा दी जाएं तो कल तक पूरा जम्मू यात्रियों से खाली हो जाएगा। वहां से यही मेरा ऑब्जर्वेशन था।

मुझे बोलने की अवसर देने के लिए धन्यवाद।

अपराह्न 6.00 बजे

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : ट्रेन में टिकट की व्यवस्था के बारे में भी बता दें।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में पासवान जी पहले कह चुके हैं।

श्री हरिन पाठक : हो यह रहा है कि कोचेज़ लग जाते हैं, आप दिल्ली के लिए गाड़ी चलाते हैं, जबकि 20 हजार लोग गुजरात से गए हैं, महाराष्ट्र से भी हैं।

श्री राम विलास पासवान : हमारे सामने दिक्कत यह है कि जो रेगुलर ट्रेन हैं, उसीमें पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं।

श्री हरिन पाठक : अभी तक लोग पहुंचे नहीं हैं, कल से आने शुरू होंगे।

श्री राम विलास पासवान : एक ट्रेन 1400 पैसंजर्स के साथ चल चुकी है। हमने 11 रेगुलर ट्रेन के अलावा नौ स्पेशल ट्रेन भी लगाई हैं, जो कि साम्भा तथा अन्य स्थानों पर खड़ी हैं। जब रेगुलर ट्रेन भर जाती हैं, उसके बाद स्पेशल ट्रेन चलाते हैं।

श्री हरिन पाठक : टिकट फ्री करवा दें। क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक निजी वाहन जा सकते हैं उसके बाद शेषनाग से पंचतरणी और फिर अमरनाथ जाने से पहले यात्री अपना सामान चंदनवाड़ी में रख देते हैं। केवल कुछ पैसो जब में रख लेते हैं और बाकी के पैसे और सामान चंदनवाड़ी में जमा करा देते हैं। इसलिए उनके पास पैसे नहीं हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो पैनीलैस हैं, उनको फ्री यात्रा करने दें।

श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : एनाउंसमेंट करके जनता को बैठाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, छः बज रहे हैं, हाउस कब तक चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : आज रात को नौ-दस बजे तक चलेगा, भोजन का भी प्रबंध है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : 10 बजे तक चलेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाउस दस बजे के बाद तक भी चल सकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प.ब.) : उपाध्यक्ष महोदय, दुखद दुर्घटना के बारे में बोलने की अनुमति देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। **(व्यवधान)**

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस विषय के लिये एक घंटे का समय बढ़ाया गया था। इसके बाद बजट पर चर्चा आरम्भ होगी। यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है।

श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : प्रत्येक सदस्य के लिये भाषण की समय सीमा दस मिनट होनी चाहिये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे के लिये तो एक्सटेंड करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दो लोग जो वहां होकर आये हैं, उनको ज्यादा समय दिया गया है। बाकी सदस्य पांच-पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त करूंगा।

अपराह्न 6.04 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

हम अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे तीर्थ यात्रियों के साथ घटी दुखद घटना के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे है। हमारे माननीय मित्र श्री हरनि पाठक, श्री समीक लहिरी और राज्य सभा के सदस्य हमारे माननीय मित्र श्री मोहम्मद सलीम ने दुर्घटना वाले विभिन्न स्थलों का दौरा किया था। उन्होंने दुर्घटना के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में विद्यमान स्थिति का बड़ा हृदय विदारक वर्णन किया था। सभा में व्यक्त की गई उनकी चिन्ता और आवेश में हम सब भागीदार हैं।

उन्होंने माननीय मंत्री और सरकार को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह शीघ्र ही रिपोर्ट का अध्ययन करे।

जान के नुक्सान की भरपाई धन अथवा शब्द कोष के चुने हुए विनम्र शब्दों के प्रयोग द्वारा नहीं की जा सकती है।

भारत के समकालीन इतिहास में यह सबसे गम्भीर दुखद घटना है। हम सबको अमरनाथ गुफा के रास्ते में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख है। हम सबको उन सभी शोक संतप्त परिवारों के लिए गहरी संवेदना और दुख है जिनके निकट सम्बन्धी इस त्रासदी में मारे गये। मैं कश्मीर के कुलियों और ग्रामीणों और वहां के स्थानीय लोगों को आश्रय देने के लिये धन्यवाद करता हूं। उन्होंने तीर्थ यात्रियों का अतिथि सत्कार किया और अपने स्तर पर अनुभव द्वारा तीर्थ यात्रियों की जान बचाई। इसके साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री और सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्राकृतिक आपदा कोष का प्रयोग इस नुकसान को पूरा करने और जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये करें।

माननीय गृह मंत्री और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में गंभीरतापूर्वक किये गये प्रयासों को कुछ प्रत्यक्ष कारणों से न्यायोचित ठहराया जा सकता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर की नौकरशाही की असफलता को माफ नहीं किया जा सकता। यदि वे पहले सचेत होते तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। खराब मौसम और उससे हुए विनाश का मुकाबला करने के लिये के रोकथाम के उपाय कर सकते थे। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने गृहमंत्री द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया है। वह हमारे प्रिय गृह मंत्री हैं। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। **(व्यवधान)** वे हमेशा प्रिय रहे हैं।

मुझे दुख है कि रिपोर्ट का प्रारूप नौकरशाहो ने असफलताओं और त्रुटियों को छुपाने के लिये तैयार किया है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें मौसम के बारे में पूर्वजानकारी प्राप्त न हुई हो और उसकी विभिषिकाओं का पूर्वानुमान न लगा सके हों। हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते। आज हम अत्याधुनिक वैज्ञानिक और तकनीकी युग में रह रहे है। आधुनिकतम तकनीक द्वारा हमें आवश्यक जानकारी मिल सकती है, इससे हमें मौसम का पूर्वानुमान हो सकता है जिससे हम किसी भी प्रकार के खराब मौसम और प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त उपाय कर सकते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। यह केवल प्रशासनिक रिपोर्ट है। यह सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट है और जिसका प्रारूप प्रशासन से सम्बन्धित किसी व्यक्ति ने तैयार किया है। इस प्रशासनिक रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम, भूस्खलन, भारी वर्षा, हिमपात आदि का उल्लेख किया गया है। इन सब बातों की हमें जानकारी है। हम इन सब बातों की उपेक्षा नहीं करते। हम माननीय गृहमंत्री से कुछ अधिक आशा करते थे और अभी भी आशा करते हैं कि माननीय गृह मंत्री और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा ताकि हम हानि को पूरा कर सकें। और जो लोग प्रभावित हुए हैं और जिन लोगों की मौत हो गई है उनके सम्बन्धियों ओर वहां फंसे लोगों के लिए शीघ्र ही बचाव तथा राहत कार्य दुगने जोश से कर सकें। हम मृतकों को वापिस नहीं ला सकते। लेकिन हमें वहां प्रभावित व्यक्तियों को उचित राहत और उनकी ओर ध्यान देना चाहिय।

श्री हरिन पाठक : सभापति महोदय, मुझे आपसे विशेष निवेदन करना है। विपक्ष के नेता माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी आज दोपहर श्रीनगर गये हैं। वे शायद आज देर शाम अथवा कल सुबह वापिस लौटेंगे। वे उस स्थान का निजी तौर पर दौरा करेंगे और समस्त प्रभावित क्षेत्र को देखेंगे और लोगों से मिलेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि जब वे अपने दौरे से लौटें हम उनकी बात सुनें। अतः मेरा आप से अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्री अपना उत्तर कल दे सकते हैं। और तब तक यहां चर्चा समाप्त हो जायेगी। **(व्यवधान)** उन्हें अपनी बात स्वयं कहने दें।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि...

(व्यवधान)

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) महोदय, हम भी इस बात का समर्थन करते हैं। हमें वस्तुस्थिति का बोध हो जायेगा। गृह मंत्री ने स्थान का दौराकर लिया है और अपने विचार सभा में प्रस्तुत कर दिये हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : वह दौरे के बारे में अपना ब्यौरा दे देंगे...

(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : मेरा नम्र निवेदन यह है कि गृह मंत्री को कल उत्तर देना चाहिये। **(व्यवधान)** वह विपक्ष के नेता हैं। आसमान गिरने वाला नहीं है **(व्यवधान)** उन्हें अपनी बात कहने दें **(व्यवधान)** वह आज श्रीनगर इसी उद्देश्य से गये है **(व्यवधान)** आज चर्चा पूरी करवा लीजिये और कल आप जबाब दे दीजिये, अगर सदन उसके लिये सहमत हो तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है। कल 12 बजे अटल जी आ जायेंगे और उनकी दो चार बातें कहने के बाद आप जबाब दे दीजिये । आसमान नहीं गिर जायेगा।

सभापति महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह डिसाइड किया है कि इसका रिप्लाई होने के बाद बजट पर डिसकशन होना है।

श्री हरिन पाठक : स्थिति भिन्न है। अटल जी को कल जाना था... **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : (चित्तौड़गढ़) श्री पाणिग्रही जी आपकी अनुमति से मैं यह अनुरोध करूंगा—हमें कोई अधिकार नहीं है—यह कोई अधिकार नहीं है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। विपक्ष के नेता स्वयं गये हैं वह वहाँ अवकाश के लिए नहीं गये हैं। हम केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता द्वारा कुछ टिप्पणियां करने के बाद सभा में माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दें। हमारा यही अनुरोध है कि चर्चा आज समाप्त हो जाये और कल विपक्ष के नेता द्वारा दी जाने वाली जानकारी से गृह मंत्री और हम सबको लाभ हो जाये। कल गृह मंत्री अपना जबाब दे दें। हम इस बात का ही अनुरोध कर रहे हैं। सब वक्ताओं के बोलने के तुरन्त बाद बजट (सामान्य) पर चर्चा आरम्भ की जा सकती है और बजट पर चर्चा आज समाप्त हो सकती है। गृह मंत्री का उत्तर वित्त मंत्री के उत्तर की तरह कल दिया जा सकता है। यह एक अनुरोध है। निःसन्देह हम इस बात की मांग नहीं कर सकते। यह चर्चा नियम 193 के अधीन हो रही है। अक्सर नियम 193 के अधीन चर्चा अगले दिन तक होती रहती है। मैं आप दोनों माननीय गृह मंत्री और श्री पासवान से और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि कृपया इस बात पर विचार करें। हम इस बात को अधिकार पूर्वक नहीं कर सकते। हम केवल अनुरोध कर सकते है। यह अनुचित अनुरोध नहीं है। सभा को तथा हम सबको इससे लाभ होगा.... **(व्यवधान)**

श्री पी० आर० दासमुंशी : महोदय, यह अनुचित अनुरोध नहीं है। विपक्ष के नेता ने सभा को स्वयं सहयोग दिया क्योंकि वह स्थगन प्रस्ताव पर जोर दे रहे थे और उन्होंने नियम 193 के अधीन चर्चा करना स्वीकार कर लिया। चूंकि ये अनुरोध कर रहे हैं। यदि श्री वाजपेयी कल कुछ टिप्पणियां करे तो इसमें गलत क्या है?

श्री संतोष मोहन देव : किस समय ?

श्री हरिन पाठक : कल **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : यह निर्णय लिया जा रहा है कि वित्त मंत्री सामान्य बजट चर्चा पर कल उत्तर देंगे। कल गैर-सरकारी सदस्यों का दिन भी है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उनके बोलने का समय निर्धारित कर दें। मैंने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया है— यद्यपि मूलतः यह निर्णय लिया गया था कि कल कोई नहीं बोलेगा ओर केवल वित्त मंत्री उत्तर देंगे कि हमारे नेता ने बजट में भाग लेने का निर्णय लिया है। अतः वह एक बजे बोलेंगे। आपको पता नहीं है कि अध्यक्ष महोदय इस बात पर सहमत हो गये हैं। अतः एक बजे से पूर्व का कोई समय श्री वाजपेयी को दिया जा सकता है। चूंकि वे वहां गये हैं हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ ही हमें इसके उत्तर के लिये भी समय देना होगा। कृपया समय निर्धारित करें। कल शून्य काल नहीं

होना चाहिए और सब दलों को इससे सहमत होना चाहिये। श्री बाजपेयी एक बजे से पूर्व बोलेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर दें। सारा उद्देश्य पूरा हो जायेगा (व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे सदन के नेता से पता करने दीजिये।

श्री जसवन्त सिंह : सभापति महोदय : क्योंकि वह समय देने का अनुरोध कर रहे हैं (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस बारे में निर्णय हम बाद में ले सकते हैं हमें सदन के नेता के विचार जानने चाहियें।

श्री जसवन्त सिंह : यदि बजट पर चर्चा एक बजे से पूर्व समाप्त हो जाती है तो अच्छी बात है। गृह मंत्री गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की समाप्ति के बाद छः बजे के बाद इसे ले सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। बजट को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

श्री संतोष मोहन देव : उन्हें समायोजन करने दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। प्रधान मंत्री जी का लखनऊ में शिलान्यास का कार्यक्रम आज तीन बजे था। लेकिन इस चर्चा के कारण उस कार्यक्रम को शिफ्ट करके 11 बजे कर दिया गया। हमें मालूम हुआ था कि प्रश्न काल के बाद चर्चा आरम्भ हो जाएगी और 4 बजे खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग 4 बजे से पहले यहां पहंच गए और प्रधान मंत्री जी ने अपने सारे दूसरे एंगेजमेंट्स खत्म कर दिए। वे अपने कार्यालय में अभी बैठे हुए है। थोड़ी देर पहले बताया गया था कि 5.45 बजे गृह मंत्री उत्तर देंगे। हमने प्रधान मंत्री जी को सूचित करवा दिया था। कभी-कभी नाजुक मसलों पर मांग होने लगती है कि प्रधान मंत्री हाउस में कहां हैं, या क्यों नहीं हैं? ये सारी दिक्कतें आने लगती हैं। हमें अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आज लीडर ऑफ अपोजीशन कश्मीर गए हुए हैं। उनको हम बहुत महत्व देते है। वहां से आने के बाद वे कुछ और जानकारी देंगे। लेकिन एक बार हम चैक कर लें कि प्रधान मंत्री जी का कल का कार्यक्रम क्या है और यदि कोई कार्यक्रम हो तो उस परिस्थिति में उन्हें इन्सिस्ट न किया जाए।...(व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त : बजट पर डिस्कशन नहीं होगा।

श्री राम विलास पासवान : वह तो आज है।

श्री जसवंत सिंह : एक बजे तक बजट खत्म कर लीजिए।

श्री श्रीकान्त जेना : कल एक बजे तक बजट कैसे खत्म होगा।

श्री जसवंत सिंह : जिसको बोलना है वह आज बोल ले। वित्त मंत्री का जवाब कल कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप यह चाहते हैं कि आपका नेता इस पर बोलने के लिए उपस्थित रहे। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि उनका नेता बजट पर कल बोले। इसे भी समायोजित किया जाना है। हमारी सामान्य प्रक्रिया यह है कि हमें यह प्रस्ताव पास करना चाहिये कि प्रश्न काल को निलम्बित किया जाये। अन्यथा आप समायोजित नहीं कर सकते क्योंकि कल शुक्रवार है।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति पहले ही यह निर्णय ले चुकी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : लेकिन एक बात का ख्याल रखिये कि कल शुक्रवार है और शुक्रवार को आप लंच के बाद ब्रेक करते हैं तो हल्ला गुल्ला भी होता है ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अतः श्री पाणिग्रही जारी रखे। वे पांच मिनट में स्थिति सुनिश्चित कर लेंगे और हमें बता देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। आप समय अपनी इच्छानुसार निर्धारित कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले –यदि मैं गलती पर नहीं हूं– मैंने एक सुझाव उस ओर से सुना था कि मेरा उत्तर, यदि आवश्यक हो तो, गैर-सरकार सदस्यों के कार्य के बाद भी दिया जा सकता हैं। मैं यह अनुरोध स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मुझे कुछ और काम हैं। अतः मैं गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की समाप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : प्रश्न काल की समाप्ति के बाद हमारे पास केवल एक घंटा बचता है यदि हम शून्यकाल समाप्त कर दें तो एक घंटा बचेगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, वास्तविक समस्या यह है कि यद्यपि 12 बजे और 1 बजे के बीच में आप के पास एक घंटा हैं लेकिन शुक्रवार होने के कारण आप मध्याह्न भोजन को समाप्त किये बिना ऐसा नहीं कर सकते। फिर दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को बोलना है। फिर उत्तर दिया जायेगा अतः इस सबको एक घंटे में समाप्त करना सम्भव नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह : यदि आप शून्यकाल समापत कर देते हैं तो 12 बजे और 1 बजे के बीच हमारे पास एक घंटा बचता है। मेरे विचार से वह अधिक समय नहीं लेंगे। वह कोई बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। वह शायद अधिकतम पांच अथवा दस मिनट तक बोलें। अतः 12 बजे ओर 1 बजे के बीच वह बोल सकते हैं और माननीय गृह मंत्री उत्तर दे सकते हैं। फिर 2 बजे आप बजट बोल सकते हैं। आपके पास डेढ़ घंटे बचते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह एक घंटे का समय लेंगे।

श्री जसवन्त सिंह : वह पाँच अथवा दस मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

सभापति महोदय : वह पाँच मिनट में सुनिश्चित कर लेंगे। वे हमें बताएंगे। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं और पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (एस. आर. बाला सुब्रहमन्यन) : क्या कल बजट पर चर्चा के समय सबको समय मिलेगा?

सभापति महोदय : नहीं आज बजट पर चर्चा होनी है और कल वित्त मंत्री उत्तर देंगे। चर्चा रात्रि में समाप्त होगी। केवल तीन और वक्ताओं को बोलना हैं। इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि गृह मंत्री अपना उत्तर कल दें अथवा आज। इस बात को हम पाँच अथवा दस मिनट में सुनिश्चित कर लेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदय, जैसाकि अपने निर्देश दिया है मैं संक्षेप मे बोलूंगा क्योंकि अमरनाथ त्रासदी के सभी पहलुओं पर अब तक काफी चर्चा की जा चुकी है।

मैं समझता था कि माननीय गृह मंत्री द्वारा घटना स्थल के दौरे और उसके बाद प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बाद और रेलवे मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बाद स्थिति तेजी से सामान्य हो जायेगी। लेकिन सभा के उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने कल और आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया था और पहलगांव तक गये थे और वापिस लौटने पर उनके अनुभव सुनने के बाद मेरा हृदय बहुत दुखी हुआ है और मेरा यह मत है– अब इस पूरे सदन को, आपके लिये और जिन सदस्यों ने उनके विचार सुने हैं उन्हें यह निर्णय लेना है कि अब तक स्थिति में किस प्रकार की सामान्याता बहाल हुई है। यह चिन्ता का विषय है।

ये **यात्राएं, मेले** और त्यौहार हमारी परम्परा का एक अंग है। जैसाकि आप जानते हैं हमारा देश एक **धर्म निरपेक्ष** राष्ट्र हैं। भारत में विभिन्न धर्मो का पालन किया जाता है और विभिन्न धर्मो के मानने वाले लोग विभिन्न त्यौहारों में भाग लेते हैं तथा यह अमरनाथ **यात्रा** एक अत्यन्त महत्वपूर्ण **यात्रा** है।

जो कुछ भी त्रासदी घटी है उससे भारत सरकार की और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की भविष्य के लिये आंखें खुलनी चाहिये।

हाल ही में दो या तीन महीने पहले हरिद्वार में **छोटा कुम्भ मेला** अथवा इसी प्रकार के किसी उत्सव के दौरान कोई दुर्घटना घटी थी। उज्जैन में भी किसी **मेले** के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी।

इससे पूर्व भी पुरी मन्दिर में 'नवाकलिवार' के दौरान दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस बार वहाँ डेढ़ लाख तीर्थ यात्री एकत्र हुए थे और सब कुछ शान्ति पूर्वक हो गया था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आंतकवादियों की चुनौतियों के कारण यह धारणा थी कि इस **यात्रा** का महत्व खत्म होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन इस चुनौती के बाद भी प्रति वर्ष 75000 यात्रियों ने **यात्रा** में भाग लिया और स्वभावतया प्रधान मंत्री ने उस दिन कहा कि इस वर्ष यात्रा में 1,20,000 से अधिक तीर्थ यात्रियों के भाग लेने की सम्भावना है। यह देश और समाज के लिये अच्छा संकेत है। एक ओर कदाचार, अपराध और भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर **धार्मिक उत्सव, यात्राओं और मेलों** का आयोजन किया जा रहा है जिनमें भारी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। यह स्वागत योग्य बात है। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा स्थिति का मुकाबला करने के लिये सब प्रकार की तैयारी करनी चाहिये। जब लोगों को यह पता लगा कि जम्मू और कश्मीर में संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो सकते हैं और एक महीने बाद राज्य विधान सभा के चुनाव होने हैं, स्वभावतया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थिति बहुत सुधर गई है, बड़ी संख्या में यहां तीर्थ यात्री गये। किसी को भी मानव त्रासदी को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही इस मानव त्रासदी को कम नहीं आंका जाना चाहिये और इस पर पर्दा नहीं डालना चाहिये। जैसाकि मैंने पहले कहा था कि हमको इसका विश्लेषण करना चाहिये और भविष्य के लिए इससे सबक लेना चाहिये।

महोदय, एक बात बहुत परेशान करने वाली और आघात पहुंचाने वाली है। गृह मंत्री ने अब तक अपनी धारणा बदल ली होगी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं आपको मानव त्रासदी के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आप अपनी धारणा बनाये रखें। मैं कहूंगा कि उन्होंने यह कहा है कि प्राकृतिक आपदा और मानव असफलता इस प्रकार की त्रासदी के लिये जिम्मेवार है। इतने अधिक लोगों की इस त्रासदी में मृत्यु हुई है। यह बताया गया है कि मरने वालों की संख्या लगभग 240 थी। मेरे विचार से यह संख्या 200 अथवा 300 से अधिक होगी। अभी भी बहुत से लोग गायब हैं। उनका पता नहीं चल रहा है। सरकार के नियमों क अनुसार जब तक शव बरामद न हो अथवा उनका पता न लगे अथवा उनकी पहचान न हो जाये, सरकार इस बात को नहीं मानती कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अकाल संहिता आदि की तरह राजस्व विभाग के नियम हैं कि अकाल और अन्य कारणों से मरने वालों को कैसे मृतक घोषित करें। यहां तक कि यदि लोग वर्षो तक गायब रहते हैं, और उनके लौटने की कोई आशा नहीं होती और विभिन्न एजेंसियाँ यह कहती है कि इन लोगों की मृत्यु हो गई है तो भी सरकार यह बात मानने को तैयार नहीं होती। अतः इसी प्रकार इन लोगों के गायब होने के कारण तथा अन्य बातों के कारण मृतकों की संख्या और बढ़ जायेगी। इसी के साथ, मैं यह कहूंगा कि मौसम पर किसी का नियंत्रण नहीं है। आज आधुनिक समाज में तकनीकी विकास और उन्नति इतनी अधिक है, हमें इन बातों के बारे में सावधान होना चाहिये। हमारे पास मौसम अधिकारी हैं। हमें चेतावनी यदि प्राप्त होती है। शायद ऊंचाई पर स्थित केन्द्रों को इसकी जानकारी समय पर नहीं दी गई। यह निश्चित है कि यदि जम्मू और कश्मीर सरकार के अधिकारियों ने उचित कार्यवाही की होती तो किसी हद तक इस त्रासदी को रोका जा सकता था। हम श्री इन्द्रजीत को इसके लिय निजी तौर पर दोषी नहीं मानते हैं हम प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा को निजी तौर पर अथवा केन्द्रीय सरकार को इसके लिये दोषी नहीं मानते हैं। यह मामला मुख्यतया राज्य सरकार से सम्बन्धित है। लेकिन चूंकि राज्य सरकार राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है इसलिये इस मामले पर हम यहां विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। उन्हें इसे इस रूप में नहीं समझना चाहिये किन्तु इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि गृह मंत्री के दौरे के बाद इस प्रकार की त्रुटिया हैं। हमें उन पर विश्वास करना चाहिये। इसके साथ ही क्या हम श्री हरिन पाठक जी और अन्य मित्र जो वहां का दौरा करके आये हैं, पर विश्वास नहीं करना चाहिये? हरिन पाठक जी, इसके साथ ही, क्या हम वहाँ से आए अन्य मित्र का भी अविश्वास कर सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए राज्य प्रशासन को दोष मुक्त करना दुख की बात है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं। में सम्मानीय सदन का एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। गृह मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान कल 9.30 बजे और 10 बजे के टेलीविजन समाचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। 9.30 बजे 'आजकल' और 10.00 बजे 'टू नाईट' में यह समाचार दिया गया था.... **(व्यवधान)** उन्हें समाचार की जाँच करनी चाहिये। यह बताया गया था कि पहलगांव में कल तक 35,000 लोग थे और जानकारी देने के लिये कोई लाऊड स्पीकर वहां काम नहीं कर रहा था। यदि यह सही नहीं है तो मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन यह कल रात का टेलीविजन समाचार था। यदि मैं गलती पर हूँ तो मेरी भूल-सुधार करें। मैं वहाँ नहीं गया हूँ। एक बात पूर्णतया सही है कि पहलगांव में, छोटा स्थान होने के कारण कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। यह कितने लोगों के लिये तथा कितने दिनों के लिये व्यवस्था कर सकता है। वहाँ इतने दिनों से लोग फंसे हैं। किन्तु फिर भी

कोई व्यवस्था नहीं की गई है। गृह मंत्री के पहलगाँव रवाना होने के तुरन्त बाद उनके वरिष्ठ अधिकारी भी श्रीनगर के लिये रवाना हो गये थे। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी उचित मार्गदर्शन प्रबन्ध पर निगरानी रखने और सब बातों पर ध्यान देने के लिये वहां उपलब्ध नहीं था। मैंने स्वयं ये बातें कल रेडियों पर सुनी हैं। जो लोग वहाँ से वापिस लौटे हैं उन्होंने ने भी इन बातों की पुष्टि की है।

माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस बारे में जांच होगी और जांच के प्रकार स्तर के बारे में बाद में सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा। मेरे विचार से श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी यह आश्वासन दिया था। इस दिन मैंने न्यायिक जांच पर बल दिया था। मैं फिर कहता हूँ कि इस मानवीय त्रासदी में कोई राजनीति नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि जांच कौन करेगा? ऐसी दुर्घटनाएं अनेक बार हुई है और ऐसी सभी दुर्घटनाओं में किसी न किसी प्रकार की जाँच हुई है चाहे वह हरिद्वार में कुम्भ मेला हो, पुरी में जगन्नाथ मन्दिर अथवा अन्य स्थान हो। कुछ स्थानों पर न्यायिक जांच हुई और कुछ स्थानों पर प्रशासनिक जाँच हुई। यहाँ राज्यपाल और मुख्य सचिव की भूमिका की बड़ी आलोचना हुई है। मैं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि आपने पहले ही मुझे अपना भाषण समाप्त करने के लिये कहा है। लेकिन चूंकि इस मामले में राज्यपाल और मुख्य सचिव अन्तर्ग्रस्त हैं मैं यह जानना चाहूंगा कि किसी प्रकार की जांच उचित होगी अथवा किस प्रकार की जांच पर्याप्त होगी। क्या एक जिला मजिस्ट्रेट अथवा एक आयुक्त राज्यपाल अथवा मुख्य सचिव के आचार की जांच कर सकता है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक जांच सबसे उपयुक्त नजर आती है। मैं अभी भी इस बात पर बल बता देता हूँ। मैं यहां मंत्रियों को दोषी नहीं मानता हूं। स्वभावतया, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी दोषी हैं। इस त्रासदी को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उनमें सूझबूझ के अभाव के कारण यह त्रासदी हुई अन्यथा इस त्रासदी को रोका जा सकता था इसको न्यूनतम किया जा सकता था। यह सच है कि हिमपात और भारी वर्षा को रोका नहीं जा सकता था। लेकिन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या कम हो सकती थी। मैं कहता हूँ कि इस दुर्घटना से सरकार की आंख खुल जानी चाहिये। हमें इससे सबक लेना चाहिये। इस प्रकार के धार्मिक उत्सवों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते है। हमें मौके के अनुसार काम करना चाहिये। हम इस प्रकार निष्ठुर नहीं हो सकते। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में न्यायिक जांच की मांग करता हूं। केवल न्यायिक जांच ही आवश्यकता को पूरी कर सकती है। सरकार ईमानदार है। अतः न्यायिक जांच से कम आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, अमरनाथ यात्रा के दरम्यान जो घटना घटी है, वह सचमुच ही बहुत दुखद है और उसके प्रति सदन ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। मैं भी अपना दुख व्यक्त करता हूं।

यहां काफी सदस्यों ने अपनी राय दी है। मुझे इस संबंध में ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह जो अमरनाथ की यात्रा है यह बहुत ही दुरूह है। जिस प्रकार की पहाड़ियां हैं, जो चढ़ाव है, जैसा वहां का मौसम होता है, उस पर पूरे तरीके से नियंत्रण कर पाना संभव नहीं था।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : इस युग में सब कुछ संभव है।

श्री बृज भूषण तिवारी : मैं माननीय सदस्या जी को अब इसमें चुनौती नहीं देना चाहता हूं। परंतु इतने साधन-सम्पन्न बहुत से अमरीकी विमानों की भी दुर्घटना होती है। फ्रांसिस्को में सबसे बड़ी-दुर्घटना हुई, जापान में हुई, दुर्घटनाएं सब जगह होती है। कभी-कभी प्राकृतिक आपदा ऐसी होती है कि मानव विधान, मनुष्य, शासन या सरकार की व्यवस्था से परे होती है। यह सही है कि उसके प्रति सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। परंतु जैसा कि कहा गया है, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, तमाम सदस्यों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि चाहे 20 तारीख से हो, चाहे 22 तारीख से हो। 22 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में अचानक जिस प्रकर से मौसम खराब हुआ, उसमें हैलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता था, जहाज का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता था और एकदम से सारी व्यवस्था चरमरा गई और ज्यादातर जो मृत्यु हुई हैं, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी के बयान से स्पष्ट है, वह उन लोगों की मृत्यु हुई हैं जो बीच रास्ते में थे। कैम्पों के बीच में जो शिविर थे, उन शिविरों के बीच में जिन तक सूचना नहीं पहुंच पाई थी। तो इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को कम से कम दो बातों की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए था। एक तो जब सरकार स्वयं इस बात को मानती है कि एक लाख तक लोगों का अनुमान था, जो उसके अनुरूप ही टैंट्स वगैरह की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था है और भी जो तात्कालिक व्यवस्थाएं संभव थीं, उनका इंतजाम करना चाहिए था। उसी के साथ-साथ टेलीविजन और रेडियों की मार्फत जितना प्रचार करना चाहिए था कि कौन-कौन से सामान यात्रियों को लिए आवश्यक है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो यह भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए था कि क्या आपके पास ऐसे मौसम के लिए, ऐसे वातावरण के लिए उपयुक्त सामग्री है या नहीं और उसी के साथ-साथ आपकी व्यवस्था के अनुकूल यह संख्या बढ़ रही है या घट रही है। अगर ज्यादा संख्या बढ़ती है तो आपको रोक देना चाहिए था। अगर आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते तो उसके बावजूद जितनी भीड़ थी और जैसा की समाचार पत्रों में भी आया है, माननीय सदस्यों ने भी अपनी राय व्यक्त की हैं। सेना ने वहां से स्थानीय नागरिकों ने और दूसरे लोगों ने बहुत बड़ी सहायता की है। परंतु जो हमारे भाई, माननीय सदस्य जो मौंके पर गये थे, उन्होंने बड़ी सहायता की है। परंतु जो हमारे भाई, माननीय सदस्य जो मौंके पर गये थे, उन्होंने जिन तथ्यों का बयान किया वह सचमुच बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि यह कोई अमरनाथ की यात्रा के समय की ही कोई घटना नहीं है। जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई इतना बड़ा हादसा होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें कफन बेचने लगते हैं। उस मुसीबत का बहुत ही अमानवीय तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं। उसमें जो स्थानीय प्रशासन है वह अपनी जिम्मेदारी से विरक्त नहीं हो सकता है। अगर वहां के मोटर ऑपरेटर्स या वहां के वाहनों के चालक या उनके लोग तीन सौ, पांच सौ रुपये किराया मनमाने तरीके से वसूल करते हैं, चाय का दाम मनमाने तरीके से वसूल करते है तो उनके विरुद्ध जबर्दस्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं इस राय से बिलकुल सहमत हूं कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, जो हमारे तीर्थ हैं, जो हमारे ऐसे धार्मिक अवसर हैं, मेले हैं, उसकी व्यवस्था के प्रति हमें ज्यादा सचेत और ज्यादा जागरूक होना चाहिए क्योंकि इसमें काफी बड़ी संख्या में धर्मभीरू लोग इकट्ठे होते है अगर हम सही तरीके से उसका आयोजन करते हैं, सही तरीक से उसका इंतजाम करते हैं तो उससे एक संदेश जनता के बीच में जाता है कि

यह सरकार या यह व्यवस्था इस रूप में है। कि हम अपनी जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। परंतु जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्री मौके पर गये और सारी घटनाओं पर अपनी नजर रखी, वह काफी हद तक संतोषजनक है। परंतु गृह मंत्री जी ने स्वयं अपने बयान में इस बात को कहा है कि यह कहा नहीं जा सकता है कि कुछ खामियां थी, कुछ खामियां हो सकती हैं। परंतु सरकार की नीयत पर सरकार के तरीके पर कोई एतराज नहीं हो सकता है। स्थानीय अधिकारियों या कर्मचारियों में जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी तरफ से अगर कोई लैप्स है तो हमारी सरकार जांच करने को तैयार है। आप जांच का जो भी तरीका तय करें, उससे नसीहत मिलेगी ताकि जब भी आगे इस तरह के आयोजन हों, हम उस वक्त ज्यादा सतर्कता बरत सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : सभापति महोदय, मैं केवल तीन मिनट बोलूंगा अन्यथा हम वही मुद्दे दोहराते रहेंगे।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह देश के इतिहास में एक गम्भीर त्रासदी है। जो लोग भगवान शिव के दर्शन करने गये थे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा और इसमें उनकी मृत्यु हो गई।

कल गृह मंत्री ने घटनाओं और उन परिस्थितियों में जिनमें दुखद घटनाएं हुई, की स्पष्ट जानकारी दी थी। इसी प्रकार हमारे मित्र—श्री पाठक और अन्य सदस्यों जिन्होंने निजी तौर पर दुर्घटना स्थल का दौरा किया था और आज वापिस लौटे हैं, ने घटनाओं की बिल्कुल भिन्न तस्वीर खींची है। अतः घटनाओं के बारे में सूचना की कमी रही तथा गलतफहमी हुई। अत : लोगों के मन में यह भ्रम है कि दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था। लेकिन यह समय परस्पर दोषारोपण का नहीं है। यह समय है जब हमें भविष्य के लिय कोई हल निकालने का प्रयास करना चाहिये। फिर भी हमें इस बात का पता लगाना चाहियें कि क्या किसी ने यह दुर्घटना के लिये कोई इरादतन दोषी है, अथवा यह अनजाने में हुई है, नियंत्रित न की जाने वाली परिस्थितियों में हुई है अथवा शरारत अथवा असावधानी के कारण हुई हैं।

अपराह्न 6.41 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दूसरे, भविष्य में यदि अचानक मौसम में इस प्रकार परिवर्तन आ जाता है तो सरकार को कैसे सावधानी बरतनी चाहिये? हम सुनते रहे हैं कि वहाँ सुविधाओं का अभाव है और वहां सड़कें अच्छी नहीं है आदि। सरकार को राज्य सरकार को और अधिक धनराशिदेनी चाहिये क्योंकि जब लोग इतने बड़े मन्दिर में भगवान शिव के दर्शन के लिये जाते हैं तो उनके लिये पक्की सड़क की व्यवस्था होनी चाहिये। रास्ते में भी उन्हें और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिये।

कुछ मित्र न्यायिक जाँच तथा कुछ मित्र प्रशासनिक जाँच की माँग कर रहे हैं। लेकिन हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं जिससे सब तथ्य सामने आ जायें। तथ्यों के सामने आ जाने के बाद सरकार अन्य बातों पर ध्यान दिये बिना कार्यवाही कर सकती है। हमें स्थिति को राजीतिक रंग नहीं देना चाहिये। इस दुर्घटना से समस्त सदन और राष्ट्र दुखी है। लेकिन सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं उनमें कुछ राजनीति की झलक आती है। एक ओर उन्होंने सरकार की आलोचना की है। लेकिन दूसरी ओर वह कहते हैं कि इसमें उसका अधिक दोष नहीं है। विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। इसका अर्थ है इस मामले में राजनीतिक भावना है। लेकिन मेरा मत है कि स्थिति को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये। हमें एक होना चाहिए। हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सरकार को यह देखना चाहिये कि भविष्य में समुचित व्यवस्था की जाये। यदि किसी व्यक्ति ने शरारत की है, यदि किसी व्यक्ति ने अपने कर्त्तव्य में असावधानी बरती है तो जाँच रिपोर्ट आने के तुरन्त बाद उसे सजा दी जानी चाहिये। तब तक हमें इस बारे में कोई शंका अथवा गलत फहमी नहीं होनी चाहिए।

हम अपने गृह मंत्री पर विश्वास करते है जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है। उनका हमेशा निस्वार्थ व्यक्तित्व रहा है। वे वहां गये थे और उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली। हमारे अन्य मित्र भी वहां गये थे और उन्हें भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन इन दोनों को प्राप्त हुई जानकारी में इतना अन्तर नहीं होना चाहिये। अतः गृह मंत्री को यह अवश्य पता लगाना चाहिये कि इसमें अन्तर कहां है और दोनों दलों के बीच स्थिति को समझने में संचार का अभाव क्यों है इसके बाद ही सच्चाई सामने आयेगी।

मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री उत्तर देते समय सदस्यों द्वारा उठाये गये सब मुद्दों की ओर ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक—दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अमरनाथ यात्रा के दौरान यह एक दुखद त्रासदी हुई। दिल्ली से भी हजारों परिवारों के लोग अमरनाथ जी की यात्रा पर गए थे। उनमें से जो लोग वापस आए हैं उन्होंने बताया कि यद्यपि वे अमरनाथ जी के मंदिर में दर्शनों के लिए गए थे लेकिन मौत के दर्शन करके आए हैं। मौत की खबर से सभी परिवारों के लोग परेशान थे। हमारे लोगों के दिल में धार्मिक भावना है। वैसे अमरनाथ जी की यात्रा हर साल होती है। सरकार को चाहिए कि रास्ते में इंतजाम के बारे में जो बातें यहां सामने आई हैं, जैसे टेलीफोन की कहीं व्यवस्था नहीं थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, कोई साधन नहीं था, अभी हरिन पाठक जी ने बताया कि बस वालों ने यात्रिओं से 500 रुपए तक वूसल किया, लोगों को तंग किया।

शेषनाग से पहलगाम आने में उनको परेशानी हुई। उनके लिए कोई सरकारी साधन नहीं था। यह देश एक धार्मिक देश है। लोगों के मन में धार्मिक भावना है और अपने धर्म के प्रति आस्था है। मैं आशा करता हूं कि सरकार आगे ऐसे साधन मुहैया कराएगी ताकि इस प्रकार से यात्रियों को परेशानी न हो।

एक अच्छी बात और है जो बार-बार सुनने में आई और अखबारों में भी आया कि वहां रहने वाले तो मुस्लिम परिवार थे उन्होंने लोगों की मदद की। जो यात्री वहां पर थे उनको खाना दिया, चाय दी और उनके रहने के लिए साधन मुहैया कराए। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की भावना इस देश में बनी रहे रहेगी और लोग एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहेंगे। चाहे किसी का त्यौहार हो, चाहे किसी की यात्रा हो, अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसमें हमें परेशानी होगी। आप चाहे इंक्वायरी कराएं या न

कराएं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। बहुत सारी ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जिन्होंने सरकार से यह अपील की है कि उनको वहां जगह दी जाए ताकि वे वहां यात्रा-धाम बना सकें या कुछ ऐसी इमारतें बना सके जिनसे यात्रियों को आगे जाने में सुविधा हो। इससे जो यात्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाते है उनको वहां रहने व सामान रखने में कोई दिक्कत न होगी तथा वे अपनी यात्रा ठीक से पूरी कर सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर माननीय गृह मंत्री का उत्तर कल तक स्थगित करने के माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह के अनुरोध पर कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। इस बारे में सदन् के नेता और संसदीय कार्य मंत्री के बीच बातचीत हुई थी। वे इस बात पर सहमत हो गये हैं कि इस मामले पर विचार कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद आरम्भ किया जा सकता है। कल शून्य काल नहीं होगा।

विपक्ष के नेता श्री वाजपेयी जम्मू और कश्मीर गये हैं। यदि वे वापिस लौट आते हैं तो वह 15 मिनट तक बोलेंगे और उसके बाद गृह मंत्री उत्तर देंगे। यदि वे किसी कारण वश वापिस लौटने में असमर्थ रहते हैं तो गृह मंत्री तुरन्त चर्चा का उत्तर कल बारह बजे देंगे। इस विषय में सर्वसम्मति हो गई है।

हमने सोचा था कि सामान्य बजट पर चर्चा आज पूरी हो जायेगी। लेकिन कांगेस की ओर से यह अनुरोध किया गया है कि वित्त मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने से पूर्व एक और सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाये। मेरा शेष सदस्यों से अनुरोध है कि यदि हम थोड़ा समय लेकर इस पर चर्चा आज समाप्त कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तथापि मैं यह सभा पर छोड़ता हूं कि कि वह इस बारे में निर्णय करें कि इस पर चर्चा कब तक पूरी हो जानी चाहिये। आशा की जाती है कि यह 10 बजे रात तक पूरी हो जायेगी। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : जब तक आप पीठासीन हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि रात्रि का भोजन भी उपलब्ध होगा। अतः अब हम सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अभी और कितने सदस्यों को बोलना है?

अध्यक्ष महोदय : उनकी संख्या काफी अधिक है। लेकिन मेरा विचार है कि यदि पर्टियां अपने बोलने वाले सदस्यों की संख्या कम करने पर सहमत हो जायें, तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

श्री संतोष मोहन देव : पहले की तरह यदि प्रत्येक सदस्य पांच से दस मिनट तक बोले तो सब सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सकता है। हम दस बजे तक बैठ सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को बोलना चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री इ. अहमद (मंजेरी) : यह बात प्रमुख दलों पर अधिक लागू होती है।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मुझे आपसे अनुरोध करना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि श्रीमती कृष्णा बोस को पहले बोलने के लिये पुकारा जाये क्योंकि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें विमान पकड़ना है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह और वैध कारण है कि वह यथा सम्भव संक्षिप्त में बोलेंगी।

अपराह्न 6.49 बजे

[अनुवाद]

बजट (सामान्य)–1996-97

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) अध्यक्ष महोदय, मेरे दिमाग में अमरनाथ में मरने वाले तीर्थ यात्रियों की बात थी जिस पर गत चार घंटे से चर्चा की जा रही थी। इस कारण मुझे सांख्यिकी और अर्थव्यवस्था सम्बन्धी नीरस विषय पर बोलने में कुछ कठिनाई हो रही है। मुझे समयाभाव का भी पता है अतः मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगी।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम द्वारा दिया गया बजट भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना है।

अपराह्न 6.50 बजे

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

जब मैं उनका भाषण और विभिन्न भाषाओं में विभिन्न कविताएं उनके बजट भाषण में सुन रही थी, मुझे अपने बंगाली कवि शुकान्ता की कुछ गम्भीर पंक्तियों की याद आई जो निम्न प्रकार हैं;

काकिता तोमिया ईलम आज की छुट्टी
खुधार राजे पृथ्वी गोदयामोये
पूर्णिमा चान्द जिनो झल सानो रूति (बंगाली)

इनका अनुवाद इस प्रकार है :–

'कविता, आज मैं तुम्हें विदाई की अनुमति देता हूँ। भूख के नियम ने विश्व को गद्य में बदल दिया है। जहां पूर्ण चन्द्र एक गर्म रोटी प्रतीत होती है जब हम वित्त मंत्री के गद्य भाषण को उनकी काव्यात्मकता से अलग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है।

मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं कुछ निराश हुई हूं। मैं यह मानती हूं कि सरकार को जो प्राप्त करना था उससे कम प्राप्त किया है। कुछ लोग प्रसन्न हैं और कुछ लोग इतने प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि इस वर्ष के बजट में सरकार ने पिछली सरकार द्वारा आरम्भ किये गये आर्थिक सुधारों की उपेक्षा की है।

कर्नाटक में हमारे प्रधान मंत्री के व्यावहारिक रिकार्ड और श्री चिदम्बरम के पूर्व मंत्रालय में उनके प्रगतिशील रिकार्ड से क्या हम और किसी बात की अपेक्षा कर सकते थे? यह सच है कि उक्त नीति में परिवर्तन का यह अर्थ होगा कि भारत निकट भविष्य में विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में अग्रणी नहीं रहेगा। फिर भी हमें इस बात से आश्चर्य नहीं हो रहा है कि उन्होंने भूतपूर्व कांग्रेस सरकार की नीतियों को ही अपनाया है। मैं बजट के बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगी। मैं इस बारे में मदवार नहीं बोलूंगी जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने किया है।

मैं बजट के केवल दो मुख्य पहलुओं का उल्लेख करूँगी। जैसाकि हम सब जानते हैं कि बजट के दो मुख्य पहलु राजस्व और व्यय हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सुधारों, अधिक करुणा, अधिक राजस्व और साहस पर अधिक जोर

दिया है। मुझे याद नहीं कि वे किसी अन्य बात पर और बोले हों। अमीरों से अधिक राजस्व की वसूली और गरीबों और कमजोर वर्गों को रियायत देने के लिये बहुत अधिक राजनीतिक साहस की आवश्यकता है। जैसाकि आप जानते हैं कि हमारा कर—आधार स्वयं बहुत संकीर्ण है। इसका अर्थ यह है कि करदाताओं की श्रेणी में बहुत कम लोग हैं। यदि हम राजस्व में वृद्धि चाहते हैं तो हम उन्हीं लोगों पर फिर से बार-बार भार नहीं डाल सकते हैं। अतः हमें अपने कर आधार को विस्तृत करने का मार्ग ढूंढना चाहिये। हम ऐसा कैसे कर सकते है? मेरे विचार से हमारे कर सिद्धान्त बहुत स्पष्ट और सरल होने चाहियें। यदि कोई व्यक्ति छूट सीमा से अधिक अर्जित करता है तो उसे राष्ट्रीय खजाने में अंशदान करना चाहिये, चाहे उसका आय का स्रोत कुछ भी हो। मैं देखती हूँ कि इस सरकार ने और भूतपूर्व सरकार ने इस पहलू की घोर उपेक्षा की है।

मुझे आश्चर्य है कि ग्रामीण धनी लोगों पर कर क्यों न लगायें अथवा उन्हें छूट क्यों दी जाये। इस बारे में मुझे बहुत आश्चर्य है। यह सच है कि कृषि का हमारे देश के लिये महत्वपूर्ण स्थान है। यह सच है कि हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री स्वयं एक किसान है। पहली बार एक कृषक देश का प्रधान मंत्री बना है। लेकिन मुझे इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता कि ग्रामीण धनी लोगों पर कर क्यों न लगाया जाये। यह एक पहलू है जिससे हम और राजस्व प्राप्त कर सकते हैं।

वित्त मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदया, यह पूर्णतया स्पष्ट है। कृषि आय पर कर सूची 2 में प्रविष्टि 46 पर है। केन्द्रीय सरकार अथवा संसद को कृषि से होने वाली आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

श्रीमती कृष्णा बोस : क्या ऐसा है? क्या आपके पास कर लगाने का अधिकार नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : नहीं, कृषि आय पर नहीं।

श्रीमती कृष्णा बोस : तब आप एक बात कर सकते हैं और वह यह कि दी जाने वाली राज सहायता बन्द कर दें। मुझे पता है कि व्यय के सब लाभ उन्हें प्राप्त हैं अतः वह लोग बहुत समृद्ध हैं। उन्हें उर्वरक, विद्युत, टिलर (पतवार), ट्रैक्टर आदि पर सब प्रकार की राज सहायता दी जाती है। मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पता है कि कृषि में निवेश बहुत आवश्यक है। लेकिन जो बात आप और हम जानते हैं वह यह कि यह राजसहायता कहीं और पहुँच जाती है और गरीब किसानों तक नहीं पहुँच पाती है। यही मेरा कहना है।

जहाँ तक व्यय का प्रश्न है, मेरे विचार से बजट सामाजिक क्षेत्र, जिसका अर्थ अधिकांशतया शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से है, में प्रर्याप्त होना चाहिये। अब हम सब जानते हैं। कि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने पहले अर्थव्यवस्था को नियंत्रण से मुक्त कराने का प्रयास किया था, जो अनेक वर्षों से था। वे इस बारे में कुछ सीमा तक सफल हुए। लेकिन इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था आती है जब मूल भूत ढांचा अवश्य होना चाहिये। जब महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। अन्यथा हम आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर सकते। आर्थिक सुधार का क्या अर्थ रह जाता है यदि लोग शिक्षित और स्वस्थ न हों। एशिया के अधिकांश देशों में जहां आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है उनमें शिक्षित और स्वस्थ लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

एक बात मेरे सभी पूर्व—वक्ताओं ने कही है, इसलिये मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहती परन्तु मैं सरसरी तौर पर यह उल्लेख करना चाहूँगी कि एक मिथक को जन्म दिया गया है और ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है कि इस सरकार ने पिछली सरकार की तुलना में गरीबों, पिछड़े लोगों के लिये बहुत कुछ किया है। जो हमने देखा है और मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने बताया है कि श्री मनमोहन सिंह ने फरवरी, 1996 के अपने बजट में इन योजनाओं के लिये पहले ही धनराशि आवंटित कर दी थी। मैं इस बारे में नहीं बोलूंगी क्योंकि पहले ही अनेक वक्ता इस बारे में बोल चुके हैं। लेकिन एक अथवा दो उदाहरण देकर देखा मैं अपनी बात कहूंगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह दावा किया है कि शिक्षा विभाग के लिये योजना आंबटन में भारी वृद्धि की गई है। इसे 1825 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3388 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लेकिन हमें पता लगा है कि श्री मनमोहन सिंह ने अपने फरवरी के बजट में ही शिक्षा के लिये आवंटित धनराशि को बढ़ाकर 3383 करोड़ रुपये कर दिया था। वास्तव में स्वास्थ्य के मामले में इसमें कुछ कमी की गई है। पहले यह राशि 815 करोड़ रुपये की जो अब 792 करोड़ रुपये है। एक करोड़ रुपये की राशि में कमी अथवा वृद्धि के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा इस बात पर जोर देने का प्रयास है कि यदि भारत आर्थिक रूप से प्रगति करना चाहता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में भारी निवेश की आवश्यकता है।

हमारे वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वह भारत को विश्व के राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में लाना चाहते हैं। यदि उनकी यह हार्दिक इच्छा है तो उन्हें अपने इन उत्तम वायदों के लिये उचित धनराशि आवंटन भी करने होंगे। हम अपनी तुलना एशियाई राष्ट्रों से करें। मैं पूर्व एशियाई देशों जैसे कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर आदि के बारे में नहीं कह रही हू। मैं स्वय की अपन भाई अथवा पड़ौसी देश जैसे थाइलैंड और मलेशिया से तुलना कर रही हूं। हम वहां क्या पाते हैं? हमें पता लगता है कि उन्होंने बहुत प्रगति की है और हम बहुत पिछड़ रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि मलेशिया और थाइलैंड ने शिक्षा क्षेत्र में काफी धनराशि का निवेश किया है।

अपराह्न 7.00 बजे

वर्ष 1995 की विश्व विकास रिपोर्ट से यह पता लगता है कि मलेशिया का प्रतिव्यक्ति समग्र राष्ट्रीय उत्पादन भारत से दस गुना अधिक है और थाइलैंड का सात गुना से अधिक। अब 132 देशों में प्रति व्यक्ति समग्र राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से मलेशिया का स्थान 40वां, थाइलैंड का स्थान 55 वां और भारत का 112वां स्थान है। इसका राज क्या है? वे प्रगति क्यों कर रहे हैं और हम क्यों पिछड़ रहे हैं? मानव विकास के मामले में 174 देशों में मलेशिया का 59वां, थाइलैंड का 58वां और भारत का 134वां स्थान है।

समस्त विश्व में आर्थिक प्रगति शैक्षिक उपलब्धि से जुड़ी है। मैं इस विषय पर जोर देना चाहता हूं। यदि हम देश में शिक्षा की स्थिति को देखें तो हमें पता लगता है कि देश में वयस्क शिक्षा की दर बहुत कम है। इस मामले में हम सहारा मरूस्थल में स्थित अफ्रीका से भी पीछे है। मैं सामान्य बातों में नहीं जाऊंगी। महिलाओं में शिक्षा की दर और भी कम है।

सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000 तक सबके लिये शिक्षा का आश्वासन दिया गया है। यह दुखद कहानी है। यह केवल इस सरकार का ही दोष नहीं है। हम स्वतन्त्र होने के बाद से ही सबके लिये शिक्षा का

आश्वासन देते रहे हैं। हम उक्त तिथि को आगे बढ़ाये जा रहे हैं। अब हमने यह तिथि वर्ष 2000 कर दी है। मुझे यह नहीं पता कि अगामी चार अथवा अन्य वर्षों में हम यह कैसे कर पाएंगे।

प्राप्त सरकारी धनराशि खर्च करने में असफल होने पर ध्यान दिया जाना चाहिये। विकास रिपोर्ट, 1995 में हमने देखा भारत ने शिक्षा के लिये निर्धारित अपने कुल सरकारी खर्च में से केवल 2.2 प्रतिशत की धनराशि ही खर्च की। मुझ पता है कि इस बजट में इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन अधिकांश, जैसा हम सब जानते हैं, इसका कारण दोपहर की भोजन सम्बन्धी योजना है। यह उल्लेख किया जाना चाहिये कि इसमें स आधी धनराशि प्रारम्भिक शिक्षा और आधी धनराशि उच्च शिक्षा के लिये आवंटित की जायेगी। इसमें सुधार किया जाना चाहिये।

थाईलैंड तथा मलयेशिया अपने सार्वजनिक व्यय का 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं। यह थोड़ा विरोधाभास है कि देश में काफी संख्या में शिक्षित व्यक्ति हैं। शायद यह बुनियादी शिक्षा की ओर अधिक ध्यान न देने और उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देने का परिणाम है। लेकिन एक हमारे बंगाली अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री का मत है कि यदि भारत समस्त विश्व को कम्प्यूटर साफ्टवेयर उद्योग का अधिग्रहण भी कर ले तो भी इसका गरीब और अशिक्षित जनता के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। यह बहुत ही दुखद ही बात है।

मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था की नीति दो बातों के कारण असफल हुई। सरकार को किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से पहले यह देखना चाहिये कि उसे किस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था। उसने किन क्षेत्रों में उतना कार्य नहीं किया जितना उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिये था : यह मूलतः दोष है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने इन दोष को दूर करने का प्रयास किया था। उसने संकट के समय ऐसा किया। मैं इसके लिए श्री मनमोहन सिंह को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इसके लिये साहस जुटाया क्योंकि उन्होंने ऐसा अनेक व्यक्तियों द्वारा भारी विरोध किये जाने के बावजूद किया, उनमें से कुछ व्यक्तियों ने अपना विरोध वापिस ले लिया है और वे संयुक्त मोर्चा सरकार के बजट का समर्थन कर रहे हैं।

इस सरकार को बेहतर अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई थी जिसमें सात प्रतिशत विकास दर आदि था हमने उनसे कुछ और अधिक की आशा की थी। क्योंकि उनके द्वारा पहले प्रस्तुत सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम को देखते हुए हमें उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं थीं इसलिये मुझे कुछ निराशा हुई है। जो भी हो, वित्त मित्री का बजट बनाने का पहला प्रयास था। मैं अपना भाषण भविष्य में उनके लिये शुभ कामनाओं के साथ समाप्त करती हूँ। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वह कर आधार को विस्तृत करके वास्तविक साहस दर्शायें और बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करके लोगों के प्रति प्रेम दर्शाएं।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं रक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे लिय रक्षा का बहुत महत्व है। लेकिन मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह रक्षा सम्बन्धी विवादास्पद नीति के बारे में सावधानी बरतें जिसकी माग उद्धत राष्ट्रवाद के रूप में विभिन्न ओर से यदा-कदा उठती रहती है। मैं उनको यह याद दिलाना चाहती हूँ कि इस देश के लिए अंतिम रक्षा व्यवस्था क्या है? देश के लिये सबसे अच्छी रक्षा व्यवस्था स्वस्थ और शिक्षित जनसंख्या है।

सभापति महोदय, मेरी बात समाप्त हुई। आपका धन्यवाद।

श्री तिरूची शिवा (पुडुक्कोट्टई) : मैं इस वर्ष 22 जुलाई को सम्मानीय सदन में उपस्थित होने के क्षण को याद करना चाहूंगा जब बजट प्रस्तुत किया गया था। मैं उस समय यह अनुभव कर रहा था कि जैसे मैं किसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की कक्षा में बैठा हूं।

बजट में सबकी ओर ध्यान दिया गया है–इसमें–कृषकों, निर्धनों, मध्यम वर्ग, आयकर दाताओं, लघु, मध्यम और बड़े उद्योग तथा सबका ख्याल रखा गया है। बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले यह आशंका थी कि इस बजट से जनता के लिये अधिक लाभकारी नहीं होगा। यह स्तर का बजट नहीं होगा। किन्तु बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद देश के लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, लोगों को यह आंशका थी कि विभिन्न विचारधाराओं वाले लोग इस बजट को तैयार कर रहे हैं। लेकिन वे एक बात समझने में असफल रहे कि विभिन्न फूलों, विभिन्न पौधों और विभिन्न मिट्टी से एक हार तैयार होता है और वह देखने में बहुत सुन्दर लगता है। इसी प्रकार विभिन्न विचारधाराओ वाला राजनीतिक पार्टियों ने एक धागे में अर्थात धर्म निरपेक्ष मनोवृत्ति के रूप में एक हार का निर्माण किया जो भारत मां अथवा जिसे लोग 'भारत माता' कहते है के गले को सुशोभित कर रहा है।

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा बजट एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी ने इसकी आधारशिला रखी और इस बजट की कार्यसूची तैयार की। विपक्षी दलों ने इसे 'विबग्योर' अथवा 'इन्द्रधनुष' की संज्ञा दी और कहा कि यह रंगों का भ्रम है। लेकिन उन्होंने इसे अन्य दृष्टिकोण–अंधकारमय कमरे में मोमबत्ती के रूप में स्वीकार करने से इकार कर दिया उन्हें इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिये था। उनकी ऐसी मनोवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। चूँकि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स और एंजिल्स द्वारा जारी किया गया है। कम्युनिस्टों के लिये है जैसा कि चेंगलपट में 1929 में सेल्फ रेस्पेक्ट कान्फेंस में पारित संकल्प द्राविद्र आन्दोलन के लिये था, यह ऐतिहासिक दस्तावेज भावी पीढ़ी के लिये हैं। मुझे इसका पूरा विश्वास है।

वित्त मंत्री ने हर कदम पर स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि लोगों के बड़े वर्ग के विकास के बिना विकास अर्थहीन है। बिना रोजगार के विकास निरर्थक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह विकास सामाजिक न्याय पर आधारित है। कल ही विद्वान सदस्य डा० मुरली मनोहर जोशी ने बजट पर चर्चा आरम्भ की थी। हम उनका बहुत आदर करते हैं। वे इस समय उपस्थित नहीं हैं। मैं उनके उपस्थित रहने की आशा करता था। मैं आशा करता था कि वह बजट की कम से कम एक बार अथवा अनेक बार सराहना करते लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे।

मुझे जैसा प्रतीत होता है उसका मैं उनके शब्दों में उल्लेख करता हूं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने एक बार दुर्योधन और धर्म से कहा कि वह सारे नगर का दौरा करें और अच्छे और बुरे लोगों की विस्तृत सूची तैयार करें। दोनों शाम को वापिस लौट कर आये। धर्म ने कहा "कि मेरे अतिरिक्त नगर में और

कोई बुरा व्यक्ति नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है। मैं बुरा इसलिये हूं क्योंकि मैं अच्छे लोगों के बीच बुरे लोगों की खोज में गया।" दुर्योधन ने कहा "नगर में मेरे अतिरिक्त और कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। ऐसा लगता है मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा "आपने एक ही नगर में एक जैसे व्यक्तियों को देखा लेकिन आपका मत भिन्न भिन्न है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? यद्यपि आपने एक जैसे लोगों को देखा, लेकिन आपके मत भिन्न भिन्न हैं। धर्म ने अच्छे व्यक्तियों की खोज की और उन्होंने केवल अच्छे व्यक्तियों को देखा। लेकिन दुर्योधन में बुरे व्यक्तियों की खोज की और केवल बुरे लोगों को देखा"। ये लोग बजट में केवल त्रुटियां ही देखते हैं। वे इसमें अच्छाइयां देखने की कोशिश नहीं करते। सरकार के हित में वित्त मंत्री ने अपने ऊपर इतना भारी दायित्व लिया है और सरकार की रुचि निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों में निहित है।

अतः मैं इस अवसर का उपयोग वित्त मंत्री को सुझाव देने के लिए करना चाहता हूं। उन्होंने सामाजिक न्याय के साथ विकास का उल्लेख किया है। वे तमिलनाडु राज्य के हैं। हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सर्वाधिक पिछड़े वर्गों और समुदायों को आरक्षण देने पर जोर देते रहे हैं। हमने पहले ही 69 प्रतिशत आरक्षण किया है जिसमें उच्चतम न्यायालय संविधान का मूल ढांचा दर्शाते हुए अक्सर बाधा डालती रही है। मैं यह करना चाहूंगा कि इस प्रकार एकरूपता स्थापित नहीं की जा सकती। नागालैंड और मणिपुर में केवल आदिवासी लोग हैं। और वहाँ अन्य समुदाय के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण उपयोगी नहीं है। यह अनावश्यक है। आरक्षण की आवश्यकता प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। अतः संविधान में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिये कि यह विवेकाधिकार राज्यों को मिल सके। मेरे विचार से यह उपयुक्त समय है कि जब हम ऐसी क्रान्ति कारी और उपयोगी बात सामने लाये जिसकी देश को आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने अपनी अर्थ व्यवस्था को खुली और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के समान ढाला है। यद्यपि हम 'गैट' से सम्बद्ध रहे हैं तथापि हमने अपनी पहचान नहीं खोई है। हमने उर्वरकों और कृषि उपकरणों के लिये कृषकों को राज सहायता आबंटित की है। अतः हम चाहें जहां कहीं रहे हम यह नहीं भूलते कि हम कहाँ हैं और हम कौन हैं। मैं इस बार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। सब औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी बेरोजगार व्यक्तियों और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने से इंकार कर दिया जाता है। सरकार ऋणों को मंजूरी देती है लेकिन बैंक उनको ऋण देने से इंकार कर रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री ने चेन्नाई में एक सार्वजनिक सभा में और इसके बाद एक गैर-सरकारी टेलीविजन इंटरव्यू में यह बताया था कि जब कभी व्यक्ति प्रभावित हो वे तुरन्त वित्त मंत्री को सूचित करें और कार्यवाही की जायेगी। मेरी इच्छा है और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री सम्मानीय सभा में इसी प्रकार का आश्वासन दें, जो गैर-सरकारी टेलीविजन अथवा सार्वजनिक सभा में दिये जाने वाले आश्वासनों से अधिक उपयोगी होगा।

महोदय, जनता के लिए खर्च की जाने वाली सार्वजनिक राशि अब तक अनेक कारणों से खर्च नहीं की गई हैं। यह सर्वविदित हैं कि तमिलनाडु में भूतपूर्व मंत्रियों ने बड़ी धनराशि एकत्रित की है। वह धनराशि बंगलों, बागों, वाटिकाओं में परिवर्तित कर दी गई थी। धनराशि को जेवरों में बदला गया है। उन्होंने एक रहस्यमयी तकनीक अपनायी थी जो कोई नहीं समझ सका। तमिलनाडु में इस धोखे-धड़ी को 'जमा तकनीक' कहते हैं।

वित्त मंत्री ने दो सर्वोत्तम योजनाओं—जीवन सुरक्षा और जीवन आरोग्य की घोषणा की थी। इन योजनाओं को हमारे प्रधान मंत्री ने 'चेनाय' में राष्ट्र को समर्पित किया था। इस समारोह में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री और हमारे नेता डा० कालायोगनर ने यह जोर दिया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिवलमेंट फाइनेंसल कारपोरेशन के मुख्यालय की स्थापना 'चेनाय' में की जाये क्योंकि सभी वित्तीय संस्थाएं केवल मुम्बई और कलकत्ता के आस पास स्थित हैं। अतः इसी प्रकार जब गैर-सरकारी व्यक्ति और कुछ व्यक्तियों को बैंक चलाने की अनुमति दी जाती है, तो राज्यों को बैंकों को चलाने के कुछ अधिकार अवश्य दिये जाने चाहिये। इस अनुरोध के उत्तर में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह बात उनके अधिकार में नहीं है, वित्त मंत्री को ऐसा करने का अधिकार है। अतः मैं वित्त मंत्री से इस बारे में अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं कि तमिलनाडु राज्य से सम्बद्ध होने के कारण वह इस बारे में उचित कार्यवाही करेंगे।

आवासीय प्राथमिक स्कूलों और वृद्धावस्थागृह योजनाओं का आरम्भ करना ही यह दर्शाता है कि आप हमारे समाज में प्रभावित लोगों—जो कष्ट उठा रहे है और जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है— के बारे में आपकी कितनी रुचि है। मेरे विचार से यह बात केवल आपके अथवा माननीय प्रधान मंत्री के दिमाग में नहीं आनी चाहिये लेकिन यह बात आपके हृदय से आनी चाहिये। केवल वही व्यक्ति इस प्रकार की योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं जो दूसरे व्यक्तियों की परेशानियों को समझते तथा अनुभव करते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है। आप कृपया इसमें वृद्धि करें।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने बताया है कि यह केवल प्रारम्भिक आबंटन है। बजट के पारित हो जाने के बाद और राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं के आरम्भ किये जाने के बाद यदि वृद्धावस्था गृहों और आवासीय प्राथमिक स्कूलों के लिये और अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी तो अधिक धनराशि आवंटित कर दी जायेगी। बजट भाषण में कहा गया है "प्रारम्भिक"। यह कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये है।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय राज्य सरकारों के पास इतनी राशि उपलब्ध नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : कृपया बजट भषण पढ़ें। मैंने कहा है कि ऐसा राज्य सरकारों के माध्यम अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा सकता है। जब गैर-सरकारी संगठन अथवा राज्य सरकारें इसके लिये आवेदन करेंगे तो इन दोनों योजनाओं के लिये अधिक राशि दी जायेगी। पहले बजट पारित होने दीजिये और उसके बाद हम योजनाओं के ब्यौरे के बारे में घोषणा करेंगे और तब लोग आवेदन करेंगे। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि हम देश के सभी जिलों में वृद्धावस्थागृहों तथा आवासीय प्राथमिक स्कूलों की स्थापना करने हेतु वचनबद्ध हैं।

श्री तिरूची शिवा : धन्यवाद, महोदय। धर्मार्थ संस्थाओं के लिये अंशदान।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री तिरूची शिवा : सभा का युवा सदस्य होने के कारण मैं अनुरोध करता हूं कि आप मेरे लिये कुछ नर्म रूख अपनायें।

धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरों, जिनके पास भारी मात्रा में धनराशि होती है, को प्रोत्साहित किया जा सकता है और इन मामलों में शामिल किया जा सकता है। आपने आयकर में छूट दी है। आपने महिलाओं के लिये 3000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी है। लेकिन जिन लोगों से मैं बाहर मिला–उन्होंने कहा कि वे और अधिक चाहते हैं। जैसाकि हम हमेशा उनके अनुरोधों की ओर ध्यान देते हैं। विश्व के बाहर के लोग कहते है कि महिलाएं समान अधिकारों की आशा करती हैं लेकिन वास्तव में उन्हें अधिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके बावजूद आपने उन्हें 3000 रुपये की छूट दी है। फिर भी वे कहती हैं यह छूट अपर्याप्त है। जैसाकि सब लोग कहते हैं कि हमारा रवैया महिलाओं के प्रति नर्म है। मेरे विचार से यदि सम्भव हो तो उन्हें और छूट दी जा सकती है।

मैं जिस महत्वपूर्ण बात के बारे में सुझाव देना चाहता हूँ वह समस्त राज्य में अत्यधिक संख्या में गैर सरकारी वित्तीय संस्थाओं के अस्तित्व में आने के बारे में हैं। आपने इस बारे में आश्वासन दिया था और आप इस बारे में चिन्तित भी हैं। इस बारे में आपको रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं। तमिलनाडु में लोग प्रत्येक वित्तीय संस्थाओं जैसे स्नेहम और दर्शन के पीछे इधर-उधर भाग रहे हैं वे लोग भाग गये हैं। वास्तव में निर्दोष कर्मचारियों को बिना कारण परेशान किया जा जा रहा है। वे उन वित्तीय संस्थाओं में निवेश करने के लिये पुरस्कार का लालच देती हैं और उनकी सारी राशि लूट ली जाती है मेरा यह सुझाव है कि उन्हें इससे वंचित रखना ही काफी नहीं है। सरकार को जनता से धन लूट रहे इन बेईमान लोगों के विरुद्ध प्रभावकारी कार्यवाही करनी चाहिए। यदि स्थिति और समय अनुमति दे तो सरकार इन लोगों पर काबू पाने के लिये विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। मेरे विचार से यह इसके लिये उपयुक्त समय है।

तमिलनाडु के लोगों द्वारा लम्बे समय से महसूस की गई ईस्ट कोस्ट रोड की मांग के बारे में प्रगति धीमी है। आपके शासनकाल में इसमें तेजी लाई जा सकती है। आपने भी आश्वासन दिया था कि तुतीकोरिन और कोचीन पत्तनों का विस्तार किया जायेगा। मेरा यह सुझाव है कि तुतीकोरिन और कोचीन पत्तनों को सड़क द्वारा जोड़ा जा सकता है चूंकि इससे हमें अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी और तमिलनाडु का भी महत्व बढ़ जायेगा। एक लम्बे समय से लम्बित सेतु नहर परियोजना है।

"सिंगला थिवीनीं रक्कु ओरू पालाम ऐमीयापोम सेयुमाये मीदूरथी विधि एमीयापोम"

'राष्ट्रीय कवि भरतियार का कथन है :

आप सेतु के आर-पार सड़क का निर्माण करने में असफल रहे हैं। कम से कम आप नहर को गहरा कर सकते हैं।

यदि सेतु नहर परियोजना को क्रियान्वित किया जाता तो उन सभी समुद्री जहाजों को जो कोलम्बों जाते हैं और उनसे प्राप्त राजस्व वहां जाता है। उसे तमिलनाडु लाया जा सकता है। ऐसा करने से ईंधन और समय दोनों की भी बचत हो सकेगी। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि अब आप वित्त मंत्री हैं। आपने घोषणा की है, आपने विश्व में स्थान बनाया है, एक सुदृढ़ आधार द्वारा युद्ध को रोका जा सकता है। आपके दृष्टिकोण से पता लगता है कि आप अन्य जैसे नहीं है। आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। मैं यदि मंहगे कपड़े पहनता हूं, यह कहने के लिये कि मैं शिक्षित हूँ, इसका यह अर्थ नहीं हो जाता कि मैं परिपक्कव और सभ्य व्यक्ति हूँ। मुझे अपने देश की अवश्य सेवा करनी चाहिये। अनेक लोग यह सोचते हैं कि हमने वैज्ञानिक रूप से विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हमारे देश की जनता की मूल आवश्यकता क्या है। आपने इसे स्वीकार किया है आपकी सरकार ने इसे स्वीकार किया है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान द्राविद्र आन्दोलन के पीछे विद्यमान राजनीतिक मस्तिष्क, उद्योग मंत्री श्री मुरासोली मारन यहां उपस्थित हैं, सामाजिक न्याय के अग्रदूत रेलवे मंत्री श्री पासवान यहां उपस्थित हैं और राज्यों के हितों में रूचि लेने वाले व्यक्ति अब देश के प्रधान मंत्री हैं। यह सर्वोत्तम अवसर है जब हम अपने सपनों को साकार करें।

जहाँ तक नदियों को जोड़ने का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री ने यह वचन दिया है कि वह देश को बाढ़ और सूखे से बचाना चाहते हैं। यदि ऐसा किया जाता तो भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था।

मैंने जो विचार व्यक्त किये हैं वही विचार युवा वर्ग के भी हैं जो जनता की समस्याओं से अवगत हैं। मैं अपने विचार अपनी आकांक्षाएं और अपने सपने सार्वजनिक मंच से व्यक्त करता रहा हूँ। अब मुझे अपने विचार सम्मानीय सदन में प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। यहां इन बातों को वास्तविक रूप दिया जा सकता है। यदि इन सब को क्रियान्वित किया जाता है तो हमारे सुनहरे भविष्य की आकांक्षाएं और भारत को समृद्ध बनाने का सपना शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सकता है। गुलाब को किसी भी नाम से पुकारें गुलाब, गुलाब ही रहेगा। अतः लोगों को जो चाहे कहना हो कहे यह बजट राष्ट्र के लिये वास्तविक प्रगति का प्रतीक होगा। मैं वित्त मंत्री को यह कहना चाहता हूं, जो हम अक्सर कहते हैं :

पोतरूवार पोतरतम पुरूधीवारी तूथरूवार तूथरात्तम

इतरायोरन कारूथाई इनायुल्लम ऐंडराल

इद् थुरामेपेप्यन; निलेयन इवार वारीनम एंजेन

जो प्रशंसा करता है उसे प्रशंसा करने दें। जो अपशब्द कहता है उसे अपशब्द कहने दें। यदि मेरी अन्तरात्मा यह कहती है कि यह बात सही है तो मैं ऐसा कहूँगा। चाहे कोई आये, मैं उसके विरुद्ध खड़ा रहूँगा मैं डरूंगा नहीं। मैं अपने मार्ग पर चलूंगा।

यह मैं कहना चाहता हूँ। जब कभी आप अच्छा कार्य करने का बीड़ा उठाते हैं तब आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। मैंने रेलवे बजट पर अपने भाषण में कहा था कि सपने अवश्य सच होते हैं। केवल जो लोग स्वप्न देखते हैं वही लोग उनको पूरा करते हैं। कभी गाँधी जी ने इस राष्ट्र की स्वाधीनता का सपना देखा था। पंडित जी ने भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश होने का स्वप्न देखा था। पेरियार के मन में एक बार जातिविहीन समाज की स्थापना का स्वप्न था। हम ऐसे राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ बेरोजगारी नहीं होगी, जहाँ समृद्धि होगी और जहाँ संस्कृति सर्वोत्तम होगी। मेरा विचार है और मैं आशा करता हूँ कि इस शासनकाल में हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हम राष्ट्र के युवावर्ग इस सरकार पर निर्भर करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से हमारा भविष्य उज्जवल होगा।

[हिंदी]

श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, इस समय मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगी, क्योंकि अलग-अलग 13 पार्टियों से बनी हुई संयुक्त मोर्चे की सरकार मतभेद होते हुए भी उनको साथ में जुटा कर समाधान करने का प्रयास करते हुए इस बजट को बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ और सब को समान बताने का प्रयास करते हुए, मनमोहन सिंह जी की नीतियों को अपनाते हुए इन्होंने इस बजट को पेश किया है। मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की आर्थिक नीतियों को सही साबित करने के लिए यह बजट एक प्रमाण-पत्र ही बन चुका है और इसके आधार पर ही संयुक्त मोर्चे की सरकार देश के विकास के बारे में लोगों को आश्वासन देने का प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यह बजट दिशाहीन है, क्योंकि किसी भी बजट में आय और व्यय का हिसाब होना चाहिए, बैलेंसशीट होनी चाहिए। उसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था को, नीति को दिखाने के लिए दिशा दिखाने का काम बजट द्वारा किया जाना चाहिए, इनका मुझे निश्चित रूप से इस बजट में अभाव नजर आता है। यह बात जरूर है कि इतनी चतुराई के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। गरीबों को इस बजट को सुन कर या पढ़ कर मुस्कराने का अवसर तो जरूर मिला है, इन गरीबों की करोड़ों की संख्या ऐसी है जो सिर्फ मुस्करा कर चुप हो जाएगी। लेकिन फिर बाद में इस बजट की मार को सहन करते समय उनको कष्ट होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का इस तरह से मूल्यांकन किया है इसमें मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश में हर साल कारें बनती हैं।

कितनी विलासिता की चीजें बाजार में आती हैं। इसके अलावा इस देश में कितनी अमीरी बढ़ी है? इसी के आधार पर इस बजट को देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था का यह सही दर्पण नहीं कहा जा सकता। जिस सामाजिक न्याय की हम माननीय वित्त मंत्री से अपेक्षा करते थे वह इस बजट में नहीं है।

कृषि इस देश का सबसे बड़ा उद्योग है। लेकिन गत 4-5 वर्षों से इस उद्योग की कोई सही दिशा निर्धारित नहीं की गयी है। गत वर्षों के बजट में भी इस उद्योग के विकास की दर बहुत कम रही है। कृषि के विकास की दर केवल 2.4 प्रतिशत बताई गयी है जबकि उद्योग की विकास-दर 12 प्रतिशत बतायी गयी है। मैं वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि देश के कुछ आर्थिक विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब देश को ऐसी अर्थव्यवस्था मिल गयी है जो उद्योग के ऊपर आधारित है। लेकिन यह बात सही नहीं है और हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि अभी भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है। इस बात को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि कृषि की ओर हमारा ध्यान अधिक जाना चाहिए। मैं इसे सही और जरूरी मानती हूं।

हमारे देश के प्रधानमंत्री किसान के बेटे हैं। इसलिए इस बजट से हमें उम्मीद थी कि कृषि की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है उससे ऐसा लगता है कि यह बजट छोटे और सीमांत किसानों के लिए नहीं है। इससे केवल बड़े किसानों को ही लाभ होगा। उदाहरण के तौर पर नाबार्ड की व्यवस्था की गयी थी। उसके लिए 100 करोड़ रुपए सरकार देगी और 400 करोड़ रुपए रिजर्व-बैंक की तरफ से किसानों को मिलेगा। इस तरह 500 करोड़ रुपए से हम ऋण अदा करने की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार की बात वित्त मंत्री के वक्तव्य और बजट के माध्यम से पता चलती है। 1995 में नाबार्ड के माध्यम से जो तय हुआ उसमें तो नाबार्ड ने यह कहा है कि हम फिफ्टी-फिफ्टी के अनुपात से करेंगे। जितना नाबार्ड देगा, उतना रिजर्व बैंक के माध्यम से मिलेगा। वित्त मंत्री ने 500 करोड़ रुपए की बात कह कर किसानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है और एक भ्रमजाल फैलाया है। इससे गरीब किसानों का लाभ नहीं होगा।

हमारे देश की पूर्व सरकारों ने किसानों को वोट बैंक समझा है। वे किसानों से कहते रहे कि तुम्हें ऋण चाहिए तो आपके लिए ब्याज की दर कम होगी, बिजली चाहिए तो उसके मूल्य में कमी करके तुम्हें देंगे, फर्टीलाइजर में सब्सिडी चाहिए तो वह भी देंगे। लेकिन यह सारी बातें किसानों को वोट बैंक समझकर कही गयी। लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। मैं कहना चाहती हूं कि किसानों की आमदनी तभी बढ़ सकती है, किसान का विकास तभी हो सकता है जब किसान को उसकी उपज का सही और वाजिब मूल्य मिले। इसलिए वित्त मंत्री जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि किसान को अपना माल रखने के लिए साइंटिफिक गोदामों की व्यवस्था करायी जाए। जब तक उनको अपने माल का सही मूल्य न मिले तब तक उनको बेचने के लिए मजबूर न किया जाए। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और कृषि उद्योग का विकास भी होगा। गांव में इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मैं चाहती हूं कि किसानों की तरफ ध्यान देते समय वित्त मंत्री जी साइंटिफिक गोदामों की व्यवस्था कराएं तो यह सबसे अधिक उपयुक्त और उचित होगा।

दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि 1995-96 के बजट में ग्राम विकास के लिए 477 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया था लेकिन इस बार उसमें दो परसैंट की कटौती कर दी गई है। विकास की घोषणाएं करना, विकास के नारे लगाना और बजट में कटौती करना यह कहां का न्याय है। इससे आप किसानों को क्या फायदा पहुंचा पाएंगे, इसमें मुझे आशंका है।

हमारे देश में कुटीर उद्योगों का बहुत बड़ा महत्व है। कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने में सहयोग मिलता है। हम यह मानते हैं कि निर्यात में कुटीर उद्योगों का बहुत बड़ा स्थान है लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तमिलनाडु से आए वित्त मंत्री महोदय ने कुटीर उद्योगों के बारे में उल्लेख तक नहीं किया है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि कुटीर उद्योगों में महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। अब वे अचार, मसाले और पापड़ बनाने का काम छोड़कर आधुनिक चीजें बनाना चाहती हैं। वे कम्पीटीटिव उद्योगों में और इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में आगे बढ़ें, इसके लिए महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रकार के पॉलिटैक्निक बनाने और ट्रेनिंग देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी राशि का प्रावधान किया होता तो मैं मानती कि कुटीर उद्योगों के प्रति माननीय वित्त मंत्री सजग हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया।

ग्रामीण विकास और लघु उद्योगों की दृष्टि से माननीय वित्त मंत्री महोदय ने गत वर्ष के बजट के अनुपात में 9 करोड़ रुपए का कम प्रावधान किया है। यदि लघु उद्योगों या ग्रामीण उद्योगों की बात करते तो मैं यह कहना चाहूंगी कि एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की बात करना और दूसरी तरफ लघु उद्योगों को विकसित करने की बात करना, इसका कहीं न कहीं समीकरण दिखाना आवश्यक है। ग्रामीण विकास के लिए और लघु उद्योगों के लिए सरकार की तरफ से श्वेत पत्र निकाला जाना चाहिए जिससे हमें पता चले कि इन उद्योगों के विकास की दृष्टि से भारत सरकार क्या करना चाहती है। तभी इसका सही अर्थ में देश की जनता को आकलन हो सकेगा। इन उद्योगों पर अधिक ध्यान देने के लिए मैं उनसे आग्रह करूंगी।

अभी मेरी बहन कृष्णा बोस डिफेंस के बारे में अपनी बात रख रही थी। रक्षा मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मैं चाहती थी कि रक्षा मंत्रालय के लिए अधिक राशि रखने का प्रयास माननीय वित्त मंत्री महोदय करते। इसके लिए अधिक राशि

रखने का प्रावधान करना इसलिए भी आवश्यक था कि पाकिस्तान को अमेरिका से शस्त्र सहायता मिल रही है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय के लिए अधिक राशि रखी होती तो मैं समझ सकती थी कि देश की सुरक्षा की चिन्ता हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने की है।

पेट्रोलियम प्राडक्ट्स में अनगिनत वृद्धि की गई लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के जवानों की सैलरी में किसी प्रकार की वृद्धि मंत्री महोदय ने नहीं की है। फोर्स को मजबूत बनाने के लिए जवानों की सैलरी में वृद्धि करने की आवश्यकता है। राशि कम होने के कारण उन्होंने उसमें वृद्धि नहीं की है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

बहुत सारे सदस्यों ने सोशल सेक्टर के बारे में यहां अपनी बातें रखीं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देश की निराश्रित महिलाओं के लिए 10 करोड़, हम्माल समाज के लिए पांच करोड़, गरीब बच्चों के आवासीय स्कूलों के लिए 5 करोड़ रुपये, इस प्रकार के छुटपुट 5-10 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर खाना-पूर्ति करने का काम समाज कल्याण की दृष्टि से आपने किया है।

इसके बारे में यह कहना चाहूंगी कि देश की 100 करोड़ जनता में से 50 प्रतिशत महिलायें हैं तो मैं यही कहूंगी कि 1000 करोड़ रुपये के विकास की योजनायें बननी चाहिये लेकिन आप यह दे नहीं सकते तो कम से कम 10 करोड़ रुपये के स्थान पर यदि आपने 100 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया होता या सही अर्थों में महिलाओं के विकास की दृष्टि से, समाज कल्याण की दृष्टि से और महिलाओं की संख्या का ध्यान में रखते हुए किया होता तो हम स्वीकार कर सकते थे लेकिन आपने इस बात को नकारा है और केवल 10 करोड़ रुपया ही रखा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगी कि शिक्षा की तरफ दुर्लक्ष्य हुआ है जिस प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिये था, नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस देश में गरीब लोग ज्यादा हैं और स्वास्थ्य की नीतियों के बारे में इस देश की 100 करोड़ जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये केवल 1245 करोड़ रुपया रखा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि यदि यह रुपया 100 करोड़ लोगों में विभाजित कर दिया जाय तो कितना रुपया चिकित्सा सुविधाओं के लिये प्राप्त हो सकेगा, यह एक चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए परिवार कल्याण योजना के लिये जो धनराशि का उपयोग होना चाहिये, मुझे लगता है गत वर्ष से इस वर्ष कम धनराशि रखने से उनके साथ कितने अनुपात में क्या न्याय कर पायेंगे, इसके लिये मन में आशंका का निर्माण होता है।

सभापति महोदय : आपने 13 मिनट का समय ले लिया। आपको सहयोग करना चाहिये। अब मेहरबानी करके समाप्त कीजिये।

श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : सभापति महोदय, मैं आपको सहयोग करूंगी। मैं कुछ बिन्दुओं को रखकर अपनी बात समाप्त कर रही हूं। वैसे हमारी पार्टी का समय काफी है।

सभापति महोदय : आपको साथियों को दिया है और आपकी पार्टी के मेंबर स्पीकर भी हैं।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : मैं कुछ बातें रखना चाहती हूं। भारत की जनता की श्रद्धा आयुर्वेद के प्रति अधिक है। इसके लिये बजट में सिर्फ आयुर्वेद की तरफ से दुर्लक्ष्य किया है जो 28.09 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, उसको 28.19 करोड़ बताकर आपने 10 परसेंट मिनिमम बढ़ाना चाहिये, वह किया नहीं किया है। इसलिये मैं कहना चाहूंगी कि प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट में आपने 30-40 परसेंट गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का बताया है जबकि एनाइटड नेशन्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि शिक्षा, न्यूट्रीशन, हेल्थ और शिक्षा की दृष्टि से देखें तो 60 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। आपने हथकरघा उद्योग, बीड़ी उद्योग, झोपड़-पट्टी के लोगों के लिये, समुद्र तल के आसपास रहने वाले लोगों के लिये कल्याणकारी योजना नहीं बनायी है। मध्यम वर्ग के लोगों में घोर निराशा व्याप्त है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपने 40 हजार से 60 हजार रुपये की आमदनी के लोगों के लिये 15 से 20 प्रतिशत की जो बात की है, वह बहुत ही चतुराईपूर्ण ढंग से निर्णय लिया है लेकिन आप जानते हैं कि सितम्बर में वेतन आयोग की रिपोर्ट आनी है और यह वेतन आयोग लागू हो जायेगा तो काफी रकम राजकोष में वापस आ जायेगी। इस प्रकार से मध्यम वर्ग को तो कोई राहत नहीं मिलेगी। इसीलिये मैं एक बात बताना चाहूंगी कि देश की अर्थ-व्यवस्था में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। बचत महिलायें करती हैं और अपने लिये कम खर्च करती हैं। अपने परिवार के लिये, बच्चों के विवाह के लिये बीमा योजना या किसी और योजना के माध्यम से बचत करती है। इस दृष्टि से यदि हम कहें कि महिलाओं के विकास की दृष्टि से आपने ज्यादा ध्यान दिया होता तो उचित होता। ऐसा मैं मानती हूं।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि खर्च में कटौती करने के लिये आपने कमेटियां बनायी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके पूर्व मिश्रा कमेटी बनी थी, मनमोहन सिंह कमेटी बनी लेकिन उन कमेटियों की रिपोर्ट का खर्च में कटौती करने के लिये कभी भी उपयोग नहीं किया गया। मैं चाहती हूं कि आपने जो कमेटियां खर्च में कटौती करने के लिये बनायी हैं, क्या उसकी कार्यवाही से, उसकी सलाह से, उसका उपयोग निश्चित रूप से खर्च में कटौती करने के लिये किया जायेगा, ऐसा माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे तो मुझे लगता है कि वे बातें सही होंगी।

सभापति महोदय, अंतिम बात यह है कि हमारे देश पर कर्ज काफी बढ़ गया है। करीब चार लाख करोड़ रुपया का खर्चा है।

करीब साढ़े तीन लाख रुपया विदेशी कर्ज है। इस करोड़ों रुपए के बोझ के कारण हमारे बजट में 60 करोड़ रुपया आपने आवंटित किया है लेकिन एक लाख अस्सी हजार पर जो ब्याज की दर है, उससे यदि हम सोचें तो सरकार की आमदनी से सिर्फ दो हजार करोड़ रुपये की कमी है, यह बात बहुत ही गंभीर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ब्याज की दर बहुत अधिक है, यह कहकर हम उसको टाल नहीं सकेंगे, लेकिन हमारे देश का ऋण चुकाना होगा, ब्याज देना होगा। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह बहुत ही गंभीर बात है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए।

एक बात कहना चाहती हूं कि इस बजट से लाखों बहनों के परिवारों के बजट बिगड़ जाते हैं। गैस सिलेण्डरों पर सीधे 25 रुपए की वृद्धि कर दी गई जिसके कारण कई प्रकार का बोझ महिला समाज पर पड़ा है। मैं समझती हूं कि इसका क्या परिणाम हुआ है यह माननीय वित्त मंत्री से ज्यादा माननीय वित्त मंत्री की पत्नी का मालूम होगा कि महिलाएं इससे कितनी दुखी हुई हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बजट द्वारा भारत के हर नागरिक को स्वत्व के साथ, स्वाभिमान के साथ और स्वावलंबन के साथ खड़े होकर हमारे देश का ऋणमुक्त करने का कृत-संकल्प ही हमारी आवश्यकता होना चाहिए।

अंत में एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि इस बजट के माध्यम से आपने 48.7 प्रतिशत करों की वृद्धि की है और बजट पूर्व पेट्रोलियम के दाम बढ़ाकर आपने 71.3 प्रतिशत की वृद्धि की है। कुल मिलाकर महंगाई 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ेगी उसके लिए हमारा बजट ही जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं माननीय

वित्त मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि देश की जनता को थोड़ा सरल अर्थ में और उनको राहत देने के लिए आपने जो बजट बनाया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अधिक ध्यान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति जी, मैं इस बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उससे आम लोगों को निराशा हुई है। मनमोहन सिंह जी के इकोनोमिक रेफोर्म्स को हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कोमन मिनिमम प्रोग्राम और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस से लगाने का यत्न किया पर वह लगाया नहीं जा सका क्योंकि इस बजट ने मल्टीनेशनल कंपनीज को जो खुली छूट दी है, उससे जो वित्त मंत्री जी ने सोशल जस्टिस और गरीबी हटाने तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के वायदे किये वह इस बजट में कहीं नजर नहीं आते। जिन देशों में मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, उन देशों में आम लोगों को तो कुछ मिला नहीं। आम लोगों की पीठ पर सवारी करके किसी दूसरे की जेब में पैसे डालना कैसे सोशल जस्टिस हो सकता है, इससे कैसे गरीबी हटाई जा सकती है? इकोनोमिक रेफोर्म्स के नाम पर सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जो इस देश को दिया उसके लिए इंपोर्टेण्ट इकोनोमिस्ट्स ने इकोनोमिक सर्वे किये जिनसे सिद्ध होता है कि गरीबी पहले से ज्यादा बढ़ी है। 1991 में यह 30.4 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 37.53 प्रतिशत हो गई है। ऑल इंडिया सर्वे दर्शाता है कि 1995 में यह 34 प्रतिशत तक चली गई। ऐसे ही जो फूड सबसिडी इन्होंने प्रपोज़ की है, वह ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 47 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष 1995 में .51 प्रतिशत था। तो ऐसे गरीब लोगों की इस बजट से गरीबी कैसे दूर कर सकोगे।

एक और दूसरा पहले अनइम्प्लायमेंट का है जो सोशल जस्टिस के लिए होता है और इम्पलायमेंट के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वे लेबर ओरियन्टेड न होकर कैपीटल ओरियन्टेड होती है। इसलिए हमारे देश में जो अनइम्पलायमेंट है वह बढ़ेगा। जैसे पिछले आंकड़ों से स्पष्ट है कि इम्प्लायमेंट में जो एडीशन 1989 में हुआ वह 4.5 लाख था और 1992 में 1.58 लाख हुआ और प्राइवेट सैक्टर में यह निगेटिव जायेगा। जो एस० ए० पी० है वह इम्प्लायमेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता यह तो मार्केट फ्रेंडली होगा और इसका लाभ लोगों को रोजगार देने में नहीं हो सकेगा और न ही जो बैंक्स हैं, इम्पलायमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में जो पैसा दिया जाता है वह टारगेट पूरा नहीं करते और खादी ग्रामोद्योग से बेरोजगारों को जो पैसा दिया जाता है उसके लिए भी कोई उपाय नहीं सोचा गया है। तो किस प्रकार इम्प्लायमेंट दिया जायेगा, यह इस बजट में नहीं है। एक इकोनोमिस्ट है डा. डेविड कार्टन, जो हारवर्ड में बिजनेस का प्रोफेसर है, उसने लिखा है कि जो पांच हजार बिग इंडस्ट्रीज कारपोरेशंस हैं वे संसार की 25 प्रतिशत इकोनोमी को रन करती है। जब कि वे .05 परसेंट इम्प्लायमेंट देती हैं। तो ऐसी मल्टी नेशनल कंपनीज से कैसे लोगों को रोजगार मिल सकेगा यह आम गरीब लोगों के लिए चिंताजनक है। यह बजट उनको खुली छूट देता है उससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। इसी प्रकार आई० आर० डी० पी० में जो एक्सपेंडीचर है जी० डी० पी० का .06 परसेंट पिछले वर्ष था और इस प्रोपोजल में यह .05 परसेंट हो गया है तो इससे आम लोगों का कैसे डवलपमेंट हो सकेगा। रूरल इम्पलायमेंट में जो एक्सपेंडीचर है वह भी डाउन हुआ है। पिछले वर्ष में .49 परसेंट जी० डी० पी० का था जो अब .31 परसेंट हो गया है। तो जो रूरल अनइम्पलायड हैं उनको इस बजट में कुछ मिलने वाला नहीं है।

दूसरी बात यह है कि 70 परसेंट लोग इस देश के एग्रीकल्चर पर बेस्ड हैं और जी० डी० पी० का 30 परसेंट जो शेयर है वह एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर के लिए कोई उपाय नहीं सोचा गया है। किसानों की जो फूड ग्रेन्स की प्राइस है, रिम्यूनरेशन प्राइस देने के लिए बहुत समय से किसान कह रहे हैं कि उनकी जो प्राइस है, रिम्यूनरेशन प्राइस देने के लिए बहुत समय से किसान कह रहे हैं कि उनकी जो प्राइस है, प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ी जाएगी। हम समझते थे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो किसान के बेटे हैं और ऑनरेबल वित्त मंत्री किसानों का ध्यान रखेंगे, उन्होंने कामन मिनिमम प्रोग्राम में भी बोला है। लेकिन हमें बड़ा दुख है कि किसानों के जो फूड ग्रेन्स के दाम हैं उसके लिए कोई प्राइस इंडेक्स से जोड़ने की बात नहीं की गई है। जो एग्रीकल्चर सैक्टर है वह नेचुरल कैलामिटी में अफेक्ट होता है। नेचुरल कैलामिटी को रोकने के लिए कोई क्रॉप इश्योरेंस स्कीम और उनको इंसेन्टिव देने के लिए कुछ नहीं किया गया है और सबसे दुखदायी बात यह है कि भारत की जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वह डाउन हो रही है, नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले में बहुत डाउन है। हमारे साथ पाकिस्तान की 4.9 है और हमारी 2.9 है, ईरान की 4.7 है। किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कोई नई रिसर्च नहीं की, वैरायटी नहीं बनाई गई और पेस्टीसाइड्स पर जोर दिया जाता है। जो पेस्टीसाइड्स खत्म नहीं हुआ वह फैलाया जा रहा है। एडल्ट्रेशन बहुत है। एग्रीकल्चर सैक्टर में खास तौर से जो पेस्टीसाइड्स हैं और फर्टीलाइजर्स इसमें हैं।

उसे रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात जो हम इस बजट में देख रहे हैं, मैं समझता था कि वित्त मंत्री जी उसका कोई उपाय करेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, वह है कि एग्रीकल्चर सैक्टर ऐसा है जिस पर इकौनोमिक ब्लौकेड लगा हुआ है। हमारे मुल्क में जितना फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है... **(व्यवधान)**

सभापति जी, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए। मैं एक ऐसे स्टेट को रिप्रेजैंट करता हूं, पंजाब फूडग्रेन के मामले में सबसे ज्यादा 60 परसेंट कंट्रीब्यूट करता है।

सभापति महोदय : आपकी पार्टी को 6 मिनट एलॉट हुए हैं। आप खुद देख लीजिए कि कितना समय आप ले चुके हैं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : आप मुझे 5 मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय : जल्दी कंक्लूड कीजिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैं कह रहा था कि एग्रीकल्चर सैक्टर में इकोनोमिक ब्लौकेड की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। अगर राइस के क्षेत्र में आप देखें, इंडियन मार्केट में किसान को 1986 में राइस के दाम 228 रुपए प्रति क्विंटल मिले, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में किसानों को 327 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिले। हमारे यहां राईस की टोटल प्रोडक्शन 62.64 मिलियन हुई, जिसके अनुसार 6,187 करोड़ रुपये का लॉस भारतीय किसान को हुआ। वही स्थिति व्हीट के क्षेत्र में है। वर्ष 1986 में इंडियन मार्केट में व्हीट का दाम 174 रुपए प्रति क्विंटल मिला जबकि इंटरनेशनल मार्केट में किसान को 261 रुपए मिले जिससे भारत के किसानों को कुल 4,184 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। कॉटन के फील्ड में भी ऐसी ही स्थिति है।

सरकार की तरफ से फर्टिलाइजर पर एग्रीकल्चर सैक्टर में जो सबसिडी दी जाती है, उसका लाभ हमारे किसानों को नहीं मिलता बल्कि बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल उसका लाभ उठाते हैं। किसान के लिए, किसी जिन्स की प्राइस सबसिडी कंसीडर करके फिक्स की जाती है, जिससे किसान को निगेटिव सबसिडी मिलती है। यही कारण है कि इस देश का किसान लगातार कर्ज़े में डूबता जा रहा है, लगातार गरीब हो रहा है। पहले खेती को इस देश में सबसे उत्तम धंधा माना जाता था लेकिन आज वहीं धंधा सबसे निम्न स्तर का बन गया है। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि हमने दूसरे मामलों में तो लिबरलाईजेशन की पौलिसी अख्तयार की लेकिन खेती को वैसी सहूलियतें नहीं दी ताकि हमारे वैजिटेबल बाहर के मुल्कों में जा सके,

हमारे फ्रूटस बाहर जा सकें, उनकी प्रोसैसिंग के लिये यहां प्लांट लगाए जा सके और किसान को उसकी उपज का अच्छा प्राइस मिल सके। इस बारे में वित्त मंत्री जी ने कोई उपाय नहीं सोचा। मैं निवेदन करूंगा कि बजट प्रोपोजल्स में कोई ऐसी विधि अपनाई जाए जिससे एग्रीकल्चर सैक्टर देश में ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो सके।

अब मैं एक इम्पोर्टेंट विषय की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसकी प्रोपोजल भी फाइनैंस मिनिस्टर ने की है। देश में 1,045 कम्पनियां ऐसी हैं जो मोर दैन 70 परसेंट एक्सपोर्ट से प्रौफिट कमाते हैं। उनका कुल प्रौफिट 14,040 करोड़ रुपए बनता है। वित्त मंत्री जी ने प्रोपोज किया है कि उन पर मिनिमम आल्टरनेटिव टैक्स लगाया जाए। मगर हमने एक दिन वित्त मंत्री जी का यह स्टेटमेंट भी पढ़ा कि उन मल्टीनेशनल कम्पनियों को जो प्रौफिट कमाती है, इंसैटिव दिए जाएंगे जबकि गरीब व्यवसाईयों को ऐसे कोई इंसैटिव देने की व्यवस्था नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं चाहूंगा कि उन पर टैक्स लगे। उन पर कार्पोरेट टैक्स की दर 40 परसेंट से घटा कर 30 परसेंट की जा सकती है।

उसी तरह पहले स्टील की एक्स-फैक्टरी प्राइस पर टैक्स लगता था, अब उसे यार्ड में लगाया जाता है। इससे प्राइस में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्राइस की बात है... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : ऐसे ही कुछ और बाते हैं, जैसे इन्कम टैक्स है, जो सैलरीड क्लास सबसे ज्यादा पे करती है।

मैं मांग करता हूं कि इनकी जो मिनिमम लिमिट है वह इंक्रीज होनी चाहिए।

हमारे लुधियाना में जो हौजरी यूनिट्स हैं वे एक्सपोर्ट के द्वारा फोरेन एक्सचेंज कमाती हैं। लेकिन उनके लिए पावर शॉर्टेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तथा उनको सैल्स-टैक्स की कोई छूट नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्राइमरी हैल्थ सेंटर, लैबर वैलफेयर, प्राइमरी एजुकेशन और सैल्फ ड्रिंकिंग वाटर जैसी जो बेसिक मिनिमम सर्विसेस हैं उनके लिए और फंड देने चाहिए।

एक बात और है। जो पैंडिंग प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, खासतौर से इरिगेशन सैक्टर में, उनके लिए पैसे की जरूरत हैं।

थीन डैम पंजाब का बहुत वर्षो से चला आ रहा डैम है। इसकी 85 करोड़ रुपये इनिशियल कॉस्ट थी, लेकिन अब 2650 करोड़ रुपये हो गई है। उसके लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट पैसा अलोकेट नहीं करती। उसके लिए पावर शॉटेज रहती है। जो पैंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें 231 प्रपोजल हैं और जा फंड्स दिए हैं उनसे 47 भी कंपलीट नहीं होगे। इसलिए जो पैंडिंग यूनिट्स हैं उनको कंपलीट करना चाहिए।

जो सिक यूनिट्स है उनके लिए भी पॉलिसी बनानी चाहिए। आप तो किसी मरीज को दवाई देने की बजाय उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी शुगर मिल्स को सिक यूनिट डिक्लेयर करके उनको अपने लोगों को पिछली कांग्रेस सरकार ने बेच दिया। इसलिए सिक यूनिट्स के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीब लोगों के लिए नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, और प्रेस के लोगों के लिये कमरा न० 70 में 10 बजे तक रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है। आप रात्रि भोजन कर वापिस लौट आयें।

सचिवालय के कर्मचारियों के लिये कमरा न० 73 में 10 बजे तक रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है।

श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : माननीय सभापति, महोदय, सर्वप्रथम मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने यह पहली बार नोट किया है कि किसी भी बजट पर देश में इतनी अधिक चर्चा की गई हो। न केवल समाचार पत्रों के स्तम्भों में बल्कि जहां कहीं भी हम जाते हैं हम इसके बारे में सुनते हैं। कुछ समाचार पत्रों ने केवल इसका विश्लेषण किया है बल्कि अपने सम्पादकीय में या इसके बारे में कविताएं आदि भी लिखी है। हम जानते है बजट प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है। आज देश में एक पार्टी की सरकार नहीं है। विभिन्न दलों के सहयोग से सरकार बनी है। मैं अपनी बात संक्षिप्त में और बिना कोई आंकड़े देकर स्पष्ट करूंगा। सरकार में शामिल सभी दलों और बाहर से सरकार का समर्थन देने वालों का अपना घोषणा पत्र है, समस्याओं के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण है, उनके अपने निर्देश हैं लेकिन जब वे सरकार का गठन करने सामने आते हैं, सरकार को चलाने आते हैं—हम सब जानते हैं, यह सरकार किस प्रकार अस्तित्व में आई— मैं इसके इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं— बाधाएं है। मैं नहीं समझता कि यह संतुलित कार्य है, यह एक दूसरे के बीच बेहतर सूझ-बूझ का कार्य है, और अच्छी समझ का कार्य है कि वे ये देखे कि सरकार सब के सहयोग से किस प्रकार कार्य कर सकती है और इसके साथ-साथ वह विभिन्न विचारों को कैसे सम्मान दे सकती है। कुछ दल यह कहेंगे कि हमारा न्यूनतम कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं है। साझा न्यूनतम स्वीकृत कार्यक्रम ही सरकार का कार्यक्रम है।

अपराह्न 8.00 बजे

अतः यह सरकार सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के मापदण्डों के भीतर चल रही है। मैंने हाल ही में वित्त मंत्री का एक साक्षात्कार पढ़ा था। उन्होंने स्वयं अपने विचार बताये थे। मैं उनको अक्षरशः उद्धृत करना नहीं चाहता। जब किसी ने उनसे यह पूछा कि यदि वह एक पार्टी की सरकार चला रहे होते तो कैसा होता। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने सामाजिक न्याय, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध- एक विषय जिस पर अनेक वर्षों से विवाद हो रहा था, को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मेरे विचार से यह विशेष चर्चा का विषय है क्योंकि हमें इस ओर अधिक ध्यान देना होगा। कुछ समस्याएं ऐसी है जिनको हल नहीं किया जा सकता। मैं उनका उल्लेख करना नहीं चाहता। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में— मैं सारी बात पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि सब यह जानते हैं— केन्द्रीय-राज्य सम्बन्ध, उद्योग के सम्बन्ध में आर्थिक नीति, निगमित क्षेत्र, लघु और कुटीर उद्योग, कृषि शिक्षा सामाजिक लाभ के बारे में चर्चा की गई है। इन विषयों पर चर्चा की जा चुकी है। सावधानी पूर्वक बजट का अध्ययन करने पर मैंने पाया कि वित्त मंत्री महोदय ने न केवल प्रधानमंत्री और सरकार बल्कि सत्ता में शामिल अन्य दलों के विचारों को समझ लिया है। उन्होंने सबके विचार समझकर एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। शायद, अपने जीवन का उन्होंने यह सबसे कठिन कार्य किया होगा लेकिन उन्होंने उसे अच्छी प्रकार किया है। यह केवल नीति चातुर्य का मामला नहीं है। यह तथ्यों का विवरण है। बजट केवल आय और व्यय का विवरण नहीं होता। इसके लिये वित्त मंत्री की आवश्यकता नहीं है। कोई और व्यक्ति भी यह कार्य कर सकता है। इससे सरकार के स्पष्ट दृष्टिकोण का बोध होना चाहिये, इसमें निदेश होने चाहिये ओर इससे हमें यह अवश्य पता लगना चाहिये कि राष्ट्र किस ओर जा रहा है। अतः बजट का अपना ही सिद्धान्त है। यह केवल सांख्यिकी और अर्थशास्त्र का मेल नहीं है जिसे हम अर्थहीन अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस बारे में मैं केवल यही कहना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं है। यह बहुत ध्यानपूर्वक बनाया गया बजट है।

कुछ लोग आलोचना के रूप में और कुछ लोग वास्तव में अच्छे इरादे से यह कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री किसान हैं। जी हां, वह किसान है। मैं स्वयं एक किसान हूं। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह बजट अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्वबैंक के निदेशों के आधार पर तैयार किया गया है। क्या कभी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक अथवा किसी अन्य संस्था ने यह कहा है कि 'राज सहायता जारी रखें'?

अब देश के प्रत्येक किसान को कितनी राज संहायता प्राप्त हो रही है? यदि मेरे आंकड़े– जिनकी विश्व बैंक ने गणना की है– गलत नहीं है, हमारी कृषि से 65 बिलियन डालर की आय है। एक व्यक्ति जो 100 किलोग्राम उर्वरक खरीदने जाता है यह जानता है कि उसे बजट से क्या मिल रहा है। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में बैठता है वह विद्धान है और वह आंकड़ों के बारे में चर्चा कर सकता हैं। क्या वह यह समझता है कि किसान इससे किस प्रकार प्रभावित होता है अतः यह किसानों का बजट है और यह गांवों में दलगत भावना से उठकर महसूस किया जा रहा है। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस शताब्दी के अन्त तक विश्व में 50 प्रतिशत अशिक्षित लोग भारत में होंगे। जब मैं आई० पी० ए० की बैठक में शामिल होने सियोल गया मैंने श्री बेकर को सुना, अमरीका के भूतपूर्व विदेश सचिव ने यह कहा " कोई किसी को धनराशि क्यों दे यदि आप शिक्षा चाहते हैं तो आप अपनी शिक्षा प्राप्त करें। किसको इस बात की चिन्ता है।" वास्तव में श्री बेकर ने इस आशय से यह नहीं कहा था। यहां प्राथमिक शिक्षा के लिये 3,888 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं और एक साक्षात्कार में हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि "हम अगला बजट भी प्रस्तुत करेंगे" क्योंकि जब किसी व्यक्ति ने व्यंग्य किया कि "क्या आप आगामी बजट भी पेश करेंगे," वित्त मंत्री ने कहा "हां, मैं अगामी बजट पेश करूंगा।" यह सरकार चलती रही तो वित्त मंत्री न केवल अगला बजट प्रस्तुत करेंगे बल्कि वह पूरे पाच वर्ष तक बजट प्रस्तुत करते रहेंगे।

अतः मेरा कहना है कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये। दोपहर के भोजन के लिये भी धनराशि निर्धारित की जानी चाहिये। अतः विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा किसी अन्य द्वारा इस मामले में दिये गये आंकड़े कि विश्व में 50 प्रतिशत अशिक्षित भारत में होंगे, इस बजट में इससे इंकार किया गया है। इस बजट में उद्योग, कृषि, सामाजिक क्षेत्रों, स्वास्थ्य, रक्षा और आत्म निर्भरता पर जोर दिया गया है। एक समय था जब प्रधानमंत्री मुख्यमत्रियों को बर्खास्त कर सकता था। अब परिवर्तन आ गया है। मुख्य मंत्री एक साथ बैठते हैं और वे सब निर्णय लेते है कि उनका प्रधानमंत्री कौन हो। मैं यह नहीं कहता कि यह संघवाद है। लेकिन विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है कि जहां किसी पर निर्णय थोपा नहीं जाता और कोई इसको स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। वास्तव में यह क्रम विकास है। यह अपना समय लेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि बजट विश्वव्यापी योजना का एक भाग है। वास्तव में विश्वव्यापीकरण जारी है। मैं विश्वव्यापीकरण आदि के बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मेरे पास अद्यतन रिपोर्ट हैं। यह दस्तावेज "विश्व बैंक, इंडिया कन्ट्री इकनामिक मेमोरंडम" का है। मुझे यह नहीं मालूम कि इसमें से कितना वित्त मंत्री को स्वीकार्य होगा। लेकिन वित्त मंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो आशंका व्यक्त की है मैं उसके बारे में कुछ शब्द कहूंगा। इसमें यह कहा गया है– यह अद्यतन है– हाल ही में फार्मास्युटिकल्स का उदारीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आंशिक रूप से कोयला अथवा इस्पात निक्षेप और बीमा और रेलवे में किया गया है। यह प्रगति, बिना इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि शेष लाइसेंस देने सम्बन्धी प्रतिबन्ध मुख्यतया लघु उद्योग, जिसमें कृषि उद्योग भी शामिल हैं के संरक्षण के लिये है पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है।

यहां मैं साझा न्यूनतम कार्यक्रम को उद्धृत करना चाहता हूं;

"यदि लघु उद्योग, बड़े उद्योग आदि के बारे में विश्व बैंक का यह मूल्यांकन है तो बड़े, मध्यम दर्जे, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के बीच संतुलन को बनाया जा सकता है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। वे प्रभाव में नैतिक और लचीले है।

इसमें ऐसा कहा गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार : कृपया मुझे दो-तीन मिनट और बोलने दें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आप यह जानते है। मैं हमेशा अपने वचन का पालन करता हूं, लेकिन कभी-कभी मुझे समय का ध्यान नहीं रहता।

सभापति महोदय : अच्छा होगा यदि आप कुछ ही मुद्दे उठायें।

श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार : मेरी स्मरणशक्ति कमजोर है। जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात आती है, मैंने वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। "क्या कम्प्यूटर चिप्स की तुलना में आलू के चिप्स अधिक महत्वपूर्ण है"? यह अध्ययन 'दी वाल स्ट्रीट जरनल' ने किर्बा है। उनका कहना है कि अनाज से बने एक प्रतिशत खाद्य पदार्थों का निर्माण भारत में होता है। मैकिन्से एण्ड कम्पनी ने पुणे में एक आरम्भ किया है और वे बड़ी मात्रा में मशरूम का निर्यात कर रही है। यह कहा गया है और मैं इसका उल्लेख करना है:

"फ्रैंकलिन फार्म्स ने भारत की वैकृफील्ड एग्रो प्रोडेक्ट्स लिमिटेड से भागीदारी करने की पेशकश की थी।" उनका कहना है कि वे अब अमरीका को और अधिक मशरूम का निर्यात कर रहे हैं। आगे यह भी कहा गया है कि "किटो डे बोडर मैकिन्से की एक प्रमुख कम्पनी ने उच्च तकनीक के पक्ष में दिये जाने वाले सामान्य तर्क का, "कि पोटेटो चिप्स कम्प्यूटर चिप्स की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है", विरोध किया है।

मैं नहीं समझता कि आलू के चिप्स 'कम्प्यूटर चिप्स' की तुलना में कभी भी अधिक महत्वपूर्ण होंगे। यह पूर्णतया अलग बात है। उन्होंने ब्राजील का उल्लेख किया है। मैं अब अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं बड़े लोगों को उद्धृत करना नहीं चाहता। लेकिन मैं ब्राजील के किसान को उद्धृत करना चाहता हूं। हाल ही में एक प्रकाशन में यह जानकारी दी गई है। मैं इसके लेखक आदि के बारे में ब्यौरा नहीं देना चाहता क्योंकि इसमें समय लगेगा। इसमें कहा गया है :

"मुक्त व्यापार और समान परिस्थितियां केवल भ्रम है। यदि मैं आपको ब्राजील में सामाजिक और पर्यावरणीय नीतियों का ब्यौरा दूं तो आप रो पड़ेंगे। यह कहना पर्याप्त होगा कि वे बुलेट, बुलडोजर माचिस की डिब्बी से बने हैं। यूनाइटिड किंगडम में किसान कभी भी इससे मुकाबला करने की नहीं सोच सकता। मैं इसके लिये उन्हें सलाह भी नहीं दूंगा।

केवल ऐसा ही नहीं है। सी० टी० बी० टी० के बारे में सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। हर कोई यह कहता था कि यह एक कमजोर सरकार है, मिली-जुली सरकार है और वह शक्तिशाली अमरीका और अन्य ताकतवर देशों के सामने कोई निर्णय नहीं ले सकेगी। लेकिन हम इस बारे में दृढ़ रहे और कहा कि हम उनके

निर्देशों से सहमत नहीं हैं। यदि हम सी० टी० बी० टी० के मामले में यह कहने का साहस रखते हैं तो हमें अनेक और बातें कहने का भी साहस है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बारे में तुलना नहीं करनी चाहिये। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह देखा है। मैं एक बात उद्धृत करना चाहता हूं और वह यह कि "वर्ष 1984-85 में इथोपिया ने सादृश्यता दिखाई थी। वहां अकाल में दस लाख व्यक्ति मारे गये लेकिन उसने इंग्लैंड को निर्यात किये जाने वाले ग्रीन बीन्स पर रोक नहीं लगाई। इसी प्रकार वर्ष 1992-93 में सोमालिया में सिविल युद्ध और अकाल के समय हुआ। सोमालिया नए समय की परिस्थितियों का स्पष्ट उदाहरण है। अकाल सम्बन्धी पहला सीधा प्रसारण टेलीविजन पर दिखाया गया यह व्यापार की कहानी थी— शस्त्र व्यापार, तेल व्यापार (चार तेल कम्पनियों ने ड्रिलिंग के अधिकार दो तिहाई सोमाली क्षेत्र को दे दिये थे) और समुद्री खाद्य पदार्थ। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका के शान्ति स्थापित करने और राहत कार्य आपरेशन रिस्टार क्षेत्र की चरम सीमा के समय, मत्स्य नौकाओं के बेड़े, (ताईवान, कोरिया, स्पेन, ग्रीक और इटली) आरक्षित सोमाली मत्स्य क्षेत्रों में सक्रिय थे और देश को "ऐड" के रूप में दी जाने वाली प्रोटीन की तुलना में कहीं अधिक प्रोटीन वहां से निकाल रहे थे।

ऐसा अब भारत के समस्त तटों पर हो रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण पूरा करें।

श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार : मैं एक मिनट से अधिक का समय नहीं लूंगा। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि वह एक अनोखे, अस्तव्यस्त, अनियमित, विश्व व्यापार स्थल में निर्धनों के साथ अमीरों को, कमजोर के साथ शक्तिशाली को फेंकना नहीं चाहती। इसमें एक बात है। फिर यह कहा गया है मैं उद्धृत करता हूं :

"यह ऐसा संसार है जिसमें पूंजी निवेश अवसरों की खोज के लिये स्वतंत्र है, जिसमें सामान अच्छी मार्किट और ऊँचें मूल्य की खोज के लिये स्वतन्त्र है; जिसमें केवल श्रमिक पर ही कानून लागू होता है और सहज गतिशीलता के लिये सीमा सुदृढ़ है।"

प्रेजीडेंट बुश की चीफ ट्रेड नेगोशिएटर कार्ला हिल्स ने कहा है और मैं उद्धृत करता हूं :

"हम न्यूनतम समान विश्व स्तर की तुलना में राष्ट्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी मापदण्डों के अधिकार को अधिक सख्ती से समाप्त करना चाहते हैं।"

हम इसे स्वीकार करना नहीं चाहते। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने निश्चित रूप से कहा है कि हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे हम यह नहीं चाहते कि कोई अन्य हमारी अथवा किसी भी देश की नीतियां निर्धारित करे। हम नहीं चाहते कि कोई शक्ति, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली ही क्यों न हो हमारी प्रभुत्व सम्पन्नता के बारे में प्रश्न करे और हम नहीं चाहते कि कोई देश हमें इस बारे में निर्देश दे कि हमें क्या करना चाहिये अथवा क्या नहीं करना चाहिये। मेरे विचार से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार स्पष्ट हैं। वास्तव में इसमें कुछ छूट दी गई हैं। यह आवश्यक है लेकिन किसी राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं है। मैं प्रसन्न हूं और मैं वित्त मंत्री को इन तथ्यों की ओर ध्यान देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

मेरा अन्तिम मुद्दा शिकायत नहीं बल्कि मेरी भावना है क्योंकि आप मेरे बहुत निकट हैं और इसे बेहतर समझ सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि केरल के बारे में आपकी अच्छी राय है। आपने शुल्कों में कुछ छूट दी है। हम रबड़ पर अधिक निर्भर करते हैं। हालांकि यह लचीला है, लेकिन यह फिर भी रबड़ है। रबड़ उद्योग समाप्त हो जायेगा। अब रबड़ उद्योग का क्या होगा? मैं अध्यक्ष की ओर से भी कह रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं आपके लिये बहुत लचीला हूं।

श्री एम० पी० वीरेन्द्र कुमार : मैं यह जानता हूं। लेकिन आपका नारियल के बारे में क्या कहना है? यदि हम और अधिक मात्रा में वनस्पति तेल का बाहर से आयात करते हैं तो केरल की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो जायेगी। हमारी अर्थव्यवस्था क्षीण हो रही है। यद्यपि हम कुछ डॉलर अर्जित करते हैं क्योंकि यहां के लोग बाहर जाते हैं और वहां धन अर्जित करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह केरल की अर्थव्यवस्था पर विचार करें और हमें कुछ छूट दें। समाचार पत्रों से सम्बद्ध होने के बावजूद आपने विज्ञापनों पर पांच प्रतिशत कर लगाया है। यह वाणिज्यिक विज्ञापनों पर है। अखबारी कागज उद्योग के लिये वाणिज्यिक विज्ञापन आवश्यक हैं। एक प्रतिनिधिमंडल ने आप से भेंट की थी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाडेय (मंदसौर) : सभापति जी, वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट शब्दों की दृष्टि से, उसकी संरचना की दृष्टि से अत्यन्त लुभावना है, लेकिन अगर उसको ठीक ढंग से देखा जाय तो उसकी असलियत जाहिर हो जाती है।

जो-जो उन्होंने वायदे किये या जिन बातों का उल्लेख किया है, फिर चाहे वह गरीबों के लिए कही गई बात हो, गंदी बस्ती उन्मूलन के लिए कही गई बात हो, रोजगार उपलब्ध कराने के अवसरों के लिए बात कही गई हो या राज्यों को वित्तीय सहायता देने की बात कही गई हो, ये सब ऐसी बातें हैं, जिनको अगर ठीक से देखा जाये तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो बातें कहीं हैं, वे अत्यन्त व्यावहारिक किन्तु उनको कैसे पूरा करेंगे। उनके पीछे विशेष परिस्थितियों का भी उल्लेख नहीं किया गया। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह प्रवंचनापूर्ण बजट है। यही कारण है कि कुछ लोगों ने भले ही इसका सराहना की हो, जिनके यह थोड़ा गले उतरता हो या जो लोग लाभान्वित होते हो, लेकिन गरीबों की तरफ से, मध्यम वर्ग की तरफ से, उन लोगों की तरफ से, जो रोजगार प्राप्त नहीं कर सके हैं या वे लोग जो आज बेकारी के अन्दर पीड़ित हैं, या वे लोग जो आज गंदी बस्तियों में रहते हैं या झुग्गी-झोंपड़ियों में अपना जीवनयापन करते हैं वे इसकी सराहना नहीं करेंगे। हां, उद्योग मंडल ने जरूर इस बजट की सराहना की है, क्योंकि आपने उनको सहायता दी है इसलिए भले ही उन्होंने आपकी सराहना की हैं, लेकिन अन्य लोगों ने इसकी सराहना नहीं की है।

वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट में मुद्रास्फीति को कम करने की बात कही है। लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर कहते हैं कि भले ही मुद्रास्फीति की दर अभी 6.5 प्रतिशत हो, यह आगे चलकर दहाई में भी पहुंच सकती है। कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसी शंका प्रकट की है। आप मुद्रास्फीति को रोकने की बात करते हैं यह आपके इस बजट से रुकने वाली नहीं है। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

आपकी सरकार के द्वारा बार-बार कहा जाता है कि हम कृषि को बड़ा महत्व

दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इसी दृष्टि से आपने किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं की बात भी कही हैं। मेरे पास एक सूचना रिपोर्ट है, उसके आधार पर ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा दिया है, वह 1995-96 में 6094.75 करोड़ रुपये था, जो अब घटकर 5394.18 करोड़ रुपये रह गया है। ठीक इसी प्रकार कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलापों के लिए जो राशि थी, वह भी कम हो गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता भी कम की गई है।

आपने पांचवे वेतन आयोग के बारे में कहा कि जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आएगी और उससे कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मैं वित्त मंत्री द्वारा कही गई बात पर विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसा उन्होंने कहा है कि सितम्बर के अंत तक पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और उसके अनुसार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, इस बात की मैं आश्वस्ति चाहूंगा।

बजट में कुल व्यय दो लाख एक हजार करोड़ रुपये बताया गया है, जो कि पहले था, अब दो लाख चार हजार करोड़ रुपये हो गया है। राज्यों को भी सहायता देने की बात कही गई है, लेकिन जो पिछड़े हुए राज्य हैं, जहां की आबादी अत्यंत गरीब है, उनकी उपेक्षा की गई है, जबकि वहां अधिक सहायता दी जानी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश का उल्लेख करना चाहूंगा। वहां पर 33 प्रतिशत आबादी आदिवासियों ओर अनुसूचित जाति के लोगों की है। जैसे वस्तर का इलाका है या झाबुआ का इलाका है, वहां के लिए कोई सहायता की बात नहीं कही गई है।

आपने कहा है कि हम बिजली परियोजनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं। मैं आंकड़ों के भ्रमजाल में नहीं पड़ना चाहता और न ही उसका उल्लेख करके सदन का समय लेना चाहता हूं। बम्बई हाई से निकलकर जो गैस पाइप जाती है वह मध्य प्रदेश में 500 किलोमीटर तक जाती है। अगर आप किसी राज्य को सक्षम या सम्पन्न बनाना चाहते हैं तो उसे सहायता देनी चाहिए और वहां पर बिजली परियोजनाओं का लाभ भी देना चाहिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास भांडेर के अंदर गैस संयंत्र की बात थी, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिया है।

योजना आयोग के बारे में पूंजी निवेश या डिसइंवेस्टमेंट के बारे में कुछ बात कही गई है। वित्त मंत्री महोदय कहते हैं कि डिसइंवेस्टमेंट होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री दंडवते कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता है, उनको बने रहना चाहिए और उनको उपयोगी बनाना चाहिए। यह परस्पर-विरोधी बातें हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का एक कथन है और हमारे वित्त मंत्री का दूसरा कथन है। मैं समझता हूं इस विरोधाभास को समाप्त किया जाना चाहिए।

सिंचाई योजनाओं के बारे में या विद्युत परियोजनाओं के बारे में कहा गया है। जो हमारी अंतर्राज्यीय बहुत सारी योजनाएं हैं, वह केन्द्रीय सहायता के अभाव में वर्षों से लम्बित पड़ी हैं। चाहे मध्य प्रदेश की हों या राजस्थान की, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि नर्मदा-क्षिप्रा को मिलाकर चम्बल से एक नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बनाने की एक योजना तैयार की जाए जिससे मालवा का पठार और मध्य भारत का क्षेत्र सिंचाई के अंदर बहुत उपयोगी हो सकेगा। लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। न ही उसके बारे में कोई आश्वासन दिया गया है।

सरकार मुक्त व्यापार की बात करना चाहती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनीज का प्रवेश कराना चाहती है, पूंजी निवेश चाहती है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनीज क्या कर रही हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे यहां उपभोक्तावाद को बढ़ा रही है। ऐसी वस्तुएं बना रही है जिनको आम आदमी की खरीदने की क्षमता नहीं है। उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उनकी आमदनी नहीं है। ऐसी वस्तुओं से बाजार पटा जा रहा है और उनके ऊपर कर कम करके लोगों को प्रलोभित किया जा रहा है। विदेशी वस्तुओं का यहां पर आयात किया जा रहा है। इसी तरह से हमारा आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। यह आपकी आर्थिक समीक्षा के अंदर कही गई बात है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। विदेशी मुद्रा का भंडार भी पहले से कम हुआ है। इसमें बताया गया है कि विदेशी मुद्रा का भंडार जो 1995 में 20 बिलियन डॉलर के लगभग था वह 1996 में 17 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक इसी तरह से निर्यात में भी गिरावट आई है। आर्थिक समीक्षा 1995-96 में बताया गया है कि अप्रैल-मई 1996 के दौरान निर्यात और आयात की वृद्धि की गति पिछले वर्ष से धीमी रही है। फिर इसी में कहा गया है कि 1996-97 की पहली तिमाही में विदेशी संस्थागत निवेशकों के एक बिलियन डॉलर से अधिक के निवल अंतर्प्रवाहों सहित विदेशी निवेश प्रभावित रहे। मार्च 1996 के अंत तक 17 बिलियन डॉलर रहे और विदेशी मुद्रा रिजर्व 1997 तक 17.5 बिलियन डॉलर बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसमें जो बताया गया है, धीरे-धीरे विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी हुई है।

ठीक इसी प्रकार से कृषि उत्पादन के बारे में आपने कहा है कि जिस आर्थिक नीति को लेकर आप बड़ी सराहना करते रहे, हमारी आर्थिक नीतियों का कारण है कि हम बहुत अच्छा बाजार प्राप्त कर सकें। हमने संतुलन कायम कर लिया है लेकिन दुनिया की दृष्टि से 1992-93 से कृषि उत्पादन वृद्धि की औसत प्रतिशत 4 थी लेकिन अब वह घटकर 0.9 प्रतिशत हो गई है। 1992 से 1994 के दौरान 4 प्रतिशत की वृद्धि रही। यह मैं आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ पांच से उद्धृत कर रहा हूं। कृषि फसल उत्पादन की वृद्धि 1995-96 में कम होकर 0.9 प्रतिशत तक हो गई और यह घटते-घटते और नीचे हो गई है। यह ठीक है कृषि उत्पादन पर आपने महत्व देने की बात कही है लेकिन जो राशि आबंटित की गई है, वह इतनी कम है कि मुझे नहीं लगता कि पूरा लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन जिस प्रकार से आप चाहते हैं वह संभव हो सकेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भुगतान संतुलन की स्थिति भी अत्यधिक डांवाडोल है। आर्थिक समीक्षा के पृष्ठ 14 को मैं उद्धृत कर रहा हूं। 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार काफी बढ़ गया था। वह घटकर 12 जुलाई 1996 तक 17.7 बिलियन डॉलर हो गया है। यह आपकी स्थिति बताती है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बारे में हमको सही स्थिति से अवगत कराएंगे। आपने यह भी बताया है कि गंदी बस्ती उन्मूलन के लिए 250 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है। अब स्थान-स्थान पर गंदी बस्तियां हैं और उनके लिए 250 करोड़ रुपए का आयोजना व्यय रखना किस प्रकार से तर्कसंगत होगा। यह राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पैसा जुटाने की बात कही गई है, सहायता की बात कही गई है लेकिन जो स्थिति है और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार होना चाहिए या जो हमारी सड़क परिवहन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, उसमें आपके द्वारा दी गई राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस कार्य को ठीक प्रकर से संपन्न नहीं करा पाएगा।

पिछले दिनों सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की थी। डीजल, रसोई गैस, पेट्रोल इत्यादि सभी की कीमतों में 9000 करोड़ रुपये की वृद्धि की

गई थी। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह जो आयात पूल बना हुआ है उस आयात पूल में कितने हजार करोड़ रुपए इनके पास है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए तक सरकारी खजाने में पैसा जमा है। अगर सरकारी खजाने में वह पैसा जमा था तो फिर 9000 करोड़ रुपए की क्या आवश्यकता थी? इसको स्पष्ट करें। अगर मेरी जानकारी गलत है तो मुझे आप बता दें लेकिन अपनी जानकारी के अनुसार मैं कह रहा हूं कि इतना पैसा है, उसमें से पैसा नहीं देकर उन कंपनियों को जो पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करती हैं, चाहे वह हिन्दुस्तान पेट्रोलियम हो या भारत पेट्रोलियम हो, अगर उनको आप सहायता देते तो शायद वह अपने पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करतीं हमें तेल आयात कम करना पड़ता। आज हमको कहते हैं कि निजी तौर पर हम ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों या तेल का उत्पादन करना चाहते हैं, वह किस कारण से संभव नहीं हो रहा है? पेट्रोलियम, गैस, तेल उत्पादन का जो हमारा लक्ष्य था उसमें हम पीछे क्यों है और हमें दूसरे देशों से व्यापार संधि करके वहां से मंगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जबकि हमारे यहां पर कच्चा तेल उपलब्ध है हम उसको बढ़ा सकते हैं। हमारे यहां पर गैस भी उपलब्ध है हम उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमारे पास पैसा भी है लेकिन उसका हम अन्यथा उपयोग कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बारे में स्पष्ट करें।

महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने शिक्षा और चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में भी कहा है। कैंसर के बारे में, कुष्ठ रोगों के बारे में, मलेरिया के बारे में और कालाजार के बारे में विशेष प्रावधान करने जा रहे हैं। मै। चाहूंगा कि इसके लिए अधिकाधिक राशि उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि अभी हमारी बहन श्रीमती जयवंती मेहता ने कहा है, आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति या और हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उनके लिए भी अधिक से अधिक सहायता देने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बजट की स्थिति है उसके बारे में आप निश्चित रूप से अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें और मैंने जो आयात पूल के बारे में पैट्रोल का कहा है उसके बारे में भी आप अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सभापति महोदय, मैं न केवल अपनी पार्टी बल्कि सब छोटी पार्टियों– एक सदस्य और दो सदस्य वाली पार्टियों– जिनके सदस्य यहां उपस्थित नहीं है, की ओर से अनुरोध करता हूं। अतः मैं आशा करता हूं कि, छोटी पार्टियों को आवंटित समय को ध्यान में रखते हुए, मुझे बोलने का अधिक समय दिया जायेगा।

सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि वर्तमान वित्त मंत्री ने अपने पूर्व वित्त मंत्रियों की तुलना में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उन्हें न केवल एक ओर बल्कि सभा के सब वर्गों की ओर से बधाई प्राप्त हुई है। सभा में प्रस्तुत बजट में हम दो वर्गों के बीच स्पष्ट अन्तर को देख सकते हैं; एक वर्ग जो अर्थव्यवस्था में सुधार के पक्ष में भूतपूर्व वित्त मंत्री को मुबारक दे रहा है और दूसरा वर्ग उनका विरोध कर रहा है लेकिन मेरे मित्र श्री चिदम्बरम को दोनों वर्गों से प्रशंसा का अद्वितीय गौरव प्राप्त हुआ है; जो सुधारों का विरोध कर रहे है और जो उनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जो पार्टियां अब तक बजट का विरोध कर रही थी– जैसे वामपंथी पार्टियां– अपने खेमे में परिवर्तन ले आई है और बजट प्रस्तावों का समर्थन कर रही हैं।

जैसा कि मेरे मित्र श्री वीरेन्द्र कुमार ने बताया है कि यह न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में निहित विभिन्न विचारों का सम्मिश्रण है, जिन्हें सरकार ने पहले ही अपना लिया है। हमारे वित्त मंत्री अब बेहतर स्थिति में हैं। वर्ष 1991 में अर्थ व्यवस्था संकट में थी और भुगतान संतुलन कठिन परिस्थिति में था और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ गई थी। भूतपूर्व सरकार द्वारा आरम्भ किये गये आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप वर्तमान सरकार को इस प्रकार की स्थिर अर्थव्यवस्था की स्थिति में बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आर्थिक सुधारों को जारी रखना इस सरकार के लिये एक बड़ी उपलब्धि होगी।

जब 1990-91 में बजट प्रस्तुत किया गया था अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही थी। 1992-93 में प्रस्तुत बजट में उदारीकरण और कर सुधार की प्रक्रिया आरम्भ हो गई थी। वर्ष 1993-94 में प्रस्तुत बजट में मूलभूत ढांचा सुधार कार्यक्रम और आर्थिक उदारीकरण पर अधिक जोर दिया गया। 1994-95 के बजट वित्तीय घाटे में कमी के विरूद्ध तैयार किया गया क्योंकि इस बारे में उचित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका था। 1995-96 का बजट वित्तीय संतुलन और कर निर्धारण में और एकरूपता लाने वाला था। यह बजट वास्तव में बिल्कुल नये प्रकार का है। उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये। मैं माननीय वित्त मंत्री को इसके लिये बधाई देता हूं।

बजट में कृषि, सिंचाई, सामाजिक क्षेत्र में संसाधनों के आबंटन द्वारा तथा मूल न्यूनतम सेवाओं के लिये धनराशि प्रदान करके निर्धनों पर भार डाले बिना राजस्व बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसमें वेतनभोगी कर्मचारियों को भी कर में कुछ राहत दी गई है और निवेश पर बचत को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। मैं समय की कमी के कारण इस बारे में विस्तार से नहीं कह रहा हूं। मैं एक अथवा दो मामलों की और माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। केन्द्रीय योजना परिव्यय में 16.70 प्रतिशत वृद्धि की गई है। योजना परिव्यय का 62 प्रतिशत आन्तरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों द्वारा पूरा किया जायेगा। 32 प्रतिशत निधि बजटीय सहायता से दी जायेगी। हमारा यह इतिहास है जिससे यह पता लगता है कि हम पूर्व वर्ष में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। मैं यह मामला माननीय वित्तमंत्री की जानकारी में लाना चाहूंगा। वर्ष 1996-97 में आन्तरिक तथा अतिरिक्त बजटीय वित्त योजना परिव्यय का 62 प्रतिशत है। आई० ई० बी० आर० का कार्य पिछले वर्षों में बहुत अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है। आई० ई० बी० आर० योजना परिव्यय को प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण है, और बजट में इसके योगदान पर अधिक जोर दिया गया है। अतः मुझे संदेह है कि क्या सरकार उल्लिखित 62 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ होगी क्योंकि वास्तव में यह पूर्व वर्षों की तुलना में केवल दस प्रतिशत है।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री ने इन मामलों की ओर ध्यान दिया होगा। निश्चित रूप से, आधारभूत सुविधाओं से राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत आधार सुदृढ़ हो जायेंगे। वास्तव में यही एक मामला है जिस पर सरकार को बधाई दी जा सकती है। हमारे राष्ट्रीय राजपथों का विकास उत्साहवर्धक नहीं रहा है। मुझे विदेश में एक बड़ी कम्पनी के अधिकारी से चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने पूछा "आप आटोमोबाइल कम्पनियां क्यों आरम्भ कर रहे हैं जबकि आपके यहां पर्याप्त सड़कें नहीं हैं।" वास्तव में यह बहुत शर्म की बात होगी यदि हम राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की तुलना विकसित और पश्चिमी देशों से करें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद भी हम अपनी सड़कों का उनके समान विकास नहीं कर पाये हैं। वास्तव में यह बहुत उत्साहवर्धक है कि सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी के साथ वित्त निगम आरम्भ करने का कार्य आरम्भ किया है।

कृषि क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 32 प्रतिशत का योगदान करता है। लेकिन

दुर्भाग्यवश विभिन्न बजट प्रावधानों में केवल धनी किसानों के लिये ही व्यवस्था होती है छोटे और सीमान्त किसानों के लिये नहीं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस बात का उत्तर देंगे कि वह छोटे और सीमान्त किसानों के लिये धनराशि की व्यवस्था कर उनकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। इसमें छोटे और सीमान्त किसानों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

मैं सामाजिक क्षेत्र पर भी चर्चा करना चाहूंगा। बजट में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये परिव्यय में वृद्धि की गई है और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के लिये राज्य योजना में योजनाओं के लिये धनराशि की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केन्द्रीय आबंटन में लगभग 42 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। मैं केवल दो या तीन बातों का उल्लेख करूंगा। मैं ब्यौरा नहीं दे रहा हूं।

अब मैं योजनागत व्यय का उल्लेख करूंगा। ब्याज का भुगतान, रक्षा-व्यय और राज सहायता पर कुल गैर-योजनागत परिव्यय का 70 प्रतिशत खर्च होता है। यह अत्यंत चिंताजनक है। ब्याज भुगतान का हिस्सा जो 1980-81 में 20 प्रतिशत था से बढ़कर 1996-97 में 40 प्रतिशत हो गया है।

रक्षा क्षेत्र का हिस्सा 28 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत रह गया है। वित्त मंत्री को यह देखना है कि क्या वह रक्षा आबंटन में की गई कमी पर इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे कि हमारे पड़ौसी देश अपनी सेना और हथियारों में भारी वृद्धि कर रहे है और इनका उपयोग निश्चित रूप से हमारे विरूद्ध किये जाने की सम्भावना है। जब हम सामाजिक क्षेत्र को अधिक धनराशि देते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है लेकिन मैं फिर यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में पुनः विचार करें। ब्याज पर अदायगी जो राजस्व प्राप्ति का 46 प्रतिशत और गैर-योजनागत परिव्यय का 40 प्रतिशत है, उसे केवल उस स्थिति में कम किया जा सकता है जब यदि सरकार कुल ऋण में चरणबद्ध कटौती करने का कार्यक्रम लागू करे। योजनागत परिव्यय जो कुल व्यय का 37 प्रतिशत है घटकर 27 प्रतिशत रह गया है जबकि गैर-योजनागत व्यय जो 1986-87 में 63 प्रतिशत था बढ़कर 1996-97 में 73 प्रतिशत हो गया है। हम सबके लिये यह चिन्ता का विषय है। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में उचित ध्यान देगी।

जहां तक "मैट" का सम्बन्ध है। मैं इसके लिये एक मिनट का समय लूंगा और कुछ बात कहूंगा। सरकार द्वारा ढांचागत सुधार आरम्भ किये जाने के बाद भारतीय निगमित क्षेत्र ने अनेक प्रोत्साहन और रियायतें दी हैं। लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र में 12 प्रतिशत की दर से विकास हो रहा है। यही समय है जब निगमित क्षेत्र को सरकार की मदद के लिये आना चाहिये। सी० एम० आई० ई० द्वारा किये गये अध्ययन के उपरान्त निम्नलिखित बातों का पता लगा है और मुझे उनको उद्धृत करने की अनुमति दें। निगमित क्षेत्र के करोपरान्त लाभों (पी० ए० टी०) में 34 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई है। जबकि पी० ए० टी० में वर्ष 1993-94 में 66 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई थी और वर्ष 1994-95 में 57 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। निगमित कर में वृद्धि लाभ में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं है। 1986-87 में यह 39 प्रतिशत थी और यही आंकड़े आगामी वर्ष भी जारी रहे। लेकिन 1991-93 में यह घटकर 30 प्रतिशत और फिर 1994-95 में यह 16 प्रतिशत थी। अतः जब निगमित क्षेत्र को महत्व प्राप्त हो रहा है और वह आगे बढ़ रहा है, राज्य राजकोष को प्राप्त होने वाले कर में कमी आ रही है। अतः 'मैट' एक स्वागत योग्य कार्यवाही है और इसी के साथ मैं यह कहना चाहूंगा। मैंने कुछ वित्तीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को देखा है।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री ई. अहमद : मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं कोई बात उद्धृत नहीं करूंगा।

सभापति महोदय : आपने पहले ही इसी प्रकार दो मिनट ले लिये हैं।

श्री ई. अहमद : चूंकि माननीय मंत्री निगमित क्षेत्र को कुछ रियायते दे रहे हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि यह ऐसा उद्योग है जो बी. आई. एफ. आर. को गया है अथवा ऐसा उद्योग है जिसकी पुर्नउत्थान की योजना है, तो इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। लेकिन केवल यही क्षेत्र है जो सरकार को समर्थन देने में समर्थ होगा। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि क्षेत्रीय आबंटन का वितरण जिस प्रकार मैंने स्वयं किया है, यद्यपि इसमें शुद्धि की आवश्यकता है, इस प्रकार है। वर्ष 1994-95 अथवा 1995-96 की तुलना में कृषि क्षेत्र को आबंटित राशि कम हो गई है। 1994-95 में यह आबंटन 4.2 प्रतिशत; 1995-96 में 3.8 प्रतिशत और 1996-97 में यह केवल 3.3 प्रतिशत था।

सभापति महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा। मैं अब अगले वक्ता का नाम पुकारूंगा।

श्री ई० अहमद : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा हूं। वर्ष 1994-95 में और 1995-96 में ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिये आबंटन 8.3 प्रतिशत था लेकिन 1996-97 में यह 6.2 प्रतिशत था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिये 1994-95 और 1995-96 में आबंटन 2.1 प्रतिशत था लेकिन 1996-97 में यह केवल 1.9 प्रतिशत था जबकि परिवहन और अन्य क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक आबंटन किया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अपना अन्तिम वाक्य बोले।

श्री ई० अहमद : मैं केवल एक मुद्दे का उल्लेख करूंगा। डी. एम. के. के मेरे मित्र ने एक बहुत ही वैध मुद्दा उठाया है। यह सरकार में पिछड़े वर्गो को उचित आरक्षण देने के सम्बन्ध में है। मेरा यह कहना है कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। संविधान के अन्तर्गत भी लोगों के सब वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था है। मैं यह नहीं कहता कि यह धर्म के आधार पर हो। लेकिन लोगों का एक वर्ग अर्थात् मुस्लिम वर्ग जो धार्मिक दृष्टि से विशेष समुदाय से सम्बद्ध है पिछड़ा हुआ है और उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि वह संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के बारे में विचार करे? मेरा यह कहना है कि ऐसा धर्म के आधार पर न होकर वर्ग विशेष में पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिये। उन्हें आरक्षण में लिये विशेष सुविधा देनी चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस पर उचित रूप से विचार करेगी।

सभापति महोदय : धन्यवाद श्री अहमद। अब आप अपना भाषण पूरा करें।

श्री ई० अहमद : नारियल की फसल को बचाया जाना चाहिये। वर्तमान सरकार द्वारा बनाई गई किसी योजना से हमारी नारियल की फसल प्रभावित नहीं होगी। इन शब्दों के साथ में वित्त मंत्री को उनके उत्तम बजट के लिये धन्यवाद करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान निकोबार द्वीप समूह) सभापति महोदय मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 1996-97 के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिये उठता हूं। बजट प्रस्ताव वर्तमान सरकार की नीतियों का प्रतिबिम्ब है। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम बहुत अच्छी प्रकार से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, मुख्यमंत्रियों ने, चाहे उनका कोई भी दल हो, चर्चा में भाग लिया और यह सांझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया। स्वाभाविक है यह सम्बद्ध राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेवारी है कि वे इस कार्यक्रम को लागू करें।

शुद्ध पीने का पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी के लिये प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक आवास, आश्रयहीन सभी गरीब परिवारों को सहायता, दोपहर के भोजन की योजना का विस्तार, गांवों और निवास स्थानों को सड़कों से जोड़ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार तथा इसे निर्धनता की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिये सुव्यवस्थित करना आदि योजनाएं देश की सम्पूर्ण जनसंख्या के लिये बनाई जायेंगी। ये सब योजनाएं भूतपूर्व कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अनुरूप है। अतः इन नीतियों का समर्थन करते हुए मुझे संकोच नहीं है।

मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि क्या वह बजट में किये गये आबंटन से वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसी के साथ मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि बजट प्रस्ताव अलादीन का चिराग नहीं है। जो भी संयुक्त निधि अनुमति दे, वित्त मंत्री का कार्य है कि वह उसका आबंटन प्राथमिकता के आधार पर करें। हमारे देश में आप कहीं भी जायें वहां सब जगह प्राथमिकता का प्रश्न उठता है। लेकिन अपनी सूझबूझ से उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया है।

अनेक वक्ताओं ने, चाहे वे किसी दल से सम्बद्ध हों, विचार व्यक्त किये हैं कि कृषि उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसे कैवन्ल देश में उद्योगों तक सीमित रखा जाना चाहिये। मैं यह अनुभव करता हूं कि समय के साथ इन नीतियों और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप यदि कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, यदि कृषि उत्पादन दर में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इसके लिये बाजार की आवश्यकता होगी। बाजार के लिये यदि आपका उत्पाद प्रतिस्पर्धात्मक और उत्तम नहीं है तो आपको बाजार उपलब्ध नहीं होगा। "गैट" समझौते द्वारा आप 124 देशों में अपने उत्पादों का विपणन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इन कृषि उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहते हैं तो आपके उत्पादों की किस्म उत्तम होनी चाहिये तथा वे बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। जब तक ऐसा नहीं होगा आपको बाजार नहीं मिलेंगे। इस बारे में मैं एक उदाहरण दूंगा। मोहन मीकिनस कॉर्नफ्लेक्स का उत्पादन करता है और भारत में इसे अच्छा माना जाता है लेकिन जो 'कैलोग्स' का उपयोग करते है वे इसे मोहन मेकिन्स से नहीं खरीदेंगे। यदि ऐसा है, तो आपको यह देखना होगा कि खरीदार कहां से खरीदने में रूचि लेते हैं। जब तक आप इस प्रकार बाजार का अध्ययन नहीं करेंगे आप अपने उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकते। भावनात्मक आधार पर यदि आप यह समझते हैं कि इन क्षेत्रों को नहीं हुआ माना चाहिए और ये केवल देशीय उद्योग के लिये सीमित रहने चाहिये, तो यह उचित नहीं होगा। आपको यह देखना होगा कि क्या वह बाजार की खोज कर सकते हैं और वास्तव में उच्च किस्म की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं अथवा नहीं। अन्यथा हम दुविधा में रहेंगे। हम न तो उदारीकरण कार्यक्रम का अनुसरण करेंगे और न ही हम अपनी नीति का पालन कर सकेंगे। इसलिये मेरे विचार से इन क्षेत्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

गत पांच वर्षों में क्रियान्वित नीतियों और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पादन और अन्य औद्योगिक उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है और विदेशी मुद्रा की स्थिति संतोषप्रद रही है। इससे वित्तमंत्री को बजट प्रस्तुत करने में सहायता मिली है। अतः वह इस प्रकार का उत्तम बजट पेश कर सके हैं।

बजट में एक बात का उल्लेख नहीं किया गया है, इसका मैं उल्लेख करूंगा। शायद आपका विचार है कि भारत में सब व्यापारी और कर अपवंचक साधू अथवा ब्रह्मपुत्र युधिष्ठिर हो गये हैं। आपने जमाखोरों, कालाबाजारियों, कर की चोरी करने वाले लोगों को कोई चेतावनी नहीं दी है। मेरे विचार से अब समय आ गया जब आपको कुछ छूट और लाभ देने चाहिये लेकिन इसके साथ-साथ इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिये और सम्बद्ध लोगों को चेतावनी देनी चाहिये ताकि वे यह सोंचे कि यदि वे सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति दायित्व नहीं निभायेंगे सरकार चुप नहीं बैठेगी।

इसके साथ-साथ मैं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। महोदय, आप और मैं संघ राज्य क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम पहली बार वित्त मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह के सम्बन्ध में उल्लेख किया। ये दो द्वीप अलग-थलग हैं, पिछड़े हुए हैं और दूरस्थ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित हैं। उन्होंने द्वीप विकास प्राधिकरण की स्थापना का आश्वासन भी दिया। मुझे नहीं पता कि उसकी स्थापना कब तक की जायेगी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया कि वह द्वीप क्षेत्रों के लिये पृथक नियमों के बारे में विचार कर रहे हैं जहां देश के अन्य भागों की तरह सब चीज प्राप्त नहीं हो जाती। मेरे विचार से उनकी घोषणा स्वागत योग्य है। इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उन्हें औपचारिक आदेशों द्वारा इसे अपने अधिकार में नहीं लेना चाहिये। उन्हें स्वयं कठिनाइयों को समझना चाहिये। इस बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जहां तक विकास योजनाओं का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने इस बारे में सभी तकनीकी विभागों से चर्चा की है। वे इससे सहमत हैं। तब योजना आयोग सहमत हो गया और वित्त आबंटन किया गया। एक बार वार्षिक योजना में आबंटन के बाद, पदों का सृजन किया जाता है। अब ये अधिकार वापिस ले लिये गये हैं। पहले ये अधिकार प्रशासन के पास थे लेकिन अब इन्हें वापिस ले लिया गया है।

उन्हें प्रस्तावों को सम्बद्ध मंत्रालयों को भेजना होता है और मंत्रालय द्वारा उन्हें बड़े समय तक— एक वर्ष अथवा दो वर्ष तक लम्बित रखा जाता है। जब तक स्वीकृति प्राप्त होती है हम इस स्थिति में नहीं होते कि हम योजना के लिये आबंटित पूरी धनराशि को खर्च कर सकें और हम इस स्थिति में नहीं है कि द्वीप क्षेत्र के दूर-दराज क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के प्रति न्याय कर सकें। सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को अधिकार दिये है और शक्ति प्रत्यायोजित की है कि वह योजना के लिये पदों का सृजन करे। जब आप उन्हें शक्तियां सौंपते हैं तो आप ये अधिकार अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन और लक्षद्वीप को क्यों नहीं सौंप देते? आयोजना परियोजनाओं की क्रियान्वित के लिये यह बहुत आवश्यक हैं।

मुझे यह जानकर खुशी है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा की थी। इसकी घोषणा करते समय शायद उनके दिमाग में संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिये विधान सभा और मंत्रि परिषद की व्यवस्था करने का था। इसलिये इन द्वीप समूहों के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश के नागरिक होने के कारण भारत के संविधान के अन्तर्गत अन्य लोगों को दिये गये अधिकार के समान उन्हें भी इन अधिकारों को प्राप्त करने का हक है। उन्हें देश के दूसरी श्रेणी के नागरिक नहीं मानना चाहिये? प्रशासन के लिये केवल एक व्यक्ति क्यों हो? क्या हमारा यही भविष्य है? क्या इस द्वीप समूह के लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं को देखने के लिये यही एक व्यक्ति होना चाहिये। क्या हम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते है? हमारे बारे में सब निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति द्वारा क्यों लिये जायें जो यहां से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जाये? वे हमारे भविष्य का फैसला करे और हमें इस बारे में कुछ भी कहने का अधिकार न हो। इस प्रकार की तिरस्कारपूर्ण स्थिति में, हम विधान सभा और मंत्रि परिषद् के गठन की अनेक बार मांग करते रहे हैं लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है।

महोदय, मैं यहां एक बात कहूंगा। समस्त देश में यह संदेश गया है कि यदि कुछ आन्दोलन किये जाते हैं और सम्पत्ति नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त की जाती है तब सरकार आन्दोलनकारियों से बातचीत करने के लिये आगे आयेगी और समझौते की शर्तों पर चर्चा की जायेगी। हम अब तक अनुरोध और अभ्यावेदन भेजते रहे है जिन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है।

सभापति महोदय : श्री भक्त मुझे अप्रिय कर्त्तव्य का पालन करना पड़ता है और वह है समय के बारे में आपको याद दिलाना।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, आप अच्छी प्रकार जानते है कि संसद मेरी विधान सभा भी है।

सभापति महोदय : श्री भक्त यह ठीक है। लेकिन मुझे निष्पक्ष भी होना है।

श्री मनोरंजन भक्त : कृपया मुझे थोड़ा समय और दें। महोदय मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस पहलु पर विचार करें। क्योंकि हम एक व्यक्ति के प्रशासन में और अधिक समय कार्य नहीं कर सकते।

जहाजरानी अंडमान और निकोबार के लोगों की जीवन रेखा है। इस वर्ष के बजट में जहाजरानी के लिये आवंटन को कम कर दिया गया है। इस बजट में कृषि और उससे सम्बद्ध अन्य गतिविधियों के लिये आबंटन में भी कमी कर दी गई है। ग्रामीण विकास क्षेत्र के आबंटन में भी कमी कर दी गई है। ग्रामीण विकास क्षेत्र के आबंटन में भी कमी की गई है। वास्तव में इसमें वृद्धि की जानी चाहिये थी। यह इसलिये क्योंकि पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आ गई हैं ओर इन संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये दी जाने वाली राशि में वृद्धि की जानी चाहिये थी। परिवहन, जो फिर जहाजरानी है, के लिये आबंटित राशि को भी कम कर दिया गया है। आवास के सम्बन्ध में आबंटन में मामूली सी वृद्धि हुई है। लेकिन दूर-दराज के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इस बारे में और अधिक विचार किया जाना चाहिये।

हमारी 86 प्रतिशत भूमि पर वन है। यह एक ऐसा स्थान है जहां वनों की संख्या बहुत अधिक है। अतः आबंटन करते समय, वनों के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिये, लेकिन बजट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैंने अपनी कुछ आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। अतः वर्ष 1996-97 के दौरान 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने का मेरा अनुरोध है।

अपराह्न 9.00 बजे

उसका ब्यौरा इस प्रकार है कृषिः 7 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास 15 करोड़ रुपये, परिवहन, 20 करोड़ रुपये, आवास 5 करोड़ रुपये, पत्तन, 3 करोड़ रुपये, शिक्षा 5 करोड़ रुपये और ऊर्जा 5 करोड़ रुपये। एक अन्य मुद्दा भी है। इस वर्ष आपने हमें 215 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। यद्यपि आपने योजनागत व्यय में मामूली सी वृद्धि की है लेकिन कुल आबंटन 215 करोड़ रुपये है। यह गत वर्ष के बराबर है। यदि आप मुद्रास्फीति को ध्यान में रखें तो हमें 40 करोड़ रुपये का आबंटन और किया जाना चाहिये। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं यह कहना चाहूंगा कि संघ राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार के शिशु है; अतः आपको हमारा ध्यान रखना चाहिये। जब तक केन्द्रीय सरकार का रुख हमारे प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं होगा हमारा विकास नहीं हो सकता। हमारे सब विकास कार्य रुक जायेंगे।

सरकार ने अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में रेत और पत्थर एकत्र करने को बन्द करने का निर्णय लिया है। वह हमसे मुख्य भूमि मद्रास, विशाखापतनम अथवा कलकत्ते से एकत्र करने के लिये अनुरोध कर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक रेत से भरे ट्रक का मूल्य हमारे लिये 20,000 रुपये होगा। यह स्थिति है, तो अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह का विकास किस प्रकार हो सकता है? सरकार के इस कदम से अकल्पनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाये। वित्त मंत्री को इस बारे में हमारी सहायता करनी चाहिये।

श्री पी० चिदम्बरम : ऐसा किसने किया।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरे विचार से इसमें पर्यावरण और वन विभाग शामिल है। हम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें समुद्र में फ्रेंका जाना है।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ छोटे-छोटे उद्योग हैं लेकिन जब तक आप परिवहन या राज सहायता, जो पहले भी दी जा रही थी, की अनुमति नहीं देते, उनका विकास होना सम्भव नहीं। इस राज सहायता से हमें उक्त उद्योग के विकास में सहायता मिलेगी। जब कहीं कोई बड़ा उद्योग नहीं होता है, तो जो कोई भी छोटे उद्योग वहां होते हैं वे अर्थ सक्षम रहने चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

आपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये वित्त आयोग का गठन किया है। आयोग दिल्ली में बैठा है। वे द्वीप समूह से अधिकारियों को अपनी बात कहने के लिए बुला रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या उक्त आयोग केवल अंडमान और निकोबार द्वीप के लिये है?

श्री मनोरंजन भक्त : मुझे पता नहीं कि क्या लक्षद्वीप इससे जुड़ा है अथवा नहीं। यदि आयोग में तीनसदस्य होते हैं तो हम उसे एक सदस्य वाला आयोग बना सकते हैं ताकि वह वहां बैठ सके और कार्य कर सके। दिल्ली में आयोग के समक्ष अपनी बात कहने के लिये उपस्थित रहने के लिये इन अधिकारियों के परिवहन पर इतनी अधिक राशि क्यों खर्च की जाये? इस ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

क्योंकि सभापति महोदय मुझे पहले ही चेतावनी दे चुके हैं मैं उनको और परेशानी में नहीं डालना चाहता। मैं बोलने का समय देने के लिये उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करें।

सभापति महोदय : मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। मेरे विचार से सभा अब स्थगित कर दी जानी चाहिये और मंत्री महोदय अपना उत्तर कल दे सकते हैं। वक्ताओं की सूची मेरे पास है, यदि हम प्रत्येक को बोलने के लिये बुलायेंगे तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा।

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : (विशाखापत्तनम) : वित्त मंत्री अपना उत्तर कब देंगे?

सभापति महोदय : जैसे ही सदस्य अपना भाषण समाप्त करेंगे, वित्त मंत्री उत्तर देंगे।

अपराह्न 9.05 बजे :

सदस्य द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण करने के बारे में

सभापति महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे पुलिस उपमहानिरीक्षक (प्रशासन) पटना, बिहार का 29 अगस्त, 1996 का निम्नलिखित फैक्स संदेश आज प्राप्त हुआ है :

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि श्री मुहम्मद शहाबुद्दीन, लोक सभा सदस्य ने

(1) पुलिस स्टेशन अंडेर में दर्ज मामला अपराध संख्या 32/96

(2) पुलिस स्टेशन हुसैनगंज में दर्ज मामला अपराध संख्या 99/96

(3) पुलिस स्टेशन पचरूखी में दर्ज मामला अपराध संख्या 7/95 और

(4) पुलिस स्टेशन पचरूखी में दर्ज मामला अपराध संख्या 8/95 के संबंध में आज अर्थात् 29 अगस्त, 1996 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवान, बिहार के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस समय उन्हें संभागीय जेल में रखा गया है।"

सभापति महोदय : सभा अब कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 9.05 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा, शुक्रवार, 30 अगस्त, 1996/8 भाद्र, 1918 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।